# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2 ] अष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 9वां दिवस [ संख्या 7

बुधवार,

दिनांक 10 जुलाई, 1985

राजस्थान विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न। श्री भैरूलाल भारद्वाज।

### किसानों को फसल काल में विद्युत प्रदाय

**180. श्री भैरूलाल भारद्वाज** (जमुवा-रामगढ) : श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) एवं श्री रमजान खां (पुष्कर)—क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत अप्रेल-मई, 1985 में मुख्य मन्त्रीजी द्वारा प्रान्त के किसानों को दिन में 12 घण्टे बिजली देने की घोषणा की क्रियान्विति में विद्युत विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) वर्तमान में किसानों को कितनी-कितनी बिजली किस-किस समय में दी जा रही है ?

(3) विगत 3 वर्षों में रबी फसल हेतु कृषकों को प्रतिदिन कितने घण्टे बिजली दी गई ?

(4) मुख्य मन्त्री जी की घोषणा तथा वर्तमान विद्युत वितरण व्यवस्था में क्या अन्तर नहीं है ? यदि हां, तो इस अन्तर का कब तक दूर कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) जमुवारामगढ़ क्षेत्र के ग्राम चावं-डिया, आंधी, ताला, गठवाड़ी के पास विद्युत उपभोक्ताओं को पूरी तरह विद्युत सप्लाई हेतु 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन कब तक बना दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) जमुवारामगढ़ सहायक अभियन्ता कार्यालय के भवन निर्माण में देरी क्यों की जा रही है और अब इसे कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

**ऊर्जा मन्त्री** (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) :

(ऊर्जा मन्त्री)

(1) विद्युत उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए किसानों को अधिक से अधिक बिजली देने के लिये विद्युत मण्डल प्रयत्नशील है।

(2) वर्तमान में किसानों को कृषि कार्य हेतु 5 घण्टे के रोटेशन से 4 ब्लाक्स में विद्युत दी जा रही है। ब्लाक्स का समय विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है, लेकिन आम तौर पर जो ब्लाक्स का समय है वह निम्न है—(1) रात्रि 10 से प्रात: 3 बजे तक (2) प्रात: 3 बजे से प्रात: 8 बजे तक (3) प्रात: 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक (4) दोपहर 1 बजे से सायं 6 बजे तक।

(3) किसानों को विगत 3 वर्षों में रबी फसल हेतु दी गई प्रतिमाह औसत बिजली का विवरण निम्न प्रकार है: —

| वर्ष | 1982-83 | | 1983-84 | | 1984-85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | घण्टे | मिनट | घण्टे | मिनट | घण्टे | मिनट |
| नवम्बर | 8 | 54 | 19 | 0 | 8 | 0 |
| दिसम्बर | 10 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| जनवरी | 6 | 0 | 11 | 39 | 8 | 0 |
| फरवरी | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 | 18 |
| मार्च | 10 | 0 | 9 | 42 | 8 | 24 |

(4) जी हां, विद्युत उपलब्धि एवं विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए ही विद्युत वितरण करना सम्भव है। यथासम्भव कमी को पूरा करने के लिए समय-समय पर अन्य राज्यों से अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) जमुवारामगढ़ एवं शाहपुरा में 132 के.वी. जी. एस. एस. चालू होने के पश्चात् उक्त एरिया में विद्युत दबाव में काफी सुधार हुआ है। अत: जमुवारामगढ़ के ग्राम चावंडिया, आंधी, ताला, गठवाड़ी के पास विद्युत उपभोक्ताओं को पूरी तरह सप्लाई हेतु 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(6) जमुवारामगढ़ में सहायक अभियन्ता का कार्यालय किराये के मकान में चलाया जा रहा है एवं वहां पर सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। हाल ही में ग्राम सरपंच ने सहायक अभियन्ता कार्यालय हेतु जमीन आवंटित की है जिस पर भवन निर्माण का कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

**श्री भंरूलाल भारद्वाज** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने पहले ही प्रश्न में यह पूछा है कि क्या मुख्य मन्त्रीजी ने किसानों को 12 घन्टे दिन में बिजली देने की घोषणा की थी, इस बारे में मन्त्रीजी ने स्पष्ट नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि जब राज्य के सबसे बड़े हैड, जनता के द्वारा चुने हुए यह घोषणा करें और एक बार नहीं चार-चार बार कि दिन में 12 घंटे किसानों को बिजली दी जायेगी, तो फिर मैं नहीं सम-

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

भता कि यह विद्युत बोर्ड, बिजली बोर्ड है क्या बला जो मुख्य मन्त्री के आदेशों के, मुख्य मंत्री की घोषणाओं के विपरीत कार्य करे।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो लगातार आपने 1982-83 से 84-85 के आंकड़े दिये हैं, इसमें आपने तीन वर्ष का विवरण दिया है तो इसमें 1984 का विवरण भी है क्या ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत :** 1984 का विवरण दिया है।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज :** 1984-85 में मैं समझता हूं कि चाहे आपने अपने रिकार्ड के हिसाब से कैसे ही कर दिया हो, आपको जो जानकारी दी गई है यह वही है, बाकी यह गलत है। यह जो आपने सूचना दी है कि नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में 8-8 घण्टे और सात घंटे और मार्च में 8 घंटे बिजली दी, मैं यह कहता हूं कि यह गलत है। आप इसके प्रमाण के लिए चाहें तो आपके जो ग्रिड-स्टेशनों पर रिकार्ड रखा जाता है उस रिकार्ड को चैक कर लीजिये, कभी भी आठ घण्टे बिजली नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि गत वर्ष वाली सूचना आपके पास गलत है। आपने कोई सारे राजस्थान का हिसाब लगा लिया हो जहां पर 15 घण्टे, 20 घण्टे, 19 घंटे बिजली दी गई हो और उसका आधा करके बता दिया हो, नहीं तो जिस क्षेत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, यह उस हिसाब से बिल्कुल गलत है। किसानों की फसलों को बहुत-बड़ा नुकसान पहुंचा है बिजली की कमी से और रेगुलर तो पांच घण्टे भी बिजली नहीं मिली है। यह जो नुकसान हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

चौथी बात यह है कि आपके एस. ई. की तरफ से, जो सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर सोलंकी हैं उन्होंने मुझे एक बार नहीं, चार बार कहा है कि बजट के अन्दर चावंडिया, आंधी और ताला इन तीनों के लिए, 33 के.वी. के स्टेशन के लिए बाकायदा नक्शे पास होकर चीफ इन्जीनियर से और बोर्ड से स्वीकृति हो गई है, वित्तीय प्रावधान तो मार्च के बाद में होगा तो वह बजट प्रावधान तो नहीं रखा और आपके जवाब में यह लिखवा दिया कि जरूरत ही नहीं है।....

(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) :** एक सप्लीमेंट्री मेरा भी है।

**श्री अध्यक्ष :** आप पहले प्रश्नकर्त्ता को पूछने दीजिये।

**श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) :** प्रश्नकर्त्ता तो भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज :** उसकी जरूरत थी तब ही तो बाकायदा योजना बनी थी, नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से करने को थे। वहां की स्थिति बहुत खराब है....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, संक्षेप में।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : जब तक 33 के.वी. का सब-स्टेशन नहीं बनेगा स्थिति नहीं सुधर सकती। उसके सारे नक्शे वगैरा बन गए हैं और आपने कह दिया कि कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है।

फिर मैं यह कहता हूं कि यह जो जमुवारामगढ़ में कार्यालय है उसके लिए आपने कह दिया कि वित्तीय प्रावधान नहीं है। वित्तीय प्रावधान था, जमीन की दर-गुजर के कारण नहीं बन सका था भवन और आप अब कहते हैं कि जब वित्तीय प्रावधान होगा तब करेंगे····

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : आप दस मिनिट पूरे इसी में ले लेंगे।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर कृपया बैठें।····कृपया बैठें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : यह सही है····

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : हमारा भी जवाब आ जाता।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : यह सही है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12 घण्टे बिजली देने की घोषणा की थी

**श्री भंवरलाल शर्मा** : चुनाव के समय।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : तद-नुसार विद्युत मण्डल ने प्रयत्न किया कि किसानों को अतिरिक्त समय बिजली उपलब्ध कराई जाय।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : प्रयत्न किया ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : जरा सुनने की कृपा करें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अप्रेल महीने में इसकी बजाय 10 घण्टे और फिर 12 घण्टे बिजली दी गई और फिर 8 घण्टे बिजली दी गई। इसके साथ ही आर. ए. पी. पी. के बंद हो जाने की वजह से, बिजली की कमी होने की वजह से यह समय वृद्धि कम कर दी गई।····

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सुनने की कृपा करें। माननीय सदस्य सुनने की कृपा करें। आप बैठें।

**एक माननीय सदस्य** : पांच घन्टे रह गई।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अप्रेल महीने में इसको बढ़ाया। प्रारम्भ में 9 घण्टे बिजली दी गई, फिर 12 घण्टे दी गई, फिर 6 घण्टे दी गई। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान एटेमिक पावर प्रोजेक्ट के बन्द हो जाने की वजह से, बिजली की कमी होने की वजह से यह समयावधि कम कर दी गई। आज प्रश्न यह है, जितनी बिजली हमारे पास उपलब्ध है, राज्य की जितनी आवश्यकता है अलग-अलग, चाहे कृषि के लिये हो, चाहे उद्योग के लिये हो, चाहे घरेल उपभोग के लिये हो, राज्य में अलग-

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

अलग स्रोतों से जो बिजली हमें प्राप्त होती है वह पर्याप्त नहीं है।

जैसा कि आप सब माननीय सदस्यों को पता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली के अधिक उत्पादन के लिये जो कार्य हमने हाथ में लिये हैं वह पूरे होने पर ही यह सम्भव हो सकता है। वर्ष 1984–85 में, जैसा कि विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा है, हमने आठ घंटे किसानों को रबी की फसल में बिजली दी है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : बिल्कुल गलत।

**अनेक माननीय सदस्य** : गलत, बिल्कुल गलत।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आप सुन लीजिये। आर्डर, माननीय सदस्य।

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 घण्टे की बात बिल्कुल गलत है।

**श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़)** : 8 घण्टे की बात गलत कह रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)** : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा स्थिति के अन्दर बिजली 8 घंटे दी जा रही है उसमें भी तीन घंटे मिलती है। आज मौजूदा परिस्थिति यह है और मंत्री महोदय कह रहे हैं.......

**एक माननीय सदस्य** : 3–3, 4–4 घंटे बिजली मिलती है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : 1984–85 में.......

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)** : मन्त्री महोदय क्या पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं कि बिजली कितनी देंगे। वर्ष 80 से शुरू कीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : जवाब सुन लीजिये एक बार।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : लगातार मन्त्री महोदय, असत्य भाषण करते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं। कल माननीय कमलाजी ने सदन को गुमराह किया, आज मन्त्री महोदय भी....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप पूछ लीजियेगा। पूरा सुन लीजिये इनको।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रियों को असत्य भाषण की छूट है ?

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको पुकार लूंगा। माननीय सदस्य बैठें। आप सुनना नहीं चाहते।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : क्या मंत्रियों

(6)



(श्रीमती उजला अरोड़ा)

को असत्य सम्भाषण करने की छूट है । वह बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठें ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : कोई असत्य बात नहीं कही है । जो सूचना मुझे आर. एस. ई. बी. से प्राप्त हुई है उसकी जानकारी मैंने सदन को दी है । यदि

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

**श्री अध्यक्ष** : आपको मैं काल करूंगा ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं यह कह रही हूं, माननीय अध्यक्षजी यह सप्लीमेंट्री का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है, सारे के सारे मन्त्री⋯

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : यदि कोई माननीय सदस्य इस सूचना के आधार पर इन आंकड़ों को चेलेंज करते हैं कि ये असत्य हैं तो मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया बैठें । आपको मौका दूंगा मैं । आर्डर प्लीज । आर्डर, माननीय सदस्य ।

**श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : जांच की जरूरत नहीं है । यह खुद भी किसान हैं । इनकी खेती पर कितनी मिल रही है, यह जानते हैं । कांसियस अलाउ नहीं कर रहा है जवाब देने के लिये ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : तीसरा प्रश्न माननीय सदस्य का जो है, उसके बारे में जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया, चूंकि पहले जमवा रामगढ़ में और शाहपुरा में⋯

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : शाहीपुरा ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : शुद्ध कर रही हूं उनको ।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : शाहपुरा में 132 के.वी. के सब-स्टेशन नहीं थे । यह दोनों चालू होने से जिन गांवों का आपने जिक्र किया है उनमें उपभोक्ताओं को पूरी तरह से विद्युत सप्लाई की जा रही है । वर्तमान में फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा सिंह । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठें । मैंने सुमित्रा सिंह को पुकारा है, आप कृपया बैठें ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मन्त्री महोदय कृपया यह बतायें, क्या यह बात सही है, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, 12 घंटे

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

बिजली देने की जब घोषणा की, दो दिन तो 12 घंटे बिजली आयी. पर तीसरे दिन पांच घंटे ही हो गई। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं, मन्त्रियों ने एक यह परिपाटी डाल दी है, जिस किसी प्रश्न के जवाब को माननीय सदस्यों की ओर से चुनौती दी जाती है कि गलत जवाब दे रहे हैं तो वह एक ही बात कह देते है कि मुझे ऐसी ही सूचना दी गई है। यह गलत परम्परा है। इस तरह से वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें। उनको काल किया है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। आर्डर प्लीज। पहले बैठें माननीय सदस्य। बैठें आप पहले। श्री रामेश्वर दयाल।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)** : मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे.......

**श्री अध्यक्ष** : आप नोट करलें मन्त्री महोदय सब सवाल।

**श्री रामेश्वर दयाल** : मुख्यमन्त्री जी की घोषणा के बाद ....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, रिपीट नहीं करें। आप रिपीट कर रहे हैं।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जे.पी. डी. सी. के एस. ई. मिस्टर सोलंकी ने जो बिजली वितरण की अखबारों में सूचना दी है, क्या उन्होंने पांच घंटे की सूचना नहीं दी है। यह स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सम्पतसिंह।

**श्री सम्पतसिंह (नगर)** : मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, उनके मुताबिक बिजली का उत्पादन कम है, तो कृषि जैसी प्राथमिकताओं के लिये बिजली की कटौती की जाय फिर शहर में फिजूल खर्ची के लिये, शादी-ब्याह के नाम पर बिजली की उपभोक्ताओं के लिये कौन मंजूरी देता है, किसके आदेश से यह मिलती है ?

**श्री नवरंगसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक तो यह पूछना चाहूंगा, इन्होंने 1982-83 की जो सूचना दी है, 19 घंटे और कुछ महीने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, आप भी उस समय मंत्रिमंडल में थे जब हम लोग राजस्थान किसान यूनियन के जुलूस को लेकर यहां आये थे, उस समय केवल तीन-चार घंटे बिजली मिलती थी। इसी तरह से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी ने पिछले साल और इस साल की जो सूचना दी है वह बिलकुल गलत है। मैं मंत्रीजी को चैलेंज करता हूं और सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि यह जो सूचनाएं दी गई हैं, बिल्कुल गलत और × × × सूचनाएं हैं। सदन और जनता को गुमराह करने के लिये यह सूचना दी जा रही है।

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(8)



**श्री अध्यक्ष** : × × × शब्द एक्सपंज किया जाय।

**श्री नवरंगसिंह** : इसलिये मैं चैलेंज करता हूं मन्त्री महोदय के इस कथन को आपने ये जो सूचनाएं दी हैं, बिल्कुल गलत हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रमजान खां।

**श्री रमजान खां (पुष्कर)** : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, जब मुख्य मन्त्री ने घोषणा कर दी कि 12 घंटे बिजली देंगे उसके उपरान्त सरकार नहीं दे पा रही है तो यह विनिमय चार्जेज जो काश्तकारों से लिया जा रहा है, क्या इसको समाप्त करने की सरकार कोई योजना बना रही है या कोई बात कर रही है। एक बात तो यह है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेश चौधरी।

**श्री रमजान खां** : मेरी बात तो सुनें साहब। मेरे प्रश्न तो सुनें। मैं और अर्ज कर रहा हूं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है, जो आपने चार ब्लाक बनाये, इसकी सूचना काश्तकारों को किस माध्यम से और किस तरह से दी जाती है, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे दस बजे से लेकर रात के तीन बजे तक बिजली आ रही है तो काश्तकारों को यह भी मालूम नहीं होता है कि आज ब्लाक चेंज हो गया। वह तो दस बजे जाकर मीटर के पास बैठ जाता है और बराबर देखता रहता है कि अब बिजली आयी, अब बिजली आयी। ब्लाक चेंज हो जाता है फिर बिजली तीन बजे आती है। पूरी की पूरी रात काश्तकार की खराब हो जाती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, ब्लाक चेंज होता है इसकी काश्तकारों को सूचना किस तरह दी जाती है इसका बतायें।

मिनिमम चार्जेज के बारे में मुख्य बात यह है, जब बिजली पूरी नहीं दे रहे हैं तो काश्तकारों से मिनिमम चार्जेज कैसा ? यह तो एक तरह से जजिया टैक्स हो गया, जैसे पुराने मुगलिया जमाने में····

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, भाषण नहीं प्रश्न पूछें।

**श्री रमजान खां** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिमम चार्ज तो खतम होना चाहिये। तीसरी बात, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी जब किशनगढ़ उप चुनाव में आये थे तब उन्होंने कहा था कि दिन में 12 घण्टे बिजली दी जायेगी, रात को नहीं दी जायगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, सर्दी में रात को काश्तकारों को बिजली नहीं मिले, इसके लिये क्या मन्त्री महोदय घोषणा करेंगे ? सर्दियों में रात के अन्दर ··

**श्री अध्यक्ष** : भाषण नहीं, माननीय सदस्य !

**श्री रमजानखां** : भाषण नहीं है, अध्यक्ष महोदय मैं यह जो बात कह रहा हूं, वाजिब

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमजान खाँ)

कह रहा हूँ। इसको मानने के लिये मंत्री महोदय से जवाब दिलायें। क्या है इसका जवाब?

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र चौधरी।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं, किसानों को बिजली देने के जो टाइमिंग हैं, उसके अन्दर अलग-अलग फसलों के बारे में अलग-अलग समय की कोई प्रक्रिया है? यदि है, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा, जो मिर्ची और कपास का इलाका है, के अन्दर अभी जो पांच घंटे बिजली दी जा रही है क्या उसको बढ़ाने का कोई प्रावधान है या सरकार विचार रखती है?

**श्री अध्यक्ष** : श्री दिग्विजयसिंह।

**श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, जिस समय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, 12 घंटे काश्तकारों को बिजली दी जायेगी, उस समय जनरेशन जो हो रहा था वह उतना ही था कि 4 घंटे बिजली काश्तकारों को मिल सके। तो मुख्य मंत्री ने किस आधार पर यह घोषणा की कि 12 घंटे काश्तकारों को बिजली दी जा सकेगी? क्या इसका वेरीफिकेशन करके घोषणा की गई थी? आखिर मुख्य मंत्री ने घोषणा की उसके बाद पालना नहीं होती है तो यह बहुत लज्जाजनक बात है।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती उजला अरोड़ा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी, क्या आमेर के बाई-इलेक्शन में 12 घंटे बिजली दी जाने की घोषणा की गई थी? और आमेर के बाई-इलेक्शन खतम हो जाने के बाद आपने उस डिसीजन को समाप्त कर दिया—नम्बर एक?

नम्बर दो-जो जमुवारामगढ़ क्षेत्र है उसमें जिस-जिस टाइम, जितने-जितने समय आपने बिजली देने की घोषणा की, वहां पर उतने समय बिजली नहीं मिली। तो क्या जांच करायेंगे? पहले बिजली उतनी नहीं मिली, मेरी आपको यह चुनौती या दावा कुछ भी मानें। नंबर तीन, मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर नगर में और अन्य नगरों में एयर कंडीशन, मेले, टी.वी. और मर्करी सबके लिए बिजली है तो क्या शहरों में भी गांवों के लिए कटौती करेंगे या गांवों को ही सताने की प्रतिज्ञा की हुई है, इसका उत्तर देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री ललित किशोर।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल करना चाहता हूं कि यह जो सूचना आपने दी है यह तो सोर्स से आने वाली बिजली की दे दी किन्तु जो लोड शेडिंग होता है क्या विद्युत मण्डल या वहां के उपयुक्त कर्मचारी इसकी सूचना अखबारों में प्रसारित कराते हैं या विज्ञप्ति निकालते हैं?

दूसरा, आपने प्रश्न के खण्ड-3 में कहा है कि हम अन्य राज्यों से बिजली लेने का प्रयास कर रहे हैं, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों में अपने हिस्से की जो बिजली है और प्रदेशों में, उससे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

ज्यादा बिजली किस साल में इन दिनों में ली गई ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री नारायणराम बेड़ा।

**श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में बुवाई के समय, जैसा कि आंकड़े हैं, ज्यादा बिजली मिली और पिलाई के समय कम मिली जिससे काश्तकारों को दुगुना नुकसान हुआ, क्या भविष्य में इस नुकसान को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री मालाराम।

**श्री मालाराम (खेतड़ी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय, सिर्फ फसल के समय में बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी को कम से कम काश्तकारों को यह तो कहना चाहिए कि आपके इतना घंटा बिजली आवेगी। मैं आपको बताऊं जिस समय फसल बोते हैं उस समय 10 घंटे बिजली दे दी और उसके बाद जब फसल बढ़ती है तो वह समय 5–10 दिन का ऐसा आता है कि उसमें आप कटौती कर देते हो तो किसान की फसल सारी की सारी जल जाती है तो किसान की फसल का मुआवजा बिजली विभाग को देना चाहिए। दूसरी चीज यह कि फसल पकने के समय 10–10, 20-20 काश्तकारों की मोटरें जल जाती हैं क्योंकि एक फेस में बिजली देते हैं और एक फेस में बिजली देते ही मोटर जल जाती है, उससे दुगुना नुकसान हो जाता है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भारद्वाज।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी के कारण एक तो इन्होंने बिजली की सप्लाई पांच घंटे कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका असर क्या उद्योगों पर भी पड़ा है और वर्तमान में उद्योगों को कितनी बिजली मिलती है ?

दूसरी बात शहरों के जनरल उपभोक्ताओं को कितनी देर बिजली मिलती है और क्या 5–5 घंटे के हिसाब से दूसरों पर भी कुछ कमी हुई या किसानों पर ही गाज पड़ी है ? सब पर बराबर पड़नी चाहिए थी हिसाब से।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी बता रहे हैं कि पहले तो हम 8, 10 घंटे फिर एक बार 19 घंटे, 11 घंटे, 14 घंटे फिर 10 घंटे, इस हिसाब से बिजली दिया करते थे और गए टाइम का तो कहते हैं कि मेरे पास सूचना है पर वास्तव में जांच करायेंगे तो यह सूचना गलत है। लगातार तीन साल की सूचना 19, 14, 11 8 घंटे की है। इस साल उल्टा 5–5 घंटे कर दी इसलिए कि मुख्यमंत्रीजी ने कह दिया। पहले जब कोई कुछ नहीं कहता था तो लगातार तीन साल से 10, 12, 18, 19 और 14 घंटे बिजली और 8 घंटे से नीचे नहीं आई और अब मुख्यमंत्रीजी ने कह दिया कि हम 12 घंटे देंगे दिन में, तो 5 घंटे हो गई, यह मामला है क्या ? मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि ट्रांसफर तो यहीं से हुआ है एक्स. ई. एन. का, शायद अब भी वही है, एस ई. शायद राजस्थान में कहीं होगा सोलंकी उससे

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

पूछिए। कागज सारे, पैसे के प्रस्ताव की बात है जो अगले वित्तीय वर्ष में करेंगे यह आपने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है पैसे की, अगले वित्तीय वर्ष में कर देंगे। तो क्या वह सारे कागज या तो छिपा लिए गए या मेन्यूप्लेशन कर दिया इन एम. एल. एज, की अकड़े निकालने के लिए। पहले तो हम बना रहे थे अब प्रश्न कर दिया तो कैसे बना दें, कहीं ऐसी बात तो नहीं है ?

छठे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया कि जो वित्तीय व्यवस्था गए साल में थी उसका उपयोग क्यों नहीं किया जमुवा-रामगढ़ में कार्यालय बनाने के लिए।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय कृपया जवाब दें, माननीय सदस्य जवाब आ जाने दीजिए अगर संतोष हो जाएगा तो अच्छी बात है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में विभिन्न महीनों में जो बिजली उपलब्ध कराई थी उसके मैंने आंकड़े दिए हैं। माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

**श्री नवरंगसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जांच कौन करेगा किससे करवायेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य जवाब तो मंत्रीजी देंगे।

(व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय सम्पतसिंहजी ने सुझाव दिया कि राजस्थान में बिजली की जो कमी है उसका अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए। माननीय सम्पतसिंहजी को पता है कि इस बार जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें लगभग 28% राशि बिजली के ही सम्बन्ध में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इससे आप महसूस करेंगे कि राजस्थान सरकार महसूस करती है कि बिजली की कमी है और उसको दूर करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान हमने किया है।

**श्री सम्पतसिंह** : वह शहरों की दावतों में लग जाती है गांवों में नहीं जाती।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय नवरंगसिहजी ने 1983-84 के नवम्बर में 19 घंटे बिजली देने के आंकड़े असत्य बताते हुए कहा कि यह आंकड़े गलत हैं। मेरी सूचना के आधार पर नवम्बर, 1983 में 19 घटे दर्शाए गए हैं अगर यह कहते हैं कि यह असत्य है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करूंगा।

**श्री नवरंगसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उस समय तो गांवों में ही घूमते थे उनको ध्यान होगा कि नवम्बर में 19 घंटे आपके इलाके में बिजली मिली है क्या ?

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : मैं तो गांवों में घूमता था 1983-84 में, आप भी गांवों में घूमते थे और आगे भी कोई फर्क नहीं है, दोनों को गांवों में ही घूमना है।

**श्री नवरंगसिंह** : इसीलिए मंत्री महोदय, सत्य बोलो, सत्य बड़ी चीज है. हाउस को गुमराह मत करो।

(व्यवधान)

आपका यह कहना गलत है कि नवम्बर में 19 घंटे बिजली दी गई, मैं चैलेंज करता हूं यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं मंत्री महोदय। इस हाउस की कमेटी बनाकर जांच करवावें।

**श्री खंगारसिंह चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एवरेज चार्ज क्या है किस आधार पर लिया जाता है....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, आप पहले पूरा जवाब सुन लें फिर कोई रह जाय तो बताइए, यह पूछा जा चुका है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय दिग्विजयसिंहजी ने प्रश्न उठाया कि बिजली आपके पास थी नहीं तो मुख्यमंत्रीजी ने 12 घण्टे देने की घोषणा कैसे कर दी। मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध कराए गये हैं उसके अनुसार 23–4–85 से 29–4–85 तक 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई। 10–5–85 से 20–5–85 तक 12 घंटे उपलब्ध कराई गई। उसके बाद 21-5-85 से 22-5 85 तक 8 घंटे उपलब्ध कराई गई और अब बिजली की कमी होने की वजह से रबी की फसल में हमने 8 घंटे बिजली दी है और खरीफ की फसल में पांच घंटे बिजली देने का फैसला हमने किया है।

**श्री रामेश्वर दयाल** : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : जहाँ तक कटौती का सवाल है हमारे यहां रबी की फसल मुख्य होती है उस वक्त उद्योगों पर 100% कटौती करते हैं कृषि को प्राथमिकता देने के लिए। हमने उद्योगों पर आज भी 40% कट लगा रखा है और उद्योगों को 40% कम बिजली मिलती है। जब तक माननीय सदस्यों को....

**श्री दिग्विजयसिंह** : आप तो दिन में देने की व्यवस्था करें।....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : राजस्थान में कृषि जोत की जानकारी होगी, मेरे ख्याल से कुल 180 लाख यूनिट प्रति दिन, 190 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली हमको मिलती है उसमें रबी सीजन में काश्तकारों को 120 से 130 लाख यूनिट काश्तकारों को बिजली सप्लाई करते हैं। इतनी बहुत सप्लाई हम किसानों को देते हैं।

**श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़)** : अब क्या दे रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : अब तो बता दिया कि पांच घन्टे देंगे ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री शोपतसिंह** : बड़े एरिया में धान की फसल होती है और आप पांच घन्टे बिजली देंगे तो धान की फसल नष्ट हो जायेगी।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, स्पष्ट प्रश्न पूछा गया है....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, बैठें।

**एक माननीय सदस्य** : मैं अपने सवाल को वापिस रिपीट करता हूं....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय, सदस्य, वे जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुनते नहीं आप बीच में उठ जाते हैं। आप बीच में उठते हैं, वे तो नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनको बैठना पड़ता है, आप नियमों का पालन करते नहीं। माननीय, सदस्य, आर्डर प्लीज।

**श्री नवरंगसिंह** : आपसे कह रहे हैं इसलिए मैं पूछना चाहता हूं सरकार कटौती के लिए क्या कर रही है ?....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आप बैठिये, आप फिर खड़े हो गये, आप बैठें कृपया। नवरंगसिंह जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपका आदर करता हूं।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय भारद्वाज जी ने ग्रिड स्टेशन की आवश्यकता पर बल दिया है और उन्होंने बताया कि यह योजना बनी हुई है। मैं उसकी दुबारा जांच करके यदि इसकी आवश्यकता हुई तो उस पर पुनर्विचार किया जायेगा। इसी तरह से सहायक अभियन्ता के कार्यालय के लिए जो प्रावधान पिछले वर्ष किया था लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से वह प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष में समाप्त हो गया। इस वर्ष में मैंने कहा है कि धन की उपलब्धि पर इस बात पर पुनर्विचार किया जायेगा।

**श्री शोपतसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है...

(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : मेरा स्पष्ट प्रश्न है, उसका जवाब नहीं आया है। ..

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठें।

(व्यवधान)

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : मेरा जवाब नहीं आया इसलिए एक बात पूछना चाहता हूं. मैं निवेदन करना चाहूंगा ..

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठें। आसन पैरों पर है ...

(व्यवधान)

**(श्री अध्यक्ष)**

आप बैठें पहले। माननीय सदस्य, नियमों का पालन कीजिये। जब आसन पांवों पर हो तो माननीय सदस्यों को थोड़ा सा आसन का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नकाल में काफी प्रश्न पूछे गये हैं। जितना माननीय मंत्री महोदय जवाब दे सकते थे उतना जवाब दिया है। यह जनरल डिबेट नहीं है कि जिसमें मैं हर एक के लिए बाध्य करूं। मैं इस प्रश्न को समाप्त करता हूं। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरा तो स्पष्ट प्रश्न था....

**श्री रमजान खां :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न था।....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। माननीय सदस्य कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज। मैं नहीं अलाऊ करूंगा। बैठें आप। इस प्रश्न के लिए कोई सप्लीमेन्ट्री अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा।

**दवाइयों की शुद्धता व स्तर की जांच व्यवस्था**

**181. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़):** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस व लोन लाइसेंस के अन्तर्गत जो औषधियां निर्माण की जाती हैं उनकी शुद्धता व सही स्तर की जांच का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस में योग्यता व अनुभव भी निर्धारित है जबकि लोन लाइसेंस के लिए ऐसा कोई माप दण्ड नहीं है तथा लोन लाइसेंस धारी स्वयं निर्माण नहीं कर अन्य फैक्ट्रियों द्वारा औषधियों का निर्माण कराते है जिसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं रहती है ?

(3) कृपया मैन्यूफैक्चरिंग व लोन लाइसेंस धारियों की सूची, उनको लाइसेंस स्वीकार करने की तिथि व उनके द्वारा निर्मित की जाने वाली औषधियों की सूची तथा वित्तिय वर्ष 1984–85 में उनके द्वारा निर्मित को गई औषधियों की शुद्धता व सही स्तर की जांच कराने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री छोगाराम बकोलिया) :**

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक

(राज्य मंत्री चिकित्सा)

औषध निर्माता द्वारा औषधि निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल तथा निर्मित औषधि की निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जांच करवाना आवश्यक है।

उक्त प्रावधानों में सुनिश्चय हेतु समय-समय पर औषधि निर्माताओं का निरीक्षण सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त औषधि निर्माताओं व विक्रेताओं के यहां से औषधियों के सैम्पल भी लेकर जांच की जाती है।

(2) जी हां, किन्तु विभाग के पास पूर्ण जानकारी रहती है कि कौन से लोन लाइसेन्सी किससे निर्माण करवा रहे हैं।

(3) सूचियां परिशिष्ट "क", "ख" व "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

**श्री हरिशंकर भाभड़ा:** अध्यक्ष महोदय, इस विषय में अखबारों में रोज इस बात की खबरें छपती रहती हैं कि हजारों लोग दूषित दवाइयों के कारण या तो बीमारी से ठीक नहीं होते या मर जाते हैं और उनके हजारों रुपये व्यर्थ में ही खर्च होते हैं। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर पा रही है। मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उस जवाब से कई बातें बड़ी चौंकने वाली हैं। मन्त्री महोदय ने जो मुझे सूची दी है, इस सूची में राजस्थान में 146 को मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस जारी किए हुए हैं, 97 लोन लाइसेंस जारी किए हुए हैं और सैम्पलिंग हुई है उसका नमूना देखिये? अध्यक्ष महोदय, 1984–85 में कुल 267 सैम्पल लिये गये जिसमें से 44 सैम्पल मानक कोटि के और लगभग इतने ही 43 सैम्पल अवमानक कोटि के लिए, बराबर की संख्या है, और 180 सैम्पल की अभी साल भर में उन पर कोई रिपोर्ट आयी नहीं है। वह अवमानक कोटि के हैं, चल रहे हैं और लोगों को कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। नियमित रूप से जांच करने की बात मन्त्री जी ने कही है, वह इस बात से साबित है कि केवल इन दोनों फर्मों से मिल कर 267 सैम्पल लिये गये और उनमें से 180 सैम्पल में अभी रिपोर्ट आनी बाकी है. इस पर सरकार विचार करे। इस सम्बन्ध में मेरा सप्लीमेंट्री यह है कि क्या सरकार, जिसको इस बात का पता है कि मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस जिन फर्मों ने लिये हैं उनमें कितने ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने अपने लड़के, सम्बन्धियों के नाम से मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस ले रखे हैं और वे दवाइयां बनाते हैं और उन फर्मों की जांच कराना सामान्यतया उनसे नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा सम्भव नहीं हो पाता इसलिए वे चिकित्सक उन दवाइयों को चलाने के लिए, चाहें वे कितनी खराब हों, चाहे कैसी हों, अपनी ओर से प्रयास करते हैं। इस प्रकार से गरीब जनता, अनपढ़ जनता और यहां तक कि पढ़ी लिखी जनता भी जो दवाइयों के मामले में नहीं समझती वे भी इस तरह की दवाइयां लेते हैं। अखबारों में खबर आयी थी आपने पढ़ा होगा कि ग्लुकोज की वजह से लोग मर गये। ऐसे जहर बिकते

(16)



(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हैं जिसको आत्महत्या करने वाला खा ले तो वह मरे ही नहीं, ऐसे जहर भी बिक रहे हैं। यह सारी बातें अखबारों में बार-बार आती आती रही हैं। इसलिए पहले तो मन्त्री महोदय मुझे यह बतायें कि आपके कितने चिकित्सक ऐसे हैं जिन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस अपने सम्बन्धियों के नाम से ले रखे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : वैसे तो यह पृथक् से प्रश्न है। इतने लाइसेंस के कौन-कौन हैं, किस के रिश्तेदार हैं यह तो पूछा नहीं गया इसलिए मन्त्री महोदय कैसे बतायेंगे कि किस के रिश्तेदार हैं। यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता है। मैं समझता हूं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया बैठें।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न आपसे नहीं पूछता हूं, मन्त्री महोदय ने मुझे यह लिस्ट दी है। मैंने यह पूछा कि क्या मन्त्री महोदय ने इस तरफ कभी ध्यान दिया है। मान्यवर, यह जो सरकार चला रहे हैं वे आंख खोल कर सरकार चला रहे हैं या आंख मींच कर सरकार चला रहे हैं ? यह जवाब उनको देना है........

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य यह तो मुझे देखना है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध है या नहीं, यह तो मुझे देखना है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा** : मैं यह नहीं कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि अखबारों में नाम प्रकाशित हुए हैं। क्या सरकार अखबारों को पढ़ती नहीं, उनको महत्व नहीं देती। जो फर्मों को उन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस दे रखे हैं वह लिस्ट उनके पास हैं। अखबारों में उन चिकित्सकों के सम्बन्धियों के, उन चिकित्सकों के नाम प्रकाशित हुए हैं कि जिन्होंने लाइसेन्स ले रखें हैं और मैन्यूफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि सरकार को पता नहीं है तो Let the minister reply.

उन्होंने इस मामले को देखा नहीं। यह जवाब उनको देना है, दें। इसी प्रश्न में मुझे एक प्रश्न यह करना है कि यह लोन लाइसेंस आप देते हैं, लोन लाइसेंस लघु उद्योग में पंजीकृत होते हैं इसलिए उनका एक तो मूल्य नियंत्रण नहीं होता, दूसरा उनको आबकारी नहीं देनी पड़ती है और वे किसी से लेकर दवा बेचते हैं। कुछ अंशों में मैं मानता हूं कि जो लाइसेंसशुदा मैन्यूफैक्चरिंग करते हैं उनसे लेते हैं, उसका उनको पता है। लेकिन यदि वे बिना किसी लाइसेंसशुदा मैन्यूफैक्चरर से भी लेकर बेचते है तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने कर रखी है ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय,

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री छोगाराम बकोलिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है,

(श्री छोगाराम बकोलिया)

वास्तव में आपके द्वारा दी गई रूलिंग के अनुसार प्रश्न की परिधि से परे है। लेकिन मन्त्री महोदय ने पूछा है......

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** माननीय सदस्य ने पूछा है।

**श्री अध्यक्ष :** आपने भाभड़ा जी को मन्त्री बना दिया।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (मुख्य सचेतक):** यह तो बी. जे. पी. के अध्यक्ष हैं।

**श्री छोगाराम बकोलिया :** इनको बी. जे. पी का अध्यक्ष मान लेता हूं।

**श्री सी. पी. जोशी :** यह इनका बड़प्पन है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य ध्यान दें, स्थगित प्रश्न भी लेना है।

**श्री छोगाराम बकोलिया :** भाजपा का मन्त्री नहीं अध्यक्ष। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इसके जवाब में मैंने स्थिति बताई, 146 के नाम जो बताये हैं इन सब में किसी डाक्टर के या पर्सनल नाम से नहीं है। जो रजिस्टर्ड मैन्यूफैक्चर्स हैं। उनमें मेक्सल लेबोरेटरी उदयपुर, मैसर्स सफारी रेमेडीज, अलवर and so and so like this इसके बावजूद किसी डाक्टर के नाम पर किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन फिर भी लाइसेंस मैन्यूफैक्चर्स को दिया जाता है वह तकनीकी ज्ञान वाला, जो फार्मेसी के अन्दर डिग्री प्राप्त होता है उनको ही यह लाइसेंस मैन्यूफैक्चर्स को देते हैं। इसके अन्दर तकनीकी स्टाफ होना जरूरी है। जो मैन्यूफैक्चर करने वाला है वह डिग्री होल्डर होता है। वह टेक्नीकली मेडिसिन को चैक करता है इसलिए डाक्टर का नाम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय सदस्य इसमें इन्वाल्वमेंट आफ डाक्टर तथा उसमें मिसयूटिलाइजेशन जहां पाया जाता है इस प्रकार की मुझे यदि सूचना देंगे तो मैं अवश्य उसको देखूंगा।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

**श्री छोगाराम बकोलिया :** माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात पूछी कुल सैम्पल 267 लिये, माननीय सदस्य को थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं कुल सैम्पल 286 लिये हैं 96 सैम्पल का टेस्ट हो चुका है। 53 नमूने स्टेण्डर्ड के हैं और 43-सब स्टेण्डर्ड पाये गये हैं। 172 की रिपोर्ट आनी बाकी है और उनकी रिपोर्ट भी जल्दी हासिल हो जायेगी और सब-स्टेण्डर्ड जो मेडिसन पायी गयी है बहुत नोमीनल है, छोटी-छोटी कमियों के कारण हुयी हैं। जहां 20 सी. सी. है वहां 19 ही पायी गई। इस तरह के जो सैम्पल लिये हैं उनमें कमियां देखी हैं उनको सब-स्टेण्डर्ड माना गया है। इसके अलावा मेडीशन्स के टेस्टिंग का और ज्यादा प्रावधान रखा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर निरीक्षकों और अन्य स्टाफ का और ज्यादा प्रावधान रखने की कोशिश की

(श्री छोगाराम बकोलिया)

है। मैं मानता हूँ कि जो निरीक्षक कार्य कर रहे हैं उनको मिनिमम निरीक्षण के लिए 20 निरीक्षण करना अनिवार्य कर दिया है और 5 सेम्पल लेना अनिवार्य कर दिया है। जो स्टाफ है वह इस प्रकार का कार्य करेगा। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में माननीय सदस्य की जो भावना है उसके अनुकूल कार्य करके जो कमियां हैं सेम्पल टेस्ट करने के अन्दर और मेडिसन की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए उसे दूर किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष :** स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री भाभड़ा एक और प्रश्न पूछ लें। मैं अन्य किसी को सप्लीमेंट्री की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

मुझे प्रश्नों पर मजबूरी में नियंत्रण करना पड़ता है। मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** अध्यक्ष महोदय, 20.12.83 को राजस्थान के सभी अखबारों में यह खबर छपी है। यदि सरकार ने इसको नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो लिस्ट है इसमें....

**श्री छोगाराम बकोलिया :** एक महीने का तो नहीं है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** 1983 का आपको ज्ञान होना चाहिए। 45 नं० की जो फर्म है एस.. एस फार्मास्युटिकल जयपुर यह आपके श्री एस. आर. मेहता के लड़के के नाम से है। यह खबर छपी है कि ऐसे और डाक्टरों की जो फर्में हैं, उनका नाम छपा है। इसमें लिखा है कि 35 ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने अपने सम्बन्धियों के, लड़कों के नाम से लाइसेंस ले रखा है। यह लाइसेंस की बात है यह पब्लिश है, प्रकाशित है। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि नहीं दिया और अब क्या सरकार इस के बारे में जांच करेगी, इस पर ध्यान देगी ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया यह पृथक प्रश्न है। मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया है।

**श्री हरिशंकर भाभड़ा :** आपने कहा कि पांच सैम्पल लेने की बात है मुझे जो सूची दी गयी है इसमें जो सैम्पल लेने की बात कही गयी है, जिसमें पांच सैम्पल लेने की बात कही है, इसमें आप देखें एक सैम्पल दो, तीन, चार, पांच या पांच से ज्यादा जो सैम्पल लेने की बात है वह बहुत कम है। यह जो सूची है 1984-85 की पूरे साल भर सैम्पलिंग की। एक या दो, अधिक से अधिक तीन, चार, पांच या पांच से अधिक लेने वालों की सूची बहुत कम है। या तो संख्या गलत है या मन्त्री महोदय जो कह रहे हैं कि उन्होंने पांच लेने की अनिवार्यता बनायी है, आदेश दिये हैं, आदेश दिये उसका पालन नहीं हो रहा है उसकी वजह से जो लाइफ सेविंग ड्रग है वह मिल नहीं रही हैं। आज जयपुर में लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिल रही हैं और कारण सरकार का

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। सरकार इसके लिये क्या कदम उठाने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फर्म बतायी डाक्टरों के सम्बन्धियों की, तो सम्बन्धी तो कोई भी फैक्ट्री चला सकता है लेकिन औषधियों की क्वालिटी हम जरूर देखेंगे। किसी प्रकार की क्वालिटी में कमी रही तो हम जांच करेंगे। इसके अलावा जो माननीय सदस्य ने सैम्पलिंग का बताया दो चार लिये हैं। निरीक्षकों के द्वारा पांच सैम्पल और 20 निरीक्षण किये जायेंगे। वह सैम्पल किसी दुकान के एक दो हो सकते हैं लेकिन जो निरीक्षण कार्य करेंगे वह हर मन्थ पांच सैम्पल लेंगे और 20 निरीक्षण करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अश्क अली।

श्री मोहनप्रकाश (राजाखेड़ा) : बहुत बड़ा स्केण्डल है।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े लोग, मुख्य मन्त्री का....

श्री दाऊदयाल जोशी : 5 लाख 13 हजार की मेडिसन.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया, बैठें श्री अश्क अली।

(व्यवधान)

मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाभड़ा जी सब बोल चुके हैं, सारी बातें बता चुके हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री अश्क अली : सप्लीमेंट्री अलाऊ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस प्रश्न से सम्बन्धित कोई बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित प्रश्न को पहले देखूंगा। आर्डर प्लीज। बिल्कुल न्याय हो

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

रहा है माननीय सदस्य। चेयर पर आक्षेप नहीं। नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 जुलाई, 1985)

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के प्रत्येक परिवार को रोजगार

7. **श्री अश्क अली** (फतेहपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत हर भूमिहीन खेतिहर मजदूर के परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देने का कार्य सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है?

**सहकारिता मन्त्री (श्री शीशराम ओला)** : (1) जी हाँ। सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम बनाया है जिसका विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। धनराशि....

**श्री केदार नाथ** : दुबारा रीड आउट कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। दुबारा पढ़ दें। Repeat it.

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री शीशराम ओला** : मेरे में गड़बड़ है कि आप में यह पता लग जायेगा।

(1) जी हाँ सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम बनाया है जिसका बिवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। धनराशि सीमित होने के कारण प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर को परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देना संभव नहीं हो पाता और श्रमिकों को लगाने में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

**श्री अश्क अली** : अध्यक्ष महोदय, मैं चार प्रश्न एक साथ पूछूं या अलग-अलग?

**श्री अध्यक्ष** : आप पूछ लें।

**श्री अश्क अली** : ये जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें अंकित नहीं है कि ये वार्षिक योजना के हैं या पंचवर्षीय योजना के। जो 22 24,007 लाख रुपये हैं, ये वार्षिक योजना है या पंच-वर्षीय योजना है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप पूछ लीजिये।

**श्री अश्क अली** : मेरा दूसरा प्रश्न है कि इन भूमिहीन मजदूरों की पहचान किस आधार पर की जाती है? आईडेंटिफिकेशन

**(श्री अश्क अली)**

उनकी पहचान आपके योजना लागू होने से पूर्व या योजना लागू होने के बाद की गयी और इनकी पूरे प्रदेश में कुल संख्या कितनी है, जो खेतिहर हैं ?

**श्री शीशराम ओला** : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को शायद यह स्वयं पता नहीं है कि क्या पूछना चाहिये और क्या नहीं ? इन्होंने पूछा है कि कोई योजना बनायी है क्या ? उसकी जानकारी सदन पटल पर रख दी गयी और 2224,007 लाख की योजना है। यह योजना राजस्थान में 1.9.1983 से लागू हुई। अब तक इसमें 10 करोड़ रुपये के लगभग खर्च हो गये। 12 करोड़ और खर्च हो रहे हैं। खर्चा इसमें सड़क पर होगा, सिंचाई पर होगा।

**श्री केदार नाथ (गंगानगर)** : क्या राज्य सरकार ने कोई सर्वे किया कि राजस्थान से कितने भूमिहीन ग्रामीण परिवार हैं ?

**श्री शीशराम ओला** : यह अलग से प्रश्न है, आप पूछेंगे तो बताऊंगा।

**श्री केदार नाथ** : सेंटर ने आपको इस प्रोग्राम के तहत....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज....

**श्री केदार नाथ** : केन्द्र ने कितना पैसा दिया ?

**श्री अश्क अली** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो लिखित में मेरा प्रश्न पूछा है उसका जवाब मन्त्री महोदय ने सदन की मेज पर रख दिया लेकिन इसके पूर्व क्वश्चन....

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा।

**श्री अश्क अली** : यह योजना जो निर्धारित की गयी है उनके बारे में पहचान नहीं है और कितने लोग हैं उनकी पहचान ही नहीं तो इन लोगों को....

**श्री अध्यक्ष** : खेतिहर मजदूर की कोई पहचान है क्या ?

**श्री शीशराम ओला** : माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक पंचायत समिति में इसका चयन होता है इनमें से ये हैं। इसमें कोई नयी बात नहीं और न इन्होंने पूछा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरू लाल भारद्वाज....

**श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)** : नये सिरे से एक प्रश्न....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठें माननीय सदस्य, आप सहयोग करें। कृपया बैठें।

**स्थगित प्रश्न**

**(दिनांक 2 जुलाई 1985)**

**निर्माण कार्यों से सम्बद्ध बकाया मजदूरी का भुगतान**

22. **श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमुवा-रामगढ़)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री भंवरलाल भारद्वाज)

1. जमुवा रामगढ़ चुनाव क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार एवं भूमिहीन मजदूर रोजगार योजना आदि के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्यों की मजदूरी आदि का अब तक कितने समय का भुगतान किया गया है और अब कितने समय का भुगतान किया जाना शेष है ?

2. क्या इसी प्रकार जयपुर जिले में अन्य क्षेत्रों में भी भुगतान किया जाना शेष है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

**विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री** (श्री शीशराम ओला) : (1) जमुवा रामगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराये जा रहे सड़क निर्माण कार्यों के अतिरिक्त समस्त निर्माण कार्यों का भुगतान माह मई 85 तक का कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराये जा रहे सड़क कार्यों के लिये मजदूरी का फरवरी, 85 तक का भुगतान किया जा चुका है। शेष मजदूरी के भुगतान के लिये राशि उपलब्ध करा दी गयी है। भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

(2) जी हां, केवल कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बनायी जा रही सड़कों के कुछ भुगतान शेष हैं। जिनके लिये धन राशि उपलब्ध करा दी गयी है। भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

**श्री भंवरलाल भारद्वाज** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा कि जवाब में भी कहा है कि फरवरी से अब तक मजदूरों के भुगतान बाकी हैं। मजदूरों के लाखों रुपये मजदूरी के बाकी हैं। हम जो भूमिहीन हैं, बेरोजगार हैं ऐसे लोगों को ठुकरा देते हैं। न्यूनतम मजदूरी देते हैं 11 रुपये वह भी रोज काम लेने के बाद और फिर उनकी मजदूरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई छः छः महीने तक लोगों को मजदूरी नहीं मिली। यह क्यों हुआ और क्या भविष्य में इस प्रकार की देरी पर आपने मुस्तैदी बरतने का तरीका अपनाया है और क्या इसके बिना वे बेरोजगार नहीं हो गये हैं ? एक तरफ तो छः महीने का भुगतान नहीं हो रहा है और ये सारे काम ठप्प पड़े हैं, उस पर वे बेरोजगार पड़े हैं।

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष महोदय, काम बन्द है कि चालू है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं आया है इसलिए यह एक अलग प्रश्न है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री शीशराम ओला** : लेकिन जहां तक मजदूरी का सवाल है मजदूरी दिलाने की व्यवस्था कर दी गयी है। पैसा उपलब्ध करवा दिया गया है। विपणन बोर्ड के पास पैसा नहीं था इसलिए भुगतान में विलम्ब हुआ। आयंदा इसमें ध्यान रखा जायेगा।

(व्यवधान)

**श्री भैरू लाल भारद्वाज :** क्या यह सही है कि ग्रामीण रोजगार····

**श्री मोहन प्रकाश :** जो लोग छः महीने तक उन गरीब लोगों को····

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मैंने मोहन प्रकाश जी को इजाजत दी है।

**श्री मोहन प्रकाश :** जो प्रतिदिन मेहनत करके, मजदूरी करके पेट पालने वाले लोग हैं उनका छः महीने का वेतन या मेहनताना बकाया रखा, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या माननीय मन्त्री महोदय कार्यवाही करेंगे ? जो लोग सवेरे काम करते हैं और शाम को पैसा लेकर जाते हैं। मन्त्री महोदय का एक दिन का वेतन रुक जाय तो दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, यहां पूरे राजस्थान में गड़बड़ होती है।

**श्री यदुनाथसिंह :** अध्यक्ष महोदय, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है···

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर।

**श्री भैरू लाल भारद्वाज :** माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आधा पैसा केन्द्र देता है और आधा पैसा राज्य। केवल राज्य के द्वारा सड़कों के पैसों की व्यवस्था न करने के कारण केन्द्र सरकार जो पैसा देती है वह छः महीने से नहीं आया, जैसे कि जयपुर जिला और जमवा रामगढ़ जिले में और दूसरी जगह भी ऐसी दिक्कतें केवल इसलिए होती हैं कि हमारी सरकार ने वह आधा पैसा देने की व्यवस्था नहीं की। इसका क्या कारण हुआ और क्या भविष्य में इस प्रकार का ध्यान रखा जायेगा कि इस प्रकार कार्यक्रमों में ढील नहीं आये।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज़। उत्तर सुन लीजिए।

**श्री शीशराम ओला :** अध्यक्ष जी, यह विषय से अलग जा रहे हैं। यह सड़क कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नहीं बनायी जा रही है। राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का इसमें सवाल ही कहां उठता है।

(व्यवधान)

**श्री भैरू लाल भारद्वाज :** ग्रामीण रोजगार योजना के पैसे की बात कह रहा हूं। विपणन बोर्ड बना रहा है, पैसे नहीं दे रहा है। सड़क तो ग्रामीण रोजगार योजना के पैसे से बन रही है, वह तो केवल एजेन्सी मात्र है। मैंने प्रश्न किया है कि ग्रामीण रोजगार योजना का पैसा क्या 50 प्रतिशत केन्द्र इस शर्त पर देता है कि 50 प्रतिशत राज्य····

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, मैं समझ गया आपका प्रश्न। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

**श्री यदुनाथसिंह :** मेरा एक प्रश्न आ जाय, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप सब बोल रहे हैं मेरे ही समझ में नहीं आ रहा तो मन्त्री जी की समझ में क्या आयेगा। मैं इस पर भी आज व्यवस्था देना चाहूंगा कि आयंदा क्या व्यवस्था रहे

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न काल में, इस पर भी व्यवस्था देना चाहूंगा। कृपया बैठ जायं।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : उत्तर दिलाइये, साहब।

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, बहुत अहम् प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मंत्रीजी को जवाब तो देने दीजिए एक प्रश्न का।

**श्री यदुनाथसिंह** : जवाब दे दिया उसी पर प्रश्न कर रहा हूं।

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)** : अध्यक्ष महोदय, जमुवा रामगढ़ के नाम को एक घण्टा हो गया।

**श्री यदुनाथसिंह** : जमुवा रामगढ़ का सवाल नहीं है इसमें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य। आप क्या पूछना चाहते हैं? आपस में बातचीत नहीं करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। बार बार खड़े न हों। आपको कुछ कहना पड़ेगा क्या मुझे!

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : जमुवा रामगढ़ तो भारत का तीर्थ है, चिढ़ते क्यों हो!

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या।

**श्री रघुनाथसिंह** : मन्त्री महोदय ने अभी कहा, यद्यपि वह प्रश्न को समझे नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि विपणन बोर्ड के पास पैसा नहीं था, क्या यह सही है कि विपणन बोर्ड किसानों से पैसा इकट्ठा करके····

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, प्रश्न यह है ही नहीं।

**श्री यदुनाथसिंह** : विपणन बोर्ड का जवाब कैसे दिया। विपणन बोर्ड पैसा दे रहा है कर्जे पर। गांव का पैसा कर्जे पर आ रहा है। आर. एस. ई. बी. को दे रहा है कर्जे पर।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : पैसा विपणन बोर्ड का नहीं है। विपणन बोर्ड तो केवल·······

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ। कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। प्रश्नकाल समाप्त कर दिया मैंने। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों से····

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : बहुत महत्वपूर्ण सवाल था।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

**श्री सी. पी. जोशी** : मन्त्री महोदय चले गये, आप व्यवस्था कर रहे हैं····

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त कर दिया मैंने।

**श्री सी. पी. जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था कर रहे हैं.....

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है, कृपया बैठें।

**श्री सी. पी. जोशी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यवस्था है....

**एक माननीय सदस्य** : एक घण्टा पूरा आ गये।

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर, आॅर्डर माननीय सदस्य। कृपया बैठें; माननीय सदस्य।

**श्री सी. पी. जोशी** : प्रश्न का जवाब दिलायें, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह व्यवस्था नहीं है। यह कोई व्यवस्था है आपकी।

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज, कृपया बैठें।

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : आपने ही आदेश दिया था कि यह उत्तर तो ग्रामीण रोजगार योजना का है यह....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आप सुनना नहीं चाहते हैं....

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है कृपया बैठें। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं, कृपया बैठ जायं।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न काल को बन्द कर दीजिए क्या जरूरत है प्रश्न काल की।

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, आप आतुर हो रहे हैं। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आॅर्डर, माननीय सदस्य। आॅर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात को सुनिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

**श्री सी. पी. जोशी** : हमारी बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं सुन लूंगा आपकी बात। कृपया बैठ जायं। आॅर्डर प्लीज। माननीय देवीलाल जी कृपया बैठ जायं, देवीलाल जी। माननीय सदस्य बैठें।

**श्री देवीलाल (शाहपुरा)** : मजदूरी की समस्या के बारे में सात-आठ महीने हो गये....

**एक माननीय सदस्य** : और अधिकारी टी ए. डी. ए ले लेते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य बैठें। माननीय सदस्य, मैंने प्रश्न काल समाप्त कर

(श्री अध्यक्ष)

दिया है। बैठें माननीय सदस्य। आप बैठें नीचे। आर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

**श्री सी. पी. जोशी** : आप हमको बाहर निकाल दीजिए। यह क्या बात हुई। आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्न काल का मतलब क्या है।

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो।

**श्री सी. पी. जोशी** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : आप कृपया बैठिये।

माननीय सदस्य, मुझे आप सुनने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। आर्डर प्लीज।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जब से आपने कल व्यवस्था दी थी समिति बनाने की, उस समय से मेरे पास जानकारी है कि सत्तारूढ़ दल इस हाउस में आप जो भी निर्देश देंगे, उसकी वे अवमानना करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाय।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी बात तो सुनलें।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने से पूर्व प्रश्न काल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से कुछ निवेदन करना चाहूंगा. .... कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था देने से पूर्व मैम्बर्स को सुन लिया जाय। आपकी व्यवस्था हो जायेगी फिर उसका चैलेंज हो जायेगा। इसलिए प्रश्न काल के सम्बन्ध में हमारे विचार भी जान लिये जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सहयोग की बात करना चाहता हूं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

प्रश्न काल में लगभग 30-32 प्रश्न इस सदन में हमेशा सर्कुलेट किये जाते हैं पूछने के लिए तारांकित प्रश्न के रूप में। आम तौर पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर 4–5 प्रश्नों के अलावा उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता।

(व्यवधान)

आर्डर माननीय सदस्य। मैं कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न बहुत महत्व के प्रश्न हैं। इस सदन में जो प्रश्न पूछता है उसके पीछे महत्व समझकर पूछना चाहता है, और वह चाहता है कि उसका जवाब उसे मिल जाय सदन के अन्दर। आसन की ओर से भी प्रयत्न यही किया जाता है कि जवाब दिलाया जाय लेकिन जब तक सदन का सहयोग इसमें

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

नहीं होगा, मेरी मजबूरी होगी, मैं जवाब नहीं दिला पाऊंगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इसमें सहयोग करें। आवश्यक सप्लीमैण्ट्री को मैं कभी ना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वह पूछी जाय, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि प्रश्न काल में इसको जनरल डिबेट की तरह पूछें और मन्त्रीजी से जवाब की अपेक्षा करें। जवाब नहीं आये तो फिर उसमें नाराजगी मन में पैदा हो, आक्रोश आये और सदन का वातावरण गर्म हो। उसमें प्रश्न की गरिमा भी खत्म होती है। पूछने वाले को भी उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्यों का सहयोग इसमें निश्चित रूप से मुझे आने वाले कल से जरूर मिलेगा।

**श्री भैरूलाल भारद्वाज** : पूरक प्रश्न इसीलिए मैंने किया था कि आपने आदेश फरमा दिया था। मेरी भी एक सैकण्ड बात तो सुनें। मैंने पूरक प्रश्न किया और आपने कहा, मन्त्री जी को कि वास्तव में ठीक बात है ग्रामीण रोजगार योजना की बात —

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री भारद्वाज जी, कृपया बैठ जाय।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अभी प्रश्न के सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है मैं एक सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी आ जाय और विपक्ष के जितने भी दल हैं उनके नेताओं, लीडर्स को बुलाकर, बैठाकर इस सम्बन्ध में चर्चा की जाय। आप जैसे दुखी हैं मैं भी समझता हूं, अगर प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं आये तो प्रश्न सूची में आने का कोई सैन्स नहीं रहता। कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन उसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने भी यह अच्छी तरह से देखा होगा कि सप्लीमैण्ट्री क्वश्चन केवल उस समय उठाते हैं जब सरकार की ओर से सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता। आपने हम से तो सहयोग की अपेक्षा की है—

**श्री अध्यक्ष** : नहीं मैंने सबसे सहयोग की अपेक्षा की है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, हमसे सहयोग चाहते हैं आप तो सरकार को थोड़ा कहें कि वह प्रश्नों के सम्बन्ध में पूरी तैयारी के साथ आये। माननीय सदस्य कोई जानकारी करना चाहें, तो ये बहाना नहीं बनायें कि इसके परव्यू में नहीं आता है, इसके स्कोप में नहीं आता है। कई चीजें हो सकती हैं, स्कोप में नहीं आती हैं लेकिन उनकी रिलेवन्सी खत्म नहीं होती है। इसलिये मेम्बर यदि कोई सवाल करेंगे, तो वह आशा करते हैं कि मंत्री जी जवाब देंगे। मंत्री जी जवाब न देकर यह कहें कि यह इसके स्कोप में नहीं है। यह स्कोप में है या नहीं है इसका डिसीजन आपके हाथ में है मंत्री के हाथ में नहीं है। एक बार आपने क्वश्चन अलाऊ कर दिया तो उनके लिये जरूरी है कि वह उसका जवाब दें। अब आप ही विचार कर लें कि जो उत्तर दिये जा रहे हैं कुछ मन्त्रियों के द्वारा उनसे मेम्बर्स संतुष्ट नहीं होंगे, सप्लीमेन्टरीज पैदा होंगी। इसलिये हमसे सहयोग की अपेक्षा की है तो आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार भी आपसे सहयोग करेगी। इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा आप सरकार से भी करें।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने सबसे सहयोग की अपेक्षा की है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 30 प्रश्नों में से यदि दो मूल प्रश्न और 2 स्थगित प्रश्न का जवाब ही हाऊस में आता है और वे स्थगित प्रश्न सिर्फ पिछले 10 मिनट में आते हैं और दो मूल प्रश्न पर 50 मिनट हाऊस के लगते हैं, आप इस बात को देखेंगे कि प्रश्न ही इतने महत्वपूर्ण हैं, इस पर स्व-नियन्त्रण रखने के बावजूद कुछ समय लगे लेकिन आप कम से कम यह व्यवस्था तो कर ही सकते हैं कि एक प्रश्न पर 10 मिनट से अधिक का समय न लगे, 8 मिनट से अधिक का समय न लगे। कम से कम 6-7 प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से यदि हाऊस में नहीं आता है, बाकी प्रश्नों के बारे में लिखित उत्तर मंत्री जी ने जो प्रस्तावित उत्तर दिया है उसको सूचना सदस्यों को नहीं आती तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न काल का महत्व बहुत कम हो जायेगा। यदि आवश्यक हो, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि प्रश्न काल को 60 मिनट नहीं 90 मिनट तक चलाया जाय। प्रश्न काल ही तो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने आपके सामने कहा कि पैसे नहीं थे इसलिये फरवरी, 1985 के बाद जमुआरामगढ़ में पेमेन्ट नहीं किया ...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य....

**श्री मानिक चन्द सुराना** : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह कह सकती है, अकाल के काम आप छोड़ देंगे ? पैसा नहीं है। यह उत्तर मंत्री स्वयं दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 60 करोड़ रुपया जो भारत सरकार को चुका दिया, ओवर ड्राफ्ट का चुका दिया यह गरीब मजदूरों का गला घोटकर....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य........ माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : ओवर ड्राफ्ट का पेमेन्ट चुकाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से, शक्तावत साहब, पैसा नहीं....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं....

**श्री मानिकचन्द सुराना** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता का 25 करोड़ रुपया आया यह पैसा अभी व्यय भी नहीं हुआ.......और मंत्रीजी.......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं, कृपया बैठ जाय।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था :

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

**श्री लक्ष्मणसिंह** (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 सैकिण्ड।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : माननीय सुराना साहब यह बकाया राशि तो एन. आर. ई. पी. की है. इसको अकाल के साथ कहां जोड़ रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न सुना नहीं गया था.... आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : पैसे की व्यवस्था नहीं थी इसलिये पेमेन्ट नहीं किया, मंत्री यह नहीं कह सकते कि पेमेन्ट की व्यवस्था नहीं है, पेमेन्ट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है....

**श्री देवीसिंह भाटी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक नियम पढ़ रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ।

**श्री मानिक चन्द सुराना** : आपके सहयोगी मंत्री यह कहते हैं कि पैसे की व्यवस्था नहीं थी सरकार के पास । यह सबके लिये शर्मनाक बात है ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय सर्वमान्य है । इस सम्बन्ध में कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल कायम करना असम्भव है । मैंने यह भी देखा है कि लोकसभा के अन्दर एक घन्टे में एक ही प्रश्न होता है । यह तो समयानुसार आपकी व्यवस्था जो होगी वह सर्वमान्य होगी । आपका डिस्क्रिशन सुप्रीम है, इसके अन्दर हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं हो सकते । सरकार जो उत्तर देती है उस उत्तर पर सदन विचार करेगा और जो भी आपका निर्णय होगा वह सर्वमान्य होना चाहिये । इतना ही मेरा निवेदन है ।

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । आपको क्या कहना है ?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्षों के द्वारा समय-समय पर जो निर्णय दिये गये हैं उसके अनुसार, 7–3–1973 को एक निर्णय लिया गया है कि एक प्रश्न के ऊपर 5 से अधिक सप्लीमेन्टरी....

**श्री अध्यक्ष** : मुझे मालूम है, कृपया बैठ जाय । यह व्यवस्था करूंगा तो आप कहेंगे कि यह क्या बात हो गई इस पर आगे क्या व्यवस्था करूंगा, मैं सभी दलों के नेताओं के साथ, मुख्य मंत्री जी के साथ, जो सदन के नेता भी है, विपक्ष के नेता महोदय के साथ और अन्य नेताओं के साथ बैठकर कि आइन्दा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सदन में पूछे जा सकें उस पर कार्यवाही करूंगा । जो आप रेफर कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में मुझे मालूम है ।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि हम आपके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, हम आपके

(श्री सी. पी. जोशी)

आदेशों की कतई अवहेलना नहीं करना चाहते---

**श्री अध्यक्ष :** मैंने माना ही नहीं ।

**श्री सी. पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, इस कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा रेसलर जीतकर आये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आशा करते हैं कि नये सदस्यों को एनक्रेजमेन्ट मिले यह ड्यूटी भी आपकी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, नये माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछें उनको एनक्रेज करने की ड्यूटी भी आपकी है । मैं आशा करता हूं कि .

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज । नये सदस्यों का बराबर ध्यान रखा जाता है । नये सदस्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है लेकिन मैं यह भी आशा करना चाहूंगा, जब आपने इस बात को छेड़ ही दिया है मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे कि प्रश्न काल में क्या पूछा जाना चाहिये । आप नीतिगत प्रश्न, लम्बा चौड़ा पूछ लें तो उस प्रश्न का जवाब नहीं मिल पायेगा । नये माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये और मैंने सदस्यों को बुला बुलाकर कहा है कि इस ओर ध्यान रखकर प्रश्न पूछें । उनका ध्यान नहीं रखा जाता हो ऐसी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत हेतु प्राप्त राशि

213. **श्रीमती नीलिमा (मिनाय) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश को भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग से कितना रुपया 1984-85 वित्त वर्ष में प्राप्त हुआ व कौन से विभिन्न प्रोजेक्ट्स में लगाया गया ?

(2) राज्य में सौर-ऊर्जा के उपयोग हेतु कितने प्रोजेक्ट्स सरकारी व गैर सरकारी लगे हैं व भविष्य में कितने लगने वाले हैं ? क्या सरकार इनकी मात्रा से संतुष्ट है ?

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हेतु 40 करोड़ रुपयों की सबसिडी में केवल 10 लाख रुपया राजस्थान के लिए रखा व राजस्थान सरकार इसमें से केवल 6 लाख रुपयों का उपयोग कर पाई है ? यदि हां, तो क्यों व भविष्य में सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है ?

(4) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्थिति में सुधार लाने हेतु गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (Rural renewable Energy systems) का उपयोग लिया गया है जैसा कि अन्य प्रदेशों में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राजस्थान ऊर्जा विकास

(श्रीमती नीलिमा)

अभिकरण के प्रयासों से सरकार सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो सरकार इस अभिकरण को और अधिक मजबूत व बहुद्देशीय बनाने के लिए क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) प्रदेश को भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत से 1984-85 वित्त वर्ष में 211 लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसका ब्योरा निम्न है:—

(1) सोलर वाटर हीटर्स 9.80 लाख

(2) सौर चूल्हा 1.07 लाख

(3) बायो गैस संयत्र 200.13 लाख

(2) राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग हेतु 36 इकाइयां सोलर वाटर हीटर्स की लगाई गई व 1145 सौर चूल्हे वितरित किये गये। भविष्य में सरकारी सौर ऊर्जा इकाइयां समस्त डाक बंगलों सर्किट हाउसेज व मेडिकल कालेज में लगाना प्रस्तावित है जिसमें सोलर वाटर हीटर्स की इकाइयों के लिए 5.15 लाख रुपये का राज्य में प्रावधान रखा गया है फिर भी निश्चित रूप से अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग से वित्त वर्ष 1985-86 के लिये अनुदान की राशि निश्चित नहीं की गई है। पिछले वित्त वर्ष 1984-85 में भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपये अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

(3) जी हां, सौर ऊर्जा के लिये केवल 10 लाख रुपया राजस्थान सरकार के लिए भारत सरकार ने आवंटन किया था जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। राज्य सरकार ने भविष्य में इस स्थिति में सुधार लाने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना की है।

(4) जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्थिति में सुधार लाने हेतु गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया गया है। बायो-गैस संयंत्र के लिये अनुदान राशि का पूर्ण रूप से ग्रामीण-क्षेत्रों में उपयोग कर लिया गया है और अब तक राज्य में 15449 बायो गैस संयत्र लग चुके हैं; 1,34,786 निर्धूम चूल्हे लगाये गये हैं और 714 लधुंम ग्राम बन चुके हैं।

(5) राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन माह जनवरी 1985 को किया जा चुका है। वर्ष 1984-85 में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण अभिकरण द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। वर्ष 1985-86 में बजट प्रावधान रखने की व्यवस्था की जा रही है।

**अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, अजमेर के कार्यालय का निर्माण**

**214. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद):—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई (फ्लड डिविजन) के कार्यालय का जो निर्माण किया जा रहा है, उसका ठेका किस व्यक्ति को दिया गया है ?

(2) क्या निर्माण कार्य, अधीक्षण अभियन्ता (एस. ई.) सिंचाई, अजमेर के

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

बिल्कुल सामने, जहां से आते और जाते वक्त इस कार्य को देखा जा सकता है हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य का एक भाग पिछले अप्रेल माह में अचानक टूट कर गिर गया था ?

(5) राज्य सरकार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, अजमेर के विरुद्ध, जिसकी प्रत्यक्ष निगरानी में यह कार्य किया जा रहा था, क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) अजमेर में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण कार्यालय के निर्माण कार्य का ठेका मैसर्स चावला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी अजमेर को दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) एवं (4)

जी हां। इसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी था और यह कार्य उसके द्वारा पुनः करवा दिया गया है। अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

**पाली जिले के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था**

**215. श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में पेयजल समस्याग्रस्त गांवों में पानी पहुंचाने के लिये कितने टैंकर हैं ? क्या वे सभी सही हालत में हैं ?

(2) इस वर्ष अकाल मद में से कितनी धन राशि इन टैंकरों के रिपेयरिंग में खर्च की गई है तथा किस किस नम्बर के टैंकर में क्या-क्या मरम्मत कार्य करवाया गया ? कृपया ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(3) इन टैंकरों द्वारा पाली जिले के किन-किन गांवों में पानी सुलभ करवाया गया तथा महीने में कितनी बार पानी की प्रत्येक गांव में सप्लाई की गयी ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में समस्याग्रस्त गांवों में पानी पहुंचाने के लिये 14 टैंकर आवंटित हैं। इनमें से 12 टैंकर सही हालत में हैं। दो टैंकर मरम्मत हेतु जोधपुर भेजे गये हैं।

(2) टैंकरों की मरम्मत हेतु पाली जिले को 4,86,000 रुपये आंवटित किये गये थे। जिनका उपयोग 12 टैंकरों की मरम्मत हेतु किया गया। टैंकर-वाइज कराये गये मरम्मत कार्यों का ब्योरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) इन टैंकरों द्वारा पाली जिले में जिन गांवों में पानी सुलभ कराया गया तथा कितनी बार गांव में सप्लाई की गई, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**श्रमिकों को बकाया अनाज देना**

**216. श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आर. एल. ई. जी. पी के अन्तर्गत स्वीकृत बाड़मेर जिले की सड़कों पर लगे श्रमिकों को साल भर से अधिक समय का अनाज का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार बकाया अनाज का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) हां, विकास अधिकारियों ने अनाज रिलीज करवाकर समय पर न उठाने के कारण श्रमिकों में वितरण नहीं किया। अत: श्रमिकों की सहमति से अनाज के बदले जिलाधीश के आदेशानुसार नकद भुगतान किया जा रहा है।

(2) जिलाधीश के आदेशानुसार जब तक गेहूं आवंटन नहीं हो जाता नकद भुगतान किया जा रहा है। गेहूं आवंटन होने पर ही वितरण किया जायेगा।

**छबड़ा व छीपा बड़ोद की सड़कें**

**217. श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा)

**श्री प्रभुलाल नैनवा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छबड़ा व छीपाबड़ोद की कौन-कौन सी पंचायत को इस वर्ष सड़क बनाकर पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ने का इरादा है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें, यदि नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

छबड़ा एवं छीपाबड़ोद में से केवल छीपाबड़ोद पंचायत समिति की अजनावर पंचायत को इस वर्ष सड़क बनाकर पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ा जायेगा।

**परबतसर में अग्निकांड की घटनाये**

**218. श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर उप खण्ड परबतसर में वर्ष 1984 में अप्रेल से जून तक कुल कितने अग्निकांड हुए ? इनमें कितने आदमी व कितने जानवर जले ? कितने परिवारों की नष्ट सम्पत्ति का रुपयों में कितना आंकड़ा है ?

(2) कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है और कितने परिवारों को देना बाकी है ?

(3) क्या सरकार दी गई राशि पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो सरकार कितनी और राशि कम से कम व ज्यादा से ज्यादा देने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जिला नागौर उप खण्ड परबतसर

(34)



(राहत मन्त्री)

में वर्ष 84 में अप्रेल से जून तक कुल 19 अग्निकांड हुये जिनमें 104 परिवारों के कुल 5,49,411 रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। इस अवधि में किसी तरह की जन हानि की सूचना नहीं है।

(2) उक्त अवधि में हुये अग्निकाण्ड में 31,928/- रु० की राशि सहायता के रूप में दी गई है एवं इस अवधि का एक भी परिवार सहायता प्राप्त करने से शेष नहीं है।

(3) राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिलाधीश अधिकतम 500/- रु० प्रति परिवार या अग्नि से हुए नुकसान का 1/6 भाग जो भी कम हो को सहायता के रूप में स्वीकृत करने को अधिकृत है। उक्त निर्धारित स्केल से अधिक राशि देने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## रोहट (पाली) के ग्रामों का विद्युतीकरण

**219. सुश्री पुष्पा जैन (पाली)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की रोहट तहसील में आर. ई. सी. स्कीम के लिए कौन-कौन से गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और क्यों ?

(2) जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ उनमें घरेलू तथा कृषि के कितने-कितने कनेक्सन दिये जाने के लिए प्रकरण फाइल हुए हैं ? यह कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

### उत्तर

(1) पाली जिले की रोहट आर. ई. सी. योजना मे सम्मिलित 73 ग्रामों में से अब केवल निम्न 13 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

1. गेलावास 2. पुखतारी 3. नीमली पटेलान 4. नीमली ब्राह्मण 5. मोग्या 6. मुंगला 7. सुकरलाई 8. सैदरिया 9. वस्सी 10. कुण्डलीचारणान 11. लामड़ा 12. आटन 13. कानावास

वार्षिक योजना मद में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। अतः माह मार्च 85 तक उक्त योजना के अन्तर्गत 60 ग्रामों का विद्युतीकरण ही किया जा सका।

(2) योजना के विद्युतीकृत ग्रामों में 805 घरेलू तथा 48 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा माह मार्च 85 के अन्त तक इस क्षेत्र में 1954 घरेलू व 144 कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं। वार्षिक योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप कनेक्शन दिये जाने का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अतः इन सभी आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे इसके सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

## बालोतरा विद्युत विभाग कार्यालय पर बकाया किराया

**220. श्री चंपालाल बांठिया (पचपदरा)**: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(1) बालोतरा में स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर किराये की कितनी बकाया कब से है? क्या इसका भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या नगरपालिका ने बिजली विभाग को खाली कराने के सम्बन्ध में नोटिस आदि दिया है? यदि हां, तो क्या? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) बालोतरा में विद्युत विभाग का स्वयं का कार्यालय भवन बनाया हुआ है तथा इसके विरुद्ध नगर पालिका की किराये की कोई राशि बकाया नहीं है। बालोतरा में लूणी नदी के किनारे पर पावर हाऊस दिनांक 7.6.1964 से किराये पर है, जिसका किराया अनुबन्ध के अनुसार नगरपालिका एवं विद्युत मण्डल को आपसी सहमति से तय करना था, जो अभी तक तय नहीं हो पाया है। अत: भुगतान नहीं किया जा सका।

(2) नगर पालिका बालोतरा ने उपरोक्त पावर हाऊस के भवन को खाली कर लौटाने के सन्दर्भ में समय समय पर पत्र व्यवहार किया। उपरोक्त भवन को नगर पालिका को वापिस लौटाने हेतु आवश्यक निर्देश सचिव राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने प्रसारित कर दिये हैं।

### बहरोड़ में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण

221. **श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़):** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार वर्ष 1985–86 में जिला उप मुख्यालय बहरोड़ जिला अलवर में सैनिकों की सुविधार्थ सैनिकों की इस क्षेत्र की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

जिला उप मुख्यालय बहरोड़ में सैनिक विश्राम गृह निर्माण की वर्ष 1985–86 में कार्य स्वीकृति नहीं है।

### उदयपुरवाटी (झुन्झुनू) क्षेत्र में बरसाती पानी का संग्रह

222. **श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा):** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला झुन्झुनू में उदयपुरवाटी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में बरसाती पानी को संग्रह करने की कोई योजना है? क्या वहां छोटे-छोटे बांध बनाने का सरकार विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। तीन योजनाओं निरंजा की ढाणी, मण्डावरा, मानक बास पर राष्ट्रीय

(सिंचाई मन्त्री)

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत कार्य चालू है।

इनके सिवाय कोई बांध विचाराधीन नहीं है।

## आहोर थाने में दर्ज प्रकरण में कार्यवाही

**223. श्री भगराज चौधरी (आहोर) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आहोर पुलिस थाने के गांव भेसवाड़ा में दिनांक 6.3.1985 को रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मुसम्मी श्री रामसिंह के घर में हमला कर अनाधिकृत प्रवेश करने व पथराव करने बाबत मुकदमा दायर हुआ था ? क्या मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश करने के आदेश माह मई के प्रथम सप्ताह में कर दिये गये थे ?

(2) यदि हां, तो मुलजिमान के खिलाफ अभी तक अदालत में चालान पेश नहीं किये जाने के क्या कारण है ? अब कब तक सरकार चालान पेश करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1-2) जी हाँ। इस सम्बन्ध में श्री दलपतसिंह की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 22/85 धारा 147,336,447 आई. पी. सी. के अन्तर्गत आहोर में दर्ज हुआ है। चालान पेश करने का निर्णय माह मई, 1985 के प्रथम सप्ताह में लिया जा चुका था, परन्तु मुलजिमान की गिरफ्तारी की अपेक्षा से चालान पेश न किया जा सका। इसी मध्य निष्पक्ष अनुसंधान नहीं करने के आरोप लगाये जाने के कारण इस अभियोग का सत्यापन अपराध शाखा द्वारा करवाया जा रहा है। अनुसंधान पूर्ण होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

## जायल क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

**224. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जायल जिला नागौर के किन-किन गांवों में किस-किस जलदाय योजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ?

(2) तहसील जायल जिला नागौर के किन-किन गांवों को अभी तक जलदाय योजना से पानी नहीं मिलता, तथा किन-किन गांवों को अभी तक किसी भी जलदाय योजना में शामिल नहीं किया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) पेयजल से लाभान्वित ग्रामों व जलप्रदाय योजनाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) तहसील जायल जिला नागौर के वे ग्राम जिनकी योजना स्वीकृत है किन्तु पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया गया है, एवं वे ग्राम जिनको योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

है, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

**ग्राम गेटोर (जयपुर) में रोड लाइटें**

**225. श्री कालीचरण सराफ** ( जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गेटोर, जयपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में आता है ?

(2) क्या इस ग्राम में बिजली के खम्भों पर ट्यब लाइटें न लगी होने के कारण ग्राम के मुख्य रास्तों में रात्रि में अंधेरा रहता है जिसके कारण आये दिन चोरियां आदि की घटनाएं होती रहती हैं ?

(3) क्या सरकार वहां ट्यूब लाइटें लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि इस ग्राम में रोड लाईट में फेस लाइन नहीं है और ना ही ट्यूब लाइट लगी हुई है।

(3) यद्यपि यह ग्राम प्राधिकरण के दायरे में आता है, प्राधिकरण की पूर्ण क्षमता नई बस्तियों, योजनाओं में विकास कार्य प्रारंभ करने का नहीं है। इस वजह से स्थानीय ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी है।

**परिवहन निगम बुकिंग कार्यालय नवलगढ़**

**226. श्री नवरंगसिंह** ( नवलगढ़ ) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नवलगढ़ परिवहन निगम बुकिंग कार्यालय और विश्राम गृह से यात्रियों की सुविधा के लिये समय सारिणी तथा किराया तालिका प्रदर्शित नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? ये अब कब तक लगा दी जावेगी ?

(2) क्या बुकिंग कार्यालय में विद्युत व्यवस्था भी नहीं है ? यदि हां, तो बुकिंग कार्यालय में कब तक लाइट की व्यवस्था कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। नवलगढ़ में बुकिंग कार्यालय व यात्री विश्राम गृह स्थानीय नगर पालिका का है जिसे निगम द्वारा रु० 60-00 प्रति माह किराये पर लिया हुआ है तथापि स्थानीय नगर पालिका से अनुमति लेकर दिनांक 29.6.85 को किराया तालिका व समय सारिणी अंकित करा दी गयी है।

(2) जी हां। विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया हुआ है। विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन स्वीकृत करते ही विद्युत व्यवस्था कर दी जायेगी। वर्तमान में वस

(38)



(यातायात मन्त्री)

स्टेण्ड पर रोशनी की अस्थाई व्यवस्था की हुई है।

**पुष्कर सरोवर में गंदा पानी गिरने से रोकना**

**227. श्री रमजान खां** (पुष्कर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर गुरुद्वारा और बांगडजी के मन्दिर के पास वाला गंदा पानी पुष्कर सरोवर में जाकर गिरता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पानी को रोकने के लिए नोटिफाइड एरिया पुष्कर कमेटी ने कुछ माह पूर्व कच्चे खड्डे खुदवाये थे, जिसमें अक्सर मरे हुए जानवर पड़े रहते है ? क्या कमेटी ने इन दोनों कच्चे खड्डों को पक्का बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो अब कब तक इनका निर्माण पूरा होगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) केवल जयपुर घाट के मार्ग पर एक कच्चा खड्डा खुदवाया गया था, परन्तु यह सही नहीं है कि इसमें मरे हुए जानवर पड़े रहते है। अब इन दोनों स्थानों पर पक्के टैंक गंदे पानी को एकत्रित करने के लिए कमेटी द्वारा बनवाये जा रहे हैं एवं निर्माण कार्य करीब 15 दिवस में पूर्ण होने की संभावना है।

**केसरीसिंहपुर में पेयजल व्यवस्था**

**228. श्री हीरालाल इन्दोरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र केसरीसिंहपुर में कितने ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? शेष ग्रामों में पेयजल के लिये क्या भावी योजना है ? कृपया ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में 184 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शेष 109 ग्रामों की योजनाओं के बारे में विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

**नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा स्ट्रीट लाइट फिक्सचर्स की खरीद**

**229. श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्ट्रीट लाइट्स फिटिंग की खरीद में न्यास कोष को रु. 1,20,395/– की हानि पहुंचाई जिसका वर्णन लोकल फण्ड ऑडिट ने भी अपने ऑडिट आक्षेप संख्या 5 में किया ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान नगर सुधार अधि

(श्री बिरदमल सिंघवी)

नियम की धारा 93 (ए) के अनुसार उपरोक्त हानि की राशि कब तक वसूल कर लेगी एवं उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि लोकल फण्ड आडिट ने अपने आडिट आक्षेप संख्या 5 में वित्तीय वर्ष 82–83 में स्ट्रीट लाइट्स की फिटिंग की खरीद में न्यास कोष को 1,20,395/- रु० की हानि पहुंचाई, का उल्लेख किया है।

(2) न्यास से प्रतिपालना रिपोर्ट मांगी गई है। प्रतिपालना रिपोर्ट प्राप्त होने एवं आडिट आक्षेप के परिक्षण के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

सीकर नगर की आवासीय योजना

230. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिला मुख्यालय पर आवासन मण्डल द्वारा आवासीय भवन बनाने की योजना किस सन् में बनाई गई थी ? नगर में आवासीय भवनों के लिए सन् 1982-83, 1983–84 एवं 1984–85 में कितने व्यक्तियों द्वारा कितनी धनराशि जमा कराई गई ? क्या उक्त व्यक्तियों को आवासीय भवन दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) यदि उक्त व्यक्तियों को अब तक आवासीय भवन नहीं दिये गए हैं तो कब तक दे दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) सीकर शहर में मण्डल द्वारा वर्ष 1982 में आवासीय भवन बनाने की योजना बनाई गई। सीकर शहर के मुख्यालय में मण्डल द्वारा वर्ष 1982–83 व 83–84 में पंजीकरण नहीं खोला गया। परन्तु वर्ष 1984–85 में दो बार क्रमश: (19–7–84 व 21–1–85) को आवासीय भवन उपलब्ध कराने हेतु पंजीकरण खोला गया जिसके तहत क्रमश: 299 व 51 आवेदकों द्वारा पंजीकरण हुआ। जिससे मण्डल में 10·76 व 2·18 लाख कुल 12·94 लाख रुपये की धनराशि जमा हुई। इन व्यक्तियों को अभी तक कोई भी आवासीय भवन नहीं दिया गया है।

(2) उपरोक्त पंजीकृत व्यक्तियों को भवन भूमि अवाप्ति के पश्चात् मकान निर्माण कर वर्ष 86–87 तक उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

नागौर में त्रिपोलिया पर निर्मित घण्टाघर

231. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर की त्रिपोलिया के ऊपर बनाये गये घण्टाघर के निर्माण में मजदूरों के मस्ट्रोलों में फर्जी मजदूरों के नाम दर्ज किये गये थे ?

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(2) क्या इसकी जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक जाँच के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जाँच रिपोर्ट आने पर वांछित कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

232 श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीमगंज मण्डी कोटा में बाजारों को चौड़ा करने के लिए आपातकाल में दुकानों के सामने की जमीन को यू. आई. टी. द्वारा लिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित व्यक्तियों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आपात काल में नगर परिषद् एवं नगर विकास न्यास द्वारा सामूहिक रूप से भीमगंज मण्डी स्थित बाजारों को चौड़ा किया गया था।

(2) भूमि के बदले भूमि देने सम्बन्धी केवल एक प्रकरण श्री शब्बीर हुसेन, अब्बास हुसेन आत्मज श्री अब्दुल हुसेन निवासी भीमगंज मंडी न्यास में विचाराधीन चल रहा है। प्रार्थी द्वारा स्वामित्व के सम्बन्ध में मूल प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण इसमें अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

राम अयोध्या योजना, उदयपुर

233. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उदयपुर नगर विकास न्यास ने जून, 1983 में कमजोर वर्ग के लोगों की आवास समस्या सुलझाने के लिये राम की अयोध्या योजना बनाने का फैसला किया था ?

(2) योजना के तहत कितनी जमीन के एवं कितने प्लाट आवंटित करने का फैसला लिया गया ? योजना के तहत कितने एवं किसके प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए एवं न्यास को कितनी राशि प्राप्त हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्लाटों के अलाटमेन्ट, लाटरी की तारीख निर्धारित की गई थी ? क्या उस दिन लाटरी निकाली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? लाटरी कब तक निकाली जाकर प्लाट आवंटित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

(2) उपरोक्त खण्ड एक में दिये गये प्रत्युत्तर के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता।

(3) उपरोक्त संदर्भ में यह प्रश्न भी नहीं उठता।

नहर हैड पर पानी का नाप

234. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर व इसकी अन्य प्रणाली पर नहर हैड पर पानी का नाप किस प्रकार लिया जाता है, तथा इसकी प्रामाणिकता किस आधार पर आंकी जाती है?

(2) क्या राज्य सरकार नहर प्रणालियों के हैड पर आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र स्टेज रिकोर्डर ए. पी. एम. पारशियल फ्लमुस लगा कर पानी के डिसचार्ज की सही प्रामाणिकता ज्ञात करने का विचार करेगी, जिससे अधिकारियों द्वारा गलत माप भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके?

(2) इन्दिरा गांधी नहर की किस-किस प्रणाली के आउट लेट पर विभाग द्वारा शोकेट लगा रखे हैं? शोकेट किन कारणों से लगाये गये हैं? क्या राज्य सरकार नियम विरुद्ध मोघों में लगे शोकेट हटाकर स्थाई व सही व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) राजस्थान नहर की आर. डी. 237 से नीचे की नहर प्रणालियों की माह अप्रेल, 1985 के गेज रीडिंग की प्रमाणित विवरण सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी, मुख्य नहर एवं इसकी अन्य प्रणालियों पर नहर हैड पर गेट आपनिंग के आधार पर विभिन्न प्रमाणिक सूत्रों के आधार पर पानी का माप किया जाता है। जहां पर सम्भव है उन प्रणालियों पर ब्रॉड-क्रस्टड वियर भी बनाये गये हैं जिससे पानी का माप अधिक प्रमाणिक रूप से सम्भव है।

(2) परीक्षण के तौर पर नोरंगदेसर वितरिका पर तीन आटोमेटिक गेज रेकार्डर्स लगाये गये हैं। इनकी अतिरिक्त देखभाल आवश्यक होती है। अन्य बड़ी नहरों पर भी धीरे-धीरे आटोमेटिक गेज रेकार्डरस लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। ए. पी. एम. लगाने का कार्य प्राथमिकता के तौर पर किया जा रहा है तथा पार्शल फ्लुम से डिस्चार्ज की प्रमाणिकता की जांच की जाती है। इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के कि.मी. 74 तक कुल 2202 आउटलेट्स में 1503 मोघों पर ए. पी. एम. एवं टेल कलस्टर लगा दिये गये हैं।

(3) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के कि.मी. 74 तक समस्त नहरों पर शुरू में पाइप आऊट लेट लगाये गये थे। पाइप निर्धारित साईज के 6"9" व 12" के ही उपलब्ध होते हैं। मोघों में पानी की अधिकृत डिस्चार्ज देने के लिये सांकेट लगाना आवश्यक होता है। इन सॉकेटों का साईज अधीक्षण अभियन्ता द्वारा डिस्चार्ज के आधार

(सिंचाई मन्त्री)

पर स्वीकृत किया जाता है । वर्ष 1985-86 में 250 ए. पी. एम. लगाने का कार्यक्रम है । बकाया ए. पी. एम. वर्ष 1986-87 में लगाया जाना सम्भव होगा ।

(4) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की माह अप्रेल, 85 की गेज रीडिंग आर. डी. 237 से 243 तक की परिशिष्ट "अ" पर एवं 243 से नीचे की परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

**कोलायत उपनिवेशन के चक प्लान**

**235. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़) :**

**श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)—क्या** उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोलायत उपनिवेशन तहसील नं. 1 से 4 में कुछ समय पूर्व ही चक प्लान प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी तहसील में किस-किस ग्राम के कब-कब चक प्लान प्राप्त हुए ?

(2) क्या यह सही है कि चक प्लान आने के उपरान्त खसरों को मुरब्बा लाइन पर यथा स्थान भूमि की निशानदेही काश्तकारों को मौके पर पटवारी द्वारा दी जानी आवश्यक है ?

(3) यदि हां, तो क्या उपरोक्त तहसीलों में मौके पर निशानदेही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अब तक कौन-कौनसी तहसीलों में अधिकारियों ने मौके पर 1982 से 1984 तक निशानदेही दिलाई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(4) क्या सरकार किसानों को मौके पर मुरब्बों की निशानदेही देने के लिए पुनः निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां । उपनिवेशन तहसील कोलायत नं० 1 से 4 तक के चक प्लान वर्ष 1979 से 84 तक प्राप्त हुए हैं उनकी सूची तहसीलवार एवं ग्रामवार परिशिष्ठ 'क" संलग्न है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । उपनिवेशन, कोलायत नं० 1 से 4 में जिन-जिन तहसीलों में प्राप्त हुए चक प्लानों के आधार पर पर्चा खतोनियां तैयार हो चुकी हैं । उन चकों में मौके पर निशानदेही वर्ष 1982 से 84 तक दी जा चुकी है. जिसकी तहसीलवार सूची परिशिष्ठ ख" पर संलग्न है ।

(4) इस सम्बन्ध में निर्देश पहले से जारी किये हुए हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें ।)

**डीडवाना खण्ड के लिए डाईमीटर के पाइप्स की खरीद**

**236. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)—**

(श्री हरजीराम बुरडक)

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, नागौर ने सन् 1984-85 में डीडवाना खण्ड के लिये छः इन्च डाईमीटर के पाइप खरीदने की मांग मुख्य अभियन्ता को की थी ? यदि हां, तो किस स्कीम के लिये, कितने पाइपों की, किस आधार पर की ? कितने पाइप खरीदे गये, और किस स्कीम पर काम में लिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता, डीडवाना के पास पहिले से ही इस साइज के पाइप सरप्लस थे ? यदि हां, तो इसी साइज के पाइप इसी खण्ड के लिये क्यों खरीदे गये ?

(3) इस अनावश्यक खरीद के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का क्या कोई इरादा है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) योजनाओं की आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सारडी- संवरा के लिये 5000 मीटर, नूवा बेरी डावरा के लिये 200 मीटर व क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना मीठडी मण्डावरा के लिए 7090 मीटर की मांग प्रस्तुत की थी। इस मांग के तहत मुख्य अभियन्ता जयपुर द्वारा वर्ष 84-85 के लिये 12,20 मीटर पाइप क्रय के आदेश दिये गये। कार्य की महत्वता को देखते हुए इन पाइपों को क्षेत्रीय जल योजना सारडी संवरा पर इस्यू किये गये।

(2) जी नहीं।

(3) अनावश्यक खरीद नहीं की गई अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**इन्द्रगढ़ (बून्दी) में भूमि का आवंटन**

**237. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)**— क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वेलनगंज, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में आराजी ख. नं० 150/268 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन वर्ष 24-5-1966 में राजाराम रामकुमार मीणा को हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस भूमि का कब्जा भी दे दिया गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त आराजी का कब्जा 16-12-1970 को आवंटनधारी को देकर सम्भला दिया गया था ?

(3) क्या यह सत्य है कि इसी आराजी ख. न. को श्री लक्ष्मीनारायण साकिन बेलनगंज के नाम से आवंटित कर दी गई ? यदि हां, तो यह आवंटन किस के द्वारा किया गया ? क्या कमेटी के सदस्यों को जानकारी है ?

(4) क्या यह सत्य है कि श्री लक्ष्मीनारायण सा. वेलनगंज में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत बंबेर के सरपंच द्वारा भी कर दी गई है ?

(5) क्या सरकार सम्बन्धित नायब-

(श्री दिग्विजयसिंह)

तहसीलदार या तहसीलदार जिसने भी यह अवैधानिक कार्यवाही की है की जांच कराकर दण्डित करने का विचार रखती है और इस झूठे आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम बेलनगंज उप-तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में आराजी ख० नं० 150/268 में से श्री राजाराम आत्मज रामकुमार मीणा को दि. 24-5-66 को 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 16-12-70 को दे दिया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इसी आराजी खसरा नम्बर 150/268 जिसका रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा था में से 15 बीघा भूमि श्री लक्ष्मीनारायण निवासी बेलनगंज को आवंटित की गई है। यह आवंटन तत्कालीन तहसीलदार पीपल्दा द्वारा किया गया था, तथा सरपंच ग्राम पंचायत बावई जो कमेटी के सदस्य हैं के हस्ताक्षर हैं।

(4) दिनांक 7-10-83 को सरपंच ग्राम पंचायत बावई ने यह प्रमाणित किया कि गोरधन आत्मज अम्बालाल मीणा बेलनगंज का निवासी है। लक्ष्मीनारायण आत्मज अम्बालाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। श्री गोरधन का नाम ही श्री लक्ष्मीनारायण होने का प्रमाण स्वरूप श्री गोरधन ने शाला खजूरी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं, तथा अपने को ग्राम बेलनगंज का निवासी बताया है किन्तु यह मामला अस्पष्ट है। अतः इसकी जाँच कराई गई है।

(5) जाँच की कार्यवाही विचाराधीन है, जाँच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना एवं आवंटन निरस्तीकरण किया जाना सम्भव हो सकता है।

बीकानेर में बजरी, चूना आदि की खानें व भट्टे

238. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)–क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग ने जिला बीकानेर में बजरी, चूना, कंकर, पत्थर, ईंट भट्टे आदि के लिए जबानी स्वीकृति दे रखी है ? अगर हाँ, तो ऐसी खानें एवं भट्टे कहां-कहां किस-किस व्यक्ति को दे रखे हैं तथा सरकार को इससे प्रतिवर्ष आय में कितना नुकसान हो रहा है ?

(2) इन खानों का विस्तृत विवरण, जैसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, खान का प्रकार आदि की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रमिक वर्ग जो उपरोक्त प्रकार की खानों में कार्य करते हैं, को खानों का पट्टा देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(खनिज मन्त्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(3) खनिज बजरी, चूना कंकर, पत्थर, ईंट मिट्टी आदि के खनन पट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाते हैं । इन्हीं नियमों के अन्तर्गत नियम 7(3) के प्रावधानों के अनुसार श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को नियम में वर्णित खनिजों हेतु प्राथमिकता के क्रमानुसार खनन पट्टे स्वीकृत करने का प्रावधान है । अतः श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर यदि क्षेत्र रिक्त हो तो खनन पट्टे स्वीकृत किए जा सकते हैं ।

**नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा निर्मित टाउन हाल**

**239. श्री नवनीतलाल नीमामा** (घाटोल)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर परिषद् द्वारा निर्मित टाउन हाल का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ ? कृपया इस पर प्रतिवर्ष हुए खर्चे का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) इसके उद्घाटन के अवसर पर टाउन हाल व नगर परिषद् भवन की साजसज्जा व आयोजन पर कितना-कितना व्यय किया गया ? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें ।

**उत्तर**

(1) उदयपुर नगर परिषद् द्वारा निर्मित टाउन हाल का निर्माण कार्य 1-1-1957 को प्रारम्भ हुआ । इस निर्माण पर प्रतिवर्ष हुए खर्चे का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) नगर परिषद् द्वारा इसके उद्घाटन के अवसर पर टाउन हाल व नगर परिषद् भवन की साजसज्जा पर कुल 7,152/- रुपये की राशि व्यय हुई । इस व्यय की गई राशि का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट—9 देखें)

**घड़साणा (श्री गंगानगर) की पेयजल योजना**

**240. श्री हंसराज** (सूरतगढ़)—क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मण्डी घड़साणा जिला श्री गंगानगर में पेयजल योजना द्वारा उक्त मण्डी की समस्त बस्ती में पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है मण्डी घड़साणा में पेयजल योजना में पानी की टंकी नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) मण्डी घड़साणा जिला श्री गंगानगर की दो बस्तियों को छोड़कर समस्त बस्तियों में आवश्यकतानुसार पाईप लाईन

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

डालकर वर्ष 1978-79 से नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है।

(2) जी हां, स्वीकृत योजना में टंकी का प्रावधान नहीं था।

**आयुर्वेद चिकित्सक**

**241. श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)
**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)—क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों को राजपत्रित अधिकारी मानने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों को राजपत्रित अधिकारी मान लिया गया है ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो उक्त मामलों में कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) इस हेतु सम्बन्धित सेवा नियम में संशोधन वांछित है, जो कार्यवाही विचाराधीन है।

**राजकीय चिकित्सालय, कठूमर**

**242. श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में राजकीय चिकित्सालय कालवाड़ी व घोलागढ़ में दवाइयों की व डाक्टरों की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार वहां कब तक डाक्टर्स व दवाइयों की समुचित व्यवस्था करा देगी ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

**केशवरायपाटन की ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ**

**243. श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन)

**श्री हरिश शर्मा** ( खानपुर ) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के अन्तर्गत आने वाली कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के मामले पाये गये हैं ? इनमें कुल गबन राशि कितनी है ? कृपया समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति वलकासा के गबन कार्यवाही के प्रसंग में किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कितनी रकम वसूल की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र

(सहकारिता मंत्री)

की 25 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के मामले पाये गये हैं। इनमें कुल रु. 5,15,079.77 की राशि दर्शाई गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वलकोसा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० के निम्नलिखित सदस्यों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

| क्र. सं. | नाम एवं पद | राशि |
|---|---|---|
| 1. | श्री बिहारीलाल | 537.28 |
| | भू.पू. अध्यक्ष | 726.00 |
| 2. | श्री मांगीलाल शृंगी | 9071.39 |
| | भू.पू. व्यवस्थापक | 2915.00 |
| | | 3706.83 |
| 3. | श्री नंदकिशोर परिहार, | 1991.25 |
| | भू. पू. व्यवस्थापक | 1987.00 |
| 4. | श्री भंवरलाल सैन व्यवस्थापक | 9630.71 |
| 5. | श्री मोरपाल सेल्समैन | 721.30 |
| 6. | श्री हरिशचन्द्र, व्यवस्थापक | 11504.75 |
| 7. | श्री केसरीलाल, अध्यक्ष | 1459.00 |
| | योग | 44,250.51 |

उपरोक्त में से निम्नलिखित के विरुद्ध सामने अंकित राशि के मामले धारा 74 के अन्तर्गत निर्णित हो चुके हैं:—

| क्र. सं. | नाम मय पद | राशि |
|---|---|---|
| 1. | श्री बिहारीलाल, | 537.28 |
| | भू. पू. अध्यक्ष | 726.00 |
| 2. | श्री मांगीलाल | 9071.39 |
| | भू. पू व्यवस्थापक | 3706.83 |
| 3. | श्री नन्दकिशोर परिहार, भू. पू. व्यवस्थापक | 1991.25 |
| 4. | श्री हरिशचन्द्र, भू. पू व्यवस्थापक | 11500.75 |
| 5. | श्री केसरीलाल, भू. पू. अध्यक्ष | 1459.00 |
| | योग | 28992.50 |

वसूली अभी नहीं हुई है। वसूली हेतु कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

**बून्दी जिले में सिंचाई कार्य**

246. **श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)** : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बून्दी जिले में कितने सिंचाई के कार्य आरम्भ किये गये तथा प्रत्येक कार्य पर अब तक अलग-अलग कितना खर्चा किया गया ?

(2) क्या उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(3) क्या तकनीकी स्वीकृति के अभाव में अब तक खर्च की गई निर्माण राशि की इस वर्षाकाल में निरर्थक होने की सम्भावना है ? इसमें विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमान्तर्गत बून्दी जिले में 9 सिंचाई कार्य प्रारम्भ किये गये, जिनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं:—

1. अन्नपूर्णा 2. चन्दा का तालाब 3. दरा का नया गांव 4. पगारा 5. शाईपुरा 6. नारायणपुरा 7. फलास्तूनी 8. गुरजनिया 9. बांक्या का नया गांव ।

(2) प्रत्येक कार्य पर अब तक किये गये व्यय की सूचना निम्नानुसार है :—

| क्र. सं. | नाम कार्य | व्यय राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | अन्नपूर्णा | 1.70 |
| 2. | चान्दा का तालाब | 0.50 |
| 3. | दरा का नया गांव | 0.93 |
| 4. | पगारा | 1.95 |
| 5. | शाईपुरा | 0.61 |
| 6. | नारायणपुरा | 2.21 |
| 7. | फलास्तूनी बांध | 0.99 |
| 8. | गुरजनियां एनीकट | 0.19 |
| 9. | बांक्या का नया गांव बांध | 2.10 |

(3) जी नहीं, तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित मामला सिंचाई विभाग के विचाराधीन है ।

(4) जी नहीं ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ से माल क्रय करना

247. श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार क्रय-विक्रय सहकारी समितियां तथा प्राथमिक सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, शाखा जयपुर से माल क्रय करते हैं ? यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं का व्यापार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर शाखा द्वारा नहीं किया जाता है ?

2) क्या रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने एक आदेश प्रसारित कर भण्डार एवं समितियों के व्यवस्थापकों को सीधा राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ से माल क्रय करने हेतु पाबन्द किया है ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों की पालना हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां, इन वस्तुओं का व्यापार राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा भी किया जाता है ।

(2) जी नहीं ।

### वन विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियम

**248. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में नियुक्त अभियांत्रिकी अधीनस्थ तथा बन्दोबस्त कर्मचारियों के सेवा नियम शीघ्र बनाने का सरकार ने आश्वासन दिया था ?

(2) क्या उक्त नियम बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार शीघ्र उक्त नियम बनाने की व्यवस्था करेगी ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। नियम बनाये जा रहे हैं।

(3) जी हां।

### स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष :** मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री जगमालसिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों द्वारा कृषि भूमि पर ग्राम पंचायत काल में बनाये गये मकानों के मामलों का अब नगर पालिका क्षेत्र में आ जाने के कारण निपटारा न करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री शोभासिंह और श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से दधिमति बी. एस. कॉलेज के 43 छात्रों का विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम रोक लिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम माजकरासर की एक हरिजन बालिका के साथ छेड़छाड़ किये जाने के मामले में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल की नहरों में अधिकारियों द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार पानी न देने से पैदावार की क्षति के सम्बन्ध में।

(5) श्री नवरंगसिंह, श्री लालचन्द डूडी, श्री मोहनलाल चौहान, श्री हरजीराम बुरड़क और श्री नारायणराम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की रामपुरा रूपा बस्ती में असामाजिक तत्वों द्वारा एक स्कूल के छात्रों को भयभीत करने व महिला शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका परबतसर के एक सदस्य को बैठकों में भाग नहीं लेने देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालासर तहसील नोखा निवासी श्री नारायणराम को पुलिस द्वारा गलत रिपोर्ट पर गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री नवनीतलाल निनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहकारी समिति मोटा गांव पंचायत समिति घाटोल के मांग पत्रों को सुपरवाइजर द्वारा फाड़ देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरासिंह चौहान सदस्य, विधान सभा की ओर से रायपुर के ठेकेदार व पुलिस की सांठगांठ से दो व्यक्तियों के ऊपर झूंठा मुकदमा बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री मालाराम और श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम दूदवा तहसील खेतड़ी में चरागाह की भूमि का अलाटमेन्ट करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर के विज्ञान नगर निवासी श्री अरविन्द जैन की असामाजिक तत्वों द्वारा पिटाई व मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिशंकर भाभड़ा और श्री चुन्नीलाल मेघवाल सदस्य, विधान सभा की ओर से रतनगढ़ क्षेत्र में अकाल राहत कार्य पर न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बहादुरसिंह और श्री मोहन-प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारशहर में एक मन्दिर की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर क्षेत्र में नारी व्यापार के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अत: मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को इन पर बोलने का अवसर सम्बन्धित मांग पर चर्चा के दिन दिया जा सकेगा—

(1) श्री दाऊदयाल जोशी और श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा नगर में नगरपालिका द्वारा सफाई न किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावतसर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक द्वारा वाहन चालक को परेशान करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव अस्पष्ट है।

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से इटावा कस्बे में अतिक्रमण के मामलों पर कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री लक्ष्मीनारायण किसान, सदस्य विधान सभा की ओर से कालख बांध की ऊंचाई दो फीट बढ़ाने से किसानों की जमीन डूब में आने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्रीमती विद्या पाठक सदस्य विधान सभा की ओर से सार्वुन निर्माण के लघु कुटीर उद्योग को सरकार की नीतियों के कारण क्षति के सम्बन्ध में।

(6) श्री फूलचन्द, सदस्य विधान सभा की ओर से नीम का थाना क्षेत्र अकाल राहत कार्य बन्द करने से मजदूरों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में। इन कार्यों की अवधि 15-7-85 तक बढ़ा दी गई है।

(7) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से छबड़ा, शाहबाद एवं लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में चारा व पानी न मिलने से पशु मरने के सम्बन्ध में।

(8) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से चांवड के मठ से नायला सड़क डामर न किये जाने से दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र के कतिपय गांवों में सिंचाई सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना सर्वेक्षणाधीन है।

2. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से तिलोरा बांध की चादर नीची किये जाने के सम्बन्ध में। सरकार ने उत्तर में जानकारी दी है कि इस बांध के गाइड बांध के टूटने से कतिपय ग्रामों में बरसात का पानी आ जाता था। अब गाइड बांध की स्वीकृति हो गई है और 1·25 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में अकाल के सम्बन्ध में।

2. श्री नारायणराम बेड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले में अकाल के सम्बन्ध में।

3. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से रायपुर तहसील में अकाल के सम्बन्ध में।

4. श्री जगमालसिंह यादव, सदस्य विधान सभा की ओर से एक महिला के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में।

5. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से दैनिक ग्रीन के सम्पादक की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में।

6. श्री हरीश शर्मा और श्री गणेशलाल वैरागी, सदस्य विधान सभा की ओर से खानपुर विधान सभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में।

7. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा की ओर से एस. एच. ओ.

(श्री अध्यक्ष)

गंगाशहर द्वारा एक व्यक्ति की उसके घर में घुसकर हत्या के सम्बन्ध में।

8 श्री जगतसिंह दायमा, सदस्य विधान सभा की ओर से ए. एन. एम के साथ केन्द्र के कम्पाउण्डर द्वारा बलात्कार की कुचेष्टा के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं होने के कारण उन पर स्वीकृति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को पुलिस की मांग पर चर्चा के समय अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जा सकेगा।

1. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की अनुपलब्धि के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि आठवीं कक्षा तक की 4 पुस्तकों के अलावा सभी पुस्तकें वितरक केन्द्रों और स्कूलों में उपलब्ध हैं। शेष 4 पुस्तकें मुद्रणाधीन हैं और 12 जुलाई तक पहुंचने की सम्भावना है। नवमीं, दसवीं और ग्यारहवीं की पुस्तकों के बारे में जानकारी दी है कि 30 पुस्तकें वितरित की जा रही है, 74 पुस्तकें गत वर्ष के स्टाक से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस विषय पर श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इस विषय पर शिक्षा मन्त्री द्वारा वक्तव्य की तिथि शीघ्र तय की जायेगी।

जिन-जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार किया है उन पर बोलने की इजाजत दूंगा और जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों के अस्वीकार करते हुए बोलने की स्वीकृति के लिये मैंने कहा है उनको जिस दिन डिमाण्ड आयेगी, उस समय उनको बोलने के लिये मैंने कहा है, वह उस दिन बोलेंगे, इसमें मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन माननीय सदस्यों के नाम यदि व्हिप के द्वारा नहीं भी दिये जायेंगे तो आसन की ओर से व्यवस्था होगी कि वे उस दिन अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल लें। राज्य सरकार को भी स्थगन प्रस्ताव भेज दिये जायेंगे ताकि जब सरकार की ओर से डिमाण्ड का उत्तर दिया जाय, उनका उत्तर दिया जा सके।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री भगराज चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है विश्वविद्यालय के रीडर के सम्बन्ध में, आपका कोई निर्णय नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जिनकी सूचना मेरे पास आ गई उन पर मैंने निर्णय दे दिया है और जिनकी सूचना नहीं आई उनका निर्णय मैं अभी नहीं कर पाया हूं। राज्य सरकार से जो जानकारी आई हैं उनके लिए मैंने कहा है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

**श्री माणक डागा (ब्यावर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने चार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाये, ब्यावर के पेयजल के बारे में ...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की चर्चा सदन में इस जगह नहीं होती। मुझ से चेम्बर में मिलिये, आप जरा नियमों का अध्ययन कर लीजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हमने राजस्थान उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के रीडर जो पन्त हैं उनके खिलाफ रिमार्क्स पास किया था उसका स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने यह कहा था कि आज उसका जवाब दिलवायेंगे, व्यवस्था दी थी आपने कि उसका उत्तर दिलवायेंगे, उसका कहीं कोई रेफरेन्स नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मुझे सूचना दी गई थी कि साढ़े ग्यारह बजे तक वे जवाब भिजवा देंगे और तब तक मैं सदन में आ चुका था इसलिए उस जवाब को मैं नहीं देख पाया हूं। अब वह जवाब आ जायेगा तो उसको देख करके मैं उस सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : जवाब आ गया है क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : इसको मैं देखकर बताऊंगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : जवाब तो आ गया ना ?

**श्री अध्यक्ष** : हैं ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : जवाब आ गया ना ?

**श्री अध्यक्ष** : हां, मैं इसको देखूंगा अभी।

**श्री नाथूसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है आज और आपने व्यवस्था दी है कि डिमाण्ड के दिन बोल लें। अध्यक्ष महोदय, नारी व्यापार के सम्बन्ध में जो एक स्पेसिफिक इश्यू है—

**श्री अध्यक्ष** : क्या ?

**श्री नाथूसिंह** : धौलपुर क्षेत्र में....

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, कल पुलिस की डिमाण्ड पर बोल लीजिये, मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : एक मिनट।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, मैं अलाऊ नहीं करूंगा, यह परम्परा गलत पड़ती है, कृपया बैठें। गलत परम्परा डालने में सहयोगी मत बनिये, आप बैठिये माननीय सदस्य आप डिमाण्ड के समय बोल लीजिये।

**श्री नाथूसिंह** : आप बिराजें तो सही।

**श्री अध्यक्ष** : मैं बैठ जाऊंगा लेकिन आप बैठें पहले, आप मुझे मत कहें बैठ जायं, कृपया बैठें, मैंने व्यवस्था दे दी है माननीय सदस्य, उस व्यवस्था में अब कोई परिवर्तन करने वाला नहीं हूं। पुलिस की डिमाण्ड कल ही है और कल उस पर आप बोल सकेंगे, मैंने आपको पूरी इजाजत दी है। माननीय सदस्य आज कोई स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**श्री नाथूसिंह** : फिर वह डाइल्यूट हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : कोई डाइल्यूट नहीं होगा माननीय सदस्य, 24 घण्टे में कोई फर्क नहीं पड़ता।

**श्री नाथूसिंह :** महत्वपूर्ण मामला है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 24 घण्टे में कोई फर्क नहीं पड़ता, कृपया बैठें, इतने दिनों में फर्क नहीं पड़ा, 24 घण्टे में फर्क नहीं पड़ने वाला है, कृपया बैठें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था हरिजन बालिका के साथ–आपने सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा था....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप कल बोलेंगे इस पर पुलिस की डिमाण्ड है कल। मैंने आपको कल के लिए इजाजत दी है, कृपया बैठें पुलिस की डिमाण्ड है कल।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** पुलिस की डिमाण्ड नहीं, सरकार के पास भेजा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिए।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने सब स्थगन प्रस्ताव जो पुलिस से सम्बन्धित आए हैं, जिनकी जानकारी आई है चाहे नहीं आई है, माननीय सदस्यों को उस पर बोलने का मौका मिले इस दृष्टि से कल के लिए सबको रख दिया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय. पॉलिटिकल इन्फ्लूएन्स से हरिजनों को डराया जा रहा है। उनको यह कहा है कि राजीनामा कर लो अगर जिन्दा रहना चाहते हो तो।

**श्री अध्यक्षः** ग्रॉर्डर प्लीज, आप कल कहिये, माननीय सदस्य।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, शामिल नहीं हुआ है, जयपुर शहर में हरिजनों की हड़ताल के सम्बन्ध में।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, समय पर नहीं आया होगा, कृपया बैठें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** मैंने सवा नौ बजे डिब्बे में डाल दिया था।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मेरे पास नहीं आया आपने सवा नौ बजे किसको दिया मुझे पता नहीं, जो बॉक्स मैंने साढ़े नौ बजे खोला है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** साढ़े नौ बजे तक देने का प्रावधान है....

**श्री अध्यक्ष :** मेरे ऑफिस में आपका स्थगन प्रस्ताव अभी तक नहीं पहुंचा और न ही मेरे समक्ष आया, आयेगा तब मैं उस पर निर्णय दूंगा, माननीय सदस्य। श्री दाऊदयाल जोशी।

**श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चार-पांच दिन पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, केन्सर के रोगियों को दूषित दवाइयां, इन्जेक्शन दिये जा रहे हैं, आपने फरमाया था कि इसका जवाब आ गया है और आप उस पर व्यवस्था देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** जवाब नहीं आया है। मैंने कहा जवाब नहीं आया है, जवाब आने का है। मैंने यह नहीं कहा कि जवाब आ गया, बाकी मैं देता व्यवस्था उस पर। श्री दाऊदयाल जोशी।

**श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :** सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कल तक राजस्थान में स्वनामधन्य कोटा नगरपरिषद आज दिवालिया स्थिति में पहुंच गई है। पौने छः करोड़ का नगर परिषद का बजट है; वह नगर परिषद नगर की समुचित सफाई व्यवस्था तक करवाने में असमर्थ रही है। इसकी दुर्दशा को देखकर आज कोटा शहर के नागरिक परेशान हैं, त्रस्त हैं। अध्यक्ष महोदय नगर परिषद का मुख्य प्रयोजन सफाई से सम्बन्धित है लेकिन आश्चर्य और दुख का विषय है कि मूल आवश्यकता की पूर्ति न करके यह नगर परिषद भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों में अपने पैसों का अपव्यय करती चली जा रही है। दुख का विषय तो यह है, अध्यक्ष महोदय, कि कोटा नगर परिषद ने अपने कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिये पांच लाख रुपया 84–85 के बजट में रखा गया था। उस पांच लाख रुपये के वाहन खरीदने के लिये, कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिये ऋण देने के बावजूद कोटा नगर परिषद के द्वारा उन कर्मचारियों से कभी यह नहीं पूछा गया कि तुमने वाहन खरीदा है या नहीं। उन लोगों ने सस्ती ब्याज दर पर रकम लेकर फिक्सड डिपोजिट में डाल दी। आज यह भी एक दुख का विषय है, अध्यक्ष, महोदय कि कर्मचारियों को नगरपरिषद के कार्य हेतु वाहन दिया जाता था वह वाहन भी उन कर्मचारियों से विदड्रा नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने वाहन ऋण भी ले लिया और वाहन भी नहीं खरीदा। आज सवा साल और डेढ साल हो चुका है पर उन लोगों ने कोई वाहन नहीं खरीदा है।

नगर परिषद कोलोनी कहीं पर बनी हुई है लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने मकान बनाने के लिये 13 लाख रुपये का ऋण ले रखा है। उन लोगों ने ऋण तो ले लिया पर अभी तक मकान नहीं बनाये। आज उन लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण लिये हुए दो साल हो चुके है पर मकान नहीं बनाये हैं और लोग आराम से नगर परिषद के मकानों में रह रहे हैं। एक व्यक्ति को छोड़ कर किसी भी व्यक्ति ने मकान नहीं बनाया है।

अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद की स्थिति यह है कि नगरपरिषद सफाई की व्यवस्था नहीं करती है और कर्मचारियों को नगरपरिषद के फण्ड से पैट्रोल मुहैया कराया जा रहा है। सारा कोटा का एरिया गन्दगी के माहोल में है कोटा नगर और कोटड़ी के बारे में आये दिन समाचार पत्रों में छपता रहता है कि

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, संक्षेप में।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर, कोटड़ी और गोरधनपुरा सड़ रहा है। भंगियों का मोहल्ला ही रहा है, सारा नर्क बन रहा है और शिवपुरा सफाई नहीं होने के कारण बेहाल हो रहा है। नित्य प्रतिदिन कोटा में गली गली और कूचा कूचा सड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष

(श्री दाऊदयाल जोशी)

महोदय, नगरपरिषद जहाँ अपने कोटा नगर के आवारा पशुओं को पकड़ने में असफल और असमर्थ है। वहां पर हालांकि चार चार रैवेन्यू इन्सपैक्टर है पर एक भी रैवेन्यू इन्सपैक्टर कहीं भी किसी की नियुक्ति नहीं की गयी है। कोटा नगर परिषद पागल कुत्तों को पकड़ने में भी असमर्थ रही और वहां पर पागल कुत्तों के काटने से कई मरीज अस्पताल में जाते है और अस्पताल में यह स्थिति है कि वहां पर पागल कुत्तों के काटने के बाद जो इन्जेक्शन लगते हैं वह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नगरपरिषद का जो प्राथमिक कर्त्तव्य नगर की सफाई करने का है वह भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहा है। जहां एक तरफ समुचित सफाई की व्यवस्था नहीं है, दूसरी तरफ नगर परिषद के धन को, नगरपरिषद अपने फंड्स को बेतरतीब और बेहूदा तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन है कि नगरपरिषद की जो प्राथमिक ड्यूटीज है उनको करने हेतु मन्त्री महोदय तत्काल कोटा नगर परिषद को आदेश देकर समुचित व्यवस्था करावें।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार वहाँ पर नगरपरिषद के चुनाव करा दे और यह ब्यूरोक्रेसी को वहाँ से हटा दिया जाय तो सारी समस्या का हल हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। प्लीज। श्री हरिकुमार औदिच्य।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**शून्य काल में प्रस्तुत विषयों का राज्य सरकार का संज्ञान**

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पॉइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जीरो आवर में कई विषयों पर माननीय सदस्य यहां पर चर्चा उठाते हैं और अपेक्षा यह की जाती है कि जो चर्चा उठायी जाय उसका सरकार की ओर से काग्नीजेन्स लिया जाय लेकिन सरकार यहां पर एबसेन्ट है तो फिर यह काग्नीजेन्स कौन लेगा।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार हैं ना। कमला जी है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह तो अभी आई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बाकोलियाजी बैठे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको सीरियसली लें।

**श्री छोगाराम बाकोलिया** : आप हमारी गिनती सरकार में नहीं कर रहे हैं क्या।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। सरकार को आपकी भावना का मालूम है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बाकोलियाजी अगर मैं आपको सरकार मान लूं तो फिर सरकार डूब ही जायेगी।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : सरकार का मतलब सरकार कोम्पोजिट होकर चले। आप बता दीजिये आप अकेले सरकार हैं क्या ?

(व्यवधान)

**श्री छोगाराम बकोलिया** : सरकार का प्रतिनिधि हूं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : सरकार के प्रतिनिधि तो हम भी हैं।

**श्री छोगाराम बकोलिया** : सरकार मुझ में निहित है, मैं सरकार का अंग हूं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : हम भी सरकार के प्रतिनिधि हैं और इस विधानसभा के बाहर हम भी नहीं हैं हमारी भी रेसपोन्सिबिलिटी है।

**श्री छोगाराम बकोलिया** : मैं आपकी भावनाओं को पहुंचा दूंगा।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप मन्त्रियों को यह कहें कि वह बाहर बैठकर चर्चा करने के बजाय यदि सदन के अन्दर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उनको भी बाहर की बातों की चिन्ता से मुक्ति मिलेगी और वहां जो गलाघोटू वातावरण बना हुआ है उससे कुछ समय तो उनको आराम मिलेगा। उससे अधिक मैं यह चाहूंगा कि इस पर सीरियसली विचार इस बात पर किया जाय क्योंकि जो कोई भी मामला हम विधान सभा में उठाते हैं वह सिर्फ चर्चा करने के लिये ही नहीं उठाते बल्कि सरकार की तरफ से भी सीरियस एटमोसफियर बने इसलिये उठाते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी भावनाओं को मन्त्री महोदया सुन रही हैं। श्री हरिकुमार।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मंडी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री दाऊदयालजी अभी कोटा नगर परिषद के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे, आज वास्तव में कोटा नगर परिषद में सफाई के लिये जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मैं मानता हूं कि कोटा नगर परिषद के क्षेत्र शहर में सफाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन चार साल से नगर परिषद में सफाई कर्मचारी करीब डेढ़े या सवाये हो गये हैं पर इतने सफाई कर्मचारी होते हुए भी वहां सफाई समाप्त होती जा रही है। अगर वास्तव में देखा जाय तो स्थिति इस प्रकार की बन गयी है कि कोटा नगरपरिषद का आज कोई धणीधोरी नजर नहीं आता है। इस प्रकार की बस्तियां बन गयी हैं जिनका विकास यू. आई. टी. और आवासन मण्डल के द्वारा कराए जाने के बाद उन सभी को कोटा नगर म्यूनिसिपलिटी में ट्रान्सफर कर दिया गया है। उनका दायित्व नगर परिषद कोटा पर कर दिया गया है इससे आज जो स्थिति है वह बदतर बनती जा रही है। एक-एक कोलोनी चाहे दादाबाड़ी हो, चाहे विज्ञान नगर हो, या केशवपुरा हो या तलवन्डी हो जो कि इतनी-इतनी बड़ी बस्तियां और मंडियां भी हैं वहां नगरपरिषद के सफाई कर्मचारी सफाई करते नजर ही नहीं आते हैं। उन बस्तियों को केवल भगवान भरोसे छोड़ रखा है। उन बस्तियों की कोटा नगर परिषद को कोई चिन्ता नहीं है। उन बस्तियों को छोड़

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

दीजिये, पर नगर की मुख्य सड़क है मुख्य नगर हैं जैसे रामपुरा, घन्टाघर, लाडपुरा, जहाँ पर बड़ी-बड़ी मन्डियां हैं, व्यापारी केन्द्र हैं, वहाँ बड़े-बड़े बाजार हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि बिलकुल ही बड़े2 गन्दगी के ढेर पड़े हैं और कहीं-कहीं पर तो पाखाने के ढेर पड़े हैं। आपके कोटा नगर की मुख्य सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है, नगरपरिषद के लोगों को इस बात की चिन्ता नहीं है कि उनकी सफाई हो। वास्तव में आज नगर-परिषद के कर्मचारियों की ड्यूटीज यह रही हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जिनमें सेनीटरी इन्सपेक्टर, सेनेटरी चीफ इन्पेक्टर सिपाही और हरिजन जिनको हर साल ड्रेस मिलती है साल में दो बार, वह नगरपरिषद का सेनीटरी इंसपेक्टर और दूसरे कर्मचारी बिना ड्रेस के घूमते हैं और नगर-परिषद कोटा का सेनीटरी इन्सपेक्टर कलेक्टर की तरह घूमता नजर आता है। आप देखेंगे तो कोई ड्रेस में नहीं रहता वहां पर कोई इन्सपेक्टर सफाई को देखता हुआ नजर नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जब कोटा नगर परिषद का प्रशासक इस प्रकार का आकर बैठ जाये जो कि केवल अपने बड़े-बड़े आकाओं को जिनके कि माध्यम से वह आता है उनको खुश करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। वह जनता की चिन्ता नहीं करते। जैसा कि माननीय सदस्य दाऊदयालजी कह रहे थे कि कोटा नगर परिषद की आर्थिक स्थिति राजस्थान में प्रथम श्रेणी की नगर परिषद में आती थी वह अब दिवालिया हो चुकी है। पिछले तीन साल से डेढ़ करोड़ रुपये की एफ. डी. राशि जो कि कोटा नगर परिषद के पास थी वह उसके प्रशासनिक अधिकारी जो मन्त्रियों के चहेते आये उन्होंने या तो उस एफ. डी. के ऊपर लोन ले लिया या एफ. डी को भुना लिया। आज कोटा नगर परिषद की स्थिति यह है कि कर्मचारियों को तनख्वाह चुकाने के लिये कोटा नगर परिषद के पास पैसा नहीं है। आज उनकी तनख्वाह ओक्ट्राई के एडवान्सेज के चैकों के माध्यम से चुकायी जाती है। मन्त्री महोदय चाहें तो जानकारी कर लीजिये। अभी का किस्सा आपको बताना चाहता हूं कि अभी कोटा नगर परिषद के प्रशासक का ट्रांसफर हो गया तो जाने से पहले उन्होंने ठेकेदारों को बुलाया कि अगर आप अपना बिल पास करवाना चाहते हैं तो मेरा इतना कमीशन बनता है वह दे दें। उस ठेकेदार ने कहा कि कमीशन तो दे दूंगा पर पैसा किससे लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे चैक तो कटालो। तो आज कोटा नगर परिषद के दो लाख रुपयों के चैक कोटा के बाजार में हैं। उसके लिये वहां के कमिश्नर और प्रशासक के द्वारा अपने एक कर्मचारी की ड्यूटी इस बात के लिये लगाई है, जो कि एकाउन्ट ब्रान्च में काम करता है, कि वह सुबह उठ-कर व्यापारियों को टेलीफोन करे कि आप आज चैक भुनाने के लिये मत जाना क्योंकि आज पैसा बैंक में नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति आज कोटा नगर परिषद की है। आज वहां के प्रशासनिक अधिकारी का काम यह है कि कभी भी कोई बड़ा अधिकारी या मन्त्री जी या कोई वी. आई. पी. आता है तो वह उनको सैर-सपाटे कराता है, उनको दावतें देता है उनका अभिनन्दन करता है और पैसा नगर परिषद

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

के ऊपर मंड दिया जाता है। तो ग्राज कोटा नगर परिषद तो लावारिस हो गयी है उसका कोई धनी धोरी नहीं है। कोई भी प्रशासनिक खर्चा कोटा में कोई करने वाला नहीं हो तो वह कोटा नगर परिषद के नाम मांन्ड दिया जाता है। दो साल से कोटा नगर परिषद में ज्यादा बदइन्तजामी होने के कारण से उसकी ग्रार्थिक स्थिति को क्षति पहुंचती जा रही है। तत्कालीन वित्त मन्त्री द्वारा जांच करायी गयी लेकिन बाद में उस जांच रिपोर्ट को भी दबा दिया गया ग्रौर केवल मात्र वह नगर परिषद ग्रधिकारियों का ग्रड्डा बनकर रह गई है और ग्राम जनता को नगर परिषद से किसी तरह की राहत नहीं मिल सकती। नगर परिषद में इंक्रोचमेंट लीजिये, ग्राप कोटा नगर में मुख्य बाजार के ग्रन्दर तख्ता लगा लीजिये, ग्रापकी मर्जी है, जो मर्जी हो कर लीजिये। नगर परिषद की खुली छूट है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पिछले साल में, छः महीने में, कितने इंक्रोचमेंट के केस रजिस्टर किये गये ग्रौर कितने चालान किये गये ? ग्रौर तो ग्रौर फूड ग्रडल्टरेशन के मामले में कोई पूछने वाला नहीं है, पिछले दो महीने में फूड ग्रडल्टरेशन का एक भी केस कोटा नगर परिषद के एरिया में रजिस्टर नहीं किया गया है। वह कहते हैं कि हमको पावर नहीं दी, सरकार ने। दो बार पावर इसलिये नहीं दी कि चुनाव ग्रा रहे हैं, ग्रगर पावर दे देंगे तो चेक करना शुरू कर देंगे, चुनावों के समय सेम्पल भरना शुरू कर देंगे। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, चुनाव निपट गये, मगर जनता को जहर खाने से, इस प्रकार की चीजें खाने से बचाने के लिए कम से कम फूड ग्रडल्टरेशन की पावर देकर जांच शुरू करायें। ग्रध्यक्ष महोदय, जैसे गत सत्र में मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया था कि वह कोटा नगर परिषद के चुनाव शीघ्र कराने वाले हैं। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नगर परिषद के चुनाव, जैसा मुख्य मन्त्री ने कहा, यथासमय कराने का कष्ट करें ताकि किसी भी पार्टी का चेयरमैन ग्राकर बैठेगा, कम से कम जनता की तो सुनने वाला रहेगा।

(म.प. 12–40)

(श्री गिरिराजप्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ग्राज की तारीख में एक डिक्टेटर बनकर बैठ जाता है। उसके कामों को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। मुझे ताज़ुब है, पता नहीं नगर परिषद का ग्राडिट होता है या नहीं। एक रुपये की जगह एक लाख रुपये खर्च कर दो तो कोई पूछने वाला नहीं ग्रौर जिस मद में खर्च करना है उसमें न करके दूसरी में कर दो तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूं या तो मुख्य मन्त्रीजी के सेक्रेटेरिएट में पुलिस चौकी लगी होगी या कोटा नगर परिषद का प्रशासक जहां बैठता है उसके दरवाजे के बाहर एक ए. एस. ग्राई. की ड्यूटी रहती है ग्रौर नगर परिषद के भवन के ग्रन्दर एक पुलिस चौकी बना रखी है। इस प्रकार जहां प्रशासक जाकर बैठेगा क्या जनता की बात सुनेगा, क्या जनता को राहत मिल सकेगी ? कोटा नगर परिषद के मामले में ग्राज स्थिति यहां तक ग्राकर पहुंच गई कि यह लोग जनता के रक्षक नहीं भक्षक बन चुके हैं। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने जो अपना वायदा किया है गये विधान सभा सत्र में उस वायदे को पूरा करने के लिए यथाशीघ्र चुनाव करायें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री डूंगरराम पंवार। श्री हीरालाल आर्य।

**श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम कस्बा रावतसर में प्रभारी चिकित्सक श्री भीमसिंह कसारड़ा जो पिछले दस साल से जमा हुआ है और कभी ट्रांसफर हुआ है तो कभी नोहर चले गये, फिर वापिस रावतसर आ गये। वहां एक बिल्डिंग बना रखी है और अपना राजनीतिक अड्डा जमाये हुए हैं। वह चिकित्सक नहीं है राजनीतिज्ञ है। राजनीतिज्ञों की × × × करते रहते हैं, अस्पताल में कम बैठते हैं और जुआ खेलने में व्यस्त रहते हैं। एक नम्बर के गेम्बलर हैं। एक बार एक हरिजन उस अस्पताल में गया तो उसको जातीय ईर्ष्या से वहां पर नहीं आने दिया। वह गरीब हरिजन वहीं का बाशिंदा है, उसके घर में एक ही नौकरी है। जिसका बाहर ट्रांसफर करा देते हैं, यह डॉक्टर साहब करा देते हैं। ईर्ष्या क्या है कि उनको बड़ी छुआछूत है। वह किसी हरिजन को बराबर बैठाना उचित नहीं समझते, अपनी बेइज्जती समझते हैं। इस प्रकार भेदभाव करने वाले डाक्टर वहां दस साल से जमे हुए हैं और सम्बन्धित मन्त्री और अधिकारियों को बार-बार लिखने पर भी क्या पता कितने लाड़ले हैं उनका वहां से ट्रांसफर नहीं करते। उनका मेडिकल का अनुभव इतना सा ही है जो कि एक सीनियर कम्पाउण्डर को होता है। उससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ एम.बी.बी.एस. की डिग्री मिली हुई है। उसी से सरकार के जिम्मे बन्धे हुए हैं और कुछ नहीं। ऐसे डाक्टरों को, जहां सब-सेंटर में नर्स होती हैं, उस जगह लगाना चाहिए, वह अस्पताल के लायक नहीं है। रावतसर 27 हजार की आबादी का कस्बा है। वहां पर होना चाहिए रेफरल हास्पीटल, लेकिन स्थिति ऐसी है कि तीन डाक्टर हैं, महिला डाक्टर की बार-बार हम मांग उठाते रहे हैं कि वह लगाई जाये। जनाने केस हैण्डिल करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन तीन डाक्टर ऐसे लगा रखे हैं जो अनुभवी नहीं हैं। भीमसिंह गरीबों की चिकित्सा नहीं करता, अगर वह गरीब एक दो बार पूछ लें तो लताड़ देते हैं, गले पड़ जाते हैं। भोले-भाले गरीबों को एक नये पैसे की दवाई या गोली नहीं मिलती गरीब मरीज को। जो सैलरी आती है उसको अपने दोस्त जो कमीजों की दुकान है वहां रख देते हैं, दिन भर सेम्पल बिकते हैं, जो बांटने के लिए आते हैं। वह डाक्टर जिसको दस साल हो गये हैं वहां पड़े हुए, किसी मरीज की परवाह नहीं करते, इसलिए ऐसे डाक्टर को, मेरा सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से, तुरन्त जिले से बाहर किसी डेजर्ट एरिया में लगाया जाये जहां बजाय रिश्वत के चाय के पैसे भी उससे मांग ले और जो कमाया है वहीं लग जाये, यह दण्ड देना चाहिए। इन्होंने एक साल पहले अपनी लड़की की शादी की थी जिसमें दो लाख की खुनखुनी की थी और इनके गांव पाण्डुसर, जो

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री डूंगरराम पंवार)

झोंपों का गांव है, तीस बीघा जमीन में गुंवार दो मन से ज्यादा नहीं होती, प्रापर्टी कहां से आई। एक बिल्डिंग रावतसर में बनाकर किराये पर दे रखी है। स्वयं सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, वह तो सरकार देती है। इतना पैसा कैसे कमाया। जो हैल्थ गाइड गांव में लगाये हैं, अच्छी-खासी रिश्वत लेकर कम से कम पचास हजार रुपया उनसे लिया है। यह सबको पता है। इस सरकार के महाभ्रष्ट, इस प्रकार के जुआरी एक इनके दोस्त हैं वहां कृषि उपज मण्डी के सेक्रेटरी प्रेमराज सारए। यह दोस्त हैं दोनों। इतने तगड़े जुआरी हैं। इन दोनों ने एक-एक रात में बीस-बीस हजार रुपये जुए में जीते हैं। ऐसे आचरण वाले डाक्टर भीमसिंह, उनमें एक अच्छी आदत है कि वह दारू नहीं पीते, लेकिन दारू पीने वाला बुरा होता है या खून पीने वाला, दारू नहीं पीते हैं खून पीते हैं। ऐसे डाक्टर की इतने बड़े कस्बे में कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां पर एक एम.एस. होना चाहिए। एक एम.डी. और एक महिला होनी चाहिए। वह एरिया इतना बड़ा है, नोहर 43 किलोमीटर पर है और हनुमानगढ़ 37 किलोमीटर है, सरदार शहर 160 किलोमीटर और सूरतगढ़ 60 किलोमीटर पर है इससे नजदीक कोई भी एम.एस. डाक्टर नहीं है। कई सीरियस मरीज हैं जिनको रेफर करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है कई बार मरे हैं और ऐसे डाक्टर का यह रवैया है कि मरीज को लेकर बैठ जाते हैं जब मरने वाला हो जाता है तो कहते हैं आप ले जाओ, वह बीच में ही मर जाता है। कितनी मौतें ऐसे हुई हैं। इस डाक्टर ने ऐसे कितने लोगों को मरवाया यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए तुरन्त ऐसे डाक्टर को वहां से ट्रांसफर कर डैजर्ट एरिया में लगाया जाये जहां यह जुआ खेलना और गुलछर्रे उड़ाना भूल जाये। इसलिये जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और उनको तुरन्त प्रभाव से हटाया जाये और उस गरीब आदमी को जिसका सादुलशहर से 26 तारीख को रावतसर ट्रांसफर हुआ था और फिर बैन लगा दिया गया ट्रांसफर पर, बैन लगने के बाद डाक्टर भीमसिंह ने जाकर सी.एम.एच.ओ. गंगानगर को कहकर फिर एक तारीख को सूरतगढ़ ट्रांसफर करा दिया, उसके सात साल में आठ ट्रांसफर करवाये हैं। उस गरीब का ट्रांसफर कैंसिल करके रावतसर में रखा जाये। मैं एक बात भूल गया....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपकी भावना समझ गये...

**श्री डूंगरराम पंवार** : हरियाणा के हिसार जिले में मट्टू में दो लाख की भूमि आवंटित कराई है और दो लाख की जमीन आढत की मण्डी में और एक परचून की दुकान है। इनको वह चलाता है पैसा कमाता है, सरकार से तनख्वाह लेता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं है...

**श्री डूंगरराम पंवार** : उसके लाड़ले हैं, × × × हैं कई, वह रिश्वत के ग्राहक पटाते हैं, दो × × × बताता हूं....

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिए, आपकी भावना पहुंच गई है।

**श्री डूंगरराम पंवार** : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा ××× है मूर्रसिह जो हैल्थ सुपरवाइजर है, जिसकी ड्यूटी सब-सेंटर में है वह 15 साल से भीमसिंह के साथ रहता है। आज भी उसकी ड्यूटी ग्राम सारलर तहसील नोहर में है जो रावतसर से 12 किलोमीटर दूर है, वह वहां न रहकर रावतसर रहता है और कभी सब-सेंटर में नहीं जाता। एक सुपरवाइजर और इस डाक्टर भीमसिंह, प्रभारी चिकित्सक दोनों को तुरन्त वहां से हटाया जाये। इतना ही मैं निवेदन करता हूं। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**श्री हीरालाल आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय.......

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य कम समय लें।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : उपाध्यक्ष महोदय, इटावा कोटा जिले का एक कस्बा है और यहां के विकास को देखते हुए राज्य सरकार ने यहां की बसावट की जिम्मेदारी मण्डी कमेटी को दी थी। मण्डी कमेटी ने इस गांव के विकास की एक योजना बनाई थी। नक्शा बनाकर उसको टाउन प्लानर से एप्रूव कराया था और उसके अनुसार यहां का विकास किया जा रहा था लेकिन पिछले कुछ सालों से मण्डी कमेटी के बजाय इस कस्बे की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी है। ग्राम पंचायत के पास आने से इस गांव की बड़ी दुर्दशा हो रही है और बसावट के रूप में इस गांव की पूरी शान बिगाड़ी जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत के पास आते ही इस कस्बे में दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। अतिक्रमण रोकने में वहां की ग्राम पंचायत बिलकुल अक्षम है और अक्षम ही नहीं उल्टे ग्राम पंचायत खुद चुपचाप पैसे खाकर रातों रात अतिक्रमण करवाती है। यहां तक कि जो टाउन प्लानर द्वारा एप्रूव्ड नक्शा था और मण्डी कमेटी ने ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित करते वक्त यह कहा था कि यह सुरक्षित स्थान हैं जैसे बस स्टेण्ड। तो बस स्टेण्ड जैसे सार्वजनिक स्थान को जो सुरक्षित रखा हुआ था और जहां पर बस स्टेण्ड के लिए जगह है उसको भी ग्राम पंचायत ने अनावश्यक रूप से पैसे लेकर बेच दिया है। यही नहीं ग्राम पंचायत ने सड़कों के रास्ते तक बेच दिये हैं जिससे गांव के रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं। ग्राम पंचायत बस स्टेण्ड जैसे स्थान को बेच दे और यही नहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीनें और सड़कें तक बेच दे, राजस्व विभाग की जमीनें बेच दे, इसकी शिकायत वहां के नागरिकों ने बार-बार वहां के जिला अधिकारियों को की लेकिन जिला अधिकारी न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की सुनते हैं, न जिलाधीश महोदय सुनते हैं और न पंचायत के कोई अधिकारी सुनते हैं। यही नहीं मैंने एक बार वहां के अतिक्रमणों के बारे में और वहां की ग्राम पंचायत द्वारा की गयी

---

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में विधान सभा में प्रश्न किया। अभी कल ही मुझे जवाब मिला था। अतिक्रमण के बारे में पूछा था कि बस स्टेण्ड की जमीन को ग्राम पंचायत ने बेच दिया है तो राज्य सरकार जवाब देती है कि नहीं बेचा। मुझे आश्चर्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम अपनी पुकार कहां करें ? पंचायत राज्य मन्त्री यहां पर हैं नहीं। मैं पंचायत राज्य मन्त्री से आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो सरकार से जवाब दिलवाया है और जिन अधिकारियों ने गलत जवाब दिलवाया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। वहां पर कम से कम सैकड़ों दुकानें अनावश्यक रूप से और अनधिकृत रूप से बनाई हुई हैं और पंचायत ने उनको बनवाया है पैसे खाकर लेकिन सूची केवल बीस लोगों की ही दी है। यह बीस ही नहीं कई वहां पर मकान बने हुए हैं डाक्टर खुराणा का है, रामप्रसाद नागर का है, बद्रीलाल कुम्हार का है, गिरधर गोपाल वकील का है, वकील लोहिया का है और इनके आस-पास कई मकान हैं। कम से कम 50 दुकानें और मकान बने हैं जिनकी इसमें सूची तक नहीं दी गयी है। जब मैंने राज्य सरकार से पूछा कि यह बस स्टेण्ड की जमीन वेची है तो राज्य सरकार जवाब देती है कि नहीं बेची है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार भी इस तरह के गलत जवाब देकर और इस तरह से अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए वहां की जनता में भारी रोष है। सड़कों, रास्ते और बस स्टेण्ड के स्थान तक को ग्राम पंचायत खुद बेच रही है। दूसरे लोग नाजायज कब्जा कर लेते तब तो कोई बात नहीं है लेकिन ग्राम पंचायत खुद चलाकर सुरक्षित रखे हुए स्थानों को नाजायज रूप से पैसे ले कर रातों रात कब्जा कराये—यह आश्चर्य की बात है और कोटा के जिला अधिकारी इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं तो राज्य सरकार भी इस तरह के गलत जवाब देकर हमें और सदन को गुमराह करती है, यह भी आश्चर्य की बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इटावा जो कि एक विकसित कस्बा है वहां की सुन्दरता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है क्योंकि वहां पर लोग दिनों दिन अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इन अतिक्रमणों को तुरन्त रोका जाये और वहां की ग्राम पंचायत जो वहां अतिक्रमण रोकने में असमर्थ है और चला कर अतिक्रमण करवा रही है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करें। जो बस स्टेण्ड के अतिक्रमण के बारे में राज्य सरकार ने गलत जवाब दिया है उसकी जांच करें ताकि वहां का समुचित विकास हो सके, इतना ही आपके माध्यम से निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीनारायण किसान।

**श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा)** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान फुलेरा तहसील के कालकवंध की ऊंचाई जो कि दो फिट और बढ़ाई जा रही है और उसमें 85 परिवार जो डूब में आ रहे हैं उनकी ओर मैं आपका

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

ध्यान दिलाना चाहता हूं। कालकबंध फुलेरा तहसील में है ग्रौर उसका पानी दूदू ग्रौर फागी तहसीलों में सिंचाई के लिए काम में ग्राता है। पहले उसकी ऊंचाई 26 फिट थी ग्रौर ग्रब दो फिट इस साल ऊंचाई ग्रौर बढ़ा दी गयी है। दो फिट ऊंचाई बढ़ाने से कालक पूरा का पूरा गांव जो बस्ती है, जमीन तो डूब में ग्रायेगी ही लेकिन जो बस्ती है, ग्राबादी है, उसमें करीब 800 व्यक्तियों की ग्राबादी है ग्रौर 85 परिवार हैं वह पूरे के पूरे परिवार उस दो फिट के भराव से पानी की डूब में आयेंगे। सरकार ने ग्रभी तक दूसरी जगह बसाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की है। सर्वे जरूर किया है परिवारों का। जो 85 परिवारों का सर्वे किया है उसमें से सिर्फ सरकार ने ग्रभी तक दस ही व्यक्तियों को मुग्रावजा दिया है, बाकी किसी व्यक्ति को कोई मुग्रावजा नहीं दिया गया है। जब तक उनको मुग्रावजा नहीं मिलेगा ग्रौर नयी जगह उनको जमीनें नहीं मिलेंगी तो लोग कहां बसेंगे? बन्ध के ऊपर जो दो फिट ऊंचाई बढ़ानी थी वह पूरी तैयार कर दी है। अभी बरसात ग्रायेगी तो पानी भरेगा ग्रौर वह बस्ती डूब में ग्रायेगी लेकिन सरकार ने उनकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं की है। मुग्रावजा देना तो कहां दूसरी जगह जमीन गोचर की बताई गयी है उसमें भी पंचायत का झगड़ा है। गोचर का पट्टा न तो तहसीलदार को नये बसने वालों को देने का ग्रधिकार है ग्रौर न ग्राम पंचायत को देने का ग्रधिकार है। जहां पहले मकान बने हुए हैं पक्के मकान हैं, कच्चे हैं, झोंपड़ें हैं, सामान है, वह डूब में ग्राने वाली जगह पर बसे हुए हैं, पूरा गांव बसा हुग्रा है। वहां ग्रब दूसरी जगह सरकार पैसा नहीं दे, गरीब ग्रादमी को पैसा नहीं मिलेगा तो कहां जायेंगे, कहां मकान बनायेंगे कहां व्यवस्था करेंगे? इसलिये मेरा ग्रापसे निवेदन है ग्रौर मैं ग्रापकी मार्फत सरकार का ध्यान कालक ग्राम की जनता की ग्रोर दिलाना चाहता हूं वहां के लोगों का जो सर्वे किया है उनको तत्काल बरसात ग्राने से पहले, बारिश से पहले मुग्रावजा दें ताकि लोग दूसरी जगह जाकर बसें वरना कल ही बारिश ग्रा जायेगी, बन्धा भर जायेगा तो लोग कहां उठकर जायेंगे और उसके पानी को बन्द करने का पूरा इन्तजाम कर दिया गया है। भराई 26 फिट के बजाय 28 फिट होगी ग्रौर पूरा का पूरा गांव ग्रौर लोगों की सम्पत्तियां डूब में ग्रायेंगी, यह मेरा ग्रापसे ग्रनुरोध है।

दूसरी बात जहां गाँव को बसाना है, जिस जगह नयी बस्ती बसाने की योजना है उस जगह के लिए उस जमीन को ग्राबादी में कन्वर्ट कराकर फिर लोगों को पट्टे दिये जायें, लोगों को बसाया जाये वरना न तो तहसीलदार उनको पट्टे दे सकता है ग्रौर न ग्राम पंचायत उनको पट्टे दे सकती है। इसलिए मेरा ग्रापसे ग्रनुरोध है कि यह काम इतना जल्दी होना चाहिए क्योंकि ग्रन्यथा ग्रगर कल ही पानी ग्रा गया तो दस दिन में पानी भर जायेगा ग्रौर लोग डूब जायेंगे, मर जायेंगे। एक-एक ग्रादमी के पास जितना सामान है, सम्पत्ति है वह डूब जायेगी। मवेशी उसमें डूब जायेंगे, मनुष्य डूब जायेंगे, हालात खराब हो जायेंगे। इसलिए ग्रापसे समय रहते सरकार को ग्रागाह करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

उनको तत्काल मुआवजा देकर उनको वहाँ बसायें। मुआवजा सर्वे हो गया था। उसमें भी मैं आपसे एक निवेदन करूं कि वहाँ के अधिकारी, वहाँ के जे. ई. एन., ए. ई. एन. और एक्स. ई. एन. तक उन लोगों से जिनके पास घरबार नहीं हैं मुआवजा देने के लिए, गरीबों को बसाने के लिए मुआवजा इसलिये अटका पड़ा है उसमें पर्सेंटेज बंधा है। 10 आदमियों को जो पैसा दिया गया है 10 पर्सेंट पैसा लेकर मुआवजा दिया गया है। बाकी का मुआवजा इसलिये अटका पड़ा है कि उनको कोई पर्सेंटेज दे तब उनको पैसा दिया जाये। गरीब आदमी अपना मकान बनाये, जो छोड़कर जायेगा, दूसरी जगह जाकर बसेगा, या उनका पर्सेंटेज देकर अधिकारियों के मकान पहले बनाये या खुद अपना मकान बनाये। उनका मुआवजा इसलिये अटका पड़ा हुआ है।

एक और आपसे निवेदन करूं। दस आदमियों को जो मुआवजा दिया गया उसमें एक नारायण सन् आफ माधो की बजाय नारायण सन् आफ महादेव को दे दिया 7 हजार रुपये और उसका चुकारा कर दिया। मकान नारायण सन् आफ माधो का था चुकारा नारायण सन आफ महादेव को कर दिया। इस तरह की भयंकर हालत है वहाँ की। हमने उनसे निवेदन किया कि आपने गलत भुगतान कर दिया तो कहते हैं उनसे रुपया ले लो। उनकी मिली भगत थी। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया। वहाँ एक श्यामलाल व्यक्ति थे, वहां से छोड़ कर जयपुर में रहने लग गये। तीन आदमी उसमें रहने लगे। तो उसके मुआवजा का उन किरायेदारों के नाम से सिंचाई विभाग ने फैसला कर दिया। उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। तो यह हालात कर दीये हैं। बाकी कोई विवाद, एक दो आदमियों के विवाद हो सकते हैं लेकिन बाकी जो गरीब जनता है जिनमें अधिकांश छोटे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उनको अन्यत्र जगह बसने के लिये मुआवजा दिया जाये ताकि लोग बस सकें और उस पानी की डूब से बच सकें अन्यथा पानी की डूब में आयेंगे लोग परेशान होंगे, गरीब लोगों की सम्पत्ति का नुकसान होगा। इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती विद्या पाठक।

**श्रीमती विद्या पाठक** : मैंने चिट भिजवाई है कल के लिये पोस्टपोन करने के लिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री फूल चन्द।

**श्री फूल चन्द गुर्जर (नीम का थाना)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आज प्रस्ताव दिया था वह था अकाल राहत के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य समय पर शुरू नहीं किये गये थे और समय से पूर्व ही उनको बन्द कर दिया। मेरे क्षेत्र नीम का थाना में कुछ अकाल राहत कार्य शुरू किये गये थे वह बहुत लेट शुरू किये। जून के प्रथम सप्ताह में बन्द कर दिये गये यह कह कर कि अकाल राहत कार्य बन्द हो गये हैं। इससे क्या हुआ है वहां जो काफी संख्या में लोग मजदूरी कर रहे थे वे बेकार हो गये हैं कार्य भी पूरा नहीं हुआ। कार्य बहुत कम किया कह कहकर कि पैसा

(श्री फूल चन्द गुर्जर)

नहीं है या ऊपर से बन्द हो गये हैं। इससे जो बहुत ही जरूरी काम थे वे पूरे होने से रुक गये हैं। उनमें लुहारा, कालाखोटा, दादी का बास, तेतरा जहां एनीकट और जोत खुदाई के कार्य थे उनमें कुछ रुपया लगा और उसके बाद वहां पर विभागीय कार्य बन्द कर दिये। इस तरह विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमानी की जाती है। न समय पर लोगों को भुगतान किया जाता है और यह कहकर उनको टाल दिया जाता है कि कार्य ऊपर से बन्द हो गये हैं और शुरू करने में देरी की जाती है। कल जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कार्य और बढ़ा दिये गये हैं 15 जुलाई तक, लेकिन वहाँ आज तक कोई कार्य चालू नहीं है। उनकी सूचना 15 जुलाई तक वहाँ भेजी जायेगी जिससे फिर कह दिया जायेगा अब कार्य बन्द हो गये हैं। तो इस तरह विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस अकाल राहत के बारे में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, इससे इन मजदूरों का और ग्रामीण लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अकाल की इतनी बड़ी विभीषिका से वे लोग बहुत परेशान हैं। उनको कोई रोजगार नहीं है और दूसरा कोई साधन मुहैया नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन अकाल राहत कार्यों को जो बहुत जरूरी हैं उनको चालू करवाया जाये और उनको पूरा करवाया जाये जिससे उन कार्यों की क्षमता भी हो उन कार्यों की उपयोगिता हो। वे पूरे हुए कार्य सामने आयें, अधूरे कार्यों से वे कार्य बेकार हैं। उन पर जो पैसा लगा है वह बेकार हो जायेगा। इसलिये आपसे प्रार्थना करूंगा कि विभागीय कार्य चालू करवाये जायें और जो मजदूर उन पर काम कर रहे थे उनको पुनः रोजगार दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। आपके दो हैं एक तो छबड़ा शाहबाद एवं लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में चारा व पानी न मिलने से पशु मरने के सम्बन्ध में व दूसरा तिलोरा बांध की चादर नीचे किये जाने के सम्बन्ध में। दोनों पर बोल लें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय कल ही दूषित पानी के पीने के कारण इतने मनुष्यों के मरने की चर्चा हुई थी। आज मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में जैसा कभी नहीं हुआ वैसा इस वर्ष हो रहा है। छबड़ा तहसील, छबड़ा पंचायत समिति में जहाँ से कभी विपक्ष के नेता, माननीय सदस्य हुआ करते थे, उस क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों में 3100 पशु भूख के कारण मर गये। चारे की कमी के कारण मर गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कभी कोटा जिले में ऐसा नहीं हुआ कि चारे की कमी के कारण पशु मर जायें। हमारा क्षेत्र ग्रीनरी है किन्तु आज वहाँ 1.50 रुपया प्रति किलो चारा बिक रहा है जो शायद कठिन से कठिन स्थान पर भी नहीं है। इसका कारण यह है कि जो नीति चल रही है, पिछली बार कम परिमाण में उगाई थी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वह बिगड़ गई। हमारे यहां कोई भी चारा स्टाक करके नहीं रखता है। इसका परिणाम यह हो गया है आज 1।।) रुपये प्रति किलो चारा वहां मिल रहा है। मेरे पास पत्र आया है वहां के प्रधान महोदय का जिन्होंने पंचायत के हिसाब से पशुओं के मरने की संख्या लिखी है उसको दोहराना नहीं चाहता, समय नहीं लेना चाहता। 16 पंचायतों का विवरण है कि जिनमें कुल मिलाकर 3100 पशु चारे की कमी के कारण मर गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ यह 1।।) रुपया प्रति किलो जो चारा है कुछ व्यवस्था करिये। जिला प्रशासन को कहिये, वहां ट्रक मुहैया करे और दूसरे स्थानों से जहां चारा है वहां से चारा पहुंचाया जाये। सब्सडाईज्ड करके, सस्ते चारे के डिपो खोलिये और अगर आपने एक दो दिन की और देरी की तो जैसा खारावेरा में हुआ है, जो 14 जानें गई हैं। कल तक समाचार है 3100 पशुओं के मरने का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह संख्या पांच सात, आठ, दस हजार तक पहुंच जायेगी। क्रय शक्ति नहीं है उस सामान्य किसान की, जिसकी जमीन में पानी नहीं है, कूआ नहीं है, और इस कारण से अविलम्ब सस्ते चारे के डिपो खोले बिना, सब्सडाईज्ड किये बिना, चारा की कीमत कम किये बिना किसान किसी भी हालत में इन पशुओं को बचाने की दृष्टि से सफल नहीं हो सकेंगे। मैंने आपसे कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, यह पहली बार हो रहा है।

एक दूसरी तहसील और है शाहबाद। सहरिया क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जन जाति के लोग रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं: वहां के समाचार हैं पिछले 10 दिन में दो हजार पशु मर गये। चारे की व्यवस्था है किन्तु वहां पानी सूख गया, कूओं में तालाबों में। पीने का पानी उसमें नहीं है। पानी की कमी है और केवल पशुओं पर ऐसा नहीं है, वहां के सहरिया जाति के लोग भी उस क्षेत्र से पलायन करने लगे हैं, दूसरे स्थान पर मजदूरी के लिये जाने लगे हैं। यह कल के समाचार हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से दोनों बातों का निवेदन करना चाहता हूं।

एक तीसरा क्षेत्र और है लाडपुरा पंचायत समिति। खालनिया में नदी बहती है जो सूख गई है, पठार है, पानी का साधन नहीं है। पानी दूषित हो गया है। दो सौ पशु मर गये हैं। पशुपालक उस क्षेत्र में रहते हैं वहां से पलायन कर रहे हैं। वहां से जा रहे हैं और इस कारण से कोटा जिले की तीन तहसीलों में, तीन पंचायत समितियों में यह जो स्थिति पैदा हो गई है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित करके सस्ते चारे के डिपो की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, दूषित पानी जहां हो गया है, उसको ठीक करें वरना ऐसी स्थिति न हो जाय, जिस प्रकार से खाराबेरा में हुआ है उसी प्रकार आलनिया नदी के किनारे सूख गये हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। अत्यन्त गन्दला पानी हो गया है, अत्यन्त दूषित हो गया है, प्रदूषित जल हो गया है उसके कारण मनुष्यों के भी मरने की बारी आये

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

और एक समाचार हो। फिर राजस्थान की सरकार कठघरे में खड़ी हो जाय। इसलिये मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार कोटा जैसे जिले में निर्दयी जरूर है, कीमत का क्षेत्र बहुत है। ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है। उसकी तीन तहसीलों का उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। वहाँ के प्रधान यहां हैं, प्रमुख यहाँ हैं उन्होंने सारी स्थिति बताई है और मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूं। जिला प्रशासन को आप तुरन्त निर्देश देकर इस प्रकार की पूरी व्यवस्था करायें।

आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा दूसरा प्रस्ताव है तिलोरा बान्ध का, राज्य सरकार ने उस पर पैसा मुहैया करा दिया है। चार फीट नीचा एक बान्ध बनाने वाले हैं, बुद्धि आ गई है, बहुत देर से आ गई, बहुत अच्छा हुआ है। मैं राज्य सरकार को उसके लिये तो धन्यवाद देना चाहता हूं किन्तु कहीं यह बान्ध बन्धा न रह जाय। अभी तो काम करना सम्भव नहीं है। अगर बरसात आ गई और फिर यह पानी उस गाँव में फैल गया तो उस गांव में भारी नुकसान होगा जिसकी शिकायत वे बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि लांग रेन्ज व्यवस्था करने की कोशिश की जाय, किन्तु आने वाली बरसात में कहीं वह व्यवस्था न होने तक फिर तिलोरा बान्ध ऊफन कर चार फीट ऊंची चादर से उसका पानी बहने के कारण वहाँ के लोगों के पशु न बह जायें, लोगों का सामान बह न जाय, उनका नुकसान नहीं हो, इसकी चिन्ता करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती उजला अरोड़ा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चावल का मढ से नायला की रोड पर वर्षों से डामर न किये जाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। कल मैं वहाँ गई थी किसी की मृत्यु पर तो मैंने देखा तीन एक्सीडेन्ट के केस पड़े हुए थे। 11 किलोमीटर लम्बी रोड़ है। इसमें तीन किलोमीटर पर तो डिपार्टमेंट ने डामर कर दिया लेकिन इसको करे वर्षों हो गये। सन् 1981 से इस पर डामर नहीं की गई है जिसके कारण से यहां पर आये दिन दुर्घटना होती है। बहुत छोटी सड़क है। आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है। दोनों तरफ खेत हैं। कहीं से भी कोई आदमी निकल नहीं सकता है और बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे निकले हुए भाटे हैं। अगर कोई ट्रक जाता है, कोई स्कूटर तो जा नहीं सकता है। वे बिना पन्चर के निकल नहीं सकते। या तो पन्चर हो जायेगा या एक्सीडेन्ट हो जायेगा। इधर-उधर की रगड़ खाने से हालत खराब हो जाती है, इतनी दुर्व्यवस्था है। इधर पांच पंचायतें पड़ती हैं, चावल का मढ से नायला आने में जो शार्ट कट पड़ता है। नायला से जाने में उधर की तरफ भानपुर कलां वगैरह की तरफ जाने के लिये भी यही रोड काम में आती है इसमें पांचों पंचायतें मिली हुई हैं—किसी में दस हजार की आबादी है, किसी में 8 हजार की आबादी है तो किसी में 6 हजार की आबादी है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल यहीं के लोगों को असुविधा नहीं होती है। इस तरह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लगभग 60 हजार आदमियों को इस सड़क से इधर-उधर गुजरना पड़ता है और वे देखते हैं कि यह स्थिति है। जयपुर होकर जाये तो 25 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। जयपुर से 19 किलोमीटर नायला पड़ता है और सायपुरा जाकर के 14 किलोमीटर पड़ता है। 19 और 14 किलोमीटर की लम्बाई नापे, इतना समय बर्बाद करें या नायला से सीधे चावंडया के मंढ होते हुए जाय और सायपुरा से नटाटा वगैरह चले जाय। इतनी महत्वपूर्ण सड़क जिसको आगरा रोड़ से कनेक्ट करने के भी काम में लाया जा सकता है, उस पर काम नहीं किया। आये दिन वहां एक्सीडेन्ट होते हैं मैंने तो यह चाहा था इस स्थगन प्रस्ताव को देते समय अध्यक्ष महोदय, कि इसको कार्यवाही के लिये भेज दें। मेरा केवल आज बोलने का ही नहीं था। यह अव्यवस्था है। हर बार मैं कहती हूं तो कभी कहा जाता है पैसा होगा तो काम करायेंगे। जो अपूर्ण काम पड़े हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता है और नई सड़क सेंक्शन करके अधूरी पटक दी जाती है। यह आने वाली बरसात में और खराब हो जायगी। इसलिये असुविधा बढ़ेगी और एक्सीडेन्ट होंगे। मेरा तो यह कहना है कि इस पर काम होना चाहिये। मामूली सा काम, 8 किलोमीटर पर डामर करने का काम था जिसमें काफी मेटेरियल बर्बाद हो गया। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बार-बार कहने पर भी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है लेकिन जो रोज मर रहे हैं रोज एक्सीडेन्ट में घायल हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं ? सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती ? मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने लिखा है, इसको कार्यवाही के लिये भेज दें और इस पर रिमार्क्स लगाकर तत्काल काम कराया जाय। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**श्री हीरालाल आर्य** : एक तो बोल गया, दूसरा काहे का है।

**श्री उपाध्यक्ष** : बोलिये।

**श्री हीरालाल आर्य** : मैं बोल चुका, सबजेक्ट क्या है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका दूसरा और है क्या ? सिंचाई की सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में। पीपल्दा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में, यह आपका है।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र का आधा हिसा ऐसा है जिसमें सिंचाई होनी चाहिये। राज्य सरकार यह कहती है कि सिंचाई के जल स्रोत नहीं होने की वजह से हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं लेकिन मेरे क्षेत्र के बारे में ऐसा नहीं है। मेरा इलाका भी जैसा मैंने कल निवेदन किया था छोटा पंजाब है, डिस्टेंन्स के हिसाब से नहीं, नदियों के हिसाब से। उस इलाके में पांच नदियां ऐसी बहती हैं जिनमें निरन्तर 12 महिने पानी होता है और उसमें अतिरिक्त पानी भी है, जिसका सिंचाई के लिये उपयोग किया जा सकता है। मेरे क्षेत्र का सुसोर, नोनेरा, कठरावदा,

(श्री हीरालाल आर्य)

जयद का खुर्द और विनायका। ये पंचायतें ऐसी हैं जिनकी हजारों बीघा में सिंचाई नहीं होती है और सिंचाई के अभाव में अकाल पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब वहां पानी है तो राज्य सरकार उस पानी का क्यों नहीं उपयोग करती है। इस प्रश्न को मैं बार-बार विधान सभा में उठाता रहा हूं लेकिन राज्य सरकार की उपेक्षावृत्ति के कारण और किसान विरोधी नीति होने के कारण सिंचाई के साधन नहीं बनाये जा रहे हैं। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन नदियों में अतिरिक्त पानी है तो सिंचाई के लिये उपयोग किया जा सकता है। मेरा निवेदन है लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाकर उन क्षेत्रों में सिंचाई अवश्य की जाय। इतना ही निवेदन है।

## शासकीय वक्तव्य

### इन्दिरा गांधी नहर, भाखड़ा तथा गंग नहर क्षेत्र की नहरों को लगातार बन्दी से किसानों को हुई क्षति

**श्री उपाध्यक्ष** : सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री श्रीमती कमलाजी, गंगानगर में इन्दिरा गांधी नहर, भाखड़ा तथा गंग नहर क्षेत्र की नहरों की लगातार बन्दी से हुई किसानों की क्षति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगी।

**श्रीमती कमला** (सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, वर्ष 1984-85 में रावी व व्यास नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा का अप्रत्याशित अभाव रहा, जिसके कारण पोंग बान्ध व भाखड़ा बान्ध में औसत वर्षा के मुकाबले बहुत कम पानी एकत्रित हो पाया। पोंग बान्ध में जल स्तर वर्ष 1984 के माह अगस्त व सितम्बर में पिछले वर्ष 1983 के मुकाबले 21 फुट कम था। 1984-85 की रबी की फसल के प्रारम्भ में पोंग बान्ध में पानी की मात्रा केवल 3,443 एम.ए.एफ.टी. थी जो कि पोंग बान्ध की क्षमता का एक मात्र 58 परसेन्ट था। इसी प्रकार भाखड़ा का अधिकतम जल स्तर वर्ष 1983 के जल-स्तर के मुकाबले 33 फीट नीचे था। इसके अतिरिक्त पिछली रबी में शीतकालीन वर्षा का भी पूर्ण अभाव रहा जिसके कारण रबी की फसलों के लिये पानी की अत्यधिक कमी रही।

उक्त पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने विभिन्न विज्ञप्तियों द्वारा सभी कृषकों को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि भाखड़ा एवं पोंग बान्ध में पानी की कमी के कारण महिने में लगभग एक सप्ताह ही पानी मिल पाने की सम्भावना है। अतः वे इस तरह की जिन्सों की बुआई करें जिनके लिये कम पानी की आवश्यकता हो। उक्त विज्ञप्तियों का प्रसारण आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था तथा क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया था। शीतकालीन वर्षा की कमी के कारण पानी की आवक में और कमी आई जिसके कारण पानी की बारी 35 दिन से लेकर 43 दिन के बीच मिली। वर्षा का अभाव व पानी की कमी की स्थिति रबी के बाद में ज्यों की त्यों है। फलस्वरूप नर्मे की बुवाई के लिये भी किसानों को आवश्यकतानुसार

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री)

पानी मिलना सम्भव नहीं होगा। पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध पानी को सुचारू रूप से रबी की फसल के सम्पूर्ण समय में जरूरत के मुताबिक उस बान्ध में छुड़वाने के लिये दोनों मुख्य अभियन्ता बी.बी.एम.बी. के अधिकारियों के साथ हर महीने विचारविमर्श करते रहे हैं ताकि उपलब्ध पानी का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। इसी प्रकार उपलब्ध पानी का सभी किसानों को समान हिस्सा मिल सके इस दृष्टिकोण से भाखड़ा व गंगनहर क्षेत्र की नहरों को ग्रुपों में बांटकर नहरें बारी-बारी से 8-8 दिन की अवधि से चलायी गयीं यह अवस्था अभी भी यथावत् चालू है क्योंकि पोंग बान्ध एवम् भाखड़ा जलाशय के कैचमैन्ट एरिया में अभी बरसात की कोई सूचना नहीं है और न ही बर्फ के पिघलने की भी कोई सूचना प्राप्त हुई है। राजस्थान जल सिंचन एवम् निकास नियम 1955 के नियम 10 के प्रावधान के अनुसार ऐसे कृषकों की पानी की बारी काटी जा सकती है जो 2 फसलों अथवा इससे अधिक फसलों का सिंचाई शुल्क जमा नहीं कराते हैं। पानी की बारी काटने से पूर्व उन्हें बाकायदा नोटिस द्वारा सूचना की जाती है। निश्चित अवधि तक शुल्क जमा नहीं कराने की अवस्था में ही उनकी बारी काटी जाती है। इन्दिरा गांधी नहर, गंग व भाखड़ा नहरों के सम्बन्ध में जानकारी मिली है कि जिन किसानों ने लगातार 2 या इससे अधिक फसलों का सिंचाई का नोटिस देने के बावजूद भी जमा नहीं कराया उनकी बारी खरीफ 1985 के पहले काटी गयी थी। 15 अप्रेल के बाद में, परन्तु सिंचाई का जमा कराने के बाद बारी खोल दी गयी थी। उल्लेखनीय है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में पक्के खालों सम्बन्धी राजस्थान भूमि विकास निगम के ऐसे ऋणों की वसूली हेतु पानी की बारी काटने के नोटिस खातेदारों को दिये गये थे, राशि जमा कराने पर पानी की बारी दे दी गयी थी। हाल ही में राज्य सरकार ने बकाया की वसूली

(म. प. 1–21)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

के सम्बन्ध में एक बैठक करके 2 अक्टूबर, 85 तक वसूली को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय दिनांक 15 जून, 1985 को मुख्य मन्त्रीजी की अध्यक्षता में नहर क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के साथ में हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय इस सारी स्थिति से सदन के सभी माननीय सदस्यों को अवगत होगा कि पानी की अत्यधिक कमी के कारण से यह सारी परेशानी हुई है और जितना भी पानी उपलब्ध था उसके अनुसार उतना ही कम सिंचित क्षेत्र भी हुआ और उतनी ही कम फसलें भी हुई हैं जो कि राज्य सरकार के या इन्सान के काबू के बाहर की स्थिति थी इसलिए यह सारी परेशानी राजस्थान के किसानों को उठानी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : श्री शोपतसिंह जी। संक्षेप में।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस स्थगन प्रस्ताव पर माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब

(श्री श्योपतसिंह)

दिया है, इस में उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि रबी की फसल में पिछली रबी की फसल में जितना पानी दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया जा सका। खरीफ की फसल जितनी बोनी चाहिए थी, वह नहीं बोयी गयी। इसके कारण बताये गये हैं कि भाखड़ा डेम और पोंग डेम में वर्षा की कमी की वजह से पानी कम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समझ में आ सकती है बात। एक तरफ रबी की फसल बहुत बड़ी तादाद में तबाह हो गयी बिना पानी के, दूसरी तरफ खरीफ की फसल बोयी नहीं गयी। अभी तक वर्षा नहीं हुई ऐसी सूरत के अन्दर अगर आप किसानों से कर वसूली के सम्बन्ध में उनके बारियां काटते हैं तो कोई भी इससे ज्यादा जालिम सरकार हो नहीं सकती। आपको मालूम है कि हमारी फसलों को हम पूरा पानी नहीं दे सके। रबी की फसल में पानी नहीं दे सके इसके बावजूद भी सरकार उतना ही उसी तरह का कठोर रवैया अपनाये हुए है। जब फसल उसकी तबाह हो गयी पानी सरकार दे नहीं सकी, आपकी सिंचाई कर की वसूली बर-करार है उसमें कुछ किसानों के प्रति लीनि-एन्ट व्यू लेना चाहिए था सरकार को, उसमें विभाग ने कहीं नहीं लिया। उसी तरह से × × × उन किसानों की, जिनकी बुवाई नहीं हुई है, रबी की फसल तबाह हो गयी, आप उसी तरह से उन लोगों की बारियां काट रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा जुल्म उस इलाके के किसान पर यह हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो समझ में आती है कि हमारे डेम्स में पानी नहीं था, राजनैतिक तौर से हमारे मुख्य मन्त्री जी जाते रहे, पानी के सम्बन्ध में बातचीत करते रहे कितना हमारा हिस्सा मिलता है हमको या नहीं मिलता है, पानी की नहर कब चलनी चाहिए कब नहीं चलनी चाहिए, इसके बारे में किसी ने जरू-रत तक नहीं समझी। राजनैतिक तौर पर इसको बिल्कुल अनदेखा किया गया और अधिकारियों के जिम्मे छोड़ दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की तबाही कोई अकेले गंगानगर जिले के किसान की तबाही नहीं है। गंगानगर में जो नुकसान हुआ है किसानों का वह राजस्थान के तमाम हिस्से का है। राज-स्थान के लोगों का है। अगर वहां पर....

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

**श्री शोपतसिंह** : हां, संक्षेप में कह रहा हूं साहब। और इससे ज्यादा क्या करूं। आपने जवाब सुन लिया। सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मेरा यह इलजाम है कि जब ऐसी विकट स्थिति पैदा हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रबी की फसल हमारी तबाह हो चुकी थी, मैंने इसी सदन में सवाल उठाया था, उसके बाद अप्रेल माह के अन्दर हमारी नहरें बन्द रही। अप्रेल माह के अन्दर जब खरीफ की कपास और नर्मे की बिजाई का मौसम था, बिजाई का मौसम का टाइम क्या है....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, माननीय सदस्य।

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री शोपतसिंह** : अप्रेल से लेकर 15 मई तक 15 दिन का टाइम है कपास की बुवाई का, अप्रेल में आपने बन्द रखा, कोई रिपेयरिंग के नाम से रखा या हरिके पतन पर कुछ जरूरत थी उसकी रिपेयरिंग की उसके नाम से बन्द रखा गया। अगर हमारी सरकार में समझदारी होती तो यह मई के महीने में किया जा सकता था, यह बुवाई की जा सकती थी और अप्रेल माह में बन्द रहने के बाद जब मई आया, हमको मालूम था कि 15 दिन नहरें चलेंगी, 15 दिन नहरें चलेंगी, शोइंग पीरियड 15 तारीख तक का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी आदमी ने भी उस गंगानगर के उजड़ते हुए जिले की इस स्थिति को गम्भीरता से नहीं लिया। बार-बार हमने कोशिश की, हम मिले, सिंचाई मन्त्री जी से मिले, हमने मुख्य मन्त्री जी से कहा कि गंगानगर उजड़ रहा है आप क्या कर रहे हैं। यह कोई अकेले गंगानगर का मामला नहीं है यह सारा नुकसान सारे राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। यह नुकसान सारे राजस्थान का है मगर बिल्कुल लापरवाही बरती गयी और हमको अधिकारियों के जिम्मे पर छोड़ दिया गया, इनकी व्हिम पर छोड़ दिया गया। सिंचाई मन्त्री महोदय, करोड़ों रुपये की फसलों का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपये का किसानों को नुकसान हुआ है। इनमें इतनी तमीज भी नहीं थी हमारे मन्त्री में कि वह बुलाते, इस गम्भीरता पर विचार करते, कभी हमारे इलाके में पहुंचते, सारे अधिकारियों को बुलाते, कोई इसका वाया मीडिया देखते, इसका कोई आल्टरनेटिव क्या हो सकता था। आल्टरनेटिव, माननीय अध्यक्ष महोदय जब अप्रेल के बाद में नहरें आयीं तो लगातार अगर इसको दो बार चला दिया जाता तो हमारी फसलों की बुवाई कपास और नरमे की हो सकती थी परन्तु 15 दिन मई में आपने पानी दिया नहीं। हमारी हालत तो यह हो गयी, अध्यक्ष महोदय, सवाल सिंचाई का ही नहीं है। अब सवाल यह है कि उस इलाके के अन्दर खुद इन्होंने माना है कि 35-35 और 40-40 दिन के बाद अभी तक बन्दियां चल रही हैं। अभी नहरों की बन्दियों के कारण 35 और 40 दिन के बाद हमारा पानी आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गयी है। हम फसलों की बात नहीं करते हैं हमने अब तक के इतिहास में....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, लम्बा भाषण नहीं। आप क्वश्चन कर लीजिए।

**श्री शोपतसिंह** : भाषण नहीं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : सवाल कहां पूछ रहे हैं। आप तो डिबेट पर बोल रहे हैं।

**श्री शोपतसिंह** : अभी कुछ मुद्दे उठाये हैं मैंने। आपको अगरचे कोई परेशानी हो तो मैं बैठ जाऊं, मुझे कुछ नहीं कहना है। अगरचे हम सोच रहे हैं, जिन मुद्दों को उठाया है मैंने कि क्यों नहीं सरकार गयी वहां पर, सरकार ने क्या प्रयत्न किया उनके अधिकारी मिले, चीफ इन्जीनियर गये, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। अभी माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है, मन्त्री स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए इसको बचाने के लिए क्या प्रयास किया ? इसको गम्भीरता से नहीं

(श्री शोपतसिंह)

ले लिया गया, मेरा इल्जाम है सरकार पर । आज हालत यह हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं, आज पीने के पानी की प्राब्लम हो गई है । हमने हमारे पुराने जो साधन थे पानी के, लोगों ने वह सारे के सारे बर्बाद कर दिए । हमने तालाब सारे के सारे काश्त कर लिए । हमको यह खयाल ही नहीं था कि यह हालत पैदा होगी । हमारे सारे के सारे जो पानी के साधन थे, कुए थे, वे छोड़ दिए । अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था है क्या माननीय मन्त्री महोदय ? आप क्या करेंगे ? हमारे पास कोई साधन नहीं । हमने पुराने साधन नष्ट कर दिए सारे के सारे ।

**श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** : काहे पर बोल रहे हैं ये ?

**श्री शोपतसिंह** : मैं इसी सब्जेक्ट पर बोल रहा हूं । अगर आपकी समझ में नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

**श्री शोपतसिंह** : मैंने इसी स्थगन प्रस्ताव में दिया है । फिर हमारी बारियां आपने 35-35 दिन, 40-40 दिन बन्द कर दीं । हमारी बारियां काटी जा रही हैं । तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार पर इल्जाम है, इस स्थिति से जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है हमारे इलाके के अन्दर, इसके आल्टरनेटिव थे, अभी हमारे यहां पर क्या हालत हो रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कपास की फसल बोई नहीं गई, नर्मे की फसल बोई नहीं गई, आल्टरनेटिव सोर्स था हमारे पास बिजली के ट्यूबवैल थे । 33 हजार ट्यूबवैल खुदे पड़े हैं वहां पर । इससे बचाया जा सकता है पर कोई परवाह नहीं । अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

**श्री शोपतसिंह** : हमारे मन्त्री, जो विभाग के मन्त्री हैं, उनका तो क्षेत्र उदयपुर डिविजन है । वह जयपुर से इधर तो मुंह ही नहीं करते । समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यह ....

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में ।

**श्री शोपतसिंह** : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि इस समस्या के बारे में अगर वहां के प्रतिनिधियों से और अधिकारियों से विचार करके इसकी गम्भीरता को समझा जाता तो इस गंगानगर के किसान को उजड़ने से बचाया जा सकता था । वह बिल्कुल अब तबाही के नजदीक है । वह उजड़ चुका है । जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी है कि बहुत सरसब्ज इलाका है, यह बात है वह बात है । मतलब यह कि आपको आनन्द उसको उजाड़ने में आता है या उसको कायम रखने में आता है । उस इलाके को बचाया जाय तो बहुत ही अच्छा सरसब्ज इलाका है । गंगानगर अपने लिए

(श्री शोपतसिंह)

नहीं बल्कि सारे राजस्थान को फीड कर रहा है। सारे राजस्थान को उससे फायदा है। सारे राजस्थान को फायदा है उसकी खुशहाली में, सारे राजस्थान की खुशहाली महफूज है।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया समाप्त करें।

**श्री शोपतसिंह :** इन्हीं शब्दों के साथ में यही बात कहते हुए दो तीन सवाल पूछूंगा कि राजनैतिक स्तर पर सरकार ने क्या कदम उठाए। इस गम्भीर परिस्थिति को टालने के लिए कौन से कदम उठाये, यही बता दें मुझे।

**श्री अध्यक्ष :** श्री देवीसिंह भाटी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैंने श्री देवीसिंह को पुकारा है, आप कृपया बैठें।

**श्री देवीसिंह भाटी :** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर प्रणाली के अन्दर गत चार माह से लगातार बन्दियां रखने से किसानों की जो हालत खराब हुई है उसके बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। राज्य सरकार ने जो हमें पता था वही उत्तर आना था कि पानी की पीछे कमी थी, पानी पूरा नहीं दे पाए। यह बात यदि हम कहें कि बारिश नहीं हो रही है तब तो हमारी मजबूरी है कि हम भगवान के पास जा नहीं सकते। वहां तक फरियाद पहुंचा नहीं सकते। आज पंजाब के अन्दर वह अपने हिस्से से ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार में मुझे ऐसा कोई मन्त्री नजर नहीं आता है जो केन्द्र सरकार पर दबाव डाल कर अपने किसानों को बचाने के लिए, अपने हिस्से का पानी ला सके। राजस्थान नहर मन्त्री के बारे में सुनते हैं कि उनका केन्द्र में बड़ा प्रभाव है और राजस्थान के मुख्यमन्त्री महोदय को भी कोई बजट लाने के लिए और कुछ और स्कीम मंजूर कराने के लिए काफी मदद भी करते हैं।...

**श्री अध्यक्ष :** यह तो कल आप कह चुके हैं।

(व्यवधान)

यह तो कल ही कह चुके हैं।

**श्री शोपतसिंह :** कितनी ही दफा कह दें, कोई असर होने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी :** इसके लिए मैं यह अपेक्षा करता हूं कि राजस्थान नहर मन्त्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राजस्थान के हिस्से का पानी कम से कम दिलायें, तब हम मानें कि आप में कुछ दम है। केवल अखबारों में आ जाता है, इधर-उधर चर्चा सुन लेते हैं उसमें तो हमें कुछ दम लगा नहीं। अगर आप किसानों का कुछ हित चाहते हैं...

**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी :** भाटियों में इतनी जान है क्या ?

**श्री देवीसिंह भाटी :** सुना नहीं मैंने, क्या कहा आपने।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य । आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूर्व में यह कास्तकारों को सूचना दी………

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : महज अपनी कमजोरी बचाने के लिए इन्होंने ये नोटिस निकाले कि क्योंकि हमें नहर की सफाई करनी है और मरम्मत करनी है, इसलिए हम यह बन्दी रखने जा रहे हैं । हकीकत यह है कि इनके पास पानी नहीं था पानी अपने हिस्से का ला नहीं पा रहे थे, महज इन्होंने सफाई और मरम्मत के नाम पर लम्बी 45 दिनों की बन्दी कर दी जब कि आपकी नहरों की हालत देखिये । मेन केनाल को, 236 आर. डी. के गुरुदुवाल का मेन पुल है उस पानी के अन्दर मेन केनाल के अन्दर आज के दिन भैंसें चर रही हैं । लोग अन्दर घास काट रहे हैं । इसके पानी के ऊपर रेत चढ़ी हुई है । यह तो आपकी हालत है । न तो वहां सफाई होती है । लेकिन आप यह बहाना नहीं करें, स्थिति स्पष्ट है कि आपके पास पानी है नहीं । अब जो क्षमता है आपकी नहर की उतना पानी आप पंजाब से ला नहीं पा रहे हैं । सबसे पहले तो राज्य सरकार की ओर से घोषणा होनी चाहिए कि हम किसानों को बचाने के लिए जिसकी रबी की फसल बर्बाद हो चुकी और बिजाई खरीफ में जितनी उसको करनी चाहिए थी, वहां पर बिजाई नहीं कर पाया और जो भी बिजाई उसने की है उसको बचाने के लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं । क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, आज के दिन भी लगातार रोटेशन से बंदियां चालू हैं ..

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप सोचिये कि जिस कास्तकार की, जिसने बिजाई की है अगर उसकी फसल को चाहे वह नरमा है या कपास है, अगर उसको 15 दिन बाद में पानी नहीं मिलता है तो फसल बर्बाद हो जाती है । अभी तो वहां बिजाई हो गई है, 4-4 और 6-6 इंच नरमा और कपास खड़ा है और उसको अगर समय पर इस गर्मी के अन्दर पानी नहीं मिलता है तो वह जो बिजाई थोड़ी बहुत की है वह भी खत्म हो जाती है । इसके लिए मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह प्रयास करें कि इनकी जो भी लम्बी बन्दी लगातार ये कर रहे हैं, इस प्रकार की बन्दी नहीं हो । पानी लाने का प्रयास करें । अगर पानी नहीं होगा तो यह फसल नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय । इन्होंने इस प्रकार के नोटिस जारी कर दिए, अखबारों में भी इन्होंने यह साया कर दिया, कास्तकार को पानी नहीं मिल सका, अध्यक्ष महोदय, जिस फसल को छः पानी मिलना चाहिए था, चार पानी मिलना चाहिए था, उसको दो तीन पानी ही बड़ी मुश्किल से मिला । अध्यक्ष महोदय, पानी पूरा नहीं मिला कास्तकार को लेकिन आपका आबयाना पूरा लगा हुआ है, यह किस कारण से ?

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के अन्दर इस प्रकार का निर्देश दे रखा है और यह जो पूर्व में व्यवस्था है खरावे की इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसके अन्दर ये रिपोर्ट करते हैं लेकिन इसमें इन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि कास्तकार अधिकारियों के पास जावे और यह रिपोर्ट करे कि मेरी फसल खराब हो चुकी है और इसकी जांच की जावे। मैं यह चाहता हूं, इसके अन्दर यह व्यवस्था होनी चाहिए कि विभाग खुद यह देखे, जब आपका पटवारी मौके पर गिरदावरी करने जाता है, वह देखने जाता है तो वह खुद रिपोर्ट करें कि फसल में इतना नुकसान हो चुका है, पानी पूरा मिला नहीं है। लेकिन अधिकारी यह कहते हैं उस कास्तकार को कि आपने समय पर हमें सूचना नहीं दी इसलिए हम आपका यह खराबा नहीं मानते और इसके अन्दर हम छूट नहीं देते। इसलिये मैं चाहूंगा राज्य सरकार से कि जब पानी आप पूरा दे नहीं पाते तो पूरा आवयाना किस हिसाब से लेते हैं ? अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने तीस दिन की, पैंतीस दिन की, पच्चीस दिन की वन्दी की, उस कास्तकार के पास जो कच्ची डिग्गियां वह खुद की खोदता है उसमें उसके पशु भी वहां पानी पीते हैं, वह खुद भी वहां पानी पीता है, पांच सात दिन से ज्यादा उसकी कैपेसिटी है नहीं और आपने तीस तीस दिन की वन्दियां कर दीं। उसकी क्या हालत है आज ? न वहां आज पुराने ट्रेडीशनल सोर्स हैं, कुंए वहां हैं नहीं, कुण्ड वहां खत्म हो चुके। सिर्फ वह नहर का ही सोर्स है जिससे उसको पानी मिल सकता है और जो टेल एण्ड पर बैठे हुए हैं वहां तो पानी दो-दो महीने तक नहीं पहुंचता है। अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह किस प्रकार की सरकार है ? मैं यह नहीं मानता कि यह सरकार है। इन्होंने बार-बार भाषण दिये हैं या वक्तव्य दे दिए, पूर्व में अखबारों में स्टेटमेंट दे दिए उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है। राज्य सरकार यहां घोषणा करे कि हम केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल कर, वहाँ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हम अपने हिस्से का पानी लायेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर समय पर पानी नहीं मिलता है तो काश्तकारों को नुकसान होता है, उसके लिए काश्तकार को मुआवजा देने का भी कोई प्रावधान नहीं....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मुझे नजर आ रहा है कि अपने हिस्से का पानी ले नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप यह नहीं चाहते कि काश्तकार जो कहीं से कर्जा लेता है, बैंक से लोन लेता है, दूसरी एजेंसीज से लोन लेता है वह खर्चा करता है, उसकी फसल जब पैदा नहीं होती तो वह बर्वाद होता है। उसके लिए क्या राज्य सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वह उसका मुआवजा दे। आवयाना भी माफ नहीं करते, मुआवजा भी देते नहीं। महज यह है कि तुम्हारा तो पिछले साल का मामला बाकी है इसलिए तुम्हारी बन्दी क्यों नहीं कर दी जाय। तुम्हारा पानी क्यों नहीं बन्द कर

(श्री देवीसिंह भाटी)

दिया जाय। तुम्हारी जो किस्तें समय पर विभाग द्वारा बकायां होती है वह दी नहीं है, इसके लिए क्यों नहीं आपकी यह बारी काट दी जाय। हर जो भी ज्यादती हो रही है, अध्यक्ष महोदय, उस काश्तकार के साथ हो रही है। यह राज्य सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसान को यदि बचाना है, आप चाहते हैं कि किसान हर तरीके से वहां पर कायम रहे, जगह छोड़े नहीं, वहां से सारे भूमिहीन काश्तकार जगह छोड़ कर चले जायेंगे और इनडायरेक्टली इस देश को और प्रदेश को जो फायदा होने जा रहा है वह खत्म हो जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : मैं खत्म करने जा रहा हूं।

मैं विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं, यह बन्दी भी करते हैं, बन्दी करने के उपरान्त जब ये ब्रांच में, डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में पानी छोड़ते हैं तो टेल एण्ड पर जो काश्तकार बैठा है उसको पानी सिंचाई के लिये तो कतई मिलता ही नहीं है, पानी पीने के लिये नहीं मिलता। इसके लिये मैं चाहूंगा कि यह जो पानी छोड़ें उसकी यह व्यवस्था होनी चाहिये कि पूर्व में जो इनके सारे आउट लेट हैं डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम हैं वह सारे बन्द करके जो टेल एण्ड पर है उसको पहले पानी पहुंचायें और उससे वापिस आते हुए दूसरों को पानी दें। महोदय, मैं यह राज्य सरकार से स्पष्ट घोषणा सुनना चाहता हूं कि हमारी जो पिछले दिनों में बन्दियां रही हैं उनका हमें मामला माफ करेंगे और आगे के लिये जो हमें पानी अभी नहीं आ रहा है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार यह है कि डैम में पानी नहीं है लेकिन जो हमें अपने हिस्से का पानी मिलता है, जितना डैम में पानी है उसके लिये यह सरकार हाउस में घोषणा करे कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके शीघ्रातिशीघ्र केन्द्र या पंजाब में जाकर पानी छुड़वायेगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हंसराज मिढा। संक्षेप में।

**श्री हंसराज मिढा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहूं को दो पानी लगा है एक महीने में सिर्फ एक बारी आती है। पांच-छह महीने में गेहूं पकता है तो कम से कम दो पानी लगे। गेहूं किसी किस्म का पका नहीं। इस हिसाब से अगर पानी आता रहेगा तो जमींदार कभी पनप नहीं सकेगा। जमींदार की फसल में बीज लग गया, खाद लग गई, मामला लग गया लेकिन उसके फसल हुई नहीं। फसल खड़ी-खड़ी सूख गई। उसमें अनाज नहीं था, घास था, वह भी मामूली सा। जो 4–5 फीट जाना था वह एक फीट तक ही रह गया। इस साल के आपके आंकड़े हैं। 18165 हैक्टेयर में रूई की बीजाई कम हुई, 22043 हैक्टेयर में गेहूं की बीजाई कम हुई। पानी कम देने का फैसला तो कर लिया नहर विभाग ने, यह नहीं कहा कि आप को एक बीघा के लिये पानी देंगे एक मुरब्बे के पीछे या दो बीघा के पीछे देंगे। जब बीजाई दो बीघा एक मुरब्बे के पीछे होती है तो एक क्विटल एक बीघा में अनाज

(श्री हंसराज मिढा)

नहीं होता। तो जमींदार के बच्चों के पालन-पोषण के लिये, किश्त भरने के लिये, ट्रेक्टर का कर्जा देने के लिये, सोसायटी का कर्जा देने के लिये या दुकानदार का कर्जा देने के लिये क्या उस जमींदार की व्यवस्था सही हो जायगी ? आप उसका बजट बनवालें। जमीदार का खर्चा कितना है ? आप कमेटी बना कर पता लगालें कि जमींदार की आमद कितनी है।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया संक्षेप में कहें।

**श्री हंसराज मिढा :** संक्षेप में साहब।

**श्री देवीसिंह भाटी :** पहली बार बोल रहे हैं।

**श्री हंसराज मिढा :** एक अर्ज है। इसकी व्यवस्था के लिये 310 क्यूसेक्स की लिंक चैनल सूरतगढ़ में है। 36 आर. डी. तीन साल में बनी है। अगर इस नहर को जल्दी बना लिया जाता...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, यह तो बंदी का है। स्थगन प्रस्ताव और वक्तव्य नहरों की बंदी का है।

**श्री हंसराज मिढा :** तो नहर में यह पानी आता है। 310 क्यूसेक्स पानी गंग कैनाल को पूरा मिलता या राजस्थान कैनाल को मिलता। लापरवाही से तीन साल में 36 आर. डी. बनी।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, इन्दिरा गांधी कैनाल के ऊपर बहस नहीं है। यह तो नहरों की बंदियों पर है।

**श्री हंसराज मिढा :** गंग कैनाल पर है साहब। पीने का पानी नहीं मिला। गंग कैनाल की बात कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बंदी के ऊपर स्थगन प्रस्ताव है, जो बंदियों की वजह से नुकसान हुआ है। आप अलग बात कर रहे हैं।

**श्री हंसराज मिढा :** बंदियों की वजह से पशुओं के लिये चारा नहीं हुआ। 80 रुपये क्विंटल का भाव हो गया। उसकी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा ? हरियाणा और पंजाब तो करने से रहा, राजस्थान को ही उसकी व्यवस्था करनी होगी। जिससे जमींदार अपने बच्चों को पाल सके। पशुधन अगर मर गया, तो उस जमींदार के पास क्या बचेगा ?

धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदया।

**श्रीमती कमला :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने खास तौर से इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि इस वक्त में किसानों की जो बारी है उसको बंद करना बहुत ही दुखदायी हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मुख्य वक्तव्य में बताया है, मुख्य मंत्री जी के स्तर पर इस बात पर माननीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होने के बाद यह पाबन्दी लगा दी गई है कि दो अक्टूबर तक कोई भी वसूलियों के पेटे पर किसी की बारी नहीं काटी जायेगी।

**श्री शोपत सिंह :** खालों की। वह दूसरी बात है, आम डायरेक्शन नहीं है।

**श्रीमती कमला :** खालों के पेमेंट के बारे में जो दो डिसीजन लिये हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी कहा है कि खाले देर से बने हैं, किसी तरह से भी बने हैं उनका ब्याज बढ़ गया है या देनदारी बढ़ गई है, एक तो उस पर जो चक्रवृती ब्याज लगाया है उसके बजाय वह साधारण ब्याज से लिया जायगा, उस वसूली के कारण से किसी का पानी नहीं काटा जायगा, यह उसके अन्दर किया है। लेकिन इस बारी काटने के बारे में अभी फैसला किया है, 15 जून को कि दो अक्टूबर तक किसी भी किसान की वसूली के कारण से कोई बारी नहीं काटी जाय। दूसरी बात—

**श्री शोपत सिंह :** अक्टूबर मतलब ? अक्टूबर में फसल आ जायगी आपके पास ? फसल आयेगी दिसम्बर में।

**श्रीमती कमला :** जो फैसला किया है बैठ कर आप लोगों ने उसके बारे में बता रही हूं। आ जायेगी, नहीं आयेगी यह तो आप और हम जानते हैं यह कब तक आती है, लेकिन फैसले की बात यह है।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने कही, राजस्थान के हिस्से का जितना पानी था उतना राज्य सरकार ने नहीं लिया और सरकार ने अपने स्तर पर कोशिश नहीं की। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से मालूम है, पानी और बिजली एक ऐसी चीज है कि कोई भी सरकार अपना हिस्सा जी-जान लगा कर भी लेना चाहेगी, एक बूंद भी पानी छोड़ने की कहीं पर कोताई नहीं बरत सकते। राजस्थान ने भी कहीं किसी वक्त में अपने हिस्से का जो पानी था वह नहीं छोड़ा है, एक-एक बूंद पानी, हमारा जो शेयर था, वह हमने हासिल किया है। जितना डेम के अन्दर भराव था इस साल, उसके मुताबिक जो शेयरेबल सरप्लस था वह 10.85 एम. ए. एफ. था। उसमें राजस्थान का हिस्सा 4.48 एम. ए. एफ. बनता था। वह हमने जो विभिन्न हमारे सिस्टम हैं उनमें जिस तरह से लिया उसमें इन्दिरा गांधी कैनाल में हमने लिया 4.08, भाखड़ा के अन्दर हमने लिया 0.10, और गंग कैनाल के अन्दर हमने लिया 0.30 एम. ए. एफ.। टोटल 4.48 एम. ए. एफ. जितना हमारा ड्यू था एक बूंद भी हमने नहीं छोड़ा है। हम यह चाहें कि अपने हिस्से से ज्यादा किसी स्टेट का ले लें तो हरियाणा और पंजाब तो एक बूंद भी हमको अपने हिस्से के बाद देने वाले थे नहीं। इसलिए इस लोकसटम पर हर स्टेट अपना-अपना हिस्सा लेती है और हमने अपना हिस्सा छोड़ा नहीं, यह मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन को अवगत कराना चाहती हूं।

जहाँ तक किसानों की हालत खराब होने, बीजाई कम होने का सवाल है, उत्पादन कम होने का सवाल है, जो किसान पर कर्जा है, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे और का हो, उनको देने के कारण से दिक्कतें पैदा हुई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई मना भी नहीं कर सकता कि प्रोडक्शन भी कम हुआ है और इस साल खरीफ की जो बीजाई हुई है वह भी 83 के मुकाबले में बहुत कम हुई है। लेकिन जो वस्तुस्थिति है और जो हमारे काबू से बाहर के हालात हैं उनके बारे में हम कोई भी बात कह कर आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसलिये वस्तुस्थिति हम सबके सामने

(श्रीमती कमला)

हैं। जहां तक सवाल है किसानों को पूरा पानी नहीं मिला है, पैदावार वह पूरी नहीं ले पाया है, तो उसको कुछ मुग्रावजा दिया जाय या उसकी वसूलियां खतम की जायें या कुछ और रियायत दी जाय, इस तरह का अभी तुरन्त मेरे सामने न कोई निर्णय है, न इस प्रकार का कोई फैसला राज्य सरकार ने किया है। इसलिये इस बारे में इस वक्त तो कहने में मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन यह बात जरूर सोचने की है कि जो बारानी क्षेत्र है उसमें बरसात नहीं होती है तो अकाल घोषित हो जाता है। लेकिन अगर कैनाल का पानी इतना कम आवे कि उससे एक तरह से अकाल की सी स्थिति का माहौल बन जाय, तो उसके बारे में राज्य सरकार क्या करे। आज तक दरअसल में कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं। आपको जैसा मालूम है पिछले 75 वर्ष में इन तीनों नदियों में इतना कम पानी पहली बार आया है जो कि आपके हमारे वक्त के देखने की बात है। इसलिये इस बारे में कभी सोचा ही नहीं गया कि ये स्थितियां भी कभी होंगी और इस बारे में भी कोई प्रावधान किया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की निगाह में इस बात को रखूंगी कि इस बारे में अगर हम कुछ राहत देने की स्थिति में हों तो उसको सोचा जाय और कुछ वसूलियों के बारे में स्थगन किया जा सके, और भी आगे तक जब तक कि फसल नहीं आ जाय, तो इस बारे में पुनर्विचार किया जाय। इतना ही निवेदन मैं कर सकती हूं।

**श्री अध्यक्ष :** चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

**श्री देवीसिंह भाटी :** चर्चा तो समाप्त हो गई, उस काश्तकार का क्या होगा? इन्होंने तो कह दिया हमारे काबू से बाहर है। यह तो निकम्मी सरकार है, इनसे कुछ भी होना जाना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह काश्तकार आशा लगाये बैठा है ..

(व्यवधान)

वह काश्तकार प्यासा मर रहा रहा है, उसकी फसल बरबाद हो गई।

**एक माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के बयान पर संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप कृपया सहयोग करें।

**श्री देवीसिंह भाटी :** इस चर्चा से क्या होना जाना है।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपने स्थगन प्रस्ताव इसीलिये रखा था।

**श्री केदारनाथ शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आंकड़े पेश किये हैं, हमारा शेयर 52 पर्सेन्ट है। जो डेम्स के बारे में बताया है वह टोटल हमारा शेयर 52 पर्सेन्ट है, आपने उसे 48 पर्सेन्ट बताया है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह दायमा :** अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। मैंने मना कर दिया, इसको अलाऊ नहीं किया है। 295 का प्रश्न मेरी स्वीकृति के बिना आप नहीं उठा सकते, माननीय सदस्य।

**श्री जगतसिंह दायमा :** अध्यक्ष महोदय, आप तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं इसे सदन में रखना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** इजाजत नहीं दी जाती है, कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

**श्री जगत सिंह दायमा :** अजी कोई मर जाएगा।

**श्री अध्यक्ष :** इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

आपके दोस्त को बचाने का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

(व्यवधान)

आप सीट पर जाय, माननीय सदस्य।

**श्री डूंगर राम पंवार :** राजस्थान कैनाल में बारी के बारे में मंत्री महोदय के बयान में एक बात स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए मैं दो मिनट....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप बैठें कृपया, नियमों की अवहेलना नहीं करें, कृपया अपनी सीट पर जायं, यहां पर बात नहीं करें।

**श्री डूंगर राम पंवार :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के बयान में एक बात स्पष्ट नहीं हुई है, दो मिनट।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करदी। नियमों का ध्यान रखें।

**श्री डूंगर राम पंवार :** मंत्री महोदय के बयान में जो बारी काटने की बात थी उसमें एक बात स्पष्ट नहीं हुई है।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मुझे एक स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देनी है, उसके लिए मैंने सदन में बताया था कि इसकी जानकारी साढे ग्यारह बजे तक सरकार से मिलने वाली है, तब मैं इसकी व्यवस्था दूंगा। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को....

**श्री लालचन्द डूडी :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि मैं तीन दिन से देख रहा हूं कि जिस वक्त आसन चेयर पर होता है उस वक्त आफीसर्स की लाबी में बड़ी भारी गड़बड़ होती है। यह नाकाबिले बरदाश्त है। वहां कोई बात नहीं करेंगे।

## श्रीपंत, रीडर, विश्वविद्यालय, जयपुर की रिट याचिका पर मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान का निर्णय

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया बैठें, आर्डर प्लीज। सदन के माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह, श्री ललित किशोर, प्रो. केदार श्री गिरधारीलाल भार्गव सब से एक स्थगन प्रस्ताव श्री पंत रीडर, विश्वविद्यालय, जयपुर की रिट याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के निर्णय के सम्बन्ध

(श्री अध्यक्ष)

में प्राप्त हुआ जिस पर मैंने राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की है। राज्य सरकार से जानकारी मिली है कि यह विश्वविद्यालय का अपना विषय है, इस पर वही कार्यवाही करने की दृष्टि से सक्षम है और वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है। इसलिए मैं स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ, स्थगन प्रस्ताव मैं अस्वीकार करता हूँ। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा राज्य सरकार की ओर से अगर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते है तो कुछ कहें।

**श्री रामपाल उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के अधिनियम 73 की जो मन्शा स्वायत्तता की है उस पर आपने अपनी बात फरमा दी है। मैं नहीं समझता कि इस पर मुझे कुछ बात कहनी चाहिए। फिर भी आप आज्ञा दें तो माननीय सदस्य गण....

**श्री अध्यक्ष :** मैंने तो वही बात की है जो आपने मुझे सूचना दी है। मैंने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी है।

**श्री द्रोपत सिंह :** आपने कह दिया कि बात नहीं कहना चाहता हूं, तो और क्या कहना चाहते हैं ?

**श्री रामपाल उपाध्याय :** मैं तो अध्यक्ष महोदय, जैसा कि निवेदन कर चुका हूं....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, आप जानते है कि अस्वस्थ हैं, तो फिर शांत रहें।

**श्री रामपाल उपाध्याय :** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझे आज ही विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा सूचना मिली है, मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। "विषय : श्री पंत, रीडर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की रिट याचिका पर मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के निर्णय पर कार्यवाही आदि बाबत।

द्वारा माननीय भैरोंसिंह जी, माननीय ललितकिशोर जी, माननीय केदार जी, माननीय गिरधारीलाल भार्गव इत्यादि।

महोदय, उपरोक्त विषय पर माननीय भैरोंसिंह जी और उपरोक्त वर्णित सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान विश्वविद्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। जानकारी के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2-7-85 की प्रति विश्वविद्यालय कार्यालय में 4-7-85 को प्राप्त हुई।

(2) विश्वविद्यालय इस दिशा में जाँच कर रहा है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में श्री पंत ने आचरण संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है।

(3) इस प्रश्न को लेकर विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में कोई असंतोष नहीं है।

(4) विश्वविद्यालय 8-7-85 को खुल चुका है। इस विषय को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी विभाग में कोई आक्रोश नहीं है। अत: इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय में

(श्री रामपाल उपाध्याय)

शांति भंग होने और कानून और व्यवस्था बिगड़ने की कोई आशंका नहीं है। सूचनार्थ प्रस्तुत है।"

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उस फैसले में आचरण के सम्बन्ध में आक्षेप किये गये हैं। इसमें दो बातें कही गई हैं, एक तो श्री पंत ने आरोप लगाया कि माननीय न्यायाधीश जब इलाज कराने के लिए गये थे तो उनको राजस्थान विश्वविद्यालय कोष से 50 हजार रुपये दिलाये। एक तो यह आरोप लगाया। तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यह बिल्कुल बेसलेस आरोप है और कोष में से कोई पैसा नहीं दिलाया गया।

श्री पंत, जो रीडर हैं, उनके द्वारा लगाया गया दूसरा आरोप यह था कि गवर्नर और उन्नीथान के लडके और लड़की की शादी होने वाली है, सगाई होने वाली है, हो गई, और इस कारण से यह बढ़ाया गया। तो दो बात उन्होंने यह लगाई जिनको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया और यह कहा कि बिल्कुल फोरजरी का मामला है इस प्रकार का।

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। एक बात, कोल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में साफ 14 प्रकार के आरोप इर्रेगुलरिटीज के माननीय पंत पर लगाए गए हैं और कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक लाख रुपये का खर्चा सारे का सारा इर्रेगुलरिटीज है और उसके लिए उन्होंने श्री पंत को दोषी ठहराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रों ने शिकायत की है कि श्री पंत आज तक अपनी कक्षाओं को अच्छी प्रकार अटेण्ड नहीं करते, पूरी कक्षाएं लेते नहीं हैं। श्री पंत ने युनिवर्सिटी की परमीशन बिना समर इन्स्टीट्यूट के नाम पर 8 हजार निकाले जिनकी विश्वविद्यालय से कोई परमीशन नहीं ली गई, बिना अनुमति के विश्वविद्यालय की पांच पुस्तकें छपवाई, हजारों रुपया उस पर खर्चा हुआ और वे पुस्तकें सब स्टेण्डर्ड घोषित हो गई है। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय को हजारों रुपयों का नुकसान पहुंचाया गया। कोल रिपोर्ट में अध्यक्ष महोदय, साफ-साफ कहा गया था कि जितनी भी कार्यवाही श्री पंत ने की है उसमें एक लाख की इर्रेगुलरिटीज हैं और विश्वविद्यालय के किसी भी स्तर पर कोई कार्यवाही नही की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी एक पत्र लिख कर आरोप लगाया है राजस्थान सरकार पर कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करते हैं। आज मंत्री महोदय कहते हैं कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। और विश्वविद्यालय के हर कार्य में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की कार्यवाही हो रही है उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री तथा श्री पंत इस प्रकार के तत्व आज उपस्थित हो गये हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का शैक्षणिक ढांचा गड़बड़ा गया है, और एक ऐसे व्यक्ति के कारण जिस पर लाखों रुपयों के गबन और अनियमितता के चार्जेज हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राज्यपाल और चीफ जस्टिस पर गंभीर और गलत आरोप लगाए गये हैं और शिक्षा मंत्री हस्तक्षेप करें. इस प्रकार का मामला, अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार के इतना कहने से काम नहीं चलेगा, इस पर सरकार का पूरा वक्तव्य होना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इनका स्थगन प्रस्ताव है।

**श्री शोपतसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सारी युनिवर्सिटी में तो क्या पता कोई आन्दोलन है या नहीं, मगर हम इस सारे मामले को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। जिस आदमी पर जिस कुलपति के खिलाफ, युनिवर्सिटी के खिलाफ इस असेम्बली के अन्दर माननीय सदस्यों ने भयंकर से भयंकर इल्जाम लगाए, गंभीर से गंभीर इल्जाम लगाए....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पंत से सम्बन्धित मसला है।

**श्री शोपतसिंह** : हां, हां, उसी बिन्दु के बारे में बता रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप दूसरी बात कह रहे हैं।

**श्री शोपतसिंह** : आप वहां के प्रोफेसरों को टार्गेट बनाना चाहते हैं। इन सरकम्सटांसेज में क्यों पंत अपना कोई मामला यहां पर आकर पुटअप नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं, आप सुनिए हाई कोर्ट में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। उसमें उस एप्लीकेशन के पहले, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ एक पिटीशन दी है। किस ने दी है, मुझे मालूम नहीं। आलरेडी सीरीयस एलीगेशंस लगाते हुए हाई कोर्ट की बेंच में दी गई। इस तरह की खबर मिली है। कौनसा ऐसा आधार था, हम रोज अखबार में पढ़ते हैं ना, अगर किसी अखबार को पढ़कर हम विधान सभा में कोई इलजाम किसी अधिकारी के खिलाफ लगायें तो वह तो एक गंभीर मामला है। श्री पंत जो कि युनर्वासिटी में रीडर हैं, उन्होंने अगर अखबार के आधार पर कोई बात कह दी या एप्लीकेशन दे दी इस बात पर कि कहीं तुम्हारे खिलाफ एक वहां पर....

(व्यवधान)

अभी हम राज्यपाल की बात कह रहे थे कि राज्यपाल भी...

(व्यवधान)

राज्यपाल महोदय के बारे में कल आप क्या कह रहे थे, इस विधान सभा के अन्दर उनके आचरण के बारे में क्या कह रहे थे...

**श्री अध्यक्ष** : उसको एक्सपंज कर दिया, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह** : उस राज्यपाल की गरिमा का बड़ा ख्याल है।

**श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विश्वविद्यालय में

(श्री मोहन प्रकाश)

जो शैक्षणिक अराजकता की स्थिति है उससे हाँ या ना पक्ष ही नहीं पूरा का पूरा प्रदेश, शिक्षा जगत और खास तौर से वे लोग जो शिक्षा जगत में एक व्यवस्था चाहते हैं, वे सारे लोग चिन्तित हैं। एक तरफ अध्यापक वाइस चान्सलर के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं और दूसरी तरफ वाइस चान्सलर ने इस विश्व-विद्यालय के समाचारों को अखबारों में देकर सब्जी-मण्डी का काम चलाने का काम किया है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव पर। माननीय सदस्य विश्व-विद्यालय पर डिबेट नहीं हो रही है।

**श्री मोहन प्रकाश** : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि इस विश्व-विद्यालय के पूरे मामले पर चाहे वह पंत का मामला हो और चाहे उन्नीथान का मामला हो, एक जांच कमीशन बैठाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि....

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में।

**श्री मोहन प्रकाश** : संक्षेप में ही। × × × हस्तक्षेप विश्व-विद्यालय में बढ़ा है यह किसी मायने में सराहनीय कार्य नहीं हो सकता। यहां पर, इस विश्व-विद्यालय की ओर से, जो लोग यहां बैठे हुए हैं—

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया बैठें। एक्सपञ्ज किया जाये × × × शब्द को एक्सपंज किया जाय।

**श्री मोहन प्रकाश** : चयन समिति का कार्य पूरा कर लिया गया है लेकिन उसके बावजूद वहां के वाइस चान्सलर के अस्थाई पद से काम चलाया जा रहा है। इस विश्व-विद्यालय के ढांचे को बिगाड़ने का यह लोग काम कर रहे हैं। पंत के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए....

**श्री अध्यक्ष** : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। श्री भंवरलाल शर्मा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शोपत सिंह जी ने कहा कि क्या पता किस आधार पर....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य विवाद का विषय नहीं बनायें। आपको जो कुछ कहना है आप कह दें कृपया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : वही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फैसला हाई कोर्ट के जज साहब ने दिया है उसकी प्रति मेरे पास है। उसकी दो लाइन पढ़ना चाहता हूं।

**श्री शोपत सिंह** : हमने पढ़ रखी हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यदि आप पढ़ लेते तो यहां बहस नहीं करते, उन्होंने लिखा है....

**श्री अध्यक्ष** आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं करें माननीय सदस्य।

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

"It is not necessary for me to go into the second question. In para 3(ii) of the petition, the petitioner has alleged true to his knowledge that it is widely held in public that the son of respondent No. 2 (the Governor) is engaged to the daughter of respondent No. 3 and are together in Cambridge studying.

Under these circumstances respondent No. 2 was very much interested in respondent No. 3 continuing as Vice Chancellor as long as he could manage it for him. This was shown to be true to his personal knowledge."

Personal knowledge means "The petitioner was present in the court. I asked the learned advocate to take instruction from the petitioner how it is true to his personal knowledge. No answer could be given by the petitioner's advocate though the petitioner was himself present and instructing the advocate."

यह कहना साहब, उसमें कहा कि दरख्वास्त नहीं दी है उसकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। तो जब वह कोर्ट में स्वयं मौजूद है, जब यह पूछ रहे हैं कि मैंने एप्लीकेशन दी है उसका क्या है

श्री शोपतसिंह : मैं आपको चैलेन्ज करता हूं कि उन्होंने हाई कोर्ट का रेफरेन्स दिया है, अखबार का रेफरेंस दिया है। आप अखबार को रोज देखते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आपसी मामला क्यों बना रहे हैं। आर्डर प्लीज। आपस का मामला बना रहे हैं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : एच. सी. पंत से आपका क्या सम्बन्ध है, आपको नाराजगी किस बात से हो रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप तो वह बात कह रहे हैं—

श्री शोपतसिंह : आपको मतलब बहुत है। कभी आप उन्नीथान् को बचाना चाहते हैं, कभी उसको निकालना चाहते हैं—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी उन्नीथान् का सवाल नहीं है, अभी तो आपके मित्र एस. सी. पंत का सवाल है। आप शान्ति से सुनिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। संक्षेप में। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर इन्होंने दूसरा चार्ज लगाया वह यह था कि 50 हजार रुपये गवर्नर महोदय जो कुलपति है उनसे अपने इलाज के लिए लिये। यह भी एक चार्ज उनके खिलाफ लगा दिया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी, उन्होंने तो राज्यपाल को भी नहीं बख्शा । उनको यह कह दिया कि आपके लड़के लड़की की शादी करायेंगे इसलिए आप यह गलत काम करो । जो वाइस चांसलर हैं उनके खिलाफ भी चार्ज लगा दिया और जब तबियत नहीं भरी तो सर्वोच्च न्याय की संस्था है हाई कोर्ट आफ राजस्थान उसके भी न्यायाधीश, चीफ जस्टिस मि. बनर्जी, उनके खिलाफ चार्ज लगा दिया कि आप फैसला इस डीन के पक्ष में देंगे । मेरी रिट इसलिए खारिज करेंगे आप न्याय पर बैठे अन्याय इसलिए करेंगे कि जब आप अमरीका इलाज के लिए पधारें थे तो 50 हजार रुपये की सहायता गवर्नर महोदय ने आपको दी । यह भी एप्लीकेशन दे दी । यह भी उनकी दी हुई एप्लीकेशन नहीं हैं ? उनसे पूछा गया कि आपने ये बातें कैसे कहीं ।

"Mr. Jain, Advocate General, appearing for the State before me. On an affidavit showed that this wholly incorrect. None of the sons of the respondent No. 2 is reading in cambridge and the question of engagement of respondent No. 2's son with the daughter of the respondent No. 3 does not at alla raise. In these circumstances. I am of opinion that the petitioner's statement in para 3(ii) is totally false.......,"

**श्री शोपतसिंह** : यह किस का एफेडेविट पढ़ रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

**श्री शोपतसिंह** : मैं पूछ रहा हूं किस का एफेडेविट पढ रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आपस में नहीं ।

**श्री शोपतसिंह** : जब आपने फैसला पढ़ लिया, फिर क्यों पढ़ते हो आप ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : जैसे आप मन्त्री से बाद में सवाल करते है वैसे ही मुझ से भी कर लेना पहले मुझे बोलने दें । Pleass keep mum till then.

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : "None of the sons of the respondent No. 2 is reading in Cambridge and the question of engagement of respondent No. 2's son with the daughter of the respondent No. 3 does not at all arise. In these circumstances, I am of opinion that the petitioner's statement in para 3(ii) is totally false and false to his knowledge in order to make out a case of malafides against the Chancellor. A false statement coming from a Reader of the University is itself shameful and a false statement made in the petition of prerogative writ itself disentitles the petitioner to any relief whastoever. When I opened my mind about the fate

(श्री भंवरलाल शर्मा)

of such application, curiously enough, an application was filed by the learned Advocate for the petitioner stating therein that the petitioner does not want the matter to be heard by me because it is alleged that during my illness, when I was in United States for my treatment, a sum of Rs. 50,000,00 was paid to me by the Governor from his charity fund for my foreign tour. Curiously enough this application was filed in the court un-signed by the learned advocate for the petitioner.

In a matter, where the petitioner is represented by an advocate, as in this matter he is, he has no locus sttandi to file independent application unsigned by his counsel. I am really surprised that Mr. Sharma, who is an advocate on record, allowed his client to file this application. Be that as it may be, if the learned Advocate does not know his professional rights, I have nothing to say. It is stated that the ground made out for taking the matter out of my list I have formed my opinion that the case must fail on the ground that the petitioner coming in a prerogative writ with unclean hands is dubious. I have therefore on hesitation in rejecting the application. Moreover, my going to Houston was for treatment and no money came from the Governor's fund. This is also patently and blatantly untrue statement.

The petition is full of untrue statements and made by a Reader in the University."

आगे क्या लिखते हैं :

"Woe to the students to whom such a professor or reader imparts education. Woe to the University where such a teacher is appointed. Be that as it may, that is not my job. But now that this false statement is on record of court, I could have sent the matter for prosecution against the petitioner in a criminal court for perjury, but am not inclined to do so because he is still an educationist, though he is not at all sorry for his false statements and wild allegations without any rhyme or reason. In these circumstances........"

Then he has rejected the application.

मेरा निवेदन यह है कि रीडर कोई समाज का मामूली स्तर का व्यक्ति नहीं है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जिससे सारा समाज स्फूर्ति लेता है, मार्गदर्शन लेता है और सारा समाज अपने बालकों को गिरवी रख देता है उनको जवान बनाओ, समाज के लिए उपयोगी बनाओ, देशभक्ति पैदा करो, चरित्रवान व्यक्ति बनाओ । ऐसा व्यक्ति यदि इस प्रकार का आचरण करता है तो जैसा जज साहब ने ठीक कहा है कि यह हमारे विद्यार्थियों का दुर्भाग्य है और विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का व्यक्ति इस स्तर का शिक्षा जगत में रहने वाला व्यक्ति ऐसा आचरण करे और उन्होंने जो चार्ज लगाये उसमें चांसलर साहब के खिलाफ लगा दिये । चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ लगा दिये । उनको कह दिया कि खुद ही बेईमान हो, आप 50 हजार रुपये लेकर खुद गये थे इसलिए मेरे केस में आप न्याय नहीं करेंगे । ऐसी परिस्थिति में और एलिगेशन घनश्याम जी ने लगाये हैं वह तो ठीक है, मैं तो केवल यह रेफर कर रहा हूं कि हाई कोर्ट में इस प्रकार की कार्यवाही की है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार यह कह कर नहीं बच सकती है कि विश्वविद्यालय का मामला है हम कुछ नहीं करना चाहते हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी आप इस प्रकार के लोगों को ऐसे आदमियों को जो कि शिक्षा जगत और सरकार को खराब करने वाले लोग हैं पता नहीं आपका तो सारा संबंध है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप जवाब देंगे तब पता लगेगा कि आपका क्या सम्बन्ध है । ऐसे व्यक्तियों को बचाने की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए । आपको बड़ी निर्भिकता के साथ कहना चाहिए, बोल्डली कहना चाहिए कि इस प्रकार का व्यक्ति विश्वविद्यालय और किसी संस्था में, शिक्षण संस्था में काम नहीं करेगा । आप केवल कानून की आड़ लगाकर के इस प्रकार के लोगों को बचाना चाहते हैं । न तो हमारा कोई यूनिथान से सम्बन्ध है ।....

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में माननीय सदस्य ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हम केवल जिस प्रकार का अपराध किया गया है उसकी घोर निन्दा करते हैं । आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें ।

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलना चाहेंगी ।

**सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है,

**श्री अध्यक्ष** : एडजोर्नमेंट के सम्बन्ध में आप उन्हीं बातों को रिपीट करेंगी ।

**सुश्री पुष्पा जैन** : दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक दिन तो हम डाक्टर यूनीथान के खिलाफ बोल रहे थे, सवाल यह नहीं है । हम डॉक्टर यूनीथान की पैरवी करने के लिए यहां खड़े नहीं हुए हैं यह सवाल नैतिकता का है, वैधानिकता का है । अध्यक्ष महोदय, आप देखें एक रीडर यूनिवर्सिटी का जिससे सारे विद्यार्थियों का

(सुश्री पुष्पा जैन)

भविष्य जुड़ा हुआ है, जिसका असर स्टुडेन्ट्स पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, उस रीडर ने अपनी नैतिकता का क्या परिचय दिया है। हाई कोर्ट में हैड आफ दी ज्यूडिशियरी चीफ जस्टिस पर बेबुनियाद आरोप लगाये कि पचास हजार रुपये राज्यपाल महोदय के फण्ड से लिये, जो कि गलत है। दूसरा आरोप हैड आफ दी स्टेट पर लगाया कि उनके पुत्र से यूनीथान की पुत्री की शादी हो चुकी है। बेबुनियाद और गलत है।

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में सगाई हुई।

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, सगाई ही कह दीजिए। सगाई का भी उन्होंने आरोप लगाया है तो गलत है, बेबुनियाद है। मंत्री महोदय, आप चाहें तो जांच कर लें। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना पड़ेगा कि ऐसे चरित्र का व्यक्ति स्वयं रीडर बनकर बैठा हुआ है। पहली मांग तो मैं यह करती हूं कि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी के पतन का कारण बना हुआ है, पहले तो उसको हटाना चाहिए। दूसरा, अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहती हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने पत्र में मंत्री महोदय को लिखा है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, कृपया स्थगन प्रस्ताव तक सीमित रहें।

**सुश्री पुष्पा जैन** : रेलेवेन्ट बात कह रही हूं। यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को भंग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्टेट के चीफ, राज्यपाल महोदय जिस मंत्री के खिलाफ इस प्रकार के एलीकेशन लगाये मंत्री पद पर बैठने का अधिकार क्या है? त्याग पत्र देना चाहिए और मुख्यमंत्री को स्वयं आकर जवाब देना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष)** : अध्यक्ष महोदय, अभी पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर या वाइस चांसलर के पक्ष या विपक्ष के लिए मामला नहीं उठाया गया है। इस सदन में कई बार डाक्टर यूनीथान के सम्बन्ध में चर्चा हुयी है। हम ने निष्पक्ष भाव से जहां विरोध की बात थी उनका सदन में विरोध किया है। न हम इस बात में इन्टरस्टेड हैं इस प्रसंग में कि वाइस चांसलर किस को नियुक्ति किया जाय। वाइस चांसलर की नियुक्ति करने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पर किसकी नियुक्ति होती है वह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से सम्बन्धित है और विधान सभा के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है उसके अन्तर्गत उसकी नियुक्ति होती है।

प्रश्न यह नहीं कि यहां पन्त का विरोध किया जाय या डॉक्टर यूनीथान का पक्ष लिया जाय। प्रश्न यह है कि इसके ऊपर सरकार मौन है। हाई कोर्ट ने इस बात का फैसला दिया कि जो आधार बनाया गया पिटिशन का वह आधार बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, पहला आधार तो यह बनाया गया कि वाइस चांसलर की लड़की और राज्यपाल महोदय के लड़के की एंगेजमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुयी। अब मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के लड़के को मैंने देखा है। अभी सगाई योग्य भी वह नहीं है। वह लड़का कैम्ब्रीज में नहीं पढ़ता है, बम्बई में पढ़ता है। अब उसकी सगाई की बात कहकर चांसलर को टार्जेट बनाने का प्रयत्न किया गया और चांसलर को टार्जेट इसलिए बनाने का प्रयास किया गया कि चांसलर ने यूनीथान को कार्यवाहक उप कुलपति बना दिया। यह उनका कदम सही है या गलत है मैं उस विवरण में अभी नहीं जाता हूं। प्रश्न यह है कि उनके एक्शन का विरोध करने के लिए क्या एक रीडर इस सीमा तक जा सकता है कि वह चांसलर के खिलाफ जो विश्वविद्यालय का हैड है उनके खिलाफ इस प्रकार का मोटिव इम्पूट करे। अब मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि वाइस चांसलर की लड़की और गवर्नर का लड़का के बीच में कोई एंगेजमेंट हुयी है ?...

**श्री अध्यक्ष** : हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हाई कोर्ट का फैसला तो है परन्तु सरकार भी तो कहे।

**श्री अध्यक्ष** : हाई कोर्ट के फैसले को सभी मानते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि माननीय शोपतसिंह जी ने अभी कुछ अखबारों के रेफरेंस में कहा...

**श्री शोपतसिंह** : जैसा आपने कहा था उस दिन। आप आई विटनेस नहीं थे....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह आज भी कहता हूं।

**श्री शोपत सिंह** : आप उसकी आई विटनेस नहीं थे उस दिन।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप मेरी सुनें। मैं जानता हूं कि आप पन्त जी को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे।

**श्री शोपत सिंह** : क्योंकि आप उनको मारना चाहते हैं...

**श्री अध्यक्ष** : कृपया आपस में बातें नहीं करें।

**श्री शोपत सिंह** : आप उनको मारना चाहते हैं, मैं जानता हूं। हम बचाना नहीं चाहते, यह क्या बात हुयी ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बचाने की कोशिश करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप इस बात में विश्वास करें ?

**श्री शोपत सिंह** : आपने खुद रेफरेंस दिया या नहीं दिया गवर्नर के बारे में। गवर्नर के बारे में आप आई विटनेस नहीं थे आपने अखबार का रेफरेंस दिया था। परसों गवर्नर के बारे में....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बात तो सुनिये।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर माननीय सदस्य।

**श्री शोपत सिंह** : ×××

(व्यवधान)

---

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। गवर्नर के बारे में जो कुछ कहा गया। राज्यपाल महोदय के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे एक्सपंज किया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं माननीय शोपत सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि यह दोनों बातें जो लिखी हैं वह आपकी नॉलेज के अनुसार सही हैं या गलत हैं ?

श्री शोपत सिंह : आपकी नॉलेज के अनुसार सही है, क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बतायें कि सही है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपस में सवाल जवाब नहीं।

श्री शोपत सिंह : आपने गवर्नर के खिलाफ आरोप लगाये अखबार के जरिये। इसी तरह से पन्त ने लगा दिये तो वह गलत कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपस में सवाल जवाब नहीं। आसन को सम्बोधित करें। कृपया अपनी बात कहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बात नहीं कह सकते कि वह गलत है। वह यही कहेंगे कि जो चार्जेज लगाये गये थे वह चार्जेज सही हैं क्यों यही है ना आपका मतलब ?

श्री शोपत सिंह : आपने तो अखबार से पढ़ दिया परसों।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अखबार रहने दो। वह पन्त जी ने जो चार्जेज लगाये हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आज हाऊस में एक सदस्य तो ऐसे हैं जो साहस के साथ यह कह सकते हैं कि पन्त जी ने, जो गवर्नर पर और चीफ जस्टिस पर आरोप लगाये हैं वह सही हैं। मैं आपको इस साहसिक कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज दोनों प्रश्नों के ऊपर जो सरकार स्वयं मानती है कि दोनों प्रश्न गलत हैं। एक तरफ चांसर के ऊपर चर्चा लगाया जाय और एक तरफ चीफ जस्टिस के ऊपर। उन पर यह चार्ज लगाया जाय कि उनको गवर्नर ने 50 हजार रुपये दिये और उस कारण से न्याय नहीं कर सके। मैं समझता हूं यह केवल सरकार की टीम है कि एक एक्जीक्यूटिव का हैड चीफ मिनिस्टर, जुडिशियरी का हैड चीफ जस्टिस और सारे स्टेट का हैड गवर्नर और चांसलर के नाते यूनिवर्सिटी का हैड वे हैं। आज इन दोनों के ऊपर यदि इस प्रकार के आरोप लगाये जायें और सरकार केवल यह कहकर संतोष कर ले कि विश्वविद्यालय अपने आप ही उस पर कार्यवाही कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो विनम्र भाव से कहा कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है हम उसको मैन्टेन करना चाहते हैं मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि आप में यदि दम हो, साहस हो और आप यह कहने का किसी भी दृष्टिकोण से साहस रखते हों तो हिम्मत के साथ गवर्नर ने जो 16 जून 1985 को आपको पत्र लिखा है और गवर्नर ने आपको यह कहा है कि आप स्वायत्तता के अन्दर हस्तक्षेप करें, आप उस पत्र की कापी सदन की मेज पर रख दें। उसमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपको यह भी कहा कि गवर्नमेंट नॉमिनीज सिंडिकेट में जाकर ठीक प्रकार से व्यवहार करें इस प्रकार के भी इंस्ट्रक्शन्स दिये जायें। आप में यदि, रामपालजी, किसी प्रकार का दम हो, मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं. इनको भी कहना चाहता हूं यदि आप स्वायत्तता की बात करना चाहते हैं तो पत्र इस सदन की मेज पर रख दें। यह पता लग जायेगा कि सरकार स्वायत्तता बनाये रखने के पक्ष में है या स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, अपनी सुविधा के लिये स्वायत्तता में हस्तक्षेप करें वहां तो यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता इनके सामने आती नहीं और जिस समय किसी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने का सवाल पैदा हो उस समय स्वायत्तता की आड़ लेकर उसको बचाने का प्रयत्न करें, यह दोनों बातें नहीं चल सकती। आपने केवल यूनिवर्सिटी से जानकारी करने के लिये रजिस्ट्रार को पत्र लिखा। उससे आपने जानकारी मांग ली। आपने एडवोकेट जनरल से पूछा कि इस परजूरी के मामले में उनके खिलाफ क्या कार्यवाई हो सकती है। क्या उनका प्रोसीक्यूशन इस मामले में नहीं किया जा सकता ? क्या इसमें यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमीज आपके सामने बाधक होगी ? मैं समझता हूं "यह एक ऐसा इंडिपेंडेंट क्वश्चन था जिसके लिये सरकार को एडवोकेट जनरल की अपोनियन लेनी चाहिये थी कि इस परजूरी के मामले में क्या प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है और यदि ओपीनियन आती तो प्रोसीक्यूशन कर दिया होता। मैंने, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में ओपीनियन ली है और ओपीनियन लेने के बाद में इस आधार पर कह सकता हूं कि छोड़िये यूनिधान का प्रश्न, छोड़िये यूनिवर्सिटी का प्रश्न, यूनिवर्सिटी में क्या-क्या हो रहा है ? उसको छोड़िये, क्या इनका सरकार प्रोसीक्यूशन करायेगी ? आज विश्वविद्यालय में आपका बहुमत है सिंडिकेट में और आपका जिस तरह से मतलब है उससे मुझे लगता है कि सिंडिकेट में उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाई नहीं होगी। जब सरकार दो तत्वों को स्वीकार करके चल रही है, दोनों बातें जो लिखी गयी हैं वह माननीय शोपतसिंह जी कहते हैं, अध्यक्ष महोदय कि यह केवल अखबारों के आधार पर कह दिया गया। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी पर्सनल नालेज का उल्लेख किया है। वह भी मैं बता दूं। अखबारों के आधार पर नहीं है पर्सनल नालेज से उन्होंने वेरीफिकेशन किया और उस वेरीफिकेशन को यदि आप पढ़ लें तो स्वतः ही आपको पता लग जायेगा। श्री पन्त ने वेरीफाई किया :

"I H. G. Pant, the above named, take oath and verify that the contents of paras 1 to 4 of the affidavit are true and correct to my Personal knowledge.'

यह अखबार के ऊपर नहीं है। यह पर्सनल नालेज के ऊपर किया गया है और पर्सनल नालेज के ऊपर जाकर इस प्रकार के तथ्य रखें, इस प्रकार के आरोप लगायें जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाकर यदि कोई पिटीशन करे, पिटीशन खारिज हो जाये, जजमेंट भी जिस प्रकार का लिखा गया, अध्यक्ष महोदय, वह जजमेंट भी सरकार के लिये, यूनिवर्सिटी के लिये और राजस्थान की जनता के लिये कोई इन्सपायरिंग नहीं है। वह एक प्रकार का

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

टोटल कंडेम्नेशन है कि किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, किस प्रकार के लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स हैं, किस प्रकार की विद्यार्थियों की सहन शक्ति है। आज हम कई बार विद्यार्थियों के बारे में कहते हैं उत्तेजित हो गये, लेकिन उत्तेजित हों विद्यार्थी तो ऐसे रीडर्स और ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जो इस प्रकार के परजूरी के आफेंसेज कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट में जाकर यह कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि हाईकोर्ट में अप्लीकेशन देकर यह कहा जाता है कि गवर्नर ने 50 हजार रुपये उनसे लिये। मैं उस अप्लीकेशन का इतना सा पोर्शन चार लाइन का सुनाना चाहता हूं....

"Respondent No. 2 has taken keen personal interest in getting the approval of a heavy amount for foreign tour recently to Mr. P. K. Banerjee, Chief Justice, Rajasthan High Court, besides granting Rs. 50,000 00, an additional amount to Shri P. K. Banerjee, from the Governor's Fund."

अब जिसको यह पता नहीं कि गवर्नर का फण्ड कितना होता है, गवर्नर के अधिकार कितने होते हैं, गवर्नर कितना पैसा खर्च कर सकता है, गवर्नर के पास डिस्क्रियेशनरी फण्ड होता है या नहीं, वह लिख दे 50 हजार रुपया अपने फण्ड से दे दिया, अप्लीकेशन देकर कहे तो मैं ऐसा समझता हूं, माननीय शिक्षा मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी, कि उसको सरकार कन्डेम करेगी यह तो निश्चित है। कन्डेम्नेशन के बाद यूनिवर्सिटी क्या एक्शन लेती है वह आप अपने रिप्रजेंटेटिव के थ्रू जिनका बहुमत है, आप उनको इंस्ट्रक्शन देकर इस आदमी का कोई सस्पेंशन या कोई ऐसा कुछ नहीं, इस आदमी की तो सर्विसेज टर्मिनेट करनी चाहिये और सर्विसेज टर्मिनेट करने के लिये कहें। तीसरा क्वश्चन परजूरी के लिये इस आदमी का प्रोसीक्यूशन गवर्नमेंट करायेगी, इसकी आपको रेस्पोंसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चौथा आप स्वायत्तता की डींग हांकते हैं और आपमें दम हो तो जो तारीख आपको बतायी. उस तारीख का पत्र आप इस सदन की मेज पर रख दें तो आपको भी पता लग जायेगा कि स्वायत्तता में किस प्रकार से आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा इस चर्चा को दूसरे क्षेत्र में नहीं ले जाना चाहता वरना यह भी कह सकता हूं कि हस्तक्षेप किस प्रकार का हो रहा है। किस प्रकार के हस्तक्षेप करने के लिये सरकार यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को समाप्त करना चाहती है। दो-तीन अखबारों में एडिटोरियल आये हैं मैं उनमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति वैध है या अवैध, मैं इस क्वेश्चन में नहीं जाना चाहता। चांसलर ने एपाइंटमेंट किया है। चांसलर एज गवर्नर बिहैव करते हैं और सुप्रीम कोर्ट और कोर्टस में कई मामले इस प्रकार के उलझन में पड़े हुए हैं कि independent of the advice of the Council of Ministers

काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी कोई वाद विवाद चल रहे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि चांसलर आज तक वाइस चाँसलर का एपाइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या विवाद है ? विवाद, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक संकेत देना पड़ेगा कि मुख्य मन्त्री जी और गवर्नर के बीच में है ···

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य····

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इसलिये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि बात पैदा क्यों हुई ? आखिर में स्थिति में कहीं न कहीं स्पष्टीकरण होगा। तीन महीने, दो महीने से लेकर क्यों बैठे हैं ? किसी व्यक्ति को वाइस चांसलर बनायें। यूनीथान को नहीं हटायें, किसी नये को लाना हो लाइये। लेकिन इस प्रकार का सस्पेंस क्यों क्रियेट कर रखा है। उसी सस्पेंस से यह सारी चीजें पैदा हो रही हैं। it is a slur on the Government, it is a slur on the Chief Minister, × × × and it is a slur on the Chief Justice of High Court.

**श्री अध्यक्ष** : गवर्नर के बारे में कहा है उसको एक्सपंज करता हूं। माननीय सदस्य····

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : गवर्नर का नाम उसमें आया है····

**श्री अध्यक्ष** : स्लर ऑन दी गवर्नर, मैं परमिट नहीं कर सकता माननीय सदस्य····

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं रख रहा हूं····

**श्री अध्यक्ष** : स्लर ऑन दी गवर्नर कहीं नहीं लगाया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : It is more than a slur. It is more than a slur.

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कृपया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : चार्ज मैं नहीं लगा रहा हूं····

**श्री अध्यक्ष** : आपने जहां स्लर ऑन दी गवर्नर अपने रेफरेंस में कहा है, स्लर ऑन दी चीफ मिनिस्टर, स्लर ऑन दी गवर्नर उसको मैं परमिट नहीं कर सकता। आप गवर्नर के बारे में न कहें। माननीय सदस्य, उसी पर मैंने कहा है····

**श्री बी. डी. कल्ला** : नियमों में ऐसा प्रावधान है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं। चांसलर के ऊपर, गवर्नर के ऊपर नहीं हुआ क्योंकि उस गवर्नर का नाम लेते ही आप एक्सपंज करेंगे लेकिन it is a slur on the Chancellor who happens to be the Governor of the State.

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आज इस तरह की एक घटना हो जाय और सरकार एडजार्नमेंट मोशन मूव करे। सरकार बिना

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एडजार्नमेंट मोशन मूव किये इस पर कोई सुओमोटो एक्शन नहीं ले सकती ? क्या जजमेंट की कापी हमें पहले मिल गयी और गवर्नमेंट को बाद में मिली। यह तो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वह अपने चीफ जस्टिस और गवर्नर की प्रेस्टिज की, जो स्टेट का हैड है, उसकी प्रेस्टिज बचाने के लिये सुओमोटो एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियेट होना चाहिये था। मजबूरी में हम मांग कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाय। यह सरकार की इनएफिशियेंसी नहीं है तो और क्या है ? क्या मुख्य मन्त्रीजी को समाचार पत्रों से जानकारी नहीं मिली कि इस प्रकार का जजमेंट हुआ है ? मुख्य मन्त्री के पास सब साधन हैं इमीडियेटली हाईकोर्ट से जजमेंट की कापी ली जा सकती है। गवर्नमेंट सायलेंट है और हम बोलें तब गवर्नमेंट की आंख खुले कि इस तरह का जजमेंट हो गया। जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है, एफीशियेण्ट नहीं है, जो उनकी प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जो हम को बचा नहीं सकती वह गवर्नमेण्ट न जनता को बचा सकती है, न आपकी और मेरी इज्जत को बचा सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी, इस मामले को आप छोटा नहीं समझें। मैं आज आपको कह दूं, कि मेरा और पन्त का कोई विरोध नहीं है। मैं कोई यूनिवर्सिटी में यूनीथान को अपॉइन्ट किया जाय या मेहरोत्रा को अपॉइन्ट किया जाय या जी.सी. पाण्डे को जिनके लिए आप पैरवी कर रहे हैं अपॉइन्ट किया जाय, मेरा इसमें कोई इण्ट्रेस्ट नहीं है। जिसका अपॉइन्टमैण्ट का अधिकार है वह इन्डिपेण्डेण्टली जो निर्णय लेगी और जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे उसी प्रकार की यूनिवर्सिटी का सहन करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप तो मौन बैठे हैं। और मौन बैठे हैं इसलिए मुझे यह सन्देह होता है कि इस सारी कार्यवाही के पीछे आपका हाथ है। यदि आपका हाथ नहीं होता तो आज तक इस पर लीगल एक्शन हो जाता, आज तक यूनिवर्सिटी की सिण्डीकेट बैठकर इस पर एक्शन ले लेती। लेकिन लगता है आपका हाथ है। आपके और चांसलर के बीच के अन्दर इस मामले में विवाद है। इस विवाद को यदि आप गलियों पर लाकर यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहते हो तो, मैं समझता हूं, राजस्थान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही राजस्थान की सरकार नहीं करे, इस सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मुख्य मन्त्री जी।

**श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री)** : अध्यक्ष महोदय, व्यर्थ ही बात विवाद पकड़े, इसकी अपेक्षा यह उचित समझता हूं कि मैं कुछ निवेदन कर दूं ताकि चीजें साफ हो जायं। बहुत कुछ इमेजिनरी बातें कही जा रही हैं इतनी इमेजिनरी कि जिसमें कुछ नहीं है और एक भूत खड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस हद तक बात सही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों में आपस में विभेद हैं। कुछ किसी को पसन्द करते हैं, कुछ किसी को पसन्द नहीं करते हैं। मगर यह समझना और मोटिव इम्प्यूट करना कि इस झगड़े में गवर्नमेण्ट कहीं कोई पार्टी है, यह हमारे साथ ज्यादती है। राजस्थान के

(श्री हरिदेव जोशी)

मुख्य मन्त्री होने के नाते मेरे पास में सब पक्ष के लोग आते हैं और सब पक्ष के लोग आते हैं तो मुझे उनको सुनना पड़ता है। मगर मैं अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंण्ट इसमें कहीं पार्टी नहीं है।

अब रह जाता है सवाल किसी एक रीडर का हाई कोर्ट तक पहुंचना और उसमें एफीडेविट गलत देकर गलत बात कहना, हैड ऑफ दी स्टेट को इन्वॉल्व करना और अपने इन्स्टीट्यूशन के हैड को भी इन्वॉल्व करना, मैं कैटेगरीकली कहता हूं कि मैं इस बात को अनुचित समझता हूं। मैं उसको एप्रूव नहीं करता। मैं इस प्रकार की भावनाओं को सब्स्क्राइब भी नहीं करता। मैं आज यहां पर देरी से पहुंचा हूं इसका मुख्य कारण यह है कि I had a long drawn talk with the Vice Chancellor today this morning. इस बारे में।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : And I am sure you are well briefed.

**श्री हरिदेव जोशी** : By the Vice Chancellor. मैंने अपनी तहं कोशिश करके इस जजमैण्ट को देखा है, इसको समझने की कोशिश की है यूनिवर्सिटी क्या एक्शन ले सकती है, इसको भी मैंने समझने की कोशिश की है। मेरी लम्बी बात एडवोकेट जनरल से हुई आज सवेरे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम इस डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं लाइफ के अन्दर, उनको इरोड करना चाहते हैं। मैं अपनी बाबत कहना चाहूंगा कि I am here to maintain those norms, not to erode them. और, अध्यक्ष महोदय, कोई भी इनको कमजोर करने की कोशिश करेगा मैं उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। मुझे अत्यन्त खेद है कि विरोधी दल के नेता की हैसियत के व्यक्ति ने चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में किसी विभेद की बात कही है। I swear & Say कि राजस्थान के गवर्नर और मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं है किसी भी क्षेत्र में। उन्होंने किसी मसले के ऊपर मुझ से राय मांगी हो, अब मेरा विचार किसी मामले में अमुक प्रकार का है, मैंने वह कह दिया हो उसके बाद में कहीं न तो आग्रह किया है, कहीं कोई वो नहीं, न कोई विवाद है। भैरोंसिह जी, एक बात आप समझ लीजिए, I am adviser of the Governor. गवर्नर अगर हैड ऑफ दी स्टेट है तो चीफ मिनिस्टर उनका एडवाइजर है। मुझ से अगर गवर्नर एज हैड ऑफ द स्टेट किसी मसले के ऊपर....

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : चांसलर के नाते आप उनके एडवाइजर हैं ?

**श्री हरिदेव जोशी** : मैंने गवर्नर कहा है, मैं चांसलर नहीं कह रहा हूं। गवर्नर मुझ से अगर कोई सलाह मांगता है तो मेरा यह धर्म है कि जो मैं ठीक समझता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिवली और एथिकली, उनको मैं वह राय दूं। कानून के तहत वह मेरी राय को मानें, न मानें या अपनी राय को लेवें उसमें मुझे कोई गिला नहीं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं कहना चाहता हूं, गवर्नर उम्र में मुझ से बड़े होंगे। जब वे बड़े हैं तो मैं यह समझकर भी चलता हूं कि उनकी राय कभी

(श्री हरिदेव जोशी)

भी शासन के हितों के प्रतिकूल नहीं होगी। मुझे किसी दिन ऐसा लगा कि हैड ऑफ दी स्टेट की राय प्रशासन के हित में नहीं है तो मुझे उनको कहने में कतई संकोच नहीं होगा। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं। मगर आज ऐसा कोई प्रश्न है नहीं जिसको अपने यहां पर कहें। हमको अपने आपको रोकना चाहिए इस प्रकार की चर्चा से क्योंकि इससे अहित हो जायेगा।

रहा सवाल इसका, शिक्षा मन्त्री जी को मालूम नहीं है क्योंकि मैं उनको कह नहीं सका हूं। मेरी मिस्टर यूनीथान से आज काफी लम्बी बात हुई। उन्होंने मुझे कई डॉक्युमैण्ट भी बताये हैं. कई बातें कही हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में शायद पहली मीटिंग हुई है।

रहा सवाल एडवोकेट जनरल का, लॉ सैक्रेटरी तो हैं नहीं आज की तारीख में, इसलिए मैं कोई ओपीनियन ले सकता हूं तो एडवोकेट जनरल से ही ले सकता हूं, उनको भी मैंने कन्सल्ट किया है और उनकी भी राय मैंने ली है। इसलिए मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को यहीं समाप्त कर दिया जाय। सिण्डीकेट को जो करना है, सिण्डीके करे मैं जो भी सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दे सकता हूं मैं उस सपोर्ट को दूंगा, यह मैं कह सकता हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : लैटर के बारे में तो कहो।

**श्री हरिदेव जोशी** : Please don't compel to say anything. छोड़िये।

**परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण**
**(आय व्ययक) 1985-86**

**श्री अध्यक्ष** : परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण। मांग संख्या 39 पशु-पालन एवं चिकित्सा पर विचार। मन्त्री महोदय।

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 पशु-पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,48,51,000 रुपए (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख इक्यावन हजार रुपए) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

**मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :**

1. पशुचिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समान वेतन श्रृंखला नहीं देने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये :—

**श्री रेवतराम (डूंगरगढ़) :**

**श्री रामदेव (मूंडवा) :**

**श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :**

2. पशुपालकों के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नये चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) :**

3. पशुओं को बिमारियों से बचाने के लिये पशुचिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

4. पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :**

5. जयपुर के पशु-अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

**श्री शिवचरणसिंह (करौली) :**

6. करौली हॉस्पिटल में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की व्यवस्था तत्काल कराई जाने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री रामसिंह (लूणी) :**

7. ऊंटों-भेड़ों की बिमारी के टीकों की निःशुल्क व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

**श्री रमजान खां (पुष्कर) :**

8. पुष्कर बिधान सभा क्षेत्र में नये पशु औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :**

9. जिला बांसवाड़ा के माही डेम के अन्तर्गत आने वाली समितियों के सदस्यों को समय पर जाल व नावें उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

10. राज्य सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा में पशुधन सहायकों को ट्रेनिंग देकर नौकरी पर नहीं लेने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :**

11. माण्डल क्षेत्र में पशुओं में फैली बिमारियों को समय पर रोकथाम करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

12. माण्डल क्षेत्र में पशु चिकित्सा की असुविधा पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :**

13. राजस्थान में पशु चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिये।

14. जयपुर जिले की तहसील जमुवा रामगढ़ के ग्राम नायला, साईपुरा, भानपुर कलां, जयसिंहपुरा खोर में पशु चिकित्सालयों के अभाव से पशुओं में हो रही अकाल मृत्यु पर चर्चा के लिये।

**श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :**

15. ग्राम सीलनवाड, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में दानदाताओं द्वारा भवन बनाकर देने के बाद भी पशु चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

16. पशु चिकित्सालय लाडनूं के डाक्टर इन्चार्ज को राजनैतिक आधार पर

(श्री हरजीराम बुरडक)

लम्बे समय से लाडनूं में ही रखने पर चर्चा के लिये।

17. ग्राम मीठड़ी तहसील लाडनूं, जिला नागौर में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

18. गुलाबपुरा में स्वीकृत पशु चिकित्सालय में आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज (सूरतगढ़) :

19. श्री बिजयनगर में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अश्कअली टाक (फतेहपुर) :

20. फतेहपुर क्षेत्र तथा राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए पशुपालन के लिये विशेष चरागाहों की स्थापना करने पर चर्चा के लिये।

21. रेगिस्तानी क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा पर अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल) :

22. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में ग्राम-इस्माइलपुर में पशु-चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

23. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सब-सेन्टर, क्रमोन्नत सब. सेन्टरों में नर्स व अन्य स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है पर चर्चा के लिये।

श्री जयकिशन (दूदू)

24. पशुपालन विभाग में दवाईयों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. पशु पालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) :

26. चौमूं क्षेत्र के ग्राम हस्तेड़ा में पशु औषधालय भवन के विस्तार की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

27. चौमूं क्षेत्र में पशु चिकित्सा औषधालयों में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं होने से पशुधन को भारी हानि पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

28. सांचौर, जिला जालौर की कांकरेज पशु नस्ल सुधार हेतु विलेज स्कीम लागू करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

29. सांचोर की पशु चल चिकित्सा इकाई की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

30. तहसील सांचौर में पर्याप्त पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

31. सांचोर मोबाइल डिस्पेन्सरी में जीप गाड़ी के अभाव में कार्यरत ड्राईवर की सेवाओं का अन्यत्र उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. रानीवाड़ा आहडल डेयरी बन्द पड़ी रहने से डेयरी फेडरेशन को सहायतार्थ अनुदान राशि दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल (हिण्डौली) :

33. बून्दी जिले के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

34. पशु चिकित्सालय पाटन (नीम का थाना) में दवाईयां उपलब्ध नहीं होने से पशुपालकों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

35. पशु चिकित्सालय श्री माधोपुर में भवन के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

36. पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से पशुधन के हो रहे ह्रास पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी (लालसोट) :

37. मण्डावरी, विर्लाना व खटूम्बर पंचायतों में पशु चिकित्सालय के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह (बहरोड़) :

38. विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डूमरोली, अनन्तपुरा तथा नांगल खोडिया में नवीन पशु औषधालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भूदरमल (दौसा) :

39. ग्राम खवा, मलवास तथा पिलवा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पतसिंह (नगर) :

40. डीग नगर एवं सीकरी के पशु चिकित्सालयों में दवाईयों की कमी एवं डाक्टरों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल (केशवराय पाटन) :

41. केशवराय पाटन तहसील में जैथल ग्राम में पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री किरोड़ीलाल (महुआ) :

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :

42. डेयरी के दूध के समुचित रख-रखाव के अभाव में जनता को हो रही असुविधा पर भी डेयरी फेडरेशन को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री फूलचन्द)

43. मत्स्य उद्योग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

44. राज्य में प्रायोजित पशु मेलों में विभाग द्वारा फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम पर चर्चा के लिये ।

45. पशुओं के लिये अनिवार्य बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. पशुओं के विकास हेतु ग्राम आधार योजना समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

47. पशु चिकित्सा विशेषज्ञों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये ।

48. राज्य दुग्ध निगम के कर्मचारियों की भर्ती करने में मनमानी करने पर इसे दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

49. विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये ।

50 कुक्कट पालकों को फार्म द्वारा सही समय पर चूजे उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

51. डेयरी विकास हेतु पशु चिकित्सा चल इकाईयों की प्रदेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

52. राजस्थान में ऊन की रंगाई व सफाई के कारखानों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

53. राजस्थान पशुपालन तकनीकी कर्मचारी संघ को दिये गये आश्वासनों की विभाग द्वारा क्रियान्विति न किये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

54. ग्रामीण क्षेत्र जमुवारामगढ़ के पशु चिकित्सालय में पशुओं की बीमारी की रोकथाम हेतु दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये ।

55. नये पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री किरोड़ी लाल (महुआ) :

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

श्री फूल चन्द (नीमकाथाना) :

56. कुक्कट पालकों द्वारा फार्मों में पैदा होने वाले चूजों की विक्रय व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये ।

57. पशुओं की नस्ल सुधार योजना की उपेक्षा से राज्य में अच्छे पशुओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल (केशवराय पाटन) :

58. केशवराय पाटन के कापरेन पशु चिकित्सालय में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मुलतानाराम (जैसलमेर) :

(१०५)



(श्री मुलतानाराम)

59. जैसलमेर जिले में मोहनगढ़, रामगढ़, नाचना एवं सम में जर्सी (गाय) नस्ल के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

60. जैसलमेर में खुहमाला एवं तेजपाला गांवों में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

61. जालौर जिले की आहोर तहसील में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

62. पशु चिकित्सालयों की अपर्याप्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

63. झुन्झुनूं जिले में पशु चिकित्सा केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये ।।

64. झुन्झुनूं एवं सीकर अस्पताल में पागल कुत्तों द्वारा काटे गये पशुओं को लगाये जाने वाले इंजेक्शन उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये ।

65. झुन्झुनूं जिले के पशु चिकित्सालयों में दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

66. पशु चिकित्सा हेतु चलाई गई 'की-विलेज-स्कीम' समाप्त करने से नसीराबाद क्षेत्र में पशु चिकित्सालय की कमी हो जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री किरोड़ी लाल (महुआ) :

श्री फूल चन्द (नीमकाथाना)

67. किसानों को मुर्गी पालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. भेड़ ऊन विकास पर व्यय की गई राशि का मूल्यांकन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री थान सिंह (सलूम्बर) :

69. सलूम्बर क्षेत्र में पशुओं के विकास एवं पशु चिकित्सा सुविधा हेतु ग्राम आधार योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

70. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भिवाना में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

71. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा की सीमा से आने वाले रुग्ण पशुधन से पशुओं में फैल रहे रोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

72. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हाढ़ी बावल की आबादी 8000 होने

(श्री जगमालसिंह यादव)

पर भी पशु चिकित्सालय न खोले जाने पर चर्चा के लिये।

73. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के दस हजार आबादी वाले ग्राम ईशरोहा में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टपूकड़ा व कोटकासिम में पशु प्रजनन केन्द्र में प्रजनन सम्बन्धी व्यवस्था उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

75. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के, ग्राम भिवाणा में पशु चिकित्सालय खोलकर सरकार द्वारा मापदण्डों की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

76. झुन्झुनू जिले से भेड़ ऊन विभाग का कार्यालय टूटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. नवलगढ़ क्षेत्र में पशुधन विकास हेतु ग्रामीण आधार योजना (की-विलेज-स्कीम) लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम (टी. बी.) :

78. रावतसर मुख्य ग्राम आधार योजना में जो सरकारी सांड हैं उनकी अच्छी देखरेख, चराई-पिलाई न करने से पशुओं की गिरती हालत पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

79. प्रति 4 हजार पशु संख्या पर 1 पशु-चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. पशु चिकित्सकों का वेतनमान जन-चिकित्सकों के समान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

81. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों पार्यासरा, श्यामगढ़, बराल एवं राजपुरा के मध्य पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कासोड़ा में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. डेयरी विकास कार्यक्रमों को और विकसित करने एवं सीकर जिले में डेयरी विकास के प्रति सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

84. सीकर जिले में मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय को "अ" श्रेणी में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश (खानपुर) :

85. झालावाड़ एवं कोटा जिले में भीषण गर्मी से पशुओं में व्याप्त बिमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. ग्रामीण पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा के लिए आधुनिक औजार एवं साधन

(श्री हरीश)

उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

87. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री हेमाराम चौधरी** (गुढामालानी) :

88. बाड़मेर जिले में पशुपालन विभाग में डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) :

89. उदयपुर जिले में बेफ-योजना की क्रियान्विति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव कूठवा में प्रारम्भ पशु चिकित्सालय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव गुड़ा, नमाना तथा सालोर में पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) :

92. ग्राम आधार योजनाएं तथा पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

**श्री हरि मोहन शर्मा** (बूंदी) :

93. बून्दी विधान सभा क्षेत्र के गांव नमाना में पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मुक्ति लाल** (कोटपूतली) :

94. पशुधन कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री भंवरलाल** (हवामहल) :

95. पुरानी बस्ती में नाहरगढ़ पहाड़ी की तलहटी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

**श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) :

96. कुम्हेर क्षेत्र में इस वर्ष कोई भी पशु चिकित्सालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

**श्री चन्द्र शेखर** (खैरथल) :

97. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में ग्राम जटियाना, मीरका बसई, इस्माइलपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) :

98. राजस्थान की राजधानी जयपुर में पशु हटवाड़े में प्रशासनिक अव्यवस्था एवं ठेकेदारों द्वारा मनमानी तरीके से लूट से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

99. पशुओं को पौष्टिक आहार व चारा उपलब्ध कराने हेतु उन्नत चारागाहों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

100. जयपुर जिले के ग्राम तूंगा एवं झोपदा पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) :

101. पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने में राज्य सरकार की अक्षमता पर चर्चा के लिये ।

102. पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समान वेतन देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

103. जिला जालौर में काकरेज नस्ल का केटल ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

104. सांचोर में काकरेज नस्ल सुधार हेतु की-विलेज-स्कीम स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

105. तहसील सांचोर में सरणाय, अरणाय, चीतलवाना, डूठवा, सूंतड़ी आदि स्थानों पर पशु चिकित्सा व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) :

106. पशुओं में फैलने वाली बिमारियों की दवाईयां पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्संरीज में उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

107. मुंडावर क्षेत्र में पशु संख्या को देखते हुए पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

108. पशुओं में मौसम विशेष में फैलने वाली बिमारियों का अन्वेषण एवं निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

109. अच्छी नस्ल के पशु पालन की समुचित व्यवस्था के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

110. पशु पालन विभाग के डाक्टरों के वेतनमान मानव चिकित्सालय के डाक्टरों के समान करने पर चर्चा के लिये ।

111. पशुपालन विभाग में लम्बे समय से पदोन्नति न होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

112. पशुपालन विभाग में तकनीकी (टेक्निकल) व्यक्ति को निदेशक के पद पर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भंवरा राम (डीडवाना) :

113. राज्य में तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत पशु चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र के अलग-अलग भागों में पद-

(108)



(श्री भंवरा राम)

स्थापित कर उनकी सेवाओं का पशु-पालकों को विस्तृत लाभ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामधन** (राजगढ़) :

114. राजगढ़ (अलवर) विधान सभा क्षेत्र में पिनान, कोलपुर खेड़ा, मजेड़ा, नाथलवाड़ा, बहाली, पाटन में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री कमला भाई** (लसाडिया):

115. जिला उदयपुर में पशु चिकित्सा की व्यवस्था हर पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**कुमारी गिरिजा व्यास** (उदयपुर) :

116. पशु चिकित्सकों की वेतन विसंगति पर चर्चा के लिये ।

**श्री भेरूलाल मीणा** (सराड़ा) :

117. पशु चिकित्सालय में पूरा इलाज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

118. जिला उदयपुर के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

119. जिला उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलकर पशुधन के हो रहे ह्रास को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री पोकरलाल परिहार** (देसूरी) :

120. पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) :

121. उत्तम पशुपालन रखरखाव के लिए अधिक से अधिक ऋण सुविधायें एवं अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री मूलचन्द** (टोडाभीम) :

122. सवाई माधोपुर में पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) :

123. पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

124. राज्य भर में पशुओं की नकली दवाओं की रोकथाम में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

125. राज्य भर में पशु पालन विभाग के स्थान-स्थान पर जो वाहन खराब एव अनुपयोगी पड़े हुए हैं उन्हें ठीक करवाने तथा बेचने पर चर्चा के लिये ।

126. राज्य के पशु पालन विभाग में फर्नीचर एव उपकरणों आदि की खरीद में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अनियमितताएं बरतने पर चर्चा के लिये।

127. पशु चिकित्सकों के वेतनमानों में वृद्धि की जाने हेतु चर्चा के लिये।

128. कोटा जिले में पशु पालन चिकित्सालय की चल इकाई प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

129. कोटा जिले में पशु चिकित्सा कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विरदमल (जोधपुर) :

130. पशु चिकित्सालयों में भेड़ों के लिये मुफ्त दवाईयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. रानीवाड़ा डेयरी के बन्द होने से उस क्षेत्र की मवेशी की निकासी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

132. विदेशों (प० जर्मनी) से गायों की खरीद पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

133. राजस्थान में भेड़ व ऊन विकास में किसी प्रकार की प्रगति न होने पर चर्चा के लिये।

134. राजस्थान में पशु चिकित्सालयों व अस्पतालों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

135. जिला बीकानेर की तहसील नोखा के ग्राम सादूना में दवाओं एवं पशु उपचार का प्रबन्ध करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

136. बीकानेर जिले की नोखा तहसील के ग्राम सादासर में पशुधन अधिक होते हुए भी वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने एवं दवाओं का प्रबन्ध करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

137. बीकानेर जिले की नोखा तहसील के ग्राम कक्क में पशुधन अधिक होते हुए भी वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

138. बीकानेर जिले की नोखा तहसील के ग्राम देसलसर में दवाओं के अभाव में पशु बीमार हो रहे हैं दवाओं का प्रबन्ध करवाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

139. बीकानेर जिले की नोखा तहसील के ग्राम अणखिसर पंचायत मुख्यालय होने पर भी पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

140. बीकानेर जिले के नोखा तहसील की पंचायत मुख्यालय गजरूप देसर में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बीकानेर जिले की नोखा तहसील के गांव सूरपुरा में पशु चिकित्सालय खोलने

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

142. बीकानेर जिले के नोखा तहसील के गांव पांचू के पशु चिकित्सालय में दवाओं के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

143. नोखा तहसील के जसरासर गांव में पशु चिकित्सालय में दवाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

144. बीकानेर जिले के समस्त गांवों के लिए पशु चल चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

145. बीकानेर जिले के दातोर गांव में पशु चिकित्सालय में स्टाफ व दवाओं के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

146. बीकानेर जिले के खाजूवाला पशु चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में दवाओं व स्टाफ की समुचित व्यवस्था कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

147. राज्य के समस्त पशु चिकित्सालयों में दवाई उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

248. बीकानेर जिले के नोखा तहसील के गांव बधाला में पशुधन अधिक होने के बावजूद वहां पर पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

149. बीकानेर जिले के बल्लर ग्राम में पशुधन अधिक होने पर भी पशु चिकित्सालय नहीं खोलने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

150. बीकानेर जिले के नोखा तहसील के ग्राम सिजगुरू में पशुधन अधिक होने से पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. जिला बीकानेर की तहसील नोखा के ग्राम वेगला में पशुधन अधिक होते हुए भी पशुधन चिकित्सालय खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

152. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पशुधन अधिक होने के बावजूद वहां पर चल पशु चिकित्सालय खोलने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

153. राजस्थान मुख्य नहर के पास वाटर लॉगिंग क्षेत्र में मत्स्य पालन उत्पादन हेतु निलामी का मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

154. जिला बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में सुर्रारोग नियन्त्रण में विभाग की निष्क्रियता से हजारों ऊंटों के मरने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

155. पश्चिमी राजस्थान में गाय, भैंस, ऊंट, बकरी के नस्ल सुधार में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

156. पश्चिमी राजस्थान में पशु मेलों में विभाग द्वारा अपेक्षित प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. मुर्गी रोग जांच एवं दाना विश्लेषण प्रयोगशाला का मुर्गी पालकों की जानकारी देने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

158. पश्चिमी राजस्थान के जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू करने में विभाग की पूर्णतया निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

159. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व तहसील बीकानेर में बकरी प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

160. जिला बीकानेर तहसील कोलायत में लघु तथा सीमावर्ती किसान एवं कृषि मजदूरों को अप्रसूता संकरण बछड़ों की योजना हेतु सहायता उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

161. जिला बीकानेर तहसील कोलायत में लघु तथा सीमावर्ती किसान और कृषि मजदूर योजना के अन्तर्गत कुक्कट, सूअर एवं भेड़ उत्पादन कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये।

162. जिला बीकानेर में मुर्गी पालन विकास कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

163. राजस्थान नहर क्षेत्र में मछली उत्पादकों को विशेष अनुदान राशि बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

164. जिला बीकानेर की राठी नस्ल गायों की नस्ल सुधारने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

165. प्रदेश में चारा-दाना विकास का पशुपालकों को फायदा न देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

166. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत, बीकानेर व लूनकरणसर में विशिष्ट पशु रोगों पर पूर्ण नियन्त्रण न कर पाने से विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

167. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में पशु पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती गांवों को लाभान्वित करने पर चर्चा के लिये।

168. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण में जलाशय मछली विकास कार्यक्रम हेतु विस्तृत क्षेत्र शीघ्र लागू करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

169. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र व अन्य क्षेत्र में मछली उत्पादकों को मछली बीज उत्पादन में बीज का सही वर्गीकरण कर वितरण न करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

170. जिला बीकानेर तहसील कोलायत में पशुधन क्षेत्र अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

171. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्रामों में पशु चिकित्सालय सेवा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. जिला बीकानेर तहसील कोलायत में पशु माता सुरक्षा एवं संक्रामक टीका कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता व राहत न पहुंचाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

173. बीकानेर व सीमावर्ती क्षेत्र बरसलपुर बीकमपुर में ऊंट, गाय, भेड़ों की नस्लों की महत्ता को देखते हुए राज्य-स्तरीय पशु मेलों का आयोजन करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

174. मगरा व चौखला में भेड़ों की नस्ल सुधार करने हेतु बीकानेर तहसील के ग्राम कोलायत में ग्राम आधार योजना केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार गौ इकाई के आधार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

176. जिला बीकानेर की कोलायत तहसील में चल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

177. जिला बीकानेर के कोलायत तहसील में गोट फार्म स्थापित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

178. जिला बीकानेर में नवम्बर, 198 में शीत लहर से मृत गायों के मालिकों को मुआवजा न देने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

179. जिला बीकानेर तहसील कोलायत में पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं में आवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये।

180. जिला बीकानेर एवं जैसलमेर में पशु चिकित्सा अनुसंधान में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

181. पशु चिकित्सा अनुसन्धान के निष्कर्ष व आंकड़े ग्राम जनता में पहुंचाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

182. जिला बीकानेर के ग्रामीण अंचल में मुर्गी पालन विकास के प्रचार एवं प्रसार में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

183. जिला बीकानेर में बज्जू व छतरगढ़ दूध अवशीतन केन्द्र शुरू करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

184. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में उरमूल डेयरी के माध्यम से सड़क निर्माण में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

185. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में विश्व खाद्य

(श्री देवीसिंह भाटी)

कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर शाखा, वितरिका व माईनर के किनारे पर पशुओं को पेयजल सुविधा हेतु खेलियों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. जिला गंगानगर के घग्घर चैनल में मछली ठेकों की नीलामी में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनसिंह (रानीवाड़ा)

187. डी.गांव में पशु चिकित्सालय के खोलने से पास के बड़े गांव करड़ा के लोगों में असन्तोष होने के विषय में चर्चा के लिये।

188. जालोर जिले में पशु पालकों को आधुनिक जानकारी उपलब्ध न होने एव पशु चिकित्सालयों की कमी से पशुधन की घटती जा रही नस्ल के विषय में चर्चा के लिये।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

189. राज्य में पशु चिकित्सालयों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)

190. राज्य पशु चिकित्सालयों को पंचायत समितियों से अलग किया जाकर उन्हें विभाग के अधीन स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये।

191. पशु चिकित्सकों को भी अन्य चिकित्सकों जैसे प्राईवेट प्रेक्टीस न करने देने व उनका वेतनमान समान करने पर चर्चा के लिये।

192. राज्य में मत्स्य जलाशयों के ठेके समय पर न देने से राज्य की आय को हुये नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ीमल (महुआ)

193. जिला सवाई माधोपुर के महुआ विधान सभा क्षेत्र में पशुओं में रोग फैल जाने पर भी चिकित्सा सुविधायें कम होने पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

194. मांडल के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक का पद कम करने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

195. मांडल में पशु चिकित्सालय के लिये भवन की उचित व्यवस्था कराने की चर्चा के लिये।

196. पशु पालन विभाग में हुये स्थानान्तरणों में अनियमितता की चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग)

197. डीग क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

198. डीग क्षेत्र में पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम को लागू न किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) :

(118)



**(श्री हेमाराम चौधरी)**

199. पशु पालन विभाग में दवाईयों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

200. वेटेरनरी डाक्टर का एक ही विभाग के अधीन रखे जाने एवं एक स्थान पर एक से अधिक डाक्टर नहीं रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

201. भेड़ व ऊन विभाग को पशुपालन विभाग का एक ही विभाग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) :

**श्री प्रभुदयाल** (सिकराय) :

**श्री परसादीलाल** (लालसोट) :

**श्री जयनारायण बैरवा** (फागी) :

202. जयपुर जिले की पंचायत समिति फागी, चाकसू, दौसा लालसोट सिकराय एवं बस्सी में पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने हेतु नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

203. भेड़-ऊन प्रसार केन्द्र बस्सी, फागी, लालसोट एवं सिकराय में स्थापित कर भेड़ पालकों को सुविधा सुलभ कराये जाने के सदर्भ में चर्चा के लिये ।

204. जयपुर जिले की पंचायत समिति सिकराय, लालसोट बांदीकुई, दौसा, बस्सी एवं फागी में पशुओं को पोष्टिक चारा उपलब्ध कराने हेतु उन्नत विकास के लिये विशेष योजना बनाने के सदर्भ में चर्चा के लिये ।

**श्री हंसराज** (सूरतगढ़) :

205. सूरतगढ़ अनूपगढ़ क्षेत्र के पशुओं के इलाज की कोई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्री कल्याणसिंह** (डेगाना) :

206. पश्चिमी राजस्थान में पशु पालन नस्ल सुधार प्रजनन एवं चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

**श्री माणकचन्द डागी** (ब्यावर) :

207. भेड़ों की कटाई रोकने एवं गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

**श्री भंवरलाल** (हवामहल) :

209. जलमहल, जयपुर में शुष्क मत्स्य पालन योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

209. जमुवारामगढ़ के बन्धे के पानी के रिसाव वाले क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन हेतु विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

210. जयपुर के जयनिवास उद्यान के पास स्थित तालकटोरा जलाशय मत्स्य उत्पादन हेतु योजना बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) :

211. कोटा स्थित पशु चिकित्सालय में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

व्याप्त अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

212. जनजाति क्षेत्र में अच्छी नस्ल के देशी व जर्सी सांड उपलब्ध नहीं कराने से घटिया किस्म के पशु धन के पनपने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

213. जिला बांसवाड़ा के आदिवासी गाँवों में पशुओं की बीमारी की रोकथाम समय पर नहीं करने से पशु धन के लुप्त होने पर चर्चा के लिये।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर)

214. उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बीकानेर (उर्मूल) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को लिये जाने वाले मूल्य की नीति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराडा) :

215. मत्स्य उद्योग उदयपुर में जनजाति विकास निगम द्वारा जयसमंद में पकड़ी जाने वाली मछलियों को गलत लोगों को देकर आदिवासियों की आड़ में नाजायज लाभ उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 39 पर विचार**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हेमाराम चौधरी।

**श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन, जो कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों और पशु पालकों का एक आर्थिक ढांचा है. के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में प्राय: हर वर्ष अकाल की छाया छायी रहती है जिसके कारण हमारा वहां का पशुधन प्रभावित होता है। अकाल के समय में वहां के पशुधन को बचाने के लिये इस पशु पालन विभाग के पास कोई किसी तरह की धनराशि का बजट में प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अकाल के मद से पशुधन को बचाने के लिये अकाल के समय में कुछ व्यवस्था की जाती है परन्तु वह व्यवस्था बिलकुल नहीं के बराबर होती है। एक तरह से "ऊंट के मुंह में जीरा" की बात है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में किसानों और पशुपालकों का यही एक आर्थिक स्रोत है और यदि सरकार ने इसको बचाने के लिये कोई कारगर कदम अकाल के समय में नहीं उठाये और इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की तो यह हमारा पशुधन है, धीरे-धीरे लगातार पड़ने वाले अकाल के कारण समाप्त हो जायेगा और हमारे पशुपालकों और किसानों की आर्थिक स्थिति बिलकुल ही चरमरा जायेगी और किसान इसको आगे कभी भी पशुधन कायम नहीं कर पायेंगे। इसका एक तरह से व्यवसाय समाप्त हो जायेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के समय में पशुधन को बचाने के लिये, उनके पीने के पानी की और चारे की माकूल व्यवस्था के लिये पशुपालन विभाग भी कुछ व्यवस्था करे और बजट में इसका प्रावधान करें।

अध्यक्ष महोदय, मनुष्यों के लिये तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

पीने के पानी की योजनायें बनाई जाती हैं लेकिन पशुओं के लिये न तो पीने के पानी की कोई योजना पशुपालन विभाग की तरफ से बनाई जाती है न पशुओं के चारे के लिये, चरागाह के विकास के लिये कोई विशेष व्यवस्था

(म. प. 2–43)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

की जा रही है। इसके लिये बजट में भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसलिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस तरफ विशेष ध्यान दें। अकाल के कारण खेती बिलकुल नहीं हो पाती है लेकिन पशुधन को बचाने के लिये अकाल के समय में चारे और पानी की व्यवस्था की जाय तो यह पशुधन बच सकता है नहीं तो अकाल के समय में लोगों के पशु चारे और पानी के अभाव में मर जाते हैं और जिससे हमारा यह पशुधन निरन्तर समाप्त होता जा रहा है।

इसलिये, सभापति महोदया, यह बहुत ही आवश्यक है कि इसके लिये विशेष प्रावधान इस बजट में किया जाय और पशुपालन विभाग ही इसके लिये प्रबन्ध करे। क्योंकि अकाल के मद से इसके लिये विशेष माकूल व्यवस्था नहीं हो पाती है जिसके कारण हमारे पशु पालकों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने "फसल बीमा योजना का प्रावधान बजट में किया है और इसको लागू करने का निर्णय लिया है उसी तरह से "पशु बीमा योजना" भी अनिवार्य रूप से लागू की जाय जिससे कि कोई भयंकर महामारी के कारण या अकाल के कारण पशुओं की बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाय उस स्थिति में उस पशुपालक को उसका कुछ पैसा मिल सके जिससे कि वह अपना व्यवसाय कायम कर सकें। अन्यथा कोई भयंकर महामारी के कारण या अकाल के कारण चारे और पानी की माकूल व्यवस्था न होने के कारण पशु पालकों के सारे मवेशी या पशुधन मर जाते हैं, वह निःसहाय हो जाते हैं, उनका धंधा समाप्त हो जाता है और चौपट हो जाता है। उसके बाद में उसके पास कोई दूसरा धंधा नहीं रहता है जिससे कि वह कार्य करके अपना पालन-पोषण कर सके। सभापति महोदया, इसलिये मैं विशेष रूप से मन्त्रीजी से यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस तरफ विशेष पहल करें। मन्त्री महोदय, आप स्वयं भी पशुपालक हैं इसलिये मैं समझता हूं कि जिस तरह से मनुष्यों का बीमा होता है, फसल का बीमा भी करने का सरकार ने निर्णय लिया है उसी तरह से पशुओं का बीमा होना भी आवश्यक है। क्योंकि ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जो पैसा ऊँट, गाय-भैंस या बैल जो भी खरीदते हैं उसका बीमा अवश्य होता है लेकिन उसके लिये, सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पशुपालन विभाग के डाक्टर्स वगैरह नहीं होने की वजह से उनका समय पर मेडिकल मुआयना नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

होता है, पोस्ट मार्टम नहीं होता है जिसके कारण बीमा वाले कोई डाक्टरी प्रमाण-पत्र नहीं होने के कारण उसको नहीं मानते हैं और पशु की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी उसका कोई क्लेम पशुपालक को नहीं मिलता है। इसलिये इसके लिये भी मैं यह चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोले जायं और वहां पर खोले ही नहीं जायं बल्कि वहां पर डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स आदि का जो भी स्टाफ है उसको लगाया जाय जिससे कि वहां के पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशु खरीदते हैं और जो बीमा योजना का प्रावधान उनके लिये किया गया है उसका लाभ भी उन लोगों को मिल सके वरना पशु बीमा योजना के लाभ से वह वंचित रह जायेंगे।

सभापति महोदया, मैं बाड़मेर जिले के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। बाड़मेर जिले में राज्य सरकार ने पशु स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र इत्यादि खोले हैं लेकिन उनमें 70 पर्सेन्ट से भी ज्यादा पद आज भी खाली पड़े हैं। सभापति महोदया, पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के बाद वहां पर डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स की एक तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो उसका लाभ पशुपालकों को मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिये आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पशु स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र आदि खोलने का निर्णय ले लिया है और खोले भी हैं, तो उनमें आप चाहें किसी भी तरह से व्यवस्था करें। आपके पास में स्टाफ नहीं है, आपके पास डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स नहीं तो उनको ट्रेनिंग दें, आगे से इस तरह की व्यवस्था करें जिससे कि स्टाफ पूरा हो आपके पास वहां पर, नहीं तो, सभापति महोदया, होता क्या है, जितनी पोस्टें होती हैं उनके अनुपात में ट्रेंड स्टाफ होता नहीं और जो होता है वह अपनी अच्छी जगहों पर रहना चाहते है पूर्वी राजस्थान में, जयपुर और इसके आस-पास में वह लग जाते हैं और बाड़मेर जाना कोई पसन्द नहीं करता. इसलिये अधिकांश पद, 70 पर्सेन्ट से अधिक पद खाली पड़े हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी जब जवाब देंगे तब बतायेंगे कि बाड़मेर में कितने डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स के पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने आज भी खाली पड़े हैं तब इससे स्पष्ट हो जायेगा कि 70 पर्सेन्ट तक पद खाली पड़े हैं।

सभापति महोदया, इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले मेडिकल में वहां पर कम्पाउन्डर्स बिलकुल नहीं थे तब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बाड़मेर के अन्दर ही मेल नर्स ट्रेनिंग सेन्टर खोला जाय जिससे वहां के लोग ट्रेनिंग में भर्ती होने लगें और वहां पर बहुत सारे लोग ट्रेन्ड हुये, इससे काफी मेडिकल साइड में समस्या कम हो रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस मामले में भी बाड़मेर में इस तरह के ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायं जिससे कि कम्पाउन्डर्स तैयार हों, डाक्टर्स तैयार हों हमारे पश्चिमी राजस्थान में, सभापति महोदया, जब हम पढ़ते थे उस समय किताबों में उस समय लिखा

(श्री हेमाराम चौधरी)

होता था मालानी के घोड़े, नागौर के बैल, साँचोर की गायें प्रसिद्ध थी पशुधन के हिसाब से। अब सवाल है पश्चिमी राजस्थान का जितना बड़ा भाग उतना आपको मिलेगा नहीं, पशुधन है वह सारा पश्चिमी राजस्थान में है और पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों और किसानों की आर्थिक स्थिति इससे प्रभावित होती है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित होती। सभापति महोदया, अगर यह पशुधन हमारा समाप्त हो जायेगा तो वह सरकार के ऊपर और किसानों पर अतिरिक्त बोझ हो जायेगा, वह बेरोजगार हो जायेंगे, जैसे दूसरे बहुत बेरोजगार हैं। इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान दें और आप वहां पर स्टाफ की व्यवस्था करायें जिससे कि बीमारियों की रोकथाम की जा सके और कोई भयानक, अचानक बहुत बड़ी बीमारी फैल जाय उसका समय पर उपचार किया जा सके। छोटी-मोटी बीमारियां हमेशा होती रहती हैं जिसका समय पर इलाज नहीं हो पाने से बहुत ही ज्यादा संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। आज पशु भी बहुत कीमती हो गये हैं। एक-एक ऊंट पांच-पांच, सात-सात हजार का, घोड़ा 15 हजार तक की कीमत का हो गया है, गाय भी आज चार-पांच हजार रुपये से कम की मिलती नहीं है अच्छी गाय, और भैंस भी है वह भी 5 हजार कीमत की हो गई है। तो इस तरह से जब इतना कीमती हमारा पशुधन है, इसको बचाना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर वेटरनरी हास्पिटल्स वगैरह खोलें, उनमें स्टाफ की आप व्यवस्था करायें।

दूसरा मैं इसके बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर दवाइयों की भी बहुत कमी रहती है, वहां पर कोई दूसरी दूकानें भी नहीं हैं जहां से कि पशुपालक अपनी दवाइयां खुद खरीदकर ला सकें और अपने पशुओं को दवा देकर उनको बचा सकें। वहां पर जितने भी सब-सेन्टर्स और पशु स्वास्थ्य केन्द्र आपने खोले हैं उनमें दवाइयों की पूरी माकूल व्यवस्था की जाय जिससे कि दवाई के अभाव में हमारा पशुधन बीमार हो तो उसको बचाया जा सके। सभापति महोदया, एक जगह जो इस तरह के पशुओं के स्वास्थ्य के लिए केन्द्र खोल रखे हैं, इलाज के लिए ये एक जगह नहीं होकर अलग-अलग जगह होने चाहिये। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर मोबाइल यूनिट भी वहीं हैं। उसका नाम तो मोबाइल यूनिट है लेकिन उसका हैडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर होने से पंचायत समिति में डाक्टर होता है वह भी वहीं होता है, डेयरी का होता है तो वह भी वहीं होता है और जो वेटरनरी का है तो वह तो होता ही है। इस तरह से सारे डाक्टर जो बड़े-बड़े स्थान हैं वहां तो तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच डाक्टर बैठे हैं। अब इसके लिए शीप एण्ड वूल का डाक्टर अलग है, भेड़ों के लिए अलग है, घोड़े के लिए अलग है, मैं समझता हूं कि वेटरनरी के मामले में, पशुओं का इलाज करने के लिए एक डाक्टर सभी पशुओं का इलाज कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए इन सबको अलग-अलग किया जाना चाहिये। एक ही जगह ये सारी चीजें न होकर के और भेड़ और ऊन विभाग अलग से खोल रखा है, इसका अलग से कोई उपयोग नहीं है। मैं समझता हूं पहले यह पशु पालन विभाग में

(श्री हेमाराम चौधरी)

सम्मिलित था, पता नहीं बाद में सबको क्यों अलग किया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको पशुपालन विभाग में मिला दिया जाय और फालतू दो विभाग खोल रखे हैं, अनाप-शनाप इसमें फालतू का खर्चा होता है। तो एक विभाग होने से यह जो डाक्टर एक जगह दो-दो तीन-तीन रहते हैं, एक ही जगह शीप एण्ड वूल का भी रहता है, वेटरनरी का भी रहता है तो यह अलग किए जा सकते हैं। अलग-अलग विभाग होंगे तो इनका अलग-अलग होना भी सम्भव नहीं है। इसलिए एक ही जगह सब इकट्ठा हो जाते हैं, पंचायत समिति को भी एक डाक्टर डेपुटेशन पर देते हैं तो इसका भी कोई होना चाहिये कि पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर रहता है, दूसरा भी वहां है, यह अलग-अलग होने चाहिये। आप किसी प्रकार से व्यवस्था करें। इनका डाइरेक्ट कण्ट्रोल पशु-पालन विभाग के अधीन होना चाहिये, उनकी पोस्ट, कहां उनको रखना, कहां हैडक्वार्टर रखना यह सब पशु पालन विभाग करे, तो इसका कोई सामंजस्य बैठ जायेगा जिससे कि अलग-अलग जो पशुपालक रहते हैं उनको यह सुविधा मिल सके। नहीं तो एक जगह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर, आज पशु कहीं 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर में या 7 किलोमीटर पर कोई बीमार हो गया उसको हैडक्वार्टर लाया नहीं जा सकता। बीमार पशु चल नहीं सकता। आदमी तो गाड़ी में किसी तरीके से बैठकर और कोई साधन नहीं हो तो ऊंट पर भी चढ़कर जा सकता है, लेकिन ऊंट को किस पर चढ़ाओ। बीमार हो जाय तो वह पशु चलकर नहीं आ सकते। इसलिए वहां पर कम्पाउण्डर हो उस क्षेत्र में। तो उसको लेजाकर दिखवा सकें, उसको दवा देकर बचा सकते हैं। इसलिए इस बारे में आपके माध्यम से मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें और कोई न कोई इस तरह का सामंजस्य बिठायें। एक डाक्टर ऊंट का ही इलाज करता रहे, वह भी हैडक्वार्टर पर, एक जगह बहुत सारे डाक्टर्स बैठे हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इसकी तरफ वह विशेष ध्यान दें।

चरागाहों के विकास का जहां तक सवाल है, इसके बारे में भी पशुपालन विभाग की तरफ से विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। भेड़ों के लिए भी कुछ करते हैं, लेकिन भेड़ों के लिए भी एक सोसायटी बना दी जाती है और सोसायटी के अनुसार ही भेड़ों को उनमें चरने की अनुमति देते हैं, बाकी भेड़ें वैसे ही रह जाती हैं। इसलिए इसमें भी आप कोई विशेष कदम उठावें, कारगर कदम उठावें जिससे चरागाह का विकास हो और हमारे पशुधन को चारा मिल सके और उसको बचाया जा सके। हमारे राजस्थान में खेती से भी ज्यादा पशुधन है। वह इन्कम का एक सोर्स है। यहां बार-बार अकाल पड़ता रहता है फिर भी आज इन्सान जो पश्चिमी राजस्थान में बसा हुआ है वह पशुधन के आधार पर बसा हुआ है। जैसे बाड़मेर जिले की बात मैं देखता हूं, पिछले पांच सालों में पहले भी विधान सभा में हमेशा हम अकाल की बात उठाते रहते हैं और अकाल हमेशा पड़ता रहता है और इस बार भी मुझे तो, अभी बरसात नहीं हुई, इसलिए भय लग रहा है। ऐसी स्थिति में खेती तो बिलकुल होनी नहीं है, अकाल के कारण अनाज वहां पैदा होता नहीं है, दूसरा वहां पर कोई

(श्री हेमाराम चौधरी)

रोजगार नहीं है। फिर भी आदमी वहां पर बैठा है। सरकार बहुत सारे काम खोलकर उनको रोजगार दे देती हो और वे उसी भरोसे वहां बैठे हों, उसी से बच जाते हों यह नहीं है। सभापति महोदया, वह तो इस पशुधन के ऊपर बैठे हैं इसलिए इस पशुधन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। चिकित्सा के मामले में, फसल बीमा योजना भी लागू की जाय और वहां पर पूरा प्रावधान किया जाय, योजना बनाई जाय। मनुष्य के लिए तो योजना बनाई गई और व्यवस्था की हुई है लेकिन पशुओं के लिए बहुत कम है। डी. पी. ए. पी. में भी कुछ प्रावधान है लेकिन उसमें भी बहुत कम है। पशुओं के लिए खारा पानी या मीठा पानी नजदीक में नहीं है। जो नाड़ी है, तालाब हैं, वहां पर बहुत ही कच्ची नाड़ी और तालाब हैं. जिनमें पानी बिल्कुल ठहरता नहीं है। पानी आता है, इकट्ठा होता है, स्टोर भी होता है लेकिन वह पांच दस दिन में, 15-20 दिन, महीने के अन्दर सोख जाता है कई तालाब इस तरह के हैं जिनमें महीनों पानी सोखता नहीं है। पांच छः महीने, साल भर रहता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें पानी एकदम चला जाता है। जमीन के अन्दर सोख जाता है, जमीन ही ऐसी है। तो उन तालाबों को पक्का बनाने की विभाग को व्यवस्था करनी चाहिये। नाड़ी है, अगर उनको पक्का किया जाय तो पशु आराम से पानी पी सकते हैं इसलिए।

**श्री सभापति :** समाप्त करें माननीय सदस्य।

**श्री हेमाराम चौधरी :** इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मन्त्रीजी से कि वह इसके बारे में विशेष कदम उठावें, धन्यवाद।

**श्री सभापति :** श्री हीरासिंह चौहान।

**श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :** माननीय सभापति महोदया, राजस्थान सरकार पशुधन के विकास में हमेशा उदासीन रही है। हमने आंकड़े देखे हैं सन् 1951 में राजस्थान में कुल पशुधन 255 19 लाख था और उसके 32 वर्ष बाद 1983 में इसकी वापिस सेन्सस की गई तो कुल मिलाकर पशुधन 494·89 लाख हुआ है अर्थात् दुगुना हुआ है जबकि हमारे इस प्रदेश की कुल जनसख्या 343 करोड़ 1981 की जनगणना के अनुसार है और हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल भी 342 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े वर्ग किलोमीटर में राजस्थान फैला हुआ है जिसमें आधा हिस्सा मरुस्थल है उसमें ज्यादातर लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए जीविका के लिए पशुधन ही है। हमको कुदरत ने चार-पांच ऐसे साधन दिये हैं जिससे हम हर प्रकार से पैदावार करते हैं। एक तो हमारा कृषि है, वन सम्पदा है, दूसरा खनन कार्य है, तीसरा पशुपालन, ये जो काम हैं इनसे हमारे जो लोग राजस्थान में रहते हैं, काश्तकार लोग गांवों में रहते हैं उनके लिए हर प्रकार की पैदावार लेकर विकास करते हैं। आज भी गांवों में लोगों की जीविका का मुख्य साधन पशुधन है, लेकिन इस पशुधन के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरीके से विकास किया जाना चाहिये उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय सभापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं माननीय

(श्री हीरासिंह चौहान)

मन्त्री महोदय से, जहां तक चरागाहों के विकास का प्रश्न आता है, पशुओं के रख-रखाव के लिए पशुधन अच्छा विकास कर सके इसके लिए चरागाह होना बहुत जरूरी है लेकिन इस मामले में राजस्थान सरकार उदासीन रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ऐसे चरागाह निश्चित होने चाहिये। इस प्रकार की भूमि आवन्टित की जाय कि बरसात के समय में इन पशुओं के काम आये और बरसात के बाद में 6 महीने हमारे पशुओं को चरने के लिये व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये होता क्या है कि हमारे पशुपालक राजस्थान को छोड़कर हरियाणा, यू. पी., मध्यप्रदेश और गुजरात की तरफ चले जाते हैं। कई प्रकार की कठिनाइयां और दुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पशुधन को लेकर हमारे पशु पालक उनको बाहर ले जाते हैं। सभापति महोदय, 4 अप्रेल को जिला इटावा, स्टेशन थाना कारिया, उत्तरप्रदेश में दोवासी, गांव चैनपुरा की ढाणी, तहसील बिलाड़ा को गोली से उड़ा दिया गया। और उसका सारा सामान लूट लिया गया। पर हमारी राज्य सरकार की तरफ से कोई सहायता उसको नहीं मिली। इस प्रकार लाम्बा गोली कांड हुआ और देवीपुरा काण्ड हुआ।

इस प्रकार से हमारे पशुधन को लेकर पशु पालक बाहर चले जाते हैं तो उनके साथ अत्याचार होता है। यह अत्याचार क्यों होता है कि हमारे पशु पालक बाहर जाते हैं क्योंकि हमारे यहां राजस्थान में समुचित मात्रा में चरागाह की व्यवस्था नहीं है और चरागाह नहीं होने के कारण हमारे पशु पालक जगह-जगह पर भटकते फिरते हैं और इससे जो आमदनी हमारे सरकार को होनी चाहिये, और तरीके से होनी चाहिये, वह आमदनी समुचित मात्रा में हमारे राजस्थान को नहीं हो पाती है। इसलिये इस प्रकार से मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की राजस्थान में व्यवस्था करें कि चरागाह समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

राजस्थान कैनाल के अन्दर आप चरागाह बढ़ाने जा रहे हैं पर वहां काफी जमीन का आवन्टन किया जा रहा है लेकिन जितनी चरागाह की मात्रा होनी चाहिये उतनी मात्रा नहीं हो पाती है। इसलिये, जैसा कि अभी भाई हेमारामजी ने कहा कि पशुधन के लिये चारा और पानी दो बातों का होना बहुत जरूरी है. इसलिये राजस्थान में अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि भाई ललितकिशोर जी चतुर्वेदी ने कहा कि कोटा जिले में 40 हजार पशुधन मर रहा है, वहां पर पानी और चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही हालत हमारे पशुधन की रही तो, आंकड़े हम अभी दे रहे हैं, राजस्थान में पशुधन के अन्दर निश्चित रूप से कमी आ जायेगी। जबकि पशुधन हमारे लोगों के जीवन यापन का बहुत अच्छा साधन है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर चराई की दरों में भारी भिन्नता है। आज राजस्थान के अन्दर सिरोही जिले में एक ऊंट की चराई एक

(श्री हीरासिंह चौहान)

रुपया लगती है और बकरी और भेड़ के 25 पैसे लगते हैं। इस प्रकार से पाली जिले में देसूरी और सादड़ी रैन्ज में पांच रुपया प्रति ऊंट और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीजागुज रेन्ज में ऊंट की चराई दस रुपया लगती है और बकरी और भेड़ के 75 पैसे लगते हैं, गाय का एक रुपया लगता है। जोधपुर रेन्ज में दस रुपया प्रति ऊँट का लगता है और चित्तोड़गढ़ में दो रुपया लगता है और कोटा में दो रुपया और सवाईमाधोपुर में तीन रुपया चराई का लेते हैं। चित्तोड़गढ़ में और अन्य रेन्ज में चराई की दरों में भिन्नता है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह चराई के दरों में भिन्नता क्यों है। पशु वहां पर जंगल में चरेंगे। पाली में भी जंगल में चरेंगे और सभी जगह पर जंगल में चरेंगे और राजस्थान सरकार के जंगल हैं सभी जगह पर तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चराई की दरों में असमानता, जो कि रजवाड़ों के समय से ही चली आ रही है, उसको एक ही तरह से कन्सोलीडेट किया जाय। हमारे चराई के लिये जो जगल हैं उनके रखरखाव के लिये भी जो सब जगह खर्चा होता है, पाली में भी वो ही खर्चा आता है और इस प्रकार सभी जगह पर एक ही तरह का खर्चा आता है, इसलिये सभी जगह पर समान दरों का होना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं के संवर्धन के लिये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन्नत किस्म के सांड होने चाहिये। आज स्थिति यह है कि गांवों में कई कई जगह पर अच्छे नस्ल के सांड नहीं हैं और अच्छी नस्ल के सांड नहीं होने के कारण अच्छे बछड़े पैदा नहीं होते हैं और बाजार में हमारे पशुधन की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। इसलिये पशुधन की अच्छी कीमत मिले, उसके लिये अच्छे सांड होने चाहिये। अगर अच्छे सांड नहीं होंगे तो अच्छे बछड़े पैदा नहीं होंगे। इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये, और मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम पांच अच्छे सांड अच्छी नस्ल के होना बहुत जरूरी है।

इस प्रकार से उस पशुधन के लिये अच्छी चिकित्सा सुविधा होना भी बहुत जरूरी है पहले कहा गया कि हर जिला मुख्यालय में पशु चिकित्सालय है और ऐसे मोबाइल यूनिट भी हैं जो चलते हैं पर राजस्थान में उनकी कमी है और उनकी कमी होने के कारण हमारे पशुधन का बीमारी से बहुत नुकसान होता है। बीमारी का अच्छी तरह से रोकथाम नहीं होने के कारण बहुत से पशु हमारे मर जाते हैं। आज कुछ मिलाकर 1028 इकाइयां सम्पूर्ण राजस्थान में हैं पर यह संख्या हमारे राजस्थान के लिये बहुत कम है। इनकी संख्या बढ़ायी जाय और प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक वेटरीनरी डाक्टर होना चाहिये और उस वेटेरीनरी डाक्टर के पास एक वाहन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो होता क्या है कि वाहन की कमी के कारण वेटेरीनरी वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं और इससे हमारे पशुधन को बहुत नुकसान होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि तहसील मुख्यालय पर और पंचायत समिति

(श्री हीरासिंह चौहान)

मुख्यालय पर कम से कम एक वेटेरीनरी डाक्टर और एक जीप होनी चाहिये। चाहे आप दूसरा स्टाफ कम ही रखें। और वेटेरीनरी अस्पताल खोलने में आप असमर्थ हैं। क्योंकि वित्तीय साधनों की आपके पास कमी है, इसलिये आपको एक जीप सभी जगह पर वेटेरीनरी डाक्टर के पास देनी चाहिये ताकि सूचना मिलने पर वह सभी जगह पर पहुंच जाये और हमारे पशुओं को मरने से बचा सकें।

सभापति महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई जंगल हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत सारे बन्द (Closed) हैं और वर्षों से क्लोज्ड हैं, दस-दस 15-15 साल से क्लोज्ड है मेरा निवेदन है कि इन जंगलों को पशुओं की चराई के लिये खोल देना चाहिये। राजस्थान का सर्वे करके उसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि अमुक जंगल को दस साल के लिए खोला जाय और इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि उसके बाद में उक्त जंगल खोला जायेगा। इससे पशुधन जो हमारा बाहर चला जाता है और उससे हमारे पशु पालकों को नुकसान होता है; उस पशुधन को बाहर जाने से बचाया जा सकता है और जो पशुधन में हमारी वृद्धि नहीं हो रही है वह होगी। हमारी पशुधन बीमारी के कारण मर जाते हैं जब यह पशु पालक बाहर जाते हैं तो बहुत लम्बा चौड़ा रास्ता होता है, चम्बल तक जाते हैं और आगे उसके भी मध्य भारत तक चले जाते हैं, इससे हमें और उन्हें दोनों को बहुत नुकसान होता है। इसलिये इस पशुधन का रखरखाव करना बहुत जरूरी है। इनके लिये रिजर्व फोरेस्ट रखा जाय और इस प्रकार की व्यवस्था की जाय ताकि हमारे पशुधन की ज्यादा से ज्यादा हमारे राजस्थान में वृद्धि हो और हमारे राजस्थान के लिये इसे एक बहुत अच्छी आमदनी का जरिया बनाया जा सके। आज कृषि और वन के अलावा हमारा यह भी एक बहुत बढ़िया जरिया है हमारी जीविका के लिये और इतना ही नहीं, इस पशुधन के कारण हमारे यहां पर डेयरी चलती है और दूध आता है। अगर हमारा पशुधन बाहर चला जाता है तो हमारा दूध भी बाहर चला जाता है। इसकी मात्रा में भी कमी आती है; इससे हमारे यहां घी भी महंगा होता है और अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिये हमारे यहां चारागाहों का विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारे पशु हैं गाय, भैंस और बकरी वगैरह उनसे जितनी मात्रा में हमें दूध मिलना चाहिये उतनी मात्रा में दूध नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां पशुधन को पौस्टिक आहार नहीं मिलता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि हमारे पशुओं के लिये पोस्टिक आहार की व्यवस्था की जाय इसके साथ-साथ मैं यह भी मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आपको पौस्टिक आहार केन्द्रों में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय ऐसी व्यवस्था जगह-जगह पर होनी चाहिये। ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये जिससे कि हमारे पशुओं की दूध की मात्रा बढ़े और कमी की पूर्ति हो इससे हमारी आमदनी में भी वृद्धि होगी। इसलिये सन्तुलित आहार हमारे पशुओं को दिया

(124)



(श्री हीरासिंह चौहान)

जावे। यह बहुत जरूरी है। जगह-जगह पर इसके लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायपुर में काफी संख्या में भेड़ें हैं पर वहां पर भेड़ पालकों के लिये चारागाहों की कमी के कारण प्रतिवर्ष लोग अपने घरों को छोड़कर जाते हैं। एक साल में तीन महीने अपने घर पर रहते हैं और तीन महीनों के बाद साल में 9 महीनों तक वह राजस्थान के किसी अन्य स्थान में या राजस्थान के बाहर घूमते फिरते हैं। इसलिये हमारे यहां पर चारागाह होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे पशु पालक अपनी आजीविका का आसानी से पालन कर सकें। इस प्रकार से जंगल को मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि उनको समय-समय पर खोला जाय और पहाड़ी क्षेत्र में और रेगिस्तान में इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि पशुधन की बहुत अधिक वृद्धि हो सके। इसके लिये राजस्थान सरकार के इस साल के बजट में प्रावधान रखा गया है वह राशि अपर्याप्त है। इस वर्ष के बजट में कुल मिलाकर 14 लाख रुपया इस वर्ष बढ़ाया गया है। गत वर्ष बजट में तीन करोड़ 14 लाख रुपये स्वीकार किये गये थे, वह पूर्व से बहुत कम थे, इसके बाद में कुछ बढ़ाया गया पर इस वर्ष का बजट जो है वह अपर्याप्त बजट है।

राजस्थान सरकार को चाहिए कि पशुधन के विकास के लिए जो सब प्रकार के साधन उपलब्ध होने चाहिए साधन वह उपलब्ध कराये ताकि हमारे राजस्थान का जो आर्थिक साधन है, उससे हमारा आर्थिक विकास होगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री अश्क अली टाक (अनुपस्थित)।

श्री थान सिंह।

**श्री थान सिंह** (सलूम्बर) : सभापति महोदया, मांग संख्या 49 पशुपालन के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया था। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पशुपालन और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है। पशुपालन के मामले में बहुत कम बजट रखा है। 369·36 करोड़ रुपये, यह बहुत कम बजट है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और गांवों में आदिवासी लोगों और दूसरे लोगों का मुख्य धंधा पशुपालन है। उनकी आर्थिक हालत सुधारने का अगर कोई जरिया है तो यही पशुपालन है। जिसके आधार पर गांव में काश्तकार इस पर निर्भर करते हैं। मैं अक्सर देखता हूं हमारे यहां पर सलूम्बर में ग्राम माता योजना है इसके अन्दर ज्यादातर सांडों की कमी है। जो अच्छी नस्ल के सांड होने चाहिए, वह उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिए घास नहीं है, वहां पर कोई और व्यवस्था नहीं है और जितना भी स्टाफ है वह गांव में कम जाया करता है। पंचायत हैड क्वार्टर पर इस प्रकार की योजना होनी चाहिए वहां पर कि एक पशुपालन सहायक एक पंचायत के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई भैंस, बकरी या भेड़ बीमार हो जाये तो वहां पर उनके इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि एक गरीब आदमी जिला हैड क्वार्टर में ले जाकर अपने बीमार पशु

(श्री थान सिंह)

को डाक्टर को दिखाकर ठीक करवाये, यह असम्भव है। मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां-जहां तहसील हैड क्वार्टर हैं वहां पर डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पशुधन बचाया जा सके। मैंने देखा है जहां भी अकाल पड़ा है, अकाल के कारण बारिश देरी से आई है और काश्तकार के पशुओं के लिए चरागाह की व्यवस्था नहीं होती, पहाड़ों से पत्ते लाकर उनको खिलाते हैं, वर्षा समय पर नहीं आती है तो पशुधन बर्बादी के रास्ते पर जाता है। चाहे भेड़ हो, बकरी हो, बैल हो, भैंस हो, इस प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। जहां तहसील हैड क्वार्टर हैं वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं और न किसी प्रकार की छोटी सी दवाई मिलती है जिससे उनका इलाज नहीं हो पाता है। पांच सौ रुपये खर्च करने के बाद में भी वह पशु मर जाता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रकार की जो योजना है उसमें ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। इस योजना के अन्दर कृत्रिम गर्भाधान भी करते हैं। मैंने देखा है जहां-जहां भी कृत्रिम गर्भाधान हुआ है अक्सर वहां पर फेल हुआ है, मुश्किल से 20 प्रतिशत केसेज सफल हो पाते हैं और अस्सी प्रतिशत गर्भाधान फेल हुये हैं। हमारी जो ग्रामदानी योजना है, वहां पर जो डाक्टर है वह गांव में नहीं जाते। भाषण देते रहते हैं कि हम दूध की नदियां बहा देंगे सिवाय इस बात के और कोई काम नहीं करते। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करना चाहते, बड़ी अव्यवस्था है, उनका कंट्रोल ठीक नहीं है। इस प्रकार से इस योजना के सुधार की बहुत जरूरत है वरना यह योजना ठीक नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती। एक बार उन्होंने बाड़ों में गर्भाधान किया, लेकिन बाद में देखा तो पाया गया कि कोई भी गर्भाधान नहीं हुआ। वह सब असफल हो गये, इससे गांवों में अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध नहीं हो सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर आदिवासियों की जीविका के लिए पशुपालन के अलावा कुछ नहीं है, उनको खिलाने के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहां भेड़ों का इलाज नहीं होता है। मेरा आपसे निवेदन है जनजाति क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जायें। राजस्थान सरकार ने जो तय किया है कि सात सौ व्यक्तियों की आबादी वाले गांवों में मुर्गी पालन और बकरी वितरण जो कार्यक्रम हैं इस प्रकार के प्रोग्राम डी. पी. ए पी में भी तय किये थे, वह सफल नहीं हुए। जहां-जहां भी मुर्गी पालन का धन्धा हुआ है वहां मेहमान आ जाते हैं और मुर्गी खा जाते हैं। इसलिये लोगों को इनके पालने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक हालत सुधर सके। बकरे के मामले में निवेदन है कि इसमें 100–200 रुपये की आय हो जाती है, इससे आदिवासियों की आर्थिक हालत ठीक हो सकती है, सुअर पालन और मुर्गी पालन में हमारा दुर्भाग्य है कि अधिकारी हमको ठीक से गांवों में आकर प्रशिक्षण नहीं देते। इसमें अधिक से अधिक सुधार की जरूरत है। आप दवाइयों की व्यवस्था करें, हैड क्वार्टर पर पशु सहायक का एक-एक पद होना चाहिए, उनको भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा धन सरकार के द्वारा गांवों में दिया जाना चाहिए,

(श्री थान सिंह)

क्योंकि शुरू में सरकार ने काफी कम ध्यान दिया है। इस विभाग में समझ में नहीं आता कि इस विभाग में काम करने वाले कतराते क्यों हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पशुपालन का महकमा अच्छा है, मैं इस महकमे को अच्छा मानता हूं, इसको सुधारने की जरूरत है। राजस्थान सरकार को भविष्य में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पशु अच्छे ढंग से पल सकें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

**श्री सभापति** : श्री नवरंग सिंह।

**श्री शोभत सिंह** : माननीय सभापति महोदया, हमारे दल का थोड़ा ख्याल रखें।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैंने भेड़ ऊन और पशु-पालन की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं, मैं उनको सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से। झुन्झुनू जिले में भेड़ ऊन विभाग बहुत पुराने समय से चल रहा है और 1962 से लेकर 80 तक इसके केन्द्र थे, नवलगढ़, झुन्झुनू, बिसाऊ, चिड़ावा, सूरतगढ़, सिंघाना और खेतड़ी। मैं सभापति महोदया, निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग को कतई यहाँ से खत्म करके, तोड़कर बांसवाड़ा और डूंगरपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनू की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। झुन्झुनू जिले में 2 लाख 75 हजार भेड़ें हैं, 6 लाख 75 हजार के करीब बकरियां हैं, 9996 के करीब मैमने हैं तथा 853 शंकर भेड़ें हैं। वहां अच्छी स्थिति थी, अच्छा काम चल रहा था और 1979–80 में इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और वह यह परिवर्तन हुआ था कि यह जो केन्द्र थे यह कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के नाम से स्थापित कर दिये गये थे और वह केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चल रहे थे। वह चल रहे थे नवलगढ़ उदयपुरवाटी, खेतड़ी, सिंघाणा, बुहाणा, पिलानी, गुडा और बवाई में लेकिन अब राज्य सरकार ने और इस भेड़ ऊन विभाग ने एक निर्णय करके वहां के पशुपालकों के सामने और खासकर भेड़ ऊन के जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने संकट पैदा कर दिया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि झुन्झुनू जिला वह जिला है कि जहां प्रतियोगितायें होती हैं, जैसे अभी हाल ही में 1984 में भीलवाड़ा में प्रतियोगिता हुई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि झुन्झुनू जिले के लोगों को प्रमाणपत्र मिले है। प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी मैं लाया हूं, प्रथम स्थान प्राप्त किये हैं इन भेड़ पालकों ने और उन्होंने इनामों की प्राप्ति की है। इसलिए मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह झुन्झुनू की जनता के साथ, वहां के भेड़ पालकों के साथ एक अन्याय है। वहां के लोग इस अन्याय को बरदाश्त नहीं करेंगे। मैंने इसके बारे में पहले भी एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था उस समय मुझे कहा था कि सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। क्योंकि आज इसकी डिमाण्ड है इसलिए, माननीय सभापति

(श्री नवरंगसिंह)

महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वह आज इस बात की घोषणा करें, इस बात का पूर्ण रूप से निर्णय इस सदन में दें कि झुन्झुनू में जो भेड़ ऊन विभाग का कार्यालय चल रहा है वह यथावत चलेगा और उन्होंने जो उसके स्थानान्तरण का निर्णय कर लिया है वह इस निर्णय को रद्द करेंगे।

दूसरा, निवेदन मैं यह करना चाहता हूं, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय से कि हमारे यहां राजस्थान में ग्रामीण आधार योजनायें पशुपालन विभाग में चलती थी लेकिन यह डेयरी का काम आया तो बहुत से स्थानों पर, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि नवलगढ़ में चलती थी बिड़ावा में चलती थी और राजस्थान के और हिस्सों में चलती थी लेकिन डेयरी के नाम से खासकर नवलगढ़ से ग्रामीण आधार योजना को हटा दिया गया। ग्रामीण आधार योजना को हटाने का अर्थ यह हुआ कि वहां 10–12 केन्द्र थे जहां सहायक रहता था, जहां छोटा मोटा इलाज का प्रबन्ध था, जहां गांव में कोई न कोई कम्पाउन्डर या डाक्टर जाता रहता था वह केन्द्र बंद हो गए और जो डेयरी का काम था वह इलाके में फैला नहीं बल्कि यहां तक किया, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि झुन्झुनू के साथ तो इस सरकार ने इतना अन्याय किया है कि वहां डेयरी का प्रधान कार्यालय था वह प्रधान कार्यालय वहां से हटाकर सीकर कर दिया गया। वहां की डेयरी को भी उड़ा दिया गया है। इसलिए, सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि हमारे नवलगढ़ में जो ग्रामीण आधार योजना जिसको आपका विभाग विलेज स्कीम कहता है उसका फिर से वहां काम चालू किया जाये ताकि गांवों में जो केन्द्र थे वह केन्द्र चल सकें। नहीं तो लोगों के सामने बीमारी और दूसरी बातें हैं उनको बहुत दिक्कत है।

सभापति महोदया, माननीय मन्त्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि अमूमन शिकायतें हैं–मेरे पास अभी कुछ दिन पहले चौमूं के आसपास के लोग आये थे। उन्होंने कहा कि हमारे जानवरों को और पशुओं को पागल कुत्तों ने काट लिया और उससे जानवर भी पागल हो गए। मैंने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के पास उनको भेजा तो उन्होंने कहा कि कोई दवा की व्यवस्था नहीं है। यह दवा तो हरियाणा से या किसी जगह से लानी पड़ेगी। मैं क्योंकि पार्टी सेक्रेटरी था इसलिए उनके साथ गया और डाइरेक्टर से मिला। डाइरेक्टर ने मुझे यही जवाब दिया और अंत में मैंने यही कहा कि आपके पास जो रिजर्व में दवा है वह दवा दीजिए और पैसा लेकर दवा का इन्तजाम कीजिए। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस पशुपालन विभाग को, सब जगह तो नहीं क्योंकि मैं मानता हूं कि वह इन्जेक्शन हर जगह नहीं रख सकते क्योंकि उनको ऐसी जगह रखना पड़ता है कि जहां उनका स्थान हो, लेकिन मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है वहां तो कम से कम व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां इन्जेक्शन सुरक्षित रह सकें। पशुओं के लिए मैंने बताया कि कुत्ता काटने से पागल हो जाते हैं, उनको

(श्री नवरंगसिंह)

दवा का ठीक प्रकार से और ठीक समय पर उपयोग हो सके।

सभापति महोदया, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि राजस्थान में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। आदमियों के पीने के लिए पानी की वकालात तो काफी करते हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो पशु हैं वह आज राजस्थान की रीढ़ हैं जो राजस्थान को धन कमाकर देते हैं उनकी अपेक्षा की जाती है और जितनी भी योजनायें बना रहे हैं उन योजनाओं में पशुओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग में इस तरह की व्यवस्था हो, चाहे विभाग का बजट सप्लाई करे, चाहे सरकार का बजट सप्लाई करे—आज राजस्थान में जो भी योजनायें हैं या आगे वर्षों में बनने वाली हैं उनमें निश्चित तौर पर इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिए कि पशुओं के लिए भी पीने के पानी की पूरी व्यवस्था हो सके और उसका पूरा इन्तजाम हो सके। आज सारे राजस्थान में पशुओं के मरने की खबरें आ रही हैं। सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा और आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आप उस इलाके से परिचित हैं वह इसलिए ज्यादा मर रहे हैं कि उनको पीने के लिए खारा पानी मिल रहा है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र मंडावा है, बिसाऊ का इलाका है, अलसीसर पंचायत समिति है, जहां आप भी सभापति महोदया, मंत्री महोदय जानते हैं कि खारा पानी है, पशुओं के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और यदाकदा सरकार ने कोई टंकी या रीजनल स्कीम बना दी है तो जैसा कल सवाल आया था वह हालत है कि वहां उन गांवों में पहुंच ही नहीं रहा है। खारा पानी पीकर पशु मर जाते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी यथोचित व्यवस्था विभाग कर सकता है तो करे।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिए विभाग को जितनी मुस्तैदी से, जितनी तेजी से और जितनी सावधानी से काम करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। यह जितने भी बड़े-बड़े अस्पताल हैं, जितने भी पशुओं के बड़े-बड़े संस्थान हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि वह बड़े-बड़े शहरों में हैं, या तो जयपुर में मिलेगा या कोटा में मिलेगा या उदयपुर में मिलेगा या बीकानेर में मिलेगा या जोधपुर में मिलेगा। यहां होता है जो बड़े आफिसर या शौकीन लोगों की कुतियाओं का इलाज होता है या दूसरे बिल्ली का इलाज होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी बड़े संस्थान हैं वह गांवों में जाने चाहिए क्योंकि हमारा पशुधन गांवों में है। इलाज की व्यवस्था तो वहां ही होनी चाहिये। इसलिये मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदया, पुनः सरकार से और मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपको घोषणा करनी चाहिए और झुन्झुनूं के लोगों में जहां से आप भी बराबर आ रहे हैं बड़ा असन्तोष है डेयरी विभाग के उठने से इसलिए आप घोषणा करें और जो मैंने मुद्दे उठाये हैं उनका भी जवाब दें। इन्हीं शब्दों

(श्री नवरंगसिंह)

के साथ में सदन में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

धन्यवाद,

**श्री सभापति :** श्री अश्क अली टाक ।

**श्री अश्क अली टाक (फतेहपुर) :** आदरणीय सभापति महोदया, मेरा अपना क्षेत्र शेखावाटी का महत्वपूर्ण अंग है फतेहपुर, यहाँ पर राजस्थान सरकार के भेड़ ऊन विभाग का सबसे बड़ा फार्म है । प्रदेश में तमाम फार्मों को देखने से और उनकी आय-व्यय घाटा और मुनाफे को देखने के बाद फक्र के साथ हम कह सकते हैं कि फतेहपुर का फार्म ही एक ऐसा फार्म है जो कि लाम की स्थिति में है । लेकिन फतेहपुर के इस फार्म के अलावा जो लोग भेड़ें रखते हैं, बकरियां रखते हैं उन लोगों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान बहुत कम है, जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं ।

सभापति महोदया, मेरा क्षेत्र सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है सिंचाई के नाम पर या कृषि के नाम पर वर्षा पर ही निर्भर है और इस क्षेत्र से राज्य के सर्वाधिक और किसी तहसील हैडक्वार्टर से जो व्यक्ति गये हैं बाहर और जो फोरन इनकम लेकर आ रहे हैं, वह सबसे अधिक गये हैं । करीब 14 हजार व्यक्ति गये हैं । वह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खेतिहर मजदूर थे, किसान थे और वह व्यक्ति बाहर जाकर अपनी कड़ी मेहनत से पैसा कमाकर इस प्रदेश की और देश की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं उन पैसों का सही मानने में उपयोग वह व्यक्ति इस दृष्टि से कर सकते हैं । उनके परिवार के लोग जो यहा रहते हैं जो अनपढ़ हैं, चाहे उनकी स्त्री रहती है चाहे उनके बच्चे रहते हैं उन व्यक्तियों के यहां एक परिपाटी है । जिस तरह से भेड़ रखना उनकी नेचर है, बकरी रखना उनकी एक नेचर है, गाय रखना उनकी एक नेचर है लेकिन वहां पर उनके लिये चरागाह की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई । जो चारागाह थे वे चारागाह समाप्त होते जा रहे हैं । चाहा तो लोगों को अलाट कर दिये, पटवारी के द्वारा कई हस्तांतरित कर दिये गये । यह राज्य सरकार के आदेश हुए या नहीं लेकिन यह सही है कि मेरे अपने क्षेत्र के चरागाह की स्थिति शनै: शनै: आज ऐसी हो गयी कि चारागाह के नाम की कोई चीज नहीं है । यह सवाल भी है कि यहां की भेड़ें बकरियां कहां चरने के लिये जाती हैं, कहां खाने पीने जाती हैं । उनकी विशेष प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है । जिस प्रकार फैमिन का समय आया तो फैमिन के नाम पर हमने काफी सेन्टर खोल दिये । दो हजार पशुओं का एक सेन्टर खोला गया पूरे जिले में । हमारे भी हिस्से में आया, 500 पशुओं का खोल दिया, लेकिन भेड़ और बकरी के जो पालक हैं, गडरिया हैं उनको सही माने में उनका लाभ नहीं मिला । जाती कहा हैं भेड़ और बकरियां । यह जाती हैं उस फार्म में जो फार्म सार्वजनिक व्यवस्था से चलता है । उस फार्म के आस पास जो वन विभाग की भूमि है । वन विभाग की जमीन में घुस जाये तो उन पर दण्ड । मेरे यहां हरसावा एक गांव है, हरसावा गांव के किसानों की एक और समस्या है । वह यह है कि उनके

130



(श्री अश्क अली टाक)

यहां पर पास में ही पहाड़ है और उनके मवेशी भेड़ बकरी जाने अनजाने में, जो वायर लगे हुए हैं जो बाऊन्ड्री लगी हुई है, उसके अन्दर घुस जाते हैं, और घुस जाने के बाद उनको 50-50 और 100-100 रुपये का दण्ड मिलता है एक एक मवेशी पर। ऐसी हालत में उस गडरिया पर भेड़ बकरी वाला वह मजदूर, उस पर इतना दण्ड पड़ता है साल भर का। 125 रुपये में आज एक भेड़ खरीद सकते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है और किसी दृष्टिकोण से वह हानिकारक नहीं है लेकिन यह बड़ा हानिकारक काम है वहां पर आपने मैण्डा खरीद लिया या भेड़ खरीद ली तो वहां पर चराने की बड़ी भारी किल्लत है और चराने के साथ साथ एक और समस्या साथ ही मुंह बाये खड़ी है पानी की। अभी इर्रीगेशन विभाग के मन्त्री महोदय का मैंने ध्यान आकर्षित किया था, प्रश्न भी किया था, जवाब आया है कि शेखावाटी क्षेत्र में कोई दीर्घकालीन सिंचाई की योजना नहीं है। अब सिंचाई की वहां योजना नहीं है और पीने के नाम पर वहा पीने का पानी नहीं है। ऐसी हालत में यह पशुधन जो लाभ की स्थिति में खड़ा हुआ है अब उनकी भौगोलिक स्थिति है क्या। यहा की हालत को ध्यान में रखते हुए आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा भेड़ ऊन विभाग जो राज्य में लाभ की स्थिति में खड़ा है तो वह फतेहपुर है। उसकी स्थिति को सुधारा जाये और वहां के चारागाहों को, कुछ चारागाह है उनको पाइन्ट आउट किया जाये और वहां पर नये चारागाह की व्यवस्था की जाये ताकि जो बाहर से इनकम लेकर आ रहे हैं वह लाकर यहां पर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के नाम पर न इण्डस्ट्रीज है, न खेती है तो किस पर इन्वेस्ट करेंगे, कहां जायेगा पैसा। वह पैसा जायेगा बैंक में और बैंक की यहां की समस्या बड़ी है। जो आता है वह इन्ट्रेस्ट नहीं लेता। आपको स्थिति यह बताऊं इन्ट्रेस्ट की डवलपमेंट पर काम करवाया बहुत अच्छी बात है लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पैसा लेकर आया, एक रुपया बैंक में रखा वह जीवन पर्यन्त एक ही रुपया रहेगा। हम यह चाहते हैं जिस प्रकार भेड़ ऊन का फार्म खुला हुआ है उसी प्रकार से उनके मवेशियों के लिये हो। बीच में एक बीमारी का जाल आया था वहां पर सैकड़ों भेड़े मर गई। फार्म में भी मरी। फार्म के लोग उपचार करते करते बचा नहीं पाये। फार्म के लोग नहीं बचा पाये अपनी भेड़ों को तो जो बाहर बैठा हुआ गडरिया है वह कैसे बचा पायेगा जब पूरे तहसील हैड क्वार्टर पर एक मात्र पशु चिकित्सालय है। रामगढ़, परदेसुआ, डण्ड हडसावा महत्वपूर्ण सेन्टर हैं जहां पर अत्यन्त आवश्यकता है पशु चिकित्सालय थी। क्योंकि यहां पर अगर मवेशियों की दृष्टि से देखें, चाहे गाय के दृष्टिकोण से देखें, चाहे आप भेड़ और बकरी के दृष्टिकोण से देखें, यहां के पशु धन को देखते हुए, यहां की भेड़ बकरियों की हालत को देखते हुए, यहां की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हुए यहां तक कि आपके मापदण्ड, आपके फार्म भेड़ ऊन विभाग का जो कि एक मात्र इतनी अव्यवस्था होते हुए भी वहां वायर टूट चुके हैं, राज्य सरकार को पता नहीं वह खुले पड़े हुए हैं। उस क्षेत्र के अन्दर मवेशी घुस जाये उसको 20 रुपया फाइन। 19 हजार रुपया आपके

[श्री अश्क अली टाक]

पिछले तीन महीनों में इस बात का चार्ज किया गया है गडरियों से कि आपकी भेड़ घुस गई थी, आपकी गाय घुस गई थी, आपकी भेड़ बकरी घुस गई थी। इसलिये मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां फतेहपुर में अत्यन्त आवश्यक है कम से कम चार पशु औषधालय खोलने की।

दूसरा चारागाह की स्थिति को देखते हुए, जो चारागाह थे वे लुप्त होते जा रहे है उनकी सुरक्षा की जरूरत है और नई चारागाह उपलब्ध करायेंगे तो मैं राज्य सरकार का अत्यन्त आभारी रहूंगा। मन्त्री महोदय से खास तौर से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यह क्षेत्र जो सिंचित क्षेत्र भी नहीं है और उसमें पशुधन पर संकट हो सकता है उसको सोचा जाये और विशेष प्रयत्न किये जाये कि राजस्थान के इस ऐतिहासिक क्षेत्र को जो अपने आप में गौरवपूर्ण इतिहास लिये हुए है इसके पशुधन को बचाया जाये। इसी आशा और विश्वास के साथ कि राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, धन्यवाद।

**श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।**

**श्री मुक्ति लाल मोदी (कोटपूतली) :** माननीय सभापति जी, आज मेरा, जो कटमोशन है वह पशुधन के ऊपर है। माननीय सभापतिजी, राजस्थान के अन्दर करीब 5 करोड़ पशु हैं और 5 करोड़ पशुओं के आधार पर 19 प्रतिशत बजट सरकार को मिलता है और राजस्थान सरकार बजट का एक प्रतिशत भी खर्च नहीं करती है।

दूसरी बात यह है कि अस्पताल में जो आज डाक्टर नियुक्त हैं वे वहां रहते नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे गांव के अन्दर डेढ वर्ष से डाक्टर नहीं है। मेरा गांव अमरसर है। अमरसर के लिए मैंने कई दफा डाइरेक्टर साहब को लिखा, कहा भी कि डेढ वर्ष से डाक्टर बैठा है। पर किसी प्रभावशाली एम. एल. ए. समझ लीजिये, या आफिसर समझ लीजिये, कोई भी समझ लीजिए उसका रिश्तेदार है, इसलिए डेढ वर्ष तक गया नहीं और तनख्वाह लेता रहा। तो मेरा आपसे कहना है कि जो कोई डाक्टर अस्पताल में न जावे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये और उसके खिलाफ कार्यवाही ही नहीं, उसको सस्पैण्ड किया जाये। तो इस हालत में न डाक्टर रहता है, न कम्पाउण्डर रहता है और, माननीय सभापतिजी, आज अपन जो पांच करोड़ की बात करते हैं और अमरीका से दूध मगाकर यहां बच्चों को देते हैं और राजस्थान के अन्दर जब राजस्थान केनाल आ रही है, चम्बल है और दूसरे कई बांध बन रहे हैं तो मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि आज अस्पतालों के लिये इतना बड़ा बजट है, पुरुषों और स्त्रियों के अस्पतालों के लिए बजट है, यदि जानवर नहीं है तो पुरुष भी जिन्दा नहीं रह सकता। फोरेन कन्ट्री के अन्दर जानवर के लिए इतना ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। माननीय सभापतिजी, मैं खुद देखकर आया हूं कि जितना रुपया मनुष्य के ऊपर खर्चा किया जाता है उतना ही रुपया जानवर के ऊपर भी खर्चा करते हैं बजट के अन्दर। रशिया में गया, जर्मनी में गया वहां पर उनके प्लानिंग वालों से मिला और दूसरे लोगों

(श्री मुक्ति लाल मोदी)

से मिला। जैकोसलोवाकिया में गया अमरीका की बात भी सुनी मैंने। इस पशुधन के लिए ज्यादा बजट रखें। सरकार ज्यादा सुविधा दे, चराई की सुविधा दे। पहले राजा और जागीरदारों ने कुछ चराई छोड़ी थी। आज एस. डी. ओ. साहब कहते हैं अलाटमेंट होगा। 15 वर्ष अगर चराई में काश्तकार काश्त करता है तो अलाट किया जायेगा। तो, माननीय सभापतिजी, जब मैं पहले एम. एल. ए. था तो उस भूमि को जब सरकार आर्डर देती थी तब वह चराई की भूमि पर काश्त कर सकता था। आज एस. डी. ओ. को पावर दे दिए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने....

(व्यवधान)

कैसे नहीं दिये हैं, अलाटमेंट हुए हैं। मैंने खुद ने देखें हैं।

**श्री सभापति** : आॅर्डर प्लीज, बैठे-बैठे बातें न करें, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

**श्री भैरू लाल भारद्वाज** : आप मोदीजी दो-तीन बार एम. एल. ए. रहे हैं, कौनसे समय की बात कर रहे हैं।

**श्री मुक्ति लाल मोदी** : तो, माननीय सभापतिजी, आज राजस्थान के अन्दर जो डाक्टर लोग हैं, आज वैद्यों की तनख्वाह और जो दूसरे डाक्टर हैं उनकी तनख्वाह और इन डाक्टरों की तनख्वाह, आप मानकर चलेंगे कि पढ़ाई में कोई फरक नही है। वही पढ़ाई इन डाक्टरों की है और वही पढ़ाई उन डाक्टरों की है और उन डाक्टरों का 20-20 वर्ष तक कोई प्रमोशन नहीं होता है। तनख्वाह में फरक तो है ही परन्तु मर्दों के जो डाक्टर होते हैं वे तीन वर्ष के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं और वे जूनियर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, लेक्चरार बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, रीडर बन जाते हैं पर इनके यहां पर 20-20 वर्ष तक, सभापतिजी, डाक्टरों का कोई प्रमोशन नहीं होता है। आप देख लीजिए, अगर मैं गलत बोलता हूं तो। इन डाक्टरों का प्रमोशन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये लोग भी मनुष्य हैं इनके भी बाल-बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं, इनके भी सब हैं। तो, माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे दूसरे विभागों के अन्दर प्रमोशन होता है, दूसरे-दूसरे विभागों के अन्दर कई लोग आगे बढ़ जाते हैं, इस विभाग के अन्दर वह डाक्टर आगे नहीं बढ़ता वे और आगे नहीं बढ़ता है इसलिए क्या यह सोचता है कि हम आगे तो बढ़ते नहीं फिर काम करके हम क्या करेंगे। माननीय सभापति जी मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि ये आदमी जो जिन्दा हैं, इन जानवरों के पीछे जिन्दा हैं। अगर आज दूध नहीं मिले, घी नहीं मिले तो आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है। तो, माननीय सभापतिजी, इस सरकार को चाहिए कि आज जिस प्रकार से मेडीकल के लिए रुपए खर्च किये जाते हैं परन्तु इसके लिये रुपयों का मामूली प्रावधान है। यह बड़े अफसोस की बात है, इसके लिये भी काफी बड़ा प्रावधान सरकार को रखना चाहिये।

(विराम)

(श्री मुक्ति लाल मोदी)

माननीय सभापतिजी, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट्स आफिसर हैं उसके पास कोई साधन नहीं है। आज जो एक एज्यूकेशन का इन्सपेक्टर है, थानेदार है और दूसरे विभागों के जो लोग हैं उनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास न गाड़ी है, न टेलीफोन है, न कोई व्यवस्था है। तो इनको सब तरह से परेशानी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापतिजी, आप देखिये सरकार क्या सोचती है कि जो आदमी कमा कर देता है, उसके लिए तो खर्च नहीं और जो कमा कर नहीं देता है उसके लिए खर्च करें। यह कहां की बात है। यह दो-तीन विभाग, भेड़ व ऊन विभाग, मछली विभाग और पशुपालन विभाग इन तीनों को एक करना चाहिये। मैं, माननीय सभापतिजी, यह भी कहना चाहूंगा कि दो-तीन साल पहले अखबारों में आया था कि मछली के ठेके में बहुत ज्यादा गड़बड़ की है क्योंकि जो मछली है वह भी जितने पानी में डालनी चाहिये, उस समय नहीं डाली। जिस समय नीलाम करनी चाहिये थी, उस समय नहीं की, दुबारा नीलामी की गयी। पहली नीलामी को नहीं रखा गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तीनों विभागों को एक करना चाहिये और एक करके सरकार को अपना खर्च कम करना चाहिये और दूसरा जो मैंने अर्ज किया है उन कामों पर सरकार को पैसा खर्च करना चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। गेलेरी में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री मुक्ति लाल मोदी : सभापतिजी, नये औषधालय ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिये सरकार को और जहां पशु हैं, मैं तो कहूं पशु अधिक हैं वहां ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए। अब हमारे इलाके में केवल एक औषधालय है, माननीय सभापतिजी, शाहपुरा से लेकर कोटपूतली जावो तो कोटपूतली मेंएक औषधालय है। अब आप देखिये वहां पर भेड़ें भी हैं, गायें भी हैं, भैंसे भी हैं। हरियाणा पास में लगता है तो 50 किलोमीटर में एक औषधालय है। वहां पर यह देखना चाहिये कि पशु ज्यादा हैं, कितनी पापूलेशन है, कितना एरिया है, ये सारी चीजें देखकर औषधालय खोलने चाहिये। मेरा यही सरकार से नम्र निवेदन है कि इसके लिये ज्यादा से ज्यादा बजट रखें और ज्यादा से ज्यादा बजट रख कर इन जानवरों के लिये जैसा दूसरे मेरे माननीय सदस्यों ने कहा है बीमा योजना लागू करें और ज्यादा से ज्यादा बजट दें जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और जो रखने वाले हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यही मेरा सरकार से कहना है।

श्री सभापति : श्री चन्द्रशेखर।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल) : माननीय सभापति महोदया, मैं आज मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपने कटौती प्रस्तावों पर अर्ज करना चाहता हूं। निवेदन यह है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को यदि देखा जाय तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक उत्तरी-पूर्वी राजस्थान दूसरा पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान। पश्चिमी और दक्षिणी

(श्री चन्द्रशेखर)

राजस्थान की दिशा को हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं जहां आज तक वर्षा का नाम नहीं है, वहां का मुख्य धन्धा पशु पालन है। ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के सभी निवासीगण चूंकि पशुपालन का काम करते हैं और वहां चारा न होने के कारण, चारागाह न होने के कारण वे अपने पशुओं को उत्तरी-पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा में या हरियाणा से बाहर पंजाब में अपने पशुओं को ले जाया करते हैं। जैसा मेरे भाइयों ने कहा, 9 महीने तक वे उनको वहां चराते हैं। ऐसी स्थिति में मैं उत्तरी-पूर्वी राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां आ करके अपने पशुओं को चारागाह में चराने की कोशिश करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आज की तारीख में उत्तरी-पूर्वी राजस्थान जिसको कृषि के रूप में माना जाता है, जो पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान का फसल पैदा करके फीडिंग करता है, वहां की स्थिति भी नाजुक हो गई है। आज उत्तर पूर्वी राजस्थान भी वर्षा पर निर्भर करता है। न वहां नहरें हैं, न वहां तालाब हैं और न ही किसी अन्य तरह की सिंचाई के साधन हैं, जिसके कारण पूर्ण रूपेण ईश्वर पर भरोसा करना पड़ता है। आज की तारीख में जैसी कि ईश्वर की कृपा हो रही है कि यहां पर भी वर्षा नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से फसल और चारा उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में कि वह अपने पिछले जमाने होता था और दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान को फीड करता आ रहा था तो मैं आज अर्ज करना चाहूंगा कि आज की तारीख में उत्तरी-पूर्वी राजस्थान का मुख्य धन्धा भी पशुपालन का हो चुका है। उनका भी यह एक तरह का साधन हो गया है। अपने परिवार को और अपने आपको पालने के लिये वे पशु पालते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जहां तहां पशुओं के लिये उनको उत्साहित किया जाता है। यह मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा योजनाओं के तहत वहां के निवासियों को इस बात के लिये उत्साहित किया गया था कि वहां उनको पशु दिये जायं और पशुधन रखने के लिए उत्साहित किया जाय। लेकिन बड़े खेद के साथ यह कहूंगा कि पशुपालन विभाग के जितने भी कर्मचारी रहे हैं उन्होंने बजाय उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उन्होंने उसको धूमिल करने की कोशिश की है। पंचायत समिति में जब हमारे काश्तकार भैंस के लोन के लिए जाते हैं तो 100 रुपये कम से कम वह अपनी फीस लेते हैं तब जाकर भैंस को खरीदने की कोशिश की जाती है। ऐसी सूरत में मैं कहूंगा कि इतने निरुत्साहित होते हैं वह काश्तकार कि उसको पशु लेने के बजाय वह वहां ठगा जाता है और ठगने से वह निरुत्साहित होता है और यह कोशिश करता है कि यहां पर पशुधन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं दूसरा निवेदन यह करूंगा साहब कि चारागाह जिसके लिए दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान से गडरिया नाम की जातियां आया करती थी अपने पशुओं को चराने के लिए वह चारागाह हमारे क्षेत्र में आज न के बराबर रह गयी हैं। जब से यह भू-आवंटन कृषि काश्त के लिए चला है तब से सारे के सारे चारागाह जो पहले कभी राजा महाराजाओं के जमाने से पशुओं

(श्री चन्द्रशेखर)

के चारे के लिए रखे गये थे उसको कृषि काश्त के रूप में कन्वर्ट करके उसको आवंटन कर चुके हैं और एक नाम मात्र के लिए रहता है जो उस गांव के लिए उपयुक्त नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, तो आने वाले पशुओं के लिए तो पर्याप्त कहां से होगा।

दूसरे, पशु चिकित्सा के बारे में मैं अपने क्षेत्र के बारे में शुरू करना चाहता हूं कि पशु चिकित्सा की व्यवस्था मेरे खैरथल क्षेत्र में नाम मात्र को भी नहीं है। पूरे क्षेत्र में अगर अलवर से चला जाय और तिजारा की बोर्डर से जाने पर देखते हैं तो वहां गिने चुने 2 ही चिकित्सालय मिलते हैं जिससे कि उस गांव के निवासी जो आज वर्षा न होने के कारण से पशुपालन को अपना धन्धा बनाये हुए हैं उनको अपने पशुओं की चिकित्सा कराने की बड़ी कठिनाई पैदा [हो रही है। इस्माइलपुर जो मेरे क्षेत्र का है कम से कम 3000 घरों की बस्ती की आबादी का गांव है। उस गांव में एक भी पशु चिकित्सालय या औषधालय नहीं हैं। उसको अगर देखें तो यह स्थिति है कि कम से कम 10 और 15 किलोमीटर के भीतर उसके पास कोई चिकित्सालय नहीं है। मुख्यत: एक गांव ऐसा है जो कि पशुधन को अपनाये हुए है। कृषि के रूप में उनके पास में फसल न होने के कारण से, नहर न होने के कारण से, तालाब न होने के कारण से वह अपनी फसल को नहीं पनपा पाते हैं। पशु बीमार होते है, अगर उनको पैदल ले जाया जाता है तो मैं कहूंगा कि वह रास्ते में ही मर जाते है तो ऐसी सूरत में इस्माइलपुर जैसे गांव में जो बहुत बड़ी आबादी का है जिसने पशुधन को अपना साधन बनाया हुआ है उसमें एक औषधालय पशुओं की सुरक्षा के लिए खोला जाना अति आवश्यक है। इसी तरह से मेरे अपने क्षेत्र में ही इस्माइलपुर में बड़ा मीरकाबसी है और उसके बाद भटियाना ऐसे हैं जो कम से कम 10–10, 15–15 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम पशु चिकित्सालय की सुविधा नहीं है तो यह जहां हम यह कहते हैं कि पशुधन को उन्नत किया जाय और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा सारा का सारा डेयरी का जो प्लान्ट है वह इसके ऊपर आधारित है। यह मैं मानता हूं अलवर जिले में अलवर कस्बे के साथ एक बहुत बड़ा प्लान्ट डेयरी का लगा हुआ है, करोड़ों रुपये का है, लेकिन उसको जब दूध नहीं मिलेगा, उसको जो उसकी सामग्री नहीं मिलेगी तो वह प्लान्ट बेकार हो जायेगा। पशुधन के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सूखे प्रजनन हमारे यहां खोला गया था सन् 1967–68 में, आज उसके अलावा खण्डहरों की तरह हैं। वह केन्द्र बिल्कुल सूख चुका है। वह कोई संचालित नहीं हो रहा है। इसी तरह से वहां कुक्कुटशाला खोली हुई है लेकिन कोई कुक्कुट नहीं है, कोई मुर्गीपालन नहीं हो रहा है। यहां तक कि जो व्यक्ति अपने पशुधन को बढ़ाना चाहता है, कुक्कुटशाला अपनी खोलना चाहते हैं उसके लिए लोन या कुक्कुटशाला के लिए जो सामग्री उसको मिलती है उसको पैदा करने के लिये उसको सरवाइव करने के लिये मिलती है वह वहां मिल नहीं पाती है। इसके कारण से बहुत से नवयुवक साथी जो बेरोजगार हैं जो अपना धन्धा खोलना

(श्री चन्द्रशेखर)

चाहते हैं पशुधन को बढ़ा करके, उनको वह सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अर्ज करना चाहूंगा कि आज के युग में हमारे राजस्थान में पशुधन हमारे लिए एक सहारा है क्योंकि हमारे यहां वर्षा की बहुत कमी है। अक्सर उस एरिया को जो वर्षा से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान को फीड करता आ रहा है। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा बजट पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में लगता है। इसलिए लग रहा है कि जो वर्षों से मरुस्थलीय इलाके में है, मरुस्थलीय स्थिति में है उसको सिंचित करके हरियाली के रूप में परिवर्तित किया जाय। इसमें मैं यह नहीं चाहूंगा कि इस मरुस्थलीय स्थान को बदला नहीं जाय, बदलना चाहिए। हमारी खुशहाली इसमें पैदा होती है लेकिन मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि जो इलाका फीडिंग करता आ रहा है उसकी स्थिति को बिगड़ने से न रोका जाय। यह मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि पशुधन जहां आज बहुत महत्वपूर्ण है उसको बनाए रखने के लिए जहां-जहां चिकित्सालय की आवश्यकता है चिकित्सालय खोला जाय, चारे की आवश्यकता हो वहां चारे के लिए व्यवस्था की जावे, यही मैं कहते हुए आपसे अर्ज करूंगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री हंसराज मिढा।

**श्री हंसराज मिढा** (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदया नहरी क्षेत्र में कहीं भी तालाब नहीं हैं। दो तालाब पहले थे पुराने, उपनिवेशन विभाग ने वे सारे ही एलाट कर दिए हैं, खेती होने लग गयी है। अब जब नहरों में पानी नहीं है तो पशुओं के पीने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में राठी नस्ल की पचास हजार के अन्दाज गायें हैं परन्तु अच्छी नस्ल के वहां सांड नहीं हैं क्योंकि अब जैसे वह नस्ल खराब होती जा रही है, उस अच्छी नस्ल को कायम रखने के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इस नस्ल की गायें खत्म हो रही हैं। इस नस्ल को कायम रखने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जायें। सांड भी उपलब्ध कराये जायें। कम से कम तीस हजार भैंसें उस क्षेत्र में हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। चल पशु चिकित्सालय होने जरूरी हैं वहां एक छोटी सी जैसे दुकान होती है वैसी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जिसमें दवाई तो कोई मिलती नहीं मगर स्प्रिट इंजेक्शन लगाने के लिए जरूर मिल जाती है। लोगों ने चारा न होने से पशु छोड़ दिये हैं, आवारा फिरते हैं रोजाना मर रहे हैं, दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है। पागल कुत्तों की दवाइयां नहीं हैं, पशुओं को काट जाते हैं। पागल पशुओं को हमेशा नगरपालिका के कर्मचारी रस्सी से बांध कर ले जाते हैं। पशु मर जाते हैं। ऊंटों की दवाई बहुत मंहगी मिलती है उसके लिए भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार से जो खरीदते हैं बहुत मंहगी मिलती है। बाजूवाला और अनूपगढ़ गो सेवा संघ के पास 3-4 हजार गायें हैं। जिनके पास धन की कुछ कमी आ रही है उसके लिए धन की व्यवस्था करके, चारे की व्यवस्था वहां भी करनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में चिलिंग प्लान्ट सूरतगढ़ में मंजूर हुआ है वह जल्द से जल्द चालू किया जाय ताकि एरिया का दूध सप्लाई करें इससे

(श्री हंसराज मिढ़ा)

जमींदारों को राहत मिलेगी, गैर खुशहाल हैं वह अपने इसी दूध से गुजारा कर सकते हैं। सूरतगढ़ चिलिंग प्लान्ट कब तक चालू होने की संभावना है ? अनूपगढ़ तहसील में पशुधन बहुत है। वहां भी चिलिंग प्लान्ट चालू करने की व्यवस्था होनी चाहिए। चिलिंग प्लांट डेयरी फार्म के लिए बैंकों से ऋण मिलना चाहिए। बैंकों से जो 2-2 पशुओं के लिए या एक पशु की स्कीम मिलती है वह पैसा बहुत कम मिलता है। चक्कर काटते-काटते जमींदार थक जाता है और उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। बैंकों को हिदायत दी जावे कि जो भी आदमी पशु खरीदना चाहे उसको फौरन रकम दी जाय ताकि वह अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके। इस दफा फसल कम होने से जमींदार के पास और कोई साधन नहीं है। उनको पशु दिये जावें और चारे की व्यवस्था की जावे ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें।

इसके अलावा हमारे इलाके में जितनी भी भेड़ें हैं, उनके लिए भी दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं है, न उनको कोई सम्भालने वाला है। जहां भी ये चीजें हैं, ऊंट हैं, भेड़ें हैं, सरकार की तरफ से बिल्कुल लापरवाही हो रही है। सरकार अगर इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो पशु नहीं बचेगा। अगर पशु नहीं बचेगा तो जमींदार भी नहीं बचेगा। उसका जीवन पशु पर निर्भर है। वह अपनी राबड़ी बना कर गुजर कर लेता है। उसके पास और कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके यह व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(म. प. 4–01)

(श्री गिरिराजप्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बिहारीलाल पारीक।

**श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 39 पर मांडल क्षेत्र में पशुओं में फैली बिमारियों की समय पर रोकथाम करने में विभाग की असफलता और मांडलगढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा की असुविधा पर चर्चा के लिए यह कटमोशन दिए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले मैं एक ऐतिहासिक बात निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में गोपाल नहीं होता, बहुत पुराने समय की बात है, भगवान कृष्ण, गोपाल हुए। उन्होंने गौ सेवा की और हमारे देश का नाम ऊंचा किया और उसका नाम गोपाल कहलाया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : बिहारी नहीं कहलाया ?

(व्यवधान)

**श्री बिहारीलाल पारीक** : उसी प्रकार हमारे देश में नेहरू नहीं होते तो हमारा देश हिन्दुस्तान जिसका नाम संसार में हुआ, यह हमारे जवाहरलालजी नेहरू की देन थी जिन्होंने हिन्दुस्तान को आजादी में और आजादी के बाद हमारे देश को बनाने में जबरदस्त हिस्सा लिया। और हमारी महान नेता अगर इन्दिराजी नहीं होती ...

(श्री बिहारीलाल पारीक)

**एक माननीय सदस्य :** तो राजीव गांधी नहीं होते ।

**श्री बिहारीलाल पारीक :** हमारे महान नेता अगर नेहरूजी नहीं होते तो हमारी इन्दिराजी का अवतार कैसे होता । हमारी महान नेता इन्दिराजी का अवतार हुआ । वास्तव में उन्होंने बीस सूत्री प्रोग्राम बनाया और यह बीस सूत्री प्रोग्राम हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे संसार में यह बीस सूत्री प्रोग्राम हमारे हिन्दुस्तान में पिछड़े लोगों को किस प्रकार से ऊपर उठाना है उसके लिए हमारे जितने भी राज के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि और जनता के जागरूक लोग, जिनसे समझने के लिए पूरे संसार के लोग बराबर लगे रहते हैं और समझते हैं कि इस बीस सूत्री प्रोग्राम में क्या ऐसी खासियत है, यह सब इन्दिराजी की देन थी । हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने भी 1985-86 का जो बजट रखा है वास्तव में 3 करोड़ 69 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान रखा है । इंडियन डेयरी कौंसिल को पशुपालन के अपलिफ्टमेंट के लिए 68 करोड़ रुपयों की परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी उसको स्वीकार कर लिया । इससे 4 नई डेयरीज, 14 अवशीतन केन्द्र बनायेंगे और 1800 दुग्ध सहकारी समितियां और बनेंगी जिसमें प्रतिदिन दस लाख लीटर दूध का उत्पादन होगा । यह हमारे मुख्य मन्त्रीजी का 1985-86 का प्लान है जो आपके सामने रखा है । आज हमारे पशुपालन मन्त्रीजी ने जो आपकी मार्फत पास कराने वाली बात कही है, मैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसको और बढ़ाया जावे, इसको तो हमें पास करना ही है । वास्तव में प्रदेश में अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है । हमारे देश की जनता करोड़ों में है । 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जो पशुपालन पर निर्भर हैं । हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां तो, उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ही वहां के किसान केवल पशुओं पर ही निर्भर हैं ।

(व्यवधान)

आप बोलते रहिये, मैं मेरी बात सुनाता रहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वास्तव में बीस सूत्री प्रोग्राम में इसके लिए काफी पंचायत समितियों में व्यवस्था की गई है । ग्राम आधार योजना जो कि ग्रामीण पशुधन के विकास के लिए आवश्यक है किन्तु इन वर्षों में इनका विस्तार कम हुआ । इसमें मैं मेरा सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर यह ग्राम आधार योजना स्थापित होनी चाहिए और यह पशु जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि होते हैं और यह बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत जितने छोटे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं जिन पर जागीरदारों के अत्याचार, जुल्म जबरदस्त हुए, जिनको ऊंचा उठाने के लिए ये जिस प्रकार के पशुपालक हैं जिनकी गाय से दूध होता है, एक किलो डेढ किलो या पाव भर दूध होता है, हमारा किसान बराबर जबसे जन्मता है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, केवल इसी में लगा रहता है अगर हिसाब

(श्री बिहारीलाल पारीक)

जोड़ा जाय तो कोई ग्रामदनी नहीं होती। इसके लिए हमारी सरकार ने यह पुस्तक प्रकाशित की है, इसके ग्रांकड़े दूं तो बहुत देरी हो जावेगी, पर इसमें कई ग्राफिसर्स लगा रखे हैं। कई लोग लगा रखे हैं जो कि उनकी सेवा करें। पर वास्तव में स्थिति क्या है? मैं ग्रापका ध्यान इस पर ले जा रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में काफी पशु हैं, मैं खुद भी किसान हूं। मेरे खुद के भी जानवर हैं ग्रौर मुझे इसकी जानकारी है कि जैसे मनुष्य के लिए जरूरी है ग्रस्पताल, मवेशियों के लिये जरूरी है पानी। पशुग्रों पर ध्यान नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। परसों पेयजल की व्यवस्था पर कई लोग बोलेंगे। मैं ग्राज यह बात कह कर ले जाना चाहता हूं कि पशुओं को पानी दिन में दो टाईम दिया जाता है ग्रौर ग्रभी भयंकर ग्रकाल है। कई माननीय सदस्यों ने ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र की बातें कहीं, मैं ग्रपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि मेजा डेम इतना बड़ा डेम है जिसमें एक बून्द पानी नहीं है। माण्डल का तालाब इतना बड़ा है उसमें एक बून्द पानी नहीं है। हैंड पम्प जो लगाए गये हैं उनसे मवेशियों को पानी पिला नहीं सकते। बावड़ियां कुंए सब सूख गए। मैं चाहूंगा कि इसमें यह भी प्रावधान रखा जावे कि जितनी भी जल योजनायें, पेयजल की स्कीम जो चालू रहती हैं प्रत्येक गांव में एक ठौर बनाई जावें ताकि शाम सुबह मवेशियों को पानी मिल सके। घास कम मिलता है ग्रौर पानी भी नहीं मिले तो जानवर ग्राधा रह जाता है। तो फिर दूध कहां से मिलेगा।

दूसरी बात क्या है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र में जितने भी पिछड़े लोग हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं जिनको पचास प्रतिशत सब्सीडी दी जाती है, जो हरियाणा से गाय भैंस लाते हैं। मैं खुद भी हरियाणा गया। वहां के लोगों के पास बेकार मवेशी होती है, जिनका दस किलो दूध होता है, उनको देते नहीं हैं। चार किलो, तीन किलो दूध वाले जानवर हमारे आदमियों को देते हैं। हमारे यहां के सारे ग्रफसर बेईमान नहीं हैं, सारे लोग बदमाश नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने धन्धा बना रखा है। वह क्या करते हैं? हमारे भोले किसान समझते नहीं हैं इस बात को। हमारी सरकार की जो मंशा है, ग्रभी माननीय सदस्य कह रहे थे, राजीव गांधी की बहुत मंशा है कि भ्रष्टाचार रहे नहीं इस पृथ्वी पर। सब लोग ग्रगर सहयोग करें, भ्रष्टाचार कोई दवा तो है नहीं जो पिलाने से मिट जायगा। उनकी खूब मंशा है कि भ्रष्टाचार नहीं रहे। हमारा धर्म है, जो हम चुनाव जीत कर ग्राये हैं उनकी भावना से जीते हैं हम, इसलिये हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं रहे इसमें मैं सहयोग चाहता हूं। सरकारी ग्रधिकारी भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें। जो किसान हैं, जो मवेशी लेने जाते हैं चाहे वह पंचायत समिति में जाते हैं उनको कई तरह से बैंक लोन मिलता है। कई बैंक लगा रखे हैं। हमारी इन्दिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया ही इसलिये था। पहले सारे करोड़पति उससे फायदा लिया करते थे, सारे करोड़पति उद्योग लगाया करते थे। हमारे किसान को मौका तो इन्दिरा जी ने

(श्री बिहारीलाल पारीक)

दिया है यह और कोई राज नहीं दे सकता। कोई संसार में ऐसा नेता नहीं हुआ जो इंदिरा गांधी की तरह 20 सूत्री प्रोग्राम बनाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके गरीब किसान के पास पैसा भिजवा दे। अब लेने की बात है। हम लोग सजग रहते हैं फिर भी आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ऐसे जो बैंक हैं जिनका सीधा रिश्ता किसानों से है, साधारण किसान उसको समझ नहीं पाता, हरियाणा से जो भैंस लाता है वह भैंस आते ही मर जाती है।

एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने एक आंकड़ा जोड़ा है, 1983-84 में पशु औषधालय 285 थे और 1984-85 में 525 हो गये। श्रीमन्, 240 औषधालय इन्होंने खोले हैं, मेरे क्षेत्र में एक भी नहीं खोला। जब 200 कान्स्टीट्यूएन्सीज हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या कारण बना कि मांडल क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला? पशु चिकित्सालय का जहां तक प्रश्न है, दो तीन जगह मेरे यहां है। बड़े-बड़े गांव हैं, वह पंचायत समिति के मार्फत चलते हैं। उनमें दवा नाम की कोई चीज नहीं है, कोई दवा नहीं है। जितने पशु चिकित्सालय के अफसर हैं....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आप चिकित्सालय की बात कर रहे हैं। अब खुल जायेगा।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब ने खूब किया इनको फिर भी सन्तोष नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं, हमारे किसान कितने सन्तोषी हैं। गाय, भैंस का पालन करके जीवन चलाते हैं इसलिये कभी-कभी मैं तो यह कहता हूं—

गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान।
जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान।।

इसलिये सन्तोष हो ही नहीं सकता इनको। हमें तो बड़ा सन्तोष है, इनको कभी सन्तोष होता नहीं। हमारे किसान बहुत सन्तोषी हैं। मेरा सुझाव है, मैं यह चाहता हूं कि 200 तहसीलों में 240 पशु औषधालय खुले, श्रीमान्, यह आंकड़ा है इनका, पर मेरे यहां पर एक भी नहीं खोला। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पशु मेला लगता है उसमें हम लोग भी जाते हैं। मैं यह सच बात कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र में पशुपालन के कई अधिकारी होंगे, जिला अधिकारी भी होंगे, वह शायद यहां आये हुए हों तो पता लगा लीजिये, मुझे नहीं पहचानते वह। इसका मतलब यह हुआ कि जनता से उनका डायरेक्ट सम्पर्क नहीं है।

**एक माननीय सदस्य** : यह आपकी कमजोरी है।

(व्यवधान)

**श्री बिहारीलाल पारीक** : खैर, प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, करेड़ा, बागोर गांव में मेला लगता है और मेले में हम लोग जाते हैं। उन मेलों को प्रोत्साहन दिया जाये। यह सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंच जाते हैं। राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा, पहली बात तो यह है,

(श्री बिहारीलाल पारीक)

जब अकाल होता है और वहां मेला लगता है तो पशुओं की बिक्री कम होती है। वहां पर, मैं चाहूंगा, राजस्थान सरकार इनाम रखे और उसे दे जिस किसान का बैल ज्यादा कीमत में बिकता है, जिस किसान के ज्यादा दूध भैंस का होता है। हमारी जो गाय, भैंस हैं उनका डेढ-डेढ किलो दूध होता था। इन्दिरा गांधी के बनाये हुए प्रोग्राम के तहत, कांग्रेस सरकार के बनाये हुए प्रोग्राम के तहत, दूध उत्पादन वाली योजना के तहत जो किसान लाभ उठाता है, जितना ज्यादा लाभ उठता है उसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय ताकि दूसरे किसान उस चीज को समझें। यह सही है कि जितनी भी भैंस और गायें वहां पर आती हैं उनका बीमा नहीं होता है। अगर बीमा होता है तो जितने भी सरकार में अच्छे अफसर हैं वह तो मदद करते हैं। पर कहीं-कहीं मेरे जैसे आदमी के बुरे अधिकारी पल्ले पड़ जाते हैं, बहुत दिन तक वह बीमा योजना समय पर किसानों को बताते नहीं हैं। डी. आर. डी. ए. के तहत जितनी भेड़, बकरी खरीदी गई मैंने कई जगह बार-बार जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है, भेड़ें खड़ी रहती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और वह भेड़ें खरीदी नहीं जाती क्योंकि बैंक में 25 पर्सेन्ट जमा कराना पड़ता है। यह एक प्रेक्टिकल प्रक्रिया है। यह क्या करते हैं? यह 25 की लिमिट होती है, उसमें 20 खरीदते हैं पांच खरीदते ही नहीं हैं। पहले की पांच मरी हुई बता देते हैं। 20 रहती हैं उसके अन्दर पांती कर लेते है, बंटवारा कर लेते हैं। किसान यह समझते हैं मुझे तो पचास रुपये सब्सिडी मिली है। मैं तो यह चाहूंगा, सब्सिडी उसको नहीं देकर उसके ब्याज में कम कर दिया जाये। यह गौ पालन का मामला है, पशुपालन का मामला है। सब्सिडी जब दी जाती है तो किसान यह समझता है कि मुझे आधा पैसा तो फ्री में मिल रहा है। और वास्तव में मिल रहा है। होता यह है कि उसका हिस्सा बन जाता है। इसको बैंक में ब्याज के रूप में कम कर दिया जाये। मेरा एक सुझाव है कि यह सब्सिडी का पैसा डायरेक्ट उनको नहीं दिया जाकर, ब्याज में जोड़ा जाकर किसान चाहे गाय ले, चाहे भैंस बकरी ले, उसके लिये दिया जाय तो निश्चित रूप से किसान का भला होगा। बाकी सब्सिडी में तो कई हिस्से हो जाते हैं। ऐसे लोग किसानों का भला तो नहीं चाहते लेकिन हमारे बच्चों को पहले पालना चाहते हैं, यही मंशा होती है, प्रकृति का नियम है, क्या किया जाय।

राजीव गांधी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। वह तो धीरे धीरे होगा, बहुत देर लग जायगी। इस बीच में मैं चाहता हूं कि एक सुझाव दिया जाये, यह जो सब्सिडी देने की प्रक्रिया है, डायरेक्ट नहीं दी जाय। मन्त्री महोदय, आज जब जवाब दें तो मुझे बतायें। है तो यह बहुत बड़ा मामला, कोई मांडल क्षेत्र का ही नहीं राजस्थान का, हिन्दुस्तान का मामला है। हिन्दुस्तान में जो हमको ऐड मिलती है, सब्सिडी मिलती है उसके लिये हम सुझाव भेजें, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट सुझाव भेजे कि यह पैसा डायरेक्ट नहीं दिया जाये। इससे न तो अफसर के हाथ में आयेगा और न किसी के हाथ में आयेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, जब तक आपके भाषण में एक न एक बार राजीव गांधी, इन्दिरा गांधी, का नाम नहीं आये तब तक पशुपालन पर इनकी बहस पूरी नहीं मानी जाय।

**अनेक माननीय सदस्य** : आपको क्या तकलीफ हो रही है।

(व्यवधान)

**श्री बिहारीलाल पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पशुधन विकास के लिये 1,26,00,000/- रुपये की एक योजना बनायी है। यह महत्वपूर्ण योजना है।

(व्यवधान)

मेरे जिले में भी यह योजना लागू है।

**एक माननीय सदस्य** : पशु चराने में राजीव गांधी का नाम आ रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपके सुझाव आ गये सब। बहुत उपयोगी सुझाव हैं।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इनको प्रगति पसन्द नहीं है। मैं नहीं कहना चाह रहा था, 1977 से 80 के बीच में मैं सरपच रहा, मैं जानता हूं. इन्होंने किस तरह से इन्दिरा गांधी के धन का दुरुपयोग किया, सत्यानाश कर दिया। कोई चारा नहीं छोड़ा। अब मैं कहना चाहता हू, ये मेरी बात सुनें। मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। वहां अकाल भयंकर है, जबरदस्त है। घास मेरे क्षेत्र में नहीं है।

(व्यवधान)

इनको पीड़ा नहीं है इस बात की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज की तारीख में घास नहीं है।

**श्री दिग्विजयसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरपच थे, मैं मन्त्री था। मैं जानता हूं क्या-क्या किया है।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : इनकी बहुत बड़ी कृपा है। पंचायत राज मन्त्री थे तब मेरे क्षेत्र में आये थे। मैं वहां मौजूद था। मैंने इनका बड़ा स्वागत करवाया और इनको सारी स्थितियों से अवगत कराया कि हमारे किसानों का किस प्रकार शोषण हो रहा है माननीय पंचायत राज मन्त्रीजी देखिये। इनके साथ आदिवासी लोग थे, उन्होंने कहा यह हमारे लोग हैं, हमारे साथ रहें। हमारा तो कार्य किया ही। मैंने आपको वहां पर सुझाव दिये थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : बहुत सुझाव आ गये, अब समाप्त कीजिये। बहुत समय हो गया आपको।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : भयंकर अकाल है, इस समय घास नहीं है। मैं

(श्री बिहारीलाल पारीक)

कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार बहुत सजग है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी बहुत सजग हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरा सुझाव है, इस समय बरसात होनी चाहिये थी, यह सावन का महीना चल रहा है इस समय तो हरी घास मवेशियों के लिये होनी चाहिये। आज पशुपालन का विषय है, मुझे बड़ी चिन्ता है कि मेरे क्षेत्र में गये मुझे पांच दिन हो गये, वहां की जनता चारा खोज रही है। घास भी नहीं है, सोखला चालीस रुपये मन हो गया। एक रुपये किलो का सोखला मवेशी को नहीं खिला सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, कई हमारे प्रोग्राम अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विरोधी पक्ष चाहे इसको माने या नहीं माने, पर आज की तारीख में जो व्यवस्था करनी है, उसके लिये राजस्थान सरकार को मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में आप जिलाधीश को तार दें, आज ही तार दें। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास एक पैसा नहीं है। जिनका दूध डेयरी में जाता है उनको डेयरी उधार दें। सहकारी समितियां उनको उधार दें। इस तरह उधार दिला कर मवेशी को बचायें। यह मुझे बहुत भयंकर चिन्ता है।

आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ——

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पानी नहीं, घास नहीं, हालत बड़ी खराब है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि निश्चित रूप से वहां घास की व्यवस्था की जाये।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया, बहुत सुझाव आ गए।

(व्यवधान)

**श्री बिहारीलाल पारीक :** उपाध्यक्ष महोदय, चरागाह की भूमि जिस पर काफी कब्जा है वन विभाग का, वह जंगलात की भूमि है वहां बकरियों का चराना वन विभाग वाले लेते हैं 8 महीने का, जिसमें 3-3 रुपए लेते हैं, भैंस का दो रुपया लेते हैं और तीन वसूल करते हैं। गायों का 1/– लेते हैं जिसमें 3/– वसूल करते हैं और उस वन का सत्यानाश करवा दिया है। इसलिए उसको रोक रहे हैं क्योंकि अकाल पड़ता है हमारे यहां कई बीड़ हैं जिनका घास अगर रोक लिया जाय तो वह इस मौके पर काम आ सकता है। मेरा सुझाव है कि वन विभाग के अधिकारी भी ध्यान दें इस पर कि वह घास जितनी भी बचा लें तो हमारे लिए काम आएगी और हमारा पशुधन बच सकेगा। मैं यही भावना दर्शाता हुआ, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने मांग रखी उसको पास करें, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भगराज चौधरी।

**श्री अमरचन्द (गंगरार) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि आज यहां पशुओं का जो प्रकरण चल रहा है उनके लिए दवाइयों का स्टाक अस्पताल में बहुत कम है यह मात्रा अस्पताल में, प्रत्येक जगह पर उसका स्टाक बढ़ाया जाय। अगर

(श्री अमरचन्द)

आदमी बीमार होता है तो उसके लिए इलाज का हर जगह इन्तजाम रहता है लेकिन पशुओं के लिए क्या व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया बैठें।

**श्री अमरचन्द :** उनकी हालत मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट वहां दवाइयों के अभाव के कारण कई मवेशी खत्म हो गये। चार-चार हजार की भैंसें खत्म हो गईं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पशुओं के लिए दवा का जितना आप स्टाक कर सकते हैं, करावें, यही निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भगराज चौधरी।

**श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पशुपालन से संबंधित मांग को लेकर हमारे सदन के अन्दर चर्चा चल रही है। वाकई में राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए पशुपालन का धन्धा और पशुओं की देखभाल का धन्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का लगभग आधे से अधिक हिस्सा, विशेष कर पश्चिमी राजस्थान का उसकी विशेष भौगोलिक स्थिति होने के कारण से वहां के लोगों के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन का धन्धा भी जीवन यापन का एक मुख्य धन्धा बन गया, यह सर्व विदित बात है। इसलिए मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पशुपालन के धन्धे के विकास के लिए, चरागाह के विकास के लिए और पशुओं की देखभाल के लिए, पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए और पशु-पालन कार्यक्रम में जितनी हम तेजी ला सकें, जितना इसमें सुधार कर सकें करना चाहिये। इन सब बातों के लिए हमें जितना ध्यान देना चाहिए था उतना पिछले वर्षों में हमने ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा यह निकला कि करोड़ों की संख्या में हमारा पशुधन है उनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ कमजोर हैं और बहुत सा पशुधन है। उसके कमजोर होने का कारण यह है कि चरागाह की सुविधा नहीं है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं है, पानी का पूर्णतया अभाव है और केवल मात्र ईश्वर के भरोसे पर हमारा पशुधन मारा-मारा चरागाह की तलाश में अपने स्थान को छोड़कर अपने जिले को छोड़कर दूरदराज क्षेत्र में आया करता है। वहां जाने पर कई दफे ऐसा होता है कि पशुधन के रखवाले, गडरिये और पशुपालक लोग चारा जब नहीं मिलता है तो वहां के लोगों की, वहां के काश्तकारों की जो फसल होती है उसमें भी यदा-कदा उनके मवेशी घुस जाते हैं। जो हमारे जंगलात की भूमि है, जो हमारे जंगलात का क्षेत्र है उसमें भी अतिक्रमण करते हैं और उनमें अतिक्रमण होने से न केवल जंगल ही बर्बाद होते हैं बल्कि खेतों में मवेशी घुसने पर हमारी फसल बर्बाद होती है। उससे झगड़े बढ़ते हैं मुकदमेबाजी होती है और कई दफे बड़ा भयंकर रूप धारण करती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय और हमारी सरकार यदि गंभीरता से ध्यान में रखे कि हमारा आधे से अधिक धन्धा लोगों के जीवन यापन का खेती के साथ पशुधन है और करीब पांच करोड़ से अधिक की संख्या पशुधन की है यानि हमारी आबादी साढ़े तीन करोड़ है और हमारे पशुधन की संख्या पांच करोड़ यानि हमारे से डेढ़ी, तो इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी

(श्री भगराज चौधरी)

हमारे यहां पर पशुओं के लिए, उनके विकास के लिए जो सब प्रकार के विकास के कार्यक्रम हैं चरागाह विकास आ गया, नस्ल सुधार आ गया उसमें चिकित्सालय की सुविधा भी आ गई और रख-रखाव का खर्चा भी आ गया, स्टाफ का खर्चा भी आ गया मकानों की मेंटेनेंस, बनाना, करना सब मिला करके केवल मात्र हमारे बजट में तीन करोड़ के आस-पास है, पिछले साल था तीन करोड़ बीस लाख के आस-पास और इस साल भी मेरे ख्याल से जहां तक मेरा ध्यान है तीन और साढ़े तीन करोड़ के आसपास ही है। यानि आज इतना बड़ा महत्व का हमारे लिए पशुधन का मामला होने के बावजूद भी हम प्रति पशु कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मुझे माफ करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रति पशु केवल मात्र 60 पैसे खर्च करने जा रहे हैं यानि फिजूल खर्ची बहुत करेंगे शहरों में बाग-बगीचे बनायेंगे, और दूसरी बातें करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे मगर जो हमारे आर्थिक जीवन का मुख्य आधार पशुधन है उसके रख-रखाव के लिए, उसकी नस्ल सुधारने के लिए, उसके चारे पानी के लिए और उसके चरागाह विकास के लिए हम किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह बहुत गम्भीर चिन्तनीय विषय है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार पश्चिमी राजस्थान में खास कर जहां बरसात बहुत कम होती है और पानी के अभाव में हमारे मवेशियों को बहुत मीलों तक चलना पड़ता है। ऐसी भी बहुत जगह हैं जहां मवेशी को पानी पिलाते हैं तो आज को छोड़िए कल शाम को जाकर पानी मिलेगा यानि 48 घण्टे तक मवेशी को पानी नहीं मिलता। तो इस प्रकार की हालत को देखते हुए मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था कैसी हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की मार्फत तो पशुओं को पानी मिलना मुश्किल है क्योंकि आज ऐसी हालत है हमारी कि जो पानी प्राप्त करने के स्रोत हैं उनमें मनुष्य को पीने के लिए भी पानी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आखिर यह पानी तो बरसात से आता है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर में कमी हो जाती है तो पानी की सतह नीची हो जाती है। तो पानी की मात्रा दिनों दिन कम होती चली जा रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां बरसात कम होती है वहां पर हमें पक्के टांके बनाने चाहिये। अभी भी इन दो तीन सालों में कुछ क्षेत्रों के अन्दर सरकार ने खास कर डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम है या ऐसे 10–12 जो जिले हैं उन जिलों में जिला विकास अभिकरण के माध्यम से सरकार ने कुछ टांके बनाए हैं। पशुओं के लिए वह टांके इतनी कम मात्रा में हैं कि जिस गांव के अन्दर पांच हजार मवेशी होते हैं उसमें आपने अगर एक टांका बना भी दिया तो आप कैसे अन्दाज लगायेंगे कि किसी प्रकार से सारे मवेशियों को पानी मिल जायेगा। इसलिए उन गांवों में जहां पर पानी बरसात का इकट्ठा होने पर थोड़े महीने पड़े रहने पर खारा हो जाता है क्योंकि उसमें लवणीयता है, उसमें सेलाइनटी पैदा हो जाती है इसलिए पड़ा पड़ा पानी खारा हो जाता है नालों के अन्दर, तालाबों के अन्दर तो इस प्रकार गांव के अन्दर कम से कम 2, 4, 5 टांके सरकार बनाने का विचार करे। चाहे पैसा कहीं से भी आये मगर कम से कम मवेशियों के लिए पीने के

(श्री भगराज चौधरी)

पानी का इन्तजाम करना ही पड़ेगा । अगर इन्तजाम नहीं करते हैं तो हमारा पशुधन पानी के अभाव में, पानी नहीं मिलने के अभाव में थका मांदा रह कर, और चारा भी नहीं मिलता है इस कारण से जीर्ण-शीर्ण होकर धीरे-धीरे उसकी क्षमता कम हो जाती है । उसमें दूध देने की मात्रा कम हो जाती है और हमारे पशु मौत के शिकार हो जाते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बारे में ज्यादा धन का प्रावधान करे । हमारे यहां पांच करोड़ पशुधन है और क़रीब तीन करोड़ का बजट रखा है वह काफी कम है । साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने निवेदन किया कि जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहां पशुधन है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस बजट के अन्दर ही बजट प्रावधान बढ़ा कर और कम से कम प्रति पशु के हिसाब से एक रुपये का प्रावधान तो होना ही चाहिए और यह बजट एलोकेशन बढ़ावें, जो बढ़ाना चाहिए । तो मेहरबानी करके, स्टाफ को सुविधा देने के लिए नहीं खर्च करें, स्टाफ को सुविधा बढ़ाने की मैं वकालत नहीं कर रहा हूं । मेरा खुद का विचार है कि आज हमारा जो पशुधन है उसका मालिक पशुपालक और काश्तकार की क्या हालत है । हमें विभाग की मार्फत जो लिट्रेचर वितरण किया गया, उसके विवरण में खुद ने लिखी है कि पशुधन का धन्धा करने वाला व्यक्ति पशुपालक और किसान सबसे जीर्ण-शीर्ण हालत में हमारे समाज का अंग है । यानि पशु पालन का धन्धा वे लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं । अपना घर छोड़ कर दूसरे प्रान्त में, दूसरे जिलों में जाते है तो वापिस पता नहीं बच्चों से मिलने कब आयें । इस प्रकार की हालत को देखते हुए मेहरबानी करके थोड़ा पशुधन पर और जो पशुपालक हैं उन पर दया करिये और फिजूल खर्ची कम करके आप एलोकेशन बढ़ायें ।

मैं साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि 5 करोड़ की संख्या है हमारे पशुधन की, उनके लिए चरागाह की कमी है । सच्ची बात तो यह है कि हमारे पास में चरागाह डवलप करने के लिए भूमि नहीं है । राजस्थान रेवेन्यू एक्ट जो आपने 1956 के अन्दर बनाया था तब उसमें हमने यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक गांव के अन्दर कम से कम एक पशु के पीछे आधा बीघा गोचर छोड़ा जायेगा । मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, और जिलों का तो मुझे ध्यान नहीं, मगर जालौर जिले के अन्दर जहां 700 गांव हैं एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें प्रति मवेशी के पीछे आधा बीघा गोचर उपलब्ध हो अथवा किसी प्रकार से चरने के लिए भूमि उपलब्ध हो वहां पर । इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास चरागाह डवलप करने के लिए और पशुओं की चराई के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है । तो हमें क्या करना पड़ेगा, भूमि तो बढ नहीं सकती, ट्रेसपास नहीं कर सकते । तो मेरा निवेदन है कि बेकार के जो पशु हैं उनको हमको घटाना पड़ेगा । हमें क्वान्टिटी बढ़ाने के बजाय क्वालिटी पर जोर देना पड़ेगा । क्वालिटी पर जोर देने की बात होती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार को हमारे पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए व्यापक तौर पर कार्यक्रम हाथ में लेना

(श्री भगराज चौधरी)

चाहिए और यह करके टाइम बाउण्ड प्रोग्राम अपने हाथ में लेना चाहिए। आज समय ऐसा आ गया है कि पशुधन चारे के अभाव में, पानी के अभाव में, ये इस हालत में हमारे लिए किसी के काम के नहीं, केवल मात्र जीव का कंकाल हमारे सामने खड़ा रहता है। उसके पास केवल हड्डी है, शरीर है, न दूध देगा, कुछ नहीं है। ऐसी हालत हो गयी है कि मालिक सोचता है कि किसी न किसी तरह दूध देने वाले मवेशी को अपने पास रखो, दूध देना बंद कर दिया तो, मैं अपने खुद की बात निवेदन करना चाहता हूं, मैं काफी सालों से मेरे घर में जालौर में जहां हैड क्वार्टर मेरा जिला है वहां पर धन्धा करता हूं, मैं मवेशी रखता हूं दूध के लिए। मेरे पास में चार भैंस थी, दो दूध देने वाली और दो उसकी पाड़ी। अभी थोड़े दिन पहले, मैं अच्छा पैसा कमाता हूं, पर मेरी हालत मैं जानता हूं। एक भैंस दूध देती है और दूसरी ने दूध देना बन्द कर दिया चार-पांच महीनों से तो मेरे लिए समस्या हो गयी। मैं कहां से चारा लाऊं, कहां से पानी लाऊं चारा इतना महंगा कि मैं 500-700) रु० प्रति माह खर्च करूं तब भी जो भैंस दूध नहीं देती है उसका मैं इस समय पालन-पोषण नहीं कर सकता। जब वह भैंस गयी, आज तीन हजार की भैंस होगी मगर मुझे हजार बारह सौ में उस भैंस को बेचना पड़ा। मेरा बहुत सम्पर्क है उस क्षेत्र के किसानों से मगर मैंने उनसे कहा मेरी भैंस खड़ी है, मेहरबानी करके कोई न कोई किसान उसको ले जावो मगर कोई भी किसान मेरे क्षेत्र में उस भैंस को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप सोचिये क्या हालत है उस की इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप पशुधन की नस्ल सुधारने पर ज्यादा जोर दीजिये। जो वहां पर, हमारी नस्ल है, कहीं राठी की भी है, हमारे वहां पर मुर्रा जो भैंस हैं और जो भेड़ें हैं, जो बकरियां हैं उसमें अच्छी नस्ल की है, उनकी जो नस्ल है उनको डवलप कीजिये। उनको सुधारने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने मवेशियों के लिए क्षेत्र बनायें। आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन की स्थापना करिये और इस बात की व्यवस्था करिये कि कम से कम किसान के लिए हैड क्वार्टर के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत समिति केन्द्र पर हमारे आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन सेन्टर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारा जो पशुधन है उसकी नस्ल सुधरे। चाहे भेड़, बकरी वाला मामला हो, चाहे गाय का मामला हो और चाहे भैंस का मामला हो; ताकि धीरे-धीरे कुछ समय के अन्दर हमारे जो बेकार के पशु हैं वे कम हो जायेंगे, अच्छा दूध देंगे। साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो पशुपालन का महकमा है, उस महकमे के मार्फत आप विशेषज्ञ के साथ भेड़, बकरी पालने वाले जो पशुपालक हैं गडरिये लोग हैं उनको ट्रेनिंग दीजिये कि आप इस प्रकार की मवेशी रखें, इस प्रकार की भेड़, बकरी रखें ताकि आपको अच्छी ऊन मिले और अच्छा आपको दूध मिले और आपके लिए वह जानवर उपयोगी सिद्ध होगा। वरना हजारों की संख्या के अन्दर मुझे मालूम है, मैं किसान जाति का हूं, गांव में रहता हूं और काफी मेरा सम्पर्क है, आये दिन किसानों के झगड़े होते हैं, किसानों के और पशुपालकों के। पशुपालक अपनी मजबूरी के कारण से जब भी बरसात होती है अपनी

(श्री भगराज चौधरी)

मवेशी को किसान के खेत में डाल देते हैं और उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। उसके कारण से गांव में अशांति भी पैदा होती है, झगड़े भी बढ़ते हैं, मुकदमेबाजी भी होती है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग अपनी मवेशी की नस्ल सुधारें, उस पर ज्यादा जोर दें और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर नहीं बल्कि पंचायत समिति पर आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन सेन्टर की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, मवेशियों के लिए होनी चाहिए। इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा यह जो आपका शीप ब्रीडिंग फार्म है वह बोगस प्रोग्राम है। किसलिये बोगस प्रोग्राम है कि आप भेड़पालन सिस्टम बनाते हैं उसमें 12-15-20 भेड़पालक होते है, उसमें भेड़ें होती है 1780, परन्तु शीड ब्रीडिंग फार्म 16 हैक्टेयर के आसपास भूमि का उपयोग करना चाहता है। अब अगर मान लें आपके पास 70-80 भेड़ें हैं और अगर उस फार्म में रख भी लेते हैं तो पशुपालकों को 60-70 भेड़ों के पीछे 100 बीघा जमीन चाहिए चराई के लिए। उसका मतलब यह हुआ कि एक भेड़ के पीछे आप करीब 8 बीघा, 10 बीघा जमीन एवरेज लेंगे। जबकि बाकी सारे गांव के मवेशी जो हजारों की संख्या में हैं उनके लिए तो 300 बीघा 400 बीघा भूमि नहीं बचती है बाद में। आप अकेले शीप ब्रीडिंग सिस्टम के नाम से करीब 100 हैक्टेयर जमीन लेते हैं। वहां जाने से बाकी सारे जो गांव के मवेशी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ऊंट हैं, दूसरे प्रकार के उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है चरायी की। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बोगस प्रोग्राम है, इसको आप खत्म करिये। अगर आपको चरागाह डवलप करना है तो केवल मात्र भेड़ों के लिए मत करिये, आप सभी प्रकार के मवेशियों के लिए करिये। आपके विभाग की मार्फत सभी प्रकार के मवेशियों के लिए चरागाह डवलप करने के लिए आपका व्यापक प्रोग्राम होना चाहिए यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जालौर जिले के अन्दर अभी शीप ब्रीडिंग फार्म का जो मैनेजर है, जो पशु के लिए अधिकारी है, मेरे हैड क्वार्टर पर, मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने सिस्टम हैं? उन्होंने मुझे बताया कि करीब 25 सिस्टम हैं और उनके पास 1500 भेड़ें हैं फिर मैंने पूछा कि वहां पर मवेशी कितने हैं, आपके पास जमीन कितनी है इस 25 सिस्टम के पीछे तो उन्होंने बताया कि हमारे पास करीब करीब आप समझिये 25 हैक्टेयर हमारे पास है 15 हजार बीघा जमीन, तो 15 हजार बीघा जमीन के अन्दर केवल मात्र उनकी 1200 या 1500 भेड़ें उसमें चर रही हैं यानी एक भेड़ के पीछे करीब 8 बीघा, 10 बीघा जमीन रोके बैठे हैं। और करते क्या हैं, उपाध्यक्ष महोदय, केवल वहां तार लगाते हैं, छोटा मोटा कुवां खोद लिया और इसके अलावा बाकी काम करने का तो राम का नाम है। यह जो बोगस प्रोग्राम है उसको खत्म करिये, चरागाह का विकास करिये और चरागाह करने के बाद सभी प्रकार के मवेशियों को उसमें अलाऊ करिये। यह हो सकता है कि अगर वहां इस साल मवेशी आती है तो उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है चरागाह की चरायी में तो आप उसका ग्रेडेशन कर दीजिये। पूरा जो आपका चरागाह का क्षेत्र है गांव का, उसको तीन-चार हिस्सों में बांट करके और इन्स्टालमेंटस

(श्री भगराज चौधरी)

के अन्दर एक हिस्सा पहले आप डवलप कर लीजिये, दो-तीन साल रखिये उसके बाद अलाऊ कर दीजिये उसको दूसरा लीजिये और इस प्रकार से करते-करते तीन चार साल के अन्दर आपके पूरे गांव का चरागाह जो है वह 500–700 बीघा है उसमें अच्छा-अच्छा चारा आने का उसमें डवलप हो जायेगा- जो सारे मवेशियों के लिए काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा इम्पोर्टेन्ट मामला है, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब पशुधन के बारे में हमारे लिये इतना महत्व है, हमारे जीवनयापन को देखते हुए, हमारे आर्थिक ढांचे को देखते हुए जहां कहीं भी हो सके हमें मवेशियों से उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं हैं, समुचित रूप से किसानों के द्वारा वे चीजें बेची जाये उसके लिए हमारे पास स्थान भी होने चाहिए। खास तौर से मवेशी से हमें दूध मिलता है। जालौर जिले के अन्दर एक बहुत बड़ी डेयरी लगी हुई है उसका नाम है आयडल डेयरी, वह अच्छी डेयरी है। मुझे मालूम है कि हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं शीश राम जी साहब, वे पिछले 4–5 महीनों के अन्दर जालौर आये, रानीवाड़ा गये, सांचोर गये, डेयरी उन्होंने देखी होगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए हमें इस बात का फक्र है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के अन्दर एक बहुत ही शानदार डेयरी है परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि वह डेयरी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करेगी। डाक्टर सिक्का साहब थे जो केन्द्रीय सरकार में काम करते थे। डेयरी विकास के नाम से उन्होंने वह बनायी रिटायरमेन्ट होने के बाद, दो-तीन साल तो उन्होंने चलाया, उसके बाद उन्होंने टाटा साहब को बेच दिया और टाटा ने पता नहीं किस कारण से उसको बन्द कर दिया।

हम चाहते हैं कि कम से कम जब इस प्रकार की डेयरी है तो उसका उपयोग हो सकता है, रानीवाड़ा के अन्दर जालोर जिले के अन्दर। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार उसको चालू करने के लिए किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करे। अपने हाथ में अगर ले सकती है तो, और अपने हाथ में नहीं ले सकती है तो दूसरी व्यवस्था करे। हमारा डेयरी विकास का प्रोग्राम है, जैसा मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने 10 लाख लीटर प्रतिदिन दूध इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने के लिए बहुत बड़ा एम्बीसियस प्रोग्राम बनाया है। एक तरफ तो प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ रानीवाड़ा की डेयरी जो है, उसकी रोजाना की क्षमता डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन दूध को काम में लेने की है, इस प्रकार का महत्वपूर्ण संयंत्र खाली पड़ा है उसको क्यों नहीं ले रहे हैं। एक साल से नहीं वह पांच छः साल से बेकार पड़ी है। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके मार्फत कि सरकार उस पर शीघ्र ध्यान दे और जल्दी उसको अपने हाथ में ले ताकि वहां के जो पशुपालक

(श्री भगराज चौधरी)

जो किसान हैं उनको दूध बेचने का मौका मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नत्थीसिंह।

**श्री शोपत सिंह** : मेरे दल का ध्यान नहीं रखते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : हमारी विनती को सुनें। हम सारा तमाशा देख रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी बोलेंगे। बैठें।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : नमक ही नमक हो जायेगा।

**श्री नत्थी सिंह** : मैंने किसी परिस्थिति में विशेष तौर से इजाजत मांगी है।

**एक माननीय सदस्य** : बड़े-बड़े आदमियों का तो नाम लेते हैं और हमारी कोई सुनता नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बैठें।

**श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पशुधन है यह राजस्थान की जनता की जीविका का बहुत बड़ा साधन है....

**श्री दिग्विजय सिंह** : यह पक्षपात नहीं होना चाहिए।

**श्री नत्थीसिंह** : लेकिन इस सदन में कुछ इस तरह का ख्याल बन गया कि जो पशुधन जीविका का बड़ा साधन है वहां केवल पश्चिमी राजस्थान की ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है. पूर्वी राजस्थान में भी पशुधन हमारे किसानों की जीविका का बहुत बड़ा साधन है। इतना ही नहीं हमारे पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी नस्ल के पशु जब से पशु ब्रिडिंग प्रोग्राम चालू हुआ है तबसे अच्छी नस्ल की गायें, भैंसें और बैल पर काफी किसान अपना खर्च करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हम कोई भी योजना बनायें तो यह ध्यान रखें कि समग्र राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और, पश्चिमी राजस्थान में पशुधन को राहत देने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा व्यय करें। इस बात को ध्यान में रखें। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, पीछे से भी आवाज आ रही थी कि 5 करोड़ पशु हैं और उन पर जो खर्च रखा गया है वह 7 पैसे एक पशु पर आता है यह नाकाफी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के पशुधन को हमें सुरक्षित रखना है। मनुष्य के बाद कोई सबसे बड़ी भारी हमारे पास सम्पदा है तो पशुधन है लेकिन आज उसके चारे की व्यवस्था, उसके रख रखाव की व्यवस्था किसान करेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सरकार तो कुछ कर नहीं पायेगी। लेकिन चिकित्सा की व्यवस्था किसान नहीं कर सकता है, वह चिकित्सा की व्यवस्था हमारी सरकार को करनी होगी। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में 40 हजार पशुओं के ऊपर एक चिकित्सक है जबकि पंजाब में 9 हजार पशुओं के ऊपर एक चिकित्सक है, हरियाणा में 7 हजार पशुओं के ऊपर एक

(श्री नत्थीसिंह)

चिकित्सक है, यू. पी. में 15 हजार पशुओं के ऊपर एक चिकित्सक है। इस तरह की व्यवस्था आज है। उससे निश्चित रूप से हमारे ज़िले में ही, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि अभी खुरतका की बीमारी चली और किसानों के सैंकड़ों अच्छी नस्ल के पशु मर गये। कोई बचाव नहीं कर पाये।

यह बात दूसरी है कि जिला स्तर पर जो आपके चिकित्सालय हैं उनमें कुछ व्यवस्था होगी लेकिन दूर दराज के गांवों में कोई व्यवस्था नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बजट पर जब विचार कर रहे हैं तो इस बात पर विशेष तौर से ध्यान दें कि जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें गांवों में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सालयों की व्यवस्था हो और उसके साथ मोबाइल यूनिट्स होने चाहिए ताकि गांव वालों को राहत मिल सके।

आज यह स्थिति नहीं है, हमारे यहां है। मैंने देखा है कोई खास व्यवस्था ऐसी नहीं रखी गयी है जिससे गांवों में ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोले जायें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले में और खास तौर से मेरे कुम्हेर क्षेत्र में, जो बहुत ही खारा और दूर दराज का इलाका है, पांच पशु चिकित्सालय तो गांवों में खोले जाने चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कई माननीय सदस्यों ने कहा है, लेकिन मैं एक दूसरी बात का विचार रखता हूं। यह पशु चिकित्सालय की बात सही तौर पर क्यों नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि यह जो ढांचा है आपके विभाग का उसमें सुधार की जरूरत है। एक प्रथा चल गयी है, पहले इस विभाग का जो अध्यक्ष होता था वह पशु चिकित्सक में से होता था लेकिन आज व्यवस्था बदल गयी है। टेक्नोक्रेट के बजाय आई. ए. एस. को ले आये, उन्हें बिठा दिया, यह गलत है। मेरी मान्यता है कि इस विभाग का अध्यक्ष चिकित्सकों में से बनाया जाय। उसको ज्ञान होता है। नीचे से आयेगा तो निश्चित रूप से वह अपने विभाग के लोगों की समस्याओं को ज्यादा समझेगा और सुधार ज्यादा कर पायेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस प्रथा को बदलें। जो आज आई. ए. एस. को सब जगह बना देने की प्रथा है, रामबाण दवाई हम ने मान रखी है, वह गलत है।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग में आज 100 चिकित्सकों की जगह खाली हैं एक तरफ तो गांवों में चिकित्सक नहीं हैं, फिर ये क्यों खाली हैं? क्यों नहीं भरी जाती हैं? जो बहुत जरूरी है। यह बात सही है कि आपके पास कुछ धन की कमी हो सकती है लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ठीक बात नहीं होगी। जो पशु चिकित्सकों के वेतनमान हैं उनके संबंध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में, मध्यप्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में उनके वेतनमान वही हैं जो मानव चिकित्सकों के हैं। आसाम में तो उनके वेतनमान मानव चिकित्सकों के वेतनमान से भी ज्यादा हैं। राजस्थान में राणा-

**(श्री नत्थीसिंह)**

वत वेतन आयोग से पहले पशु चिकित्सकों के और मानव चिकित्सकों के वेतनमान एक से थे लेकिन उन्होंने कहा कि प्रवेश अर्हता के आधार पर उनकी तो पी. एम. टी. होती है इनका कोई डिप्लोमा होता है उसके आधार पर इनके वेतनमान कम कर दिये गये। पर आज वह स्थिति नहीं है। वह भी डिग्रीधारी होता है और यह भी। उसमें प्रवेश की अर्हता लगाना चाहते हैं तो बेशक लगायें लेकिन उनका वेतनमान निश्चित रूप से मानव चिकित्सकों के बराबर होना चाहिए। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पशुधन सुरक्षित रहे, बढ़े तो जो चिकित्सक हैं उनकी जो मांगे हैं उनका निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। उसमें बड़ा असन्तोष है। उस असन्तोष को दूर किया जाना बहुत जरूरी है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह है कि अभी बात हो रही थी, अपने जो पशुधन के मन्त्री जी हैं पता नहीं असेम्बली में ओला साहब हैं या कमला जी हैं, कोई भी हो, एक बात कहना चाहता हूं कि ....

(व्यवधान)

ओला साहब आ गये हैं। एक बात....

**श्री शीशराम ओला** : कमला जी हो या ओला साहब आपको क्या आपत्ति है ?

**श्री नत्थीसिंह** : आप सहकारिता मन्त्री भी हैं, पशुधन का जवाब दे रहे हैं, पशुपालन मंत्री भी हैं। हमारे यहां अभी जो बजट भाषण हुआ उसमें मुख्यमन्त्री ने कहा कि 4 दुग्ध संयंत्र लगेंगे उनमें एक दुग्ध संयंत्र के लिए भरतपुर का नाम भी है। मैंने पिछली बार भी कहा था अपने बजट के समय के भाषण में कि पहले भरतपुर में जो डेयरी संयन्त्र लगाया गया उसको भीलवाड़ा ले गये हमारे भूतपूर्व मुख्यमन्त्री जी। नाम भरतपुर का, तनख्वाह भरतपुर के नाम से उठती है और डेयरी भीलवाड़ा में चलती थी।

इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के डिप्टी सैक्रेट्री महोदय के तीन परिपत्र जारी हुए हैं। एक फरवरी के अन्दर और दो मार्च में किये गये। जो डालमिया डेयरी प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में चलती है, उसमें कहा गया है कि यह जो डेयरी, डेयरी कार्पोरेशन की वहां पर स्थापित हुयी है और जिसमें आप दुग्ध संयन्त्र लगाना चाहते हैं वह दूध इकट्ठा करने का काम, किसानों से दूध लेने का काम नहीं करे उसको डालमिया ही करे। यह बहुत गलत बात है, यह शोषण करना चाहते हैं किसानों का। जो कार्पोरेशन की डेयरी है, निश्चित रूप से उसी डेयरी को जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को संगठित करने का काम करे वहां दूध संग्रह का काम भी होना चाहिए ताकि किसानों को अपने दूध की सही कीमत मिल सके। ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से प्राइवेट सैक्टर के लोग अपना प्रभाव जमाकर इस तरह की बात करते हैं, वह नहीं होना चाहिए।

भरतपुर में जो कोआॅपरेटिव सेक्टर में कोआपरेटिव डेयरी है उसमें संयन्त्र लगे और दूध को इकट्ठा करने का काम

(श्री नत्थीसिंह)

निश्चित रूप से होना चाहिये। आज हमें हमारे पशुधन को भी उसी दर्जे में रखना है उनकी भी हमें इसी तरह से परवाह करनी है जिस तरह से हम मानव की करते हैं। राजस्थान जिसको कहते हैं कि खेती के अलावा पश्चिम में तो पशुधन खेती से भी बड़ा धन्धा है। हमारे यहां खेती के साथ-साथ बहुत बड़ा धन्धा है। गाय भैंसों को तो छोड़ दें लेकिन आज भी 90% किसान अपने बैलों पर ही निर्भर करते हैं, उनके द्वारा खेती करते हैं। इसलिये आज उनके रख रखाव के विषय में हमको निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिये। मैं आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहूंगा।

### सदन की कार्यवाही

**श्री बी. डी. कल्ला** : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन की सहमति से आज मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

### परिवर्तित आय-व्यय 1985-86 पर विचार

**श्री नत्थीसिंह** : इसलिये मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि यह जो पशुओं के लिये पिछड़े हुए गांवों को......

**श्री पन्नालाल** : छोटे कार्यकर्ताओं को बोलने का तो मौका दो साहब।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय आपको देंगे। हर एम. एल. ए. को देंगे।

**श्री नत्थीसिंह** : जिन गरीब लोगों को, बड़ी योजनाओं के तहत गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को आप ये देते हैं कर्जा भैंस खरीदने के लिये और इस बात के लिये उसमें विशेष तौर से जिम्मा होना चाहिये पशुपालन विभाग का। उनके पशुओं की विशेष देखरेख हो। एक आज रैकेट चलती है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कर्जा दे दिया जाता है और उसका बीमा कराया जाता है। उस बीमा के नाम पर भैंस मर गयी ये सर्टिफिकेट डाक्टरों से झट ले लिया जाता है। भैंस मरती नहीं है, भैंस तो रहती है लेकिन भैंस के मरने का सर्टिफिकेट ले लिया। भैंस खरीदने में गड़बड़ी होती है। जो उनको भैंस दिलायी जाती है वहां भी कमीशनखोरी। किसान को सही तरह की भैंस अपने मन से खरीदने नहीं दी जाती और फिर जिन्दी भैंस को मारकर उसको भी खा जाते हैं। उसमें भी हिस्सा होता है। यह गड़बड़ी मिटनी चाहिये। जिम्मा होना चाहिये पशुपालन विभाग का। जो गरीब से गरीब लोगों को भैंसें दिलायी जाती हैं जो पशु दिलाये जाते हैं, उनकी विशेष चिकित्सा की जिम्मेदारी विभाग की हो और कब वे मरी हैं यह पूछा जाये तो यह रैकेट खत्म हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। नाम क्या है जरा बोल दें।

**श्री पन्नालाल मीणा** (बागीडोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपका

(श्री पन्नालाल मीणा)

स्वागत करते हुए सदन के तमाम सदस्यों का स्वागत करते हुए हम हमारे क्षेत्र की समस्या आपके सामने रखना चाहते हैं। हम नये आदमी हैं हमको इस काम को समझने में टाइम लगता है। हम जैसे नये कार्यकर्ता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा टोटल आदिवासी क्षेत्र है। गुजरात की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में जो हमारी समस्यायें हैं उन पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा तीन भागों में बंटा हुआ है। पंचायत समिति बागीडोरा में 15 पंचायतें हैं। पंचायत समिति आनन्दपुरी में 15 पंचायतें हैं, पंचायत समिति बड़ी में 15 पंचायतें हैं। उसमें हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने इन आदिवासियों के उत्थान के लिये करोड़ों रुपये पशुधन के लिये दिये हैं। आज उन पशुधन की रक्षा करने के लिये हमारे क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है और उनकी व्यवस्था के लिये, उनकी समस्या को हल करने के लिये कोई हमारे पास साधन नहीं हैं। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक ही पशुधन के बचाव के लिये अस्पताल है। हमारे ट्राइबल क्षेत्र को देखते हुए आपके सामने समस्या रखता हूं कि हमारे क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में अधिक से अधिक पशुधन के बचाव के लिये अस्पताल खोला जावे। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों के गरीब लोगों के उत्थान के लिये करोड़ों और अरबों रुपये खर्च किये हैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिये। ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासियों की क्या समस्या है? आदिवासियों के पास जमीन नहीं है। गरीब आदिवासी लोग भैंस है, बकरियां हैं, गायें हैं उनके आधार पर जीवन निर्वाह करते हैं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है उपाध्यक्षजी, कि आदिवासियों के प्रति अधिक ध्यान दिया जावे। आदिवासी क्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जांच करायी जावे। आदिवासी गरीब लोग किस तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसकी भी जांच करायी जावे। आज हमारे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े भयंकर अकाल की स्थिति है। आज सहारा नहीं है। इन पशुओं को जिन्दा रखने के लिये हमारे पास कोई सहारा नहीं है। लोगों के पास आज खाने के लिये अनाज नहीं है। लोगों के पास उन पशुओं को खिलाने के लिये कोई सहारा नहीं है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजकीय व्यवस्था सरकार की तरफ से अतिशीघ्र करवाने का आज ही सुझाव दें। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ट्राइबल क्षेत्र में सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये का बजट आता है, फण्ड्स आते हैं तो वह बराबर इन गरीबों में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है उसकी जांच करायी जावे और आदिवासी किस परिस्थिति में समय निकाल रहे हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया जावे। मैं अधिक नहीं कहते हुए यही निवेदन करता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े आदमी हैं उनका ध्यान आकर्षित होना चाहिये कि आदिवासी किस परिस्थिति

(श्री पन्नालाल मीणा)

में समय निकाल रहे हैं, कैसे रहते हैं। उनका सर्वे किया जावे। मैं तमाम हमारे जो माननीय सदस्य हैं, बड़े-बड़े हमारे प्रदेश के नेता हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों की क्या हालत है, आदिवासी कैसे समय निकाल रहे हैं कैसे जिन्दा रहते हैं सारा सर्वे कराया जावे और देखा जावे।

इसी के साथ मैं अधिक नहीं कहते हुए हमारे क्षेत्र में अधिकतर इस पशुधन को बचाने के लिये सरकार द्वारा व्यवस्था करायी जावे, दवाइयों की व्यवस्था करायी जावे और अस्पताल खोला जावे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब का मैं स्वागत करते हुए बात को समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया देखिये, माननीय सदस्य।

**श्री शोपतसिंह** : कटौती प्रस्ताव मेरा सबसे पहले है

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, एक मिनट····

**श्री सी. पी. जोशी** : दोष कांग्रेस के ऊपर····

**एक सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय····

**श्री उपाध्यक्ष** : पार्टियों के नेता बाद में बोला करते हैं····

**श्री शोपतसिंह** : वे सब बोल चुके····

**एक माननीय सदस्य** : जवानों को टाइम दीजिये····

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जयकिशन ···

**एक माननीय सदस्य** : जोशीजी, बैठ जाओ, बोलने दो न भई····

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : आपने नाम तो किसी का पुकारा ही नहीं····

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता····

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : आसन ने नाम तो किसी का पुकारा ही नहीं है····

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जयकृष्ण।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर पशुपालन के सम्बन्ध में जो मांगें रखी गयी हैं उनके सम्बन्ध में मैं मेरा विचार व्यक्त करना चाहता हूं····

**श्री शोपतसिंह** : किसने रोका है ?

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : पशुधन हमारे प्रान्त का ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का एक महानतम धन है और यह धन मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि इस धन को मनुष्य की लाइफ से अलग कर दिया जाय तो मनुष्य केवल मात्र एकाकी जीवन व्यतीत करने वाली स्थिति में हो जायेगा इसलिये कि पशु एक ऐसा धन है जिसका प्रत्येक अंग मनुष्य समाज के काम आता है। चाहे वह किसी भी रूप का हो। चाहे वह दूध हो, घी हो, छाछ हो, दही हो, मांस हो, चमड़ा हो, हड्डी हो, खाद

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

हो हर प्रकार की स्थिति को देखते हुए हमारा मानव समाज इस धन के ऊपर निर्भर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की बात तो कहने की दूर रही, मैं तो राजस्थान की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। कृषि की स्थिति विकसित नहीं है। हमारे गांव के अन्दर कई साधारण गरीब जो बिल्कुल ही गरीब तबके के लोग हैं उनकी रोजी रोटी का साधन वास्तव में देखा जाय तो पशुधन है। आज इस समय के अन्दर हमारी सरकार ने कई प्रकार की डेयरियां स्थापित की हैं, कई प्रकार के बैंक से ऋण देकर के जो साधारण गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी आदि विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध करवाये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उनके जीवन यापन के लिए साधन जुटा दिये गये हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना करने से ही हमारे प्रान्त का विकास नहीं हो सकता। इसके अन्दर हमें पशुधन को विकसित करना पड़ेगा, इसके अन्दर इन चीजों को विकसित करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक प्रगति प्रतिवेदन है पशु पालन विभाग का, इसके अन्दर कई प्रकार के साधन जुटाने की कोशिश की गयी है हमारी सरकार की ओर से। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उनके अन्दर कई प्रकार की अभी कमियां बाकी हैं। हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पशुधन का विकास जब तक नहीं किया जायेगा तब तक मानव समाज का विकास भी नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आप से यह भी है कि हमारा यह प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसके अन्दर चरागाह की व्यवस्था बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अभी-अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पश्चिमी राजस्थान की जनता केवल मात्र पशु पालन पर ही निर्भर है। आप भेड़ को देख लीजिए, बकरियों को देख लीजिए, गाय देख लीजिए। जैसलमेर, चित्तौडगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ इन सारे के सारे जिलों के अन्दर, हमारे यहां के लोग विशेष रूप से पशु पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन जिलों से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निकलकर, अपने मवेशी को लेकर दूरदराज पूर्वीस्तान, डांग जिसको कहा जाता है, डांग क्षेत्र हमारे यहां गांव के अन्दर कहा जाता है वहां पर पशुओं को चराने के लिए जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके सामने बड़ी भारी दिक्कतें आती हैं। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति आती है, करौली, मोरेन इन क्षेत्रों के अन्दर हमारे पशु पालकों को वहाँ के डाकू वर्ग द्वारा मार दिया जाता है, उनके मवेशियों को छीन लिया जाता है। वे बेचारे लोग जो अपना जीवन यापन करने के लिए उस प्रान्त में जाते हैं, अपने हाथ धोकर वापस लौटते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मेरी सरकार और माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जगह-जगह हर जिले के अन्दर छोटे-छोटे चरागाह स्थापित कर दिये जायें। वे चरागाह यदि स्थापित कर दिये जायेंगे तो जो मवेशी हमारे इस प्रान्त को छोड़कर दूसरे प्रान्तों में चले जाते हैं जिससे उन मवेशियों का जो

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

उपयोग है उन से हमारे यहां की जनता वंचित रह जाती है। यदि उनके लिए चरागाह की व्यवस्था कर दी जाय तो इस प्रकार की हानि जो हमारे प्रान्त को उठानी पड़ती है वह नहीं उठानी पड़ेगी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जिनका कि हम यहां पर पालन करते हैं, उस से दूध, घी, मक्खन, दही, चमड़ा आदि मिलता है।

(म. प. 5.04)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

कभी कभी बीमारियां आती हैं, बीमारियों के कारण गाय, भैंस, भेड़, बकरी मर जाते हैं, उनका चमड़ा भी काम नहीं आता, हड्डियां भी काम नहीं आती, उनकी खाद भी काम नहीं आती, उनका मांस भी काम नहीं आता। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, आज सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं, मेरा भी निवेदन है कि इस प्रकार से चरागाह की व्यवस्था यदि कर दी जाय तो वह मवेशी जो यहां से दूर जाते हैं वह न जाकर यहीं रह जायें तो सभी प्रकार की व्यवस्था हमारे लिए व्यवस्थित हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि 1972 में जब मैं इस विधान सभा का सदस्य था तब 1975 के अन्दर इमरजेन्सी का वक्त आया। उस समय भारत सरकार से इस प्रकार के आदेश निकले कि जितने भी चरागाह हैं उन सबको अलॉट कर दिया जाय। उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर जिलों के अन्दर चरागाह अलॉट कर दिये गये थे। उस चरागाह को अलॉट करने की स्थिति जयपुर जिले में भी आ गई इस आधार पर यह आ गया था कि एक भी मवेशी जिन्दा नहीं रह सकता था, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास में हम गये। उन से हमने निवेदन किया। उस समय, अभी अभी मौजूद माननीय मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी थे, उस समय भी माननीय मुख्य मंत्री थे. हमने उनको भी निवेदन किया। विरोधी दल की तरफ बैठे हुए माननीय मिर्धा साहब, नाथूराम जी मिर्धा उस समय अखिल भारतीय कृषि आयोग के अध्यक्ष थे। माननीय रामनिवास जी उस समय होम मिनिस्टर थे सेण्टर के अन्दर, मैंने उन से जाकर निवेदन किया। हमारे जिले के अन्दर भयंकर लड़ाई होने से सारे कर्मचारी इकट्ठे हो गये, सारे मंत्रीगण और विधायक इकट्ठे हो गये जिले के। मैंने उन से जाकर निवेदन किया कि यदि आज हम इस चरागाह को अलॉट कर देते हैं तो हमारे राजस्थान के अन्दर एक भी मवेश बाकी नहीं बच सकता है। इसलिए नहीं बच सकता है कि कई किसानों की ढाणियां, कई किसानों के छोटे-छोटे गांव जो रेवेन्यू रिकार्ड के अन्दर नहीं हैं, शुरूआत के अन्दर बसे हुए हैं. इस प्रकार यदि चरागाह को अलॉट कर दिया जाय तो उनके घर के सामने निकलते ही अलॉट की जमीन आ जायेगी। कोई भी व्यक्ति पशुधन को चराने की बात तो दूर रही, पैदल भी घूम नहीं सकता है क्योंकि वह जमीन खातेदारी की हो जायेगी, चरागाह सब नष्ट हो जायेगा। तो, माननीय सभापति महोदय, उस समय माननीय प्रधान मन्त्री ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। माननीय मुख्य मंत्री हरिदेव जी जोशी थे उस समय और अब भी हैं, उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

माननीय मिर्घा जी ने स्वीकार किया। दोनों ही मिर्घाओं ने स्वीकार करने के बाद इस प्रकार के आदेश निकाले कि चरागाह को अलॉट नहीं किया जाय। उस समय माननीय प्रधान मन्त्री के द्वारा यह आदेश निकले। इसलिए यहां का चरागाह, राजस्थान का चरागाह अब बच गये हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा यह निवेदन है, माननीय सभापति महोदय कि आज भी उस चरागाह के ऊपर कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है। यदि उस चरागाह से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो धीरे धीरे राजस्थान का चरागाह अतिक्रमी हो जायेगा। उसके ऊपर हर व्यक्ति इस प्रकार का अतिक्रमण कर लेगा और अतिक्रमण करने के कारणवश राजस्थान के मवेशी को चरने का साधन नहीं मिलेगा।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत, उसकी धारा 6, सब धारा 4 के तहत लिखा हुआ है कि राजस्थान के अन्दर प्रत्येक मवेशी के लिए आधा बीघा जमीन छोड़ दी जाय लेकिन, सभापति महोदय, आप से मेरा निवेदन यह है कि मवेशी की गिनती अधिक है, मवेशी की संख्या अधिक है जबकि राजस्थान की चरागाह की भूमि बीघों में, एकड़ में जमीन कम है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रिमण्डल को और माननीय मुख्य मन्त्री जी को मेरा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें संशोधन करके चरागाह पूर्ण रूप से विकसित किया जाय। चरागाह यदि पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो हमारे पशुधन के सामने आज जो चरने की दिक्कत है वह मिट सकती है और पशुधन की वृद्धि हो सकती है जिससे हर प्रकार के साधन हमें उपलब्ध हो सकते हैं। किसान ही नहीं व्यापारी से लेकर साधारण मजदूर तक इस पशुधन के पीछे अपना जीवन यापन कर सकते हैं।

साथ ही साथ मेरा निवेदन यह भी है कि आज भयंकर अकाल की परिस्थिति है हमारे प्रान्त के अन्दर। माननीय सरकार से मेरा सुझाव है कि यदि कुछ दिनों के अन्दर, करीब 10–15 रोज के अन्दर बरसात नहीं हुई तो माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं गांव में घूमकर आया हूं अभी 6–7 तारीख के अन्दर हो। ऐसी परिस्थिति है कि गांवों के अन्दर चारा नहीं मिल रहा है। अनाज आसानी से मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है। यदि इस पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था हर जगह डिपो खोलकर हर जगह खरड़, घास, भूसा है, किसी भी प्रकार का खाखला है, जिसको हमारे गांव में कहा जाता है यदि इनके डिपो नहीं खोले गये, जैसे 1972 के अन्दर हमने डिपो खुलवाये थे, उस समय मवेशी बेचारे मर रहे थे वह बच गये और बचने के कारणवश आज हमारा पशुधन मौजूद है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह भी निवेदन है कि इन 8–10 रोज के अन्दर ही यदि चारे की व्यवस्था हमारे प्रान्त के अन्दर पशुधन के लिए नहीं की गयी तो धीरे-धीरे पशुधन में कमजोरी आयेगी। भूख के कारण जगह-जगह पशुधन मरेगा और जो लाभ हमको होने वाला है, जिससे हम कई प्रकार की योजना बना रहे हैं कि उनसे दूध भी प्राप्त किया जाय, डेयरी स्थापित करके मक्खन भी

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

तैयार किया जाय छाछ तैयार की जाय, घी तैयार किया जाय। यदि वह मवेशी बचेगा नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मवेशी न बचने के कारणवश हमारे प्रान्त को बड़ा भारी नुकसान होगा।

**श्री सभापति** : कृपया संक्षिप्त करें।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि तुरन्त ही इसकी व्यवस्था कर दी जाय, चारे के डिपो खोले जायें जो किसान अपनी इच्छा के अनुसार कहीं से भी खरीद सकता है कहीं भी जाकर। उसके डिपो खोले जाय। यह जो समस्या आज हमारे प्रान्त में बढ़ रही है यदि हम सोचें कि बरसात होने के बाद चारा हो जायेगा, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हम गांवों के रहने वाले हैं, बरसात होने के पश्चात् भी एक महीने के बाद पशु धापकर जंगल में आयेगा। उससे पहले घास बड़ी नहीं होगी। जब तक घास बड़ी नहीं होगी तब तक गाय, भैंस, भेड़ बकरी जो भी पशुधन है, ऊंट हैं, घोड़ा है, गधा है उनका पेट भरेगा नहीं, उनकी भूख शान्त नहीं होगी। उसके बाद कमजोर पड़कर मर जायेगा।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त करें।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के डिपो स्थापित कर दिये जायें उससे पशुधन की विपदा मिट सकती है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य अभी यह कह रहे थे कि कई प्रकार की बीमारियां हैं उसके लिये दवाइयों की व्यवस्था की जाय। मेरा निवेदन है कि बीमारी कब आती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो यदि उसको पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते, यदि उसकी समय पर भूख शान्त नहीं होती....

**श्री सभापति** : कृपया संक्षिप्त करें।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : तब, विभिन्न प्रकार की बिमारियां बढ़ती हैं इसलिये—

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : माननीय सभापति महोदय, यदि भूख शान्त करने की व्यवस्था कर दी जाय तो वास्तव में इस प्रान्त के अन्दर जो मवेशी हैं वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकते हैं, जिन्दा रह सकते है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के घास के डिपो खोलने की तुरन्त व्यवस्था कर दी जाय जिससे कि पशु-धन बच सके....

**श्री सभापति** : श्री शीपत सिंह।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : एक बात और कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : आप समाप्त करें। मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है। माननीय सदस्य समाप्त कर दें।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : माननीय सभापति महोदय, एक सैकिण्ड।

(160



**श्री सभापति** : आपका एक सैकिण्ड समाप्त नहीं हो रहा है।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : सारी व्यवस्था केवल मात्र....

(व्यवधान)

सारी व्यवस्था करते हैं। आपके माध्यम से सरकार को मेरा सुझाव है कि पशुधन की सही रूप से गणना करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी जाय और हर जिले के अन्दर ऐसी समिति होनी चाहिये जिसमें वहां के एम. एल. ए. हों वहां के अधिकारी हों, वहां का कलेक्टर हों। हर जिले में समिति गठित करने के पश्चात् उस समिति का एक ही काम रहे, हर 15 रोज के अन्दर या महीने के अन्दर उस कमेटी की मिटिंग बुलाई जाय—कि उस जिले के अन्दर, जिस गांव के अन्दर किसी भी प्रकार से पशुओं की सही रूप से व्यवस्था की जाय....

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : बिमारी के सम्बन्ध में, घास के सम्बन्ध में चरागाह के सम्बन्ध में और किसी भी प्रकार के सम्बन्ध में ..

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : तब जाकर सारी की सारी व्यवस्था बन सकती है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, बीच-बीच में आपने मुझे इस प्रकार से रोका, मुझे इस प्रकार से रोकना तो नहीं चाहिये था लेकिन चूंकि आसन की हम इज्जत करते हैं। इसलिये....

**श्री सभापति** : कई सदस्य बोलने वाले हैं।

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : आपने मुझे जो समय दिया, साथ ही मेरा यह भी निवेदन है पशुधन को सुरक्षा के लिये सामूहिक रूप से योजना बनाकर ...

**श्री शोपत सिंह** : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य आसन के प्रति अविश्वास प्रकट कर रहे हैं....

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : पशुधन को ठीक कर सकते हैं।

**श्री सभापति** : श्री शोपतसिंह।

**श्री शोपतसिंह** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री नाथूसिंह** : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर....

**श्री सभापति** : मैंने दुबारा माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

**श्री नाथूसिंह** : एक मिनट। सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने सदन का अनिश्चित काल तक समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव रखा....

**श्री सभापति** : अनिश्चित काल नहीं मांगें पारित हो तब तक के लिये....

**श्री नाथूसिंह** : अनिश्चित काल के लिये....

**श्री सभापति** : यह अनिश्चित कहां हुआ ......निश्चित अवधि के लिये ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मांगें पारित होने तक के लिये कहा है, अनिश्चितकाल नहीं कहा है और जो व्यवस्था दी गई है वह मांगें पारित होने तक के लिये ही दी गई है।

श्री शोपतसिंह।

**श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़)** : माननीय सभापति महोदय, मैं दो चार बातें इस सम्बन्ध में कहूंगा। मैंने अभी पशु पालन विभाग की तरफ से जो प्रगति प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराया गया है, उस प्रगति विवरण को जब मैंने देखा, तो मालूम हुआ कि राजस्थान के अन्दर 14 लाख कुत्तों की संख्या है। सभापति महोदय, यह कुत्तों का शौक किसका है, आखिरकार यह किन लोगों का शौक है। यह कुत्ते या तो बड़े-बड़े लोग रखते हैं। कारों में कुत्ते घूमते हैं या आवारा घूमते हैं—

(व्यवधान)

यह बात हंसने की नहीं है। हजारों लोगों को....

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : यह गिनती तो पालतू कुत्तों की है, आवारा कुत्तों की गिनती इसमें नहीं है।

**श्री शोपतसिंह** : नहीं, नहीं यह ऐसा नहीं है।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : मैं कह रही हूं यह पालतू कुत्तों की गिनती है।

**श्री शोपतसिंह** : राजस्थान में 14 लाख कुत्ते पालने वाले लोग हैं ही नहीं।

(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : पालने वाले हैं।

**श्री शोपतसिंह** : बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

**श्री शोपतसिंह** : मैं यह पूछना चाहता हूं आवारा कुत्ते....

(व्यवधान)

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : माननीय सभापति महोदय, हमारे शोपतसिंहजी की आदत तो वैसी है जैसे हमारे एक वकील साहब हैं, जब बहस करने लगते हैं तब हम सोचते हैं कि उनकी रूलिंग को उनके दिमाग में से निकाल देनी चाहिये। उनके पीछे से अंगुली लगा देते हैं, अगुली लगा देने से वह सारे पाइन्ट भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे माननीय शोपतसिंह जी को थोड़ा सा छेड़ दो तो वह सब कुछ टॉपिक भूल जाते हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, इनको बोलने दीजिये।

**श्री नाथूसिंह** : यह आवारा कुत्तों की गिनती कैसे हो गई ?

**श्री सभापति** : यह 14 लाख कुत्ते इन्होंने बताये हैं राजस्थान में, आप सुन लीजिये, यह तो आप इनसे पूछ लीजियेगा बाद में। माननीय सदस्य कृपया —

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह** : माननीय सभापति महोदय, अगर 14 लाख पालतू कुत्ते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस राजस्थान में 2 करोड़, 4 करोड़ आवारा कुत्ते····

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : हैं, हैं।

**श्री शोपतसिंह** : और बाकी हैं।

**श्री नाथूसिंह** : उनकी गिनती तो सैकड़ों में ही है।

**श्री शोपतसिंह** : बहुत ही गम्भीर मामला है आपने कभी अनुभव नहीं किया, हॉस्पिटल्स में जाइये। पागल कुत्तों को मारने की कोई व्यवस्था नहीं है, बड़े धर्मात्मा पुरुष बैठे हैं हमारे इस सिंहासन पर। यह लोग इस बात को तो पसन्द करते हैं, इस तरफ देखते नहीं हैं कि यह आवारा कुत्ते कितने लोगों को खाये होते हैं और कितने हजार लोगों को रोज भयंकर परेशानी उठानी पड़ती है इन आवारा कुत्तों की वजह से। इसलिये मेहरबानी करके सबसे पहला काम यह पशुपालन विभाग करे या और कोई इनको खत्म करने का इलाज करें।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : पागल कुत्तों के काटने का इलाज····

(व्यवधान)

**श्री जयकृष्ण तोसावड़ा** : माननीय सभापति महोदय, हम तो पशुधन की पालना कर रहे हैं और यह उनको मरवा रहे हैं····

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : वह बतायें कि ये कुत्ते किस नस्ल के हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, वह तो संख्या बता रहे हैं कि इतने कुत्ते हैं

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें, आपस में बातचीत नहीं करें, आर्डर प्लीज। आप भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

**श्री छोगाराम बकोलिया** : आपको किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या ?

**श्री शोपतसिंह** : नहीं मुझे तो नहीं काटा, हमें काटता तो इधर थोड़े ही आते। काटा तो उधर है····

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** : हजारों-लोगों का कुत्ते अनाज खा जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। चीन में बाकायदा अभियान चलाया गया था कि जिस कुत्ते को न पाला जा सके, जिस कुत्ते को कोई बान्धकर नहीं रख सके उस कुत्ते को जिन्दा नहीं छोड़ा जाय। यह बहुत बड़ी समस्या है, इस विषय को गम्भीरता से लीजिये।

**श्री सभापति** : कृपया इनको बोलने दीजिये। आपका टर्न आये तब आप भी कहना।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : पागल कुत्ते के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

काटने से 13 गाय-भैंसों की मृत्यु हो गई, आवारा कुत्तों की वजह से....

(व्यवधान)

यह सही कह रहे हैं।

**श्री सभापति** : कृपया इन्हें बोलने दीजिये।

**श्री शोपतसिंह** : माननीय सभापति महोदय आखिर यह राज्य सरकार का मामला है। वह चाहे इसकी गम्भीरता को समझें या न समझें, इस बात को....

**श्री नाथूसिंह** : यह इनकी समझ में नहीं आयेगा। ये कुत्ते कौनसी नस्ल के हैं?

**श्री शोपतसिंह** : चाहें या न चाहें।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैंने दूसरा कटमोशन जो दिया है वह दिया है चिकित्सकों के बारे में। सभापति महोदय, हमारे यहां 5 करोड़ पशुओं की आबादी है और 10-10 हजार के गांव की आबादी में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। कहां ले जायं? यह आपकी तरह से हमारे पशु मिनिस्टर तो नहीं हैं कि उनको कार में बैठाकर हॉस्पिटल में ले जायेंगे। उस पशु को, उस जानवर को जो बीमार हो जाता है तो बहुत ही भयंकर विकट परिस्थिति किसान के सामने पैदा हो जाती है। दूर-दराज जो चिकित्सालय है उसमें कैसे बीमार पशु को पहुंचायें। It is a problem इसलिये, सभापति महोदय, आदमी तो पहुंच सकता है, थोड़ा सफर भी कर सकता है मगर पशु को हम कैसे ले जायं। माननीय गोयल साहब से पूछूंगा, आप अगर बीमार हो जायं तब तो एस.एम.एस. हॉस्पिटल में पहुंच जायेंगे लेकिन आपकी भैंस बीमार हो जायेगी तब आप उसे कैसे ले जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, गांवों में पशुओं के बीमार हो जाने पर बहुत ही विकट समस्या पैदा हो जाती है और जब आप डाक्टर लायेंगे तो 20-25 रुपये उसकी फीस होगी, उसके लिये गाड़ी चाहिये, उसके लिये जीप चाहिये। ऊंट के ऊपर बैठकर तो डाक्टर आयेगा नहीं, घोड़े पर आ नहीं सकता तो फिर उसके लिये कौनसी व्यवस्था हो। अगर आ जाय तो सड़कों की व्यवस्था नहीं है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, जहां पर सड़कों की व्यवस्था नहीं है। इसलिये पशु चिकित्सालय के लिये टार्गेट्स तैयार करें, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने टार्गेट्स तैयार किये हैं कि डेढ़ हजार की आबादी के गांव को हम सड़कों से जोड़ेंगे, मेहरबानी करके आप सड़कों को छोड़ दीजिये। आप तो पहले प्रायोरिटी यह दीजिये कि 2 हजार की आबादी के गांव में या एक हजार की आबादी के गांव है वहां पर कम्पांउन्डर्स रखिये। सब सेन्टर्स बनाइये। बड़ा अस्पताल नहीं बना सकते हैं, तो फर्स्ट एड देने के लिये थोड़ी बहुत नॉलेज हो वहां ऐसा आदमी आप छोड़िये। 10-10 हजार गांव हैं मेरे क्षेत्र के अन्दर, दो ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 10 हजार है मगर वहां पर पशु चिकित्सालय नहीं है।

(श्री शोपतसिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं ऐसे गांव जिनकी आबादी 8-8 हजार, 10-10 हजार की है उनमें प्रायोरिटी के आधार पर, पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि प्रायोरिटी के आधार पर पशु चिकित्सालय की आप व्यवस्था करें।

नम्बर तीन, माननीय सभापति महोदय, सबसे बढ़िया गाय राजस्थान में है, हिन्दुस्तान की सबसे बढ़िया भैंस मुर्रा भैंस, हमारे राजस्थान में हैं, हमारे पास सबसे बढ़िया ऊंट हैं, सबसे बढ़िया भेड़-बकरी, ज्यादा दूध देने वाली है। माननीय सभापति महोदय, मगर अब गड़बड़ी कहां हो रही है, यह नस्ल सुधार की बात है, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने की बात है, मगर आपको पैसा कौन देगा, ये आवारा सांड हो रहे हैं, जो हमारे यहां टेन्डेन्सी है····

(व्यवधान)

आपके पक्ष की बात कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, ये × × × This is bad luck of you.

**श्री सी. पी. जोशी :** आपको नहीं कहा मैंने।

**एक माननीय सदस्य :** × × ×

**श्री सभापति :** कृपया शान्त रहें, आर्डर प्लीज।

**श्री शोपतसिंह :** ये × × × विचरते हैं और नाथजी का प्रसाद खाकर विचरते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** पागल कुत्ते ने··

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह :** माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा सवाल आज नस्ल सुधारने का नहीं है, नस्ल बिगाड़ने के लिये, किसान क्या करते हैं कि जो उसका सबसे निकम्मा बच्चा होता है उसको वह सांड छोड़ देता है, ये धर्मात्मा पुरुष ऐसे हैं हमारे कि जो काम का नहीं बछड़ा उसको वह सांड छोड़ते हैं। और जो निकम्मे से सांड हैं, जब आप छोड़ेंगे तो हमारी नस्ल बिगड़ेगी या सुधरेगी। बचाइये इस नस्ल को, किसी प्रकार से बचाइये और इन आवारा सांडों से बचाइये मेहरबानी करके। इनका काम नस्ल बिगाड़ना है सुधारना नहीं। आप सुधारने की बात करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज, माननीय सभापति महोदय, आपके पास ऐसे बहुत से एरिया हैं जैसे उदयपुर डिविजन है, जमीन नहीं है वहां पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर कुछ घास उपलब्ध है, उस इलाके में अगर आप अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भैंस और फिशरीज को डवलप नहीं करोगे, फिशरीज के लिए सबसे बड़ा अच्छा कोई बैंक है, वहां माकूल वर्षा होती है, उदयपुर डिविजन के अन्दर उन घाटियों में, उस पथरीले

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**(श्री शोपतसिंह)**

इलाके को अनुकूल बनाकर फिशरीज को डवलप करना चाहिये। अच्छी बकरियां देनी चाहिये, अच्छी भेड़ें देनी चाहिये भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए अच्छी किस्म के मींडे लाये हैं उनका क्या प्रयोग हुआ, क्या नतीजा रहा अब तक का इसलिए एक ही बात कहता हूं यदि आप राजस्थान में नस्ल सुधारना चाहते हैं, नस्ल सुधारना चाहिये हमारे पशुओं की। एक एक किलो दूध देने वाली गायें हैं हमारे यहां,

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : माननीय सभापति महोदय ढाई घण्टे की डिबेट है, पांच कांग्रेस पार्टी के बोल गये—

**श्री सभापति** : आपका नम्बर आ रहा है।

**श्री शोपतसिंह** : आदिवासी एरिया की मैंने गाय देखी, एक किलो दूध देती है। बकरी ज्यादा देती है, उनको कहां से चारा चरवायें, एक प्राब्लम बनी हुई है वहां के किसानों के लिये। आज अच्छी नस्ल का क्या करें। आप अच्छी नस्ल के पशु देंगे, पशु देने से पहले इन तमाम आवारा पशुओं या आवारा सांडों को पकड़ने का अभियान चलाइये या उनको कस्सी करिये कुछ इस तरह का बनाये इनको वर्ना भयंकर हालत है, राजस्थान का पशुधन बिगड़ता रहेगा, मैं यही सुझाव देना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : श्री नवनीत भाई।

**श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)** : माननीय सभापतिजी, मैं पश्चिमी राजस्थान, बांसवाड़ा जिला....

**श्री सभापति** : कृपया संक्षेप में बोलें तो सबको मौका मिलेगा, अपनी बात पांच मिनट में कहने का कष्ट करें।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : आज ही तो मौका मिला है, × × × हो रही है इससे तो ठीक बात कहूंगा।

**श्री सभापति** : × × × शब्द निकाल दिया जाय।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : फालतू भी निकलवा दीजिये।

**एक माननीय सदस्य** : यह फालतू × × × कर रहे हैं, इस शब्द को वापिस लें।

**श्री सभापति** : × × × शब्द अंकित नहीं होगा। आप कृपया चालू रखें।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : माननीय सभापति महोदय, मैं पशुधन के सम्बन्ध में एक विचार कहना चाहता हूं कि हमारे इस बजट में 3·69 करोड़ जो पैसा रखा हुआ है वह पशुधन को देखते हुए बहुत कम है। क्योंकि पशुधन का सुधार तो है ही लेकिन पशु से हमेशा फायदा है। सारे राजस्थान की बात तो सभी माननीय सदस्यों ने याद दिलाई, मैं कहना नहीं चाहता, पर दक्षिणी राजस्थान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में, जहां पशु, किसान, और जमीन का क्या सम्बन्ध है, जिस बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां पर ऊबड़-

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित नहीं किये गये।

**(श्री नवनीतलाल नीनामा)**

खाबड़ भूमि है, ऊंची-नीची भूमि में ट्रैक्टरों से खेती नहीं हो सकती। मुझे सरपच रहने का मौका मिला, पंचायत समिति घाटोल से हम मध्यप्रदेश में बैल खरीदने जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि बैल खेती के लिए किसानों का सबसे बड़ा एक प्रथम आधार है। यदि गाय को नहीं पाली जाय, गाय की रक्षा नहीं की जाय तो जहां पर कुछ ही वर्षों में जो बैलों से खेती करते हैं किसान वह बन्द हो जायेगी। अभी वैज्ञानिक तरीके से अगर ट्रैक्टर से खेती होती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाकर आप देखें जहां उन पहाड़ों में खेती होती है ट्रैक्टर नहीं चल सकते, वहां पर ऊबड़-खाबड़ भूमि है, वहां बैलों से ही खेती हो सकती है, इसलिए गाय की रक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाय।

अब उसको जिन्दा रखने के लिए चरागाह का सबसे बड़ा सवाल है। चरागाह के सम्बन्ध में मैं आपको कहना चाहता हूं, बांसवाड़ा जिले में माही डेम सागर बनाने के लिये सारी चरागाह की जो जमीन थी वह किसानों को अलाट कर दी। वहां पशु जो हैं भैंस, गाय के बिल्कुल चरने के लिए चारा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां पर जंगलात की भूमि है अगर पशु की रक्षा करनी है तो वन भी जरूरी है। वहां पर वन अवैध रूप से काटे जा रहे हैं, वन विभाग की तरफ से नाजायज रूप से काटे जाकर बेच दिये जाते हैं। मैं माननीय पशुपालन मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पशुओं को जिन्दा रखना है तो वन मन्त्रीजी से सम्पर्क करना पड़ेगा और मैं तो यह भी मांग करता हूं कि जो वन मन्त्री हैं और पशुपालन मन्त्री हैं दोनों को मिलकर विचार करना चाहिये। अगर इस पशुधन की रक्षा करनी है, जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, पशुओं को जिन्दा रखना उतना आसान नहीं है मैं जानता हूं क्योंकि मैं पशुओं को पालने वाला व्यक्ति हूं और मैं खुद भी इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। 50-60 गायें भैंसे मैंने खुद ने घाटोल क्षेत्र में लाकर रख छोड़ी हैं। जहां पर सांडों के अभाव में वह गायें खाली की खाली पड़ी हुई हैं, यह हमारे हाथ की बीत है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मैंने जाकर बांसवाड़ा जिला अधिकारियों से सम्पर्क किया जहां पर जर्सी सांड है। क्योंकि यह तो बैल खेती के लिए जरूरी हैं, इसलिए हमारे देशी सांड होने चाहिये। तो मेरी यह मांग है कि खेती के काम में आने वाले बैल पैदा करने के लिए हमारे क्षेत्र में देशी सांड रखने चाहिए। अब पशुओं से क्या प्राप्त होता है, खाद। अब मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जहां यूरिया खाद और बी. ए सी. खाद खेतों में डाली जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह वैज्ञानिक तरीके से खाद होती है धरती में पड़ती रही तो कुछ ही वर्षों में यह भूमि बिल्कुल खराब हो जायेगी। अब कैसे खराब हो जायेगी वहां गुजरात के पाटीदारों ने हमारे इलाके में आकर के खेती की और उस जमीन को बेचकर चले गये और अभी वह जमीन एक तरह से सफेद हो गई है, बेकार हो गई है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर किसानों ने वहां पर खेती की तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां-जहां पर भी गोबर पड़ता वहां पर गोबर की खाद होती

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

है। वहां पर मिट्टी काली बन जाती है और जहां जहां पर यूरिया की खाद डाली गयी वहां पर जो खेत की भूमि थी वह खेत सफेद होता चला जा रहा है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के खाद से जितना फायदा होता है वह किसान को यानि किसान और पशुओं के लिये फायदा होता है हमारे देश के लिये कितनी उपयोगी हैं। इसलिये हमारे देश के पशुओं की रक्षा करना बहुत जरूरी है। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि कुक्कुटशाला वगैरह जो हमारे वहां पर खोली गई है वह एक तरह से हमारे यहां पर खास तौर से मेरे क्षेत्र में बेकार ही साबित हुई है क्योंकि जहां जहां आपने कमरे बनाये हैं वह कमरे बनाये हुए बेकार पड़े हैं। वहां पर कुक्कुटशालायें बेकार पड़ी हैं वहां एक भी चालू नहीं हुई है। इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि पशुधन पर अगर ध्यान देना है तो आप गाय और भैंस पर ध्यान दें। यह गाय ज्यादातर ऐसा पशु है जो कि बैलवदा बढ़ जाते हैं। यह बैलवदा किसान को हल चलाने के लिये मदद मिलती है और इससे खाद भी होती है और किसान को अपनी खेती करने के लिये काम में आती है।

अब मैं अपने क्षेत्र यानि विधान सभा क्षेत्र के बारे में कह देना चाहता हूं। मैंने अभी गत माह में अपने क्षेत्र का विधायक होने के नाते दौरा किया था। मेरे क्षेत्र में किसान वगैरह जो बैल खरीदने मध्यप्रदेश जाते हैं वहां पर वह लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि वहां पर अधिकारियों की भ्रष्टाचारी के कारण उन लोगों को बहुत भारी परेशानियां होती हैं। तो मेरे क्षेत्र के किसानों ने मेरे से यह मांग की है और वह मांग मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, सरकार को रखना चाहता हूं कि जो स्थान मेरे वहां के लोगों ने चुन कर दिये, जो मुझे मेरे वहां के आदिवासी भाइयों ने ढोल बजाकर और मीटिंग करके और मीटिंग में यह कहा कि हमारे वहां पर पशु चिकित्सालय खोले जायें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें। आर्डर आर्डर।

**श्री नवनीतलाल नीनामा :** यह स्थान है एक कुशलपुरा, पंचायत सेमलिया दूसरा कलामेला पंचायत कलामेला, तीसरा अमरथून पंचायत कुंवानिया और डूंगरे पंचायत डूंगरे, खैरवा पंचायत खैरवा, कन्डाव पंचायत डांगल, वामन पाड़ा पंचायत बौरदा मौरड़ी नीचली पंचायत मौरड़ी नीचली। तो सभापति महोदय, इन आठ स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोले जायें ताकि जो ग्रामीण जनता ने मांग की वह पूरी हो यह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसकी व्यवस्था अगर हमारे इलाके में हो जाये और दूरी का ध्यान रख कर होनी चाहिये तो जो पशु बीमारी से हमारे इलाके में मर रहे हैं वह बीमारी से मरने से बच सकें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके के पशु धन की ज्यादा से ज्यादा रक्षा की जा सके। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आपकी योजना चरागाह खोलने की है उसके सम्बन्ध में मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे क्षेत्र में

**(श्री नवनीत लाल नीनामा)**

पशु धन के लिये, खास तौर पर हमारे किसानों ने मांग की है कि आप पशुओं को गाड़ियों में भर कर, रेलों में भर कर हमारे वहां से ले जाते हो, तो हमारे वहां के किसानों ने यह मांग की है यह पशु आप गाय वगैरह को काटने के लिये बाहर भेजते हैं इसलिये उनकी रक्षा करने के लिये हमारी विधान सभा क्षेत्र घाटोल ने यह निर्णय लिया है कि आप जो हमारे इलाके से ट्रक भरकर सरकार के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा ले जाये जा रहे हैं उनको रोका जायेगा। मैं आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर उनमें गाय हुई तो उसको नीचे उतार लिया जायेगा और इस प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां घाटोल के रास्ते में आप ट्रक वगैरह भरकर नहीं ले जायं। गायें वगैरह ले जाने की स्वीकृति आप नहीं दें और अगर आपने दी तो मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि अगर वहां पर कुछ गड़बड़ी हो जायेगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, सरकार की होगी।

साथ ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि जंगल वगैरह हमारे वहां पर थे, वहां पर पाला पैदा होता था उसको आपने उन जंगलों को ठेके पर दे दिया और ठेके में देने से ठेकेदारों ने बुरी तरह से जंगलों को नष्ट कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे पशु विशेष तौर से गाय वगैरह समाप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि वन में जो पाला पैदा होता था जिससे पशुओं से घी वगैरह पैदा होता था क्योंकि वहां पर एक घास जो पैदा होती थी वह सेवन घास थी।

**श्री सभापति** : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

**श्री नवनीतलाल नीनामा** : तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि पशुधन मन्त्री जी और हमारे वन मन्त्री जी आपस में सम्पर्क करें और बाद में जंगल जो खाली कराने लायक हों उनको खाली करावें और हमारे पशुधन के लिये ज्यादा से ज्यादा चरागाह रहे और उनकी रक्षा करें। जय भारत।

**श्री सभापति** : श्री रेवतराम।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : माननीय सभापति महोदय, पहले तो आपने मेरा नाम पुकारा था।

**श्री सभापति** : दो इधर से और दो उधर से बराबर चल रहे हैं।

**श्री रेवतराम चौधरी** : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 39 पशु पालन के विषय में चर्चा हो रही है आज के वक्त को देखते हुए यह ठीक है। राजस्थान में पशुओं की संख्या को देखते हुए और पशुओं पर निर्भर रहने वाले लोगों को देखते हुए यह सही नहीं है कि 3·69 करोड़ रुपये की, मांग यहां पर रखी गयी और उसके सामने पांच करोड़ इकतीस लाख पशु हमारे यहां पर हैं। इसमें 69 पैसा एक पशु पर खर्चा रहने की बात सोची गयी।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें।

**श्री रेवतराम चौधरी** : आज उसमें सभापति महोदय, वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(श्री रेवतराम चौधरी)

राजस्थान में पशु पालकों की संख्या 80 प्रतिशत है जो गांवों में रहते हैं और वह लोग पशुओं के सहारे ही जीते हैं। उसको आपको एक छोटा उद्योग मान कर चलना चाहिये। पशु जो हैं उनको उद्योग मानकर उसको उद्योग में सम्मिलित करना चाहिये। आज एक छोटा सा उद्योग लगाने के लिये कोई गांव में जाता है तो उस गांव में बिजली मिलती है, उस गांव में बिजली पहुंचाई जाती है। उस गांव को सड़क से जोड़ा जाता है लेकिन यह आज हजारों सालों से चला आ रहा है पशुधन का उद्योग, जिस पर आज पशुधन पर पशुपालक लोग जिन्दा रहते हैं। उस पर अगर हम विचार नहीं करेंगे और आज उस पर अगर हम नहीं सोचेंगे तो इन ना बोलने वाले पशुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे क्योंकि वह तो बोल सकते नहीं हैं कि आकर यह कह दें कि हम बहुत दुखी हैं। आज जो हमारे पशु हैं वह केवल पहले वाले पशुओं की गिनती में रहने वाले नहीं हैं, वह उनसे अलग हो गये हैं। सभापति महोदय, एक टाइम मुझे याद है जबकि मेरे गांव में एक हजार पशु एक साथ एक आदमी चराने के लिये ले जाता था और बारी-बारी से लोग चराने के लिये ले जाते थे। उस वक्त खेतों में चरने के लिये सेवन घास बहुत अधिक मात्रा में थी, वहां आराम से पशु चर कर जाते थे। आज एक पशु को भी आप छिनकी लगाकर ले जाते हैं और कल उस पशु को उसी जगह पर आप लेजाकर जहां पर कल जिस खेत में ले गये थे वहीं ले जायेंगे तो यह सारी चीजों को देखते हुए हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा और सोचना बहुत जरूरी है। जमीन तो वही काम आयेगी, वह तो बढ़ सकती है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन जहां जहां जो साधन है, जैसे इन्दिरा गान्धी नहर पर कुछ इलाके में पशुओं के चारे के लिये रिजर्व फोरेस्ट रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे चूरू जिले में नहर आ रही है उसमें सबसे ज्यादा पशु हैं, करीब 18 लाख पशु हैं। इसलिये मैं चूरू जिले के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं के चारे के लिये और पशुओं के पीने के पानी के लिये आप चूरू जिले में इन्दिरा गांधी नहर से पानी की व्यवस्था करावें और उसके लिये एक कोटा निर्धारित करावें और आप इस पर विचार करें। यह एक आदमी का मसला नहीं है, यह पूरे राजस्थान का मसला है। हमारे पशुओं को अगर आप जिन्दा रखना चाहते हैं तो यह करना पड़ेगा वरना पशु मर जायेंगे। अगर पशु मर गये तो पशुओं पर जिन्दा रहने वाले लोग भी मर जायेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके पीने के पानी के लिये इन्दिरा गांधी नहर से व्यवस्था करावें और चारा पैदा करके उनको पानी देने की जो आवश्यकता है वह बहुत जरूरी है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू जिला के अन्दर 20 लाख पशु हैं और वहां पर चिकित्सालय पशुओं का इस साल भी आपने नहीं खोला। इस बार भी आपने चूरू जिले के साथ न्याय नहीं किया। आपको न्याय दिलाना पड़ेगा आप देखिये। चूरू जिले में 13 क्षेत्र हैं और एक औषधालय है और उसमें 20 लाख पशु हैं। वहां पर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है और

(श्री रेवतराम चौधरी)

इस बार इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आज तरह-तरह की बीमारियां पशुओं को भी हो गई हैं इन्सान की देखादेखी पशुओं में भी, और कभी-कभी ऐसी भयंकर बीमारियां लग जाती हैं कि एक जगह दस पशु मर जाते हैं, पशु हड़के हो जाते हैं, आप उसको मार भी नहीं सकते। हालत इतनी खराब हो गई है, उसमें बीसों पशु मर गये इस बीमारी से। इसलिये अगर आपकी चिकित्सा सुविधा नहीं होगी, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह मानकर चलिये बजट तो पास हो ही जायेगा, लेकिन पशुओं के साथ न्याय नहीं होगा और लोगों को बड़ा भारी नुकसान होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करके आपको औषधालय खोलने चाहिए और खासकर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर सभी समझ लीजिये जहां ज्यादा पशु हैं वहां का अगर विचार नहीं करेंगे, और कहीं कटौती कर दीजिए, तीन करोड़ उनहत्तर लाख का बजट है उस पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी खास कर आप इस पाइन्ट को नोट कीजिये और हो सके तो मुख्य मंत्रीजी से भी इस विषय पर विचार कीजिए कि पशुओं के साथ न्याय होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे यहां पर बहुत पशु हैं, दूध भी बहुत है, लेकिन दूध लेने वाली डेयरी बहुत छोटी है। अभी डूंगरपुर में डेयरी मंजूर हुई है, लेकिन बनी नहीं, सरदार शहर की डेयरी तीस हजार केपेसिटी की है और हमारे यहां चूरू जिले में ढाई तीन लाख लीटर दूध पैदा होता है, मात्र एक डेयरी काम करती है एक लाख लीटर दूध रोजाना हम बीकानेर को भेजते हैं, वह लेते नहीं हैं। अभी तो ठीक है, बरसात नहीं हुई, बरसात ज्यादा होगी तो हमारे दूध का उत्पादन भी बढ़ जायेगा। फिर किसानों के साथ अन्याय होगा इसलिये हमारे सरदार शहर की डेयरी की केपेसिटी एक लाख और डूंगरपुर में जो डेयरी बनने वाली है उसकी केपेसिटी पचास हजार लीटर कर दीजिये। मंत्रीजी इस बात पर भी गौर करें।

एक बात यह सामने आई है कि पशुओं का बीमा हो। उनका बीमा होना बहुत जरूरी है। आज एक गाय पांच हजार की है, किसान की यह गाय पांच मिनट में मर जाती है इसलिये उसके बीमे की पालिसी में पैसा कम होना चाहिए, उसको मदद मिले, जिससे वह मर जाये तो किसान नहीं मरे। इसलिये इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि पशुओं के प्रति न्याय हो और इस बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए।

**श्री सभापति : श्री सुन्दरलाल।**

**श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :** माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 39 में मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सबसे पहला सुझाव है पशुओं के लिए हास्पिटल का। मेरे पूरे क्षेत्र में एक अस्पताल है पंचायत समिति हैड क्वार्टर में और सैंतीस ग्राम पंचायतें हैं। उसके बाद अलवर झुन्झुनूं को देते नहीं, बिजली की व्यवस्था है नहीं और फिर पशुधन के लिए डाक्टर नहीं है तो क्या होगा। इसलिये जहां भी इस तरह की बात है उनके लिए डाक्टर की एक बात बताऊँ, अलग-अलग सुझाव हैं, डाक्टर लोग भी हमारे क्षेत्र में उनको भेजें जो गांव की बात को समझ सकें। गांव में

(श्री सुन्दरलाल)

काश्तकार की ऊंटनी बीमार हो जाये, तो वह डाक्टर को कहेगा मेरी ऊंटनी कोतारी है, डाक्टर नहीं समझेगा कोतारी को, दवाई नहीं देगा। उसको पूछिये कि कोतारी क्या होती है ऊंटनी मुंह से बोले नहीं और उसका इलाज नहीं होगा। इसलिये पशुओं के डाक्टर ऐसे भेजे जायें जो गांव वालों की बात समझ सकें। अब पशुओं के लिये महिला डाक्टर भेज दी, वह कहती है गाय सिर हिलाती है मैं इसके पास नहीं जाऊं, बताओ वह नहीं जायेगी उसके पास तो किसके पास जायेगी, कहां जायेगी। उसका इलाज कौन करेगा...

(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या फर्क पड़ता है, महिला डाक्टर को भेज दिया तो।

श्री सुन्दरलाल : इसलिये ऐसे आदमी भेजो जो जानवर के पास जाये, डाक्टर कहती है गाय सिर हिलाती है, मैं नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि हमारे झुन्झुनूं जिले में भेड़ ऊन के दस आफिस थे वह सब खाली हैं, यह प्रस्ताव है आप उस पर गौर करेंगे। खेतड़ी क्षेत्र में, सूरजगढ़ क्षेत्र में, गुजर जाति है वह सबसे ज्यादा भेड़ें रखते हैं। वहां से ऊन विभाग उठ जायेगा तो उनकी भेड़ें मर जायेंगी अगर डाक्टर नहीं जायेगा तो इसलिये इस बात पर गौर करें कि भेड़ ऊन विभाग, डाक्टर झुन्झुनूं से नहीं उठने चाहिए। हमारे क्षेत्र में आपको बताऊं सूरजगढ़, खेतड़ी और झुन्झुनूं में समझ लीजिये आठ हजार की भैंस और तीन हजार की गाय जो जैसलमेर में 24 गाय ले लें जो हमारी दो गाय के बराबर है मोल में। हमारे गांवों में अगर डाक्टर नहीं जाता है तो जैसे काश्तकार की गलसरी सोने की खो जाये अगर आठ हजार की भैंस बीमारी की वजह से मर जाये, डाक्टर नहीं जा सकता तो काश्तकार का इससे बड़ा नुकसान क्या होगा। इसलिये इस प्रकार डाक्टर के लिए, कहीं भी एक गांव में दस-दस, बीस-बीस, पचास-पचास गांव और फिर हड़काया हुआ कुत्ता भैंस को खा जाये फिर कहें कि राजस्थान का कुत्ता भैंस को खा गया और दवाई हरियाणा से लाओ। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने यहां पशुओं में जो हड़काव उठता है उसकी सुई जिला हैड क्वार्टर में होनी चाहिए, उसका इलाज वहां होना चाहिए ताकि काश्तकार दवाई लेकर अपने पशुओं को बचा सके। पशुओं में हड़काव से पशु अगर मुंह लगा दे तो बीस मर जायेंगे। उसका कोई इलाज नहीं करवा सकते यहां, इसके इलाज की कहीं भी यहां दवाई नहीं मिलती। इसके लिये इन्जेक्शन या तो रोहतक में मिलते हैं या हिसार में मिलते हैं और वह भी लाइन में लगना पड़ता है। एक आदमी हरियाणा का साथ ले जाकर दवाई देते हैं वरना नहीं देते हैं। राजस्थान इतना बड़ा प्रान्त है इसमें हड़काए हुए पशुओं की दवाई का इन्जेक्शन नहीं है, इस पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए। हड़काया हुआ पशु खुद तो हड़काया है और दूसरे और खा जाये, दूसरे के मुंह लगा दे इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात पर भी विचार किया जाए। इसके अलावा कहीं भी जैसा रेवतराम जी ने बताया अभी बरसात नहीं बरसी, आपको तूड़े का भाव पता है, एयर कंडीशन में बैठते हो, चालीस रुपये का एक मन तूड़ा मिलता है। एक समय पन्द्रह

(172)



(श्री सुन्दरलाल)

सेर लगता है, तीस रुपये का तूड़ा पशु रोज खाता है तो काम चलता है। डाक्टर नहीं जा सकता, सारे जिलों में हैड क्वार्टर में डाक्टर के जाने के लिए साधन नहीं हैं। वह कहता है ऊंटनी बीमार है, काश्तकार कहता है बन्द है, वह नहीं समझता कि क्या होता है क्या होगा, नहर बन्द हो गई, मतलब यह है मेंगना नहीं उतरता, वह नहीं समझ पाता। इसलिये डाक्टर ऐसे होने चाहिये जो काश्तकार की बात को समझें। और समझकर इलाज कर सकें, यही मेरा सुझाव था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रासिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, तीन करोड़ उन्हतर लाख की जो मांग पशु पालन की सदन के समक्ष है मैं निवेदन करूंगी कि वैसे तो यह अभागा राजस्थान सब चीजों में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में, मेडिकल की सुविधा में, सड़कों के विस्तार में, सिंचाई में, विद्युत में, औद्योगीकरण में, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि पशुपालन सम्पदा में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। जहां और सब क्षेत्रों में 16-17हवें स्थान पर है वहां पशु सम्पदा के हिसाब से हम तीसरे स्थान पर हैं। यह भी हमारा सौभाग्य है कि तमाम देश का 11 प्रतिशत पशु यहां पर है। यह भी हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान के बजट में, नेट डोमेस्टिक आय, पशुपालन से 19 प्रतिशत इनकम होती है यह भी हमारा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हमारी इनकम का साधन है, जो हमारी जीविका का सहारा है, जो हमारे अस्सी प्रतिशत लोगों के जीवन का आधार है वह पशु पालन शुरु से ही उपेक्षा का शिकार रहा है और इस समय तो बहुत ही उपेक्षा का शिकार है। माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन के लिए राजस्थान को 30 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया था लेकिन बदकिस्मती है हमारी और हमारे पशुपालकों की कि राजस्थान में कृषि का धन्धा करने वालों को और मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान सरकार ने उस 30 करोड़ के प्रावधान को घटाकर 16 करोड़ रुपये कर दिया। यह हमारा दुर्भाग्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही थी कि जहां 5 करोड़ पशु हैं उन 5 करोड़ पशुओं की संख्या के पीछे आज चिकित्सा की सुविधा नहीं है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं लेकिन श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए काम बिलकुल विपरीत करते हैं। पशुपालन विभाग उपेक्षा का शिकार, पशु हमारे उपेक्षा के शिकार। 37 लाख टन दूध सालाना यहां से निर्यात होता है दूसरे प्रदेशों को, दिल्ली को और दूसरे प्रदेशों को। 2 लाख अंडे रोजाना के हम भेजते हैं दूसरे प्रदेशों को लेकिन उस सब के बाद भी हम कोई भी किसी तरह का खर्चा इस विभाग के ऊपर नहीं करना चाहते हैं। पशुपालन का व्यवसाय शुद्ध तकनीकी व्यवसाय है लेकिन तकनीकी ज्ञान रखने वाला आदमी पशुपालन विभाग का डाइरेक्टर हमारे यहां नहीं है। हालांकि राजस्थान सरकार के विभागीय सेवा नियमों में यह प्रावधान है कि पशुपालन विभाग का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

डाइरेक्टर एक तकनीकी व्यक्ति होगा लेकिन उसके बाद भी पिछले चार वर्षों से एडीशनल Charge जिसे कहना चाहिए अतिरिक्त कार्य एक आई.ए.एस. आफिसर को यहां पर सौंपा हुआ है जो इस तकनीकी विभाग को समझता नहीं, जानता नहीं । एक मानव चिकित्सक के बराबर पशु चिकित्सकों को वेतन नहीं । हालांकि काम मानव चिकित्सक के बजाय पशु चिकित्सकों का दुस्कर है इसलिए कि मानव चिकित्सक हाईजनिक कन्डीशन्स में काम करते हैं और यह मोस्ट अनहाईजनिक कन्डीशन में काम करते हैं । पशु अस्पतालों में जो लोग गये हैं और जिनको चिकित्सालयों में जाने का मौका मिला है वह जानते हैं कि पशु चिकित्सकों की पेन्ट के ऊपर गोबर के छीटे रोजाना लगते रहते हैं जब कि मानव चिकित्सा करने वाले मोस्ट हाइजनिक कन्डीशन्स में काम करते हैं लेकिन वेतन उन्हें ज्यादा मिलता है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 1968 से पहले समान वेतन थे, और प्रान्तों में भी मानव चिकित्सकों के बराबर वेतन है आसाम में तो बल्कि पशु चिकित्सकों के ज्यादा वेतन हैं इसलिए इस एनामाली को इस विसंगति को राजस्थान में भी दूर किया जाना चाहिए । यह एक गलती हो गयी थी, राणावत वेतन कमीशन के बाद गलतफहमी हो गयी, उनको यह भ्रम हो गया था कि शायद वेटरनरी में जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वह सेकेन्डरी के बाद ही चले जाते हैं । और मानव चिकित्सक फर्स्ट ईयर के बाद मेडिकल में जाते हैं । जबकि पी. एम. टी. और पी. वी. टी. दोनों का एक ही स्टेन्डर्ड है जिसे कहना चाहिए समान स्तर है । एक ही शैक्षणिक योग्यता है, एक ही परीक्षा का स्तर है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए ।

माननीय पशुपालन मंत्रीजी से, मैं निवेदन करना चाहती हूं, इस बात को मैं कई बार दोहराती आई हूं कि दूध की कीमत जो पशुपालकों को दी जाती हैं वैसे तो दिल्ली की मदर डेरी हमारे ही दूध पर आधारित है, राजस्थान के दूध पर ही आधारित है लेकिन इसके बाद भी मैं बराबर इस बात को कहती आई हूं कि राजस्थान के पशुपालकों को दूध की कीमत बहुत कम दी जा रही है । दूध की कीमत तय होती है फैट के आधार पर, चर्बी के आधार पर कि कितना फैट कन्टेन्ट है उसके आधार पर और क्रास ब्रीड का जो एनीमल है, उत्तम नस्ल का एनीमल है उसके दूध में फैट नहीं होती है । स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है लेकिन उसकी यदि आप फैट के आधार पर कीमत देंगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें फैट कम होता है । हम लोग, कई लोग जो इस चीज को समझते हैं बार-बार इस बात को कहते हैं कि उन्नत नस्ल के पशुओं के दूध की कीमत फैट पर नहीं दी जाकर एस. एन. एफ. के आधार पर दी जानी चाहिए । एस. एन. एफ. का मतलब होता है 'सालिड नाट फैट' उसके गाढ़ेपन के आधार पर कीमत दी जानी चाहिए । इस बात को बार-बार कहा गया है । कालवी साहब जब मंत्री थे पशुपालन के तब उन्होंने इस चीज को समझा था और प्रयत्न भी किया था । दिग्विजयसिंह जी आये तब उन्होंने भी प्रयत्न किया था लेकिन मैं समझती हूं कि शायद अब वाले मंत्री तो एस. एन. एफ का मतलब भी नहीं समझते

(175)



(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

होंगे । इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप कम से कम इस चीज को सोचिये । यह बहुत दिनों से चली आ रही मांग है पशुपालकों की इसे पूरी करिये ।

**श्री शीशराम ओला :** मैं कहीं आपसे कम नहीं समझता हूं । यह भ्रम तो छोड़ दीजिए । इसको अलग रख दीजिए मैं बहुत समझता हूं । आप तो अपने मन में कोई बात समझ लेंगी और फिर कहेंगी कि इसका मतलब ही नहीं समझते ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी को इस चीज की छूट और लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता है कि वह बोलने वाले को इस तरह से बीच में डिस्टर्ब करें ।

**श्री सभापति :** नहीं तो यह आप कैसे कहती हैं कि वह नहीं समझते । आप तो अपनी बात कहें ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** मैं तो अपनी ही बात कह रही हूं । 'I am in Possession of the floor of the House'.

**श्री सभापति :** अगर नहीं समझेंगे तो उत्तर नहीं देंगे ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय सभापति महोदय, इस तरह से गैर जिम्मेदारी तरीके से बारबार मंत्रीजी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं....

**श्री शीशराम ओला :** आप अपनी बात कहिये । गैर जिम्मेदारी की बात आप कर रही हैं हम नहीं कर रहे हैं ।

**श्री सभापति :** मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात कहें । वह नहीं समझेंगे तो उत्तर नहीं दे सकेंगे । आप अपनी बात कहें कृपया ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका प्राटेक्शन चाहती थी । आपने मंत्रीजी का पक्ष ले लिया । मैं आपसे कह रही थी कि I am in Possession of the floor मैं जब बोल रही हूं तो मुझे इस तरह से डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता है ?

**श्री सभापति :** आपको डिस्टर्ब नहीं किया ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** तो जब उनकी बारी आये तो बोलें, कौन मना कर रहा है उनको ।

**श्री शीशराम ओला :** आपने कैसे कहा कि वह समझते नहीं हैं । आप अपनी बात कहें ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय सभापति महोदय, मैं कहना नहीं चाहती थी अब मुझे कहना पड़ेगा....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं पशुपालन मंत्रीजी से कि वह राजस्थान के अन्दर एग्रियां प्लान्टेशन की व्यवस्था करें । राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में बहुत दिनों से यह बात उठ रही है....

**एक माननीय सदस्य :** यह क्या होता है ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** वह तो मंत्रीजी बतायें कि एम्ब्रियो प्लान्टेशन क्या होता है।

**श्री सभापति :** वह जवाब दे देंगे, आप क्यों इसकी चिन्ता करते हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** वह बतायेंगे मैं क्यों बताऊंगी।

**श्री सभापति :** आप कृपया अपनी बात कहें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** मैं कह रही हूं।

**श्री सभापति :** आप सवाल जवाब कैसे कर सकते हैं। आप कृपया अपनी बात कहें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** देखिये ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, कि जब मैं बोल रही थी तो इस सदन में इस तरफ से आवाज आई कि आप बताइये एम्ब्रियो प्लान्टेशन क्या होता है तब मैंने सीधा जवाब दिया कि इस बारे में मंत्रीजी स्वयं बतायेंगे कि एम्ब्रियो प्लान्टेशन क्या होता है....

**श्री शीशराम ओला :** यहां आप रशिया की बात नहीं करें हिन्दुस्तान की बात करें। हम जो जानते हैं उत्तर दे देंगे।

**श्री सभापति :** मंत्रीजी आप जवाब दें उस समय बोल दें—

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय सभापति महोदय, एक मंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इतनी संजीदगी रखे और इस तरीके से बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया बोलें आप।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** इस तरह की बारबार परिस्थितियां आयेंगी और मुझे बीच में टोकेंगे तो मुझे भी कुछ न कुछ कहना पड़ेगा।

**श्री सभापति :** प्लीज कन्टीन्यु। माननीय सदस्य, कृपया माननीय सदस्या को बोलने दें।

**श्री रामसिंह विश्नोई :** पिछले 37 साल से आ रही हैं यह।

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज, कृपया बोलें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय सभापति महोदय, मेरे बोलने का बीच में आपने तारतम्य तोड़ दिया। मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया।

**श्री सभापति :** नहीं, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। आप बोलें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** मैं निवेदन कर रही थी कि मैं कुछ इस तरह की बातें बताना चाहती थी कि जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज हैं पशुपालकों की इसलिए मैं निवेदन कर रही थी आपसे और आपके मार्फत पशुपालन मंत्रीजी से कि राजस्थान में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पशुपालन के व्यवसाय को समझते हैं, पशुओं के बारे में जानते हैं और पशुओं की बीमारी के बारे में जानते हैं और पशुओं के संवर्धन के काम में लगे हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि जब अखबारों में मैंने यह खबर पढ़ी थी कि कुछ इस तरह की बहुत अच्छी गायें, उन्नत नस्ल की गायें हमारे प्रधान मंत्रीजी नार्वे से, स्वीडन से और अमेरिका और हालैण्ड से

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बढ़िया गायें यहां पर इम्पोर्ट की जा रही है। उन गायों के बारे में मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई थी कि चलिये दो हजार रुपये एक बार में जमा कराने पड़ेंगे और 5-6 हजार केवल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज के ऊपर उन गायों का पशुपालकों को दिये जाने का प्रावधान था तो बड़ी खुशी हुई थी मुझे लेकिन मैं इस बारे में जानना चाहूंगी कि हमारी इस योजना का क्या हुआ ? एम्ब्रियो प्लान्टेशन की सुविधा राजस्थान में कब तक कर दी जायेगी ?

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : रिजेक्टेड माल है उनका।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नहीं, रिजेक्टेड माल नहीं है।

**श्री सभापति** : प्लीज कन्टीन्यू।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं यह निवेदन कर रही थी कि हम इस चीज के लिये भी उत्सुक हैं कि हम भी राजस्थान के अन्दर इस तरह का पशुधन यहां पर रख सकें हालांकि खुशी तो मुझे इस बात की है कि हम राजस्थान के उस जिले के अन्दर रहने वाले लोग हैं गीर, राठी, कांकरेज और दूसरी नस्लें हैं यह तो केवल दूध के दृष्टिकोण से ही अच्छी हैं थार पारकर और साहीवाल लेकिन हरियाणा की जो गाय है वह केवल दूध के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि बछड़े के दृष्टिकोण से भी उसका महत्व है और हमारे झुन्झुनूं के अन्दर यही नस्ल पाली जाती है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है—

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : बछड़े के लिये और दूध के लिये साचौर की नस्ल प्रसिद्ध है हिन्दुस्तान में यह आपको पता है या नहीं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य कृपया इनको बोलने दें। You will have your turn. आप फिर बोलें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मुझे मालूम है। इस बात के लिये हरियाणा की नस्ल की गाय और हरियाणा नस्ल का बछड़ा....

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं निवेदन कर रही थी, माननीय सभापति महोदय, अच्छे पशु हमारे यहां हरियाणा ब्रीड की गाय, हरियाणा ब्रीड के हमारे जो बछड़ें हैं उसी आधार पर हमारे यहां दूध का चिलिंग प्लांट यानी अवशीतन केन्द्र बना था। लेकिन माननीय मंत्रीजी की कमजोरी कहूं या हमारा दुर्भाग्य कहूं, मैं क्या कहूं वह चिलिंग प्लांट बन्द हो गया.... इन मंत्रीजी के रहते।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : नहीं व्यक्तिगत बातें उन्होंने नहीं कहीं हैं। आप बोलिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इसमें क्या बात है। मैं कहूंगी। मैं यह निवेदन कर रही थी। न केवल चिलिंग प्लांट बन्द हो गया। लोग कह रहे हैं चिलिंग प्लांट खोलिये राजस्थान सरकार ने अपने इस साल के बजट में चार नये चिलिंग प्लांट लगाने की

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

व्यवस्था की है और अभागा झुन्झुनूं जिला है जहां लगा हुआ चिलिंग प्लांट था उससे भी वंचित हो गया, वह भी बन्द हो गया। माननीय सभापतिजी, इतना ही नहीं, पशुपालन के मन्त्रीजी, भेड़ और ऊन विभाग का हमारा जो दफ्तर था झुन्झुनूं का वह भी वहां से दूसरी जगह चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि वे लोग जिन्होंने रशिया से मेरीनो भेड़ मंगाकर और दूध और किसी जमाने में बड़ी अच्छी तरह से पालन-पोषण हो रहा था लोग अपनी इकोनामी को सुधार रहे थे अपनी आर्थिक हालत को, मेरे कहने का मतलब यह कि भेड़ और ऊन विभाग वहां से उठकर कहीं चला गया, मैं इसे क्या कहूं। मैं यही कह सकती हूं कि यह हमारे जिले का दुर्भाग्य है, मन्त्री जी की कमजोरी है जिनके पशु पालन मन्त्री रहते हुए चिलिंग प्लांट बन्द हो गया। जिले के अन्दर से भेड़ ऊन का दफ्तर उठकर वहां से चला गया है, विभाग बन्द हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के बजट का केवल एक प्रतिशत पशुपालन विभाग के ऊपर खर्च होता है। पशु के रखरखाव के लिये केवल एक प्रतिशत खर्चा होता है। पूरे बजट का एक प्रतिशत खर्च होता है। इसलिये मैं निवेदन कर रही थी कि हरियाणा जो एक छोटा सा प्रदेश है, जहां केवल 80 लाख पशु हैं, वहां की पंचवर्षीय योजना में 28 करोड़ का प्रावधान है पशु पालन के लिये और राजस्थान प्रदेश के लिये सातवीं योजना के अन्दर योजना आयोग ने जो 30 करोड़ का प्रावधान किया था इस सरकार के इन कमजोर मन्त्री के रहते 30 करोड़ से घटकर केवल 16 करोड़ रह गया....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें। कृपया संक्षिप्त करें।

**श्रीमती सुमित्रासिंह :** बिल्कुल खत्म कर रही हूं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में यही कहते हुए कि डी.पी.ए.पी., आई आर.डी.पी., डी.जी.पी. और एन. आर.ई.पी. इन चारों ही स्कीमों के अन्दर पशुपालन एक महत्वपूर्ण विषय है और, यह सब होते हुए यह बजट, बजाय बढ़ाने के जिस तरीके से कम हो रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान की सरकार इस विभाग के प्रति बिल्कुल उदासीन है। यह विभाग बिल्कुल उपेक्षा का शिकार है और इसलिये मैं यही आप सब लोगों से, इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि यह मांग अस्वीकार कर दी जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करती हूं।

**श्री सभापति :** कल्याणसिंह कालवी। दो इधर से, दो उधर से।

**श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) :** सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 पशु-पालन एवं चिकित्सा पर आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** बोलने दीजिये। नाम

**(श्री सभापति)**

पुकार लिया गया है माननीय सदस्य का, प्लीज कन्टीन्यू ।

कृपया बोलने दें ।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** सभापति महोदय, अपने प्रदेश का जो पशु पालन का धन्धा है वह प्रदेश की आय का मुख्य स्रोत है, उसके साथ ही साथ किसान, गरीब आदिवासी इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है । आज इस सारी बाबत मेरे को दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पशु पालन का धन्धा जो राजस्थान का प्रमुख धन्धा है वह धन्धा आज अलाभप्रद बन चुका है । आज हमारे प्रदेश के अन्दर पशु पालन करना, चाहे हम बछड़े पालन के लिये पशु पालन करते हों, चाहे हम डेयरी के लिये पशु पालते हों, यह सारे के सारे धन्धे में यदि पशुओं के रखरखाव का सारा हिसाब लगायें तो अपने आप में यह लाभप्रद धन्धे नहीं रहे । इसलिये आज राजस्थान की सबसे बड़ी जरूरत तो इस बात की है कि यह धन्धे लाभप्रद बनाये जायें, इसको एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाये । केवल पेट भरने के लिये जरिया न माना जाये जैसा कि आज माना जा रहा है । आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि गाय पालन, भैंस पालन यहां तक कि विश्व में राजस्थान का एकाधिकार है भेड़ और ऊन पर, उनका पालन भी आज लाभ का नहीं रहा । आज राजस्थान के अन्दर पशुओं के अन्दर लाभप्रद धन्धा रहा है तो वह बकरी पालन है या घोड़ा पालन है । माननीय सभापति जी, घोड़ा भी मालानी नस्ल का घोड़ा नहीं, वह जो विदेशों से मंगाये गये हैं खड़ज ब्रीड के जो घोड़े हैं उनका प्रजनन है वह केवल नफा का धन्धा रहा है या जैसा अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, एतराज भी किया था वह शहरों में कुत्ते पालने का धन्धा है, वह लाभप्रद है । इन धन्धों के सिवाय दूसरे जो भी पशु पालन के धन्धे हैं वे सारे के सारे अलाभप्रद बन चुके हैं....

**एक माननीय सदस्य :** वह शौकप्रद है ।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** वह आप कह सकते हैं । आज इस बात की आवश्यकता है कि यदि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो इस पशुपालन को एक बहुत ही शक्तिशाली विभाग बनाना होगा । आज हमारे सामने यह जो प्रगति प्रतिवेदन रखे गये हैं इनके बारे में, सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रतिवेदन हमारे सामने रखे गये हैं इसमें जहां विभाग के विशेषज्ञों की छाप होनी चाहिये, जानकारी होनी चाहिये, वह नहीं है । इसमें साफ परिलक्षित हो रहा है कि केवल प्रशासनिक प्रतिवेदन बनाकर हमारे सामने पेश किये हैं । जिनको इन सारी चीजों की जानकारी करने का समय ही नहीं है । आपके सामने एक यह प्रतिवेदन पेश किया गया है जिसके अन्दर यह बताया गया है कि हमारे यहां पर 35 लाख टन दूध का सकलन होता है । उसी के साथ जो दूसरा प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 33 लाख टन दूध का संकलन होता है । दो लाख लीटर का अन्तर है । उसको वे लोग अन्तर ही नहीं समझते । एक हमारे सामने जो प्रतिवेदन पेश

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

किया गया है, जो भेड़ और ऊन का प्रतिवेदन पेश किया गया है उसके अन्दर में बताया गया है कि राजस्थान में 1 करोड़ 34 लाख भेड़ें हैं। दूसरे के अन्दर यह बताया गया है कि हमारे प्रदेश में 1 करोड़ भेड़ें हैं। वह 34 लाख भेड़ें कहां गई। इनको पता नहीं। यह सरकार के प्रतिवेदन हैं जो कि आपके सामने पेश किये गये हैं।

**श्री सभापति** : यह अलग-अलग सालों के होंगे माननीय सदस्य।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : साहब, इन दोनों पर 84-85 लिखा हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस तरह की अनेक त्रुटियां हैं। उन गलतियों पर न जाकर, आज जहां हम सारी चीजों का उनके जो पोजिटव रिटर्न आने चाहिये वह कम आ रहे हैं इसकी पहले चर्चा कर लें। हमारे यहां कहा गया है कि एक करोड़ 35 लाख गायें हैं और इनका जो दूध का संकलन है वह 35 लाख टन मान लेता हूं तो प्रतिवेदन का जो दूध इकट्ठा होता है वह 10 लाख लीटर होता है और 10 लाख लीटर यदि एक करोड़ 35 लाख गायों में बांटा जाय तो वह 70 ग्राम आता है। इतनी हमारी मेहनत के बाद क्या हमारे पोजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और वह यह है कि एक गाय हमारे यहां 70 ग्राम दूध देती है रोजाना ...

(व्यवधान)

**श्री गोविन्दसिंह गूर्जर** : सभी गायें दूध नहीं देती हैं।

**एक माननीय सदस्य** : एवरेज है।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : आपको औसत मानना पड़ता है। औसत के अन्दर बछड़े, बछड़ियां गिने जाते हैं। आपको पशु पालन का ज्ञान नहीं है तो क्यों बोलते हो। आप तो फारेस्ट की बात करो।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : गूर्जर हैं, ज्ञान कैसे नहीं है।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : हो सकता है, परन्तु यहां नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : प्लीज कन्टीन्यू। वे भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आप अपनी बात कहें।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हम ढाई लाख लीटर से लेकर तीन लाख लीटर तक दूध प्रदेश के बाहर भेजते हैं और उससे हमारे यहां पर जो सारा का सारा दूध इकट्ठा होता है वह साढ़े चार लाख लीटर और पांच लाख लीटर है। उसके अन्दर एक लाख 83 हजार परिवार लाभान्वित होते हैं और 1 लाख 83 हजार परिवार जो लाभान्वित होते हैं वे रोजाना का जो दूध देते हैं वह दो लीटर और सवा दो लीटर के बीच में देते हैं। एक परिवार को आप केवल पांच रुपये देकर लाभान्वित कर रहे हैं। आपकी जो मिनिमम वेजेज़ है वह भी 11) रु. है आप पशु पालक को एक पशु के पीछे केवल मात्र पांच रुपये

**(श्री कल्याणसिंह कालवी)**

प्रति दिन देते हैं। ये आपके आंकड़े बताते हैं।

थोड़े दिन पहले हमने जो बजट भाषण देखा था, सुना था, वह यह था कि आज हम साढ़े चार लाख लीटर दूध संकलन करने लग गये हैं और आने वाले समय में हम 10 लाख लीटर दूध इकट्ठा करने लगेंगे। आपकी उत्पादन क्षमता, आपके आंकड़े बताते हैं कि हमारी क्षमता 10 लाख लीटर तो क्या, आप राजस्थान में जो शतप्रतिशत दूध इकट्ठा होता है वह कर लेंगे, यह सोचने की बात है।

माननीय सभापति जी, मैं एक दो आंकड़े देकर आपका अधिक समय नहीं लूंगा। यह जो आपका प्रगति प्रतिवेदन पेश किया गया है, इसके पेज चार पर यह बताया गया है कि उक्त समिति एवं केन्द्र द्वारा सहकारी वर्ष 1983-84 में 11.29 करोड़ लीटर दूध एकत्रित किया गया है एवं उसका भुगतान 25.02 करोड़ रुपया किया गया है। सहकारी वर्ष 1984-85 में 18 करोड़ लीटर दूध संकलन किये जाने व लगभग 45 करोड़ रुपये से अधिक दूध उत्पादकों को भुगतान किये जाने का अनुमान है जो अब तक का सर्वाधिक कीर्तिमान है। वर्ष 1985-86 में 14.60 करोड़ लीटर दूध एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय सभापतिजी, यह इस साल के अन्दर 18 करोड़ ली. दूध इकट्ठा करने जा रहे हैं और वर्ष 1985-86 के अन्दर वह घटकर 14.60 करोड़ लीटर पर आकर ठहर जाते हैं। यह प्रगति है या पीछे हटना है, इन आंकड़ों के हिसाब से आप इसका मुलाहिजा कर लीजिये।

**श्री सभापति** : कृपया संक्षिप्त करें।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : तो मैं आपकी आज्ञा से इन आंकड़ों की यही छुट्टी करता हूं। आपके सामने इतना सा निवेदन किया कि ये आंकड़े अपने आप में सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी हैं। ये प्रगति के द्योतक नहीं हैं ये सारे के सारे प्रतिगामी हैं इसलिये मैं इनको छोड़कर जो मेरा दूसरा विषय है, उस पर आना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : हमारी पार्टी के एक सदस्य केवल तीन मिनिट बोले थे इसीलिये कि इस पर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा।

**श्री शोपतसिंह** : यह तारतम्य हमारा गड़बड़ कर देते हैं, सभापति जी।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : आज राजस्थान को किसी बात की आवश्यकता है तो वह है गोसंवर्धन की आवश्यकता है और इसमें नस्ल सुधारने का काम किया जा सके, प्रजनन को जितना बढ़ाया जा सके इसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे यहां पर जो पशु पैदा हो, उसकी अर्ली मैच्योरिटी कैसे हो। जाने के बाद वह अधिक से अधिक दूध कैसे दे सके और जब दूध बन्द करे तो उसका जो ड्राइ पीरियड है वह कम से कम कैसा हो और बछड़ा दें उस स्थिति में वह सुदृढ़ बैल कैसे बन सके। आज इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पशुपालन की

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। पशु पालक यह चाहता है कि ये हमारी जो सारी समस्यायें हैं उनका समाधान ढूंढे। इसलिये सरकार को इसे चेलेन्ज के रूप में स्वीकार करना चाहिये और इसे चेलेन्ज के रूप में स्वीकार करके इन पशुपालकों की जो समस्यायें हैं उसका समाधान करे तभी जाकर राजस्थान के पशुपालक का समुचित विकास हो सकता है। उसके बिना हो ही नहीं सकता। आज हमारे यहां पर राजस्थान के अन्दर मुख्य नस्ले मानी जाती हैं वह हैं राठी, थारपारकर, कांकरेज, नागौरी मावली, हरियाणवी ये मुख्य मुख्य सात नस्ले है जो हमारे प्रदेश की ओरीजनल नस्लें हैं। तीसरी नस्ल यूं तो कई आती है साईवाल है जो अधिकांश अमरकोट में पाकिस्तान में रह गई। जिन्हें वह गुजरात और सिरोही के काटे पर मिलती है। नारी है वह गुजरात और सिरोही के काटे पर मिलती है। ये सात नस्लें हैं इन सात नस्लों का आज जो अपनी अपनी जगह उपयोग है। कोई तो नस्ल ऐसी है जो सबसे अच्छा दूध देती है–नागौरी हरियाणा और कांकरेज जैसी नस्ल है जो सबसे बढ़िया बैल देती है। आज उन सारी चीजों का समुचित उपयोग करते हुए इन्हीं नस्लों को बढ़ावा देना चाहिये जिससे कि वहां के पशुपालकों को लाभ पहुंचे। जहां पर आज ओरीजनल नस्ल नहीं है, घटिया किस्म की गायें पाई जाती है, उसमें आपको शंकर प्रजनन के माध्यम से चाहे वह होस्टन हो, जर्सी हो, इसके माध्यम से वहां शंकर नस्ल पैदा करके उनको लाभ पहुंचाने की योजना बनानी चाहिये। इसके साथ ही साथ जहां बड़े बड़े शहर हैं और जहां पैसे वाले रहते हैं, जहां हर तरह का हरा चारा उपलब्ध हो सकता है, जहां अधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं वहां पर शंकर प्रजनन का जो कार्यक्रम है वह चालू करना चाहिये, तभी जाकर लाभप्रद हो सकेगा, उसके बिना लाभप्रद नहीं हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज हम विदेशी नस्ल की गायों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं लेकिन हमारे यहां जो गीर नस्ल की गाये हैं वह आज वजन तोड़ दूध हमारे देश के अन्दर देती हैं और उसके साथ ही साथ यहां से एक्सपोर्ट करने के लिये ब्राजील गायें भेजी गई थी। वहां पर इन्डो ब्राजील एक ब्रीड पैदा की गई है जिसके उपर वहां पर एक क्वाइन चलाया गया है जिस पर भी गीर नस्ल की गाय का उस सिक्के पर उसका चिन्ह अंकित है। आज ज्यादातर हमारे यहां की गाय को ऊंचे नस्ल की गाय माना जाता है परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहां पर जिस नस्ल का प्रचार और प्रसार होना चाहिये वह हमारे देश के अन्दर नहीं हो पाता है।

**श्री सभापति** : कृपया संक्षिप्त में। बहुत संक्षेप में।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : जैसा कि अभी चिड़ावा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा था कि सेविन्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर किस तरह से पशुपालन को इग्नोर किया गया है, उसको नजरन्दाज किया गया है, वह भी आपके सामने है।

182



(श्री कल्याणसिंह कालवी)

यहां से 38 करोड़ रुपये का प्रावधान करके, योजना बनाकर भेजी गई थी, उसके बदले में 16 करोड रुपये की स्वीकृति हमारे यहां की राजस्थान सरकार लेकर आई है।

यह पशुपालन जो राजस्थान का प्रमुख धन्धा है, उसके बारे में जो इनकी जागरूकता है यह उसका एक नमूना है। आज जो हमारे यहां पर पशुपालन के लिये जितना भी बजट प्राप्त हुआ है. उसके अन्दर गहराई से सोचना पड़ेगा कि उसमें प्राथमिकता किस बात को दी जाय। आज जहां प्राथमिकता चिकित्सा को दी जा रही है, मैं कहता हूं कि चिकित्सा की भी उतनी ही जरूरत है परन्तु उससे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरत है वह है विस्तार की और संवर्धन की। उससे जो पैसा मिलेगा उसके अनुपात में हम कितना परसेन्ट पैसा खर्च कर रहे हैं। आज हमारे यहां पर जिस तरह का रिसर्च वर्क होना चाहिए आज उस तरह का, माननीय सभापति महोदय, हो नहीं रहा। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि रिसर्च काम के अन्दर जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको यहां जयपुर के अन्दर फाईलों पर यस और नो, या फाईलों पर नोटिंग लिखने के लिए यहां दफ्तर में बिठा दिया जाता है और उनको रिसर्च अनुसंधान केन्द्र के ऊपर भेजने की आज हमारे यहां की सरकार आवश्यकता ही नहीं समझती। आज हमारे यहां पर रिसर्च के काम केवल दो जगह हैं। गाय की रिसर्च का काम हो रहा है लाइव स्टाक फिल्ड इन्वेस्टीगेशन स्टेशन बस्सी में और सेन्ट्रल केमल रिसर्च सेन्टर जोड़बीड़ बीकानेर। एक जगह ऊंट का हो रहा है और एक जगह अभी हमारे यहां पर गाय का हो रहा है। इसके सिवाय कुछ नहीं और गाय के रिसर्च फार्म पर, जिस तरह से वहां पर इक्विपमैंट मिलने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए जिस तरह से नहीं है। इसलिए उनके अभाव के अन्दर जिस तरह का काम होना चाहिए वह आपके सामने है। जैसा कि बहुत से सदस्यों ने आज आपके सामने जिस बात का जिक्र किया था कि पशुपालन विभाग अपने आप के अन्दर एक टेक्नीकल विभाग है और उस टेक्नीकल विभाग जो हैड होना चाहिए वह भी एक विशेषज्ञ ही होना चाहिए न कि एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। जब तक जनता पार्टी की सरकार थी हमने इस बात को मेनटेन रखा कि चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे एनीमल हस्बैन्ड्री हो, जो इस तरह के विभाग हैं उनके जो हैड रहेंगे वह विशेषज्ञ होंगे वही रहेंगे। प्रशासनिक सेवा के आदमी को नहीं भेजा जा सकता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासनिक सेवा के लोग जो बैठते हैं वहां पर. उनकी हालत मैं बताता हूं। जो विषय विशेषज्ञ हैं, कोई किसी विषय का विशेषज्ञ है, जो मोटर चलाने का विशेषज्ञ है उसको तो भेज दिया गया साईकिल चलाने के लिए और जो हवाई जहाज चलाने का विशेषज्ञ है उसको भेज देते हैं ऊंट का लड्ढा चलाने के लिए यह स्थिति है हमारे यहां। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा इसमें जिक्र किया गया है कि हमारे यहां पर पोली क्लिनिक सिस्टम डवलप करके हमने चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध की हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

कि पोली-क्लिनिक सेन्टर्स हमारे यहां पर 6 जगह भेजा गया है, जयपुर, जोधपुर उदयपुर, कोटा और बीकानेर और इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पोली क्लिनिक के लिए जो एक्स–रे मशीन आयी है, उस मशीन को आपरेट करने वाली आदमी की वहां पोस्टिग नहीं हुई। केवल 6 विशेषज्ञ हैं राजस्थान में और 6 विशेषज्ञों में से एक आदमी जयपुर में लगा हुआ है जो केवल सर्जरी में लगा हुआ है बाकी पांचों आदमी वह इधर उधर लगा दिये गये है हैं या पंचायत स्तर के या पंचायत समिति के स्तर के जो चिकित्सालय या औषधालय हैं उनमें इनकी पोस्टिग है ····

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं पर यो सक्षेप में नहीं।

**श्री दिग्विजयसिंह :** सभापति महोदय, संक्षेप किस बात का उन्होंने समय बढ़ा दिया है मांग पारित होने तक। आपकी मांग पारित करवा देंगे।

**श्री सभापति :** कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

**श्री दिग्विजयसिंह :** तो बोलने दो बोल लेते हैं। सभापति महोदय, मांग पारित होने तक उनको बुलवा देंगे।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य से निवेदन है कि 20 मिनट हो गये। कृपया 2–3 मिनट और ले लें। कृपया जल्दी समाप्त करें। कृपया चालू रखें। संक्षिप्त करने की चेष्टा करें यह मेरा निवेदन है आपसे।

**श्री दाऊदयाल जोशी :** विषय विशेषज्ञ हैं।

**श्री यदुनाथ सिंह :** एक्सटेंशन प्रोवीनियन दे रहे हैं। बोलेंगे जब तक मर्जी होगी इनकी।

**श्री दिग्विजयसिंह :** मांग पारित हो जायेगी।

**श्री सभापति :** प्लीज कन्टीन्यू।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** माननीय सभापति महोदय, आपने जो मेरे को समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह हकीकत की बातें हैं कि जब राजस्थान सरकार ने इन मशीनों को लाने के लिए लाखों रुपये खर्च कर दिये थे, और उनको आपरेट करने के लिए या तो आप रेडियोग्राफर को भेज देते हो या कोई वी. ए. जो है उसको भेज देते हो जो वेटरनरी असिसटेन्ट है जो उसका स्विच ओन और ओफ करना जानता है, या किसी को भेज देते हो जो केवल स्क्रीनिंग जानता है। इस तरह से इन मशीनों के साथ में मजाक करना है और यह राजस्थान की जनता के साथ में सबसे बड़ा धोखा है, फ्राड है जो हमारे साथ के अन्दर किया जा रहा है। इस करोड़ों रुपये के इन्वेस्टमेन्ट के बाद भी आज यहां नगरपालिका की बात ले लीजिए। यहां पर मीट के बकरे कटते हैं और बकरे कटते हैं वहां पर हम जाते हैं

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

कि हाइजीनिक पाइन्ट आफ व्यू से यहां पर हमको स्वच्छ मीट मिले और उसकी सारे की जांच करने के लिए एक डाक्टर की नियुक्ति की जाती है। जनता पार्टी की सरकार में उस डाक्टर की हमने पोस्ट क्रिएट की थी कि लोगों को खाने के लिए न बकरी काटी जाय, न मादा जानवर काटा जाय और लोगों को खाने के लिए शुद्ध मांस मिले। उस जगह से उस डाक्टर को हटा दिया गया है और आज केवल प्रशासनिक सेवा के लोग उस मांस को देखते हैं जो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं हमको पता नहीं। उनको यह पता ही नहीं हैं कि बकरे और बकरी में क्या फर्क होता है उस तरह के लोग उस व्यवस्था को देखते है। आज जैसा कि मैंने निवेदन किया था इस बात पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि विड़ावा से आने वाली माननीय सदस्या ने कह दिया था कि आज मेडीकल डाक्टर्स और वैटरनरी डाक्टर हैं, आज मैडीकोज में और इनकी सुविधाओं में और वेतनमानों में जिस जिस तरह का अन्तर है वह अंतर मिटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिसकी सेवा ये करते हैं, उसी तरह की पढ़ाई ये पढ़ते हैं उसी तरह का कोर्स यह करते हैं, उसी तरह का प्रशिक्षण यह प्राप्त करते हैं, इसलिए उस वेतनमान के अन्दर इनका और उनका ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए।

अब मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा मैडीशन्स के बारे में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की दवाइयां हमारे यहां पर जानवरों के इलाज के लिए मिलनी चाहिए वह सारी की सारी दवाइयां जो अप टू दी मार्क होनी।

(म. प. 6–27)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चाहिए वह नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें यह भी जानकारी मिली है कि विभिन्न स्थानों पर जो दवाइयों की दुकानों को खोल करके बैठे हैं वह ज्यादातर हमारे डाक्टरों के रिश्तेदार या उन्हीं के घर के लोग बैठे हैं। ऐसी दवाइयां जानवरों को मिलने के बनिस्बत उन दुकानों में जाकर के वापस बिकने लग जाती हैं, यह भी एक स्थिति है। हमारे यहां आज आम पशुपालक इस बात की शिकायत कर रहा है। जहां तक दवाइयों का सवाल है मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज छोटे-छोटे गांवों में जहां औषधालय, चिकित्सालय खोले हुए हैं वहां पर पशुपालक को इलाज के लिए दवाई नहीं मिलती। इसलिए वहां पर जितने भी औषधालय या चिकित्सालय हैं उन पर ज्यादा कीमत की दवाइयां वितरित करने के प्रावधान भी हमको मिलने चाहिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौ संवर्धन के लिए जहां पिछली बार 400 केन्द्र खोलने की बात हुई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से हम 65 से ज्यादा केन्द्र नहीं खोल सके, यह हमारी संवेदनशीलता है यह हमारे निर्णयों की क्रियान्विति का एक नमूना है जो आज आपके सामने है कि जहां हम 400 केन्द्र खोलने की बात करते हैं वहां 65 केन्द्र भी हमारे खुल नहीं पा रहे हैं, क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं। आज जहां

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

तक इनके पशुधन सहायक हैं जो स्टाकमैन हैं उनका प्रमोशन कर दिया गया था सन् 1983 के अन्दर, उनको वी. ए. बना दिया गया था परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक उनको वी. ए. का न तो वेतनमान दिया जा रहा है, न वेतन दिया जा रहा है और न वी. ए. की सुविधाएं जो उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी वह नहीं करायी जा रही हैं। तो क्यों तो उनको धोखा दिया गया क्यों यह प्रमोशन का नाटक रचा गया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण है।

आज जहां तक पशुपालन विभाग की बात करते हैं, इनमें दो चीजें एक साथ मिल गई हैं। एक है एनीमल हस्बेंडरी और एक है प्रजनन, चिकित्सा। प्रजनन के काम को जिस तरह का बढ़ावा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। आज मैं इसके अन्दर सुधार की बात आपसे नहीं करना चाहूंगा। जैसा मैंने निवेदन किया था पशुपालन बहुत ही शक्तिशाली विभाग राजस्थान जैसे प्रदेश में बनना चाहिए और शक्तिशाली बनाने के लिए मैं आवश्यक समझता हूं कि आज जितने भी डाक्टर अलग-अलग जगह बैठे हैं, चाहे वे घोड़ों का इलाज करते हों, चाहे वे भेड़ और ऊन विभाग के फार्म में इलाज करने का काम करते हों, उनको एनीमल हस्बेंड्री के नीचे दे देना चाहिए। जो डेयरी के नीचे डाक्टर बैठे हैं उनको भी पशुपालन विभाग के नीचे दे देना चाहिए। साथ ही साथ पंचायत समिति के नीचे जितने भी एनीमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन आफिसर्स बैठे हैं उनको सारे के सारों को पशुपालन विभाग के नीचे दे देना चाहिए ताकि एक विभाग का सीधा उन पर नियन्त्रण रहे। उनको मार्गदर्शन दे सकें, उनको इन्स्ट्रक्शन दे सकें। अलग-अलग जगह इस तरह से इलाज की व्यवस्था करने से हमारे यहां कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज हमारे यहां की जितनी भी विशिष्ट योजनायें आई थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार के सहयोग से हमारे यहां पर लागू करना चाहिए था वह सारी की सारी खटाई में डाल दी। गो सुधार अनुसंधान योजना, नागौर पशु प्रजनन केन्द्र विकास योजना, रामसर के अन्दर जो ब्रीड फार्म था उसको सारा अव्यवस्थित ढंग से डाल कर जहां गाय को पालना चाहिए था वहां पर बकरी को पालने का फार्म खोल दिया गया और बकरी पालने के फार्म खोल दिए गए वहां पर भी स्वीटजरलैंड के कोलोबोरेशन से उस फार्म को स्टार्ट करने की, शुरु करने की योजना बनाई थी, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने साल के अपव्यय के बाद भी आज तक वे छः बकरे बांट सके और वे छः बकरे भी मजीठी किस्म के जो सिरोही जिले के खरीदे हुए थे, केवल ये बांट सके। अब यह हमारे साथ में, इन योजनाओं के साथ में मजाक हो रहा है क्योंकि हमारी इन योजनाओं की क्रियान्विति में विशेष विशेषज्ञों को लगाना चाहिए था उसकी जगह हमारे यहां के प्रशासनिक अधिकारियों को बिठा दिया जाता है जिनको इन योजनाओं की क्रियान्विति का कुछ भी ज्ञान नहीं है।

आज जैसा कि अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि घोड़ों के बारे

**(श्री कल्याणसिंह कालवी)**

में चर्चा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की यह योजना थी, राजस्थान के अन्दर जो सबसे प्रसिद्ध मालानी नस्ल के घोड़े पाये जाते थे उसकी नस्ल समाप्त हो रही है, उनके प्रजनन की व्यवस्था भी की जाय और आप ही की सरकार द्वारा, पिछली कांग्रेसी सरकार के द्वारा चार सांड घोड़े रखने की व्यवस्था की गई थी। केन्द्रीय सरकार की बहुत बड़ी योजना बन कर आई थी उस सारी योजना को खटाई में डाल दिया गया। केन्द्रीय सरकार इस योजना की क्रियान्विति के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने को तैयार थी। उस अनुदान का उपयोग हम राजस्थान की जनता के हित में नहीं ले सके।

आज आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन की बात है, यह एक योजना की बात है। इस योजना के तहत में भी जिस तरीके से कई डिस्ट्रिब्यूटरीज फांट दी गई है, कई फांटे फाँट दिए गए हैं, कहीं पर तो पंचायत में काम कर रहे हैं, कहीं डेयरी के अन्दर रहने वाले जो शिक्षण प्राप्त नहीं हैं, अशिक्षित लोग, अप्रशिक्षित लोग जो काम कर रहे हैं, इसी का परिणाम है कि जहां ए. आई. योजना का, आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन योजना का, कृत्रिम गर्भाधान का जो पूरक परिणाम आना चाहिए था, इन नीम हकीमों के जरिये काम हो रहा है जिसका पोजीटिव रिजल्ट आना चाहिए था पूरक परिणाम आना चाहिए था वह नहीं आया। इसलिए इसको सुधारना होगा कि हर जगह हर किसी भी नीम हकीम को यह काम नहीं दिया जाय कि डेयरी की सहकारी समिति का सचिव हो वह कृत्रिम गर्भाधान का काम करेगा, यह चलने वाली बात नहीं है। यह एक्सपर्ट्स का काम है तो एक्सपर्ट्स के जरिये ही इस काम को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

जहां तक फ्रोजन सीमेन की बात है, हमारे यहां इस पद्धति को चालू किया गया है लेकिन जैसा कि चिड़ावा से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि आज तो उससे भी बढ़िया एमरियो प्लाण्टेशन टेक्नोलोजी है, वह डवलप हो चुकी है और उसी को अडाप्ट करके हमको पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम करना चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि बिदेशों की बात मत करिये, राजस्थान की बात करिये, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लिक्विड नाईट्रोजन बांधने का जो कारखाना है वह अपने यहां भिवांडी में लग चुका है अमेरिकन कोलेबोरेशन से और वहां पर यह सारा का सारा काम प्रारम्भ हो चुका है। उसके साथ-साथ एमरियो प्लाण्टेशन के लिए आज एक लन्दन की जो फर्म है, जो इण्टरनेशनल एमरियो है वह भी आज भिवाडी में अपना कारखाना लगाने के लिए तैयार है। किन्तु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज यह कांग्रेस की सरकार उनको कारखाना लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की स्थिति में भी नहीं है। यदि उनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाय और यह एमेरियो कारखाना हमारे यहां पर लग जावे तो हमारे यहां के पशुपालकों को वह सारी की सारी सुविधायें नजदीक होने के कारण सुविधा से, सरलता से और सस्ती

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

देर पर मिल सकती है। यह सारी की सारी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

आज सबसे बड़ी जो हमारे यहां पर जरूरत है वह है एण्टी रेबिज की। आज पागल कुत्ते जिस जानवर को काट खाते हैं उस जानवर के इलाज की हमारे यहां पर सुविधा नहीं है और केवल जयपुर के सिवाय एण्टी रेबिज मेडिसिन मिलनी चाहिए थी वह कहीं नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एण्टी रेबीज दवाइयां हैं ये सारे जिला हैड क्वार्टर्स पर रखने की समुचित व्यवस्था की जावे जिससे कि किसी पशु को पागल कुत्ता काट खाता है तो उसके इलाज के लिए वह आसानी से दवा उपलब्ध करा सकें।

जहां तक बीमारियों की रोकथाम की बात थी बहुत सी बातें आ चुकी हैं। इस पर मैं ज्यादा जाना भी नहीं चाहता, सदन का समय भी नहीं लेना चाहूंगा। कुछ दवाइयां हैं और जिस तरीके की एण्टी-सिपेटरी व्यवस्था हमको करनी पड़ती है और सारी की सारी व्यवस्था करने के लिए हमको समुचित क़दम उठाने पड़ेंगे तभी जा करके हमारे प्रदेश में पशुओं में जिस तरह की महामारियां फैलती हैं उसको रोका जा सकता है।

जहां तक भैंस के विकास का सवाल है हमारे यहां पर तीन नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। एक तो हरियाणा नस्ल से आई मुर्रा नस्ल है, दूसरी सूरती नस्ल है जो सांचोर की तरफ पाई जाती हैं और बाकी जगह हमारे यहां पर देशी नस्ल पाई जाती है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुर्रा नस्ल की भैंस की जिस तेज रफ्तार से हमारे यहां पर बढोतरी हो रही थी उस सारी योजना को हमारे यहां खटाई में डाल दिया गया। आज हमारे यहां पर दो सौ मुर्रा भैंसों की मांग है किन्तु हमारी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि मुर्रा पाड़े वितरित नहीं करेंगी। हम हमारे यहां पर भैंसों की नस्ल सुधारने की किसी भी योजना को क्रियान्वित नहीं करेंगे।

आज डेयरी की बात, आज इस डेयरी के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने दूध की और सारी की सारी बात कही है, वह सारी की सारी आज आपके सामने आ रही है। इस डेयरी के तहत में हमने जो राजस्थान के दूध उत्पादकों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने की योजना बनाई थी, उस योजना की क्रियान्विति किस रूप में हो पाई है यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हम चाहते थे कि इस डेयरी योजना के तहत में चार सौ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड करेंगे और प्रत्येक सहकारी समिति के कम से कम दो सौ सदस्य होंगे। किन्तु अभी कितनी यूनियन्स रजिस्टर्ड हुई हैं? यह सारी की सारी बातें हैं। आज इस डेयरी के अन्दर डाक्टर्स का एक लवाजमा बिठा दिया गया है। मैं कहता हूं कि डेयरी का काम इतना ही है कि वह दूध का संकलन करे, इसको चील्ड करे और उसको वितरित करे। इन तीन के सिवाय इसका कोई काम नहीं है। परन्तु वहां पर हमारे इलाज के लिए डाक्टर भी बैठा है और जैसा कि माननीय सूरतगढ़ से आने

188



**(श्री कल्याणसिंह कालवी)**

वाले सदस्य कह रहे थे कि उनको वहां पहुंचाते हैं तब उनके लिए हमको यदि बकरी का इलाज कराना है तो बकरा काट कर खिलाना पड़ता है और यदि भैंस का इलाज कराना होता है तो दूसरी भैंसों का दूध निकाल कर खीर बना कर खिलानी पड़ती है। यह स्थिति है हमारे यहाँ पर और इन डाक्टरों का भार आज दूध के संकलन पर और कोस्ट आफ कलेक्शन है उसको बढावा दे करके उपभोक्ता पर भार डालना कतई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा दाम मिले और उपभोक्ता को कम से कम कोस्ट आफ कलेक्शन लगा करके उसको दूध पहुंचाया जाय, आज इस बात की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए इस बीच में जितना भी भार पड़ता है उस सारे भार को हटाना पड़ेगा। यदि जानवरों की व्यवस्था करनी है, तो केवल पशुपालन विभाग के माध्यम से करवानी होगी। आज डेयरी के माध्यम से किसी डाक्टर को ले जावें तो एक जानवर का इलाज कराने के लिए चाहे वह पशुपालक दे, चाहे डेयरी फेडरेशन दे, एक जानवर पर खर्चा आता है डेढ सौ रुपया। डाक्टर पैदल नहीं जायगा, गाड़ी में बैठ कर जायगा। यदि पशुपालक को ले जाना है तो गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। खुद जायगा तो डेयरी की गाड़ी में जायगा। यह सारी व्यवस्थायें हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को हटाना पड़ेगा। यह कदम उठाने के लिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, उनको बलपूर्वक सारे के सारे कदम उठाने पड़ेंगे।

हमारे प्रदेश के अन्दर ऊंटों की सबसे बड़ी समस्या है। हिन्दुस्तान का 80 प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाया जाता है। ऊंट पालक को सबसे ज्यादा पैसा कैसे मिले इस के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था हमारे यहां पशुपालन का धंधा अलाभप्रद बनता जा रहा है। इसे लाभप्रद कैसे बनाया जाय, आज सबसे बड़ी चुनौती मंत्री महोदय को यह है कि वह अपने विभाग को जागृत करके इस धंधे को लाभप्रद कैसे बना सकते हैं, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहां से ऊंट बाहर भेजने की एक योजना आयी। आज विदेशों में हमारे यहां के ऊंटों की मांग है परन्तु हमारे यहां की सरकार ने इस बात को सोचे बगैर कि हमारे यहां के ऊट यदि निर्यात होंगे तो देश को विदेशी मुद्रा मिलेगी, हमारे यहां के पशुपालकों को ऊंट की उचित कीमत मिलेगी, इससे पशुपालकों में खुशहाली आयेगी, इस बात को नजर अंदाज करके साफ लिख दिया कि हमारे यहां से ऊंटों को बाहर नहीं भेजा जा सकता है।

**एक माननीय सदस्य :** अरब देशों में भेजेंगे।

(व्यवधान)

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** हमारे यहां पर 8 से लेकर 10 लाख के बीच में ऊँट है। यदि उनमें से 10 पर्सेन्ट भी बेकार खड़े रहते हैं, उनको विदेशों में भेज दिया जाना है तो हमारे यहां के पशुपालकों को उचित मूल्य मिलने लग जायेगा जिससे कि उनमें खुशहाली आयेगी।

ऊंटों के अन्दर एक सर्रा बीमारी होती है जो बरसाती बीमारी होती है। उस

**(श्री कल्याणसिंह कालवी)**

बीमारी के इलाज के लिये हमने एक यूनिट अलग खड़ी की है। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस बीमारी की रोकथाम के लिये जो सबसे प्रभावशाली दवा थी उसको हमारे यहां बंद कर दिया। सबसे पहले हमारे यहां एन्ट्रोपम्प, एन्ट्रोसेट, नागालोन आती थी और अब हमारे यहां पर ट्राइवेक्स आने लग गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों मेजर हैं। आज हमारे पास कई दवायें हैं उनमें केवल क्यूरेटिव मेजर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वह क्यूरेटिव मेजर भी केवल कहने के लिये हैं। उस दवा का असर इस जानवर पर कुछ भी नहीं होता। मैं इसके अनुभूत ज्ञान के आधार पर कह सकता हूं कि हमारे यहां जो दवा बांटी जा रही है इस दवा को बाजार में कम बांटा जा रहा है। बाजार की कीमत और विभाग की कीमत दोनों की एक है। एक होने के बाद उस दवा का जितना असर होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। पैसे खर्च करें, मेहनत करें, डाक्टर को लेकर जायं उसके बाद उस दवा को देने के बाद पशु नहीं बचे, इससे ज्यादा हमारे साथ धोखा कुछ नहीं हो सकता, फ्राड कुछ भी नहीं हो सकता। यह हमारे साथ सरकार कर रही है, आपका विभाग कर रहा है। यह हमारे साथ हो रहा है।

शूकर पालन की बात है....

**एक माननीय सदस्य :** मुर्गा।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** मुर्गा भी आपकी नजर करूंगा।

जहां तक शूकर पालन का धंधे का प्रश्न है, यह उन इलाकों के लिये सबसे महत्वपूर्ण योजना है जहां पर पानी बहता हो, जहां नदी नाले हों, जहां जड़ी बूटी ज्यादा होती हो, वहां यह शूकर पालन का धन्धा चलाया जा सकता था परन्तु इस धन्धे को भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर के अन्दर खटाई में डाल दिया गया है। उसके जैसे हमने आंकड़े देखे, लवाजमा जो शूकर पालन के फार्म पर लगा हुआ है, उसका खर्चा तो होगा लाखों से ऊपर और वापस जितनी रिटर्न मिलनी चाहिये वह हजारों में होगी। इस तरह की योजना है जिससे न विभाग को लाभ हो सकता है, न यहां के निवासियों को लाभ हो सकता है, न आदिवासियों को लाभ हो सकता है। इस तरह की योजना बनाकर केवल शूकर पालन के लिये गृह निर्माण कर दो। पोलिट्री फार्म के लिये पोलिट्री फार्म कन्स्ट्रक्ट कर दो। इससे अब काम चलने वाला नहीं है। आपको इस सारे मसले पर सोचना पड़ेगा।

जहां तक बकरी पालन के धन्धे का सवाल है, मैंने पहले ही निवेदन किया था हमारे प्रदेश के अन्दर यदि पशु नस्ल के धन्धे रहे हैं तो तीन ही रहे है, पशुपालकों के पास। बकरी रही है, कुत्ता रहा है और विदेशी घोड़े रहे हैं। आज जो बकरी है, उसके लिये जिस तरह की योजना बना रहे है, इस धन्ध को खटाई में डाला जा रहा है। मैं फिर आपको आगाह कर देना चाहता हूं, हमारे यहां पर जो मशहूर नस्ल हैं उन्हीं को बढ़ावा देकर फैलाना चाहिये जिससे हमारे यहां के पशुपालकों को सीधा लाभ मिल सके। केवल राज्य की स्कीम के द्वारा

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

राज्य के कर्मचारियों का पेट भरने का माध्यम नहीं बनाया जाय, उस पशुपालक को खड़ा करने की योजना बनायी जाय। इस बात की आज सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे यहां अजमेरी, सिरोही, मारवाड़ी, आदि अच्छी अच्छी किस्म की बकरियां मिलती हैं। उन्हीं नस्लों को उस क्षेत्र की इकालोजी आधार पर, वहां की जलवायु के आधार पर विकसित करना चाहिये जिससे कि सीधा लाभ मिल सके।

जहां तक मुर्गी पालन का सवाल है, मुर्गी पालन का धन्धा हमारे यहां पर जो सबसे ज्यादा लाभप्रद चलता है वह अजमेर के आसपास चलता है परन्तु आज उस मुर्गी पालन के धन्धे को जिस प्रकार का प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये उस प्रकार का नहीं दिया जा रहा है। उनके चुग्गे की व्यवस्था में जहां राइस पोलिस मिलना चाहिये था वह हमारे प्रदेश में नहीं है। सारे का सारा राइस पोलिस बाहर चला जाता है, उसका निर्यात कर दिया जाता है। हमारे यहां के मुर्गी पालक जो देश में सबसे ज्यादा पौष्टिक खाना देते हैं उनको सुविधाएं देने के बारे में हमारे प्रदेश की सरकार कतई नहीं सोच रही है। जो राइस पोलिस बाहर जाता है उस पर सैल्स टैक्स लगता है, जो अंडे बाहर जाते हैं उन पर सैल्स टैक्स लगता है। उसके साथ ही इन पोलिट्री फार्म को जो सुविधा देनी चाहिये इसको उद्योग नहीं मान कर एक एग्रीकल्चर यूनिट मान कर पानी, बिजली और जमीन की उतनी ही सुविधा दी जाती है जितनी एक एग्रीकल्चरिस्ट को दी जाती है। उद्योग की सुविधाएं उसको नहीं मिलती। मैंने पहले ही निवेदन किया था, इस पशुपालन के धंधे को लाभप्रद बनाना पड़ेगा। उसको लागत और नफे के आधार पर चलाना होगा। इसे उद्योग के रूप में विकसित करना होगा तब जाकर खुशहाली आ सकती है उसके बगैर नहीं आ सकती है।

जहां तक भेड़ पालन का सवाल है, आंकड़ों से कितनी मानूं, एक करोड़ मानूं या 1 करोड़ 34 लाख मानूं, यह तो मैं नहीं कह सकता हू परन्तु सारे देश के मुकाबले हमारे यहां पर 40 प्रतिशत भेड़ें हैं। उन 40 प्रतिशत भेड़ों में हमारे देश के अन्दर जो सबसे बढ़िया कारपेट वूल होती है वह हमारे यहां की जैसलमेरी, मगरा और मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की होती है। उस ऊन को हमारे यहां पर सबसे ज्यादा कीमत मिलनी चाहिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं इसी कांग्रेस सरकार ने आज से 17–18 साल पहले 28 रुपये किलो में ऊन रसिया भेजी थी। वह कारपेट वूल वहां पर ग्रेडिंग के आधार पर, केटेगराइजेशन के आधार पर, उसमें मिट्टी मिला देने के कारण से सारी की सारी 28 रुपये किलो की ऊन लौट कर आ गई। उस साल हमने ऊन बेची थी 23 रुपये से लेकर 28 रुपये किलो तक, उसके आज 18 साल बाद हमको ऊन बेचनी पड़ रही है 8 रुपये से लेकर 12 रुपये किलो तक। आज हमको ऊन के बीस रुपये ज्यादा मिलते तो पशुपालक में खुशहाली आती। शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट जिसमें फैडरेशन भी बन गया है

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

ऊन विपणन का, वह दूसरे सारे काम तो करता है परन्तु ऊन विपणन के द्वारा ऊन की सोलिंग, ऊन की ग्रेडिंग के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य कैसे दिलाया जा सकता है, लाभप्रद मूल्य कैसे दिलाया जा सकता है इस ओर काम नहीं करना चाहता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट का केवल एक काम है तो यह है कि ऊन की ग्रेडिंग, सोलिंग करवाये, भेड़ पालकों को सबसे ज्यादा पैसा दिलवाये। यह केवल उसका काम है। इस काम को पूरा कर लेते हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट की जय बोलूंगा और यहां पर मन्त्री महोदय बैठे हैं उनकी भी जय बोलूंगा। यदि इसकी क्रियान्विति में असफल रहे तो इस सरकार को अपनी असफलता इस सदन के माध्यम से स्वीकार करनी पड़ेगी। जहां तक बाहर से इम्पोर्ट करने का सवाल है,....

**श्री उपाध्यक्ष :** थोड़ा संक्षेप में।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** समाप्त कर रहा हूं।

हमारे यहां पर मेरीनो इम्पोर्ट की गई, रसिया से इम्पोर्ट की गई, अमरीका से भी इम्पोर्ट की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस साल जिस नस्ल की भेड़ हमारे यहां पर विकसित की गई है, उसको विकसित करके हमारे पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी चाहिये जिससे वह ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें।

कम्पोजिट मीट प्लांट लगा हुआ है अलवर में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस करोड़ों रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद इस शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट में जिस तरह की पैदा होनी चाहिये थी उस तरह की नहीं हो रही है। यदि इस विश्वास के साथ कह दूं कि आज तक बिचौलिये हमारा शोषण कर रहे थे, अब सरकार भी भेड़ पालकों का शोषण करने में लगी है। जिस दिन मीट तीन रुपये किलो मिल रहा था उस दिन हमारे यहां मेंढे की कीमत थी 150 रुपये। आज हमारे मेंढे की कीमत पौने दो सौ, दो सौ रुपये है और मीट की कीमत है 18 रुपये किलो। मीट बढ़ गया 6 गुणा ज्यादा और हमारे मेंढे की कीमत सवाई भी नहीं बढ़ी। यह जो सबसे बड़ी लूट हो रही है, यह राजस्थान के भेड़पालकों के साथ हो रही है। आज मीट की कीमत 6 गुणा बढ़ गई और हमारे मेंढे की कीमत सवाई नहीं बढ़ी। इस सारे बीच के पैसे को खाता कौन है। आज डिमांड आयी, कितने जानवर राजस्थान से भेजे जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां पर मेंढों और बकरों की इतनी ज्यादा संख्या है, लाखों की संख्या है। 70 लाख जानवर तो हमारे यहां से बाहर जाते हैं उनकी यदि आप समुचित व्यवस्था कर दें तो हमारे पशुपालकों को यदि पांच रुपये भी ज्यादा मिलें तो साढे तीन करोड़ ज्यादा मिलते हैं और साढे तीन करोड़ रुपये यदि पशुपालकों में वितरित होते हैं तो पशुपालकों में अपने आप खुशहाली आने लग जाती है, सरकार की आय भी बढ़ जाती है। आज पशुपालन के माध्यम से हमारे यहां करोड़ों रुपये की

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

आय, मेलों के माध्यम से कम से कम 50 करोड़ रुपये मिलते हैं, भेड़, बकरी के माध्यम से हमारे यहां करोड़ों रुपये मिलते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कोई पशु बाकी नहीं रहा जिसका एनलेसिस नहीं हुआ हो।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** यदि मीट की चर्चा से किसी माननीय सदस्य को असुविधा हो रही है तो उसको बन्द कर देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य कोई पशु बाकी नहीं रहा है।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** आपकी आज्ञा से दो मिनट में समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं, बस बहुत टाइम हो गया, हम इसको समाप्त करना चाहते हैं।

**श्री शोपतसिंह :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोकिए, अगर यह मीट भी चला जाएगा तो खाने वाले क्या करेंगे, कहां जायेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, एक नेता खड़े हुए हैं, दो दो खड़े हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** आज हमारे यहां पर भेड़ और बकरी पर करोड़ों रुपए का सेल्स टैक्स मिलता है, विपणन बोर्ड को एक करोड़ की आमदनी होती है। उसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि पशुधन आधारित उद्योग धन्धे हमारे देश के अन्दर स्थापित करें दूध पर आधारित धन्धे स्थापित करें ऊन, चमड़ा, मीट, हड्डी, बाल, सींग, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब यहां से नीदरलैण्ड गया था तो हमारे यहां बकरी की जट, जो बाल होते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं, हमारे यहां गांव में बेचने वाले आते हैं मूंगफली बच्चों को दे जाते हैं और ले जाते हैं जट और वह जट 200 रुपये किलो में बिकती है जिस चीज की हमारे यहां कोई कीमत नहीं उसके 200 रुपये किलो के मिलते हैं। आज बीच के आदमी सारे का सारा खा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जट की उचित कीमत, खरीद फरोख्त की व्यवस्था सरकार करे।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य मुझे बड़ा मुलायम समझते हैं, माननीय सदस्य बहुत हो गया, बहुत हो गया।

**श्री कल्याणसिंह कालवी :** पशु बीमा योजना पर दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** कोई पशु बाकी नहीं रहा है।

**श्री यदुनाथसिंह :** जल्दी क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी क्या हो रही है।

**एक माननीय सदस्य :** और लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाय।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपर्ट ओपीनियन आ रही है।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक ही पाइन्ट पर।

**श्री यदुनाथसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी क्या है एक्सपर्ट ओपीनियन आ रही है रात के 12 बज जांय तब तक बैठिए, आपको जल्दी क्या हो रही है। कोई एक भी बात माननीय सदस्य, नेता ने इर्रिलेवेन्ट कही क्या ?

**एक माननीय सदस्य** : थोड़ा गधी पर भी प्रकाश डाल दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, थोड़ा समय का भी ध्यान रखें, बहुत मैटर दिया है।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : मैं तो दो ही मिनट लूंगा, इतनी देर में तो कन्क्लूड कर देता।

**श्री पोकरलाल परिहार** : उपाध्यक्ष महोदय, समस्त सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाय। समय निर्धारित होना चाहिए सबका दो दो मिनट सब के होने चाहिए। जब 7 मिनट सब बोलेंगे तो इनको बोलते एक घन्टा हो चुका है।

**श्री यदुनाथसिंह** : आप दो घन्टा बोल देना मना कौन कर रहा है, आपके फायदे की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह** : आपके लिए ही बोल रहे हैं।

**श्री दिग्विजयसिंह** : आपके पास मैटर हैं तो आप भी दो घन्टा बोल दें।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : मैं तो इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह अनुभूत ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। आपके पास अनुभूत ज्ञान है तो आप भी बोलिए, मैं कोई थ्योरिटिकल बात नहीं कर रहा, अखबारी बात नहीं कर रहा, अनुभूत ज्ञान कह रहा हूं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

**श्री शोपतसिंह** : आपमें ज्ञान है नहीं, ज्ञान की बात सुनना नहीं चाहते।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय नेता महोदय, मैं यह चाहता हूं कि एतराज नहीं हो जाय।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : एक ही मिनट, इन्होंने इन्टरप्ट कर दिया, कृपया, मैं समाप्त करता हूं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम मन्त्रियों को बैठाने के लिए हवाई जहाज खरीदते हैं, मैं चाहता हूं राजस्थान में गरीब से गरीब आदमी है वह पशुपालन का धन्धा करता है उसको खुशहाल करने के लिए यदि चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया जाय उसके अन्दर जिन्दा बकरों को, मेढ़ों को बीकानेर से, जैसलमेर से, उतरलाई से, पोकरण से, नागौर से यदि सीधे निर्यात किया जाय तो हमको विदेशी मुद्रा मिल सकती है। हमारे पशु पालक खुशहाल हो सकते हैं। आपसे इतना ही निवेदन करके समाप्त करता हूं कि हमारे नाथद्वारा से

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

आने वाले माननीय सदस्य ने कल एक बात कही कि साफा बांधने वाले.... —

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय नेता महोदय, कृपया ।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : मैं कोई अशिष्ट बात कभी नहीं करूंगा, आप विश्वास रखें । मैं एक बात ही कहूंगा, पते की बात कहूंगा । उन्होंने कहा था कि साफा बांधने वाले कुछ लोग मिलते थे आज सारे के सारे, हमारे देश को प्रगति हो रही है कि मर गए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल्याणसिंह साफे की जगह नंगे सिर खड़ा हो जाय कुर्ते की जगह बुशर्ट पहन ले, धोती की जगह पेंट पहन ले, तो कल्याणसिंह की प्रगति नहीं हो सकती । यदि सही माने में प्रगति करनी है तो उसको खाने कमाने का जरिया देना पड़ेगा, उसको विकास के साधन देने पड़ेंगे, उसका लिविंग स्टेण्डर्ड रेज करना पड़ेगा तभी जाकर उसमें खुशहाली आ सकती है । इसलिए माननीय सदस्यों को गुमराह होने की जरूरत नहीं, बाह्य वेशभूषा के बदलाव से देश की प्रगति नहीं मानी जा सकती । यदि हमारे यहां पर सही मायने में गरीब से गरीब की प्रगति करनी है, गरीब में खुशहाली लानी है तो आपको उनको खाने कमाने का जरिया देना पड़ेगा । उनको लाभप्रद मूल्य देना पड़ेगा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना पड़ेगा तभी जाकर हमारे प्रदेश में खुशहाली आ सकती है । मैं इतना ही निवेदन करके इन कटौती प्रस्तावों के बारे में निवेदन करूंगा कि इनको स्वीकार किया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री पोकरलाल ।

**श्री शिवराम शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है कालवी साहब ने सारे जानवरों के बारे में बोल दिया हमारे यहां लूणियास के अन्दर राजस्थान का बहुत बड़ा मेला भरता है उसका कोई मन्त्री उद्‌घाटन नहीं करता है ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उस पर आप बोल लेना, आपके लिए छोड़ दिया आपको बोलना है इसलिए आप बोलें ।

**श्री दिग्विजयसिंह** : उसका उद्‌घाटन करने के लिए आपको रख रखा है ।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, सात बज गये और इस डिमाण्ड के बारे में करीब करीब सभी पाइन्ट्स आ गये अब समाप्त करवा दीजिए ।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : कुछ ही दिनों में शर्मा साहब मन्त्री बनने वाले हैं रिजर्व रखा है आपके लिए ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री पोकरलाल ।

**श्री पोकरलाल परिहार** (देसूरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पशुधन पर सबसे विस्तार से बातचीत हुई, विशेषकर यह कहना है कि हमारे राजस्थान के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं । 1981 के आंकड़ों के अनुसार 79 प्रतिशत पापुलेशन कृषि पर आधारित है और उसमें भी अधिकांश लोगों का मुख्य धन्धा है पशुपालन और पशुपालन में भी विशेष रूप से कमजोर तबके के लोग हैं जो भेड़ बकरी गाय भैंस और ऊंट रखते हैं उनको विशेष

(श्री पोकरलाल परिहार)

रूप से लोन की सुविधा दी जाय और इस धन्धे को और आगे बढ़ाने के लिए सुविधा दी जाय। लोन के अन्दर माननीय सदस्य ने बताया कि जो उनको सब्सीडी मिलती है पशुधन खरीदने के लिए वह सब्सीडी न देकर ब्याज में एडजस्ट की जाय तो वह ब्याज इतना नहीं होता है सब्सीडी जो दी गई लोन की किश्तें होती है उसमें से लेस कर दी जाय तो उनको पशुधन खरीदने में सहायता मिल सकती है। विशेष रूप से जो गांव के पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था है हास्पीटल है मगर डाक्टर लोग उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। हास्पीटल के समय के अलावा वे प्राइवेट प्रेक्टिस से जुड़े रहते हैं, इसलिए इस प्रकार को जिनके खिलाफ शिकायतें हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। हास्पीटल के अन्दर काफी जगह चिकित्सालयों में दवाइयां कम रहती हैं वहां दवाइयों की व्यवस्था की जाय और लोगों को उसके लिए विशेष रूप से सुविधा दिलाई जाय। चारे की व्यवस्था पशुधन के लिए की जाय, माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि चारे के लिए जैसे हमारे देसूरी में क्षेत्र में अभी अभी एक अगस्त तक उसमें छूट दी जाती है तो अकाल की स्थिति है उसमें चारा चरने के लिए भेड़ बकरी उनको काफी राहत मिल सकती है। मैं वन मन्त्रीजी से यह भी कहूंगा कि एक अगस्त तक अवधि बढ़ाएं उसमें सरकार की तरफ से छूट दी जाय तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है। भेड़ बकरियों को विशेष रूप से कुल मिला कर राहत मिल सकती है। इसके अलावा उनको लोन की व्यवस्था दी जावे और उनको प्रोत्साहन देने के लिए बढ़िया किस्म के साण्ड वगैरह की गांवों के अन्दर पहले व्यवस्था थी, पंचायतों के अन्दर पंचायत समिति वाइज साण्ड लिए जाते थे मगर काफी समय हुआ करीब-करीब यह बंद हो गई। गांवों के अन्दर बढ़िया किस्म के साण्ड और पाडे विदेशों से मंगाये जाय ताकि उससे दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके इस प्रकार से साण्ड पाडों की व्यवस्था करने के लिए सरकार निश्चित रूप से ध्यान देवे और हमारे देसूरी क्षेत्र में तो काफी लंबे समय से यह व्यवस्था बिलकुल बन्द पड़ी है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाय और लोगों को आर्थिक सहायता दी जाय ताकि अधिक से अधिक पशुधन की व्यवस्था हो सके। मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं मांग संख्या-39 पर अपने सुझाव आपके सामने पेश कर रहा हूं। पशुधन काश्तकार का बचत बैंक हैं। काश्तकार पशु पाल कर अपनी बचत करता है और सबसे ज्यादा पशुओं के ऊपर पैसा कमाता है, वह उसका सबसे बड़ा धन है। परन्तु दुर्भाग्य है कि काश्तकार जिसका कि पशुओं से बहुत बड़ा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, खेती करने में उद्योग धन्धों में, ट्रान्सपोर्टेशन में पशु का सबसे बड़ा सहयोग होता है, उन पर हमारी सरकार ने कुल बजट का एक पर्सेन्ट खर्च किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है और इससे पशुओं के ऊपर जो खर्चा होना चाहिए था वह पूरा नहीं हो पाया है।

(श्री फूलचन्द)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पशुओं की नस्ल धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है, पशुओं में वह शक्ति नहीं रही इसके कारण से हमारे उत्पादन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। आज अच्छे नस्ल के पशु नहीं मिलते हैं और जिससे पशुओं में दूध की क्षमता थी वह कम हो गयी है। हम देखते हैं कि हमारी गाय जो दूध का साधन थी आज बहुत कम दूध दे पाती है। उसको अच्छा आहार नहीं मिल पाता है, उसको अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण से वह केवल मात्र दो माह दूध दे पाती है। इसी तरह हमारी भैंसे हैं वह भी दूध कम दे पाती हैं और इससे नस्ल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी नस्ल सुधार के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम तैयार करे। गांवों में जो पहले पंचायत समितियों के मार्फत अच्छे सांड, अच्छी भैंसे दी जाती थी जिससे पशुओं की नस्ल अच्छी होती थी लेकिन आज वह सब धीरे-धीरे बन्द हो रहा है। आज न तो अच्छे सांड दिये जाते हैं, न ही अच्छी भैंसें दी जाती हैं। आज ऐसे ही गांव वाले सांड, भैंसा छोड़ देते हैं जिनके खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वे केवल मात्र आवारा घूमते हैं, जिसे काश्तकार समय-समय पर जब भी उनको मारना या उनको घायल करना, इस तरह की उनकी हालत कर देते हैं कि उनकी नस्ल और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह से व्यवस्था करें कि उनको अच्छा आहार मिले, उनकी सुरक्षा हो और उनके रखने के लिए किसी जिम्मेदार आदमी को लगाया जाय जिससे गांव के पशुओं की नस्ल है वह अच्छी बने और पशुओं में अच्छा सुधार आये और हमारे पशु ज्यादा शक्तिशाली बनें।

इसके अलावा पशुओं में आज तक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पशु बे-मौत मरते हैं, काश्तकार पशुओं की बीमारी के बारे में जानता नहीं है। उनके पास चिकित्सालय या औषधालय की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। मैं मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं कि हमारा बहुत क्षेत्र है उसमें केवल मात्र दो बड़े चिकित्सालय हैं, 50-60 किलोमीटर का एरिया दूर-दूर का है। वे बीमार पशु को इतनी दूर चिकित्सालय में नहीं ले जा पाते हैं और बीमार पशुओं को अपने काम में लेते रहते हैं इससे पशु अनायास ही मर जाते हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कम से कम 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया में एक पशु चिकित्सालय खोलें जिससे आसपास के काश्तकारों को, ग्रामीण लोगों को, सभी को पशुओं की चिकित्सा करवाने की सुविधा मिले और वे समय पर पशु का इलाज करा सकें। जिससे पशु बे-मौत नहीं मरें। अगर इस तरह की व्यवस्था हमसे नहीं हो पाती है तो कम से कम चल पशु चिकित्सालय चालू किये जायें जिससे कम से कम वे 5 दिन में या 10 दिन में एक एक गांव में अपना कैम्प लगायें। वहां जो बीमार पशु हैं, जिनके बारे में ग्रामीण नहीं जानते हैं, उनको दवाइयों की सुविधा दी जाय जिससे उनका इलाज हो सके। इस

(श्री फूलचन्द)

तरह के चल पशु चिकित्सालय गांवों में खोले जायें जिससे समय पर पशुओं का इलाज होता रहे।

इसके साथ ही साथ मैं कुछ बातें भेड़पालकों के बारे में बताऊंगा कि हमारा बहुत बड़ा भाग भेड़पालकों से जुड़ा हुआ है। सरकार यह मानती है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग जिसमें जीवन-यापन का भेड़ सबसे बड़ा साधन है लेकिन आज उनकी हालत गिरती जा रही है। आज इतनी उनमें भयकर बीमारी फैली है कि सरकार उनकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं कर पाती है। भेड़पालक जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में भेड़ें थी वे धीरे-धीरे कम हो रही है, उनकी नस्ल इतनी डाउन हो चुकी है। आज भेड़पालक अपनी भेड़ों को इस तरह से कमजोर स्थिति में ला रहे हैं। न उनसे अच्छी ऊन होती है, न उनके अच्छे बच्चे होते हैं न उनसे अच्छा कोई मांस मिल पाता है। इसका कुछ कारण हैं। भेड़पालकों के लिये जो बहुत बड़ा चरागाह था वह दूसरे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया जिससे चरागाह की जो व्यवस्था थी वह आज उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि जो भेड़पालकों के लिए बहुत बड़े चरागाह थे उनकी सुरक्षा भी करिये। ऐसे नियम बनायें कि जो बड़े-बड़े चरागाह पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है उसको दूर हटायें और उसमें इस तरह की व्यवस्था करें ताकि उन भेड़पालकों को कहीं दूर नहीं जाना पड़े, पास में चरागाह उपलब्ध हो। वह चरागाह ऐसी जगह हो जहां सिंचाई के साधन हों, उनमें सरकार की तरफ से इस तरह की सुविधायें दी जायें, उन चरागाह पर पानी की व्यवस्था हो। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज पशुओं को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। जो जोहड़ थे वे सब टूट गये हैं, खण्डर हो गये है उसमें बहुत कम पानी रुक पाता है। हमारी जनता सरकार ने इस ओर जरूर ध्यान दिया था, काफी जोहड़ों की खुदाई के कार्य उन्होंने किये, जो उनकी हालत थी उसको सुधारा। उस समय उनमें पानी काफी समय तक रहा और पशुओं को आसानी से पानी मिल सका। लेकिन आज उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काफी संख्या में पशु पानी के मारे मर जाते हैं, गर्मी के दिन आते हैं। तो काफी संख्या में जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, बिना पानी के कारण से मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे बड़े चरागाह में जोहड़ खुदाई का कार्य किया जाय जिससे पशुओं को आसानी से पानी मिल सके और पशु पालकों को बहुत बड़ी सुविधा हो सके।

इसके अलावा मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि पशु चिकित्सालय ऐसे बहुत बड़े गांव में खोले जायें जहां पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो। आज बल्कि हो उल्टा रहा है, जहां पशुओं की संख्या नहीं के बराबर है वहां तो बड़े चिकित्सालय होते हैं और जहां पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है वहां नहीं के बराबर। मेरे क्षेत्र की बता रहा हूं कि दो बड़े कस्बों में तो चिकित्सालय हैं लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पशुओं की संख्या

(श्री फूलचन्द)

बहुत बड़ी मात्रा में है, वहां किसी प्रकार का चिकित्सालय नहीं हैं। वहां पर कोई साधन उनको नहीं है। यह भी उल्टा हो रहा है कि जो चिकित्सक हैं इनको इतना ज्ञान नहीं है, उनको केवल मात्र डिग्री का ज्ञान रहता है, उनको इस तरह टेक्निकल नालेज नहीं होती है कि काश्तकारों की, ग्रामीण लोगों की सब भाषाओं को वह समझ सकें और पशुओं के रोगों की उनको जानकारी हो। आपको यहां तक बताऊं कि उनकी हालत ऐसी है कि पशुओं के बारे में जानते नहीं हैं। मैं एक माननीय डाक्टर साहब का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन मैं उनके बारे में आपको बताऊं एक बार मैंने उनसे पूछ लिया था कि भेड़ों के कितने बोबे होते हैं, कितने थन होते हैं तो उन्होंने एक मिनट तक जवाब ही नहीं दिया बाद में बताया कि चार होते हैं। इस तरह की हालत है, आप देखिये। मैं आपको यह भी सिद्ध करके बता रहा हूं कि अपने बड़े-बड़े अधिकारियों को यह मालूम नहीं होता है कि कौन से पशु के कितने थन होते हैं। उनके छोटे बच्चों के क्या नाम है, इस तरह की हालत है विभाग की। आप देखें कि जो पशुओं की हालत ठीक होनी चाहिए वह नहीं है। एक और दिलचस्प किस्सा सुना दूं। मेरे क्षेत्र में एक बार आर. आर. डी. का केम्प था, केम्प में डाक्टर महोदय आये थे। एक के पास भैंस नहीं थी, उन्होंने एक बढ़िया से भैंसे को लाकर भैंस की जगह खड़ा कर दिया। डॉक्टर ने भैंस का परीक्षण किया मेडिकल किया, तो सबसे ज्यादा भैंस की कीमत आंकी कि यह भैंस सबसे ज्यादा कीमत की है। इस तरह की हालत है डाक्टरों की। आप एक तरफ तो यह मांग कर रहे हैं कि पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ायी जाय लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे डाक्टरों को नियुक्त करें जिनको जानवरों की टेक्नीकली नॉलेज हो। तब तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सकेगा शहरों में हॉस्पिटल खोलें, शहरों के लोगों को डाक्टर बनायें तो वही हालत रहेगी जैसी पहले थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलें जहां पशुओं की संख्या ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डॉक्टरी में प्राथमिकता देकर उनका चयन करें जिससे कि वहां पशुओं का जीवन बच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद।

श्री परसादीलाल मीणा।

**श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। लालसोट निर्वाचन क्षेत्र में जो पूर्वी अंचल है उसमें 20 पंचायतें हैं वहां पर पशुओं का इलाज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा कस्बा लालसोट के बाद मंडावरी आता है और उसके आसपास कम से कम 20 पंचायतें आती हैं वहां पर पशुओं का इलाज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दवाइयां नहीं है, दवाखाना नहीं है। पूरे क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गांव में ही बरसात होने से पहले 80-80 गायें, भैंसे बीमारी से मर जाती है

(श्री परसादीलाल मीणा)

और किसानों को भारी नुकसान का परेशानी का मुकाबला करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे गांव मंडावरी में एक कम्पाउन्डर रहता था उसको राज्य सरकार ने पिछले दिनों हटा लिया है जिसके कारण वहां पशु चिकित्सा की भारी समस्या पैदा हो गयी है। ऐसी स्थिति में जब कि राज्य सरकार ने 300 पशु चिकित्सालयों का प्रावधान पिछले वित्तीय वर्ष में रखा था, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसमें से केवल 240 पशु चिकित्सालय ही खोले गये हैं और बाकी लेप्स हो गये ऐसा क्यों हुआ ? उन्होंने कारण भी बताये हैं कि स्थानाभाव के कारण। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि क्या कोई स्थान नहीं मिला। इसलिए लेप्स हो गये कि क्या कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। ये आपके अधिकारी लोग बैठकर क्या करते हैं। इस प्रगति प्रतिवेदन में बताया गया है कि हमने दौसा और कई जिले में सर्वेक्षण कराया है कि वहां माता की महामारी से कोई पशु नहीं मरते हैं मैं आपके माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 10-12 हजार पशु हर साल बरसात से पहले मर जाते हैं। उनके इलाज की कोई सुविधा नहीं है।

यह आंकड़े जो दिये गये हैं आपके प्रगति प्रतिवेदन में कि दौसा क्षेत्र में कोई पशु नहीं मरते है, कमेटी का गठन करें और बरसात से पहले भेजा जाय और वह पता करें कि यहां कितने पशु प्रतिवर्ष मरते हैं, जिनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। लालसोट निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक डाक्टर बैठता है। जब पशु बीमार होता है तो उसको बेचारा गरीब किसान कैसे लालसोट से लाये अगर बुलाने भी जाता है तो डाक्टर उससे 200-250 रुपये तो जीप के मांगता है और अपनी फीस के अलग से। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था क्यों है ?

इस प्रगति प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि पशुओं के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि यह झूठे आंकड़ों का प्रतिवेदन कैसे बनाया गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि लालसोट निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष और पिछले दो तीन वर्षों से अकाल पड़ता रहा है। इस वर्ष भी अकाल है परन्तु आंकड़ों में नहीं बताया गया है। इसलिए ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां इस साल चारे का भयंकर अकाल पड़ेगा। क्योंकि वहां पर चारे की अच्छी फसल नहीं हुयी है। तो चारे की समुचित व्यवस्था करें, नहीं तो पशु मारे जायेंगे। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय है उसकी जगह कम से कम तीन पशु चिकित्सालय और खुलवायें जिससे पशुओं की समुचित चिकित्सा हो सके। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो अधिकारी झूठे आंकड़े पेश करते हैं कि वहां महामारी से कोई नहीं मरता है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसी बातों में न आयें और इस साल जो पशु चिकित्सालय लेप्स हो गये हैं उनको इस बजट सत्र से पहले खोलकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें और पशुओं की चिकित्सा के लिए समुचित व्यवस्था करें। मैं समझता हू

(श्री परसादीलाल मीणा)

कि एक डॉक्टर पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कैसे जायेगा। गरीबों को जो डी. आई. आर. डी. और आई. आर. डी. के तहत पैसा मिलता है उनकी कोई समुचित देखभाल नहीं होती है और वह कुछ दिनों के बाद मौत के घाट उतर जाता है। तो वह गरीब किसान जो है वह बैंक का लोन कैसे चुका पायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उसको बीमा क्लेम के लिए डाक्टर से मुआयना कराना होता है, डाक्टर उपलब्ध नहीं होता है और ऐसी व्यवस्था के कारण किसानों को सारा पैसा देना पड़ता है, चाहे भैंस, गाय, बैल, ऊंट 6 महीने के बाद ही मर गया हो उसका क्लेम कभी पास नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान पर दुधारु तलवारें चल रही हैं। गरीब बे-मौत मारा जा रहा है। आई. आर. डी. के तहत पैसा भी दिया जाता है लेकिन उन पशुओं की मृत्यु हो जाती है। उनका ज्यादा दूध बढ़ाने के लिए कोई योजना भी नहीं बनायी जाती है। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि लालसोट निर्वाचन क्षेत्र के आसपास सब पंचायतों का ऐसा त्रिकोणात्मक क्षेत्र है कि वहां 3 पशु चिकित्सालय कायम करें तो मैं समझता हूं कि वहां जो गरीबी की रेखा से ऊंचे उठाने की योजना है वह सफल हो सकती है। नहीं तो रेखा से भी नीचे कोई रेखा बनानी होगी जहां इन लोगों को रखना होगा। ऐसी स्थिति में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो मंडावरी, बिलोना और खटूमर तीन लालसोट क्षेत्र में कस्बे हैं जहां पर पशुओं की संख्या ज्यादा है, वहां पर आई. आर. डी. के तहत भी पशु काफी संख्या में दिये जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 3 पशु चिकित्सालय लालसोट निर्वाचन क्षेत्र में खोलकर वहां की जनता को लाभान्वित करें।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** सभी बातें तो आ गयी हैं, मंत्री महोदय से जवाब दिला दें। एक्सपर्ट ओपीनीयन भी आ गयी है, साढे सात तो बजने को आये।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज :** सारे मित्रों का आग्रह है कि हम सब को भूख लग रही है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** सब कुछ आ गया है। एक्सपर्ट ओपीनियन आ गयी है।

सारी तकलीफें, सारे दुख सब तो आ गया है विभाग का। मंत्री भी आ गये हैं। जवाब दिला दें।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया नाम पुकार दिया है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** अब क्या बोलेंगे, आप ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** सरकार की ओर से उत्तर दिला दें।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज :** सभी मित्रों का आग्रह है कि सब को भूख लग रही है, जल्दी से मागना चाहते हैं। ये सब कह रहे हैं कि भूख लग रही है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** श्री भंवरराम को दो मिनट के लिए बोल लेने दें।

(व्यवधान)

**श्री भंवराराम** (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग की ओर से राजस्थान में जो पशु मेले आयोजित किये जा रहे हैं उनमें से 3 पशु मेले नागौर के हैं। खासतौर से एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला नागौर क्षेत्र में तहसील परवतसर का मेला है वह आज से करीब 200 वर्ष पहले से शायद राजस्थान का पहला पशु मेला है जिसका आयोजन होता था। तो उसी नागौर अकेले जिले से लाखों करोड़ों रुपये की आय इस विभाग को और राजस्थान सरकार को होती है। आय के हिसाब से जितना विकास का पैसा नागौर जिले को मिलना चाहिये, ऐसी स्थिति में जनता की और पशुपालकों की सुविधा नागौर जिले के अन्दर होनी चाहिये, पशुपालन विभाग से नहीं हो रही हैं और नागौर जिले की जनता के अन्दर बहुत रोष हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि या तो ये मेले के इस क्राइटेरिया से पंचायत समितियों से पशुपालन विभाग ने लिये थे, क्या उसी क्राइटेरिया से राजस्थान के बाकी के जो पशु मेले हैं उन्हें विभाग ने अलाऊ किया है। अगर नहीं किये किये हैं और अब अगर सरकार और विभाग नहीं अलाऊ कर रहा है तो इन मेलों को वापस नागौर जिले की पंचायत समितियों को दे दिया जाय।

दूसरा अहम् मुद्दा है, माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस पशु मेले का प्रबन्ध मन्दिर के द्वारा संयोजित किया जा रहा है उसका नाम वीर तेजा पशुमेला के नाम से प्रसिद्ध है। उस मन्दिर के लिये रख रखाव, जीर्णोद्धार के लिये आजकल विभाग ने एक पैसा भी नहीं दिया है। उस मन्दिर में जो प्रसाद की आय होती है, जो काश्तकार लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसकी नीलामी विभाग द्वारा होती है और उस प्रसाद की आय से आज तक विभाग को करीबन लाखों रुपये की आय हो चुकी है लेकिन एक पैसा भी उस मन्दिर के रख-रखाव, विकास के लिये विभाग ने खर्च नहीं किया है। दूसरा आज से सौ साल पहले मन्दिर के पुजारी को दस रुपये दिये जाते थे और आज भी उस मन्दिर के अन्दर पूजा करने वाले पुजारी को दस रुपये देते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या एक मन्दिर की सेवा करने वाले का, जिस मन्दिर से लाखों करोड़ों रुपये की आय होती है, दस रुपये काफी हैं ?

**श्री शोपत सिंह** : यह जरा देखें तो सही हो क्या रहा हैं ?

**श्री भंवराराम** : माननीय उपाध्यक्षजी।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आखिर जवाब आयेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रश्नों के उत्तर हेतु ही तैयारी है।

(व्यवधान)

**श्री भंवरा राम** : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। दूसरा मेरा सुझाव है कि जिन तहसील मुख्यालयों के ऊपर चल पशु चिकित्सा इकाई, वेटरनरी हास्पिटल और पंचायत समिति के अन्दर डाक्टर और वेटरनरी के डाक्टर, चार-चार डाक्टर तहसील हैडक्वार्टर पर बैठे हुए हैं और कम से कम 30–30 कम्पाउन्डर है फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में

(श्री भंवरा राम)

20-20 किलोमीटर के अन्दर कोई ऐसी चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है इस बात का कि सभी चार-चार डाक्टर जो तहसील मुख्यालय को देखें, उस शहर के अन्दर मवेशियों की और ज्यादा कोई चिकित्सा व्यवस्था करनी हो तो एक डाक्टर काफी है वहां पर उस तहसील के अलग-अलग भागों में पोस्टिंग कर दीजिये। उस एरिया को चार भागों में बांटकर जिन भागों में डाक्टर की जरूरत है वहां पोस्टिंग कर दीजिये। दूसरा एक मेरा आपसे निवेदन है कि शीप एंड वूल विभाग के अन्दर इन्होंने योजना चलायी थी ग्रामीण भेड़ और वूल विकास सहकारिता समिति और उसके तहत कुछ चरागाह जमीनें भेड़ व वूल विभाग ने ली थी और उसमें यह प्रोवीजन था कि काश्तकारों की भेड़ें उसके अन्दर उस सोसाइटी को दी जायेगी, उसे अत्यधिक लाभ मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि इस विभाग पर करोड़ों रुपये सालाना खर्च हो रहे हैं। हर साल इसका भौतिक सत्यापन किया जाय कि क्या भेड़ व वूल विकास सहकारी समितियों से पशुपालकों को लाभ हुआ है? इतना बजट जो खर्च होता है अगर उनसे भेड़ें ली जाय तो मैं मानता हूं कि कम से कम दो लाख सालाना की भेड़ें ली जा सकती हैं। दूसरा इससे एक यह हुआ है कि गांव के अन्दर उससे झगड़ा और फसाद हुआ है। गांव के अन्दर जो गोचर भूमि होती है, जो छोटे काश्तकार हैं उनके पास जमीन है नहीं, वे रखते नहीं हैं और वे चरागाह के अन्दर, गोचर भूमि के अन्दर अपने मवेशी चराते हैं। हुआ क्या कि उस सोसाइटी ने वे जमीनें तो हैंड ओवर कर लीं और गांव के अन्दर जो प्रभावशाली लोग बैठते हैं उन्हें अपना सपोर्टेड पार्टी बना लिया और उस पूरी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया। गरीब लोग जिसके पास एक बकरी है, एक गाय है जिनको उस जमीन का सदियों से फायदा मिलता आ रहा है वह आज नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं विभाग के माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इनका भौतिक सत्यापन करवाया जाय....

**श्रीमती उजला उरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री भंवरा राम** : माननीय सदस्या, आपसे निवेदन है कि व्यवस्था का प्रश्न पैदा न करें आप। यह आपके विपक्ष की नीति है....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...

**श्री भंवरा राम** : एक मानस बना रखा है बीच में बोलने का। माननीय उपाध्यक्षजी, यह बीच में बोलने....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मंत्री महोदय जोर-जोर से अधिकारियों से पूछ रहे हैं यह कोई तरीका नहीं है। आप भी देख रहे हैं . .

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या....

**श्री शीशराम ओला** : अपनी चिन्ता कीजिये। दूसरों के लिये चिन्ता करने की जरूरत नहीं हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : इस विधान सभा की कोई गरिमा है ..

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी शंकाओं का समाधान हो रहा है....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : क्या समाधान हो रहा है। जोर-जोर से पूछ रहे हैं। यहां तक आवाज आ रही है। यह कोई तरीका नहीं है—

**एक माननीय सदस्य** : उनका कायदा है, पूछ रहे हैं....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कायदे से नहीं पूछ रहे हैं। यह कोई कायदा है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : इनको अन्दर जाकर पूछना चाहिये। आप हमको कायदा सिखलाओगे क्या ? कायदा हमसे सीखना चाहिये आपको।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या। माननीय सदस्या....

**श्री शीशराम ओला** : आपका नहीं सीखना चाहते कायदा

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं आपसे नहीं कह रही थी मैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या....

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय सदस्या, आप जो पड़ोस में बैठी हुई हैं × × ×

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये यह ठीक नहीं है। मैं उनके बारे में नहीं बोल रही थी। शीशरामजी ओला इस समय भी बातें कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या....

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आन ए. पाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्षजी, सत्ता पक्ष के काफी वरिष्ट माननीय सदस्य, "पड़ोस में बैठी हुई × × ×" इसको एक्सपंज कर दीजिये। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तरीके से वे इस तरह से कहते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : कौन × × × रहे हैं ? क्या आया है। यह एक्सपंज किया जाय अगर शब्द ऐसा है तो। मैंने सुना नहीं था। धन्यवाद। कृपया समाप्त करें। कृपया एक्सपंज करें।

**श्री भंवरा राम** : दो मिनट में। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विभाग का आपके माध्यम से उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर....

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री भंवरा राम :** एक मिनट । सबसे ज्यादा मवेशी पश्चिमी राजस्थान के अन्दर हैं और खास तौर से जो मवेशी मरते हैं उनकी जो खालें हैं वे राजस्थान से बाहर जाती हैं कानपुर और दूसरे प्रान्तों के अन्दर और मरी हुई मवेशी हैं उनकी हड्डियों का लाखों करोड़ों रुपयों का बिजनेश दूसरे प्रान्तों में हो रहा है। इसका कुप्रभाव क्या पड़ रहा है, सबसे ज्यादा तो वह यह है कि हमारी सदियों से चली आ रही परम्परा यह है कि मरे हुए पशुओं की जो खाल है उससे जूते बनते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के हिसाब से जो जूता 10-15 रुपये में मिलना चाहिये वह आज गरीब काश्तकार और जो गरीब खेतिहर मजदूर हैं उनको 50 रुपये में जोड़ा मिल रहा है। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय और खाल की रंगाई का राजस्थान की सरकार की तरफ से या निजी क्षेत्र में एक कारखाना पश्चिमी राजस्थान में लगा दिया जाय तो बहुत बड़ा राज्य सरकार को लाभ होगा और कई ऐसे जो इस धन्धे में लगे हुए हैं, गाँव के अन्दर बैठे हुए हैं, और खास तौर से मैं कहता हूं कि मेरे डीडवाना क्षेत्र के अन्दर पांच सौ ऐसे कारीगर हैं जिनकी बनाई हुई जूतियां बम्बई, कलकत्ता और फारेन के अन्दर एक्सपोर्ट होती हैं, आज उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया है। हाथ के कारीगर हैं।

**श्री शोपत सिंह :** आपको जूतियां सस्ती मिलेंगी। सस्ती हो जायेंगी यह मतलब है आपका। आपको जूतियां सस्ती मिलेंगी।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया ये सौदेवाजी यहां नहीं बाहर करें।

**एक माननीय सदस्य :** मैंने अपना कटौती प्रस्ताव दिया है

**श्री भंवरा राम :** मैं इसी बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से कि तहसील हैडक्वार्टर पर जो चार-चार डाक्टर बैठे हुए हैं और चालीस-चालीस की संख्या में जो कम्पाउडर्न्स हैं उनको गांवों के अन्दर लगा दिया जाय और एक डाक्टर शहर के अन्दर रखा जाय। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** मांग संख्या 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों पर वाद विवाद समाप्त किया जाता है। अब पशुपालन राज्य मंत्री वाद विवाद का उत्तर देंगे। कृपया शान्ति से सुनें।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** आपने हमारा नाम नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से बैठे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपका नाम नहीं लिया, कल देख लेंगे।

**एक माननीय सदस्य :** मुझे एतराज नहीं है लेकिन यह आप गलत व्यवस्था देते हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष :** टाइम भी बहुत हो चुका है....

**एक माननीय सदस्य :** टाइम की आपको नहीं कहनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलीय को टाइम दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री शीशराम ग्रोला : (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 39 पर लम्बे समय से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं । 215 कटौती प्रस्ताव थे । 25–26 माननीय सदस्य उस पर बोल सके हैं बाकी नहीं बोल सके । जो सदस्य नहीं बोल सके हैं उन्हें लिखित में बाद में उत्तर भिजवा दिया जायेगा । कटौती प्रस्तावों के जरिये कई प्रकार के सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे हैं खास तौर से चरागाह के लिए भूमि उपलब्ध कराना, पानी की व्यवस्था कराना ग्रौर पशु चिकित्सालय खोलना, एक ही जगह ज्यादा डाक्टरों का नहीं होना ग्रौर पंचायत समिति में एक्सटेंशन ग्रॉफिसर हैं स्कीम में ग्रौर एक ही प्रकार के डॉक्टर तीन चार महकमों में न रखकर उनको पशुपालन विभाग के ग्रधीन भेज दिया जाये । खास तौर से माननीय कालवी जी ने फरमाया । मैं इस पर चेष्टा करूंगा कि किस प्रकार से व्यवस्था समुचित, ठीक हो सकती है । ग्राज की जो व्यवस्था है वह तो इसी प्रकार की है । इसमें चेष्टा ही की जायेगी । जो सुझाव ग्राये हैं उन पर बहुत गम्भीरता से सरकार विचार करे ग्रौर उस पर इस प्रकार के विचार ग्रौर निर्णय हों जो लाभप्रद हो माननीय सदस्यों ने गोचर भूमि के लिए काफी कहा कि पशुपालक जो वहां के हैं वे गोचर भूमि व चरागाह चाहते हैं । यह राजस्थान की स्थिति ग्रब हो गयी है पहले तो बहुत ज्यादा भूमि यहां उपलब्ध थी । लेकिन सूखा प्रान्त होने के बावजूद भी ग्रब जमीन की कमी ग्रायी है । चरागाह की भूमि को बसासक के के रूप में और दूसरे स्कूल के काम के लिए गांव के लोगों ने कम किया है । चरागाह की भूमि को कहीं बढ़ाने का ग्रवसर ग्राया हो ऐसा नहीं है है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : ग्रलॉट की है ।

श्री शीशराम ग्रोला : ग्रौर ग्रलॉटमैण्ट भी हुग्रा है । तो भूमि तो सीमित है । कई तरह के प्रेशर उस भूमि पर हैं । उस भूमि पर बसासक का प्रेशर है । उस भूमि पर ग्राबादी का प्रेशर है । उस भूमि पर स्कूल बिल्डिंग ग्रादि बनाने का प्रेशर है । इसके बावजूद सब कुछ होने के बावजूद पांच हजार हैक्टेयर भूमि इन्दिरा गांधी कैनाल के दक्षिण में राज्य सरकार ने निर्धारित की है । उससे कितना लाभ ले सकेंगे पशुपालक । मैं नहीं समझता कि सारे राजस्थान के लोगों को वहां लाभ मिल सकेगा । लेकिन जो उसका लाभ ले सकेंगे उन्हें उसका लाभ मिलेगा ।

यहां पर यह भी कहा गया कि बाहर निर्यात किया जाय ऊंटों का । बहुत बड़ी मांग है । ग्रौर बाहर निर्यात किया जाय भेड़, बकरी का, मेंढों का, बड़ी मांग है । इससे फॉरेन एक्सचेंज भी ग्रायेगा । उपाध्यक्ष जी, ऊंटों के लिए कोई निर्यात की मांग नहीं है । केवल चार ऊंट राजस्थान से ग्ररब को गये हैं । ग्ररब के शाह को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी ने भेंट स्वरूप दिये थे 1983–84 में शायद बीकानेर के नजदीक कोई गांव से खरीदकर दिये थे । ऊंट की कोई मांग विदेश से नहीं है कि यहां जरूर चाहिए ।

श्री कल्याण सिंह कालवी : है, हमारे पास है ।

**श्री शीशराम ओला** : आपके पास होगी हमारे पास तो है नहीं। तो बताइये, हम भिजवायेंगे। कहां है ?

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : आपने कहा है।

**श्री शीशराम ओला** : मैंने नहीं कहा कोई। यह आपके पास सही खबर नहीं है।

**श्री कल्याणसिंह कालवी** : मेरे पास तो गवर्नमैण्ट का लेटर है।

**श्री शीशराम ओला** : कोई गवर्नमैण्ट का नहीं। भारत सरकार की कोई योजना नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : शंका का समाधान बाद में कर लीजियेगा।

**श्री शीशराम ओला** : वास्तविकता यह है कि भारत सरकार ने इस पर रोक लगाई हुई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : शंका का समाधान बाद में कर लीजिए।

**श्री शीशराम ओला** : भेड़ें बकरी और भेड़ें बकरे आदि कोई 25 हजार राजस्थान से वहां पर भेजे गये। इसी प्रकार वक्त-वक्त पर और भी जानवर भेजे गये जिनकी आमदनी विदेशी मुद्रा में 98 लाख के लगभग प्राप्त हुई। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि बाहर विदेशों को, अरब देश की खाड़ी को यहां से बकरे, भेड़, मेंढ़े आदि नहीं भेजे जा रहे हैं। जैसे-जैसे उनकी मांग है, राजस्थान से खासतौर से यह बकरे, भेड़, मेंढ़े आदि भेजे जाते हैं।

यहां पर यह भी कहा गया कि इसका बजट बहुत ही कम है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। और बजट जहां....

(व्यवधान)

एक मिनट मैं बता दूं....यहां है सब पूछने की क्या बात है...... ऐसी कोई बात नहीं है....

**श्री यदुनाथ सिंह** : वैक्यूम है, कुछ तो बात कर ही लें, वैक्यूम भी तो रह जायेगा इसलिए और चर्चा कर लें।

**श्री शीशराम ओला** : कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। आपकी हर बात का, आपके हर प्रश्न का हम आपको उत्तर अर्ज करेंगे। उतावले काहे को होते हो।

इस साल का 1985–86 का जो बजट है वह तीन करोड़ रुपए के करीब है जबकि 1984–85 का दो करोड़ के करीब था और 1983–84 का एक करोड़ 69 लाख के करीब था। बजट में बढ़ोतरी हुई है, बजट बढ़ाया गया है न कि घटाया गया है।

यहां यह भी कहा गया कि पशु औषधालय बहुत कम खोले गये हैं। 300 पशु औषधालय या डिस्पेन्सरीज पिछले साल मंजूर की थीं। उसमें से....

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : खोलने वालों ने खोल दी आपने कितने खोले ? आप तो अपनी बताओ।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया सुनेंगे। माननीय सदस्य, सुनेंगे।

श्री शीशराम ओला : आप सुनने की चेष्टा करें। एक एक बात सुनो तो आपको ठीक से उत्तर मिलेगा।

श्री शोपतसिंह : शोर तो उधर से हो रहा है।

श्री शीशराम ओला : उनमें से 240 डिस्पेन्सरीज खोल दी गयी। 60 बाकी रही वे भी खोल दी जायेंगी। उसका एक क्राइटेरिया है, डिस्पेन्सरीज 10-15 किलोमीटर में कितनी हों, पशुओं की संख्या कितनी हो, भवन हो, क्या हो, यह सब उसका एक क्राइटेरिया है। उस दृष्टिकोण से उस क्राइटेरिया को मापदण्ड रखते हुए 60 डिस्पेन्सरीज और हैं, वे भी खोल दी जायेंगी। 240 खोल दी और यह 60 स्वीकृत हैं। और मोजूदा डिस्पेन्सरीज को स्ट्रेन्थन किया जायेगा। उसमें अच्छी दवाइयां भेजी जायेंगी, ज्यादा दवाइयां भेजी जायेंगी, डाक्टर ठीक से रहें, स्टाफ की कमी है वह पूरी की जा रही है। इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है।

आपने यहां पर यह भी कहा कि 400 केन्द्र बनाने के लिए जो फरमाया कालवी साहब ने। वहां पर 300 केन्द्र शुरू हो गये हैं। 100 की और व्यवस्था की जा रही है कि वह भी शुरू हों। यहां पर खास तौर से एक जो बात माननीय सदस्या जो पिलानी से आ रही हैं उन्होंने, माननीय सदस्य जो नवलगढ़ से आये है वे, माननीय सदस्य जो सूरजगढ़ से आये हैं वे उन्होंने खास तौर से झुन्झुनू के अन्दर भेड़ का केन्द्र उठाया जा रहा है इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की। झुन्झुनू में पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले में भेड़े अच्छी हैं। नारी नस्ल की, चोयरा नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। उनकी ऊन अच्छी होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। ऊन का धागा लम्बा होता है।

एक माननीय सदस्य : आदमी ?

श्री शीशराम ओला : और आदमी भी लम्बे होते हैं। यह चेष्टा की जा रही है कि वहां पर ऊन का जो केन्द्र है और जो 8-10 इकाई हैं वे कायम रहें इस बात की चेष्टा की जायेगी। हुआ यह है कि एक स्पेशल स्कीम के तहत भारत सरकार से पैसे मिलते हैं। वे खर्चे के लिए 18 प्रतिशत और भेड़ के विकास के लिए 82 प्रतिशत उसका आवंटन होता है। किन्तु किया यह गया कि खर्चा एस्टेब्लिशमेंट का अधिक किया गया और भेड़ों के विकास पर कम किया गया इसलिए इसको भारत सरकार ने चेक किया और उनको कहा कि नहीं, भेड़ों का विकास करने के लिए, मैं बता दूं आप से, भेड़ों के विकास के लिए 82 प्रतिशत, सौ में बयासी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए 18 प्रतिशत उसका अलाट हुआ था बजट। लेकिन थोड़ा इससे विपरीत हुआ। विकास पर पैसे कम खर्च किये गये एस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा पैसे खर्च किये गये। इसलिये उसे हटाने की नौबत आई और 1 जुलाई, 1985 से वह केन्द्र तोड़ने की नौबत आ गई लेकिन उसको ठीक से दुबारा देखने के लिये विभाग को कहा गया है और इस प्रकार का प्रयत्न किया जायेगा कि विकास पर ज्यादा पैसे खर्च हों, एस्टेब्लिशमेंट पर भारत सरकार की जो सीमा निर्धारित है उसके मुताबिक खर्च हो। इसलिये मेरे ख्याल से कोई चिन्ता का विषय नहीं रह जाता है कि वहां से भेड़ केन्द्र उठाया

**श्री शीशराम ओला)**

जा रहा है और मन्त्रीजी कमजोर पड़ गये। मैं कमजोर तो नहीं पड़ा हूं लेकिन गला थोड़ा जरूर खराब हो रहा है।

आपने चीलिंग प्लान्ट के लिये भी एक बात कही कि चीलिंग प्लान्ट जो झुन्झुनू में था उसे हटा दिया गया है। वस्तुःस्थिति यह है कि दूध के पैसे, जो डेयरी फेडरेशन की तरफ से जो दूध का मूल्य निर्धारित है वह कम है और वहां जो दूध उत्पादक हैं उन्हें वह पौसाता नहीं हैं। इसलिये उन्होंने दूध देना कम किया और जैसे जैसे उन्होंने दूध देना कम किया, चीलिंग प्लांट की आवश्यकता नहीं समझी गई और उसे वहां से हटाया गया। लेकिन चेष्टा यह की जा रही है कि दूध के रूट्स और खोल दिये जायं और पर्याप्त मात्रा में दूध मिले तो चीलिंग प्लान्ट जो झुन्झुनू का है, वह हटाया नहीं जायेगा, वहीं पर स्थापित रहेगा, लेकिन उसके लिये दूध आना जरूरी है।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : केवल चेष्टा से काम नहीं चलेगा, आप तो यह जवाब दीजिये कि वह नहीं हटेगा। और भेड़ व ऊन विभाग भी वहां से जब तक नहीं हटेगा। यह दीजिये जवाब। चेष्टा से काम नहीं चलने वाला है।....

(व्यवधान)

दूध की कीमत....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : हमारे यहां चार....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। माननीय पशुपालन मन्त्री....

**श्री शीशराम ओला** : मैं अर्ज यह कर रहा था कि उस दूध का चीलिंग प्लान्ट तभी तो लगेगा वहां पर दूध मिलेगा।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : दूध मिलेगा।

**श्री शीशराम ओला** : दूध नहीं मिलेगा।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : दूध की कीमत का चुकारा फेट के आधार पर कीजियेगा, दूध भी मिलेगा आपको।

**श्री शीशराम ओला** : दूध नहीं मिला यह मैंने आपको वस्तु स्थिति बतायी, दूध मिलेगा तो चीलिंग प्लान्ट चलेगा। रहेगा।

**श्री रघुनाथसिंह बिश्नोई** : दूध की व्यवस्था आप करा दीजिये।

(व्यवधान)

चीलिंग प्लान्ट वहीं पर रहेगा।

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : यहां पर अच्छी नस्ल के सांड नहीं दिये जा रहे हैं उसको भी काफी चर्चा रही। मैं, उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि 1978-79 में 68 सांड दिये, 1979-80 में 142,

(श्री शीशराम ओला)

1980-81 में 94, 1981-82 में 104 1982-83 में 64, 1983-84 में 38, 1984-85 में 40 और 60 सांड देने की और योजना है। जहां पर गांव के आदमी अच्छी नस्ल के सांड चाहते है····

**श्री भंवरलाल शर्मा** : कम दिये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : आप बात कहने दें तो मैं कहूं, अर्ज नहीं सुने तो आपकी मर्जी।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : कांग्रेस माइन्डेड सांड दिलावें।

**श्री शोपतसिंह** : बेकार सांड दे रहे है, फालतू. उनको रोकिये, अच्छी नस्ल के सांड चाहतें हैं।

**श्री शीशराम ओला** : आपने जो जो कहा उसकी जानकारी में आपको दे रहा हूं·······

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह** : बेकार, आवारा, उनको रोकिये आप, अगर नस्ल सुधारना चाहते हैं तो····

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : आप तो कल कह देंगे कि पिताजी बूढ़े हो गये उनका क्या कर लो?

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह** : आवारा····जो आपकी नस्ल को बिगाड़ते हैं····

**श्री शीशराम ओला** : कोई आवारा नहीं है।

**श्री शोपतसिंह** : आप नस्ल को बिगाड़ रहे हैं पशुओं की। It is serious matter.

(व्यवधान)

**श्री रामसिंह विश्नोई** : हमारी नस्ल नहीं पशुओं की नस्ल।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य की शंका का समाधान करें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

**श्री शोपतसिंह** : अगर आपके कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? बूढ़े सांडों की बात नहीं कर रहा। मै कह रहा हूं कि जो आवारा और निकम्मे सांड हैं जो हमारी नस्ल को बिगाड़ रहे हैं····

**श्री सी. पी. जोशी** : आपके फार्म पर भिजवा दिये जायेंगे उनको।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : हमारी नस्ल नहीं, पशुओं की नस्ल।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरा निवेदन यह है कि "कर्महीन नर खेती करे, कै बैल मरे कै काल पड़े।" तो यह स्थिति जो बनती है, ना। जब यह अपनी बात कहते हैं उस समय तो आपको नींद आ जाती है और जब आप कह रहे हैं कि गला खराब हो रहा है, इससे कोई लाभ थोड़ा ही होता

(श्री बिहारीलाल पारीक)

है। गला खराब हो, चाहे कैसा भी हो, आपको उत्तर दे रहे हैं तो यह भी यही बात है—

"कि कर्महीन नर खेती करे,
कै बैल मरे कै काल पड़े।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री शोपतसिंह** : आपका कसूर नहीं है आपकी नस्ल का है।

**श्री शीशराम ओला** : जहां पर गांव के लोग मांग करते हैं, सांड की आवश्यकता है वहां पर आधे पैसे सरकार की तरफ से मिलते हैं और कुछ पैसे गांव वाले अपनी तरफ से खर्च करके, 5 आदमियों की या तीन आदमियों की एक कमेटी बनती है, पंचायत समिति के सहयोग से, वह अपनी मनपसन्द का सांड खरीद कर लाते हैं, यह व्यवस्था सांडों के लिये है।

नाकारा पशुओं के लिये वदिया कराने की व्यवस्था भी है। उसे वदिया कराकर छोड़ दिया जाता है।

**श्री शोपतसिंह** : करवाया नहीं जा रहा है, व्यवस्था जरूर होगी आपकी। ऐसा कोई आपका कानून कायदा होगा लेकिन इन-रियलिटी ऐसा हो नहीं रहा है, वदिया करवाया नहीं जा रहा है।

**श्री शीशराम ओला** : करवाया गया है। एक हजार सांडों को वदिया करवाया गया है। एक हजार ऐसे रद्दी सांडों को वदिया करवाया गया है, हमारे पास इतला है उसके मुताबिक, आपका इससे सेटिस्फेक्शन हो जायेगा।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्षजी, भेड़ों के जोड़ में कुछ गलती कालवी साहब ने निकाली थी। यह ठीक है कि वह भेड़ों की संख्या 1 करोड़ 33 लाख 89 हजार है न कि एक करोड़। वह कहीं टाइप में गलती हो गई या जोड़ में गलती हो गई, लेकिन वस्तु स्थिति यह है।

पागल कुत्तों से पशुओं के काटने की एक लम्बी शिकायत आई और करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया है। पागल कुत्तों के काटने का इन्जेक्शन साथ में लाया जाता है। राजस्थान में इस प्रकार की कोई फैक्टरी भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है और वह नो लॉस नो प्रॉफिट पर बाजार से लाकर हॉस्पिटल में दिया जाता है, जरूरत होती है तो, उनसे उनका इलाज होता है। इसके सम्बन्ध में मैं महसूस करता हूं कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन मैं यह कह नहीं सकता कि यह हो जायेगी। इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा ...

**श्री रामसिंह विश्नोई** : घोषणा कर दें।

**श्री यदुनाथसिंह** : खत्म होने के बाद जब यह सदन उठेगा, सत्र खत्म होगा तो मन्त्री नहीं रहेंगे, मन्त्री पद से हट जायं तो घोषणा कैसे कर दें।

(व्यवधान)

**श्री शोपतसिंह** : आवारा कुत्तों को मारने की व्यवस्था की जाय।

**श्री शीशराम ओला** : आप मेहरबानी करके सुनें तो मैं हर बात का उत्तर दे सकूं और जब मेरा गला ठीक हो जायेगा तब अपन कुश्ती कर लेंगे। इसमें दिक्कत नहीं।

(व्यवधान)

मैं आप से अर्ज कर रहा हूं कि आपको जो मैं अर्ज करूं वह सुनने की चेष्टा करें तो मैं कुछ आपको कह सकूं।

**श्री यदुनाथसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, तबीयत ठीक नहीं, गला भी ठीक नहीं है, जवाब दिया हुआ मान लिया जाय। बहुत है।

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : इसके लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पागल कुत्ते के काटने पर पशुओं को लगाये जाने वाले इन्जेक्शन की कोई व्यवस्था हो, कोई फैक्टरी हो, या मंगवाकर रखे जायं। जो भी व्यवस्था हो, वह की जानी चाहिये।

पिछले वर्ष 45 लाख पशुओं की चिकित्सा सुविधा दी गई, 43 लाख 82 हजार पशुओं को रोग निरोधक टीके लगाये गये और 25 लाख 61 हजार पशुओं को औषधी वितरित की गई। इस प्रकार से, जहां जरूरत समझी गई या मालूम हुआ कि पशुओं में बीमारी है उसके लिये व्यवस्था की गई। मैं समझता हूं कि राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से और हमारे प्रान्त की भौगोलिक दृष्टि से भी इसको प्रोत्साहन बढ़ावा मिलना चाहिये और अधिक संख्या में नस्ल का सुधार हो इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है। अभी गायों का जिक्र आया था, 20 हजार गायें आ रही हैं उसमें पन्द्रह सौ गायें राजस्थान के लिये भी रही हैं।

उसके ट्रान्सपोर्ट चार्जेज जो होंगे, थोड़े लगेंगे, 1500 गायें राजस्थान को मिल रही है और वक्त वक्त पर हर प्रकार की अच्छी नस्ल की गायें यहां लाई जाती है और लाये जाने की व्यवस्था की जाती रही है और उसका लाभ इस प्रान्त को मिलता रहा है। जहां तक सबसे बड़ी चिन्ता की गई कि डिस्पेन्सरीज औषधालय बहुत कम है। पशुओं की मात्रा को, संख्या को देखते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए इस बात पर स्वीकृति दी जाती है और जब राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरेगी तो निश्चित तौर से स्थाई व्यवस्था की जायेगी इस सुविधा और फैसिलिटीज की। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाय।

(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन बहुत मुद्दों की बातें सदन में बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने यहां रखी थी वेतन विसंगतियों के बारे में, कि पशु चिकित्सक जो हैं उनका वेतन

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

मानव चिकित्सक के मुकाबले कम है, इसके बारे में जवाब नहीं दिया, बड़ी इम्पार्टेन्ट बात है। एक प्रश्न यहां पर उठाया गया कि यह जो पशुपालन का व्यवसाय है यह बिल्कुल विशुद्ध तकनीकी व्यवसाय है और इसलिए यहां के निदेशक है वे भी तकनीकी ज्ञान रखने वाले होने चाहिए। आपने उस बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरा स्पेसिफिक चार्ज था, मैंने कहा था कि योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन के लिए तीस करोड़ का प्रावधान किया था और राजस्थान सरकार ने उस पैसे को काटकर दूसरे मद में डालकर और यह 16 करोड़ रुपया रख दिया। इन तीनों बातों का जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं दिया। इन तीनों प्रश्नों का जवाब दिलवाइये।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा सहित राजस्थान के सभी औषधालयों में एक्स-रे मशीने बन्द पड़ी हुई है, लाखों रुपया लगाकर उन मशीनों को तत्कालीन मन्त्री महोदय ने लगाया था। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान भर में जो एक्स-रे मशीनें लगी हुई है ये कब तक चालू हो जायेगी, इसका भी जवाब देने की कृपा करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सम्पतसिंह।

**श्री सम्पतसिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि भरतपुर में डालमिया डेयरी जो प्राइवेट सेक्टर में लगी हुई है उसमें पहले दूध वितरण और दूध से बनने वाले उपक्रमों में कितना फर्क किया हुआ है और भरतपुर जनपथ पूरे को कितना नुकसान हो रहा है उससे कि आम आदमी को जो आवश्यकता थी, दूध फुटकर में ही मिल जाता था, खुदरा में, वह नहीं मिल रहा है। गरीब के लिए कुनैन लेने के लिए भी दूध नहीं मिलता है, व बाहर भेज रहे है। दूध भरतपुर जनपथ में रखने का सरकार विचार रखती है क्या ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जगमालसिंह।

**श्री जगमालसिंह यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा तिजारा विधान सभा क्षेत्र जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर बसा हुआ है उसके आसपास हरियाणा के कस्बा फिरोजपुर में बड़कली नामक जगह पर दो-दो चिलिंग सेन्टर हैं, डेयरीज है। दिल्ली भी चूंकि 50 किलोमीटर तिजारा विधान सभा क्षेत्र से पड़ती है राजस्थान का जो तिजारा और अलवर जिले का दूध दिल्ली में भी जाता है उसको रोकने के लिए क्या सरकार कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री बिहारीलाल।

**श्री बिहारीलाल पारीक** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान आपकी मार्फत इस ओर आकर्षित किया था कि 240 पशु चिकित्सालय इस सत्र में खोले और भाण्डल क्षेत्र में एक भी नहीं खोला। 60 आपके पास बचे हुए है, यह

(श्री बिहारीलाल पारीक)

पक्षपात हुआ है। जहां पर नहीं खोले यह पक्षपात पूर्ण बात रही थी, मैंने निवेदन किया था कि क्या वहां खोलेगी।

**श्री शोपतसिंह :** यह दफ्तर में जाकर, चेम्बर में बात करो।

**श्री बिहारीलाल पारीक :** दूसरा मेरा निवेदन यह था कि जो पशु मर जाते हैं, अच्छी-अच्छी भैंसें, बहुत से ऐसे जानवर जो किसान को उधार नहीं देता है सहकारी समिति के मार्फत नहीं देते हैं, आप तो खुद भी पशुपालक हैं, तो वहां पर क्या सरकार यह नीति बना रही है कि बीमा योजना, अनिवार्य रूप से लागू की जाकर बीमा योजना से उनको लाभ दिला सकें।

(व्यवधान)

**श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय पशुपालन मंत्रीजी से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक प्रश्न तो मेरा यह है कि क्या यह सच है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जहां कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को मुर्गीपालन के लिए प्रशिक्षण दिया करते थे वहां जयपुर शहर के सम्पन्न परिवारों के लोगों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। यदि नहीं, तो फिर यह बतायें कि अनुसूचित जाति और ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके और उनमें से कितने आदमियों को मुर्गीपालन के लिए ऋण सुविधा दिलायी जा चुकी है।

दूसरा प्रश्न यह है कि—

(व्यवधान)

चलो एक ही प्रश्न का जवाब दिला दो।

(व्यवधान)

**श्री रामसिंह बिश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पशु नस्ल के हिसाब से राजस्थान प्रसिद्ध रहा है, यहां के ऊंट, भेड़, बकरी, गाय अलग-अलग, जैसे बीकानेर की थार पारकर और राठी, काकरेज गाय है, नागौरी बैल, सिरोही ऊंट पूरे देशों के अन्दर और विदेशों में भी प्रसिद्ध रहे हैं। आप यहां पर नई किस्म की गाय वगैरह लाना चाहते हैं और लाये भी हैं। तो क्या अपने देश के अन्दर जो अच्छी नस्ल की गाय है उसके ऊपर क्या बुरा असर नहीं पड़ेगा ? मन्त्री महोदय, आप अच्छी नस्ल या ज्यादा दूध की नस्ल की गायों को लाना चाहते हैं, या जो पुरानी नस्ल की गायें हैं उनको आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम है ? उदयपुर और कोटा की तो मैं नहीं कहता, बाकी पूरे राजस्थान के अन्दर अलग-अलग जिलों के अन्दर अच्छी नस्ल की हैं, या तो उस नस्ल को सुधरना चाहिए, आप क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, या इस नस्ल को ही बिगाड़ कर पूरे देश के अन्दर उस नस्ल को खत्म करना चाहेंगे, क्या प्रोग्राम है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री जगमालसिंह।

**श्री जगमालसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने एक समस्या अपने क्षेत्र की रखी कि पशु चिकित्सालय कम हैं, मैं इससे उल्टा प्रश्न मन्त्री महोदय से आपके मार्फत

(श्री जगमालसिंह)

पूछना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक ऐसा पशु औषधालय है जो बिना मांग के खोला, मापदण्ड को तोड़कर खोला। सपोटरा के पास नौ किलोमीटर दूरी पर सिवाना नामक ग्राम है, दो किलोमीटर दूरी पर वहां औषधालय खोल दिया। पहले तो सरपंच साहब यह कह गये कि मैं मकान की व्यवस्था कर दूंगा, इसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट आदमी जो सरपंच के खिलाफ चुनाव लड़ा था उसके मकान को आक्युपाई करा दिया। हालत यह हो रही है कभी तो वह सरपंच उसका सामान उठाकर उसका प्रतिद्वन्दी है उसके मकान में रख देता है, कभी वह मकान मालिक उठाकर सामान बाहर फैंक देता हैं।

(व्यवधान)

वह औषधालय रखा जाय या नहीं। डिप्टी डाइरेक्टर साहब की रिपोर्ट आ गई, मन्त्री महोदय के पास वह रिपोर्ट है, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उस औषधालय को सिवाना रखेंगे या डिप्टी डाइरेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसको कहीं स्थानान्तरित करने की व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

**श्री नवरंगसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल छोटा सा मैं पूछ लूं। मैंने मुद्दा उठाया था और माननीय मन्त्री महोदय से फिर कहना चाहूंगा कि जिन इलाकों की की-विलेज-स्कीम खत्म कर दी और डेयरी का काम भी नहीं चला, जिनमें मेरा इलाका नवलगढ़ भी आता है, क्या वहां पर दुबारा की-विलेज-स्कीम चालू की जायगी जब तक डेयरी की कोई व्यवस्था नहीं हो।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न मैं पूछता हूं क्या यह बात सही है कि मुर्गी और सुअर पालन के लिए हमारी सरकार ने कुछ रियायतें दी एक तो रिआयत दस रुपया गज जमीन देने की और ऋण आदि की व्यवस्था की दी है, इसका दुरुपयोग कुछ अफसरों की बीवियों को ट्रेनिंग दिलाकर जमीन हड़प करने के लिए और ऋण प्राप्त करने के लिये किया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री महोदय।

**श्री शीशराम ओला** : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वेतनमान के मामले में निवेदन करूं कि 1968 से पहले वेतनमान समान था।

एम. बी बी. एस. डाक्टर का और वेटेरनरी डाक्टर का लेकिन राजावत कमीशन ने इसको पूरा न मानते हुए समान नहीं मानते हुए यह कहा कि इनको एक साल पहले डिग्री मिल जाती है उसको मद्दे-नजर रखते हुए वेतनमान में फर्क डाला। विभाग ने इसके लिये लिखा भी है किन्तु फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट ने मना कर दिया। विभाग यह नहीं चाहता कि इतना बड़ा अन्तर रहे। अभी इसमें जो कुछ किया जा सकता है उसको करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन आज कुछ कहना उचित नहीं मानता।

(श्री शीशराम ओला)

डेयरी के बारे में जो माननीय सदस्य ने बात पूछी है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि बड़ी अजीब बात है कि धौलपुर में अलग डेयरी चाहते हैं और माननीय सदस्य फरमा रहे हैं कि गरीबों को दूध ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहां तो इतनी मांग है कि जितना दूध है उसकी खपत नहीं हो रही है और आप कह रहे हैं कि दूध मिल नहीं रहा है, यह तो समझ के बाहर की बात है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : सुन लीजिये।

**श्री शीशराम ओला** : की-विलेज-स्कीम को वापिस खोलना और उसको लागू करना राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है। उसके बगैर तो सम्भव नहीं है। मैंने मेरे ख्याल से प्रत्येक बिन्दु का उत्तर दिया है जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि जिन माननीय सदस्यों के उत्तर नहीं आये हैं उसको मैं भिजवा दूंगा। अब आप मांगें पास करें।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने मन्त्री जी से प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्लोज अप, क्लोज अप, प्लीज माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : तो अब जवाब तो दिलवाइये।

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। अगर यह तालियां बजा बजा कर मांग पारित करा रहे हैं तो हम तालियां बजाना भी जानते हैं और तालियां लगाना भी जानते हैं। माननीय सदस्या खड़ी हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : यह बात ठीक नहीं है, यह बात बिलकुल गलत है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : घनश्याम जी, कल तो आप को जल्दी थी, आज क्या बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, प्लीज।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे बहुत स्पेसिफिक प्रश्न थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : शंकाओं का कोई भी अंत नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया वह सुन लिया होगा। इसका कोई अन्त नहीं है। अब शंका भी लघु शंका है दीर्घ शंका है अब कहां तक शंकाओं का समाधान करेंगे, कृपया।

**श्री सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय उन बातों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं।

216



**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या। मन्त्रीजी उत्तर दे चुके हैं वाद विवाद का।

**श्री जगमाल सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट की बात है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। आप अलग से मन्त्री जी से बात कर लेना। क्लोज अप, माननीय सदस्य क्लोज, अप। प्लीज मांग संख्या 39 मतदान के लिये प्रस्तुत की जाती है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 पशु-पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19 करोड़ 48 लाख 51 हजार रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 11 जुलाई, 1985 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्री 8·05 बजे गुरुवार दिनांक 11 जुलाई, 1985 म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

---

## परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची

परिशिष्ट-"क"

### राजस्थान राज्य में लाईसेन्स ग्रौषधि निर्माताग्रों की सूची

| क्र.सं. | निर्माताग्रों का नाम | प्रारम्भ में लाईसेन्स जारी किये जाने की तिथि | सम्बन्धित श्रेणियां जिसके लिये संस्था को अनुमति दी जा चुकी है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मै. मेक्सन लेबोरेट्रीज, उदयपुर। | 13/4/60 | बेसिक ड्रग |
| 2 | ,, विनीकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर। | 28/4/60 | सिरप एवं इन्जेक्शन |
| 3 | ,, केसला लेबोरेट्रीज ग्रलवर। | 1/9/60 | — do — |
| 4 | ,, सांघी ग्रोक्सीजन कं., जयपुर। | 7/2/62 | मेडिशनल गैस |
| 5 | ,, ऐसफा लेबोरेट्रीज, प्रा.लि., जयपुर। | 30/8/62 | सिरप एवं केपसूल |
| 6 | ,, जय केमिकल एण्ड फार्मास्यिूटिकल वर्क्स, जयपुर। | 16/2/65 | सिरप एवं गेलेनिकल |
| 7 | ,, एलाईड केमिकल फार्मास्यिूटिकल्स प्रा.लि., जयपुर। | 30/5/65 | सिरप, टेबलेट, बेसिक ड्रग एवं इन्जेक्शन |
| 8 | ,, ड्यूफुल लेबोरेट्रीज, जयपुर। | 16/10/65 | इन्जेक्शन, ड्राईसिरप, सिरप, टेब्लेट। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9 | मै. थियो फार्मा, फालना । | 19/2/66 | टेबलेट, सिरप, मलहम, केपसूल, इन्जेक्शन, बेसिक ड्रग, ड्राईसिरप |
| 10 | ,, कोटन प्रोडेक्ट ग्रोफ इण्डिया, उदयपुर । | 10/6/68 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 11 | ,, केमिटेक लेबोरेट्रीज, जयपुर । | 28/1/69 | इन्जेक्शन टेबलेट, केपसूल, सिरप |
| 12 | , एलफोस लेबोरेट्रीज, जयपुर । | 30/1/69 | इन्जेक्शन |
| 13 | ,, अग्रवाल केमिकल इण्ड. उदयपुर । | 6/1/70 | बेसिक ड्रग |
| 14 | ,, जयपुर फार्मास्यूटिकल वर्क्स, जयपुर । | 28/3/70 | ड्राईसिरप, सिरप, टेबलेट, केप्सूल, एवं इन्जेक्शन |
| 15 | ,, स्वामी मेन्युफेक्चरिंग कं. इण्डिया, जयपुर । | 2/10/70 | सर्जिकल ड्रेसिंग । |
| 16 | ,, सांभर साल्ट लि. सांभरलेक । | 15/2/82 | बेसिक ड्रग |
| 17 | ,, ताराकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर । | 24/4/71 | इन्जेक्शन, सिरप, केप्सूल |
| 18 | ,, इण्डियन रेमेडीज, जयपुर । | 17/6/71 | सिरप |
| 19 | ,, राज केमिकल इण्ड. जयपुर । | 12/1/72 | सिरप, टेबलेट, इन्जेक्शन मलहम |
| 20 | ,, ग्रारकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर । | 4/3/72 | केप्सूल, सिरप, ड्रग्स, मलहम, टेबलेट, ड्राईपाउडर |
| 21 | ,, हिन्दुस्तान सर्जिकल, जयपुर । | 31/7/72 | सर्जिकल ड्रेसिंग । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 22 | मै. सत्यराज एण्ड कं. बीकानेर । | 24/11/75 | प्लास्टर ऑफ पेरिस |
| 23 | ,, अपोलो फार्मास्यूटिकल्स. अलवर, | 31/3/73 | सिरप, मेलहम |
| 24 | ,, लानसेट ड्रग एण्ड फार्मा-स्यूटिकल्स, जयपुर | 22/9/73 | केप्सूल |
| 25 | ,, अम्बिका इण्डस्ट्रीज, जयपुर । | 15/4/75 | ओरल लिक्वीड |
| 26 | ,, उमेश फार्मा, आबू रोड़ । | 22/4/74 | टेबलेट |
| 27 | ,, उदयपुर सर्जिकल्स, उदयपुर । | 3/6/74 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 28 | ,, बक्सी फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोसमेटिक्स, जयपुर । | 9/7/74 | इन्जेक्शन |
| 29 | ,, प्रकाश केमिकल्स, ब्यावर । | 9/10/74 | डिसइन्फेक्टेन्ट फ्लूड |
| 30 | ,, कोटा ऑक्सिजन, कोटा । | 16/12/74 | मेडिशनल गैस |
| 31 | ,, रिपसंन फार्मास्यूटिकल जयपुर । | 17/7/75 | केप्सूल |
| 32 | ,, कोन्टीनेन्टल फार्मास्यूटि-कल्स, जयपुर । | 27/8/75 | सिरप |
| 33 | ,, पारस ड्रग्स एण्ड केमिकल, इण्डस्ट्रीज, चित्तोड़ग रेनवाल | 16/9/75 | सिरप, टेबलेट, केप्सूल |
| 34 | ,, ऐडम्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि., जयपुर । | 10/11/75 | टेबलेट. केप्सूल, सिरप |
| 35 | ,, वायो फार्मा लेवोरेट्री. जयपुर । | 19/9/81 | सिरप, केप्सूल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 36 | मै. विवेक फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 16/12/75 | मलहम, सिरप, इन्जेक्शन, टेबलेट |
| 37 | ,, यूनिवर्सल रेमेडिज, श्री गंगानगर । | 16/12/75 | टेबलेट, केप्सूल |
| 38 | ,, नेशनल ड्रग्स, जयपुर । | 28/3/73 | सिरप |
| 39 | ,, कार्मिनोल लेबोरेट्रीज प्रा.लि., जयपुर । | 8/3/76 | सिरप, पाउडर |
| 40 | ,, रा प्रोडेक्ट एण्ड फर्टिला-ईजर, बीकानेर । | 6/8/76 | प्लाटर ग्राफ पेरिस |
| 41 | ,, ई. पी. केमलेबोरेट्री, अलवर । | 26/8/76 | सिरप |
| 42 | ,, स्वास्तिक सर्जिकल, अलवर । | 31/8/76 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 43 | ,, सरयान्स इण्डिया, कोटा । | 10/11/76 | टेबलेट, मलहम, सिरप, पाउडर । |
| 44 | , एनोन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 15/9/76 | इन्जेक्शन, सिरप |
| 45 | ,, एस. एस. फार्मास्यूटिकल्स जयपुर । | 21/2/77 | टेबलेट, सिरप, केप्सूल ड्राई पाउडर । |
| 46 | ,, श्री लक्ष्मी फार्मास्यूटि-कल्स, जयपुर । | 14/4/77 | इन्जेक्शन |
| 47 | ,, किवी फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 20/7/77 | टेबलेट, सिरप, केप्सूल, ड्राई पाउडर । |
| 48 | ,, ओनेवस इण्डिया जयपुर । | 22/9/77 | सिरप । |
| 49 | ,, मार्क्स इण्डिया, जयपुर । | 2/1/78 | इन्जेक्शन, सिरप |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 50 | मै. आदिनाथ इन्टरप्राईजेज, जयपुर । | 12/6/78 | सर्जिकल ड्रेसिंग । |
| 51 | ,, काबरा इन्टरप्राइजेज, जयपुर । | 14/6/78 | do |
| 52 | ,, मोर्डन हेंडलूम प्रोड्यूसर्स, कोपरेटिव सहकारी लि. जयपुर । | 21/7/78 | do |
| 53 | ,, स्क्वायर फार्मा, जयपुर । | 31/5/85 | केप्सूल |
| 54 | ,, रिसव फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 10/1/79 | सिरप |
| 55 | ,, आदर्श टेक्सटाईल, एस.एस. लि. जयपुर । | 16/6/82 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 56 | ,, जे. एण्ड जे. केमिकल फार्मास्यूटिकल्स, हनुमानगढ़ | 23/2/79 | सिरप, केप्सूल, बेसिकड्रग । |
| 57 | ,, विश्वभारती इन्टरप्राईजेज जयपुर । | 31/5/79 | एब्जोरवेन्ट कोटन उल । |
| 58 | ,, ए. पी. इण्डस्ट्रीज सीकर । | 2/6/79 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 59 | , संगम हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक एस. एस. लि. जयपुर । | 17/6/82 | do |
| 60 | , एस. एस. लेबोरेट्रीज (आई.) प्रा. लि. जयपुर । | 26/7/79 | इन्जेक्शन, सिरप |
| 61 | ,, केमिक्योर लेबोरेट्रीज, प्रा. लि., उदयपुर । | 26/9/79 | टेबलेट, सिरप, केप्सूल, मलहम । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 62 | मै. ग्लेक्सो इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 1/4/82 | इन्जेक्शन । |
| 63 | ,, निर्लक केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., सिरोही रोड़ । | 10/10/79 | टेबलेट |
| 64 | ,, प्लेक्सेस प्रा. लि. जयपुर । | 27/10/79 | सर्जिकल बेन्डेज । |
| 65 | ,, हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक एस. एस. लि. जयपुर । | 28/4/82 | do |
| 66 | ,, पिंकसिटी हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक एस. एस. लि. जयपुर । | 17/1/80 | do |
| 67 | ,, पारासर बेन्डेज वर्क्स, अजमेर । | 26/2/80 | do |
| 68 | ,, राठी गैस लि. अलवर । | 28/3/80 | मेडिसनल गेस |
| 69 | ,, ब्राईट लेबोरेट्रीज, आमेर । | 7/5/80 | इन्जेक्शन, सिरप |
| 70 | ,, ग्रोपेक इण्डिया, जयपुर । | 22/7/80 | सर्जिकल बेन्डेज |
| 71 | ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर । | 22/1/81 | सिरप, केप्सूल, टेबलेट |
| 72 | ,, दुर्गा कोटन इण्डस्ट्रीज, नोखा (बीकानेर) | 7/3/81 | एब्जोरबेन्ट कोटन उल |
| 73 | ,, अरावली फार्मास्यूटिकल्स प्रा लि. जयपुर । | 10/3/81 | सिरप, केप्सूल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 74 | मै. जावा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 17/3/81 | मलहम, केप्सूल, सिरप |
| 75 | ,, बी. साई केम लेबोरेट्रीज, जयपुर । | 17/3/81 | सिरप, टेबलेट |
| 76 | ,, समरथ फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 27/3/81 | टेबलेट, मलहम, केप्सूल, सिरप |
| 77 | ,, डालसन लेबोरेट्रीज, जयपुर । | 7/4/81 | सिरप |
| 78 | ,, सौक्सिल फार्मास्यूटि-कल्स, जयपुर । | 5/5/81 | सिरप |
| 79 | ,, ग्रालडोक फार्मास्यूटि-कल्स, कोटा । | 6/5/81 | टेबलेट, केप्सूल, सिरप |
| 80 | ,, केमिटेक ड्रग डिवीजन, जयपुर । | 12/6/81 | टेबलेट |
| 81 | ,, नवजीवन हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक एस. एस लि. जयपुर । | 1/8/81 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 82 | ,, सिमको लेबोरेट्रीज, पिलानी । | 6/8/81 | केप्सूल, सिरप |
| 83 | ,, स्वास्तिक केमिकल एण्ड इन्जीनियर प्रा. लि. ग्रलवर । | 11/9/81 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 84 | ,, राष्ट्रीय हाथकर्घा, एस. एस. लि., जयपुर । | 24/10/81 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 85 | ,, राजस्थान बुनकर, एस. एस. लि. जयपुर । | 12/11/81 | यथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 86 | मै. सुनिलसिंग केम लि. अलवर। | 8/12/81 | बेसिक ड्रग, जिलेटिनहार्ड केप्सूल |
| 87 | ,, शीतलामाता हाथकर्घा उत्पादक एस. एस., जयपुर। | 28/1/82 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 88 | ,, निर्मला फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोटन प्रोडेक्ट, उदयपुर। | 14/5/82 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 89 | ,, ऐथीलेब अलवर। | 23/6/82 | सिरप |
| 90 | ,, हरमिलापी उद्योग, श्रीगंगानगर। | 6/9/82 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 91 | ,, खण्डेलवाल सर्जिकल्स, ट्रेडर्स अजमेर। | 5/10/82 | यथा |
| 92 | ,, एलफोस लेबोरेट्रीज, एम. आई. ए., जयपुर। | 29/11/82 | टेबलेट, सिरप |
| 93 | ,, बिडला फार्मास्यूटिकल्स, श्रीगंगानगर। | 29/11/82 | केप्सूल |
| 94 | ,, भारत सर्जिकल इंडस्ट्रीज, जयपुर। | 29/11/82 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 95 | ,, रिलिफ केमिकल इन्डस्ट्रीज, हनुमानगढ़। | 29/11/82 | सिरप |
| 96 | ,, विमल सर्जिकल बेन्डेज, बीकानेर। | 29/11/82 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 97 | ,, इण्डियन सर्जिकल इण्डस्ट्रीज, खेतड़ी। | 7/12/82 | यथा |
| 98 | ,, जेनुस फार्मास्यूटिकल्स इण्डिया, जयपुर। | 14/2/83 | सिरप |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 99 | मै. सुर्दस ड्रग्स एण्ड केमिकल्स उदयपुर। | 24/3/83 | बेसिकड्रग |
| 100 | ,, मै० बायोमेडिकल्स जयपुर। | 30/4/83 | सिरप |
| 101 | ,, मै० न्यूकेप्स सर्जिकल्स, जयपुर। | 4/5/83 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 102 | ,, मित्तल सर्जिकल इण्ड-स्ट्रीज, हनुमानगढ़। | 29/8/83 | एब्जोरबेन्ट कोटन उल |
| 103 | ,, रेमेडीलिंक, जयपुर। | 26/9/83 | सिरप |
| 104 | ,, कुमार एन्टरप्राईजेज, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। | 28/10/83 | एब्जोरबेन्ट कोटन उल |
| 105 | ,, कुकड़ इन्डस्ट्रीज, बीकानेर। | 29/10/83 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 106 | ,, स्माईलेक्स फार्मास्यूटि-कल्स, जयपुर। | 1/11/83 | सिरप |
| 107 | ,, राजस्थान ऐब्जोरबेन्ट कोटन इन्डस्ट्रीज, सरदार शहर, चुरू। | 27/12/83 | ऐब्जोरबेन्ट कोटन उल |
| 108 | ,, वर्धमान सर्जिकल, हनुमानगढ़। | 9/1/84 | यथा |
| 109 | ,, ओसिस लेबोरेट्रीज प्रा. लि., जयपुर। | 15/2/84 | सिरप, टेबलेट |
| 110 | ,, डी. आर. वी. सर्जिकल, नीम का थाना (सीकर) | 18/2/84 | ऐब्जोरबेन्ट कोटन उल |
| 111 | ,, क्रिसेन्ट रेमेडीज (इंडिया) प्रा. लि. जयपुर। | 18/2/84 | टेबलेट |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 112 | मै. केनन एण्ड केनन प्रा. लि., जयपुर । | 6/7/84 | टेबलेट, सिरप |
| 113 | ,, मिलसन लेबोरेट्रीज, जयपुर । | 6/3/84 | टेबलेट, सिरप |
| 114 | ,, कनोडिया रबड प्रा. लि., भीलवाड़ा । | 19/3/84 | एमटीहार्ड जिलेटिन केप्सूल |
| 115 | ,, ताराकेम लेबोरेट्रीज, फालना । | 26/3/84 | वेसिकड्रग |
| 116 | , ग्लेक्सी इण्डिया फार्मास्यू, टिकल्स बिलवा (जयपुर) | 27/3/84 | सिरप |
| 117 | ,, बोरोकेप्स फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर । | 19/5/84 | केप्सूल |
| 118 | ,, इन्डोकेप्स प्रा. लि., अलवर । | 30/4/84 | एमटीहार्ड जिलेटिन केप्सूल |
| 119 | ,, सूर्य केमिकल वर्क्स, कोटा । | 20/4/84 | ब्लेक एण्ड वाईट डिस्इनिफि-केटेन्ट । |
| 120 | ,, नील कमल सर्जिकल वेन्डेज, हनुमानगढ़ । | 20/4/84 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 121 | ,, नीलकन्ठ केमिकल वर्क्स, जोधपुर । | 9/7/84 | प्लास्टर ग्रोफ पेरिस |
| 122 | ,, ग्रामोदय कुमेर हाथ कर्घा, बुनकर विकास, एस. एस. लि., कुमेर (भरतपुर) | 4/8/84 | सर्जिकल ड्रेसिंग |
| 123 | ,, इन्डोकेम रेमेडीज प्रा. लि., जयपुर । | 22/11/84 | टेबलेट, केप्सूल |
| 124 | ,, ग्रोम मेटल्स एण्ड मिनिरल प्रा. लि., पुछलवाड़ा (भीलवाड़ा) | 1/10/84 | मेडिसनल गैस |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 125 | मै. श्री त्रिमूर्ति फार्मेसी, बीकानेर । | 9/5/84 | केप्सूल |
| 126 | मै. श्री दुर्गा प्लास्टर एण्ड फर्टिलाईजर, नागौर । | 9/5/84 | प्लास्टर ओफ पेरिस |
| 127 | ,, केसन्स फार्म, जयपुर । | 9/1/84 | सिरप |
| 128 | ,, कोडियल भ्ररगनिक, किशनगढ, भ्रजमेर । | 13/12/84 | सिरप, टेबलेट, केप्सूल |
| 129 | ,, भ्रंकुर लेब, जयपुर । | 26/12/84 | इन्जेक्शन |
| 130 | ,, भ्रार. एस. फार्मास्यू-टिकल्स, जेतपुरा (जयपुर) | 28/1/84 | इन्जेक्शन, केप्सूल, सिरप |
| 131 | ,, जावा फार्मास्यूटिकस्स, जयपुर । | 31/12/84 | सिरप, केप्सूल |
| 132 | ,, प्रताप सर्जिकल कोटन एण्ड बेन्डेज इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर (पाली) | 5/2/84 | ऐब्जोरवेन्ट कोटन उल |
| 133 | ,, राजगुरु फाईन केमिकल, जोधपुर । | 2/3/85 | बेसिकड्रग |
| 134 | ,, भ्रादित्य लेबोरेट्रीज प्रा. लि., जयपुर । | 4/2/85 | केप्सूल, सिरप |
| 135 | ,, जे. के. सर्जिकल कोटन इण्डस्ट्रीज, हनुमानगढ । | 6/3/85 | ऐब्जोरवेन्ट कोटन उल |
| 136 | ,, गोल्ड स्टोन ड्रग्स एण्ड केमिकल, भिवाड़ी (भ्रलवर) | 14/3/85 | बेसिक ड्रग |
| 137 | ,, ममता सर्जिकल कोटन इण्डस्ट्रीज गुलाबपुरा, भीलवाड़ा । | 25/3/85 | ऐब्जोरवेन्ट कोटन उल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 138 | मै. दीपे केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, भरतपुर। | 2/4/85 | सिरप |
| 139 | ,, जय मिनरल एण्ड केमिकल्स, ब्यावर (अजमेर) | 6/4/85 | बेसिक ड्रग |
| 140 | ,, करनानी फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि., भिवाड़ी, अलवर। | 18/5/85 | टेबलेट, केप्सूल, सिरप |
| 141 | ,, हिन्दुस्तान फार्मास्यूटिकल्स बालारेन, सीकर। | 21/5/85 | यथा |
| 142 | ,, जैन सर्जिकल इंडस्ट्रीज, (खेडली) अलवर। | 21/5/85 | बेन्डेज |
| 143 | ,, रोलेक्स इण्डिया, जयपुर। | 29/5/85 | सिरप |
| 144 | ,, साईनो फार्मेसी, भरतपुर। | 7/6/85 | सिरप |
| 145 | ,, शशी फाईटो केमिकल इण्डस्ट्रीज, अलवर। | 21/6/85 | बेसिक |
| 146 | ,, एस. के. सर्जिकल इंडस्ट्रीज, राजाखेड़ा (धोलपुर) | 3/7/85 | सर्जिकल ड्रेसिंग |

परिशिष्ट —"ख"

राजस्थान राज्य में लोन लाईसेन्सीज की सूची

| क.स. | लोन लाईसेन्सी का नाम | लाईसेन्स जारी करने का दिनांक | प्रदान की स्वीकृत की गई औषधियों की श्रेणी | मूल निर्माता का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै॰ एम. फेन्क जे. विलियम लेब्रोरेट्रीज, जयपुर | 6-12-75 | सीरप | मै. बेनीकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| | | 5-3-84 | केपसूल | मै. रिपसन फार्मासियूटीकल्स, जयपुर |
| 2. | ,, गिलोरिया फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 5-8-78 | सीरप | मै. बेनोकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 3. | ,, डारीवन केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 6-9-80 | सीरप | यथा रिपसन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 4. | ,, नारंग्स, जयपुर | 7-12-81 | सीरप | मै. बेनीकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मै. रिलीफ ड्रग्स, जयपुर | 17-2-84 | सिरप | यथा |
| | | 17-8-84 | केपसूल | मै. रिपसन फार्मास्युटिकल्स, जयपुर |
| 6. | ,, केम्बल फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 6-2-84 | सिरप | मै. बेनीकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| | | 28-2-84 | टेबलेट केपसूल | मै. ग्रारकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 7. | ,, डेनोबो फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 6-2-84 | सिरप | मै. बेनीकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 8. | ,, ऐथीकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर | 29-3-84 | सीरप | यथा |
| 9. | ,, ताराकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर | 26-11-74 | केपसूल टेबलेट | मै. थियो फार्मा, फालना |
| 10. | ,, सीरपथियो कोफ मेन्यू, फालना | 15-6-76 | केपसूल टेबलेट | यथा |
| | | 13-10-78 | सीरप केपसूल | मै. ताराकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 11. | ,, प्रेस्ट्रीज फार्माकल्स, जयपुर | 3-3-82 | टेबलेट केपसूल सीरप | मै. थियो फार्मा, फालना |
| 12. | ,, सेलवोक फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 31-12-77 | सीरप, केपसूल | यथा |
| 13. | ,, सिन्शीकोग्रोरगेनिक, फालना | 25-2-83 | टेबलेट सीरप | यथा |

231

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | मै. कोर्नहिल, जयपुर | | केपसूल टेबलेट सीरप | मै. जयपुर फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, जयपुर |
| 15. | ,, केप फार्मा, जयपुर | 21-1-84 | यथा | यथा |
| 16. | ,, डालसन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 19-9-78 | टेबलेट | यथा |
| 17. | ,, जियो लेब्स, जयपुर | 28-1-82 | टेबलेट केपसूल सीरप | यथा |
| 18. | ,, राईसल फार्मास्यूटिकल्स, सीकर | 28-10-83 | टेबलेट सीरप केपसूल | यथा |
| 19. | ,, ओएसिस लेबोरेट्रीज, जयपुर | 5-3-80 | केपसूल | यथा |
| 20. | ,, केनन एण्ड केनन, जयपुर | 29-8-80 | सीरप केपसूल | यथा |
| 21. | ,, एस. ए. एस. फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 10-8-82 | सीरप केपसूल टेबलेट | यथा |
| 22. | ,, सनवेज इण्डिया प्रा. लि., जयपुर। | 27-9-82 | टेबलेट सीरप पाउडर | यथा |
| 23 | ,, फार्मास्यूटिकल्स आफ इन्डिया, जयपुर | 17-8-82 | केपसूल सीरप | मै. केमीटेक लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 24 | ,, प्राईमा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 10-9-82 | सीरप केपसूल | यथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | मै. नेलसन फार्मास्यूटिकल्स जयपुर | 20-10-82 | यथा | यथा |
| 26. | ,, महाराष्ट रेमीडीज, जयपुर | 11-11-82 | यथा | यथा |
| 27. | ,, एस. रोवर्ट फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 2-11-82 | यथा | यथा |
| | | 4-4-83 | सीरप केपसूल टेबलेट | मै. केमीटेक ड्रग्स डिवीजन, जयपुर |
| 28. | ,, ब्रिटिश रेमीडीज जयपुर | 29-11-82 | यथा | यथा |
| 29. | ,, मे एण्ड बेकर लि. जयपुर | 9-6-77 | टेबलेट | मै. केमीटेक लेबोरेट्रीज, जयपुर<br>मै. ऐलाईड केमीकल एण्ड फार्मास्यूटीकल्स, जयपुर |
| 30. | ,, सफारी रेमीडीज, अलवर | 5-2-81 | सीरप | मै. केसला-लेबोरेट्रीज, अलवर |
| 31. | ,, एब्डा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 17-5-82 | सीरप | यथा |
| 32. | ,, मासकोट लेबोरेट्रीज, अलवर | 4-2-82 | यथा | यथा |
| 33. | ,, बोरोकेम फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 28-12-84 | यथा | यथा |
| 34. | ,, एलकोन लेबोरेट्रीज जयपुर | 6-9-80 | सीरप | मै. रिशव फार्मास्यूटीकल्स, जयपुर |
| 35. | ,, फेन्कबुड लेबोरेट्रीज, जयपुर | 31-12-81 | सीरप | मै. डालसन लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 36. | ,, हाईड फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 20-10-82 | यथा | यथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 37. | मै. जाईमेक्स फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 16-5-79 | सीरप | मै. एसफा लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| | | 8-9-82 | केपसूल टेबलेट | मै. एस.एस. फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 38. | ,, केमी फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 27-7-79 | सीरप | मै. एसफा फार्मास्युटिकल्स, जयपुर |
| 39. | ,, शिलका ड्रग्स जयपुर | 20-4-81 | सीरप | यथा |
| 40. | ,, क्लोवस इन्टरनेशनल, जयपुर | 8-7-82 | यथा | यथा |
| 41. | ,, फाईनडेस्टोफिक सिरोही रोड़ | 1-10-80 | टेबलेट केपसूल सीरप | मै. निरलक केमीकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 42. | ,, एन. ग्रार.जेट फार्मास्यूटिकल्स, सिरोही रोड़ | 29-10-82 | यथा | यथा |
| 43. | ,, फोरटेक्स रेमीडीज, सिरोही रोड़ | 4-8-83 | सीरप टेबलेट केपसूल | यथा |
| 44. | ,, ग्रंकुर फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 13-7-81 | सीरप | मै. ग्ररावली फार्मास्यूटिकल्स, प्रा. लि. जयपुर |
| 45. | ,, साईमेक्स मेडिकामेंट, जयपुर | 20-9-82 | यथा | यथा |
| 46. | ,, फलोरिडा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 12-5-82 | यथा | यथा |
| 47. | ,, न्यूटिब फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 9-7-82 | यथा | यथा |
| 48. | ,, ग्रोरियन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 26-2-83 | यथा | यथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 49. | मै. टोपसन लेवोरेट्रीज, जयपुर | 11-6-81 | केपसूल टेबलेट सीरप | मै. एस.एस. फार्मास्यूटिकल्स जयपुर |
| 50. | , रोशन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 27-9-83 | यथा | यथा |
| 51. | ,, मेक फारसन लेबोरेट्रीज, जयपुर | 9-10-80 | यथा | यथा |
| 52. | ,, ल्यूस एण्ड डेल, जयपुर | 28-8-81 | यथा | यथा |
| 53. | ,, हैपी फार्मा, जयपुर | 27-9-80 | यथा | यथा |
| 54. | ,, फोस्टर फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 22-12-84 | यथा | यथा |
| 55. | ,, होसीडन लेवोरेट्रीज, कोटा | 6-11-79 | सीरप | मै. सिरयाना इण्डिया, कोटा |
| 56. | , ऐलेक्शन लेबोरेट्रीज जयपुर | 20-9-80 | सीरप | मै राज केमीकल इन्डस्ट्रीज, जयपुर |
| 57. | ,, ऐक्मी फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 14-3-84 | केपसूल | मै रिपसन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 58. | ,, मेयोलेबोरेट्रीज, जयपुर | 31-10-80 | सीरप टेबलेट | मै. बी. साई केम लेबोरेट्रीज, |
| 59. | ,, लक्ष्मी फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 9-9-82 | सीरप | यथा |
| 60. | , फोरमलेशन ग्राफ इण्डिया, जयपुर | 15-7-82 | टेबलेट सीरप | यथा |
| 61. | ,, ऐन्जल फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 4-2-84 | यथा | यथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 62. | मैसर्स शोमा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 12-6-81 | टेबलेट सीरप | मैसर्स बी. साई. केम. लेबोरेट्रीज जयपुर |
| 63. | ,, टोलीमा लेबोरेट्रीज, जयपुर | 1-3-82 | सीरप | मैसर्स बायो फार्मा, जयपुर |
| 64. | ,, जे. बी. फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 29-4-82 | सीरप | यथा |
| 65. | ,, शार्प लेबोरेटीज, जयपुर | 5-8-83 | सीरप | मैसर्स एम्बिका इन्डस्ट्रीज, जयपुर |
| 66. | ,, ऐलाईन्स इन्डिया, जयपुर | 30-9-83 | यथा | यथा |
| 67. | ,, काऊन एण्ड किंगस, जयपुर | 28-7-84 | सीरप टेबलेट | मैसर्स मिलसन लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 68. | ,, शैरीटोन लेबोरेट्रीज, जयपुर | यथा | यथा | यथा |
| 69. | ,, मार्क्स एण्ड हेलिस, जयपुर | यथा | यथा | यथा |
| 70. | ,, ए. डी. फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 6-9-84 | यथा | यथा |
| 71. | ,, वेलेस्को फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 20-7-84 | यथा | यथा |
| 72. | ,, हर्म्स इन्टरनेशनल, जयपुर | 27-9-83 | सीरप केप. टेबलेट | मैसर्स केमीटेक ड्रग्स डिवीजन, जयपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 73. | मै. सोलेस फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 4-2-84 | सीरप केप. टेबलेट | यथा |
| 74. | ,, श्रोवेशन फार्मा, जयपुर | 22-3-85 | यथा | यथा |
| 75. | ,, अरावली फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 30-9-82 | टेबलेट | यथा |
| 76. | ,, ग्रिडलेज जयपुर | 29-11-82 | टेबलेट केप. सीरप | यथा |
| 77. | ,, पूजा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 3-8-83 | यथा | यथा |
| 78, | ,, एन्गलो इन्टरनेशलन, जयपुर | 10-11-82 | सीरप | अनोन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 79. | ,, विनमार फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 4-4-83 | सीरप | यथा |
| 80. | ,, ऐशियाड फार्मास्यूटिकल, जयपुर | 29-11-82 | -सीरप | मैसर्स कोन्टीनेन्टल फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 81. | ,, जयपुर फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, जयपुर | 15-3-83 | श्रोइन्टमेन्ट | मैसर्स आरकेम फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 82. | ,, एलडिक्स फार्मास्यूटिकल्स, अलवर | 4-4-83 | सीरप | मैसर्स ऐथीकेम लेबोरेटीज, जयपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 83. | मै. काऊन फार्मास्यूटिकल्स, अलवर | 3-11-82 | सीरप | यथा |
| 84. | ,, लेपरो लेबोरेट्रीज, हनुमानगढ़ | 16-5-83 | सीरप केपसूल | मैसर्स जे. एण्ड जे. केमीकल, हनुमानगढ़ |
| 85. | ,, सेनीको फोरमूलेशन, हनुमानगढ़ | 1-9-84 | यथा | यथा |
| 86. | ,, विकोन फार्मास्यूटिकल्स, पिलरानी | 1-9-84 | सीरप | मैसर्स सिमको लेबोरेट्रीज, पिलानी |
| 8 . | ,, ऐलोरा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 27-9-83 | टेबलेट सीरप | मैसर्स केनन एण्ड केनन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 88. | ,, ऐमीटेक लेबोरेट्रीज, जयपुर | 21-1-85 | यथा | यथा |
| 89. | ,, रिबाल फर्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 28-10-84 | यथा | यथा |
| 90. | ,, ऐफकोफार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 7-2-84 | सीरप | केमीक्योर फार्मास्यूटिकल्स, उदयपुर |
| 91. | ,, बायोटेक, जयपुर | 24-3-84 | सीरप टेबलेट केपसूल | मैसर्स कीवी फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 92. | मैसर्स मेडीको फोरमूलेशन, जयपुर | 22-3-84 | टेबलेट सीरप | मैसर्स ओएसिस लेबोरेट्रीज, जयपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 93. | मै. सुफार्मा, जलवर | 15-9-84 | टेबलेट सीरप | मैसर्स ओएसिस लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 94. | ,, जेलसील प्रा. लि., जयपुर | 5-12-84 | यथा | यथा |
| 95. | ,, बारन इन्टरनेशनल, जयपुर | 21-12-84 | सीरप | मैसर्स केसन्स फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर |
| 96. | ,, चेरिंग फामास्यूटिकल्स, जयपुर | 1-9-84 | टेबलेट सीरप | मैसर्स मिलसन लेबोरेट्रीज, जयपुर |
| 97. | ,, मिलसन लेबोरेटीज, जयपुर | 1-11-89 | केपसूल | मैसर्स जयपुर फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, जयपुर |

परिशिष्ट (ग)

**राजस्थान राज्य के औषधि निर्माताओं मय लोन लाईसैन्स संस्थाओं द्वारा निर्मित औषधियों के नमूने राज्य के औषधि निरीक्षकों द्वारा वर्ष 1984-85 में लिये उनकी तालिका**

**लोन लाईसैन्सी**

| क्र. सं. | संस्था का नाम | सेम्पल विश्लेषण हेतु उठाये गये | मानक कोटि | अवमानक कोटि | जाँच रिपोर्ट प्राप्त होना बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मैसर्स एम. फेन्क एण्ड जे. विलियम लेबोरेट्रीज जयपुर | 2 | – | 2 | – |
| 2. | ,, एस. ए. एस. फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 1 | 1 | – | – |
| 3. | ,, टोलीमा लेबोरेट्रीज, जयपुर | 1 | – | 1 | – |
| 4. | ,, रोलेक्स इन्डिया, जयपुर | 4 | 1 | – | 3 |
| 5. | ,, बायोटेक, जयपुर | 3 | – | – | 3 |
| 6. | ,, ऐलाईन्स इन्डिया, जयपुर | 2 | 1 | – | 1 |
| 7. | ,, फलोरिडा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 8. | ,, शोभा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 9. | ,, ऐन्जिल फार्मास्यूटिकल्स जयपुर | 4 | 1 | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | मैमर्स प्राईमा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 11. | ,, फोरमूलेशन इन्डिया, जयपुर | 3 | 2 | – | 1 |
| 12. | ,, वारन इन्टरनेशनल, जयपुर | 1 | 1 | – | – |
| 13. | ,, मार्क्स एण्ड हेलिस, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 14. | ,, पूजा फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 1 | 1 | – | – |
| 15. | ,, ऐलिक्शन लेबोरेट्रीज, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 16. | ,, हर्म्स इन्डिया, जयपुर | 1 | – | 1 | – |
| 17. | ,, केम्वल फार्मास्यूटिकल्स जयपुर | 1 | 1 | – | – |
| 18. | ,, ऐथीकेम लेबोरेट्रीज, उदयपुर | 1 | – | – | 1 |
| | मूल औषधि निर्माता | | | | |
| 19. | मैसर्स बेनीकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 20. | ,, मार्क्स इन्डिया, जयपुर | 3 | – | – | 3 |
| 21. | ,, लानसेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 22. | ,, केमीटेक ड्रग्स डिवीजन, जयपुर | 3 | 1 | – | 2 |
| 23. | ,, मिलसन लेबोरेट्रीज, जयपुर | 2 | – | – | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | मैसर्स अनोन फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 25. | ,, कीवी फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 7 | 1 | – | 6 |
| 26. | ,, ग्लेक्सी इन्डिया फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 27. | ,, अम्बिका इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 4 | 2 | – | 2 |
| 28. | ,, एसफा लेब्स, जयपुर | 3 | – | – | 3 |
| 29. | ,, इन्डियन रेमीडीज, जयपुर | 2 | – | – | 2 |
| 30. | ,, वी. साईकेम. लेबोरेट्रीज, जयपुर | 3 | – | – | 3 |
| 31. | ,, ड्यूफुल लेबोरेट्रीज, जयपुर | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 32. | ,, बायो मेडीका, जयपुर | 10 | – | 3 | 7 |
| 33. | ,, ब्राईट लेबोरेट्रीज, आमेर | 1 | – | – | 1 |
| 34. | ,, जयपुर फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, जयपुर | 14 | 3 | 2 | 9 |
| 35. | ,, कारमीनोल लेबोरेट्रीज, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 36. | ,, आदर्श टेक्सटाईल्स, जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 37. | ,, केमीटेक लेबोरेट्रीज, जयपुर | 1 | – | 1 | – |
| 38. | ,, आर. डी. पी. एल. जयपुर | 22 | 6 | – | 16 |

242



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. | मैसर्स ताराकेम लेबोरेट्रीज जयपुर | 1 | – | – | 1 |
| 40. | ,, श्री लक्ष्मी फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 3 | 3 | – | – |
| 41. | ,, नेशनल ड्रग्स, जयपुर | 2 | 1 | – | 1 |
| 42. | ,, एस. एस. फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 2 | 1 | – | 1 |
| 43. | ,, ओनेक्स इण्डिया, जयपुर | 2 | 1 | – | 1 |
| 44. | ,, रिशब फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 5 | 1 | – | 4 |
| 45. | ,, एस. एस. लेबोरेट्रीज, जयपुर | 3 | – | 1 | 2 |
| 46. | ,, विश्व भारती इन्टरप्राईजेज, जयपुर | 2 | 1 | 1 | – |
| 47. | ,, नवजीवन हाथकरघा, जयपुर | 2 | – | – | 2 |
| 48. | ,, आरकेम लेबोरेट्रीज, जयपुर | 7 | – | – | 7 |
| 49. | ,, बोरोकेप फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 2 | 1 | – | 1 |
| 50. | ,, डालसन लेबोरेट्रीज, जयपुर | 2 | – | – | 2 |
| 51. | ,, जावा फार्मास्यूटिकल्स, एण्ड कोसमेटिक जयपुर | 5 | 2 | – | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52. | मै. अरावली फार्मास्यूटिकल्स, प्रा. लि., जयपुर | 3 | – | – | 3 |
| 53. | ,, स्माईलेक्स फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 2 | – | – | 2 |
| 54. | ,, विवेक फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 55. | ,, राज केमीकल इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 56. | ,, केमिक्योर लेबोरेट्रीज प्रा. लि., उदयपुर | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 57. | ,, आलडोक फार्मास्यूटिकल्स, कोटा | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 58. | ,, सिरियान्स इण्डिया, कोटा | 3 + 1 = 4 | – | 1 | 2 + 1 = 3 |
| 59. | ,, थियो फार्मास्यूटिकल्स, फालना | 3 | 1 | – | 2 |
| 60. | ,, नागर केमिकल अलवर | 1 | – | – | 1 |
| 61. | ,, दुर्गा कोटन, नोखा | 1 | – | 1 | – |
| 62. | ,, उमेश फार्मास्यूटिकल्स, आबूरोड़ | 1 | 1 | – | – |
| 63. | ,, जे. एण्ड जे. केमिकल फार्मास्यूटिकल्स, हनुमानगढ़ | 4 | 1 | – | 3 |
| 64. | ,, राजस्थान सर्जिकल, कोठी, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा | 1 | – | 1 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65. | ,, बिड़ला फार्मास्यूटिकल्स, गंगानगर | 1 | - | - | 1 |
| 66. | ,, निर्मला फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कोटन प्रोडेक्ट, उदयपुर | 1 | - | 1 | - |
| 67. | ,, सिमको लेबोरेट्रीज, पिलानी | 1 | - | 1 | - |
| 68. | ,, मित्तल सर्जिकल, हनुमानगढ़ | 1 | - | 1 | - |
| 69. | ,, यूनिवर्सल रेमेडीज, गंगानगर | 2 | - | 1 | 1 |
| 70. | ,, ग्लिफ केमिकल इण्डस्ट्रीज, हनुमानगढ़ | 3 | 2 | - | 1 |
| 71. | ,, कुमार इन्टरप्राईजेज गुलाबपुरा, भीलवाड़ा | 1 | - | 1 | - |
| 72. | ,, केनन एण्ड केनन प्रा० लि०, जयपुर | 3 | - | - | 3 |
| 73. | ,, क्रिसेन्ट रेमेडीज इंडिया, प्रा० लि०, जयपुर | 1 | - | - | 1 |
| 74. | ,, भारत सर्जिकल, जयपुर | 1 | - | - | 1 |
| 75. | ,, एलाईड केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, प्रा० लि०, जयपुर | 3 | - | 3 | - |
| 76. | ,, ग्रोपेक इण्डिया, जयपुर | 1 | - | 1 | - |
| 77. | ,, वायो फार्मास्यूटिकल्स जयपुर | 1 | - | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78. | मैसर्स कोन्टीनेन्टल फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 4 | – | 1 | 3 |
| 79. | ,, जय केमिकल फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, जयपुर | 3 | – | – | 3 |
| 80. | ,, समरथ फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 81. | ,, पारस ड्रग्स एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, चित्तोड़ा रैनवाल | 4 | – | – | 4 |

## परिशिष्ट—2

### तारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का विवरण।

| क्रमांक | नाम कार्य | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1. | सड़कें तथा सम्पर्क सड़कें (पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा) | 972.125 लाख रुपये |
| 2. | भू-संरक्षण कार्य (खडीन, एनीकट आदि) | 257.880 लाख रुपये |
| 3. | सामाजिक वानिकी कार्य (वन विभाग द्वारा) | 562.000 लाख रुपये |
| 4. | लघु सिंचाई कार्य (डी. आर. डी. ए. द्वारा) | 189.620 लाख रुपये |
| 5. | सिंचाई कार्य (सिंचाई विभाग द्वारा) | 242.382 लाख रुपये |
| | योग | 2224.007 लाख रुपये |

# परिशिष्ट-3

## समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

### सीकर नगर में सीवरेज व्यवस्था

**182. घनेश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर में करीब 20 हजार फ्लश लैट्रिन हैं जिनकी गहराई करीब 50 फीट यानि वाटर लेवल तक है ? यदि हां तो क्या उससे भयंकर बीमारी फैलने का खतरा रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर नगर में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीकर शहर में सीवरेज लाइन एवं सीवरेज फार्म बनाने का विचार रखती है ? उस पर अनुमानित कितनी लागत लगने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि हुडको तथा जीवन बीमा निगम उक्त कार्यों हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है ? यदि हां तो क्या सरकार उनके माध्यम से 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में सीवरेज लाइन बनाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। सीकर नगर में परिषद द्वारा करवाये गये सर्वे के अनुसार करीब 5028 फ्लश लैट्रीन्स हैं, इनकी गहराई 30 फीट तक है एवं पानी की सतह करीब 120 फीट गहरी है।

(2) अभी सीकर नगर में सीवरेज लाइन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### उच्चाधिकारियों द्वारा वन्य जीवों के माहौल की तस्वीर खेंचना

**183. सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में उच्चाधिकारी अपने दौरों के दौरान वन के जानवरों के ठिकानों, उनके रहन-सहन आदि की तस्वीरें खींचने में अधिक रुचि लेते हैं ?

(2) क्या ये तस्वीरें अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपती हैं जिनसे उन्हें अच्छी आय भी होती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की फोटोग्राफी पर प्रतिबन्ध लगाने की सोच रही है ? विकल्प के रूप में क्या सरकार का उस आय का कुछ प्रतिशत एवं उन तस्वीरों का कापी राइट लेने की मानस है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। वन्य जीव प्रबन्ध व उनके रहन-सहन के अध्ययन एवं रिकोर्ड की दृष्टि से विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी भी तस्वीरें खींचते रहे हैं।

(सुश्री गिरिजा व्यास)

(2) जी नहीं केवल राष्ट्रीय स्तर की कुछ पत्रिकाओं में चित्र छपे हैं।

(3) जी नहीं।

**लालसोट तहसील में कृषि प्रयोजनार्थ विद्युत कनेक्शन्स**

**184. श्री परसादी लाल** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) तहसील लालसोट में वर्ष 1984-85 में कृषि कार्य के लिए कितने विद्युत् कनेक्शन्स देने का लक्ष्य रखा गया था ? निर्धारित लक्ष्य में से कितने विद्युत् कनेक्शन्स दिये गये ?

(2) क्या कारण है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नही हो सकी ? यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई अधिकारी दोषी है ? यदि हां, तो कौन तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(3) निर्धारित लक्ष्यों के सन्दर्भ में जितने कम विद्युत् कनेक्शन्स किये गये, उनके बारे में सरकार क्या इरादा रखती है ?

**उत्तर**

(1) तहसील लालसोट में वर्ष 1984-85 में कृषि कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य व प्राप्ति निम्न प्रकार हैं :—

| स्कीम | मूल लक्ष्य | संशोधित लक्ष्य (माह नवम्बर में प्रसारित) | प्राप्ति |
|---|---|---|---|
| नान आर. ई. सी. ओ. बी. स्कीम | शून्य | 150 | 86 |
| आर. ई.सी. | 40 | 40 | 17 |
| कुल : | 40 | 190 | 103 |

(2) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पूर्ण नहीं होने का मुख्य कारण यह रहा कि समुचित मात्रा में समय पर आवेदकों द्वारा "एल" फार्म नहीं दिये गये तथा जो "एल" फार्म प्राप्त हुए उनमें से भी कुछ "एल" फार्म की फिटिंग पूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त करना पड़ा। अतः कोई अधिकारी दोषी नही ठहराया जा सकता। किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 87 कनेक्शन कम दिये गये। जी हां, हाल ही में मण्डल ने यह निर्देश प्रसारित कर दिये हैं कि जिन कृषि कनेक्शन हेतु आवेदकों ने मांग राशि दिनांक 31-3-85 तक जमा करा रखी है उनके कनेक्शन जारी कर दिये जायें।

**कठूमर क्षेत्र में चिकित्सीय सुविधायें**

**185. श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन सी चिकित्सीय सुविधायें कहां-कहां चल रही हैं। कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वहां स्वीकृत स्टाफ कितना है ? कृपया पद सहित विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) क्या स्वीकृत स्टाफ की पूर्ति है ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) केवल कुछ स्थानों पर नर्सिंग स्टाफ की कमी है जिनकी पूर्ति प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर कर दी जावेगी।

| स्वीकृत पद का नाम | स्वीकृत पद संख्या | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|
| सी. ए. एस. | 6 | 6 | – |
| मेल नर्स श्रेणी I | 3 | – | 3 |
| यथा II | 6 | 6 | – |
| एल. एच सी. | 2 | 1 | 1 |
| एस. आई. | 1 | 1 | – |
| ए. एन. एम. | 20 | 14 | 6 |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 12 | 12 | – |
| बी. ई. ई. | 1 | 1 | – |
| संगणक | 1 | 1 | – |
| वाहन चालक | 1 | 1 | – |
| सेक्टर सुपरवाइजर | 5 | 5 | – |
| नर्स दाई | 1 | 1 | – |
| वरिष्ठ लिपिक | 1 | 1 | – |

कठूमर निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं निम्न स्थानों पर है—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रा. स्वा. केन्द्र | कठूमर |
| 2. | राज. चिकित्सालय | कालवाड़ी |
| 3. | ,, ,, | खेडली |
| 4. | मातृ शिशु कल्याण केन्द्र | खेड़ली |
| 5. | एड पोस्ट | गारु |
| 6. | उच्चीकृत उपकेन्द्र | रोनीजाथान |
| 7. | ,, ,, | जाटवाड़ा |
| 8. | ,, ,, | नागलरूपा |
| 9. | उपकेन्द्र | कोनकर |
| 10. | ,, | मथुराहेडा |
| 11. | ,, | ढोरोली |
| 12. | ,, | मसाघो |
| 13. | ,, | मथान |
| 14. | प. क. उपकेन्द्र | सोखरी |
| 15. | ,, ,, | तसई |
| 16. | ,, ,, | बड़ोदाकान |
| 17. | ,, ,, | निठोरी |
| 18. | ,, ,, | तुलारी |
| 19. | ,, ,, | सांख |

251

### जोधपुर खण्ड की मंडी समितियों का कार्मिक वर्ग

186. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर खण्ड की मण्डी समितियों में वरिष्ठ लिपिकों एवं मंडी सुपरवाइजर के वर्तमान में कितने पद सृजित हैं तथा उनमें से कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ?

(2) जोधपुर खण्ड की मण्डी समितियों के कनिष्ठ लिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति हेतु वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में कब-कब डी. पी. सी. की बैठकें हुई ? उन बैठकों में जिन कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु निर्णय लिया गया उन्हें लागू कर दिया गया अथवा नहीं ? डी पी. सी. के निर्णयों को यदि लागू नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है तथा कब तक लागू कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर खण्ड की मण्डी समितियों के कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति का मसला पिछले करीब दो-तीन वर्षों से कृषि विपणन निदेशालय में विचाराधीन पड़ा है, जबकि अन्य खण्डों में वर्ष 1984 तक की डी. पी. सी. द्वारा लिये गये निर्णयों को लागू कर मण्डी कर्मचारियों की वरिष्ठ लिपिक एवं मण्डी सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किये जा चुके हैं ?

**उत्तर**

(1) जोधपुर खण्ड में वरिष्ठ लिपिक एवं पर्यवेक्षक के सृजित एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है। (1)

(2) जोधपुर खण्ड की मण्डी समितियों में वर्ष 1982--83 एवं 1983--84 में कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति हेतु आयोजित बैठकों एवं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की स्थिति का विवरण (सूची-2) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

## सूची–1

### वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के सृजित एवं रिक्त पदों की सूची

| क्र. सं. | नाम पद | सृजित पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वरिष्ठ लिपिक | 19 | 2 | 1. वर्ष 1980 से |
| | | | | 1. 20-1-85 से |
| 2. | पर्यवेक्षक | 21 | 6 | 3. वर्ष 1982 से |
| | | | (सीधी भर्ती कोटा से) | 1. 21-10-83 से |
| | | | | 1. 2-2-84 से |
| | | | | 1. 26-6-84 से |

## सूची-2

**जोधपुर खण्ड की मण्डी समितियों में वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में डी. पी. सी. के निर्णय की क्रियान्विति का विवरण**

| क्र. सं. | डी. पी. सी. की बैठक का दिनांक | वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के निर्णय लागू करने की स्थिति का विवरण। | कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के निर्णय लागू करने की स्थिति का विवरण। |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 व 5 जून, 1982 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के निर्णय रोस्टर के विपरीत होने के कारण लागू नहीं किये गये। | कोई निर्णय नहीं लिया गया। |
| 2. | 15 दिसम्बर, 82 | कोई निर्णय नहीं लिया गया। | डी.पी.सी. के निर्णय को लागू कर दिया। |
| 3. | 2 सितम्बर, 1983 | डी. पी. सी. के निर्णय लागू कर दिये गये। | कोई निर्णय नहीं लिया गया। |

## गंगानगर जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

**188. श्री डूंगर राम पंवार (टीबी) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में श्री गंगानगर जिले के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) जिले में इस योजना में किन-किन ग्रामों की कौन-कौनसी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

### उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में श्री गंगानगर जिले के 1070 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विद्युतीकृत ग्रामों की 404 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिसकी सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

## सूची (अ)

### श्री गंगानगर जिले में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

| क. सं. | ग्राम का नाम | क. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| तहसील करणपुर | | 22 | चक 4 वी |
| | | 23 | ,, 20 एच |
| 1 | करनपुर | 24 | ,, 1 वी ए |
| 2 | चक 5 एसबी | 25 | ,, 1 वी वी |
| 3 | ,, 10 एच | 26 | ,, 2 वी ए |
| 4 | ,, 1 ग्रार | 27 | ,, 18 एच |
| 5 | ,, 2 ग्रार | 28 | ,, 17 क्यू |
| 6 | ,, 4 ग्रार | 29 | ,, 16/17 एच |
| 7 | ,, 3 ग्रार | 30 | ,, 3 टी |
| 8 | ,, 12 एच | 31 | ,, 19 एफ |
| 9 | ,, 4 एच | 32 | ,, 1 यू (केसरीसिंहपुर) |
| 10 | ,, 7 एस | 33 | ,, 3 यू |
| 11 | ,, 7 एक्स | 34 | ,, 19 एच |
| 12 | ,, 36 एच मंगी | 35 | ,, 1 डब्ल्यू |
| 13 | ,, 33 एच | 36 | ,, 3 डब्ल्यू |
| 14 | ,, 23 एच | 37 | ,, 2 डब्ल्यू |
| 15 | ,, 6 वी धनर | 38 | ,, 23 एच |
| 16 | , 3 एक्स | 39 | ,, 25 एच |
| 17 | ,, 7 वी | 40 | ,, 27 एचबी |
| 18 | ,, 26 एच | 41 | , 27 एच ए |
| 19 | ,, 8 वी | 42 | ,, 30 एच |
| 20 | ,, 24 एच | 43 | ,, 29 एच |
| 21 | ,, 3 वी | 44 | ,, 23 क्यू |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 45 | चक 42 एच | 72. | चक 5 क्यू |
| 46 | ,, 39 एच | 73 | ,, 7 डब्ल्यू |
| 47 | ,, 40 एचबी | 74 | ,, 6 क्यू बी |
| 48 | ,, 31 एचबी | 75 | ,, 6 क्यू ए |
| 49 | ,, 14 क्यू | 76 | ,, 7 क्यू |
| 50 | ,, 9 क्यू | 77 | ,, 8 क्यू |
| 51 | ,, 9 डब्ल्यू | 78 | ,, 11 क्यू बी |
| 52 | ,, 8 डब्ल्यू | 79 | ,, 15 क्यू |
| 53 | ,, 6 डब्ल्यू | 80 | ,, 16 क्यू |
| 54 | ,, 4 डब्ल्यू | 81 | ,, 17 क्यू |
| 55 | ,, 5 डब्ल्यू | 82 | ,, 13 क्यू |
| 56 | ,, 24 एफ | 83 | ,, 19 क्यू |
| 57 | ,, 22 एफ | 84 | ,, 24/25बी |
| 58 | ,, 20 एफ | 85 | ,, 6 एफए रोड़े वाला |
| 59 | ,, 21 एफ | 86 | ,, 45 एफ |
| 60 | ,, 1 एन | 87 | ,, 46 एफ |
| 61 | ,, 2 एन | 88 | ,, 44 एफ |
| 62 | ,, 5 एन | 89 | ,, 43 एफ |
| 63 | ,, 6 एन | 90 | ,, 36 एफ |
| 64 | ,, 23 एफ | 91 | ,, 11 क्यू ए |
| 65 | ,, 26 एफ | 92 | ,, 10 क्यू |
| 66 | ,, 27 एफ | 93 | ,, 2 क्यू |
| 67 | ,, 28 एफ | 94 | ,, 1 क्यू |
| 68 | ,, 25 एफ | 95 | ,, 35 एफ |
| 69 | ,, 1 एन | 96 | ,, 34 एफ |
| 70 | ,, 3 क्यू | 97 | ,, 32 एफ |
| 71 | ,, 4 क्यू | 98 | ,, 30 एफ |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 99 | चक 29 एफ | 126 | चक 6 एफ एफ |
| 100 | ,, 31 एफ | 127 | ,, 7 एफ एफ |
| 101 | ,, 35 एफ | 128 | ,, 8 एफ एफ |
| 102 | ,, 38 एफ | 129 | ,, 11 एफ एफ ए |
| 103 | ,, 39 एफ | 130 | ,, 10 एफ एफ |
| 164 | ,, 40 एफ | 131 | ,, 11 एफ एफ बी |
| 105 | ,, 41 एफ बी | 132 | ,, 51 एफ |
| 106 | ,, 41 एफ ए | 133 | ,, 54 एफ |
| 107 | ,, 42 एफ | 134 | ,, 2 एफ सी |
| 108 | ,, 1 एफ एफ | 135 | ,, 4 एफ सी |
| 109 | ,, 2 एफ एफ | 136 | ,, 58 एफ बी |
| 110 | ,, 47 एफ वी | 137 | ,, 5 एफ एफ ए |
| 111 | ,, 47 एफ बी | 138 | ,, 57 एफ |
| 112 | ,, 9 एफ ए | 139 | ,, 56 एफ |
| 113 | ,, 3 एफ बी | 140 | ,, 2 एफ एफ ए |
| 114 | ,, 50 एफ | 141 | ,, 4 एफ एफ ए |
| 115 | ,, 49 एफ | 142 | ,, मोटासर खुनी |
| 116 | ,, 48 एफ | 143 | ,, 1 एफ एफ ऐ |
| 117 | ,, 4 एफ एफ | 144 | ,, 20 एफ एफ |
| 118 | ,, 9 एफ एफ | 145 | ,, 19 एफ एफ |
| 119 | ,, 44 जी जी | 146 | ,, 15 एफ एफ |
| 120 | ,, 43 जी जी | 147 | ,, 16 एफ एफ |
| 121 | ,, 48 जी जी | 148 | ,, 17 एफ एफ |
| 122 | ,, 42 जी जी | 149 | ,, 14 एफ एफ ए |
| 123 | ,, 39 जी जी ए | 150 | ,, 14 एफ एफ बी |
| 124 | ,, 49 जी जी | 151 | ,, 13 एफ एफ |
| 125 | ,, 5 एफ एफ | 152 | ,, 52 जी जी |

(258)



| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 153 | चक 50 जी जी | 161 | चक 22 एच |
| 154 | ,, 2 एम एम धांगवाली | 162 | ,, 37 एफ |
| 155 | ,, 1 एम एम ताम्बी | 163 | ,, 1 एफ जी |
| 156 | ,, 2 टी मलकान | 164 | ,, 63 एफ |
| 157 | ,, 32 एच ए | 165 | ,, 39 जी जी |
| 158 | ,, 10 डब्लू | 166 | ,, 14 एस माजीवाला |
| 159 | ,, 18 एफ एफ | 167 | ,, 60 एफ |
| 160 | ,, 59 आर बी | | |

| क. सं. | ग्राम का नाम | क. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| तहसील श्री गंगानगर | | 25 | चक 2 एफ |
| 1 | श्री गंगानगर | 26 | ,, 1 जी |
| 2 | चक 9 एच | 27 | ,, 1 जे |
| 3 | ,, 8 एच | 28 | ,, 1 एच |
| 4 | ,, 7 एच | 29 | ,, 3 एच |
| 5 | ,, 6 एच | 30 | ,, 2 पी |
| 6 | ,, 1 क्यू | 31 | ,, 4 क्यू |
| 7 | ,, 5 एच | 32 | ,, 3 क्यू |
| 8 | ,, 4 एच | 33 | ,, 8 क्यू |
| 9 | ,, 2 एच | 34 | ,, 10 क्यू |
| 10 | ,, 7 बी | 35 | ,, 9 क्यू |
| 11 | ,, 7 बी | 36 | ,, 6 क्यू |
| 12 | ,, 2 बी | 37 | ,, 7 एफ |
| 13 | ,, 5 बी | 38 | ,, 4 पी |
| 14 | ,, 5 सी सुजावालपुर | 39 | ,, 5 पी |
| 15 | ,, 1 डी | 40 | ,, 3 एफ |
| 16 | ,, 10 क्यू ए | 41 | चक 4 एफ |
| 17 | ,, 5 बी | 42 | ,, 3 जे |
| 18 | ,, 3 डी | 43 | ,, 2 जी |
| 19 | ,, 2 डी | 44 | ,, 3 जी |
| 20 | ,, सरकास नहर ग्रोर की | 45 | ,, 4 जी |
| 21 | ,, 500 एल एन पी | 46 | ,, 2 ग्राई |
| 22 | ,, 1 ई | 47 | ,, 6 वाई |
| 23 | ,, 2 ई | 48 | ,, 9 वाई |
| 24 | ,, 1 एफ | 49 | ,, 5 एफ |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 50 | चक 6 एफ | 77 | कच 5 बी |
| 51 | ,, 11 वाई | 78 | ,, 14 एफ II |
| 52 | ,, 8 एफ | 79 | ,, 15 एफ I |
| 53 | ,, 9 एफ | 80 | ,, 15 एफ II |
| 54 | ,, 10 एफ | 81 | ,, 17 एफ |
| 55 | ,, 11 क्यू | 82 | ,, 3 एफ |
| 56 | ,, 12 क्यू | 83 | ,, 4 सी |
| 57 | ,, 14 क्यू | 84 | ,, 3 सी |
| 58 | ,, 13 क्यू | 85 | ,, 2 सी |
| 59 | ,, 13 एफ | 86 | ,, 11 जेड |
| 60 | ,, 12 एफ पृथ्वी राजपुरा | 87 | ,, 3 बी |
| 61 | ,, 11 एफ | 88 | ,, 9 जेड |
| 62 | ,, 2 के | 89 | ,, 7 जेड |
| 63 | ,, 8 वाई | 90 | ,, 1 बी |
| 64 | ,, 7 वाई | 91 | ,, 6 जेड |
| 65 | ,, 5 वाई | 91 | ,, 5 जेड |
| 66 | ,, 3 वाई | 93 | ,, 3 जेड |
| 67 | ,, 1 वाई | 94 | ,, 1 सी |
| 68 | ,, 1 डी | 95 | ,, 1 एम एल |
| 69 | ,, 3 डी | 96 | ,, 5 एल एन पी |
| 70 | ,, 2 एल एन पी | 97 | ,, 8 ,, |
| 71 | ,, 3 एल एन पी | 98 | ,, 10 , |
| 72 | ,, डी | 99 | ,, 9 ,, |
| 73 | ,, 2 डी | 100 | ,, 7 ,, |
| 74 | ,, 2 जेड | 101 | ,, 4 ,, |
| 75 | ,, 1 जेड | 102 | ,, 6 ,, |
| 76 | ,, 4 जेड | 103 | 15 एम एल |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 104 | चक 4 ई | 131 | चक 4 एम एल |
| 105 | ,, 2 ई | 132 | ,, 5 ई |
| 106 | ,, 3 ई | 133 | ,, 7 ई |
| 107 | ,, 6 ई | 134 | ,, 2 एम एल |
| 108 | ,, 1 ए | 135 | ,, 3 एम एल |
| 109 | ,, 3 ए | 136 | ,, 17 एम एल |
| 110 | ,, 6 जेड ए | 137 | ,, 16 एम एल |
| 111 | ,, 8 जेड | 138 | ,, 11 एल एन पी |
| 112 | ,, 10 जेड | 139 | ,, 12 ,, |
| 113 | ,, 12 जेड | 140 | ,, पट्टीरियां |
| 114 | ,, 13 जेड | 141 | ,, 5 ऐम एल |
| 115 | ,, 1 सी | 142 | ,, 4 एफ |
| 116 | ,, 16 जेड | 143 | ,, 2 जी II |
| 117 | ,, 18 जेड | 144 | ,, 2 जी I |
| 118 | ,, 19 जेड | 145 | ,, 3 जी |
| 119 | ,, 23 जेड | 146 | ,, 7 ए II |
| 120 | ,, 24 जेड | 147 | ,, 7 ए I |
| 121 | ,, 3 एम | 148 | ,, 10 ए |
| 122 | ,, 25 जेड | 149 | ,, 1 एच |
| 123 | ,, 22 जेड | 150 | ,, 3 एच |
| 124 | ,, 20 जेड | 151 | ,, 4 एच |
| 125 | ,, 17 जेड | 152 | ,, 5 एच |
| 126 | ,, 15 जेड | 153 | ,, 12 जी |
| 127 | ,, 6 ए | 154 | ,, 11 जी |
| 128 | ,, 5 ए | 155 | ,, 10 बी |
| 129 | ,, 3 एफ | 156 | ,, 9 जी |
| 130 | ,, 1 एफ | 157 | ,, 2 एच II |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 158 | चक 2 एच I | 185 | चक 34 जी जी |
| 159 | ,, वजी | 186 | ,, 30 जी जी |
| 160 | ,, 7 जी | 187 | ,, 10 एल एल |
| 161 | ,, 6 जी I | 188 | ,, 31 जी जी |
| 162 | ,, 6 जी II | 189 | ,, 4 एल एल |
| 163 | ,, 4 जी | 190 | ,, 7 एच एच |
| 164 | ,, 20 जी जी | 191 | ,, 5 एच एच |
| 165 | ,, 19 जी जी | 192 | ,, 4 ,, |
| 166 | ,, 18 जी जी | 193 | ,, 7 एम एल |
| 167 | ,, 1 जी | 194 | ,, 6 ,, |
| 168 | ,, 2 एच एच I | 195 | ,, 20 एम एल बी |
| 169 | ,, 18 एम एल | 196 | , 20 एम एल ए |
| 170 | ,, 501 एल एन पी | 197 | ,, 24 एन पी |
| 171 | ,, 15 ,, | 198 | ,, 15 एल एन पी II ए |
| 172 | ,, 19 एम एल | 199 | , 16 एल एन पी |
| 173 | ,, 1 एच एच | 200 | ,, 17 ,, |
| 174 | ,, 3 ,, | 201 | ,, 18 ,, |
| 175 | ,, 2 एल एल | 202 | ,, 21 एम एल |
| 176 | ,, 21 जी | 203 | ,, 22 एम एल |
| 177 | ,, 22 ,, | 204 | ,, 8 ,, |
| 178 | ,, 25 ,, | 205 | ,, 9 एच एच |
| 179 | ,, 26 ,, | 206 | ,, 11 ,, |
| 180 | ,, 27 ,, | 207 | ,, 1 बी बी |
| 181 | ,, 28 ,, | 208 | ,, 25 एम एल |
| 182 | ,, 29 ,, | 209 | ,, 24 ,, |
| 183 | ,, 16 जी | 210 | ,, 11 ,, |
| 184 | ,, 36 जी जी I | 211 | ,, 12 एच एच |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 212 | चक 9 एम एल | 218 | चक 4 बी ,, |
| 213 | ,, 10 ,, | 219 | ,, 4 सी बड़ीयोर की |
| 214 | ,, 23 एम एल | 220 | ,, 6 एच |
| 215 | ,, गणेशगढ़ | 221 | ,, 13 जी |
| 216 | ,, 23 एल एन पी | 222 | ,, 14 जी |
| 217 | ,, 3 बी पक्की | 223 | ,, 5 सी छोटी |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| तहसील पदमपुर | | 24 | चक 14 ,, |
| 1 | चक गंजसिंहपुर | 25 | ,, 3 सी सी |
| 2 | ,, माण्डीपदमपुर | 26 | ,, 2 ,, |
| 3 | ,, चक 9 डी डी | 27 | ,, 4 ,, |
| 4 | ,, चक 51 जी जी | 28 | ,, 6 ,, |
| 5 | , चक 8 एन एन ए | 29 | ,, 7 ,, |
| 6 | ,, 47 जी जी बी | 30 | ,, 20 बी बी III |
| 7 | ,, 47 जी जी ए | 31 | ,, 6 एन एन |
| 8 | ,, 5 एन एन | 32 | ,, 7 एन एन |
| 9 | ,, 4 ,, | 33 | ,, 1 डी डी |
| 10 | ,, 37 जी जी | 34 | ,, 2 ,, |
| 11 | ,, 2 एन एन | 35 | ,, 4 ,, |
| 12 | ,, 35 जी जी | 36 | ,, 6 ,, |
| 13 | ,, 33 ,, | 37 | ,, 7 ,, |
| 14 | ,, 1 सी सी | 38 | ,, 1 वी बी ए |
| 15 | ,, 13 बी बी | 39 | ,, 2 बी बी ए |
| 16 | ,, 11 बी बी | 40 | ,, 4 ,, |
| 17 | ,, 9 ,, (रातेवाला) | 41 | ,, 37 बी बी |
| 18 | , 2 बी बी | 42 | ,, 1 एफ एफ बी ए |
| 19 | ,, 3 के के | 43 | ,, 39 बी बी |
| 20 | ,, 5 के के | 44 | ,, 38 ,, |
| 21 | ,, 10 बी बी | 45 | ,, 36 ,, |
| 22 | ,, 12 ,, | 46 | ,, 35 ,, |
| 23 | ,, 15 ,, | 47 | ,, 5 बी बी ए |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 48 | चक 4 जे जे | 74 | चक 8 ,, |
| 49 | ,, 31 बी बी | 75 | ,, 5 आर बी |
| 50 | ,, 28 ,, | 76 | ,, 6 आर बी |
| 51 | ,, 2 जे जे | 77 | ,, 3 जे जे |
| 52 | ,, 27 बी बी | 78 | ,, 8 आर बी |
| 53 | ,, 25 बी बी | 79 | ,, 46 आर जी बी |
| 54 | ,, 21 बी बी | 80 | ,, 42 आर बी |
| 55 | ,, 19 बी बी | 81 | ,, 41 आर बी |
| 56 | ,, 18 ,, | 82 | ,, 40 आर बी |
| 57 | ,, 17 ,, | 83 | ,, 12 ई ई ए |
| 58 | ,, 3 ई ई | 84 | ,, 10 ,, |
| 59 | ,, 3 पी पी | 85 | ,, 3 ,, |
| 60 | ,, 1 के के | 86 | ,, चक हन्तपुरा |
| 61 | ,, 36 एल एन पी | 87 | ,, 29 एम एल |
| 62 | ,, चक नृसिंहपुरा बारनी | 88 | ,, 26 एम एल |
| 63 | ,, चक मुन्जुवास वाड़ी | 89 | ,, 39 एल एन पी |
| 64 | ,, चक 2 पी पी | 90 | ,, 38 ,, |
| 65 | ,, 5 पी पी बी | 91 | ,, बिजबायला |
| 66 | ,, 1 ई ई ए | 92 | ,, जीवनदेसर |
| 67 | ,, 4 ई ई ए | 93 | ,, 31 आर बी III |
| 68 | ,, 11 ,, | 94 | ,, 52 आर बी |
| 69 | ,, 13 ,, | 95 | ,, 50 ,, |
| 70 | ,, 14 ,, | 96 | ,, 2 पी एस |
| 71 | ,, 15 ,, | 97 | ,, 31 आर बी I |
| 72 | ,, 5 ,, | 98 | ,, 12 एम एल |
| 73 | ,, 7 ,, | 99 | ,, 27 ,, |
| | | 100 | ,, 60 एल एन पी रीदमालसर |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 101 | चक 83 एल एन पी | 111 | 3 एन एन |
| 102 | ,, 30 पी पी | 112 | ,, 45 आर बी |
| 103 | ,, 16 बी जी | 113 | ,, 8 एन आर बी |
| 104 | ,, 4 ई ई | 114 | ,, 2 के के |
| 105 | ,, 3 बी बी ए | 115 | ,, 5 सी सी |
| 106 | ,, 32 बी बी | 116 | ,, 3 डी डी |
| 107 | ,, 33 बी बी | 117 | ,, 6 बी डी |
| 108 | ,, 138 जी जी बी | 118 | ,, 4 के के |
| 109 | ,, 26 बी बी | 119 | ,, 38 आर बी |
| 110 | ,, 4 बी बी | 120 | ,, 3 बी बी |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| तहसील सादुलशहर | | 25 | ,, 16 ,, |
| 1 | ,, सादुल शहर | 26 | ,, 14 एस डी पी |
| 2 | चक 10 बी जी एस | 27 | ,, 13 ,, |
| 3 | ,, 5 बी जी एस | 28 | ,, 9 एल एल डी |
| 4 | ,, 4 बी एन डब्ल्यू | 29 | ,, 1 ,, |
| 5 | ,, 1 ,, | 30 | ,, 36 पी टी पी |
| 6 | ,, 30 के एस डी | 31 | ,, 31 ,, धोला |
| 7 | ,, 25 ,, पाटली | 32 | ,, 34 एम जे डी |
| 8 | , 21 के एस डी खठेरखेड़ा | 33 | ,, 2 एस डी पी |
| 9 | ,, 9 के ग्रार डबल्यू | 34 | ,, 4 ,, |
| 10 | ,, 5 एस डी एस | 35 | ,, 7 ,, |
| 11 | ,, 34 के एस डी | 36 | .. 9 एस डी पी |
| 12 | ,, 5 बी एन डब्ल्यू | 37 | ,, 2 एस पी एम |
| 13 | ,, 9 ,, | 38 | ,, 3 एस पी एम |
| 14 | ,, 10 , | 39 | ,, 4 एस पी एम |
| 15 | ,, 13 ,, | 40 | ,, 1 एस पी एम |
| 16 | ,, 14 ,, | 41 | ,, 42 एम एम के |
| 17 | ,, 10 एच डी एस | 42 | ,, 43 एम एम के |
| 18 | ,, 17 के ग्रार डब्ल्यु | 43 | ,, 41 एम एम के |
| 19 | , 8 एस डी एस | 44 | ,, 40 एम एम के |
| 20 | ,, 25 पी टी पी | 45 | ,, 22 पी टी पी (खेरुवाला) |
| 21 | ,, 30 पी टी पी परतपुरा | 46 | ,, 22 के एस डी (गोधराखेड़ा) |
| 22 | ,, 2 एल एल जी | 47 | ,, 13 एस डी एस |
| 23 | ,, 8 ,, | 48 | ,, 13 केग्रारडब्ल्यु (करडवाला) |
| 24 | ,, 13 ,, | 49 | ,, 26 पी टी पी |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 50 | ,, 24 पी टी पी | 56 | ,, 9 एसबीएस (सनाहावाला) |
| 51 | ,, 23 पी टी पी | 57 | ,, 8 बीजीएस (चक दुलरासन) |
| 52 | ,, 17 के एस डी | 58 | ,, 33 एम एम के |
| 53 | ,, 2 के आर डब्लु (नरपुरा) | 59 | ,, 38 ,, (खेड़ा किलाणवाली) |
| 54 | ,, 16 के एस डी (अलीपुर) | 60 | ,, 37 एम एम के |
| 55 | ,, 4 के आर डब्लु (अमरगढ़) | | |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| **तहसील सांगरिया** | | | |
| 1 | चक 4 एस टी पी | 25 | चक 19 ए एम पी (शापनी) |
| 2 | 2 एस टी पी | 26 | 15 ए एम पी (जन्दवालसिखान) |
| 3 | 21 एम जे डी | 27. | ए एम पी |
| 4 | 16 ए एम पी | 28 | 1 एन के आर (लम्बीधात) |
| 5 | मलरामपुरा (6 के एस डी) | 29 | 6 बी जी पी बी |
| 6 | घोलनगर (4 के एस डी) | 30 | 6 बी जी पी ए |
| 7 | दीनगढ़ (4 डी एन जी) | 31 | 2 एस एन जी |
| 8 | 2 ए एम पी | 32 | 3 एस एन जी |
| 9 | 1 पी टी पी (सन्तपुरा) | 33 | 13 बी जी पी |
| 10 | 3 पी टी पी | 34 | भगतपुरा (14 बी जी पी) |
| 11 | 5 एल डी जी (इन्द्रगढ़) | 35 | 17 बी जी.पी (बोलानवाली) |
| 12 | 9 पी टी पी | 36 | 11 डी एल पी (धोलीपाल) |
| 13 | 11 पी टी पी (किशनपुरा) | 37 | 7 एम जे डी |
| 14 | 12 पी टी पी | 38 | 10 एन टी डब्ल्यू (प्रतापनगर) |
| 15 | 14 पी टी पी | 39 | 8 एन टी डब्ल्यू (नथवाना) |
| 16 | 15 पी टी पी | 40 | 1 डी एल पी |
| 17 | 13 पी टी पी | 41 | 3 एल एल डब्ल्यू (लीलावाली) |
| 18 | 10 पी टी पी | 42 | 5 एन जी आर (नगराना) |
| 19 | 6 पी टी पी | 43 | 6 एन जी आर |
| 20 | 4 पी टी पी | 44 | 3 डी एल पी |
| 21 | 2 पी टी पी (मुकेरा) | 45 | 2 डी एल पी |
| 22 | हीरसिंहवाला (5 एन के आर) | 46 | 4 आर टी पी (रतनपुरा) |
| 23 | 17 एम जे डी | 47 | सांगरिया |
| | 22 ए एम पी | | |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| | **तहसील रायसिंह नगर** | | |
| 1 | रायसिंह नगर | 25 | 84 आर वी बी |
| 2 | चक 3 एफ डी | 26 | 85 आर बी |
| 3 | 1 एफ डी | 27 | 84 आर बी ए |
| 4 | 2 एफ डी | 28 | 83 आर बी |
| 5 | 7 एफ डी | 29 | 65 आर बी |
| 6 | 25 एफ एफ बी | 30 | 63 आर बी |
| 7 | 25 एफ एफ ए | 31 | 62 आर बी |
| 8 | 1 एफ एफ बी | 32 | 61 आर बी |
| 9 | 2 एफ एफ बी | 33 | 58 आर बी |
| 10 | 9 एफ एफ बी | 34 | 60 आर बी |
| 11 | 3 एफ एफ बी | 35 | 55 आर बी |
| 12 | 4 एफ एफ बी | 36 | 56 आर बी |
| 13 | 23 आर बी | 37 | 54 आर बी |
| 14 | 22 आर बी | 38 | 4 पी एस |
| 15 | 21 आर बी | 39 | 5 पी एस |
| 16 | 20 आर बी | 40 | 6 पी एस |
| 17 | 71 आर बी | 41 | 7 पी एस |
| 18 | 73 आर बी | 42 | 8 पी एस |
| 19 | 74 आर बी | 43 | 9 पी एस |
| 20 | 75 आर बी | 44 | 10 पी एस |
| 21 | 76 आर बी | 45 | 11 पी एस |
| 22 | 27 आर बी | 46 | 12 पी एस |
| 23 | 28 आर बी | 47 | 24 पी एस |
| 24 | 29 आर बी | 48 | 26 पी एस ए |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 49 | 79 आर बी ए | 76 | 2 एम के |
| 50 | 79 आर बी बी | 77 | 3 एम के |
| 51 | चक खातन | 78 | 5 एम के |
| 52 | 36 पी एस | 79 | 6 एम के बी |
| 53 | 35 पी एस | 80 | 7 एम के |
| 54 | 31 पी एस | 81 | 9 एम के |
| 55 | 35 पी एस | 82 | 2 टी के |
| 56 | 30 पी एस ए | 83 | 3 टी के |
| 57 | 28 पी एस | 84 | 6 टी के |
| 58 | 27 पी एस | 85 | 7 टी के |
| 59 | चक लखमीवाला | 86 | 10 टी के |
| 60 | 23 पी एस जी | 87 | 11 टी के |
| 61 | 25 पी एस | 88 | 4 टी के |
| 62 | 22 पी एस | 89 | 17 टी के |
| 63 | 21 पी एस | 90 | 16 टी के |
| 64 | 20 पी एस | 91 | 15 टी के |
| 65 | चक 19 पी एस | 92 | 14 टी के |
| 66 | 18 पी एस | 93 | 6 एम के ए |
| 67 | 17 पी एस | 94 | 4 एम के |
| 68 | 16 पी एस | 95 | 1 एम के बी |
| 69 | 15 पी एस | 96 | 1 एम के ए |
| 70 | 14 पी एस बी | 97 | 31 एम एल |
| 71 | 14 पी एस ए | 98 | 13 टी के |
| 72 | 3 पी एस | 99 | 9 एन पी |
| 73 | 13 पी एस | 100 | 9 चक ठन्डी |
| 74 | 14 एम एल | 101 | ठाकरी |
| 75 | 30 एम एल | 102 | बिशनपुरा |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 103 | चक 30 पी एस | 114 | चक 1 एल सी |
| 104 | 22 एन पी | 115 | 23 एफ एफ |
| 105 | 15 एन पी | 116 | 25 आर बी |
| 106 | चक करडवाली | 117 | 18 आर बी |
| 107 | 14 एन पी | 118 | 77 आर बी |
| 108 | 8 एन पी | 119 | 69 आर बी |
| 109 | 5 एन पी (डबला) | 120 | 67/68 आर बी |
| 110 | 13 एस ए डी | 121 | 66 आर बी |
| 111 | 1 एन पी डी | 122 | 64 आर बी |
| 112 | 2 एल सी | 123 | 1 टी के |
| 113 | हरीपुरा डावला | | |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. स. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| | तहसील सूरतगढ़ | | |
| 1 | चक 1 एस डी बी (3 एल सी व 4 एल सी) | 24 | 1 एल के एस |
| 2 | सरदारगढ़ बरानी | 25 | 5 एल के एस |
| 3 | सूरतगढ | 26 | 9 एल के एस (लाखासर) |
| 4 | 7 एच डी पी | 27 | 10 एल के एस |
| 5 | लाखासर (23 एम ओ डी I) | 28 | 12 एल के एस (भगवानगढ) |
| 6 | लाखासर (23 एम ओ डी II) | 29 | 6 एस जी आर |
| 7 | लाखासर 25 एम ओ डी | 30 | 14 एल जी डब्ल्यू (हरलिया) |
| 8 | 26 एम ओ डी बावन | 31 | 15 एल जी डब्ल्यू (लखमीसर) |
| 9 | 29 एम ओ डी | 32 | 16 पी बी एन |
| 10 | 31 एम ओ डी | 33 | 13 एल जी डब्ल्यू (सुन्दरसिंहवाला) |
| 11 | 5 डी बी एन (भगवानगढ) | 34 | 10 एल जी डब्ल्यू (सरनवाला) |
| 12 | 15 एल के एस (भगवानगढ़) | 35 | 14 पी बी एन |
| 13 | 16 एल के एस (लाखासर) | 36 | 9 एल जी डब्ल्यू |
| 14 | 22 एल जी डब्ल्यू (भगवानगढ) | 37 | 10 पी बी एन (कोसनवाला) |
| 15 | 13 एल के एस (भगवानगढ़) | 38 | 8 पी बी एन (सदसंगवाला) |
| 16 | 24 एम ओ डी (लाखासर) | 39 | 5 पी बी एन (पीलीबंगा) |
| 17 | 11 एल के एस (लाखासर) | 40 | 23 एस टी जी |
| 18 | 4 एल के एस | 41 | 9 पी बी एन (दलमानी) |
| 19 | 2 एल के एस हंसलिया | 42 | 11 पी बी एन (दलमानी) |
| 20 | 24 जे आर के (गोलूला) | 43 | 13 पी बी एन (लखवाली) |
| 21 | 22 जे आर के | 44 | 19 पी बी एन |
| 22 | 18 जे आर के | 45 | 20 पी बी एन |
| 23 | 9 एल जी डब्ल्यू | 46 | 21 पी बी एन (प्रेमपुरा) |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 47 | 22 पी बी एन (प्रेमपुरा) | 63 | मंकयेड़ी |
| 48 | 23 पी बी एन (प्रेमपुरा) | 64 | बड़ोपल (7 बी श्रार पी) |
| 49 | 10 एस पी डी (प्रेमपुरा) | 65 | श्रार डी 108000 |
| 50 | 12 एस पी डी (जाखड़वाली) | 66 | श्रार डी 90750 |
| 51 | मानकसर | 67 | 3 टी |
| 52 | 37 पी बी एन (मानकसर) | 68 | 3 पी डब्ल्यू एम (पंडितवाली) |
| 53 | 36 एस टी जी (रामपुरा) | 69 | 9 एस पी डी |
| 54 | 35 एस टी जी | 70 | सरदारपुरा खरता |
| 55 | 34 एस टी जी | 71 | करनीसर |
| 56 | 46 एस एस डब्ल्यू (कालीजंगा) | 72 | चकमारपुरा |
| 57 | 4 एन श्रार (निहालपुरा) | 73 | थेतर |
| 58 | 10 एन एस डब्ल्यू (लखवाली) | 74 | 17 एल जी डब्ल्यू |
| 59 | 32 एस टी जी (लोघाना) | 75 | 1 एस जी एम (खागनसर) |
| 60 | 1 बी श्रार पी (शरमसर) | 76 | 2 एस जी श्रार |
| 61 | रंगमहल | 77 | 2 एच डी पी |
| 62 | बरखेड़ | | |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| | **तहसील अनूपगढ़** | | |
| 1 | अनूपगढ़ | 23 | 37 जी बी |
| 2 | चक 4बी एल डी (बिलोचिया) | 24 | 31 जी बी |
| 3 | हवजाल | 25 | 32 जी बी |
| 4 | 74 जी बी | 26 | 33 जी बी |
| 5 | 75 जी बी | 27 | विजयनगर |
| 6 | 82 जी बी | 28 | 28 जी बी |
| 7 | 72 जी बी | 29 | 29 जी बी |
| 8 | 66 जी बी | 30 | 27 जी बी |
| 9 | 65 जी बी | 31 | 12 जी बी |
| 10 | 62 जी बी | 2 | 11 जी बी |
| 11 | 61 जी बी | 33 | 10 जी बी |
| 12 | 60 बी | 34 | 8 जी बी |
| 13 | 60 जी बी ए | 35 | 7 जी बी |
| 14 | 59 जी बी रामसिंहपुरा | 36 | 5 जी बी |
| 15 | 58 जी बी | 37 | 4 जी बी |
| 16 | 57 जी बी | 38 | 3 जी बी |
| 17 | 53 जी बी | 39 | बुगिया |
| 18 | 43 जी बी | 40 | मसाहनिवाला |
| 19 | 42 जी बी | 41 | 7 एल बी (शिशियावाला) |
| 20 | 41 जी बी | 42 | मेघावाली ढाणी |
| 21 | 36 जी बी | 43 | 1 जी बी (जैतसर) |
| 22 | 38 जी बी | 44 | 2 जी बी |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 45 | दौलताबाद | 52 | 24 जी बी |
| 46 | 2 जी बी ए (स्वरूपसर) | 53 | 23 जी बी |
| 47 | 6 जी बी | 54 | 25 जी बी |
| 48 | 9 जी बी | 55 | वरोरे |
| 49 | 14 जी बी | 56 | घरशाना |
| 50 | 21 जी बी | 57 | रावला |
| 51 | 22 जी बी | 58 | रोभड़ी |

| क. सं. | ग्राम का नाम | क. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| | **तहसील टीबी** | | |
| 1 | मालाखेड़ा (10 एम के एस) | 23 | 1 टी एल डब्ल्यू (तलवाड़ा) |
| 2 | सालेवाली (5 एम के एस) | 24 | 1 जी जी ग्रार |
| 3 | गुडियाबी गुडिया (1 एम के एस) | 25 | सीलवाला कला (1 जी जी ग्रार) |
| 4 | साबना (1 एस बी एन) | 26 | 5 जी जी ग्रार |
| 5 | 5 के एच ग्रार | 27 | 12 एस एल डब्ल्यू |
| 6 | 1 सी डी ग्रार (खरखेड़ा) | 28 | 3 के एम पी |
| 7 | 4 एफ टी पी (बासेर) | 29 | 16 एस एल डब्ल्यू (जलालबाद) |
| 8 | 12 एम के एस (दौलतपुरा) | 30 | 7 एस एल डब्ल्यू (सिलवाला खुर्द) |
| 9 | 3 एफ टी पी (गीलवाला) | 31 | 1 एस एल डब्ल्यू (बीरवाला) |
| 10 | 6 सी डी ग्रार (सलरानी) | 32 | 1 एम डी (महरवाला) |
| 11 | 7 सी डी ग्रार (कुलछन्देर) | 33 | 2 एम एस टी एस एम (धानी लूनावाली) |
| 12 | 16 सी डी ग्रार (चांदरवाड़ी) | 34 | 1 एम एस टी एसएम (मस्तानवाली) |
| 13 | 19 सी डी ग्रार (पीरकापरिया) | 35 | 11 डी बी एल (डाबली कला) |
| 14 | 18 एफ टी पी (पन्सेवाली) | 36 | 6 डी बी एल (डा ली खुर्द) |
| 15 | 4 एच एम एच (कमरानी) | 37 | 5 डी बी एल (डाबली खुर्द) |
| 16 | 19 जी जी ग्रार (शेरखान) | 38 | 3 ग्रार डब्ल्यू (रामसरा) |
| 17 | 12 सी डी ग्रार (सूरेवाला) | 39 | 13 डी बी एल (डाबलीकला) |
| 18 | 13 जी जी ग्रार (मसानी) | 40 | 14 डी बी एल (डाबलीकला) |
| 19 | 14 जी जी ग्रार (मालेमगढ़) | 41 | 12 ए जी (मिर्जावाला) |
| 20 | 6 जी जी ग्रार (टीबी) | 42 | 10 ए जी (छववाली) |
| 21 | 4 जी जी ग्रार | 43 | 11 ग्रार डब्ल्यू डी (बहरामपुरा) |
| 22 | 2 जी जी ग्रार (राथीखेड़ा) | | |

(278)



| क्र. सं | ग्राम का नाम | क्र.सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| | तहसील हनुमानगढ़ | | |
| 1 | हनुमानगढ़ | 25 | 21 एफ टी पी (धालिया) |
| 2 | चन्द्रा 1 के आर डब्ल्यू | 26 | 26 एफ टी पी (सुरमुखसिहवाला) |
| 3 | 24 एल एल डब्ल्यू (पक्कासरना) | 27 | 27 एफ टी पी (फतेहपुररोही) |
| 4 | 26 एल एल डब्ल्यू (बनवाला) | 28 | 2 एच एम एच (जम्बेर) |
| 5 | 19 जी आर के (पक्का भादवा) | 29 | 10 एस एस डब्ल्यू (गुरूसर) |
| 6 | 12 जे डी डब्ल्यू (फतेहमोहम्मद) | 30 | 19 एच एम एच (रामसरनारेम) |
| 7 | 9 जे डी डब्ल्यू (पक्कासराना) | 31 | 20 एच एम एच (गंगागढ़) |
| 8 | 6 जे डी डब्ल्यू | 32 | 6 एस एम एन (श्रीनगर) |
| 9 | 10 जे आर के (धानी कोवाली) | 33 | 1 डी बी एल (डाबलीवास मौलवी) |
| 10 | 4 जे डी डब्ल्यू (भण्डवाली) | 34 | 20 एस टी जी (चकभाना) |
| 11 | 14 एल एल डब्ल्यू (जोरकिया) | 35 | 18 एस टी जी (मसूरावाला) |
| 12 | 4 आर आर डब्ल्यू (रूदनवाली) | 36 | 37 एस एस डब्ल्यू (सहजीपुरा) |
| 13 | 7 जे आर के (डाबली वसरदरा) | 37 | 45 एस एस डब्ल्यू (वलोलनगर) |
| 14 | आर जे आर के (डावली वसमिन्दर) | 38 | 29 एस एस डब्ल्यू (फतेहगढ़) |
| 15 | 9 जी आर के (डावली कुतुब) | 39 | 2 एस एस डब्ल्यू (गुरूसर) |
| 16 | 11 जे आर के (डावली वासकोटा) | 40 | 32 एन डी आर |
| 17 | 14 जे आर के (डाबली वासपेवा) | 41 | 22 के एस पी (अरियानवाली) |
| 18 | 16 जी आर के (डावली वसचेनल) | 42 | 17 के एस पी (किशनपुरा-दीघण्डा) |
| 19 | 2 के एन जे (मक्कासर) | 43 | 12 एम डी (कुम्हारों की ढाणी) |
| 20 | 1 के एन जे (कुंजा) | 44 | 9 एम डी (मुन्डा) |
| 21 | 29 एफ टी पी (ज्वाला सिहवाला) | 45 | 6 एम डी (मुन्डा) |
| 22 | 28 एफ टी पी (सातीपुरा) | 46 | 5 एम डी (मुन्डा) |
| 23 | 24 एफ टी पी (महारसिहवाला) | 47 | 7 एम डी (मुन्डा) |
| 24 | 24 एफ टी पी (नवा) | 48 | 3 एम डब्ल्यू (हरीपुरा) |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 49 | 8 एम डी (मुन्डा) | 62 | 3 एच एल एम (जोरावरपुरा) |
| 50 | 10 एम डी (कुम्हारों की ढाणी) | 63 | 9 आर पी (रणजीतपुरा) |
| 51 | 13 एम डी (कुम्हारों की ढाणी) | 64 | 8 आर पी (रणजीतपुरा) |
| 52 | 12 एम डी आर | 65 | 16 ए जी (गोमपुरा) |
| 53 | 23 एम डी आर | 66 | 10 आर डब्ल्यू डी (खेरवाला) |
| 54 | 2 सी (छोलरवाली) | 67 | 14 के एस पी |
| 55 | 1 एम डब्ल्यू एम (आदर्शनगर) | 68 | 13 के एस पी |
| 56 | 15 एन डी आर (ढाणी माटोरिया) | 69 | 16 एम डी |
| 57 | 8 एन डी आर (मोहनगरिया) | 70 | 9 एस एस डब्ल्यू |
| 58 | 1 आर पी (मोहनगरिया) | 71 | 7 एस एस डब्ल्यू |
| 59 | 3 आर पी (मीनावाली) | 72 | 26 एस एस डब्ल्यू |
| 60 | 14 एन डी आर (नोरंगदेसर) | 73 | 25 एफ टी पी |
| 61 | 5 एम डब्ल्यू एम (शेरगढ) | | |

(280)



| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| | तहसील नोहर | | |
| 1 | रावतसर | 25 | जोगियासना |
| 2 | कोलासर | 26 | सोन्धी |
| 3 | नोहर | 27 | किरकाली |
| 4 | छब्या | 28 | असरचा |
| 5 | कानवारी | 29 | गन्देली |
| 6 | सरदारपुरा | 30 | दसूवाली |
| 7 | बुदालिया | 31 | हीरवाल |
| 8 | थलरका | 32 | किरकालिया |
| 9 | टोपरीयान | 33 | नीलाखी |
| 10 | मगवान | 34 | नैनउ |
| 11 | देदास | 35 | मुन्सारी |
| 12 | बोखरखा | 36 | बीरकाली |
| 13 | पिचकारी | 37 | बदवीरना |
| 14 | ढानी अरियान | 38 | गोगामेढी |
| 15 | रामसरा | 39 | नगरासारी |
| 16 | जासना | 40 | पाण्डूसर |
| 17 | फेफाना | 41 | ललानिया |
| 18 | गुड़िया | 42 | खेरसूनी |
| 19 | पारेवाला | 43 | सोरानी |
| 20 | रामगढ़ | 44 | रातूसर |
| 21 | पारलिका | 45 | रतनपुरा |
| 22 | छोटी पाचरी | 46 | चरणाअसी |
| 23 | सोलीवाडी | 47 | धन्धेला |
| 24 | दीपलानी | 48 | उजालवास |

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | क्र. सं. | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |

तहसील भादरा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | भादरा | 17 | मुन्शारी |
| 2. | नेयारिया | 18 | डूंगरान |
| 3 | गन्दीवाड़ी | 19 | राजपुरा |
| 4 | सखवाला | 20 | ढोनी |
| 5 | जनाना | 21 | रामगरिया |
| 6 | मैनराना | 22 | जोगीवाला |
| 7 | चनेबाड़ी बरान | 23 | अजीतपुरा |
| 8 | बरान | 24 | भलगवा |
| 9 | अडरान | 25 | कलाना |
| 10 | जूनसर | 26 | किरडा बड़ा |
| 11 | वैर | 27 | किरडा छोटा |
| 12 | निनान | 28 | रामवास |
| 13 | मलखेड़ा | 29 | अनुपशहर |
| 14 | मलखेड़ा सनेरपुरा | 30 | डाबरी |
| 15 | नेनगल | 31 | सरडा |
| 16 | गणेशपुरा | | |

## सूची (ब)

### जिला श्री गंगानगर में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची

| क्र. सं. | हरिजन बस्ती/गांव का नाम | | तहसील | जिला | विद्युतीकरण की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | हरिजन बस्ती | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | 31/3/73 |
| 2 | ,, | | ,, | ,, | 31/3/83 |
| 3 | ,, | सादुलशहर | सादुलशहर | ,, | 25/3/72 |
| 4 | ,, | ,, | ,, | ,, | 25/3/72 |
| 5 | ,, | ,, | ,, | ,, | 25/3/72 |
| 6 | ,, | दौलतपुरा | श्रीगंगानगर | ,, | 26/9/75 |
| 7 | ,, | राय सिंहनगर | रायसिंहनगर | ,, | 30/3/72 |
| 8 | ,, | ,, | ,, | ,, | 30/3/72 |
| 9 | ,, | ,, | ,, | ,, | 30/3/72 |
| 10 | ,, | ,, | ,, | ,, | 30/3/72 |
| 11 | ,, | ,, | ,, | ,, | 30/3/72 |
| 12 | ,, | करणपुर | करणपुर | ,, | 30/9/72 |
| 13 | ,, | ,, | ,, | ,, | 30/9/72 |
| 14 | ,, | गजसिंहपुर | पदमपुर | ,, | 30/9/72 |
| 15 | ,, | विजयनगर | अनुपगढ़ | ,, | 1/10/75 |
| 16 | ,, | केशरीसिंहपुर | करणपुर | ,, | 30/9/75 |
| 17 | ,, | अनुपगढ़ | अनुपगढ़ | ,, | 31/3/77 |
| 18 | ,, | जैतसर | ,, | ,, | 14/1/61 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | हरिजन बस्ती | 19 एच | करणपुर | श्रीगंगानगर | 30/6/64 |
| 20 | ,, | 7 जी.बी. | अनुपगढ़ | ,, | 21/1/63 |
| 21 | ,, | 2 जी.बी. | ,, | ,, | 25/2/63 |
| 12 | ,, | रिडमलसर | पदमपुर | ,, | 23/4/64 |
| 23 | ', | बरिंगा | करणपुर | ,, | 28/3/69 |
| 24 | ,, | 24 जी.बी. | अनुपगढ़ | ,, | 31/3/65 |
| 25 | ,, | डाबला | रायसिंहनगर | ,, | 31/3/72 |
| 26 | ,, | 26 एच | करणपुर | ,, | 29/3/72 |
| 27 | ,, | 43 जी जी | ,, | ,, | 16/3/81 |
| 28 | ,, | 12 एच | ,, | ,, | 12/3/81 |
| 29 | ,, | वार्ड नं. 9 चक 30 | जीजी गंगानगर | ,, | फरवरी 81 |
| 30 | ,, | ,, 5 | ,, | ,, | फरवरी 81 |
| 31 | ,, | चक 5 बी.जे.एच | सादुलशहर | ,, | फरवरी 81 |
| 32 | ,, | चक 13 एस.डी.पी. | ,, | ,, | फरवरी 81 |
| 33 | ,, | चक 7 डब्ल्यू | करणपुर | ,, | 30/9/81 |
| 34 | ,, | चक 32 एफ | ,, | ,, | 30/9/81 |
| 35 | ,, | चक 27 एफ | ,, | ,, | 27/2/82 |
| 36 | ,, | चक 4 सी सी | पदमपुर | ,, | 28/3/82 |
| 37 | ,, | चक 7 ए I | श्रीगंगानगर | ,, | 30/4/81 |
| 38 | ,, | चक 7 ए II | ,, | ,, | 30/4/81 |
| 39 | ,, | चक 17 जेड | ,, | ,, | 30/3/82 |
| 40 | ,, | चक 19 जेड | ,, | ,, | 30/3/82 |
| 41 | ,, | चक 18 जेड | ,, | ,, | 30/3/82 |

284



| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | हरिजन वस्ती | चक 3 ई ई | पदमपुर | श्रीगंगानगर | 29/3/82 |
| 43 | ,, | चक 29 एफ | करणपुर | ,, | 3/2/83 |
| 44 | ,, | खटलवाना | श्रीगंगानगर | ,, | 30/9/82 |
| 45 | ,, | चक 5 सी | ,, | ,, | 15/3/83 |
| 46 | ,, | मटिली राठान | ,, | ,, | 24/3/83 |
| 47 | ,, | चक 5 जी | ,, | ,, | 27/7/82 |
| 48 | ,, | चक 3 एच | ,, | ,, | 31/12/82 |
| 49 | ,, | चक 1 एफ | ,, | ,, | 24/3/83 |
| 59 | ,, | वा. नं. 1 सादुलशहर | सादुलशहर | ,, | 22/1/83 |
| 51 | ,, | जेतसर | अनुपगढ़ | ,, | 28/2/83 |
| 52 | ,, | विजयनगर | ,, | ,, | 24/3/83 |
| 53 | ,, | चक महाराज का | श्रीगंगागनर | ,, | 80/81 |
| 54 | ,, | चक 18 बी जी एस | सादुलशहर | ,, | 80/81 |
| 55 | ,, | चक 5 बी जी एस | ,, | ,, | 80/81 |
| 56 | ,, | 13 वी एन डब्ल्यू | ,, | ,, | 80/81 |
| 57 | ,, | बाथकलां | ,, | ,, | 80/81 |
| 58 | ,, | गणेशगढ़ | ,, | ,, | 80/81 |
| 59 | ,, | डूंगरसिंहपुरा | ,, | ,, | 80/81 |
| 60 | ,, | 1 बी बी | पदमपुरा | ,, | 80/81 |
| 61 | ,, | 11 व 9 एच एच | श्रीगंगानगर | ,, | 80/81 |
| 62 | ,, | 6 जी II | ,, | ,, | 80/81 |
| 63 | ,, | 3 जी I | ,, | ,, | 80/81 |
| 64 | ,, | चुनावढ़ | ,, | ,, | 80/81 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | हरिजन बस्ती | 4 एम एल | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | 80/81 |
| 66 | ,, | मिर्जावाला | ,, | ,, | 81/82 |
| 67 | ,, | दौलतपुरा | ,, | ,, | 81/82 |
| 68 | ,, | मढेरा | ,, | ,, | 81/82 |
| 69 | ,, | चक 4 एच | ,, | ,, | 81/82 |
| 70 | ,, | चक 16 जेड | ,, | ,, | 81/82 |
| 71 | ,, | चक 18 जेड | ,, | ,, | 81/82 |
| 72 | ,, | चक 19 जेड | ,, | ,, | 81/82 |
| 73 | ,, | चक 23 जेड | ,, | ,, | 81/82 |
| 74 | ,, | कालिया | ,, | ,, | 81/82 |
| 75 | ,, | खटलवाना | ,, | ,, | 81/82 |
| 76 | ,, | चक 3 डी | ,, | ,, | 81/82 |
| 77 | ,, | चक 13 क्यू | ,, | ,, | 81/82 |
| 78 | ,, | चक 12 क्यू | ,, | ,, | 81/82 |
| 79 | ,, | चक 13 क्यू | ,, | ,, | 81/82 |
| 80 | ,, | चक 2 पी | श्रीगंगानगर | ,, | 81/82 |
| 81 | ,, | चक 5 एच | ,, | ,, | 81/82 |
| 82 | ,, | सादुलशहर | सादुलशहर | ,, | 81/82 |
| 83 | ,, | लालगढ़ | ,, | ,, | 81/82 |
| 84 | ,, | चक 36 पी टी पी | ,, | ,, | 81/82 |
| 85 | ,, | 13 एस डी पी | ,, | ,, | 81/82 |
| 86 | ,, | 1 बी एन डब्ल्यू | ,, | ,, | 81/82 |
| 87 | ,, | 4 बी एन डब्ल्यू | ,, | ,, | 81/82 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | हरिजन बस्ती | 14 एस डी पी | सादुलशहर | श्रीगंगानगर | 81/82 |
| 89 | ” | 16 एल एल जी | ” | ” | 81/82 |
| 90 | ” | 1 एस पी एम | ” | ” | 81/82 |
| 91 | ” | 45 एम एम के | ” | ” | 81/82 |
| 92 | ” | 2 एस पी एम | ” | ” | 81/82 |
| 93 | ” | 4 एस डी पी | ” | ” | 81/82 |
| 94 | ” | पाटली | ” | ” | 81/82 |
| 95 | ” | खेरुवाला | श्रीगंगानगर | ” | 81/82 |
| 96 | ” | डोला | सादुलशहर | ” | 81/82 |
| 97 | ” | प्रतापपुरा | ” | ” | 81/82 |
| 98 | ” | सामर खेरा | श्रीगंगानगर | ” | 81/82 |
| 99 | ” | बीजवायला | पदमपुर | ” | 81/82 |
| 100 | ” | घुमरवाली | ” | ” | 81/82 |
| 101 | ” | 3 ई ई ए | ” | ” | 81/82 |
| 102 | ” | 10 ई ई ए | ” | ” | 81/82 |
| 103 | ” | 11 ई ई ए | ” | ” | 81/82 |
| 104 | ” | 13 ई ई ए | ” | ” | 81/82 |
| 105 | ” | 14 ई ई ए | ” | ” | 81/82 |
| 106 | ” | 5 पी पी बी | ” | ” | 81/82 |
| 107 | ” | चक 11 जेड | श्रीगंगानगर | ” | 81/82 |
| 108 | ” | 2 बी छोटा | ” | ” | 81/82 |
| 109 | ” | 5 बी छोटा | ” | ” | 81/82 |
| 110 | ” | 1 सी छोटा | ” | ” | 81/82 |
| 111 | ” | 2 सी छोटी | ” | ” | 81/82 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | हरिजन बस्ती | 3 सी छोटी | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | 81/82 |
| 113 | " | 4 सी छोटी | " | " | 81/82 |
| 114 | " | चक 3 एफ | " | " | 81/82 |
| 115 | " | चक 7 ए I | " | " | 81/82 |
| 116 | " | चक 7 ए I | " | " | 81/82 |
| 117 | " | चक 6 एम | " | " | 31/3/79 |
| 118 | " | चक 5 एम | " | " | 31/3/79 |
| 119 | " | चक 44 जी जी | " | " | 30/11/79 |
| 120 | " | चक 52 जी जी | " | " | 30/11/79 |
| 121 | " | चक 49 जी जी ए | करणपुर | " | 10/7/79 |
| 122 | " | चक 18 एफ | " | " | 27/9/79 |
| 123 | " | चक 56 एफ | " | " | 15/6/80 |
| 124 | " | चक 40 एच वी | " | " | 30/10/80 |
| 125 | " | चक 39 एच | " | " | 31/10/80 |
| 126 | " | चक 43 सी सी | पदमपुर | " | 31/3/79 |
| 127 | " | चक 50 आर बी | " | " | 31/3/79 |
| 128 | " | चक 8 एन एन | " | " | 30/6/79 |
| 129 | " | चक 6 एन एन | " | " | 10/7/79 |
| 130 | " | चक 7 सी सी | " | " | 10/7/79 |
| 131 | " | चक 46 आर बी बी | " | " | 24/2/79 |
| 132 | " | चक हनुतपुरा | " | " | 30/3/80 |
| 133 | " | चक 33 जी जी | " | " | 31/5/80 |
| 134 | " | चक 35 जी जी | " | " | 31/5/80 |

288



| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | हरिजन वस्ती | चक 10 पी एस | रायसिंहनगर | श्रीगंगानगर | 26/2/79 |
| 136 | " | चक 21 आर बी | " | " | 31/3/79 |
| 137 | " | चक 20 आर बी | " | " | 20/4/69 |
| 138 | " | चक 23 आर बी | " | " | 20/4/79 |
| 139 | " | चक 85 | " | " | 31/3/79 |
| 140 | " | चक 83 आर बी | " | " | 28/2/79 |
| 141 | " | चक 84 आर बी बी ए | " | " | 28/2/79 |
| 142 | " | चक 83 आर बी | " | " | 28/2/79 |
| 143 | " | चक 46 पी एस | " | " | 22/6/79 |
| 144 | " | चक 6 पी एस | " | " | 21/3/79 |
| 145 | " | चक 13 पी एस | " | " | 31/2/79 |
| 146 | " | चक 6 एम के | " | " | 2/4/79 |
| 147 | " | चक 3 टी के | " | " | 29/6/79 |
| 148 | " | चक 6 टी के | " | " | 27/7/79 |
| 149 | " | चक 4 टी के | " | " | 29/7/82 |
| 150 | " | चक 7 टी के | " | " | 8/9/80 |
| 151 | " | चक 6 एम के बी | " | " | 15/10/80 |
| 152 | " | लिखमेवाला | " | " | 10/10/80 |
| 153 | " | सतभण्डा | " | " | 3/10/80 |
| 154 | " | चक 84 आर बी | " | " | 11/11/80 |
| 155 | " | चक 83 आर बी | " | " | 11/12/80 |
| 156 | " | चक 18 पी एस | " | " | 11/12/80 |
| 157 | " | रायसिंहनगर | " | " | 3/1/79 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | हरिजन बस्ती | रायसिंहनगर | रायसिंहनगर | श्रीगंगानगर | 12/12/80 |
| 159 | ,, | चक 11 टी के | ,, | ,, | 12/11/80 |
| 160 | ,, | ठाकरी | ,, | ,, | 12/12/80 |
| 161 | ,, | चक 72 जी जी | अनूपगढ़ | ,, | 1/2081 |
| 162 | , | चक 32 जीवी | ,, | ,, | 1/2/81 |
| 163 | ,, | अनूपगढ़ | ,, | ,, | 1/2/81 |
| 164 | ,, | बिजयनगर | ,, | ,, | 1/2/81 |
| 165 | ,, | शिवपुरी | ,, | ,, | 1/2/81 |
| 166 | ,, | सांगरिया | सांगरिया | ,, | 31/3/83 |
| 167 | धानका बस्ती | ,, | ,, | ,, | 31/3/83 |
| 168 | हरिजन बस्ती | 5 जीजीग्रार | हनुमानगढ़ | ,, | मार्च" 83 |
| 169 | ,, | वार्ड नं0 5 | ,, | ,, | 15/3/83 |
| 170 | | 9 | ,, | ,, | 15/3/83 |
| 171 | ,, | सापिनी | ,, | ,, | पुराना |
| 172 | ,, | डाबली वास मोलवी | ,, | ,, | विद्युतिकृत |
| 173 | ,, | , | ,, | ,, | ,, |
| 174 | ,, | चन्द्रा | ,, | ,, | ,, |
| 175 | ,, | हरीपुरा | ,, | ,, | ,, |
| 176 | ,, | लाडवाली | ,, | , | मार्च 82 |
| 177 | ,, | कुम्मारों की ढाणी | ,, | ,, | ,, |
| 178 | ,, | 1 जीजीग्रार | ,, | ,, | मार्च" 83 |
| 179 | ,, | ,, | ,, | ,, | मार्च 83 |
| 180 | ,, | नोरंगदेसर | ,, | ,, | मार्च 83 |
| 181 | ,, | मिर्जावाली | टीबी | ,, | पु. विद्युतिकृत |

(298)



| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | हरिजन बस्ती | मोमपुरा | टीबी | श्रीगंगानगर | पु. विद्युतिकृत |
| 183 | ,, | टीबी | ,, | ,, | सितम्बर" 82 |
| 184 | ,, | वार्ड नं. 15 सूरतगढ़ | सूरतगढ़ | ,, | पु. विद्युतिकृत |
| 185 | ,, | मादरा | मादरा | ,, | 28/12/78 |
| 186 | ,, | वार्ड नं. 6 मादरा | ,, | ,, | 31/3/72 |
| 187 | ,, | ,, | ,, | ,, | 8/5/72 |
| 188 | ,, | ,, | ,, | ,, | 28/10/78 |
| 189 | ,, | वार्ड नं. 3 मादरा | ,, | ,, | 28/10/78 |
| 190 | ,, | वार्ड नं. 1 मादरा | ,, | ,, | 31/3/76 |
| 191 | ,, | वार्ड नं. 8 मादरा | ,, | ,, | 8/5/72 |
| 192 | ,, | वार्ड नं. 5 मादरा | ,, | ,, | 8/5/72 |
| 193 | ,, | जोगियासन, जोगियासन | ,, | ,, | 1/10/75 |
| 194 | ,, | किराडा बड़ा | ,, | ,, | 1/10/75 |
| 195 | ,, | छानी बड़ी | ,, | ,, | 1/4/79 |
| 196 | मोचियान मो. | वार्ड नं. 7 | ,, | ,, | 29/11/79 |
| 197 | हरिजन बस्ती | वार्ड नं. 15 | ,, | ,, | 29/11/79 |
| 198 | ,, | वार्ड नं. 13 | ,, | ,, | 31/3/76 |
| 199 | ,, | वार्ड नं. 7 | ,, | ,, | 7/2/77 |
| 200 | ,, | वार्ड नं. 8 | ,, | ,, | 7/2/77 |
| 201 | ,, | वार्ड नं. 6 | ,, | ,, | 7/2/77 |
| 202 | ,, | वार्ड नं. 5 | ,, | ,, | 7/2/77 |
| 203 | ,, | वार्ड नं. 5 | ,, | ,, | 7/2/77 |
| 204 | ,, | वार्ड नं. 3 मादरा | ,, | ,, | 31/3/76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | हरिजन बस्ती रामगडिया भादरा | भादरा | श्रीगंगानगर | 22/11/79 |
| 206 | ,, मालडेरा भादरा | ,, | ,, | 31/3/82 |
| 207 | ,, भांसल भादरा | ,, | ,, | 31/3/82 |
| 208 | ,, डूंगरान भादरा | ,, | ,, | 31/3/82 |
| 209 | ,, मेहराना भादरा | ,, | ,, | 31/3/83 |
| 210 | ,, वार्ड नं. 10 अजीतपुरा | ,, | ,, | 31/3/83 |
| 211 | ,, वार्ड नं. 1 अजीतपुरा | ,, | ,, | 31/3/83 |
| 212 | ,, जनाना अजीतपुरा | ,, | ,, | 31/3/83 |
| 213 | ,, वार्ड नं: 1 नोहर | नोहर | ,, | 28/12/70 |
| 214 | ,, वार्ड नं. 2 नोहर | ,, | ,, | 31/3/72 |
| 215 | ,, वार्ड नं. 11 नोहर | ,, | ,, | 31/2/72 |
| 216 | ,, वार्ड नं. 11 नोहर | ,, | ,, | 8/9/72 |
| 217 | ,, वार्ड नं. 11 नोहर | ,, | ,, | 8/9/72 |
| 218 | ,, वार्ड नं. 11 नोहर | ,, | ,, | 28/12/78 |
| 219 | ,, जवालसिंह वाला | हनुमानगढ़ | ,, | जनवरी" 84 |
| 220 | ,, वार्ड नं. 1 गोड़ | ,, | ,, | जनवरी" 84 |
| 221 | ,, तलवाड़ा झील | टीबी | ,, | जनवरी" 84 |
| 222 | ,, रणजीतपुरा | हनुमानगढ़ | ,, | जनवरी" 84 |
| 223 | ,, चक 13 डी एच जे डाबलीकलान | टीबी | ,, | जनवरी" 84 |
| 224 | ,, वार्ड नं. 12 रावतसर | नोहर | ,, | जनवरी" 84 |
| 225 | ,, वार्ड नं. चक 9 जे डब्ल्यूएस हनुमानगढ़ | | , | जनवरी" 84 |

(292)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | हरिजन बस्ती वार्ड नं. 7 चक 24 एल एन डब्ल्यू | हनुमानगढ़ | श्रीगंगानगर | जनवरी" 84 |
| 227 | ,, वार्ड नं. 13 चक 2 पीबीएन | ,, | ,, | जनवरी" 84 |
| 228 | ,, वार्ड नं. 6 डाबलीवास कुतब | ,, | ,, | जनवरी" 84 |
| 229 | ,, वार्ड नं. 10 व 7 गजसिंहपुर ,, | पदमपुर | , | जनवरी" 84 |
| 230 | ,, पुरानी आबादी | गंगानगर | ,, | 26/6/83 |
| 231 | ,, चक 1 डीडी | पदमपुर | ,, | 26/7/83 |
| 232 | ,, चक 2 डीडी | पदमपुर | ,, | 26/7/83 |
| 233 | धानका मो. बला सी ब्लाक जेतसर | अनूपगढ़ ,, | ,, | 31/1/84 |
| 234 | ,, थण्डी | रायसिंहनगर | ,, | 31/1/84 |
| 235 | रेगर बस्ती 2 एफसी मुकाम फायूसर, | करणपुर | ,, | 31/1/84 |
| 236 | ,, 2 एच एज-1 नेतावाली | श्रीगंगानगर | ,, | फरवरी 84 |
| 237 | ,, 21 जीजी बुरजवाली | ,, | ,, | फरवरी 84 |
| 238 | ,, वार्ड नं. 8 व 9 धानका मो. सादुलशहर | सादुलशहर | ,, | फरवरी 84 |
| 239 | ,, चक 19 एफएफ मोटासर खूनी | करणपुर | ,, | फरवरी 84 |
| 240 | ,, 7 बी हिन्दुमल कोट | श्रीगंगानगर | ,, | मार्च" 84 |
| 241 | हरिजन बस्ती 43 एम एम के मौखण्डा सियान | सादुलशहर | ,, | मार्च 84 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | हरिजन बस्ती | 1 बी एन डब्ल्यू हाकमबाद | सादुलशहर | श्रीगंगानगर | मार्च 84 |
| 243 | " | 46 आर बी बी राजपुरा | पदमपुर | " | मार्च 84 |
| 244 | " | चक 6 डब्ल्यू | करणपुर | " | मार्च 84 |
| 245 | " | चक 31 एम एल | रायसिंहनगर | " | मार्च 84 |
| 246 | " | चक 1 एम एल ए उपसार | " | " | मार्च 84 |
| 247 | " | चक 2 बी बी | अनूपगढ़ | " | मार्च 84 |
| 248 | " | नृसिंहपुर | पदमपुर | " | मार्च 84 |
| 249 | " | वा. नं. 10 अजीतपुरा | भादरा | " | अप्रेल 83 |
| 250 | " | वा. नं 9 अजीतपुरा | " | " | अप्रेल 83 |
| 251 | " | अनुपशहर | " | " | मार्च 84 |
| 252 | " | पुराना अनुपशहर | " | " | मार्च 84 |
| 253 | " | साँसी बस्ती अनुपशहर | " | " | मार्च 84 |
| 254 | " | नीनाण | " | " | मार्च 84 |
| 255 | " | चक 20 एच | श्रीकरणपुर | " | जुलाई 84 |
| 256 | " | मोटासर खनी | " | " | 31/8/84 |
| 257 | " | चक 2 डबल्यू | " | " | 31/8/84 |
| 258 | " | चक 43 पी पी | " | " | 31/8/84 |
| 259 | " | 3 एफ डी | " | " | सितम्बर 84 |
| 260 | " | 60 ए | " | " | सितम्बर 84 |
| 261 | " | कालानी | " | " | सितम्बर 84 |
| 262 | " | नायक मोहल्ला | " | " | नवम्बर 84 |

(294)



| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | हरिजन बस्ती | वार्ड नं. 7 | श्रीकरणपुर | श्रीगंगानगर | नवम्बर 84 |
| 264 | " | वार्ड नं. 9 | " | " | नवम्बर 84 |
| 265 | " | वार्ड नं. 10 | " | " | नवम्बर 84 |
| 266 | " | वार्ड नं. 1 | " | ' | नवम्बर 84 |
| 267 | " | वार्ड नं. 2 | " | " | नवम्बर 84 |
| 268 | " | वावरिया मोहल्ला | " | " | नवम्बर 84 |
| 269 | " | नायक मोहल्ला | " | " | नवम्बर 84 |
| 270 | " | वार्ड नं. 5 | " | ' | नवम्बर 84 |
| 271 | " | वार्ड नं. 7 | " | " | नवम्बर 84 |
| 272 | ' | वार्ड नं. 8 | " | " | नवम्बर 84 |
| 273 | " | चक 42 | " | ' | 25/1/85 |
| 274 | ' | मथावाला | " | " | 25/1085 |
| 275 | " | चक 16 ओ | " | " | 25/2/85 |
| 276 | " | अफेबी मोहल्ला | " | " | 31/12/84 |
| 277 | " | चक 9 ओ | " | " | 25/2/85 |
| 278 | " | चक 7 एस | " | " | 25/2/85 |
| 279 | " | चक 9 एफ एफ | " | " | 25/2/85 |
| 280 | ' | चक 17 ओ | " | " | 25/2/85 |
| 281 | " | चक 3 डी | ' | " | 25/2/85 |
| 282 | " | चक 2 एफ एस | " | " | 25/2/85 |
| 283 | " | चक 16/17 एच | " | " | 25/2/85 |
| 284 | " | चक 27 एच | " | " | 25/2/85 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 | हरिजन बस्ती | चक 33 एच | श्री करणपुर | श्रीगंगानगर | 25/2/75 |
| 386 | " | चक 10 ग्रो बी | " | " | 25/2/85 |
| 287 | " | चक 25 एच | " | " | 25/2/85 |
| 288 | " | चक 20 एफ | " | " | 25/2/85 |
| 289 | " | चक 16 एफ एफ | " | " | 25/2/85 |
| 290 | " | चक 12 ग्रो ग्रो | " | " | 25/2/85 |
| 291 | " | चक 24/25 ग्रो | " | " | 25/2/85 |
| 292 | " | चक 6 एफ ए | " | " | 25/2/85 |
| 293 | " | चक 27 एफ | " | " | 25/2/85 |
| 294 | " | चक 15 ग्रो | " | " | 25/2/85 |
| 295 | " | चक 4 एफ एफ ए | " | " | 25/2/85 |
| 296 | " | चक 20 एफ एफ | " | " | 25/2/85 |
| 297 | " | चक 25 एफ एफ एच | " | " | 25/2/85 |
| 298 | " | नायक मोहल्ला | " | " | 15/2/85 |
| 299 | " | बाजीगर मोहल्ला वार्ड नं. 8 | सादुलशहर | " | 21/8/84 |
| 300 | " | धानक हरि मोहल्ला | " | " | 21/8/84 |
| 301 | " | वार्ड नं. 4 व 9 | " | " | 21/8/84 |
| 302 | " | वार्ड नं. 8 व 9 | " | " | 21/8/84 |
| 303 | " | इन्द्र कालोनी | " | " | 21/8/84 |
| 304 | " | वार्ड नं. 1 | " | " | 21/8/84 |
| 305 | " | वार्ड नं 3 | " | " | 21/8/84 |
| 306 | " | 23 के एस डी | " | " | नवम्बर 84 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | हरिजन बस्ती | 25 के एस डी | सादुलशहर | श्रीगंगानगर | नवम्बर 84 |
| 308 | " | 40 एस डी वी | " | " | नवम्बर 84 |
| 309 | " | वार्ड नं. 1 | " | " | 25/1/85 |
| 310 | " | वार्ड नं 2 | " | " | 25/1/86 |
| 311 | " | वार्ड नं. 5 | " | " | 25/1/85 |
| 312 | " | वार्ड नं. 4 | " | " | 25/2/85 |
| 313 | " | वार्ड नं 1 | " | " | 25/2/85 |
| 314 | " | वार्ड न. 3 | " | " | 25/2/85 |
| 315 | " | वार्ड नं. 4 | " | " | 25/2/85 |
| 316 | " | वार्ड नं. 5 | " | " | 25/2/85 |
| 317 | " | वार्ड नं. 1 | " | " | 25/2/85 |
| 318 | " | वार्ड नं. 3 | " | " | 25/2/85 |
| 319 | " | वार्ड नं. 2 | " | " | 15/3/85 |
| 320 | " | 10 एल एन पी | श्रीगंगानगर | " | सितम्बर 84 |
| 321 | ,, | 20 जीजी | ,, | ,, | सितम्बर 84 |
| 322 | ,, | 24/30 जीजी | ,, | ,, | सितम्बर 84 |
| 323 | ,, | 25/30 जीजी | ,, | ,, | सितम्बर 84 |
| 324 | ,, | 3 क्यू | ,, | ,, | सितम्बर 84 |
| 325 | ,, | चक 11 जी छोटी | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 326 | ,, | 6 एलएनपी | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 327 | ,, | 7 एलएनपी | ,, | , | 31/1/85 |
| 328 | ,, | 8 एलएनपी | , | ,, | 31/1/85 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | हरिजन बस्ती | 9 एलएनपी | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | 31/1/85 |
| 330 | ,, | 11 एलएनपी | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 331 | ,, | 12 एफ | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 332 | ,, | मिर्जावली | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 333 | ,, | 4 एचएच | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 334 | ,, | 10 एसडीएस | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 335 | ,, | 8एच | ,, | ,, | 31/1/85 |
| 336 | ,, | 13एच | ,, | ,, | 28/2/85 |
| 337 | ,, | वार्ड नं. 1 चुनावड | ,, | ,, | 28/2/85 |
| 338 | ,, | वार्ड नं. 2 चुनावड | ,, | ,, | 28/2/85 |
| 339 | ,, | वार्ड नं. 6 | ,, | ,, | 28/2/85 |
| 340 | ,, | इन्द्रा कालोनी | ,, | ,, | 15/3/85 |
| 341 | ,, | छाछगरिया मोहल्ला | ,, | ,, | 15/3/85 |
| 342 | ,, | सिकलगर मोहल्ला | ,, | ,, | 15/3/85 |
| 343 | ,, | वार्ड नं. 7/10 | | | |
| | ,, | गजसिंहपुर | पदमपुर | ,, | जुलाई 84 |
| 344 | ,, | वार्ड नं. 3/4 | | | |
| | | गजसिंहपुर | ,, | ,, | अक्टूबर 84 |
| 345 | ,, | चक 7 ईईए | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 346 | ,, | चक 39 वीबी | ,, | ,, | 25/3/85 |
| 347 | ,, | चक 6 आरबी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 348 | ,, | चक 18 वीवी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 349 | ,, | चक 4 डीडी | ,, | ,, | 25/2/85 |

| 1 | | 2 | 3 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | हरिजन बस्ती | चक 35 जीजी | पदमपुर | श्रीगंगानगर | 25/2/85 |
| 351 | ,, | चक 3 सीसी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 352 | ,, | चक 33 जीजी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 353 | ,, | चक 9 डीडी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 354 | ,, | चक 41 ग्रारबी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 355 | ,, | चक 7 सीसी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 356 | ,, | चक 20 बीबी III | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 357 | ,, | चक 8 एनएनए | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 358 | ,, | वार्ड नं. 3/4 | भादरा | ,, | अप्रेल 84 |
| 359 | ,, | सांसी मौहल्ला | ,, | ,, | अप्रेल 84 |
| 360 | ,, | गांधी बाड़ी | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 361 | ,, | मालाखेड़ा | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 362 | ,, | इन्द्रा कालोनी | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 363 | ,, | 12 बी बी | ,, | ,, | 25/2/85 |
| 364 | ,, | बोर | ,, | , | मार्च 85 |
| 365 | , | वार्ड 10 | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 366 | , | बिरात | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 367 | ,, | डोभी | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 368 | ,, | किराडा बड़ा | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 369 | ,, | किराडा छोटा | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 370 | ,, | रामबास | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 371 | ,, | वार्ड नं. 1 | हनुमानगढ़ | ,, | जनवरी 85 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | हरिजन बस्ती | मक्कासर वार्ड नं. 4 | हनुमानगढ़ | श्रीगंगानगर | जनवरी 85 |
| 373 | ,, | वार्ड नं. 5 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 374 | ,, | वार्ड नं 6 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 375 | ,, | वार्ड नं, 8/9/10 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 376 | ,, | गाड़ वार्ड नं. 1 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 377 | ,, | वार्ड नं. 2 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 378 | ,, | जवालासिंह वाला वार्ड नं. 4 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 379 | ,, | वार्ड नं. 5 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 380 | ,, | वार्ड नं. 7 | ,, | ,, | जनवरी 85 |
| 381 | ,, | सतिपुरा | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 382 | ,, | सतिपुरा | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 383 | ,, | ,, नावन | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 384 | ,, | नावन | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 385 | ,, | बोलतवाली | सागरिया | ,, | फरवरी 85 |
| 386 | ,, | बोलतवाली | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 387 | ,, | ,, | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 388 | ,, | ,, | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 389 | ,, | इन्द्रगढ़ | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 390 | ,, | प्रतापनगर | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 391 | ,, | भारतपुरा | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 392 | ,, | भगतपुरा | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 393 | ,, | सनतपुरा | ,, | ,, | फरवरी 85 |
| 394 | ,, | लम्बी धाब | ,, | ,, | फरवरी 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 395 | हरिजन बस्ती दीतगढ | सागरिया | श्रीगंगानगर | फरवरी 85 |
| 396 | ,, किशनपुरा | ,, | , | फरवरी 85 |
| 397 | ,, धाबत | सूरतगढ़ | ,, | मार्च 85 |
| 398 | ,, 34 एस टी जी | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 399 | ,, वार्ड नं. 2 | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 400 | ,, वार्ड नं. 3 | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 401 | , वार्ड नं. 5 | , | ,, | मार्च 85 |
| 402 | ,, वार्ड नं. 12 | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 493 | ,, माणकसर | ,, | ,, | मार्च 85 |
| 404 | ,, धांक महाराज | अनूपगढ़ | ,, | 15/3/85 |

**रेडियोग्राफर्स का पदस्थापन**

**189. श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (बूढ़) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर्स के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनका पदस्थापन कहां कहां किया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जहां रेडियोग्राफर्स के पद स्वीकृत हैं, उन स्वीकृत पदों के विपरीत सहायक रेडियोग्राफर्स का पदस्थापन किया हुआ है ? यदि हां, तो कहां कहां तथा ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है ?

(3) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि जहां जहां रेडियोग्राफर्स के पद रिक्त हैं वहां उसी पद के कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाय ? यदि हां, तो ऐसे पदों पर जो सहायक रेडियोग्राफर्स कार्यरत हैं उनका स्थानान्तरण उनके रिक्त पदों पर कब तक कर दिया जायेगा और रेडियोग्राफर्स के स्वीकृत पदों पर उसी पद के कर्मचारी कब तक लगा दिये जायेंगे ?

**उत्तर**

(1) सूची (परिशिष्ट (क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, कुछ संस्थाओं में जहां रेडियोग्राफर्स के पद स्वीकृत हैं वहां पर सहायक रेडियोग्राफर्स को पदस्थापित किया हुआ है। सूची परिशिष्ट (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है। चूंकि रेडियोग्राफर्स के पद रिक्त रहने से राज्य कार्य में अधिक बाधा हो रही थी तथा नियमानुसार पदोन्नति करने के लिये निश्चित प्रक्रिया की पूर्ति में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

(3) जी हां, यह उचित ही है कि रेडियोग्राफर्स के रिक्त पदों पर उसी पद के कर्मचारियों को पदस्थापित किया जावे। परन्तु चूंकि पदोन्नति करने से पूर्व एक निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना करनी पड़ती है जैसा कि उक्त प्रश्न संख्या 2 में वर्णित है। तदनुसार ही आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जा रही है।

परिशिष्ट (क)

## रेडियोग्राफर्स की पदस्थापन स्थान की सूची

| क्र. सं. | जिले का नाम | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अजमेर | 10 | 9 |
| 2 | अलवर | 4 | 4 |
| 3 | बांसवाड़ा | 4 | 3 |
| 4 | बाड़मेर | 5 | 3 |
| 5 | भरतपुर | 6 | 6 |
| 6 | भीलवाड़ा | 7 | 5 |
| 7 | बीकानेर | 7 | 5 |
| 8 | बूंदी | 3 | 3 |
| 9 | चित्तौड़गढ़ | 5 | 5 |
| 10 | चूरू | 4 | 4 |
| 11 | धौलपुर | 3 | 1 |
| 12 | डूंगरपुर | 3 | 3 |
| 13 | श्रीगंगानगर | 6 | 5 |
| 14 | जयपुर | 32 | 28 |
| 15 | जैसलमेर | 2 | 2 |
| 16 | जालौर | 2 | 2 |
| 17 | झालावाड़ | 2 | 2 |
| 18 | झुन्झुनूं | 3 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19 | जोधपुर | 11 | 6 |
| 20 | कोटा | 10 | 7 |
| 21 | नागौर | 4 | 4 |
| 22 | पाली | 4 | 3 |
| 23 | सवाईमाधोपुर | 8 | 8 |
| 24 | सीकर | 4 | 4 |
| 25 | सिरोही | 3 | 3 |
| 26 | टोंक | 2 | 2 |
| 27 | उदयपुर | 13 | 7 |
| | योग | 167 | 137 |

परिशिष्ट (ख)

**रेडियोग्राफर के पदों के विरुद्ध कार्यरत सहायक रेडियोग्राफर के पदस्थापन स्थान की सूची**

| क्र. सं. | जिला का नाम | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | रायसिंह नगर (गंगानगर) | 1 |
| 2 | बांगड अस्पताल (पाली) | 1 |
| 3 | आमेट (उदयपुर) | 1 |
| 4 | सलूम्बर (उदयपुर) | 1 |
| 5 | एम. पी. मेडिकल कालेज (बीकानेर) | 1 |
| 6 | कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) | 1 |
| 7 | बालोतरा (बाड़मेर) | 1 |
| 8 | चौहटन (बाड़मेर) | 1 |
| | योग | 8 |

## जयपुर विकास प्राधिकरण

**190. श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई ?

(2) विकास प्राधिकरण में कितने कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं ? कृपया डेपुटेशन व विभाग के कर्मचारियों की सूची मय वेतन व कार्य के सदन की मेज पर रखें।

(3) विकास प्राधिकरण की योजनाओं (आवासीय व वाणिज्यिक) का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(4) विकास प्राधिकरण का कुल बजट कितना है और प्राधिकरण की स्थापना से आज तक कुल कितनी राशि डेपुटेशन अधिकारियों व समाचार पत्रों पर दिये विज्ञापनों पर खर्च की गई है ?

(5) क्या प्राधिकरण के सदस्य जन-प्रतिनिधि हैं ? यदि हां, तो प्राधिकरण की बैठक के क्या नियम हैं और प्राधिकरण गठन के पश्चात् कितनी बैठकें आमंत्रित की जा चुकी हैं ?

### उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 15 जुलाई, 1982 को हुई थी।

(2) सूची "क" संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय एवं वाणिज्यिक योजनाओं की सूची "ख" संलग्न है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 1985–86 का बजट निम्नानुसार है:– (लाखों में)।

| | प्राप्तियां | भुगतान |
|---|---|---|
| पूंजीगत | 1107·80 | 1197·21 |
| राजस्व | 79·80 | 104·27 |
| निक्षेप एवं अग्रिम | 185·00 | 115·00 |
| कुल योग | 1372·60 | 1416·48 |

प्राधिकरण की स्थापना से जून, 85 तक डेपूटेशन पर अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर कुल रुपए 82,82, 769·82 खर्च हुए हैं। समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर रुपए 17,50, 568·00 खर्च हुए हैं।

(5) जयपुर क्षेत्र के सभी लोक सभा सदस्य, विधान सभा के सदस्य, जयपुर जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो जन-प्रतिनिधि हैं प्राधिकरण के सदस्य हैं सदस्यों की सूची (ग) संलग्न है। प्राधिकरण की बैठक के नियम की प्रति संलग्न (सूची घ) है। प्राधिकरण के गठन के पश्चात् 6 बैठकें आमन्त्रित की गई है, सूची संलग्न है।

**उर्मूल डेयरी के अधिकारियों हेतु आवास गृह**

**191. श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन (दुग्ध विकास) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उर्मूल डेयरी की प्रबन्ध कमेटी ने अधिकारियों के लिए बीकानेर शहर में आवास भवन बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया था ? यदि हां तो कब कितनी धन राशि आवंटित की गई थी ? कृपया निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्णयानुसार कितने आवास निर्मित हो गये हैं और उन पर कितनी धन राशि खर्च हुई है ? क्या निर्मित आवास भवन में पशुपालन हेतु या डेयरी विकास हेतु रखे गये किसी फण्ड का उपयोग किया गया है ?

**उत्तर**

(1) जी हां, उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (उर्मूल) बीकानेर के संचालक मण्डल के द्वारा अधिकारियों के लिए आवास भवन बनाने का निर्णय लिया गया था. भवन निर्माण के लिए 35.10 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। संचालक मण्डल के निर्णय व पुष्टि की प्रति तालिका क, ख, ग, ध एवं च पर संलगन है।

(2) अब तक 26 आवास गृह निर्मित हो चुके हैं तथा 17 आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्मित आवास गृहों पर 21.55 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। निर्माण कार्य में पशुपालन या डेयरी विकास हेतु बनाये गये किसी फण्ड का उपयोग नहीं किया गया है।

तालिका "क"

**सही प्रतिलिपि संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 7–9 82 द्वारा पारित प्रस्ताव निर्णय संख्या 21**

| प्रस्ताव | निर्णय |
|---|---|
| 1 | 2 |
| वर्ष 82–83 में आवास निर्माण हेतु विचार। | पारित किया गया कि वर्ष 82–83 में दस लाख रुपये की लागत के आवास भवन निर्माण किया जावे, जिसमें बीकानेर एवं लूणकरनसर सम्मिलित है। |

निम्न औसत लागत के आवास भवन निर्माण किया जावे—

**बीकानेर :**

| क्र. सं. | आवास प्रकार | सं. | भवन लागत रुपयों में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रबन्धक वर्ग | एक | 1,50,000/– |
| 2. | परियोजना अधिकारी वर्ग | दो | 1,50,000/– |
| 3. | स. प. अधिकारी वर्ग | चार | 2,00,000–/ |
| 4, | लिपिक वर्ग | छः | 2,10,000/– |
| 5. | च. श्रे. कर्मचारी वर्ग | छः | 1,50,000/– |
| | योग | | 8,60,000/– |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | लूणकरनसर : |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | स. प. अधिकारी वर्ग | दो | 1,00,000/-- |
| 2. | च. श्रे. कर्मचारी वर्ग | दो | 40,000/- |
| | | कुल योग | 10,00,000/- |

इसके लिये निर्देश दिये गये कि निविदायें डिजाइन एवं अनुमानित लागत की प्राप्त कर निर्माण कार्य चालू किया जावे ।

तालिका "ख"

सही प्रतिलिपि संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 24-2-1984 द्वारा पारित प्रस्ताव/निर्णय

संख्या-8

| प्रस्ताव | निर्णय |
|---|---|
| आर सी डी एफ यूनिट बीकानेर के डेयरी व कैटल फीड प्लांट के लिए बंगलों का निर्माण करने पर विचार । | पारित किया गया कि आर सी डी एफ बीकानेर कैटल फीड प्लांट बीकानेर की मांग पर संघ द्वारा निम्न भवनों का निर्माण किये जाने की स्थायी सम्पत्ति एवं आय के स्रोत होंगे। किराया नियमानुसार संघ ही प्राप्त करेगा । |

आर सी डी एफ बीकानेर हेतु

| बंगले का स्तर | बंगलों की संख्या | स्वीकृत की गई अनुमानित राशि |
|---|---|---|
| 1. महा प्रबन्धक | एक बंगला | 2·30 लाख रु. |
| 2. परियोजना अधिकारी | दो बंगले | 2·60 लाख रु. |
| **कैटल फीड प्लांट** | | |
| 1. परियोजना अधिकारी | एक बंगला | 1·30 लाख रु. |
| 2. सहायक परियोजना अधिकारी | तीन बंगले | 2·10 लाख रु. |

कॉलोनी के आगे सड़क निर्माण करवाने हेतु निर्णय लिया गया जिसका अनुमानित खर्च 1·50 लाख रु. होगा साथ ही साथ लाइट व पानी व्यवस्था करने हेतु अनुमानित खर्च रु. 40 हजार की स्वीकृति दी गई तथा बिजली बोर्ड व वाटर वर्क्स को नियमानुसार राशि जमा करवाने की स्वीकृति दी गई ।

**तालिका "ग"**

सही प्रतिलिपि संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 11-10-1984 द्वारा
पारित प्रस्ताव/निर्णय

**संख्या 7**

| प्रस्ताव | निर्णय |
|---|---|
| लूणकरनसर/बीकानेर पर स्टाफ हेतु आवास गृह बनवाने पर विचार। | निम्न आवास गृह लूणकरनसर/बीकानेर में बनवाने की स्वीकृति दी गई। |

**बीकानेर :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | परियोजना अधिकारी | 1 बंगला | 1,60,000/- |
| 2. | सहायक परियोजना अधि. | 3 बंगले | 1,80,000/- |
| 3. | सहा. परि. अधिकारी | 4 बंगले | 2,40,000/- |
| 4. | लिपिक श्रेणी | 10 क्वा. | 4,50,000-/ |
| 5. | बोर्ड्स (160) समितियों के लिए | | 50,000/- |

**लूणकरनसर :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | स. प. अ. | 4 बंगले | 3,00,000/- |
| 2. | लिपिक वर्ग | 6 क्वा. | 3,00,000/- |

साथ ही साथ निम्न सुझाव भी दिये गये—

(अ) लूणकरनसर में आवास हेतु जमीन उपलब्ध होने पर खरीद की सिफारिश की गई।

(ब) अगर सम्भव हो तो ब्रिज कारपोरेशन से सम्पर्क कर निर्माण कार्य करवाने हेतु प्रयास किये जावें।

**तालिका "घ"**

संघ की ग्राम सभा दिनांक 18–4–1984 के प्रस्ताव/निर्णय संख्या 2 द्वारा वर्ष 1983–84 के बजट (आवास निर्माण) की पुष्टि की आंशिक सही प्रतिलिपि

| क्र. सं. | विवरण | वास्तवित व्यय 4/83 लाख रु. | अनुमानित व्यय 6/83 लाख रु. | प्रस्तावित व्यय 83–84 लाख रु. | मद का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | आवास गृह | — | — | 14·300 | व्यापार (नई पूंजीगत स्वीकृति योजनाएं) |

संघ की ग्राम सभा दिनांक 22–9–84 के प्रस्ताव/निर्णय संख्या 3 द्वारा वर्ष 1984–85 के बजट (आवास निर्माण की पुष्टि की आंशिक सही प्रतिलिपि

| क्र. सं. | विवरण | वास्तविक व्यय 4/84 लाख रु. | अनुमानित व्यय 6/84 लाख रु. | प्रस्तावित व्यय 84–85 लाख रु. | मद का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | आवास गृह उरमूल कॉलोनी (कार्यरत) | 4·780 | 5·000 | 4·520 | व्यापार (पूंजीगत व्यय) |
| 15. | नये आवास निर्माण हेतु | — | — | 10·000 | व्यापार (पूंजीगत व्यय) |

**तालिका "च"**

**संघ की आमसभा दिनांक 18-4-84 द्वारा पारित प्रस्ताव/निर्णय संख्या 4 की आंशिक सही प्रतिलिपि**

| | | |
|---|---|---|
| 4. | वर्तमान एवं प्रस्तावित योजनाओं पर विचार | वार्षिक अधिवेशन चतुर्थ में अंकित वर्तमान एवं प्रस्ताविक योजनाओं को अध्यक्ष उरमूल द्वारा पढ़कर सुनाया गया तथा सर्वसम्मति से कार्यवाही शीघ्र करने की स्वीकृति दी गई । |

**कार्यरत योजनायें**

**12. कर्मचारियों के लिये आवास कॉलोनी :—**

संघ कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा हेतु विशाल कॉलोनी का निर्माण शीघ्र होने को है । इस बारे में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं ।

**सुजानगढ़ नगर व तहसील में चोरी की घटनायें**

**192. श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सुजानगढ़ नगर व तहसील में गत दो वर्षों में कुल कितनी चोरियां हुई हैं ? कृपया नगर व तहसील की अलग-अलग सूची सदन पटल पर रखें।

(2) इन चोरियों में कितनी बरामद हुई ? अगर हुई तो कौन-कौन सी चोरी बरामद हुई ?

(3) शेष चोरियों की बरामदगी हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या सुजानगढ़ नगर की आबादी के अनुसार ट्रेफिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था हेतु नगर में कितने कर्मचारी हैं ? इनकी ड्यूटी कहां-कहां कब रहती है ?

**उत्तर**

(1) सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) विवरण तालिका 'ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) बरामदगी हेतु भरसक प्रयत्न किये व बरामदगी माल मुलजिमान जारी है।

(4) जी नहीं। ट्राफिक व्यवस्था हेतु अलग से कोई नफरी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर ट्राफिक व्यवस्था पुलिस थाने की नफरी से कर दी जाती है।

## परिशिष्ट—अ

गत दो वर्षों में सुजानगढ़ नगर व सुजानगढ़ तहसील ग्रामीण में हुई चोरियों का मय बरामद शुदा चोरियों का विवरण सूची (अ)

| वर्ष | स्थान | दर्ज शुदा मुकदमात मुकदमात की संख्या | बरामद शुदा मुकदमात की संख्या | एफ. आर. अदमपता मुकदमात की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1983 | नगर | 9 | 9 | — |
| ,, | ग्राम तहसील | 5 | 4 | 1 |
| 1984 | नगर | 6 | 5 | 1 |
| ,, | ग्राम तहसील | 4 | 4 | — |
| | योग | 24 | 22 | 2 |

परिशिष्ट — "ब"

सुजाननढ़ नगर ब सुजानगढ़ तहसील में गत दो वर्षों में हुई चोरियों का विवरण जो बरामद हो चुकी हैं की सूची (ब)

| क्र. सं. | मुकदमा नं. मय धारा | घटना स्थल का नाम | मुस्तिगिस का नाम | माल मसरुका की कीमत | माल वाजीयापता की कीमत | दिनांक चालान | नाम अपराधी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1983–नगर— | | | | | | | |
| 1. | 93/83 धारा 457, 380 | सालासर | कानाराम | 500.00 | 500.00 | 3/8/83 | तिलोकारा |
| 2. | 72/83 | ,, | लक्ष्मणाराम | 700.00 | 700.00 | 18/7/83 | श्रवण |
| 3. | 57/83 | ,, | विजयकुमार | 150.00 | 150.00 | 2/8/83 | यासीनखां |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 107/83 | कस्बा सुजानगढ़ | सन्तोषकुमार | 138.30 | 138.30 | 24/9/83 | राजीया |
| 5. | 67/83 | सोभासर | मूलसिंह | 1500.00 | 1500.00 | 30/11/83 | बन्शीलाल आदि |
| 6. | 68/83 | ,, | ,, | 5000.00 | 5000.00 | 30/11/83 | ,, |
| 7. | 76/83 | मनसीसर | भूराराम | 4000.00 | 4000.00 | 31/7/83 | हनुमान |
| 8. | 119/83 | वार्ड नं. 4 | धूनीराम | 142.00 | 142.00 | 30/9/83 | राजू |
| 9. | 123/83 | सोभासर | गुलाबसिंह | एक बकरा | काटकर खागये | 27/10/83 | ईदुशाह आ. |
| **1984**–नगर— | | | | | | | |
| 1. | 87/84 | सुजानगढ़ | सीताराम | मान नहीं गया | — | 25/7/84 | विनोदकुमार |
| 2. | 113/84 | ,, | खेमदान | 38.00 | 14.15 | 6/9/84 | राजीया |
| 3. | 146/84 | ,, | मोहम्मद | 1500.00 | 1500.00 | 30/11/84 | लिखमाराम |
| 4. | 48/84 | सानरा | पुष्पाराम | 1000.00 | 1000.00 | 23/5/84 | नारायण जाट |
| 5. | 94/84 | देवी का मन्दिर | बारसखां | 900.00 | 900.00 | 6/9/84 | लक्ष्मण |
| **1983–ग्रामीण तहसील सुजानगढ़—** | | | | | | | |
| 1. | 28/83 | उड़पाला | श्रीमती बिरदी | 15.00 | 15.00 | 1/10/83 | पूर्णाराम |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3/83 | रणधीसर | सरदारीलाल | 985.00 | 675.00 | 2/3/83 | प्रकाश |
| 3. | 10/83 | बीदासर | पवनकुमार | 1579.00 | 1043.00 | 24/3/83 | श्रोमप्रकाश |
| 4. | 61/83 | ,, | यूसूफ | 1160.00 | 858.00 | 16/12/83 | ,, |
| **1984–ग्रामीण तहसील सुजानगढ़** | | | | | | | |
| 1. | 73/84 | गिरवरसर | लालाराम | 22000.00 | 22000.00 | 10/12/84 | श्रोमप्रकाश |
| 2. | 26/84 | रुपेली | लालाराम | 455.00 | 455.00 | 6/4/84 | पूर्णाराम |
| 3. | 50/84 | छापर | सागरमल | 643.18 | 643.18 | 16/7/84 | यूनिस |
| 4. | 103/84 | चाडवास | चौथूराम | 10000.00 | 10000.00 | 18/1/85 | भंवरलाल |

(318)



**दवाइयों की खरीद की प्रक्रिया**

**193. श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत):

**श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) :

**श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) :

**श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष एक लाख रुपये से ज्यादा की दवाइयां किस-किस फर्म से खरीदी गई ? इसकी राशि व फर्मों के नामों की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) दवाओं की खरीद करने एवं उसका क्रय मूल्य तय करने की क्या प्रणाली निर्धारित की हुई है ? क्या इसके लिए समिति गठित की जाती है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि क्रय की गई अनेक दवायें विभिन्न औषधालयों में बिना उपयोग के पड़ी रह जाती हैं व डाक्टरों द्वारा यह दवाइयां आम मरीजों को आवश्यकता के आधार पर न दी जाकर विशिष्ट मरीजों को ही दी जाती हैं ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**उत्तर**

1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) दवाओं के क्रय मूल्य तय करने हेतु खुली निविदायें आमन्त्रित कर निश्चित तिथि पर निविदादाताओं के सम्मुख खोली जाती है तथा क्राईटेरिया एवं तुलनात्मक मानचित्र बनाकर विशेषज्ञों की सब-कमेटी क्रय कमेटी के समक्ष रेट कान्ट्रेक्ट तय करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

वर्तमान क्रय समिति के निम्न सदस्य हैं—

1. डा. ज्ञान प्रकाश, (चेयरमैन)
   निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर।
2. डा. डी. के. जगदेव (सदस्य)
   निदेशक (प. क.)
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
3. उप शासन सचिव (सदस्य)
   वित्त (सी. एस. पी. ओ.) विभाग
4. श्री आर. एस. अग्रवाल (सदस्य)
   उप शासन सचिव,
   चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग
5. निदेशक (सदस्य)
   उद्योग विभाग अथवा उनके द्वारा

अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक की श्रेणी का मनोनीत
(इस श्रेणी से कम न हो)

6. डा. नरेश भू (सदस्य)
प्रोफेसर (मेडीसन)
आर. एन. टी. मेडीकल कालेज, उदयपुर ।

7. डा. ओंकार सक्सेना (सदस्य)
प्रोफेसर (सर्जरी) एस. एम. एस. मेडीकल कालेज, जयपुर ।

8. डॉ. के. बी. सक्सेना (सदस्य)
उप निदेशक (योजना) निदेशालय ।

9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सदस्य सचिव) निदेशालय ।

(3) जी हां, परन्तु अनुपयोगी औषधियों को जिला स्तर से सूचना प्राप्त होने पर सामान्यतया अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से प्राप्त कर उपयोग करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं । दवाईयां सामान्यतया सभी प्रकार के रोगियों को यथा सम्भव वितरित की जाती हैं ।

| क्र. सं | क्रय कर्ता | फर्म का नाम | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, अजमेर | 1. मै. बायोकेम फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्रीज, बम्बई | 1,61,477·00 |
| | | 2. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 2,56,00·00 |
| | | 3. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,16,495·00 |
| | | 4. ,, हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि, पूना | 2,17,022·00 |
| | | 5. ,, माउन्ट मैटर. फार्मास्युटिकल्स, जयपुर | 4,03,759·00 |
| | | 6. ,, सन शाईन सर्जिकल्स, अजमेर | 1,26,521·00 |
| | | 7. ,, अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार, अजमेर | 1,53,446·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि., ब्यावर | 1. मै. राजस्थान हैण्डलूम बोर्ड, जयपुर | 3,89,545·00 |
| | | 2. ,, सरस्वती ट्रेडिंग कं., अजमेर (हॉचेस्ट) | 2,74,067·00 |
| | | 3 ,, इन्डियन फार्मा डिस्ट्री. (हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक) जयपुर | 2,80.877·00 |
| | | 4. ,, माउन्ट मैटर्स फार्मा., जयपुर | 2,01,117·00 |
| | | 5. , आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,89,245·00 |
| | | 6. ,, आई. डी. पी. एल. जयपुर | 1,60,338·00 |
| | | 7. ,. जयपुर फार्मास्युटिकल्स वर्क्स, जयपुर | 1,17,408.00 |
| 3. ,, | ,, अलवर | 1 ,, आर. डी. पी. एल. जयपुर | 4,47,725·35 |
| | | 2. , बंगाल केमीकल्स, बनीपार्क, जयपुर | 2,45,425·70 |
| | | 3. ,, माउन्ट मैटर फार्मास्युटिकल्स, जयपुर | 1,58,782·00 |
| | | 4. ,, जर्मन रेमीडीज, देहली | 1,63,565·52 |
| 4. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा | 1. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 2,99,200·00 |
| | | 2. ,, इन्डियन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर | 1,80,800·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाड़मेर | 1. मै. राजस्थान राज्य बुनकर सह. संघ लि , जयपुर | 1,17,170 00 |
| | | 2. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,80,975·00 |
| | | 3. ,, एथोकल फार्मा. जोधपुर (आई. डी. पी. एल. व रसल फार्मा) | 1,26,217·00 |
| | | 4. ,, अशोक फार्मा. जोधपुर (आई डी. पी. एल. के डीलर) | 2,21,771·00 |
| 6. ,, | ,, भरतपुर | 1. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,94,237·50:×: |
| | | 2. ,, हिन्दुस्तान एन्टी. लि., जयपुर | 1,53,000·00 × |
| | | 3. ,, ,, ,, ,, | 1,23,500·00 |

:×:फर्म को 1,94,237·50 का आर्डर दिया गया था, परन्तु दवाइयां रु. 96,537·50 की सप्लाई की गई।

×फर्म को 1,53,000·00 का आर्डर दिया गया, परन्तु दवाइयाँ रु. 65,400·00 की सप्लाई की गई।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 4. ,, दी बंगाल इम्यूनिटि लि. नई दिल्ली | 1,08,5[illegible]8·90 |
| | | 5. ,, ऐसोसियेटेड सेल्स ओरगेनाईजेशन, जयपुर | 1,36,736·50 |
| 7. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाड़ा | 1. मै. आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,23,971·33 |
| | | 2. ,, आई. डी. पी. एल. जयपुर | 3,48,688·66 |
| | | 3. ,, हिन्दु. एन्टी. लि., जयपुर | 1,59,969·60 |
| | | 4. , बंगाल केमीकल्स, कलकत्ता | 1,14,351.01 |
| | | 5. ,, माउन्ट मैटर फार्मा. लि., जयपुर | 1,87,367·75 |
| | | 6. ,, होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स, जयपुर | 1,02,063·17 |
| 8. ,, | ,, बीकानेर | 1. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,34,[illegible]31·75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, बीकानेर | 1. मै. ग्राई. डी. पी. एल., जयपुर | 5,00,000·00 |
| | | 2 ,, इन्डियन फार्मा डिस्ट्री., जयपुर | 2 37,000·00 |
| | | 3 ,, माउन्ट मैटर फार्मा लि., जयपुर | 5,57,000 00 |
| | | 4. ,, बायोकेम फार्मा. इन्डस्ट्रीज, बम्बई | 1,28,000·00 |
| | | 5. ,, सेन्ट्रल रिसर्च इन्सटीट्यूट, कसोली | 1,67,000·00 |
| | | 6. ,, कामरा मेडीको, श्री गंगानगर | 1,00 000·00 |
| | | 7. ,, हिन्दू. कोस्मो फिल्मम मैन्यु, क. लि., जयपुर | 1,49,000·00 |
| 10. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बून्दी | 1. ,, समरथ फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, जयपुर | 1,60,000·00 |
| 11. | ,, ,, प्रतापगढ़ (चितोड़गढ़) | 1. ,, हिन्दु एन्टीबायोटिक्स लि जयपुर | 1,82,412 00 |
| | | 3 ,, बंगाल केमीकल्स एण्ड फार्मा. लि. कलकत्ता | 3,35,688·00 |

उक्त सूचना 5 जौलाई. 1984 से मार्च 1985 तक उपलब्ध है, क्योंकि इससे पूर्व का रिकार्ड भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोटा को वास्ते जांच हेतु दिया गया है ।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 3. मै. राज. राज्य बुनकर सह. संघ लि., जयपुर | 1,10,700·00 |
| | | 4. ,, जनरल रेमीडीज प्रा. लि., बम्बई | 1,01,692·00 |
| 12. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी रतनगढ़ (चूरू) | 1. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 2,78,959·74 |
| 13. | ,, ,, डूंगरपुर | 1. ,, ,, ,, | 2,56,595·00 |
| | | 2. ,, इन्डियन फार्मा डिस्ट्री. (हिन्दु. एन्टी. के. डिस्ट्री) जयपुर | 1,28,322·85 |
| 14. | ,, ,, धौलपुर | 1. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,40,000·00 |
| | | 2. ,, इन्डियन फार्मा. डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर | 1,53,550·00 |
| | | 3. ,, राज. राज्य बुनकर सह. संघ लि., अलवर | 1,40,710·00 |
| | | 4. ,, माउण्ट मैटर फार्मा. लि., जयपुर | 1,06,320·00 |
| 15. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगानगर | 1. ,, हिन्दु. एन्टी. लि. पूना (डिस्ट्री. इन्डियन फार्मा) जयपुर | 3,83,764·70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 2. मै. बंगाल केमीकल्स फार्मा. वर्क्स कलकत्ता डिस्ट्री. वर्धमान मेडी. जयपुर | 3,67,824·50 |
| | | 3. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 2,41,551·40 |
| | | 4. ,, जर्मन रेमीडीज लि., देहली | 1,77,600·75 |
| | | 5. ,, हैक्सट फार्मा. लि., जयपुर | 1,53,003·80 |
| 16. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी जयपुर | 1. ,, जयपुर फार्मा. वर्क्स, जयपुर | 1,99,270·00 |
| | | 2. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 7,77,405·00 |
| | | 3. ,, हैक्सट फार्मा., जयपुर | 1,92,424·50 |
| | | 4. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 5,30,312·00 |
| 17. | प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, जयपुर | 1. ,, शुभ लक्ष्मी ऐजेन्सीज, जयपुर | 4,20,454·97 |
| | | 2. ,, राज. राज्य सह. उपभोक्ता संघ लि. जयपुर | 3,22,517·04 |
| | | 3. ,, इन्डियन फार्मा. डिस्ट्री. जयपुर | 2,27,079·05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 4. मै. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बोम्बे, बम्बई | 1,38,475·00 |
| | | 5. ,, हिन्दु. एन्टी लि., पूना | 3,13,839·23 |
| | | 6. ,, बंगाल केमीकल एण्ड फार्मा. वक्स, कलकत्ता | 2,30,248·20 |
| | | 7. ,, ल्यूपिन लेबोरेटरी प्रा. लि., बम्बई | 3,29,542·50 |
| | | 8. ,, समरथ फार्मास्यूटिकल जयपुर | 1,67,400·00 |
| 18. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ | 1. ,, माउन्ट मैटर फार्मास्यूटीकल, जयपुर | 1,20,018·00 |
| | | 2. ,, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ | 1,29,492·00 |
| | | 3. ,, ऐसोसिएटेड सेल्स आरगनाईजेशन, जयपुर | 1,18,654·40 |
| | | 4. ,, आर. डी. पी. एल. जयपुर | 2,82,375·45 |
| | | 5. ,, बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटीकल लि., कलकत्ता | 1,39,505·30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर | 1. मै. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर | 1,17,800·00 |
| | | 2. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,15,74·20 |
| | | 3. ,, राजस्थान राज्य हाथ कर्घा विकास निगम जयपुर | 1,01,150·00 |
| 20. ,, | ,, झुन्झुनु | 1. ,, इण्डियन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर | 3,62 093·55 |
| | | 2. ,, समर्थ फार्मास्यूटीकल, जयपुर | 1,64,902·50 |
| | | 3. ,, फाल्कन एन्टरप्राइजेज, जयपुर | 1,01,535·65 |
| | | 4. , इण्डियन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स | 1,20,36 ·50 |
| 21. ,, | ,, जोधपुर | 1. , हेन्डलूम प्रोजेक्ट बोर्ड, जयपुर | 2,95.700·00 |
| | | 2. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 5,30,917·50 |
| | | 3. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 2,28,375·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, कोटा | 1. मै. राज हैण्डलूम प्रोजेक्ट बोर्ड, जयपुर | 5,11,935·00 |
| | | 2. ,, इंडियन फार्मा. डिस्टीब्यूटर, जयपुर | 4,36,188·00 |
| | | 3 ,, मेसर्स वर्धमान मेडिकल, जयपुर | 3,87,702·00 |
| | | 4. , आर. डी. पी. एल., जयपुर | 2,10,980·00 |
| | | 5. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,35,410·00 |
| | | 6. ,, माउन्ट मैटर फार्मास्यूटीकल लि., जयपुर | 1,43,084·00 |
| | | 7. ,, जयपुर फार्मास्यूटीकल्स वर्क्स, जयपुर | 1,32,932·00 |
| 21. | प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जोधपुर | 1. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 8,84,378·00 |
| | | 2. ,, मांउन्ट मैटर फार्मास्यूटीकल लि. जयपुर | 2,22,126·00 |
| | | 3. ,, इंडियन फार्मा डिस्टीब्यूटर, जयपुर | 1,23,515·00 |
| | | 4. ,, हैक्सट फार्मास्यूटीकल लि., जयपुर | 1,32,303·00 |
| 22. | मेडिकल कोलेज, जोधपुर | 5. मै. आर. डी. पी. एल., जयपुर | 2,43,851·00 |

329

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 6. मै. तुलसीदास एण्ड सन्स, | 1,72,493·00 |
| | | 7. जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि., जोधपुर | 3,21,881·00 |
| 23. | उम्मेद महिला एवं शिशु. चिकित्सा, जोधपुर | 1. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,80,233·00 |
| | | 2. ,, जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, जोधपुर | 1,08,136·00 |
| 24. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर | 1. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 2,32,115·10 |
| | | 2. ,, हैक्स फार्मास्यूटीकल लि., जयपुर | 1,73,485·17 |
| | | 3. ,, हिन्दुस्तान एन्टीबाईटीड लि., | 1,99,181·14 |
| | | 4. ,, बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल लि., कलकता | 2,43,342·75 |
| 25. | ,, ,, पाली | 1. ,, जयपुर फार्मास्यूटीकल वर्क्स, जयपुर | 1,06,000·00 |
| | | 2. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 4,65,000·00 |
| | | 3. ,, हैक्स्ट फार्मास्यूटीकल जयपुर | 10,2,000·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 4. मै. आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,15,000·00 |
| | | 5. ,, समरथ फार्मेस्टीकल वर्क्स, जयपुर | 1,57,000·00 |
| | | 6. ,, माउन्ट मेटर ,, | 1,05,000·00 |
| | | 7. ,, शुभ लक्ष्मी ऐजेन्सी, जयपुर | 1,74,000·00 |
| 26. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी करोली | 1. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 2,19,050,00 |
| | | 2. ,, ऐसोसियेट सेल्स आरगनाईजेशन, जयपुर | 1,08,461·00 |
| | | 3. , पुष्पम फार्मास्टेकील, बम्बई | 1,02,500·00 |
| 27. ,, | ,, सीकर | 1. ,, राज. हेण्डलूम प्रोजेक्ट बोर्ड जयपुर, | 1,68,43·00 |
| | | 2. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,59,389·38 |
| | | 3. ,, इण्डियन फार्मा डिस्टीब्यूटर, जयपुर | 1,49,289·41 |
| 28. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक | 1. मै. इण्डियन फार्मा डिस्टीब्यूटर, जयपुर | 1,15,198·33 |
| | | 2. ,, फालेकन एन्टरप्राइजेज, जयपुर | 1,40,896·71 |
| | | 3. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,57,639·66 |

331

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 29. | मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, उदयपुर | 1. मै. आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,86,500·00 |
| | | 2. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,49,000·00 |
| | | 3. , हिन्दुस्थान एन्टीबाईटिक जयपुर (इण्डियन फार्मा) | 1,80,000·00 |
| | ... | 4. ,, हिन्दुस्थान एन्टीबाईटिक | 1,35,000·00 |
| | | 5. ,, आर. डी. पी. एल., जयपुर | 1,89,000·00 |
| 30. | प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, उदयपुर | 1. ,, आई. डी. पी. एल., जयपुर | 1,55,000·00 |
| | | 2. ,, शंकर स्टोर्स, उदयपुर | 1,85,000·00 |
| | ... | 3. , इण्डिया फार्मा डिस्टीब्यूटर जयपुर | 1,00,000·00 अधिक |
| | | 4. ,, हिन्दुस्थान एन्टीबाईटिक्स लि., पिम्परी (पूना) | 1,00,000·00 अधिक |
| 31. | मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सिरोही | सूचना अपेक्षित है। | |

**तहसील चाकसू के गांवों में पेयजल व्यवस्था**

**194. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील चाकसू में रीजनल वाटर स्कीम के अन्तर्गत गांव पाचूड़ा, घोराला, रामपुरवास, गोनेर, बाड़ा पद्मपुरा, बरखेड़ा आदि कुछ गांवो में टंकियां क्या कुछ वर्षों पूर्व बनीं थीं ?

(2) क्या ये टंकियां पूर्व में गोनेर और गत 3-4 वर्षों से शिवदासपुरा जल स्रोत से जोड़ी हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन टंकियों में वर्षों से कभी पानी पहुंचाया ही नहीं जाता जबकि नल व अन्य व्यवस्थायें सभी ठीक हैं ?

(4) यदि हां, तो टंकियां नहीं भरे जाने का क्या कारण है ? इस व्यवस्था में सुधार कब तक कर दिया जायेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) स्रोत में पानी के आवक में कमी व बिजली कम मिलने के कारण टंकियां नहीं भरी जा सकी हैं। सुधार के लिए ग्राम शिवदासपुरा में एक ट्यूबवैल बनाया जा रहा है। धन उपलब्धि के अनुसार कार्य शिघ्र पूर्ण कर अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध किया जा सकेगा।

**नीम का थाना क्षेत्र के संरक्षित वन में वृक्षों की कटाई**

**195. श्री फूलचन्द (नीम का थाना) :** क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार को विभिन्न माध्यम से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि नीम का थाना क्षेत्र के संरक्षित वन में से विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से काफी मात्रा में हरे वृक्ष कट कर बाहर जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय कर्मचारी लकड़ी के तस्करों से मिल कर प्रति दिन दिल्ली लकड़ी के ट्रक भेज रहे हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

**पाक जासूस मोहम्मद जमान प्रकरण**

**196. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :**
**श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :**

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मोहम्मद जमान नामक एक विदेशी (पाकिस्तानी) अभियुक्त हमारे देश

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की जासूसी करने के अपराध में पाकिस्तान से गंगानगर आते हुए 2-5 जनवरी, 1980 को गिरफ्तार किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि वह लगातार 1976 से 1980 तक राजस्थान पुलिस की मिली भगत से जासूसी करता रहा ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों जासूसी के अभियुक्त मोहम्मद जमान को बरी करते हुए राजस्थान पुलिस पर टिप्पणियाँ की तथा गहन गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो कृपया निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि माननीय न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा है कि मामले की जांच में मुकदमा तैयार करने में तथा ठोस तथ्य, साक्ष्य तथा प्रमाण एकत्रित करने में पुलिस ने अतिशय ढिलाई तथा गैर जिम्मेदारी दिखाई है ?

(5) क्या माननीय न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि जनहित में उन पुलिस अधिकारियों के नाम लेना ठीक नहीं है जो स्वयं अभियुक्त की श्रेणी में हैं तथा खुले घूम रहे हैं ?

(6) इस मुकदमे की पैरवी तथा साक्ष्य एकत्रित करने में किन-किन अधिकारियों का काम था तथा इस मुकदमे में किन-किन अधिकारियों को अभियुक्त की श्रेणी में रखा गया तथा किस-किस पर ढिलाई के आरोप बनते हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(7) निर्णय के बाद सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? दोषी पुलिस-कर्मी और सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कब क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। निर्णय की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। वैसे निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है।

(6) विधि वेत्ताओं की राय के लिए निर्णय विचाराधीन है।

(7) सम्पूर्ण निर्णय विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में कानूनी विशेषज्ञों से राय प्राप्त की जा रही है।

(निर्णय प्रतिलिपि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**ओरी रोग से मृत्यु**

**197. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :**

**श्री चुन्नीलाल इन्दोलिया (नोखा) :**

**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

**(श्री रघुनाथ विश्नोई)**

(1) प्रदेश में सितम्बर, 1984 से मई 1985 तक ओरी से कितने बच्चों एवं बड़े व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ? कृपया जिलेवार विवरण सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिलेवार कितने ओरी के वैक्सिन वितरित कर पूर्व उपचार किया गया ?

(3) राज्य सरकार ने ओरी के वैक्सिन की कमी को पूरी करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

(4) जिला बीकानेर में विभाग को ओरी के प्रकोप की सूचना मिलने पर कहां कहां पूर्व उपचार किया व मरने वाले बच्चों की सूचना इकट्ठी की ? कृपया मरने वाले बच्चों की, ग्रामवार नाम, पिता का नाम सहित सूची व पूर्व उपचार के स्थानों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(5) जिला बीकानेर के ग्राम गाड़ियाला की स्कूल में किस तिथि को किन-किन विद्यार्थियों के टीके लगाये व वैक्सिन लगाने के बाद कितने बच्चों की ओरी से मृत्यु हुई ? क्या विभाग में वैक्सिन लगाने के बाद उक्त स्कूलों के बच्चों की कमी जांच की है ? यदि हां तो कब ? कृपया वैक्सिनेशन कार्यवाही का तिथिवार विवरण सहित, विद्यार्थियों की स्थिति विवरण सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में ओरी से 61 बच्चों की मृत्यु सितम्बर, 84 से मार्च, 85 तक हुई। जिलेवार सूची (परिशिष्ठ "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिलेवार वितरण सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त अवधि में 30 हजार डोजेज वैक्सीन भारत सरकार से राज्य को प्राप्त हुई एवं आवश्यकतानुसार 25 हजार डोजेज अप्रेल 85 में मंगाई गई।

(4) जिला बीकानेर में निम्न 6 ग्रामों की सूचना मिलने पर पूर्व उपचार हेतु चिकित्सा दल द्वारा टीके लगवाने की व्यवस्था की गई।

1. राववाला
2. दियातरा
3. गढियाला
4. खाखूसर
5. हददा
6. जसरासर

मृतक बच्चों को सूची (परिशिष्ट "ग") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) ग्राम गड़ियाला के स्कूल में ओरी के टीके विद्यार्थियों को नहीं लगाये गये। उक्त ग्राम के पाठशाला में विद्यार्थियों को डिपथिरिया-टेटनस के 170, टेटेनस टोक्साईड के 100 तथा पोलियो के 151 टीके दिनांक 18-8-84 तथा 14-9 84 से 20-9-84 तक तथा द्वितीय एवं तृतीय खुराक एक माह के अन्तर से दी गई। विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार ओरी से किसी भी विद्यार्थी की मृत्यु नहीं हुई।

## परिशिष्ट–"क"

सितम्बर 84 से मार्च 85 में ओरी की बिमारी से हुये मृत्यु की जिलेवार सूची

| क्र सं. | नाम जिला | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजमेर | 4 |
| 2. | अलवर | शून्य |
| 3. | बांसवाड़ा | " |
| 4. | बाड़मेर | 29 |
| 5. | भरतपुर | शून्य |
| 6. | भीलवाड़ा | " |
| 7. | बीकानेर | 9 |
| 8. | बूंदी | शून्य |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | " |
| 10. | चूरू | " |
| 11. | धोलपुर | " |
| 12. | डूंगरपुर | " |
| 13. | गंगानगर | " |
| 14. | जयपुर | 2 |
| 15. | जैसलमेर | 3 |
| 16. | जालौर | 14 |
| 17. | झालावाड़ | शून्य |
| 18. | झूंझूनू | " |
| 19. | जोधपुर | " |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | कोटा | शून्य |
| 21. | नागौर | ,, |
| 22. | पाली | ,, |
| 23. | सवाई माधोपुर | ,, |
| 24. | सीकर | ,, |
| 25. | सिरोही | ,, |
| 26. | टोंक | ,, |
| 27. | उदयपुर | ,, |
| | योग | 61 |

**परिशिष्ट-"ख"**

**जनवरी 1985 से प्राप्त वेक्सनीन 30,000 डोजेज के वितरण की जिलेवार सूची**

| जिले का नाम | वितरण |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. बाड़मेर | 1000 |
| 2. बीकानेर | 1500 |
| 3. जोधपुर | 3000 |
| 4. पाली | 1000 |
| 5. जालौर | 1000 |
| 6. उदयपुर जोन | 2000 |
| 7. सवाई माधोपुर | 1000 |
| 8. जयपुर | 18500 |
| अप्रैल 85 में प्राप्त 25000 डोजेज का वितरण | |
| 1. बाड़मेर | 2000 |
| 2. जोधपुर जोन | 4000 |
| 3. पाली | 1000 |
| 4. चूरू | 3000 |
| 5. सीकर | 500 |
| 6. अजमेर | 2000 |
| 7. ब्यावर | 1000 |
| 8. गंगानगर | 1500 |
| 9. चित्तौड़गढ़ | 1000 |
| 10. कोटा | 1000 |

परिशिष्ट (ग)

## मृत्यु रोगियों की विस्तृत विवरण की सूची

| क्र. सं. | रजिस्ट्रेशन | भर्ती की तिथि | मृत्यु की तिथि | नाम, पिता का नाम एवं पता | उम्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 222 | 16–1–85 | 16–1–85 | कु. मूसका पुत्री आर. के. चौहान, फोर्ट डिस्पेन्सरी के पास, बीकानेर। | 4½ वर्ष |
| 2. | 318 | 23–1–85 | 23–1–85 | कु. गीता पुत्री भंवरलाल रतनी व्यासों का चौक बीकानेर। | 4 वर्ष |
| 3. | 223 | 16–1–85 | 27–1–85 | श्री आत्माराम पुत्र गोपीकिशन आचार्यों का चौक, बीकानेर। | 1 वर्ष |
| 4. | 503 | 6–2–85 | 6–2–85 | श्री नीरज पुत्र एन. एस. मिश्रा थर्ड सिख रेजिडेन्ट केयर आफ 56 ए. पी. ओ. | 4½ वर्ष |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 649 | 15-12-85 | 17-2-85 | श्री मन्सूर हुसेन पुत्र अहमद हुसेन छोटूरामा मोहल्ला, बीकानेर। | 5 वार्ष |
| 6. | 745 | 22-2-85 | 22-2-85 | श्री सोहनलाल पुत्र रतनलाल चोरवाही बीकानेर। | 15 मास |
| 7. | 720 | 20-2-85 | 20-2-85 | श्री जावेद अली पुत्र अब्दुल अली सांगरी कुआं के पास, बीकानेर | 8 माह |
| 8. | 902 | 2-3-85 | 5-3-85 | श्री रमेश पुत्र हीरालाल द्वारा श्री किशोरसिंह एस. पी. मेडीकल कालेज, बीकानेर। | 3 वर्ष |
| 9. | 1109 | 14-3-85 | 21-3-85 | श्री धनसुख पुत्र श्री शिवरतन एस. पी. मेडीकल कालेज, बीकानेर। | 4½ वर्ष |

**संखवाली ट्यूबवैल (जालोर) से जुड़े हुए ग्रामों को आहोर ग्राम से पेयजल**

**198. श्री भगराज चौधरी** (आहोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि संखवाली ट्यूबवैल (जालोर) का पानी कड़वा एवं अस्वास्थ्य कर होने के कारण आहोर ग्राम से मीठा पानी सप्लाई करने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार संखवाली ट्यूबवैल से जुड़े हुए सभी ग्रामों को आहोर से पानी सप्लाई करने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) ग्राम संखवाली स्थित नलकूप में पानी में फ्लोराईड की मात्रा 4.00 मि. ग्राम प्रति लीटर है। ग्राम वासियों द्वारा दूसरे स्रोत से जलपूर्ति करने की मांग की गई है।

(2) जी नहीं। उचित स्रोत हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

(3) तकनीकी उपयुक्तता एवं धन-उपलब्धि तक के अनुरूप आगुमेंटेशन योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकेगी।

**बांस की टोकरी के धन्धे में संलग्न व्यक्तियों को रियायती दर पर बांस की व्यवस्था**

**199 श्री दीनबंधु वर्मा** (कपासन) : क्या वन मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विकास योजना के तहत बांस-टोकरी का धन्धा करने वाले व्यक्तियों को किन कारणों से वन विभाग द्वारा महंगे मूल्य पर बांस दिया जाता है ?

(2) रियायती दरों पर बांस उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बल्कि बांस की टोकरी बनाने का धन्धा करने वालों को रियायती दर पर बांस बेचे जाते हैं।

(2) सामान्यतया बांसों की बिक्री नीलामी दर पर की जाती है। बांस की टोकरी, चटाई आदि बनाने वालों को उद्योग विभाग द्वारा उनकी मय आवश्यकता के प्रमाणित किये जाने पर नीलामी दर में दस प्रतिशत की रियायत पर बांस बेचे जाते हैं।

**बीसलपुर बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना**

**श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) :
**श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीसलपुर बांध परियोजना का खण्ड कार्यालय कहां स्थापित किया जावेगा ? क्या सरकार इस कार्यालय को योजना के निकटस्थ स्थल कस्बा देवली जिला टोंक में स्थापित करने का विचार रखती है।

(2) बीसलपुर बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना का शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा कब किया गया था और क्या उस समय तक इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी ? यदि नहीं तो स्वीकृति कब प्राप्त हुई ?

(342)



(श्री नाथूसिंह)

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने स्रोतों से इस परियोजना के निर्माण में खर्चा करना चालू कर दिया है ? यदि हां, तो दिनांक 31-3-1985 तक इस पर कुल कितना खर्चा कब-कब किस-किस मद में हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना का योजना आयोग की स्वीकृति के पूर्व ही 1984 के भावों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करवाया गया था ? यदि हां, तो इसके अनुसार अनुमानित लागत कितनी आंकी गई है ?

(5) क्या अब बढ़े हुए भावों के आधार पर उक्त परियोजना का पुनर्मूल्यांकन करवाने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) यह परियोजना कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है एवं कब कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ?

(7) उक्त परियोजना का कितनी बार कब-कब सर्वे कराया गया व सर्वे रिपोर्ट क्या है ? कृपया सर्वे रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजना खण्डीय कार्यालय के मुख्यालय के स्थान के बारे में अभी कोई विचार नहीं किया है।

(2) बीसलपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना का शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 1985 को किया गया था। इस परियोजना की स्वीकृति योजना आयोग से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वैसे इस परियोजना को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

(3) जी नहीं, मुख्य निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है केवल प्रारम्भिक कार्यो जैसे सर्विस रोड़ बनाना वगैरह पर 31-3-85 तक कुल खर्चा 19465/– रुपये, फरवरी, मार्च, 85 में मद 533-केपिटल आउटले के अन्तर्गत किया गया था।

(4) जी नहीं, इस परियोजना का अभी तक 1984 के भावों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नहीं करवाया गया है। परन्तु योजना आयोग की स्वीकृति से पहले उस समय की प्रचलित दरों पर पुनर्मूल्यांकन करवाना पड़ेगा।

(5) जी हां।

(6) इस परियोजना के मुख्य निर्माण कार्य का प्रारम्भ एवं पूर्ण होना तखमीने की स्वीकृति और वांछित धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(7) परियोजना का सर्वे पूर्व के वर्षों 1945, 1949, 1959, 1959, 1969-70 में कराया गया था परन्तु प्रारम्भिक अनुसन्धानों में ही स्थल के बारे में निर्णय न होने व अन्य कारणों से योजना की उपयुक्तता नहीं सिद्ध होने के कारण विस्तृत रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी। वर्ष 1982 में परियोजना रिपोर्ट बनाकर योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई। इसके मुख्य आंकड़े सलग्न हैं।

**Salient Feature of Bisalpur Irrigation Cum Water Supply Dam.**

## TECHNICAL DETAILS

### MAIN DAM

The technical data are as under :—

| | | M.K.S. Units | F.P.S. Units |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Total Catchment area upto dam site | 26677 Sq. Km. | 10300 Sq. milde |
| 2. | Average annual rainfall | 584 m.m. | 23 ,, |
| 3. | Estimated yield from the gross catchment upto dam site :— | | |
| | (i) at 75% dependability | 2465 Mcum. | 87000 Mcft. |
| | (ii) at 60% dependability | 2600 Mcum. | 91800 Mcft. |
| | (iii) at 50% dependability | 2946 Mcum. | 104000 Mcft. |
| 4. | Existing utilisation by mediun minor works. | 1416 Mcum | 50000 Mcft. |
| 5. | Utilisation by medium scheme under execution/sanctioned. | 284 Mcm | 10000 Mcft. |
| 6. | Total committed utilisation (4+5 above) | 1700 Mcum | 600`0 Mcft. |
| 7. | Surplus monsoon yield available at dam site :— | | |

(३४४)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | ( i ) at 75% dependability | 765 Mcm. | 27000 Mcft. |
| | ( ii) at 60% dependability | 900 Mcm. | 31800 Mcft. |
| | (iii) at 50% dependability | 1246 Mcm. | 44000 Mcft. |
| 8. | Off monsoon surface/Sub-surface flow at 10% of 75% dependability (gross yield of 87000 Mcft.) | 246 Mcm. | 8700 Mcft. |
| 9 | Gross capacity of the tank at F. T. L. at R. L. 313·50 | 703 Mcm. | 24800 Mcft. |
| 10. | Dead storag with minimum draw down level at R. L. 306·0 | 85·00 Mcm | 3000 Mcft. |
| 11. | Live storage capacity | 618·00 Mcm. | 21800 Mcft. |
| 12. | Annual utilisation :— | | |
| | ( i ) For Irrigation | 425 Mcm. | 15000 Mcft. |
| | ( ii) For Water Supply | 240 Mcm, | 8500 Mcft. |
| | (iii) Totat | 665 Mcm. | 23500 Mcft. |
| 13. | Annual Irrigation | 60000 Ha. | 150000 Acres. |
| 14. | Annual bed cultivation | 2000 Ha. | 5000 acres. |
| 15. | Total length of main dam. | 580 M. | 1900 ft. |
| 16 | Total length of non-overflow masonry dam. | 150 M. | 490 ft. |
| 17. | Total length of overflow masonry. | 430 M. | 1410 ft. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | Maximum flood discharge | 0·29 lac cumecs. | 10.56 lacs. cusecs. |
| 19. | Maximum designed discharge capacity of spillway | 0.27" | 0.67" |
| 20. | Designed flood lift | 9.0 M. | 30 ft, |
| 21. | Rise in reservoir level above F. T. L. | 1.20 M. | 4.0 ft. |
| 22. | Crest level | 304.5 M. | 100 ft. |
| 23. | Full tank level | 313.5 M. | 1030 ft. |
| 24. | Maximum water level | 314.7 M. | 1034 ft. |
| 25. | Crest gates | 28 Nos. 13 × 9 M. size | 28 Nos. 44'×30' size |
| 26. | Road level | 318.0 M. | 1045 ft. |
| 27. | Hoist bridge top of pier level | 325.5 M. | 1080 ft. |
| 28. | Hoist bridge level | 327.0 M. | 1075 ft. |
| 29. | Scouring sluice sill level | 299.5 M. | 970.00 ft. |
| 30. | Maximum height of overflow dam above foundation and upto crest level | 21 M. | 70 ft. |
| 31. | Scouring sluice | 5 Nos. of size 1.2×2.2 m | 5 Nos. of size 4'×7.5' |
| 32. | Maximum height of non. | 31.5 M. | 105 ft. |

(346)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | overflow masonry dam above foundation. | | |
| 33. | Estimated cost | Rs. 91.60 crores | 91.60 crores |
| 34. | Cost chargeable to irrigation | Rs. 70.38 crores. | 70.38 crores. |
| 35. | Cost chargeable to water supply | Rs. 21.22 crores. | 21.22 crores. |
| 36. | B. C. Ratio on irrigation component of cost with 10% interest charges. | | |
| | (a) Without betterment | 1.76:1 | |
| | (b) With betterment | 1.94:1 | |
| 37. | Financial return at the end of 10th year from start of irrigation. | 0.29 % | |
| 38. | Capital cost for water supply per | | |
| | (a) Mcft. | Rs. 24965/— | |
| | (b) 1000 gallons | Rs. 4/— | |
| | (c) 1000 litres | Rs. 0.88 | |
| 39. | Running cost for water supply per | | |
| | (a) Mcft. | Rs. 2309/— | |
| | (b) 1000 gallons | Rs. 0.36/— | |
| | (c) 1000 litres | Rs. 0.08/— | |

गांव बुरहान का तला का यूनानी दवाखाना

201. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बुरहान का तला में एक यूनानी दवाखाना खुला हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि करीब 5-6 वर्षों से वहां कोई हकीम या वैद्य नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक रिक्त पद की पूर्ति करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

निर्धारित योग्यता के प्रार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

राज्य में नये जिलों का गठन

202 श्री माणक चन्द डाणी (ब्यावर) :

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में नये जिले बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? क्या उसमें ब्यावर उप-खण्ड भी सम्मिलित है ?

(2) जिन नगरों को जिला बनाया जा रहा है, क्या उनके लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या ब्यावर उन मापदण्डों में आता है ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीनीकरण किये जाने के समय समझौते में अजमेर जिले को राजधानी बनाने और नहीं बनाने पर ब्यावर को जिला बनाने की शर्त रखी गई थी ? यदि हां, तो उक्त समझौते की क्रियान्विति हेतु ब्यावर को जिला क्यों नहीं बनाया गया ?

(4) क्या पाली जिले की रायपुर व जैतारण तहसील, उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसील तथा ब्यावर उप-खण्ड को मिलाकर एक जिला बनाना सभी क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं ?

(5) क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े जिले राज्य में कौनसे हैं ? क्या क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए बाड़मेर जिले का सब डिविजन बालोतरा को जिला बनाने का आधार बनता है ? यदि हां, तो इसकी समुचित कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या बाड़मेर जिला मुख्यालय, बालोतरा सब डिविजन के ग्रामों से लगभग 150 कि. मी. से भी अधिक औसतम दूरी पर पड़ता है और ग्रामीण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

**(श्री रमजान खां)**

(7) दौसा को जिला बनाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

(1) नये जिले बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। ब्यावर के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) अभी इस सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई शर्त उपलब्ध सूचना के आधार पर नहीं रखी गई थी।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) राज्य में देश का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर कहा जाता है। केवल क्षेत्रफल के आधार पर बालोतरा उपखण्ड को नया जिला बनाना सम्भव नहीं है।

(6) जी हां। इस प्रकार की दूरी अन्य कई स्थानों पर भी है।

(7) मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**पीपल्दा क्षेत्र में क्लोजर व प्लांटेशन**

**203. श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वन विभाग के कितने क्लोजर तथा प्लांटेशन कहां कहां पर हैं ?

(2) उक्त क्लोजर तथा प्लांटेशनों में पशुपालकों से दण्डस्वरूप पिछले पांच सालों में कुल कितनी रकम वसूल की गई ? कृपया दिनांक, नाम, पता, रकम दर की सूचना सदन पटल पर रखें ?

**उत्तर**

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के 47 क्लोजर तथा प्लान्टेशन हैं। इनके स्थानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वन विभाग के इन क्लोजर तथा प्लान्टेशन में अवैध चराई के मामलों में गत पांच सालों में 66251 रुपये मुआवजे के रूप में वसूल किये गये हैं। दिनांक, नाम, पता और रकम की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**तहसील बयाना व बसेड़ी के क्षतिग्रस्त बन्धों की मरम्मत**

**204. श्री ब्रजेन्द्र सिंह** (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बयाना व बसेड़ी के कितने बन्ध टूटे पड़े हैं तथा कौन-कौन से ?

(2) क्या राज्य सरकार का टूटे हुये बन्धों की मरम्मत का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार का बयाना में सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील बयाना में सिंचाई विभाग के दो बांध (1) थुरेरी (2) नगला शेरसिंह टूटे हुए हैं।

(2) नगला शेरसिंह बांध की मरम्मत का कार्य विचाराधीन है।

(3) बयाना तहसील में तीन लघु सिंचाई योजनायें–खानखेड़ा, खरेरी व खोरी विचाराधीन हैं।

**सीकर नगर में जनाना अस्पताल की आवश्यकता**

**205. श्री हरनाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) :

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की एक लाख अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले किन-किन नगरों में पृथक से जनाना अस्पताल है और किनमें नहीं है? सीकर नगर में पृथक जनाना अस्पताल नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) सीकर कल्याण अस्पताल में महिला मरीजों की प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष का औसत क्या है? प्रतिवर्ष कितने प्रसव होते हैं? कृपया पिछले पांच वर्ष का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सीकर की जनसंख्या जिला मुख्यालय "अ" श्रेणी का अस्पताल, और मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार अलग से जनाना अस्पताल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी शैयाओं का यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निम्न सात नगरों में पृथक से जनाना अस्पताल हैं :—

अलवर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर बीकानेर, जोधपुर, कोटा।

निम्न चार नगरों में पृथक से जनाना अस्पताल नहीं हैं—

अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, श्रीगंगानगर।

सीकर नगर में जनाना अस्पताल की सुविधायें मुख्य जिला अस्पताल में ही समन्वित विकास की दृष्टि से उपलब्ध कराई हुई हैं।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति में वर्तमान में अलग से जनाना अस्पताल बनवाना सम्भव नहीं है।

वर्ष 1980 से 1984 तक की कलैण्डर वर्ष की महिला रोगियों का औसत इस प्रकार है—

| 1980 से 1984 तक | प्रतिवर्ष औसत | प्रतिमाह औसत | प्रतिदिन औसत |
|---|---|---|---|
| 291039 | 58207·30 | 4850·65 | 161·68 |

**महिला प्रसव :**

| 1980 से 1984 तक | प्रतिवर्ष औसत | प्रतिमाह औसत | प्रतिदिन औसत |
|---|---|---|---|
| 5754 | 1150·80 | 95·90 | 3·19 |

**फसल चक्र से कृषि उत्पादन में वृद्धि**

**206. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में फसल चक्र की क्या प्रक्रिया विभाग द्वारा अपनाई जा रही है ?

(2) क्या फसल चक्र (अदला-बदली) से कृषि उपज में बढ़ोतरी होती है ? यदि हां तो पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान को कृषि, भूमि मौसम आदि के आधार पर 8 भागों में उत्पादन तकनोलोजी के शोध व प्रसार की दृष्टि से बांटा गया है। इन 8 भागों के लिए अलग-अलग फसल चक्र एक शाखी व दो शाखी फसलों के लिए निर्धारित किये गये हैं। इनका प्रसार-प्रचार व जानकारी कृषि प्रसार के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाई जा रही है।

जी हाँ। बहुधा फसल चक्रों के उपयोग से प्रति हैक्टर अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कुछ फसल चक्रों से अगर सीधा लाभ नहीं होता है तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने व कटाव व मिट्टी के ह्रास को रोकने में सहायता मिलती है।

(2) भूमि में उपलब्ध नमी व सिंचाई साधनों पर उपलब्ध जल को मध्य नजर रखकर फसल चक्र में परिवर्तन किया जाता है। फसल चक्रों के परिवर्तनों के कारण सरकार के प्रयासों के कारण सरसों का क्षेत्र 9·11 लाख हैक्टर से 11·81 लाख हैक्टर हो गया है। जायद में मूंग का क्षेत्र लगभग 4 हजार हैक्टर से बढ़कर 14768 हो गया। उदाहरणतया कुछ क्षेत्रों में विशेषतया कोटा में धान के बाद गेहूं का जो प्रचलित फसल चक्र था उसमें सोयाबीन—गेहूं के अन्तर्गत लगभग 30 हजार हैक्टर क्षेत्रफल आया है। मूंगफली की अग्रिम बुवाई के अन्तर्गत भी फसल चक्र के अनुसार 25000 हैक्टर वर्ष 1984–85 में आया।

**लोकायुक्त कार्यालय में शिकायतों पर कार्यवाही**

**207. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लोकायुक्त, राजस्थान ने जांच करके राज्य सरकार को गत तीन वर्षों में किस-किस मामलों में कब-कब रिपोर्ट दी और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपा मय जांच रिपोर्ट की प्रतियों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में लोकायुक्त कार्यकाल को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया वर्षवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) इस समय लोकायुक्त कार्यालय में कितनी शिकायतों पर जांच कार्यवाही करना शेष है और वे कब-कब से पेंडिंग हैं ? कृपया वर्षवार तालिका सदन के पटल पर रखें।

**उत्तर**

(1) वांछित सूचना तालिका (1) में है जो सदन के पटल पर रख दी गई है। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान संकलित सूचनायें गोपनीय होती हैं, अतः लोकायुक्त के जांच रिपोर्ट की प्रति सदन में प्रस्तुत करने में वैधानिक असमर्थता है।

(2) वांछित सूचना तालिका संख्या 2 व 3 में है, जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वांछित सूचना तालिका संख्या 4 में है, जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

लोकायुक्त कार्यालय, राजस्थान, जयपुर

**तालिका संख्या–1**

**प्रश्न संख्या 1 के सन्दर्भ में**

| क्र. सं | वर्ष | लोकायुक्त द्वारा धारा 12 (1) अधिनियम संख्या 9 सन 1973 के अन्तर्गत राज्य सरकार सक्षम अधिकारी को दी गई रिपोर्ट के मामले की संख्या | राज्य सरकार/ सक्षम अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही | लोकायुक्त द्वारा धारा 12 (3) अधिनियम संख्या 9 सन 1973 के अन्तर्गत दी गई विशेष रिपोर्ट के मामलों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1982-83 | ,, | ,, | , | 7-8-1982 से 31-3-83 तक लोकायुक्त का पद रिक्त रहा । |
| 2. | 1983-84 | ,, | ,, | ,, | 1-4-83 से 31-3-84 तक लोकायुक्त का पद रिक्त रहा । |

353

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1984-85 | 1 | सक्षम अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । | ,, | 4-4-84 को माननीय श्री कश्मीर सिंह ने कार्यभार सम्भाला व दिसम्बर 1984 तक कार्य किया । 4-1-1985 को श्री मोहनलाल श्रीमाल की नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर की गई । |
| 4. | 1-4-85 से 30-6-85 तक | ,, | ,, | ,, | माननीय श्री मोहनलाल श्रीमाल द्वारा लोकायुक्त का कार्य किया जा रहा है । |

## तालिका संख्या-2

(लोकायुक्त राजस्थान द्वारा तय किए गए प्रकरणों का विवरण)

| वर्ष | वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | कालम सं० 2-3 का टोटल | वर्ष के दौरान तय किये गये प्रकरणों की संख्या | वर्ष के अन्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1982-83 | 306 | 263 | 571 | 159 | 412 | -8-82 के उपरान्त लोकायुक्त का पद रिक्त रहा । |
| 1983-84 | 412 | 230 | 642 | 15 | 627 | पूरे वर्ष में लोकायुक्त का पद रिक्त रहा । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-85 | 627 | 375 | 1002 | 326 | 176 | 4-4-83 से दिसम्बर 84 तक माननीय न्यायाधीश श्री अमीरसिंह सिद्धू ने अपने पद के साथ-साथ लोकायुक्त का कार्य देखा, 4-1-85 से माननीय न्यायाधीश श्री मोहनलाल श्री माल ने लोकायुक्त का कार्य किया। |
| 1984-85 10-6-85 | 176 | 117 | 293 | 52 | 241 | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनलाल श्रीमाल लोकायुक्त का कार्य कर रहे हैं। |

## तालिका संख्या-3

### वर्ष 1982-83 में विचाराधीन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण

#### भाग 1

| | | |
|---|---|---|
| (अ) | वर्ष के प्रारम्भ में पहले से लम्बित शिकायतों की संख्या | 308 |
| (ब) | वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या | 268 |
| | योग | 576 |
| (स) | वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतों की संख्या | 159 |
| (द) | वर्ष के अन्त में विचाराधीन शेष प्रकरणों की संख्या | 412 |

#### भाग 2

### लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

| | | कुल संख्या |
|---|---|---|
| | विचाराधीन परिवादों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई:— | |
| 1. | ऐसे परिवाद जो सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं को फाईल कर दिया गया। | 11 |
| 2. | ऐसे परिवाद जो अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर थे को फाईल किया गया। | 93 |
| 3. | ऐसे परिवाद जिनमें जन सेवक अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर था को फाईल किया गया। | – |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये, को फाईल किया गया। | – |
| 5. | ऐसे परिवाद जिनमें न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया, को फाईल किया गया। | – |
| 6. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने अवसर दिये जाने पर भी परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दी, को फाईल किया गया। | 13 |
| 7. | ऐसे परिवाद जिनमें आरोप इतने अस्पष्ट थे कि जांच करना उचित नहीं था, को फाईल किया गया। | 2 |
| 8. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच करने पर आरोप प्रथम दृष्टा रूप से आधारहीन पाये गये, को फाईल किया गया। | – |
| 9. | ऐसे परिवाद जिनमें विभागों/जांच अधिकारियों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों से आरोप सत्य नहीं पाये गये, को फाईल किया गया। | 18 |
| 10. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी को अन्य कार्यवाही करने का अवसर सुलभ था व अधिक उचित था, को फाईल किया गया। | 3 |
| 11. | ऐसे परिवाद जिनमें सम्बन्धित विभाग या राज्य सरकार ने इस सचिवालय से या अन्यत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर जन सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर दी एवं जिनमें परिवादी को अनुताप सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान किया। | 17 |
| 12. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच से आरोप असत्य पाये गये। | – |
| 13. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच से धारा 10 (1) के अन्तर्गत अन्वेषण के आवश्यक आधार नहीं पाये गये। | – |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सत्य नहीं पाये गये को फाइल किया गया । | 1 |
| 15. | ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सिद्ध पाये गये व राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी को धारा 12 (1) अधिनियम संख्या 9 सन् 73 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजी गई । | – |
| 16. | ऐसे परिवाद जो विचाराधीन रहे व जिनमें अधिनियम संख्या 9 सन् 1973 के अधीन कार्यवाही वर्ष के अन्त में लम्बित रहो । | 412 |

359

## तालिका संख्या-3 (2)

## वर्ष 1984-85 में विचाराधीन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण

### भाग 1

| | | |
|---|---|---|
| (अ) | वर्ष के प्रारम्भ में पहले से लम्बित शिकायतों की संख्या | 412 |
| (ब) | वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या | 230 |
| | योग | 642 |
| (स) | वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतों की संख्या | 15 |
| (द) | वर्ष के अन्त में विचाराधीन शेष प्रकरणों की संख्या | 627 |

### भाग 2

### लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

| | | कुल संख्या |
|---|---|---|
| | विचाराधीन परिवादों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई:— | |
| 1 | ऐसे परिवाद जो सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, को फाईल कर दिया गया। | — |
| 2. | ऐसे परिवाद जो अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर थे, को फाईल किया गया। | 12 |
| 3. | ऐसे परिवाद जिनमें जन सेवक अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर था, को फाईल किया गया। | — |

360



4. ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये, को फाईल किया गया। -

5. ऐसे परिवाद जिनमें न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया, को फाईल किया गया। -

6. ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने अवसर दिये जाने पर भी परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दी, को फाईल किया गया। -

7. ऐसे परिवाद जिनमें आरोप इतने अस्पष्ट थे कि जांच करना उचित नहीं था को फाईल किया गया। -

8. ऐसे परिवाद जिनमें जांच करने पर आरोप प्रथम दृष्टा रूप से आधारहीन पाये गये को फाईल किया गया। -

9. ऐसे परिवाद जिनमें विभागों/जांच अधिकारियों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों से आरोप सत्य नहीं पाये गये, को फाईल किया गया। -

10. ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी को अन्य कार्यवाही करने का अवसर सुलभ था व अधिक उचित था, को फाईल किया गया। -

11. ऐसे परिवाद जिनमें सम्बन्धित विभाग या राज्य सरकार ने इस सचिवालय से या अन्यत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर जन सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर ली एवं जिनमें परिवादी को अनुतोष सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान किया। 3

12. ऐसे परिवाद जिनमें जांच से आरोप असत्य पाये गये। -

13. ऐसे परिवाद जिनमें जांच से धारा 10 (1) के अन्तर्गत अन्वेषण के आवश्यक आधार नहीं पाये गये। -

14. ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सत्य नहीं पाये गये, को फाईल किया गया। —

15. ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सिद्ध पाये गये व राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी को धारा 12 (1) अधिनियम संख्या 9 सन् 73 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजी गई। —

16. ऐसे परिवाद जो विचाराधीन रहे व जिनमें अधिनियम संख्या 9 सन् 1973 के आधीन कार्यवाही वर्ष के अन्त में लम्बित रहीं। 627

तालिका संख्या-3 (3)

**वर्ष 1984-85 में विचाराधीन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण**

भाग 1

| | |
|---|---|
| (अ) वर्ष के प्रारम्भ में पहले से लम्बित शिकायतों की संख्या | 627 |
| (ब) वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या | 375 |
| | 1002 |
| (स) वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतों की संख्या | 826 |
| (द) वर्ष के अन्त में विचाराधीन शेष प्रकरणों की संख्या | 176 |

भाग 2

**लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण**

| | | कुल संख्या |
|---|---|---|
| | विचाराधीन परिवादों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई:— | |
| 1 | ऐसे परिवाद जो सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, को फाईल कर दिया गया। | 64 |
| 2. | ऐसे परिवाद जो अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर थे, को फाईल किया गया। | 100 |
| 3. | ऐसे परिवाद जिनमें जन सेवक अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर था, को फाईल किया गया। | 69 |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये, को फाईल किया गया। | 129 |
| 5. | ऐसे परिवाद जिनमें न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया, को फाईल किया गया। | 2 |
| 6. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने अवसर दिये जाने पर भी परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दी, को फाईल किया गया। | 65 |
| 7. | ऐसे परिवाद जिनमें आरोप इतने अस्पष्ट थे कि जांच करना उचित नहीं था, को फाईल किया गया। | 25 |
| 8. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच करने पर आरोप प्रथम दृष्टा रूप से आधारहीन पाये गये, को फाईल किया गया। | 7 |
| 9. | ऐसे परिवाद जिनमें विभागों/जांचअधिकारियों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों से आरोप सत्य नहीं पाये गये, को फाईल किया गया। | 65 |
| 10. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी को अन्य कार्यवाही करने का अवसर सुलभ था व अधिक उचित था, को फाईल किया गया। | 184 |
| 11. | ऐसे परिवाद जिनमें सम्बन्धित विभाग या राज्य सरकार ने इस सचिवालय से या अन्यत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर जन सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर ली एवं जिनमें परिवादी को अनुतोष सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान किया। | 95 |
| 12. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच से आरोप असत्य पाये गये। | 2 |
| 13. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच से धारा 10 (1) के अन्तर्गत अन्वेषण के आवश्यक आधार नहीं पाये गये। | 14 |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सत्य नहीं पाये गये को फाइल किया गया । | 5 |
| 15. | ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सिद्ध पाये गये व राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी को धारा 12 (1) अधिनियम संख्या 9 सन् 73 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजी गई । | 1 |
| 16. | ऐसे परिवाद जो विचाराधीन रहे व जिनमें अधिनियम संख्या 9 सन् 1973 के अधीन कार्यवाही वर्ष के अन्त में लम्बित रही । | 176 |

## तालिका संख्या-3 (4)

**वर्ष 1984-85 में विचाराधीन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण**
(1-4-85 to 30-6-85)

भाग 1

| | |
|---|---|
| (अ) वर्ष के प्रारम्भ में पहले से लम्बित शिकायतों की संख्या | 176 |
| (ब) वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या | 117 |
| योग | 293 |
| (स) वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतों की संख्या | 52 |
| (द) वर्ष के अन्त में विचाराधीन शेष प्रकरणों की संख्या | 241 |

भाग 2

**लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण**

| | कुल संख्या |
|---|---|
| विचाराधीन परिवादों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई:— | |
| 1. ऐसे परिवाद जो सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, को फाईल कर दिया गया। | — |
| 2. ऐसे परिवाद जो अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर थे को फाईल किया गया। | 4 |
| 3. ऐसे परिवाद जिनमें जन. सेवक अधिनियम संख्या 9 सन् 73 की परिधि के बाहर था, को फाईल किया गया। | 5 |

(366)



| | | |
|---|---|---|
| 4. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये, को फाईल किया गया। | 2 |
| 5. | ऐसे परिवाद जिनमें न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया, को फाईल किया गया। | 1 |
| 6. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी ने अवसर दिये जाने पर भी परिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दी, को फाईल किया गया। | 8 |
| 7. | ऐसे परिवाद जिनमें आरोप इतने अस्पष्ट थे कि जांच करना उचित नहीं था को फाईल किया गया। | 3 |
| 8. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच करने पर आरोप प्रथम दृष्टा रूप से आधारहीन पाये गये को फाईल किया गया। | 1 |
| 9. | ऐसे परिवाद जिनमें विभागों/जांच अधिकारियों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों से आरोप सत्य नहीं पाये गये, को फाईल किया गया। | 1 |
| 10. | ऐसे परिवाद जिनमें परिवादी को अन्य कार्यवाही करने का अवसर सुलभ था व अधिक उचित था, को फाईल किया गया। | 11 |
| 11. | ऐसे परिवाद जिनमें सम्बन्धित विभाग या राज्य सरकार ने इस सचिवालय से या अन्यत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर जन सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर ली एवं जिनमें परिवादी को अनुतोष सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान किया। | 5 |
| 12. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच से आरोप असत्य पाये गये। | – |
| 13. | ऐसे परिवाद जिनमें जांच से धारा 10 (1) के अन्तर्गत अन्वेषण के आवश्यक आधार नहीं पाये गये। | 6 |

14. ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सत्य नहीं पाये गये, को फाईल किया गया। 5

15. ऐसे परिवाद जिनमें अन्वेषण करने पर आरोप सिद्ध पाये गये व राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी को धारा 12 (1) अधिनियम संख्या 9 सन् 73 के अन्तर्गत रिपोर्ट भेजी गई। —

16. ऐसे परिवाद जो विचाराधीन रहे व जिनमें अधिनियम संख्या 9 सन् 1973 के अधीन कार्यवाही वर्ष के अन्त में लम्बित रहीं। 241

## तालिका संख्या–4

(30-6-85 को विचाराधीन प्रकरणों की वर्षवार तालिका)

| क्रमांक | वर्ष | प्रकरणों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1975 | 2 | |
| 2 | 1976 | – | |
| 3 | 1977 | 1 | |
| 4 | 1978 | 3 | |
| 5 | 1979 | 15 | |
| 6 | 1980 | 8 | |
| 7 | 1981 | 14 | |
| 8 | 1982 | 9 | |
| 9 | 1983 | 8 | |
| 10 | 1984 | 77 | |
| 11 | 1985 (1-4-85 से 30-6-85 तक) | 104 | |
| | टोटल | 241 | |

**भीलवाड़ा जिले के चिकित्सीय संस्थान**

**208. श्री बिहारी लाल पारीक** (माण्डल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछले 5 वर्षों में कितनी डिस्पेन्सरी खोली गयी ? कृपया तहसीलवार सूची सदन पटल पर रखें।

(2) उक्त अवधि में तहसील माण्डल में उप स्वास्थ्य केन्द्र, ऐड पोस्ट, डिस्पेन्सरी कितनी खोली गयी ? जिले की अन्य तहसीलों में उक्त चिकित्सीय संस्थान कितने खोले गये ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(3) तहसील माण्डल में कुल कितनी डिस्पेन्सरी हैं ? इनमें कहां-कहां कितने स्टाफ की कमी है ? रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ?

(4) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर पर रेफरल अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो माण्डल तहसील हैड क्वार्टर पर अभी तक रेफरल अस्पताल नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक खोलने का सरकार का विचार है ?

**उत्तर**

(1) सूची (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) तहसील माण्डल में चार डिस्पेन्सरियां हैं केवल एक डिस्पेन्सरी चान्दरात में एक पद चिकित्सक का रिक्त है। शीघ्र ही इस पद पर चिकित्सक का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट-"क"

| जिले का नाम | पंचायत समिति | स्वीकृत डिस्पेन्सरी का स्थान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. भीलवाड़ा | हुरड़ा | 1. रूपाहेलीकला | 1979-80 |
| | जहाजपुर | 2. अमरवासी | ,, |
| | कोटड़ी | 3. बोरड़ा | ,, |
| | शाहपुरा | 4. राज्यास | ,, |
| | माण्डलगढ़ | 5. महुवा | 1980-81 |
| | सहाड़ा | 6. महेन्द्रगढ़ | ,, |
| | मांडल | 7. चान्दरास | ,, |
| | आसीन्द | 8. अन्टाली | 1981-82 |
| | मांडलगढ़ | 9. सिगोली | ,, |
| | बनेड़ा | 10. डाबला | 1983-84 |
| | मांडलगढ़ | 11. श्यामपुरा (प्रा. स्वा. केन्द्र में कमोन्नत किया गया है ) | ,, |
| | शाहपुरा | 12. सांगरिया | 1983-84 |
| | माण्डलगढ़ | 13. मानपुर (श्यामपुरा की डिस्पेन्सरी मानपुर में स्थानान्तरण किया गया है) | |

परिशिष्ट–'ख"

तहसील मांडल में गत 5 वर्षो में डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट एवं उपकेन्द्र खोले गये की सूचना निम्न प्रकार है—

| वर्ष | डिस्पेन्सरी | एडपोस्ट | उपकेन्द्र |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1980 | — | — | — |
| 1981 | 1 | — | 1 |
| 1982 | — | — | 1 |
| 1983 | — | — | 2 |
| 1984 | — | — | 3 |

जिले के अन्य चिकित्सा संस्थानों की संख्या

| वर्ष | रेफरल अस्पताल | प्रा. स्वा. केन्द्र | स. स्वा. केन्द्र | सेटेलाईट होस्पि. | डिस्पे. | ऐड पोस्ट | उपकेन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1979-80 | — | — | — | — | 4 | — | — |
| 1980-81 | — | — | — | — | 3 | — | — |
| 1981-82 | — | — | — | — | 2 | — | — |
| 1982-83 | — | — | 1 | — | — | — | 7 |
| 1983-84 | — | 2 | 2 | — | 3 | — | 29 |
| 1984-85 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| योग | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | 76 |

**उदयपुर जिले में पेय जल व्यवस्था**

**209. श्री नवनीत लाल** (घाटोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में जल वितरण योजनायें कहां-कहां चल रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। जिन स्थानों पर ये योजनायें चल रही हैं उनमें से कौन-कौन से स्थानों पर पानी की कमी व वितरण में अव्यवस्था है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही कि बड़े-बड़े कस्बों में प्रभावशाली लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बूस्टर लगा रखे हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कितने केस बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) उयदपुर जिले की पेयजल योजनाओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। कुछ योजनाओं में भूजल की कमी के कारण पेयजल के वितरण में कमी हुई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय लाइनों पर सीधे बूस्टर लगाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: उपभोक्ताओं के विरुद्ध केस बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## उदयपुर जिले की योजनाए जो संधारण में है

| क्र. सं. | नगर/गाम का नाम जहां की योजना संधारण में है | तहसील |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | भीण्डर | वल्लभनगर |
| 2 | कानोड | " |
| 3 | सलुम्बर | सलुम्बर |
| 4 | रिषभदेव | खेरवाड़ा |
| 5 | फतहनगर | मावली |
| 6 | उदयपुर | उदयपुर |
| 7 | म्रादवास | सराडा |
| 8 | बबराना | सलुम्वर |
| 9 | चावण्ड | सराडा |
| 10 | गोगला | सलुम्बर |
| 11 | इटाली खेड़ा | " |
| 12 | झाड़ोल | सराड़ा |
| 13 | केजड़ | सलूम्बर |
| 14 | परसाद | सराड़ा |
| 15 | सामोरा | सलूम्बर |
| 16 | सराड़ा | सराडा |
| 17 | सेमारी | सलूम्बर |
| 18 | उथरड़ा | " |
| 19 | टोकर | दरियावल |
| 20 | सुरखभऊ खेड़ा | सलुम्बर |
| 21 | सेरीया | |
| 22 | सायरा | गोगुन्दा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23 | साकरोद्धा भोली का गुडा | गिर्वा |
| 24 | रावलिया कलां | गोगुन्दा |
| 25 | पदराडा | ,, |
| 26 | बम्बोरा | गिर्वा |
| 27 | बारापाल | ,, |
| 28 | बनावद्धा | ,, |
| 29 | देबारी | ,, |
| 30 | एकलिंगपुरा कलड़वास | ,, |
| 31 | गोगुन्दा | गोगुन्दा |
| 32 | गुड़ली | गिर्वा |
| 33 | जगत | ,, |
| 34 | जसवन्तगढ़ | गोगुन्दा |
| 35 | कानुपुर | गिरवा |
| 36 | काया | गिर्वा |
| 37 | कोटड़ा | कोटड़ा |
| 38 | कुवाबड़ | गिर्वा |
| 39 | लकड़वास | , |
| 40 | सावली | ,, |
| 41 | साईबजड़ा | ,, |
| 42 | नान्देशमा | गोगुन्दा |
| 43 | थूर | गिर्वा |
| 44 | टीड़ी | ,, |
| 45 | सण्डेड़ा | वल्लभनगर |
| 46 | भटेवर | ,, |
| 47 | दरोली मगरासिया | ,, |
| 48 | हीता | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 49 | खेड़ी | वल्लभनगर |
| 50 | खेरोडा | ,, |
| 51 | मैसार | ,, |
| 52 | मोड़ी | ,, |
| 53 | नवानिया | ,, |
| 54 | वल्लभनगर | ,, |
| 55 | पारसोला | धरियावाद |
| 56 | धरियावद | ,, |
| 57 | कालीभीत | ,, |
| 58 | केसरियावाद | ,, |
| 59 | लसाड़िया | ,, |
| 60 | खरवाड़ा | खरवाड़ा |
| 61 | चन्देसरा | मावली |
| 62 | चामेड़ी | ,, |
| 63 | डबोकमेड़ता | ,, |
| 64 | भासा | मावली |
| 65 | इठाली | ,, |
| 66 | नाहर मंगरा | ,, |
| 67 | जीवाशा | ,, |
| 68 | मावली | मावली |
| 69 | सालेरकला | ,, |
| 70 | बासडा | वल्लभनगर |
| 71 | भाडोल | सराडा |
| 72 | पलाना कला | मावली |
| 73 | थामला | ,, |
| 74 | कमोल | गीगुन्दा |
| 75 | काँकरोली | राजसमन्द |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 76 | कुवारिया | राजसमन्द |
| 77 | करारा | ,, |
| 78 | सरदारगढ़ | आमेट |
| 79 | मलमंगरा | ,, |
| 80 | जीलोला | ,, |
| 81 | रेलमगरा | रेलमगरा |
| 82 | वामनिया | ,, |
| 83 | पछमता | ,, |
| 84 | दामोदरपुरा | ,, |
| 85 | ताल | देवगढ़ |
| 86 | लसानी | ,, |
| 87 | नाथद्वारा | नाथद्वारा |
| 88 | झालों की मदार | ,, |
| 89 | समा | ,, |
| 90 | नेड़च | ,, |
| 91 | केलवाडा | ,, |
| 92 | गिलुण्ड | रेलमगरा |

पानी की कमी वाली योजनाएं

| क्र. सं. | नगर/ग्राम जहां की योजना संधारण में है | तहसील |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | धामला | मावली |
| 2 | धासा | ,, |
| 3 | उघरडा | वल्लभनगर |
| 4 | मोडी | ,, |
| 5 | वल्लभनगर | ,, |
| 6 | मटेवर | ,, |
| 7 | खेरादा | ,, |
| 8 | मैनार | ,, |
| 9 | दरियावद | धरियावद |
| 10 | जसवन्तगढ़ | गोगुन्दा |
| 11 | करावड | खेरवाडा |
| 12 | बम्बोरा | गिर्वा |
| 13 | लकडवास | ,, |
| 14 | गोगुन्दा | गोगुन्दा |
| 15 | पलाना | मावली |
| 16 | सायरा | गोगुन्दा |
| 17 | केलवा | राजसमन्द |
| 18 | मोही | ,, |
| 19 | पिपरडा | ,, |
| 20 | आमेट | आमेट |
| 21 | कुरज | रेलमगरा |
| 22 | धनोरिया | ,, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23 | देवगढ़ | देवगढ़ |
| 24 | भीम | भीम |
| 25 | बरार | ,, |
| 26 | छापली | ,, |
| 27 | दिवेर | ,, |
| 28 | कोठारिया | नाथद्वारा |
| 29 | देलवाडा | ,, |
| 30 | खमनोर | ,, |
| 31 | मोलेला | ,, |
| 32 | वाडी | ,, |
| 33 | कुकडा | भीम |
| 34 | सैवन्तरी | कुम्भलगढ़ |
| 35 | चारभुजा | कुम्भलगढ़ |
| 36 | विच्छेड | ,, |

नोट—टी. एस. एम के अन्तर्गत मार्च 1985 तक 122 ग्रामों को लाभान्वित किया गया है; यह योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से संधारण में हैं। हैण्डपम्पों द्वारा 2018 ग्राम लाभान्वित हैं।

## परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची

टैंकरों में कराये गये मरम्मत कार्य का ब्यौरा

| क्र. सं. | टैंकर संख्या | मरम्मत कार्य का विवरण |
|---|---|---|
| 1. | टी. एन. एच. 22 0 | 1. टायर ट्यूब व बैट्री<br>2. कम्पलीट डेन्टींग व बेंन्डिग का कार्य<br>3. कम्पलीट पेन्टिग का कार्य<br>4. कम्पलीट पोसीस का कार्य<br>5. कम्पलीट इलेक्ट्रिक का कार्य<br>6. माइनर रिपेयर व मेन्टिनेन्स का कार्य |
| 2. | ,, ,, 2214 | ,, ,, |
| 3. | ,, ,, 2282 | ,, ,, |
| 4. | ,, ,, 2281 | ,, ,, |
| 5. | ,, ,, 2772 | ,, ,, |
| 6. | ,, ,, 2217 | ,, ,, |
| 7. | ,, ,, 1300 | ,, ,, |
| 8. | ,, ,, 2771 | ,, ,, |
| 9. | ,, ,, 2774 | ,, ,, |
| 10. | आर. जे. सी. 1004 | ,, ,, |
| 11. | आर. जे. एम. 431 | ,, ,, |
| 12. | एम. आर. वी. 441 | ,, ,, |

## कार्यालय जिलाधीश (सहायता) पाली

### वाटर टैंकरों द्वारा पेयजल वितरण सम्बन्धी सूची (जिला पाली)

| क्र.सं. | ग्राम नाम | नाम तहसील | टैंकर प्रारम्भ करने की तारीख | माह में टैंकर द्वारा पहुंचाये गये पानी के ट्रीप की संख्या नवम्बर 84 | दिसम्बर 84 | जनवरी 85 | फरवरी 85 | मार्च 85 | अप्रेल 85 | मई 85 | जून 85 | कुल ट्रीप | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | पुष्वतारी | पाली | 21/11/84 | 10 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 222 | |
| 2 | गेलावास | ,, | 10/12/84 | — | 44 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 406 | |
| 3 | लामडा | ,, | ,, | — | 22 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 203 | |
| 4 | खुटाणी | ,, | ,, | — | 66 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 609 | |
| 5 | पांती | ,, | 10/6/85 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 21 | |
| 6 | बस्सी | ,, | 10/12/84 | — | 44 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 406 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | रखाणा (भीलों की ढाणी) | पाली | 23/4/85 | — | — | — | — | — | 4 | 16 | 15 | 35 | |
| 8 | इन्जावा | ,, | 21/11/84 | 10 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 222 | |
| 9 | कलथाना (नयी आबादी) | ,, | 23/4/85 | — | — | — | — | — | 4 | 16 | 15 | 35 | |
| 10 | भोरीया | ,, | 11/2/85 | — | — | — | 36 | 62 | 60 | 62 | 60 | 280 | |
| 11 | नेहरडा | ,, | 23/4/85 | — | — | — | — | — | 8 | 31 | 26 | 65 | |
| 12 | बींवा | ,, | 21/11/84 | 20 | 62 | 62 | 56 | 62 | 60 | 56 | 60 | 438 | |
| 13 | ऊन्दरा | ,, | ,, | 10 | 14 | 14 | 12 | 15 | 30 | 45 | 45 | 185 | |
| 14 | माण्डावास | ,, | 23/4/85 | — | — | — | — | — | 24 | 93 | 90 | 207 | |
| 15 | चैण्डा | , | 16/4/85 | — | — | — | — | — | 30 | 62 | 60 | 152 | |
| 16 | गेलावास | , | 10/12/84 | | 42 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 404 | |
| 17 | राणा | ,, | 18/1/85 | — | — | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 264 | |
| 18 | मीण्डर | ,, | ,, | — | — | 14 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 264 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | आईचिया | पाली | 1/4/85 | — | — | — | — | — | 30 | 31 | — | 61 | |
| 20 | इन्द्रानगर (सांपा) | ,, | 25/4/85 | — | — | — | — | — | 6 | 31 | — | 36 | |
| 21 | बाणियावास | ,, | ,, | — | — | — | — | = | 6 | 31 | — | 36 | |
| 22 | पादरली (तुर्का) | ,, | ,, | — | — | — | — | — | 6 | 31 | — | 36 | |
| 23 | लाम्बिया | ,, | 4/5/85 | — | — | — | — | — | — | 27 | — | 26 | |
| 24 | साकड़ावास | ,, | ,, | — | — | — | — | — | — | 14 | 16 | 30 | |
| 25 | भांवरी | , | ,, | — | — | — | — | — | — | 27 | 60 | 87 | |
| 26 | बाण्डाई | ,, | 23/4/85 | — | — | — | — | — | 8 | 31 | 30 | 39 | |
| 27 | मादडी | ,, | 28/5/85 | — | — | — | — | = | — | 4 | 30 | 34 | |
| 28 | चवरडा की ढाणी | ,, | ,, | — | — | — | — | — | — | 4 | 30 | 34 | |
| 29 | देवाण | ,, | 15/5/85 | — | — | — | — | — | — | 16 | 30 | 46 | |
| 30 | सिणगारी | ,, | 28/6/85 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | सीराणा | ,, | 10/6/85 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| 32 | पांचपदरिया | पाली | ,, | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| 33 | रेवडा खुर्द | ,, | ,, | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| 34 | निम्बली (पटेलान) | ,, | ,, | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| 35 | निम्बली (ब्राह्मण) | ,, | ,, | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| 36 | कुंण्डली (चारणान) | | 22/6/85 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | |
| 37 | गोदावास | ,, | 24/4/85 | — | — | — | — | — | 7 | 30 | — | 37 | |
| 38 | लाणेरा | सोजत | 29/3/85 | — | — | — | — | 7 | 7 | 9 | — | 23 | |
| 39 | माणिया | ,, | 31/3/85 | — | — | — | — | 2 | 9 | 10 | — | 21 | |
| 40 | विश्नोईयों की ढाणी | ,, | ,, | — | — | — | — | 1 | 8 | 9 | — | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | सोवों की ढाणी | सोजत | 1/4/85 | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | 18 | |
| 42 | घुरासणी | ,, | ,, | — | — | — | — | — | 16 | 41 | — | 57 | |
| 43 | माटों की ढाणी | ,, | 4/4/85 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | — | 13 | |
| 44 | नाथलकुण्डी | ,, | 8/4/85 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | 4 | |
| 45 | ग्रबकाई ढाणी | ,, | 11/4/85 | — | — | — | — | — | 8 | 9 | — | 17 | |
| 46 | नयी ढाणी | ,, | 16/4/85 | — | — | — | — | — | 5 | 23 | — | 28 | |

ह०
जिलाधीश (सहायता)
पाली

(उदयपुरी)

## परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न सं० 224 का विवरण

**पेयजल से लाभान्वित ग्रामों की सूची**

| क्र. सं. | योजना का नाम | लाभान्वित ग्राम | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | पम्प एवं टंक योजना डेह | 1 | डेह |
| 2. | ,, जायल | 1 | जायल |
| 3. | क्षेत्रीय जल योजना रोल खंवर | 1 | रोल |
| | | 2 | खंवर |
| | | 3 | रातंगा |
| | | 4 | पिंडीयारा |
| | | 5 | मांगलोद |
| | | 6 | गोठ |
| | | 7 | दुगस्ताऊ |
| 4. | क्षेत्रीय जल योजना तरनाऊ रोहिना | 1 | तरनाऊ |
| | | 2 | रोहिना |
| | | 3 | सांडीला |
| | | 4 | ऊचाइडा |
| | | 5 | मालालड |
| | | 6 | धारना |
| | | 7 | कुसिया |
| | | 8 | मेरवास |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 5. | क्षेत्रीय जल योजना साजू | 1 | खाटूकलां |
| | | 2 | दोतीना |
| | " | 3 | पीडिया |
| | | 4 | उबासी |
| | | 5 | फिरोजपुरा |
| | | 6 | तातरवी |
| 6. | क्षेत्रीय जल योजना गैलोली मावला | 1 | गैलोली |
| | | 2 | मावला |
| | | 3 | कालवी |
| | | 4 | मून्डी |
| 7. | विस्तार जल योजना डोडू | 1 | डोडू |
| 8. | पम्प एवं टैंक योजना कठौती | 1 | कठौती |
| 9. | टी. एस. एस. बडबड़ | 1 | बडबड |
| 10. | ,, कसनऊ | 1 | कसनऊ |
| 11. | ,, मातासुख | 1 | मातासुख |
| 12. | क्षेत्रीय जल योजना राजोद खियांला | 1 | खियाला |
| | | 2 | धाटियाद |
| | | 3 | घनानी |
| | | 3 | छापड़ा |
| | | 5 | डूगोली |
| | | 6 | राजोद |
| | | 7 | रोट्ठ |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 13. | टी. एस. एस. योजना बरनेल | 1 | बरनेल |
| 14. | टी. एस. एस. योजना डेहरी | 1 | डेहरी |
| 15. | पी. एण्ड टी. फरडोद | 1 | फरडोद |
| 16. | क्षेत्रीय जल योजना बोरिंद कला एवं खुर्द | 1 | बोरिन्द कलां |
| | | 2 | बोरिन्द खुर्द |
| 17. | पी. एण्ड टी. गौराऊ | 1 | गौराऊ |
| 18. | विस्तार जल योजना तंवरा | 1 | तंवरा |
| 19. | पी. एण्ड टी. योजना लूनसरा | 1 | लूनसरा |
| 20. | विस्तार जल योजना जोचिना | 1 | जोचिना |
| 21. | क्षेत्रीय जल योजना जानियासर कमेडिया | 1 | जालनियासर |
| | | 2 | कमेडिया |
| 22. | ..........."—डीडिया कलां एवं खुर्द | 1 | डीडिया कलां |
| | | 2 | डीडिया खुर्द |
| 23. | विस्तार जल योजना बरसिंगा | 1 | बरसिंगा |
| 24. | पी. एण्ड टी. सोमडा | 1 | सोमडा |
| 25. | ,, झाडेली | 1 | झाडेली |
| 26. | टी. एस एस. रूपाथल | 1 | रूपाथल |
| 27. | पी. एण्ड टी. बोडवा | 1 | बोडवा |
| 28. | क्षेत्रीय जल योजना सुवादिया बुगरडा | 1 | सुवादिया |
| | | 2 | बगरडा |
| | | 3 | खानपुरा माजरा |

388



| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 29. | क्षेत्रीय जल योजना डेरोली बरसूना | 1 | डेरोली |
| | | 2 | बरसूना |
| | | 3 | सिलारिया |
| 30. | ,, कठोती जानी | 1 | जानी |
| 31. | विस्तार जल योजना छाजोली | 1 | छाजोली |
| 32. | क्षेत्रीय जल योजना सुरपालिया मून्दीया | 1 | सुरपालिया |
| | | 2 | सुरपालिया |
| 33. | विस्तार जल योजना नराधना | 1 | नराधना |

परिशिष्ट-10 जुलाई, 1985-परिशिष्ट

ग्रामों की सूची जो अभी तक पेयजल से लाभान्वित नहीं हैं

| क्र.सं. | ग्राम का नाम | कोड नं. | जन संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बोसेरी | 1 | 1272 |
| 2 | आवलीसर | 2 | 1052 |
| 3 | बाबरासर | 3 | 780 |
| 4 | मीठा माजरा | 5 | 729 |
| 5 | कांगरिया | 7 | 721 |
| 6 | तालनगाउ | 8 | 881 |
| 7 | निम्बोडा | 10 | 565 |
| 8 | ओकोड़ा | 11 | 1097 |
| 9 | जनेवा ईस्ट | 13 | 470 |
| 10 | जनेवा वेस्ट | 14 | 440 |
| 11 | खेराटा | 15 | 1587 |
| 12 | सेडरू | 16 | 125 |
| 13 | नोसरिया | 17 | 310 |
| 14 | गहरिया | 18 | 347 |
| 15 | बुरडी | 19 | 855 |
| 16 | मुन्दयाउ | 21 | 420 |
| 17 | खाखडयाना | 22 | 1049 |
| 18 | गुढ़ा रोहिला | 23 | 913 |
| 19 | गुगरयाली | 24 | 1312 |
| 20 | रामसर | 25 | 480 |
| 21 | चावली | 26 | 649 |
| 22 | खारामांजरा | 27 | 343 |
| 23 | ऐवाद | 30 | 973 |
| 24 | खेडा हीरावास | 31 | 185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25 | सोमेली | 34 | 1635 |
| 26 | अजबपुरा | 39 | 245 |
| 27 | चेबाद | 40 | 388 |
| 28 | खारीजोदा | 44 | 908 |
| 29 | नोखाजोदा | 47 | 710 |
| 30 | खेरवाड़ा | 59 | 543 |
| 31 | छावटा खुर्द | 62 | 526 |
| 32 | टांगला | 63 | 703 |
| 33 | रूनिचा | 64 | 547 |
| 34 | जाखन | 72 | 401 |
| 35 | दमवाली | 75 | 256 |
| 36 | बानता | 77 | 139 |
| 37 | मीनीवाद | 79 | 82 |
| 38 | मिनियाद चक | 80 | 229 |
| 39 | कसारी | 83 | 360 |
| 40 | मिनियाद चक | 82 | |
| 41 | कसारी | 83 | 360 |
| 42 | टांगली | 92 | 287 |
| 43 | छावटा कला | 91 | 677 |
| 44 | गौतरडी | 97 | 384 |
| 45 | झुण्डाला | 98 | 342 |
| 46 | पाठेली | 99 | 370 |
| 47 | खेड़ा नागनोलिया | 100 | 166 |
| 48 | टेवला | 115 | 84 |

**भाग संख्या 2 की सूची**

ग्रामों की सूची जो अभी तक किसी भी स्वीकृत योजना में शामिल नहीं हैं

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | कोड संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | मिठा माजरा | 5 |
| 2 | कागसिया | 7 |
| 3 | जेनवा वेस्ट | 14 |
| 4 | खेडाऊ | 16 |
| 5 | रामसर | 25 |
| 6 | चागली | 26 |
| 7 | खारा माजरा | 27 |
| 8 | सौनेली | 34 |
| 9 | अजबपुरा | 39 |
| 10 | चवाद | 40 |
| 11 | नोखा जोधा | 47 |
| 12 | खैखाड | 59 |
| 13 | मिनियाद चक I | 80 |
| 14 | मिनियाद चक II | 82 |
| 15 | कसारी | 83 |
| 16 | टागली | 92 |
| 17 | गोतरडी | 97 |
| 18 | झुझांला | 98 |
| 19 | पाटेली | 99 |
| 20 | खेडा नारनौलिया | 100 |
| 21 | तातरवी | 115 |
| 22 | गुगरियाली | 24 |

## परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न सख्या 228 का विवरण

**केशरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के शेष ग्रामों की पेयजल योजनाओं का विवरण**

| क्र. सं | ग्राम का नाम | तहसील | कोड नं. | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 21 एच | करनपुर | 44 | योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं |
| 2. | 15 एच | ,, | 54 | ,, |
| 3. | 2 टी | ,, | 56 | ,, |
| 4. | 3 ए | श्रीगंगानगर | 15 | ,, |
| 5. | 2 एं | ,, | 18 | ,, |
| 6. | सरकाज नाहर कोठा | ,, | 20 | ,, |
| 7. | 2 बी | ,, | 22 | ,, |
| 8. | 4 सी | ,, | 35 | ,, |
| 9. | 5 डी | ,, | 38 | ,, |
| 10. | 2 एफ | ,, | 50 | ,, |
| 11. | 3 जी | ,, | 77 | ,, |
| 12. | अम्बर का गुजराल | ,, | 79 | ,, |
| 13. | 18 एफ | ,, | 128 | ,, |
| 14. | 1 ई | ,, | 143 | ,, |
| 15. | 11 जी | ,, | 216 | ,, |
| 16. | 18 जी जी | ,, | 230 | ,, |
| 17. | 2 एल एल | ,, | 245 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | 21 जी जी | श्रीगंगानगर | 247 | धन राशि उपलब्धि एवं |
| 19. | 28 जी जी | ,, | 254 | तकनीकी उपयुक्ता के अनु- |
| 20. | 7 एच एच | ,, | 273 | सार योजना स्वीकृत कर |
| 21. | 16 जी | ,, | 256 | क्रियान्वित की जावेगी। |
| 22. | 31 जी जी | ,, | 263 | ,, |
| 23. | 9 एच एच | ,, | 296 | ,, |
| 24. | 11 एच एच | ,, | 297 | ,, |
| 25. | 9 एम एल | ,, | 304 | ,, |
| 26. | 1 आर | करनपुर | 2 | ,, |
| 27. | 10 एस | ,, | 23 | ,, |
| 28. | 24 एच | ,, | 39 | ,, |
| 29. | 19 एच | ,, | 65 | ,, |
| 30. | 9 एस ए | ,, | 6 | ,, |
| 31. | 1 एस | ,, | 10 | ,, |
| 32. | 2 एस | करनपुर | 18 | ,, |
| 33. | 6 एस | ,, | 20 | ,, |
| 34. | 2 यू | ,, | 59 | ,, |
| 35. | 5 यू | ,, | 60 | ,, |
| 36. | 4 यू | ,, | 61 | ,, |
| 37. | 6 एच | श्रीगंगानगर | 4 | ,, |
| 38. | 2 एच | ,, | 8 | ,, |
| 39. | 8 बी | ,, | 23 | ,, |
| 40. | 3 बी | ,, | 27 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 41. | सरफाजनहारपाकी | श्रीगंगानगर | 28 | धनराशि उपलब्धि एवं |
| 42. | 1 डी | ,, | 36 | तकनीकी उपयुक्ता के अनु |
| 43. | सरफाजनहारपाकी | ,, | 44 | सार योजना स्वीकृत कर |
| 44. | 1 ई | ,, | 46 | क्रियान्वित की जावेगी । |
| 45. | 1 जी | ,, | 51 | ,, |
| 46. | 1 जी | ,, | 53 | ,, |
| 47. | 3 एच | ,, | 55 | ,, |
| 48. | 7 एफ | ,, | 68 | ,, |
| 49, | 1 पी. | ,, | 71 | ,, |
| 50. | 3 जे | ,, | 74 | ,, |
| 51. | 2 जी | ,, | 76 | ,, |
| 52. | 2 वाई | ,, | 80 | ,, |
| 53. | 3 वाई | ,, | 105 | ,, |
| 54. | 4 वाई | ,, | 81 | ,, |
| 55. | 2 डी | ,, | 113 | ,, |
| 56. | 2 जेड | ,, | 114 | ,, |
| 57. | 4 जेड | ,, | 116 | ,, |
| 58. | 5 के | ,, | 121 | ,, |
| 59. | 14 एफ | ,, | 123 | ,, |
| 60. | 15 एफ II | , | 126 | ,, |
| 61. | 17 एफ | ,, | 127 | ,, |
| 62. | 2 एल | ,, | 130 | ,, |
| 63. | 11 जेड | ,, | 135 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 64. | 1 वी | श्रीगंगानगर | 139 | धन राशि उपलब्धि एवं |
| 65. | 6 जेड | ,, | 140 | तकनीकी उपयुक्तता के अनु- |
| 66. | 5 जेड | ,, | 141 | सार योजना स्वीकृत कर |
| 67. | 6 जेड ए | ,, | 159 | क्रियान्वित की जावेगी । |
| 68. | 8 जेड | ,, | 160 | ,, |
| 69. | 24 जेड | ,, | 171 | ,, |
| 70. | 14 जेड | ,, | 178 | ,, |
| 71. | 2 एफ | ,, | 199 | ,, |
| 72. | 8 जी I | ,, | 221 | ,, |
| 73. | 19 जी जी | ,, | 229 | ,, |
| 74. | 1 एच एच | ,, | 242 | ,, |
| 75. | 22 जी जी | ,, | 248 | ,, |
| 76. | 26 जी जी | ,, | 252 | ,, |
| 77. | 15 जी | ,, | 257 | ,, |
| 78. | 9 एल एल | ,, | 269 | ,, |
| 79. | 4 एल एल | ,, | 273 | ,, |
| 80. | 6 एच एच | ,, | 276 | ,, |
| 81. | 7 एम एल | ,, | 278 | ,, |
| 82. | डूंगरसिंहपुर | ,, | 3131 | ,, |
| 83. | 1 वी | ,, | 21 | ,, |
| 84. | सरकाजनहार वाली | ,, | 35 | ,, |
| 85. | 4 डी | ,, | 37 | ,, |
| 86. | 2 ई | ,, | 47 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 87. | 2 क्यू | श्री गंगानगर | 58 | धन राशि उपलब्धि एवं |
| 88. | 4 बी | ,, | 69 | तकनीकी उपयुक्तता के अनु- |
| 89. | 3 एफ | ,, | 72 | सार योजना स्वीकृत कर |
| 90. | 4 एफ | ,, | 73 | क्रियान्वित की जावेगी । |
| 91. | 4 जे | ,, | 75 | ,, |
| 92. | 5 एफ | ,, | 84 | ,, |
| 93. | 8 एफ | ,, | 88 | ,, |
| 94. | 1 के | ,, | 99 | ,, |
| 95. | 4 के | ,, | 122 | ,, |
| 96. | 15 ए एफ | ,, | 124 | ,, |
| 97. | 3 एन | ,, | 129 | ,, |
| 98. | 1 एल | ,, | 131 | ,, |
| 99. | 21 जेड | ,, | 169 | ,, |
| 100. | 4 एफ | ,, | 200 | ,, |
| 101. | 1 एल एल | ,, | 246 | ,, |
| 102. | 24 जी जी | , | 250 | ,, |
| 103. | 25 जी जी | ,, | 251 | ,, |
| 104. | 29 जी जी | ,, | 255 | ,, |
| 105. | 36 जी जी II | ,, | 259 | , |
| 106. | 5 एच एच | ,, | 275 | . |
| 107. | 6 एम एल | ,, | 279 | ,, |
| 108. | 10 एच एच | ,, | 303 | ,, |
| 109. | 10 एम एल | ,, | 305 | ,, |

## परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 234 का विवरण

**राजस्थान नहर की आर. डी. 237 से नीचे की नहर प्रणालियों के माह अप्रैल, 1985 के गेज क्यूसेक में**

| दिनांक माह | अनुपगढ़ शाखा नहरी प्रणाली | बिरधवाल के नीचे ई. गा. मु. नहर | बीकानेर लिफ्ट केनाल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1/4/85 | 2050 | 2000 | 350 |
| 2/4/85 | 2050 | 2000 | 350 |
| 3/4/85 | 2050 | 2000 | 200 |
| 4/4/85 | 2050 | 2000 | 250 |
| 5/4/85 | 2050 | 2000 | 250 |
| 6/4/85 | 2050 | 2000 | 250 |
| 7/4/85 | 2050 | 2000 | 250 |
| 8/4/85 | 2050 | 2000 | 350 |
| 9/4/85 | 2050 | 2000 | 250 |
| 10/4/85 | 2050 | 800 | 250 |
| 11/4/85 | 1600 | 1450 | — |
| 12/4/85 | 1500 | 1450 | 350 |
| 13/4/85 | 1350 | 1450 | — |
| 14/4/85 | 1350 | 1450 | — |
| 15/4/85 | 1550 | 1450 | — |
| 16/4/75 | 1150 | 1450 | — |
| 17/4/85 | 800 | 1450 | 425 |
| 18/4/85 | 700 | 1450 | 425 |
| 19/4/85 | 500 | 2000 | — |
| 20/4/85 | — | 2000 | 425 |

398



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 22/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 23/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 24/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 25/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 26/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 27/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 28/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 29/4/85 | — | 2000 | 425 |
| 30/4/85 | — | 2000 | 425 |

**दैनिक गेजेज इन्दिरा गांधी मुख्य नहर एवं नीचे का बहाव 243 (से ऊपर) की व्यवस्था**
**दिनांक 1–4–85 से 30–4–85**

| दिनांक | आर.डी. 243 | 243 लिफ्ट बिरधवाल | आर.डी. 415 | आर.डी. 507 | एल एल.डी. | आर.जे.डी. | पी.बी. | आर.डी. 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1/4/85 | 412 | 130 | 616 | 51 | — | 120 | 100 | 600 |
| 2/4/85 | 243 | 130 | 478 | 298 | — | — | — | 500 |
| 3/4/85 | 408 | 130 | 512 | 501 | — | — | — | 506 |
| 4/4/85 | 410 | 130 | 497 | 690 | — | — | — | 700 |
| 5/4/85 | 408 | 130 | 497 | 714 | — | — | — | 700 |
| 6/4/85 | 408 | 130 | 500 | 129 | — | — | — | 700 |
| 7/4/85 | 2200 | 300 | 402 | 499 | — | — | 100 | — |
| 8/4/85 | 2500 | 300 | 591 | 694 | — | 20 | 388 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/85 | 3000 | 300 | 1896 | 1007 | — | 20 | 450 | 338 |
| 10/4/85 | 1635 | 120 | 769 | 935 | — | 210 | 450 | 600 |
| 11/4/85 | 680 | 130 | 1007 | 1111 | — | 140 | 150 | 600 |
| 12/4/85 | 800 | 130 | 987 | 857 | — | — | — | 850 |
| 13/4/85 | 740 | 130 | 742 | 747 | — | — | — | 700 |
| 14/4/85 | 708 | 100 | 1101 | 1044 | — | — | — | 1000 |
| 15/4/85 | 690 | 100 | 1013 | 954 | — | — | — | 1000 |
| 16/4/85 | 678 | 100 | 1007 | 947 | — | — | — | 1000 |
| 17/4/85 | 445 | 100 | 760 | 758 | — | — | — | 700 |
| 18/4/85 | 708 | 100 | 715 | 606 | — | — | — | 600 |
| 19/4/85 | 445 | 100 | जी. सी. | 554 | — | — | — | 600 |
| 20/4/85 | 580 | 100 | — | 557 | — | — | — | 600 |
| 21/4/85 | 500 | जी. एफ | — | 407 | — | — | — | 600 |
| 22/4/85 | 470 | — | — | 507 | — | — | — | 600 |
| 23/4/85 | 486 | — | — | 498 | — | — | — | 600 |
| 24/4/85 | 480 | — | — | 499 | — | — | — | 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/4/85 | 418 | जी. एफ. | जी. सी. | 503 | — | — | — | 600 |
| 26/4/85 | 200 | — | — | 400 | — | — | — | 600 |
| 27/4/85 | 200 | — | — | 397 | — | — | — | 600 |
| 28/4/85 | 250 | — | — | 399 | — | 20 | — | 600 |
| 29/4/85 | 403 | — | — | 396 | — | — | — | 500 |
| 30/4/85 | 400 | — | — | जी.सी. | — | — | 100 | 400 |

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची 'क'

सिंचाई विभाग से प्राप्त चकप्लान्स की गांववार सूची ।

तहसील उपनिवेशन,

कोलायत–1

| क्र. सं. | नाम ग्राम | तादाद चक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | गुलामवाला | 12 | 9-11-79 |
| | | | 26-7-79 |
| 2 | | 6 | 5-4-80 |
| 3 | राणासर | 1 | 9-11-79 |
| 4 | अंगनेऊ | 2 | 9-11-79 |
| 5 | अमरपुरा | 24 | 27-6-79 |
| | | | 9-11-79 |
| 6 | माणकासर | 8 | 9-11-79 |
| 7 | मगनवाला | 4 | 17-11-80 |
| 8 | शेरूवाला | 25 | 9-11-79 |
| 9 | मीरणवाला | 9 | 5-4-80 |
| 10 | जगासर | 22 | 5-4-80 |
| | | | 17-11-80 |
| 11 | बिजेरी | 13 | 9-11-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12 | विकेन्द्री | 7 | 9-11-79 |
| 13 | ठण्डकलां | 8 | 9-11-79 |
| 14 | तंवरावाला | 2 | 5-4-80 |
| 15 | नसूमा | 1 | 17-11-80 |
| 16 | मलूरी | 36 | 9-11-79 |
| | | | 26-7-79 |
| 17 | गोकल | 21 | 9-11-79 |
| 18 | बांगड़सर | 18 | 9-11-79 |

**परिशिष्ट "क"**

सिचाई विभाग से प्राप्त चकप्लान्स की गांववार सूची
तहसील उपनिवेशन, कोलायत नं.–2

| क्र. सं. | नाम ग्राम | तादाद चक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | भाटियों की ढाणी | 11 | 30-11-79 |
| 2 | सादोलाई | 8 | 30-11-79 |
| 3 | केहूरली | 7 | 30-11-79 |
| 4 | छीला काश्मीर | 25 | 21-11-79<br>9-11-79 |
| 5 | भूरासर | 3 | 29-3-78 |
| 6 | कांधरली | 20 | 9-11-79<br>30-11-79<br>28-11-79 |
| 7 | गोडू | 43 | 21-12-79<br>28-11-81 |
| 8 | कायमवाला | 8 | 3-6-82 |
| 9 | मिठड़िया | 5 | 5-11-81 |
| 10 | बज्जू खालसा | 2 | 5-11-81 |
| 11 | बरसलपुर | 17 | 3-6-82 |
| 12 | मेघजी का तला | 3 | ,, |
| 13 | मोडायत | 3 | ,, |
| 14 | बेरासर | 2 | ,, |
| 15 | पंवारवाला | 1 | ,, |

परिशिष्ट (क)

सिंचाई विभाग से प्राप्त चकप्लान्स की गांववार सूची 1
तहसील उपनिवेशन, कोलायत नं.–3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | रणजीतपुरा | 43 चक | 21-12-79 |
| | | | 30-6-84 |
| | | | 29-12-79 |
| 2 | कवरावाला | 8 चक | 3-7-84 |
| 3 | रावलोतान का तला | 9 चक | 1-11-84 |
| 4 | मखूसर | 16 चक | 30-6-84 |
| 5 | राववाला | 30 चक | 9-11-79 |
| | | | 21-12-79 |
| | | | 30-6-84 |
| | | | 3-7-84 |

तहसील उपनिवेशन, कोलायत–4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | बीकमपुर | 7 चक | 3-7-81, 27-8-81 |
| 2 | गोगड़ीवाला | 14 चक | 27-8-81, 3-7-81 |
| 3 | नारायणसर | 13 चक | 27-8-81, 3-7-81 |
| 4 | फूलासर बड़ा | 22 चक | 27-8-81, 3-7-81 |
| 5 | फूलासर छोटा | 10 चक | 27-8-81, 3-7-81 |
| 6 | चारणवाला | 67 चक | 27-8-81, 3-7-81 |

"ख"

सिंचाई विभाग से प्राप्त चकप्लान्स एवं उनकी पर्चा खतौनियां तैयार होकर मौके पर निशानदेही की सूची

| क्रम सं. | नाम उपनिवेशन तहसील | कुल चकों की संख्या | पर्चा खतौनी तैयारी | 1982 से 84 तक निशानदेही दी जा चुकी है। चकों की संख्या | शेष | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | कोलायत नं. 1 | 126 | 126 | 126 | — | |
| 2. | कोलायत.नं. 2 | 86 | 74 | 74 | 12 | चकों की प्रथम प्रति तैयार हुई है द्वितीय व तृतीय प्रति तैयार होने पर निशानदेही दी जावेगी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | कोलायत नं. 3 | 69 | 25 | 25 | 44 | 32 चकों की पर्चा खतौनी फरवरी, 85 में प्राप्त हुई है प्रकाल के कारण काश्तकार मौके पर उपलब्ध न होने के कारण निशानदेही नहीं दी जा सकी। |
| 4. | कोलायत नं. 4 | 88 | 76 | 76 | 12× | 12 चकों की प्रथम प्रति तैयार हुई है, द्वितीय व तृतीय प्रति तैयार होने पर निशानदेही दी जावेगी। |
| | योग : | 369 | 301 | 301 | 68 | |

× 12 चकों की प्रथम प्रति तैयार हुई है, द्वितीय व तृतीय प्रति तैयार होने पर निशानदेही दी जावेगी।

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न सं. 239 का विवरण

**कार्यालय नगर परिषद, उदयपुर (राजस्थान)**

नगर परिषद. द्वारा टाउन हाल पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण
1-1-57 से 30-6-85 तक

| वर्ष | किया गया व्यय |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1956-57 | 25,000)00 |
| 1957-58 | 1,25,000)00 |
| 1958-59 | 1,27,303)00 |
| 1959-60 | 41,984)65 |
| 1960-61 | 30,008)15 |
| 1961-62 | 06,594)08 |
| 1962-63 | निल |
| 1963-64 | 2,68,160)78 |
| 1964-65 | 91,887)47 |
| 1965-66 | निल |
| 1966-67 | निल |
| 1967-68 | 2,486)60 |
| 1968-69 | 11,206)05 |
| 1969-70 | निल |
| 1970-71 | निल |
| 1971-72 | 5,676)75 |
| 1972-73 | निल |
| 1973-74 | 61,248)73 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1974-75 | 39,263)61 |
| 1975-76 | निल |
| 1976-77 | 1,36,226)00 |
| 1977-78 | 6,62,782)00 |
| 1978-79 | 7,591)00 |
| 1979-80 | निल |
| 1980-81 | 2,10,898)75 |
| 1981-82 | निल |
| 1982-83 | 1,21,358)00 |
| 1983-84 | 5,03 883)46 |
| 1984-85 | 6,11,073)08 |
| 1985-86(30-6-85 तक) | 0,52,413)00 |
| | 31,42044)17 |

एसडी/–
आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

एसडी/–
अधिशाषी अभियन्ता
नगर परिषद, उदयपुर

(५१८)



| | | |
|---|---|---|
| 1. | निमंत्रण पत्र छपाई | 1000/- |
| 2. | मालायें | 812/- |
| 3. | रोशनी का व्यय | 2800/- |
| 4. | अल्पाहार हेतु खर्च | 2120/- |
| 5. | सार्वजनिक निर्माण विभाग से जनरेटर मंगाया का किराया | 420/- |
| | योग रु. | 7152/- |

एसडी/-
आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

# परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न सं. 245 की सूची

केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियाँ जिनमें गबन एवं दुरुपयोग के मामले पाये गये हैं, की सूची

| क्र. सं. | नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | बलकासा | 44,250·51 |
| 2 | लबान | 7,672·94 |
| 3 | बड़ाखेड़ा | 61·76 |
| 4 | भोपा | 11,920·97 |
| 5 | मनोली | 7,840·00 |
| 6 | लगाव | 1,235·26 |
| 7 | कापरेन | 89,417·96 |
| 8 | मापजा | 1.212·00 |
| 9 | बालापुरा | 3,730·85 |
| 10 | सारसला | 1,379·00 |
| 11 | चतावा | 7,261·98 |
| 12 | केशव | 14 525·00 |
| 13 | कांकरा | 43,939·72 |
| 14 | बहड़ावाली | 2,762·00 |
| 15 | हिंगोनिया | 71,624·52 |
| 16 | खड्डी | 205·00 |
| 17 | आजन्दा | 7,438·50 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18 | जेयथल | 91,705·70 |
| 19 | सूनगर | 8·75 |
| 20 | कोटाखुर्द | 39,310·68 |
| 21 | वडावली | 9,818·70 |
| 22 | पापड़ी | 3,352·00 |
| 23 | झालीकाबराना | 18,284·92 |
| 24 | खेड़ाबोरदा | 10,515·00 |
| 25 | जलोदा | 25,606·05 |
| | योग | 5,15,079·77 |